



# सिद्धी प्रकाशन

श्रीनगर, नांदेड.

येथे सर्व प्रकारची पुस्तके, नियतकालिके व मासिके प्रकाशित केली जातात.  
पुस्तकांसाठी ISBN नंबर उपलब्ध.

संपर्क : सौ.पद्मवी लक्ष्मण शेटे मो.9623979067

स्वाामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज  
(GNM, ANM)  
महात्मा फुले मार्केट, नांदेड

सोयीचा वेळ GNM	मासिकारी 3 वर्षे	संपन्न 12वी पास (बारा, कॉलेज व विद्यालय)
सोयीचा वेळ ANM	मासिकारी 2 वर्षे	संपन्न 12वी पास (बारा, कॉलेज व विद्यालय)

प्रवेश देणे चालू आहे!

अधिक माहितीसाठी संपर्क: 91 12828510, 8999798910

### OUR SERVICES

- ISBN Book
- Call for paper
- International Research Journal
- Ph.D. & M.Phil Thesis Book
- E-Book
- Conference and Seminar Proceeding
- Educational Videos and Notes
- Educational Activities

G Pay PhonePe EHM 9623979067



Worldwide International Inter  
Disciplinary Research Journal  
Website : www.wiidrj.com  
Menoffice Address: Director : Mr. Tejas Rampurkar, Hyderabad,  
Tuljai Niwas Ramkrishna Nagar, Near Ganpati Mandir  
Vasmat Road Parbhani, Maharashtra (India)  
Email : shrihazirakashan2009@gmail.com / siddhiprakashan674@gmail.com  
Mob : +91-9623979067



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed)

Year - 10, Vol. 1, ISSUE - C, July -2024

ISSN : 2454-7905  
MAH/NAN/10936/2015  
SJIF 2024 - Impact Factor : 8.278

## Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed)

Year - 10, Vol. 1, ISSUE - CIV, October -2024

### SPECIAL ISSUE

:: Chief Editor ::

**Dr. Arvind Kumar Upadhyay**  
Assistant Professor (Hindi)  
K. P. M. GGDC Aurai Bhadohi UP

**Prof. Ramod Kumar Maurya**  
Professor (Sociology)  
K. P. M. GGDC Aurai Bhadohi UP

:: Editor ::

**Mohammad Akif Taufique**  
Assistant Professor (Political Science)  
K.P.M. GGDC Aurai Bhadohi UP

:: Co-Editor ::

**Dr Prabhat Kumar Pandey**  
Assistant Professor (Economics)  
K.P.M. GGDC Aurai Bhadohi UP

**Anuj Kumar Singh**  
Assistant Professor (Botany)  
K.P.M. GGDC Aurai Bhadohi UP

### Quarterly Research Journal

(Arts - Humanities - Social Sciences - Sports, Commerce, Science, Education, Agriculture, Management, Law, Engineering, Medical, Ayurveda, Pharmaceutical, Journalism, Mass Communication, Library Science Faculty's)



**Worldwide International  
Inter Disciplinary Research Journal**  
A Peer Reviewed - Referred

Bela Nagar, Near Maroti Mandir, Taroda Kh. Nanded - 431 605 Maharashtra (India)

## Certificate of Publication

ISSN : 2454-7905

Indexed  
SJIF

Impact  
Factor 8.278

ISSN 2454 7905



9 772454 790004 >

This is to certify that the review board of our research journal accepted the research paper /  
Article titled \_\_\_\_\_

Dr./Mr./Miss/Mrs. \_\_\_\_\_ of

it is peer reviewed and published in the Issue CIV, Vol. I , Year - 10 in the month Oct.- 2024.  
Special Issue

Thank You!

:: Co-Editor ::

**Anuj Kumar Singh**

Assistant Professor  
Department of Botany  
Keshav Prasad Mishra Government P.G  
College Aurai Bhadohi UP

:: Co-Editor ::

**Dr Prabhath Kumar Pandey**

Department of Economics  
Keshav Prasad Mishra Government  
Girls Degree College Aurai  
Bhadohi

:: Editor ::

**Mohammad Akif Taufique**

Assistant Professor  
Department of Political science  
Keshav Prasad Mishra Government Girls  
Degree College Aurai Bhadohi.

:: Chief Editor ::

**Prof. Ramod Kumar Maurya**

Department of Sociology  
Keshav Prasad Mishra Government Girls  
Degree College Aurai  
Bhadohi UP.

:: Chief Editor ::

**Dr. Arvind Kumar Upadhyay**

Assistant Professor  
Department of Hindi  
Keshav Prasad Mishra Government Girls  
Degree College Aurai Bhadohi UP.

**ISSN: 2454 – 7905**

*SJIF Impact Factor: 8.278*

# **Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal**

*A Peer Reviewed Refereed Journal*

**Quarterly Research Journal**

(Arts-Humanities-Social Sciences- Sports, Commerce, Science, Education, Agriculture, Management, Law, Engineering,  
Medical-Ayurveda, Pharmaceutical, MSW, Journalism, Mass Communication, Library sci., Faculty's)

[www.wiidrj.com](http://www.wiidrj.com)

**Vol. I**

**ISSUE - CIV**

**Year – 10**

**Oct. 2024**

**:: Editor in Chief ::**

**Dr. Arvind Kumar Upadhyay**

Assistant Professor (Hindi)  
K.P.M.GGDC Aurai Bhadohi UP.

**:: Editor in Chief ::**

**Prof. Ramod Kumar Maurya**

Professor (Sociology)  
K.P.M.GGDC Aurai Bhadohi UP.

**:: Editor ::**

**Mohammad Akif Taufique**

Assistant Professor (Political Science)  
K.P.M.GGDC Aurai Bhadohi UP.

**:: Co-editor ::**

**Dr. Prabhat Kumar Pandey**

Assistant Professor (Economics)  
K.P.M.GGDC Aurai Bhadohi UP.

**:: Co-editor ::**

**Anuj Kumar Singh**

Assistant Professor (Botany)  
K.P.M.GGDC Aurai Bhadohi UP.

**Address for Correspondence****Editor in Chief : Mrs. Pallavi Laxman Shete Website: www.wiidrj.com**

Ramkrishna Nagar near Ganpati Mandir Vasmat Road Parbhani (India –Maharashtra)

**Email:** siddhiprakashan674@gmail.com / Shrishprakashan2009@gmil.com**Mob. No:** +91-9623979067 **Director : Mr. Tejas Rampurkar, Hyderabad.**

(For International contact only +91-8857894082)

**Worldwide International Inter Disciplinary Research  
(A Peer Reviewed Referred)**

**Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)** is quarterly published journal for Research scholars, teachers, businessman and scientists to integrate disciplines in an attempt to understand the complexities in the current affairs.

We also believe that both researchers and practitioners can contribute their knowledge by translating understanding into action and by linking theory and practice. This would enhance the relevance and thought in various related fields.

This Journal expected to bring together specialists in the field of commerce, economics, management and industry from different part of the world to address important issues regarding commerce, management and economics. One of the objectives of the journal is to create dialogue between scholars of various disciplines.

The editor, editorial team and the publisher do not hold any responsibility for the views expressed in **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)** or for any error or omission arising from it.

The journal will cover the following Faculties for All Subject:

• Arts/ Humanities / Soc. Sci. / Sports	• Engineering
• Commerce	• Medical /Ayurveda
• Science	• Law
• Education	• Journalism
• Agriculture	• Mass Communication- Library sci.
• Pharmaceutical	• Social Work
• Management	• Any Other

**Director : Mr. Tejas Rampurkar** (For International contact only +91-8857894082)

*Printed by*

Anupam Printers, Hyderabad

**Editors of Worldwide International Peer Reviewed Journal are not responsible for opinions expressed in literature published by journal.**

The views expressed in the journal are those of author(s) and not the publisher or the Editorial Board. The readers are informed, authors, editor or the publisher do not owe any responsibility for any damage or loss to any person for the result of any action taken on the basis of the work (c) The articles/papers published in the journal are subject to copyright of the publisher. No part of the publication can be copied or reproduced without the permission of the publisher.

## Editorial Board

<b>Dr. P. Neelkantrao</b> Dept. of Economics, Pratibha Niketan Mahavidyalaya, Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Suhas Pathak</b> Dept. of School of Media studies S.R.T.M.U. Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Pramod Ravindra Deshpande</b> Wake Forest School of Medicine, Dept. of Cancer Biology, Winston Salem, NC, USA.	<b>Dr. Sachin G. Khedikar</b> Principal & Professor, Dept. of Rachana-Sharir, Shri. O. H. Nazar Ayurved College, SURAT (India.)
<b>Dr Ashutosh Gupta</b> Dept. of Sanskrit, HNB Garhwal University, Srinagar Garhwal Utrkhand 246174 (India.)	<b>Dr. Mayuresh M. Rampurkar</b> Sardar Vallabhbbhai Patel Hospital,(Neurosurgery),Ahmedabad. (G.India.)
<b>Dr. Manish Deshpande</b> N.S.B.College, Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Kulkarni J. N.</b> Library sci. S.R.T.M.U.Nanded. (MH., India.)

## Co-Editorial Board

<b>Dr. N. N. Bandela</b> Dept. of Envi. Science Dr.B.A.M.U. Aurangabad. (MH., India.)	<b>Dr. Suman K. S.</b> Dept. of Oriental languages, Loyola College,(Autonomous) Affiliated to University of Madras,Nungambakkam, Chennai-600034 (India.)
<b>Dr. S. P. Hangirgekar</b> Dept. of Chemistry Shivaji University, Kolhapur. (MH., India.)	<b>Dr. Baswaprabhu Jirli</b> Dept. of Extension Education, Institute of Agricultural Sci. BHU, Varanasi. (India.)
<b>Smt. Martha B.</b> Department of English, Dr. B.R. Ambedkar F.G. College, Ladgeri, Bidar, Karnataka (India.)	<b>Dr. Chandan Bora</b> Dept. Of Commerce (MH., India.)
<b>Dr. Mahesh Joshi</b> Dept. Of Education S.R.T.M.U. Nanded.(MH., India.)	<b>Dr. Mangesh W. Nalkande</b> Dept. of Kayachikitsa Govt. Ayurved College, Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Viraj Vilas Jadhav</b> Professor and HOD, Dept. of Rachanasharir, Shri dhanwantry ayurvedic College and hospital sector 46 B CHANDIGARH. (India.)	<b>Dr. M.B. Kulkarni</b> Govt. Medical College, Nanded. (MH., India)

**Peer-Review Committee**

<b>Dr. U. D. Joshi</b> Principal Y. College, Ambajogai. (MH., India.)	<b>Dr. Vasant Biradar</b> Principal Mahatma Phule College, Ahmedpur. (MH., India.)
<b>Dr. Joshi Prashantkumar Panditdev</b> Department of Zoology (Fishery Science) Adarsh College, Hingoli-431513 (MH., India.)	<b>Prof. Dr. Mahendrakumar Y. Kulkarni</b> Head, Dept. of zoology N.S.B. Colloege, Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Bibhishan Kare</b> Rrsearch Guide, Professor and HOD Dept. of Sociology, NSB College, Nanded.	<b>Dr. Sanjay S. Pekamwar</b> School of Pharmacy, SRTM University, Nanded (MH., India.)
<b>Dr. Prashant Andage</b> Dept. of Envi. Sci Ratnagiri sub Center, Mumbai University(MH., India.)	<b>Dr. Shashikant B. Dargu</b> Dept. Of Sanskrit N. S. B. College, Nanded(MH., India.)
<b>Dr. Shivraj G. Vannale</b> School of Chemical Sciences S.R.T.M.U. Nanded(MH., India.)	<b>Dr. Subhash T. Pandit</b> Department of Economics, S. V. Night College, Dombivli (E) (MH., India.)
<b>Dr. Sadavarte Rajesh K.</b> Dept. of Computer, N.S.B. College, Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Vinay D. Bhogle</b> Dept. of English Degloor College, Deglor(MH., India.)
<b>Dr. Kalpana Kadam (Bedre)</b> Dept.of Political Sci., N.S.B. College,Nanded.(MH., India.)	<b>Dr. Sharada Bande</b> Head, Dept. of History, S. S. Suryabhanji Pawar College, Purna (Jn.) (MH., India.)
<b>Dr. Deshpande R. P.</b> Dept. Zoology Sharda Mahavidyalaya, Parbhani. (MH., India.)	<b>Dr. Gananjay Y. Kahalekar</b> Mahatma Jyotiba Phule Mahavidyalay, Mukhed Dist. Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Prashant G. Gawali</b> Associate Professor, Dept. of Physics Bahirji Smarak Mahavidyalya, Basmathnagar, Dist. Hingoli (MH., India.)	<b>Dr. Vikas Kundu</b> Geeta College of Education Butana(kundu), Sonepat – Haryana
<b>Prof. K. Varalaxmi</b> Deputy Director Sanskrit Academy, Osmania University, Hyderabad.	<b>Dr. Kamalakar Sharad Ingale</b> Head of Political Science Department SSMM Arts, Commerce and Science College, Pachora, Dist. Jalgaon.
<b>Dr. Anand R. Ashturkar</b> Dept. of Envi. Sci. N.S.B.College, Nanded (MH., India.)	<b>Dr. Sandip Kale</b> Dept. English, NSB College, Nanded.

**Advisor Committee**

<b>Dr. Milind V. Rampurkar</b> Govt. Ayurved College, Mumbai. (MH., India.)	<b>Dr. Sudhir Kokare</b> Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Sanjay G. Shirodkar</b> Principal Swa. Sawarkar College, Beed. (MH., India.)	<b>Prof. Dr. Chitanand M. P.</b> Dept. Of Microbiology N. S. B. College, Nanded. (MH., India.)
<b>Dr. Darmapurikar Bhalchandra V.</b> Dept. of Political sci., NSB college, Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Ashish Divde</b> Head Dept.of Envi.Sci,H.J.P.Mahavidyalaya,H.Nagar.(MH., India.)
<b>Shri. Bidrkar</b> Shivaji College, Parbhani (MH., India.)	<b>Asst. Prof. Devidas G. Yelne</b> Dept. of Hindi, NSB College, Nanded.
<b>Adv.Yadupat Ardhapurkar</b> Law.,Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Karale Nagesh Baburao</b> Saraswati Mahavidyalaya, Kaij Dist. Beed. (MH., India.)
<b>Dr. Nagesh R. Khadkekar</b> SRTMU, Nanded. (MH., India.)	<b>Dr. Jeevan Pimpalwadkar (Marathi)</b> Research Guide, SRTMU Nanded. (MH., India)
<b>Dr. A.I. Shaikh</b> Associate Professor & Head, School of Social Sciences, SRTMU, Nanded. (MH., India)	<b>Dr. Rajendr Jadhav</b> Nanded. (MH., India.)
<b>Shri Bharat Jangam</b> Director Jangam Academy, Nepal..	<b>Dr. Jayanth Chapla</b> Dept of Zoology Osmania University, Hyderabad. (India)
<b>Shri. Santkumar Mahajan</b> Nanded. (MH., India.)	

## Guidelines for Submission of Manuscript

**COVERING LETTER FOR SUBMISSION:**

**DATE:** \_\_\_\_\_

**To,**  
**THE EDITOR,**  
WIPRJ,  
Parbhani.

Subject: Submission of the article with the title .....

.....

**DEAR Editor,**

Please find my submission of article for possible publication in your journal.

I hereby affirm that the contents of this manuscript are original. Furthermore it has neither been published elsewhere fully or partly, nor it is under review for publication anywhere.

I affirm that all author(s) have seen and agreed to the submitted version of the manuscript and their inclusion of name(s) as co-author(s).

Also, if our/my manuscript is accepted, I/We agree to comply with the formalities as given in the journal and you are free to publish our contribution in your journal.

**Name and Sign of Author/Authors**

Designation:

Affiliation with full address & Pin Code:

Residential address with Pin Code:

Mobile Number (s):

Landline Number (s):

E-mail Address:

Alternate E-mail Address:

**2. INTRODUCTION:** Manuscript must be in British English prepared on a standard A4 size paper setting. It must be prepared on a single space and single column with 1” margin set for top, bottom, left and right. It should be typed in 12point Times New Roman Font (English Article) and 16 point in DVB-TT Surekh in Pagemaker (Marathi / Hindi Article).

**3. MANUSCRIPT TITLE and HEADINGS:** The title of the paper should be bold capital. All the headings should be bold. All sub-headings should have also bold.

**4. AUTHOR(S) NAME(S) and AFFILIATIONS:** The author(s) full name, designation, affiliation(s), address, and email address should be there.

**5. ABSTRACT:** Abstract should be in fully italicized text, not exceeding 250 words. The abstract must be informative.

**6. KEYWORDS:** Abstract must be followed by list of keywords, subject to the maximum of five.

**7. FIGURES and TABLES:** These should be simple, centered, separately numbered and self-explanatory, and titles must be above the tables/figures. Sources of data should be mentioned below the table/figure.

**8. REFERENCES:** The list of all references should be alphabetically arranged. It must be single spaced, and at the end of the manuscript. The author(s) should mention only the actually utilized references in the preparation of manuscript and they are supposed to follow **Harvard Style of Referencing**.

## Review Process

Each research paper submitted to the journal is subject to the following reviewing process:

1. Each research paper/article will be initially evaluated by the editor to check the quality of the research article for the journal.
2. The articles passed through screening at this level will be forwarded to two referees for blind peer review.
3. At this stage, two referees will carefully review the research article, each of whom will make a recommendation to publish the article in its present form/modify/reject.
4. The review process may take one/two months.
5. In case of acceptance of the article, journal reserves the right of making amendments in the final draft of the research paper to suit the journal's standard and requirement.



# Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal

(A Peer Reviewed Referred)

(ISSN – 2454 7905)

## COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM

Date:

TO,  
THE PUBLISHING EDITOR,  
Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred),  
Parbhani.

**SUBJECT: COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM**  
(The article cannot be published until this copyright authorization agreement is received by the Editor)

### DECLARATION

I/We ..... the  
author/authors of the paper titled.....  
.....authorize  
you to publish the above mentioned article **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed)**

**I/We hereby declare that:**

1. This article authored by me/us is an original and genuine research work. It does not infringe on the right of others and does not contain any libelous or unlawful statements. It has not neither been submitted for publication nor published elsewhere in any print/electronic form.
2. I/We have taken permission from the copyright holder to reproduce the matter not owned by me and acknowledged the source.
3. I/We permit editors to publish the said paper in the journal or in any other means with editorial modification, if any.
4. I/We assign all the copyright of this article to the journal, and have not assigned any kind of rights for its publication to any other publisher(s).
5. I/We agree to indemnify the Editors, **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)** against all claims and expenses arising from any breach of warranty on my/our behalf in this agreement.
6. In case of a paper by multi-authored article, I/corresponding authors have obtained permission to enter into agreement and assign copyright from all the co-authors, in writing and all the co-authors have thoroughly read and agreed with above warranties and authorization.
7. All disputes subject to jurisdiction of Nanded court only.

Name : .....

Official Address : .....

..... Pin .....

e-mail id : .....

Mobile and Phone No. : .....

Signature of the Author(s) : .....

**Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal**  
**(A Peer Reviewed Referred)**  
**(ISSN 2454 7905)**

**Dr. Rajesh G. Umbarkar**

Ramkrishna Nagar near Ganpati Mandir Vasmata Road Parbhani (India –Maharashtra)  
**Phone :** +91 9623979067 **Email :** siddhiprakashan674@gmail.com / Shrishprakashan2009@gmil.com  
**www.wiidrj.com**

**Dear Editor,**

I wish to be an Annual Member and agree to abide by your rules and regulations.

1. Name in Full : \_\_\_\_\_

2. Nationality: \_\_\_\_\_

3. Address for Correspondence: \_\_\_\_\_

Phone (STD code): \_\_\_\_\_ Mobile No : \_\_\_\_\_

4. Name of the College/Employer : \_\_\_\_\_

5. Present Position/Designation: \_\_\_\_\_

6. Email Address: \_\_\_\_\_

**Date:**

**(Signature of the applicant)**

**Place: Stamp Seal:**

**ANNUAL SUBSCRIPTION RATES:**

	<b>Domestic</b>	<b>International</b>
<b>Individual</b>	<b>Rs. 1500</b>	<b>\$ 150</b>
<b>Institutional</b>	<b>Rs. 1500</b>	<b>\$ 150</b>

**Director : Mr. Tejas Rampurkar** (For International contact only +91-8857894082)

Subscriptions must be sent by Demand Draft drawn on any Nationalized Bank at Nanded, in favour of **Mrs. Pallavi Laxmanrao Shete** Subscription can also be made by depositing cash or electronic transfer in our bank account.

Name of the Bank : **State Bank of India, Branch – Taroda Naka Dist. NANDED. (MH., India.)**

IFSC Code : **SBIN0016667**

Branch Code : **16667**

Account Number : **20286425949**

# INDEX

Sr. no.	Title of the Paper	Name of Author	Page No.
01.	Future of Indian Economy : Challenges and Opportunities	Reshu Gurjar	01
02.	Choice Based Credit System: Potential and Challenges	Dr. Awanish Kumar Singh	04
03.	Security in the Social Age: The Effects of Social Media on India's National Stability	Dr. Subodh Mani Tripathi	11
04.	Russia-Ukraine Conflict and its Impact on India's Defence Capability	Dr. Jitendra Kumar Verma	23
05.	Genesis	Roshini Rani	27
06.	वर्तमान भारत में बेरोजगारी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता	डॉ. विजय कुमार दूबे	29
07.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आर्थिक प्रभाव व चुनौतियां -समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ. वन्दना	33
08.	भारत में वर्तमान राजनीति और डॉ. अम्बेडकर	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार	37
09.	प्राचीन भारत और पूर्वी एशिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग	डॉ. श्वेता शर्मा	40
10.	1857 के विद्रोह का महानायक : वीरवर बाबू कुँवर सिंह	डॉ. अमित कुमार सिंह	46
11.	भूमि उपयोग और वन सघनता का विश्लेषण : जनपद—फतेहपुर	आशीष प्रताप सिंह	54
12.	सतत विकास में कौशल विकास की भूमिका	डॉ कृष्णदेव उपाध्याय	60
13.	वर्ग, लिंग एवं परिवार पर स्तरीकरण का प्रभाव	डॉ. शैलेश मिश्रा	62
14.	श्रृंगार रस का शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक विवेचन	डॉ. नम्रता निश्चल त्रिपाठी	66
15.	पर्यावरणीय चिंतन और पंत का काव्य	डॉ. मोहम्मद काशिफ नईम	69
16.	समकालीन भारत में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन	डॉ. अरविन्द कुमार उपाध्याय मोहम्मद आकिफ तौफीक	72
17.	लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन	डॉ. धर्मेन्द्र शुक्ल	77
18.	कैशलेस अर्थव्यवस्था संपोषणीय विकास की ओर एक कदम	अनवर आलम	83
19.	अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के पश्चात् भारत की सुरक्षा में जम्मू—कश्मीर की भूमिका	ज्योति वर्मा	88
20.	प्रयागराज जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समायोजन का अध्ययन : लिंग, क्षेत्र एवं वर्ग के आधार पर	डॉ. विजय कुमार गुप्ता	92

21.	नासिरा शर्मा के कथा साहित्य में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन	ज्योति भड़ाना प्रो. (डॉ.) मन्जू शुक्ला	99
22.	मानवाधिकार एवं गैर सरकारी संगठन	डॉ. दिलीप कुमार सिंह	105
23.	वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन : मानव की भूमिका	मिथिलेश कुमार गौतम	111
24.	स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के सन्दर्भ में हंसा मेहता समिति का समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ. अजित शुक्ल	117
25.	आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते स्टार्टअप्स : एक विस्तृत विश्लेषण	डॉ. निशा पाण्डेय डॉ. जितेन्द्र प्रसाद यादव	126
26.	उच्च शिक्षा में महिलाओं की चुनौतियाँ एवं उपलब्धियाँ	प्रियंका दीक्षित	132
27.	भारतीय ज्ञान परंपरा में औद्योगिक नीति तथा उसके प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ. प्रभात कुमार पांडेय	141
28.	Operational Impact of sewage Treatment Plant on Underground Water Pool (At Dinapur Villege, Varanasi)	Saurabh Singh	147
29.	Aatmanirbhar Bharat : India's Vision for self- Reliance	Manoj Kumar Tripathi Dr. Pramendra Vikram Singh	152
30.	Biodiversity and It's Conservation in India	Vijay Prakash Singh	160
31.	Plants Intertwined in to Our Tradition	Dr. A. Sasikala	163
32.	Analyzing the employment and export elasticity potential of MSMEs sector in India.	Miss Yadav sandhya	168
33.	Physiological actions of various Panchakarma procedures in Ayurveda	Dr. Bhagyashree Hanumant Yadav Dr. Sarika Laxmanrao Puyad	173
34.	A Study on Urban Older Age People's Mental Health: Challenges and Interventions	Dr. Tukaram S. More	176
35.	The Impact of Job Satisfaction on Mental Health	Dr. Munjaji K. Rakhonde	183
36.	Disability Rights and Equal Treatment	Sumaiyya Gaffar Sayed	187
37.	Liberation Movement Kalyana Karnataka Region – Need For Micro Research	Smt. Nagaratna B. Tamminal	193
38.	Corruption: Causes, Consequences And Cures	Dr. Prakash D. Haveripeth	196
39.	Echoes of Rebellion: The Cherur Revolt and Socio-Political Tumult in 19th-Century Malabar	Dr. Sukesh Kumaradas	201
40.	Prurigo Nodularis and Homoeopathy : A case study	Dr. Swapnali Tryambakrao Bathe	209
41.	शहरी गरीब : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना	डॉ. हर्षद भोसले डॉ. रविंद्र जाधव प्रा. संजय गायकवाड	216

42.	नांदेड जिल्ह्याच्या कृषी मालाच्या बाजारपेठेचा अभ्यास (2010-11 ते 2020-21)	श्रीकांत नंदकुमार स्वामी डॉ. पुरुषोत्तम गाठे	223
43.	अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या शैक्षणिक समस्या मार्गदर्शक	डॉ. संजय गंगाराम सुरेवाड कुमिदिनी जोशी रामचंद्र याडाराम	227
44.	शिक्षणात एआय आणि डिजिटल साधनांचा वापर	सौ. प्रिया नितीन उपासनी	230
45.	मराठा कालखंडातील प्रभावी शस्त्र भाला	डॉ. मधुकर विठोबा जाधव	232
46.	डिजिटल माध्यम, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टोकरंसी से भुगतानका विश्लेषण	डॉ. सुनील सूर्यवंशी	237
47.	महिला सबलीकरण व महिलांच्या चळवळी	ढगे अक्षया रामराव डॉ. माधव माणिकराव मोरे	244
48.	“पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राचा परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेला परिणाम”	प्रा. महेंद्र जीवन कडू	249
49.	भारतातील पत्रकारिता : सद्यस्थिती, आव्हाने आणि भविष्य	सागर ज्ञानेश्वर दरेकर	253
50.	आंध आदिवासी महिला आणि स्वयंसहायता गट	अक्षया रामराव ढगे प्रा. डॉ. भोसले बालाजी रामेश्वराव	258
51.	२०२४ ची आगामी विधानसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	ऋषिकेश वासुदेव कुंभार डॉ. सुरेश एम. देवरे	263
52.	झाडीपट्टी रंगभूमी: एक अभ्यास	प्रा. डॉ. चंद्रशेखर कणसे	268
53.	राजर्षी शाहू महाराजांच्या कृषीक्षेत्रविषयक धोरणाचे मूल्यमापन	योगिता गणेश अनमोड	273
54.	पौगंडा अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक बदलामुळे अभ्यासावर होणारा परिणाम	पृथ्वीराज उत्तमराव धर्मे	278
55.	आदिवासी स्त्रियांच्या काव्यातील प्रतिमासृष्टी:	प्रा. डॉ. सचिदानंद फुलचंद खडके	282

# Future of Indian Economy : Challenges and Opportunities

**Reshu Gurjar**

Research Scholar

## **Abstract**

Since the Indian economy is a developing economy it is obvious that there are bound to be many challenges in front of it, but our developing economy should not be short of opportunities , whether is technology an innovation or industrial sector ,digitization. This study highlights the challenges and opportunities of the Indian economy . In the study related to this subject, appropriate relevant data, various websites and published speech, articles have been taken from the published journals as per the requirement.

**Keywords :** Indian Developing Economy, Economy, Challenges And Opportunities, Technology And Innovation , Digitalization .

## **Introduction:**

The Indian economy is a mixed economy, the Planning Commission was formed in 1950 to run the economic development smoothly in the country. Five Year Plans Launched by Planning Commission First Five Year Plan was started by Jawaharlal Nehru on 8 July 1951. In the Five Year Plans, the goals related to development were ( poverty alleviation, providing new employment opportunities, agricultural development, promotion of industrialization) etc.

## **Literature Review :**

Khem Chand, Rajesh Tiwari and Manish Fuyal (2017) in their paper entitled “Economic growth and Unemployment Rate an Empirical Study of Indian Economy”. In called your paper concluded that economic development has a negative impact on unemployment rate and to reduce unemployment ,the economy should promote economic development .

According to the CMIE ( Center for monitoring Indian economy) as of December 2021, there are 53 million unemployed people in India, A large part of them are women too.

CMIE in its weekly analysis said, "India's unemployment rate immediately 7.9% or 35 million people in December 2021 India needs to provide employment who were not employed and were actively looking for employment".

GNPA of banks rising continuously as per the financial stability report (FSR) of RBI December 2021, Of the Macro Stress Taste for Credit Risk Indicates that the Gross non-performing Asset (GNPA) ratio of SCBs, from 6.9% in September 2021 augmented September 2022 8.1% may and 9.5% may be under a Severe Stress Scenario . however 5CBs will have sufficient capital both overall and Individual substantial at both levels case of stress.

According to the world inequality Lab report in 2021, the top 1% of India's population had 22% of the total national income and the bottom half had only 13%, top 10% had 57% of the income.

## **Objective Of The Study:**

1. To Knowing the challenges and reasons for the Indian economy.
2. To finding Opportunities in the Indian Economy.

### **1. Research Methodology:**

Descriptive secondary research method has been used and in this research paper secondary data has been used. research papers, magazines and publications and website have been used as per the need to analyze the challenges and opportunities existing in the Indian economy.

### **Findings:**

This part is divided in to two sub-parts:

- 1- Knowing the challenges and reasons for the Indian economy.
- 2- Findings Opportunities in the Indian Economy.

### **Knowing The Challenges And Reasons For The Indian Economy:**

Many challenges have arisen in the Indian economy at the present time and many were already there. Let us discuss these challenges and their reasons a little bit.

### **Challenges and causes of unequal income distribution in the country:**

The gap between the rich and the poor is increasing in the country, the main reason for the uneven distribution in the country is poverty, unemployment, due to which a large part of the income remains limited to only a few people.

### **Challenges and causes of unemployment:**

The main reason for unemployment is the lack of skill among the people, there are many educated people in India, but they have often seen a lack of skills, due to which they are unable to get work, especially there are some people who are also educated or skilled but they can not find the job of your choice. Unemployment rate is increasing day by day due to lack of work.

### **The challenge and reason for the growing GNPA of banks:**

The NPA of Indian banks is increasing continuously, one of the reasons is that some people are deliberately not repaying the loan and action is not taken against such people because they have political support or another reason is the development schemes run by the government. With this, loans are also being made easily available from banks to small, medium and cottage industries, which are not in a position to repay the loan due to market uncertainty.

### **Challenges and Reasons of Agriculture Sector:**

Agriculture is called the backbone of the Indian economy. There was a time when 70% of the country's population was employed in the agriculture sector and today the share of agriculture sector in GDP is decreasing day by day. In 2019-2020 there was 16% share of GDP. In the agriculture sector, but now people are moving towards the service sector, due to which farmers are not able to get the right price for their crop, the right time and the unavailability of fertilizers and seeds at low prices, there are many other reasons due to which The share of agriculture sector in GDP is falling and the trend of people is also disappearing from this sector. "Farmers are born in debt and die in debt" this is also a great irony of agriculture sector.

### **Challenges and reasons of rising crude oil prices**

For every \$1 increase in crude oil prices, state-run oil companies raise the price of petrol and diesel by 40 pennies per liter. The reason is that people do not want to walk at all now, no matter how close they have to go, they always use bikes, if we start using bicycles instead of bikes, then there will be less use of petrol and there will be a positive effect on our health as per the need. If petrol-diesel and cars and bikes are used from this, then both the consumption and price of crude oil can fall.

## **Findings Opportunities In The Indian Economy:**

### **Manufacturing & Infrastructure:**

In order to develop manufacturing and infrastructure strongly, the self-reliant India scheme was launched by the government on 12 May 2020, in this direction PLI. The scheme has also been started, there is no dearth of employment opportunities in this sector, just skill is needed.

### **Digitization:**

The Indian economy has moved towards digitization, due to the digitization of every sector, the demand for skilled people, technical knowledge, is increasing day by day, online transactions are saving time, due to the increase of digital professionals and digital users, employment in this sector India has become the world's second largest market for digital consumers with nearly 1.2 billion wireless subscribers and 750 million internet subscribers.

### **Promoting export:**

PLI ( Production Linked Incentive ) Scheme was launched in India in March 2020 with the objective of incentivizing companies to increase the sales of products made in domestic units, for this 13 sectors have been selected, which will enable many items like our medicines, vaccine phones, in our country. only and our exports will increase.

### **Health:**

Kovid-19 has shaken the entire global economy but at the same time has posed many challenges and opportunities in front of all of us, just as we have to face challenges and solve them, in the same way we should also take advantage of emerging opportunities. By increasing the expenditure, we can make a very good place in this sector.

### **Conclusion:**

Although there are many challenges in front of the Indian economy, but it is said that where there are problems, then there are solutions. With a little patience and understanding, we can take advantage of new opportunities for growth.

### **References:**

1. Khem chand, Rajesh tiwari, Manish Fuyal, (2017) “Economic Growth and Unemployment Rate: An Empirical Study Of Indian Economy” <https://doi.org/10.17492/pragati.v4i02.11468> Vol 4,No 2 (2017) ischolar. Info .
2. Reserve Bank of India – Press Releases [rbi.org.in](http://rbi.org.in), 24<sup>th</sup> issue, 2021-2022/1441, 29 December 2021 <https://m.rbi.org.in> .
3. India poor and very unequal: World Inequality Lab 7 december 2021 <https://www.cmie.com> .
4. India has 53 million unemployed people as of December 2021:CMIE 20 january 2022 <https://economictimes.indiatimes.com>



# Choice Based Credit System: Potential and Challenges

**Dr. Awanish Kumar Singh**

Assistant Professor, Department of Botany, Govt. Girls Degree College, Saiyadraja, Chandauli -232110

## Abstract

The institutions of higher education are in need of infusion of new model of education in order to keep the curriculum in pace with changing environment which include technology adoption, changing industry requirement, changing aspiration of students and changing expectations of society. It is expected that two models and two systems of higher education are going to get importance in this changing environment. The two models of higher education which are going to be relevant in future days are (1) Conventional classroom based education model and (2) Technology supported online ubiquitous education model. The two higher education systems which are expected to be attractive to the learners are Choice Based Credit system and Competency based Credit system. University Grants Commission has come up with the Choice Based Credit System (CBCS) programme in which the students have a choice to choose from the prescribed courses, which are referred as core, elective or minor or soft skill courses and they can learn at their own pace and the entire assessment is graded-based on a credit system. The CBCS may fit appropriately into the emerging socio-economic milieu and also respond effectively to the educational and occupational aspirations of future generations. CBCS provides a better facility to the learners like freedom, flexibility, advanced learning opportunities, fulfillment of student's academic needs and aspirations, intra and inter-institutional transferability, a quality education, etc. However, during the implementation of this system in higher education institutions, many challenges need to be addressed to put it on the right track. Therefore, the objective of the present paper is to examine the prospects and challenges of Choice Based Credit System

Keywords: : Choice-based, Credit, Semester, Grade, Course, Higher Education, UGC

## 1. Introduction:

*“Choice Based Credit System is a proven, advanced mode of learning in higher education which facilitates a student to have some freedom in selecting his/her own choices in the curriculum for completing any Degree program”.* University Grants Commission has come up with the Choice Based Credit System (CBCS) programme in which the students have a choice to choose from the prescribed courses, which are referred as core, elective or soft skill courses and they can learn at their own pace and the entire assessment is graded-based on a credit system. The basic idea is to look into the needs of the students so as to keep up-to-date with development of higher education in India. CBCS allows students an easy mode of mobility to various educational institutions spread across the world along with the facility of transfer of credits earned by students. Choice Based Credit System was considered to be the benchmark for our academic institutions against the international level institutions. India has adopted the Choice Based Credit System on the recommendation of the Knowledge Commission (Sam Pitroda) as well as as per the Eleventh Five Year plan in order to bring about quality and transformational change in Indian higher education. Under the Choice Based Credit System, a student would pursue three kinds of courses and they are compulsory foundation courses, elective courses and core courses. Here, it is mandatory for a student to have the core subjects every semester and choose electives from the prescribed pool of subjects unrelated to his her own discipline. According to UGC guidelines, within the new system,

there is a shift focused from teacher-centered education to learner-centered education. Emphasis is on learning and not on teaching, with the learner being at the center stage of all academic transactions. The CBCS is aimed at ushering in a multi-disciplinary approach to undergraduate and postgraduate curriculum, providing students a diversity of opportunities for their mobility by allowing them to take credits earned in one institution to a different institution to which they chose to shift (Hanchinalkar, 2014). This is an instrument for establishing uniformity within and across the higher educational institutions both at national and international level of education delivery system.

## 2. Concept of CBCS system in India:

The 11th Five Year plan of India proposed various measures for academic reforms in higher education. The National Knowledge Commission (Sam Pitroda) report to the nation in 2008-2009 on higher education and Yashpal Committee Report in 2009 recommended revamping of higher education through academic and administrative reforms. Keeping in view the challenges of the changed times and make the higher education in Indian Universities compatible with the universities in developed nations, the UGC (11th plan, March 2009) stressed on the following recommendations has to be put on CBCS system in Higher Education:

- **CHOICE BASED** - Choice of multiple courses
- **GRADING** - Marks secured is in letter grade format
- **SEMESTER** - Learner- Teacher Engagement Quotient can be measured semester-wise.
- **CREDIT** - Class hours per week carries additional importance in credit system
- **ASSESSMENT** - In the form of class room attendance, Mid Term Tests etc; is continuous and wide-ranging.

## 3. Types of Courses in CBCS System:

Under CBCS, students will study the following types of courses:

**Core Course:** A course, which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement is termed as a Core course.

**Elective Course:** Generally a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the discipline/ subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.

**Elective Course:** Generally a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the discipline/ subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.

- **Discipline Specific Elective (DSE) Course:** Elective courses may be offered by the main discipline/subject of study is referred to as Discipline Specific Elective. The University/Institute may also offer discipline related Elective courses of interdisciplinary nature (to be offered by main discipline/subject of study).
- **Dissertation/Project:** An elective course designed to acquire special/advanced knowledge, such as supplement study/support study to a project work, and a candidate studies such a course on his own with an advisory support by a teacher/faculty member is called dissertation/project.
- **Generic Elective (GE) Course:** An elective course chosen generally from an unrelated discipline/subject, with an intention to seek exposure is called a Generic Elective. (A core course offered in a discipline/subject may be treated as an elective by other discipline/subject and vice versa and such electives may also be referred to as Generic Elective)

**Ability Enhancement Courses (AEC)/Competency Improvement Courses/Skill Development Courses/Foundation Course:** The Ability Enhancement (AE) Courses may be of two kinds: AE Compulsory Course (AECC) and AE Elective Course (AEEC).

**AE Compulsory Course (AECC)** “AECC” courses are the courses based upon the content that leads to Knowledge enhancement. These are mandatory for all disciplines and include (i) Environmental Science, (ii) English/MIL Communication.

**AE Elective Course (AEEC)**

These courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value-based and/or skill-based instruction. Project work/Dissertation is considered as a special course involving application

#### **4. CBCS Comprises Following Basic Features:**

**Semesters:** Each year is divided into two semesters and the assessment of students is done semester wise. A student progress is calculated on the basis of the courses taken rather than time taken to complete the course like three years for science, arts, commerce or four years for engineering etc. Each semester will have 15–18 weeks of academic training and assessment which is equal to 90 teaching days. There is flexibility in creating the curriculum and assigning credits based on the course content and hours of teaching.

**Credit System:** Each course is assigned a certain credit. When the student passes that course, he earns the credits which are based on that course. If a student passes a single course in a semester, he does not have to repeat that course later. The students can earn credits according to his pace by taking any amount of time.

**Provision of Credit Transfer:** If for some reasons, a student cannot cope with the study load or if he falls sick, he has the freedom to study fewer courses and earn fewer credits and then he can compensate this in the next semester. A student can also take the remaining credits in another college.

**Comprehensive Continuous Assessment:** There is a continuous evaluation of the student not only by the teachers but also by the student himself through assignments, open book exams along with semester end examinations.

**Counting of Credits in Credit System:** One credit per semester is equal to one hour of teaching, which includes both lecture (L) or tutorial (T) or two hours of practical work/field work (P) per week. A study course can have only L component or only T or P component or combination of any two or all the three components. The total credits earned by a student for each semester is L+T+P.

**In compliance with the Global Grading System:** All the major higher education institutions across the world are implementing this credit system. For instance, the European Credit Transfer System (ECTS) in Europe’s universities, the ‘National Qualifications Framework’ in Australia, the Pan-Canadian Protocol on the Transferability of University Credits the UK Credit Accumulation and Transfer System (CATS) and even in the US system, Japan system, etc. are based on credit system.

**Cumulative Grade Point Average (CGPA):** It's a measure of the cumulative performance of a student over all the semesters. The CGPA is the ratio of total credit points scored by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of all courses in all the semesters. It is expressed up to two decimal places.

**Semester Grade Point Average (SGPA):** It's a measure of the performance of tasks accomplished in a semester. It is the ratio of total credit points scored by a student in various courses registered in

a semester and the total course credits taken during that semester. It is also expressed up to two decimal places.

**Allotment of Grading:** UGC has introduced a 10-point grading system in CBCS to allot grading as shown in the following table 1.

**Table 1:** Allotment of Grading in CBCS as per UGC guidelines

Sl. No.	Letter Grade	Grade	Grade Point
1	O	Outstanding	10
2	A+	Excellent	9
3	A	Very Good	8
4	B+	Good	7
5	B	Above Average	6
6	C	Average	5
7	P	Pass	4
8	F	Fail	0
9	Ab	Absent	0

### 5. Advantage of CBCS system:

Advantage of CBCS system in Higher education in India are:

**Students Centric:** CBCS offers freedom to choose subjects according to their own learning needs, interests and aptitudes which is beneficial for students. This system signifies a shift in focus from teaching based system to learning education system as the workload is based on the investment of time in learning. A student can exercise the option to decide his/her own pace of learning- slow, normal or accelerated plan and sequence his/her choice of paper, learn to face challenges through term work/project work/ and may venture out to acquire extra knowledge/proficiency through add-on facilities.

**Improve the interdisciplinary approach in education:** All cutting edge development in technologies occur at the interface of two or more disciplines. Making the curriculum interdisciplinary enables integration of concepts, theories, techniques, and perspectives from two or more disciplines to advance fundamental understanding or to solve problems whose solutions are beyond the scope of a single discipline.

**Facilitates student's mobility:** CBCS allows easy mode of mobility to various educational institutions spread across the world along with the facility of transfer of credits earned by students. This provides more transparency and compatibility between different educational structures.

**Standardization of higher education:** CBCS upgrades educational and occupational aspiration of the upcoming generation. The great advantage is that the learning process is made continuous and the evaluation process is not only made continuous but also made learner-centric and is designed to recognize the capability and talent of a student.

**Develop quality education:** Though the students choose courses of inter-disciplinary nature, the required courses for majoring in a subject will ensure depth. Professionalism and quality consciousness are the basis for every change. With faculty advising, CBCS can offer a very flexible and open system for a quality up gradation of higher education.

**Teacher Capacity Building:** The teacher training and capacity building is going to be carried out to enhance the skill, knowledge as well as to create right kind of attitude required to play a role of teacher. It will not only increase the competency with respect to knowledge but also in terms of

technology, research, teaching and pedagogy. This will enable them to work as facilitator as well as motivator for students.

**Continuous and Comprehensive Assessment:** This is an integral part of CBCS. A continuous assessment system in semester system (also known as internal assessment/comprehensive assessment) is spread through the duration of course and is done by the teacher teaching the course. The assessment is done through various means including: Written tests, MCQ based quizzes, Presentations, Projects, Field visits, Seminars, Group discussions/activities etc. The continuous assessment provides a feedback on teaching learning process. The feedback after being analysed is passed on to the concerned for implementation and subsequent improvement.

**Grading System:** Firstly, scoring system encourages mechanical rote learning turning students into a good memoriser rather than a good analyser. Like the Vedas says such pupils are like “donkeys carrying bags of sandalwood on their back, who can only feel the load but never its values.” Grading system is expected to bring some change in this attitude. Grading constitutes the core of CBCS, as it tries to reduce the subjective element in assessment/evaluation and thereby prevents any disadvantage to the student. Grade is an index of the performance of a student in a particular course. It is the transformation of scaled marks secured by a student in a course. Grade point is the weightage allotted to each grade depending on the range of marks awarded in a course.

## **6. Challenges of Choice-Based Credit System**

**Resistance from stakeholders:** There is a strong resistance to change from stakeholders specifically in colleges affiliated to CBLU, Stakeholders' consensus in terms of core papers is a major challenge.

**Reduction in emphasis on Language Papers:** The biggest challenge is being observed in Language Papers i.e., Hindi and English. In CBCS, there is a drastic reduction in emphasis on English/Hindi.

Both of these languages had been considered essential for students since the beginning of the higher education system in India. Language proficiency is considered essential for the development of higher knowledge and skills acquisition.

**Workload of English and Hindi teachers:** The workload of English and Hindi teachers will also get drastically affected. There is great resentment and apprehension regarding the drastic reduction in the workload of these teachers.

**Diversion from the main course:** There is apprehension that Ability Enhancement Compulsory Courses and Skill Enhancement Courses will get little attention from teachers and students and will remain as mere formality. Similar trends are already prevalent in EVS paper.

**Difficulty in finding Experts:** For Ability enhancement and Skill enhancement papers, it will be difficult to find Experts. Making experts available as per needs of the college timetable & students' availability is a big question.

**Lack of adequate infrastructure:** CBCS encourages teaching through projects, Hobbies & Case studies. There is a lack of resources-Human as well as Physical /infrastructure for imparting training in projects & hobbies. A majority of colleges and departments in universities do not have adequate. Infrastructure to facilitate this, including smart boards, projectors, access to computers and Internet, and storage space for projects. It will call to increase the infrastructure to the house or accommodate the students' needs

**Difficulties with Grading System:** Accepting grade points in the subject instead of marks and letter grades instead of exact total marks is difficult since the determination of individual ranking is not

possible by merely referring to grade points and letter grades. Moreover, Grading System has its own limitations.

**Lack of Uniformity in implementation of Credit System:** There are disparities in the implementation of credit system at the university/college level which would certainly affect mobility/credit transfer. Mobility or transferring of students from one institution to another one would be problematic. Different natures and standards of institutions will force problems in maintaining the equality in terms of mobility of students as everyone would desire to move from substandard institution or university to standard one.

**Lack of Academic advising:** There is a cafeteria of choices but how do you know which combination works best? Students may face a dilemma in choosing the subjects due to their inexperience in predicting future demand. Most of the faculty members are unable to advise students on the credits to choose from out of available options. Academic advising is a key component of successful CBCSs and most Indian institutions/ faculty members have little experience in this area.

**UGC list of disciplines is incomplete:** UGC list of disciplines and courses is not exhaustive. Some important subjects like Physical Education and Fine Arts are not included in the list of disciplines/ courses to be covered under CBCS.

**Maintaining compatibility:** For the institutions, the number of students in a given class is not constant since students can take any subject in any college for a given course. Offering various programmes of different nature simultaneously and maintaining compatibility among main subject's papers and soft papers would be challenging one.

**The problem of indiscipline:** Problems of indiscipline may be experienced as full liberty or choices of students are given maximum importance.

**Variations in Workload:** Extra burden would be experienced by faculty members of few subjects as CBCS has the flexibility in taking or choosing credits. Mastery over concerned subjects would be hampered.

**Chances of subjectivity in Evaluation:** Seriousness of students will get reduced from the examination as much weightage is given to continuous or internal assessment and evaluation. The chance of subjectivity would be maximum, as internal evaluation has 40 % weightage.

#### **7. Suggestion for Embodiment of CBCS system in Higher Education in India:**

The implementation of CBCS system can prove beneficial for Institutes. Student-centric approach of Education creates interest and applicability in the scope of study. Our solution enables easy Choice Based Credit System in Educational Campuses. Master Soft has customized this solution keeping in mind the growing need to automate credit courses of higher education. Following points could be considered as the suggestions for Embodiment for the CBCS system:

- Admittedly, Choice based credit system is students friendly but things are yet to be needed to justify the efficacy of it. Class room teaching should be given importance.
- Seminars, Conferences and debate should be organised to discuss its merits and demerits in detail.
- Professional training should be given to the teachers to handle it effectively.
- Provision of both Percentage and grading system should be maintained.
- Its adaptation should be optional or choice based rather than mandatory.
- All the P.G college of India should also be brought under the CBCS, as they also catering the responsibility of Higher Education on a large scale.

- Equalization in standard of education system should be maintained so that mobility of students could be checked.
- Selection of papers and choosing credits should be governed by the concerned department/ institution.
- To make it more effective, guidance and counselling services should be arranged for the teachers and students while choosing soft core papers.
- Care should be taken about the gap between Central and state Universities in regard to quality of education as well as the availability of infrastructure at point.
- The University can have multiple users. The user can view his/her profile as well as change password.
- Student has the mobility to register, apply, and keep track of courses selected and examination schedule through our Solution.
- Faculty has the flexibility to manage student data, create courses and schemes, offer courses, allot curriculum and assign/ transfer teachers.
- Through this solution the teacher can prepare teaching plans, mark attendance and prepare assignments for students.
- Solution for CBCS system is holistic, easy to use and provides comprehensive management.

### **Conclusion:**

The concept of CBCS and Semester system in higher education in India has been the outcome of a response to overcome limitations of the long-existing British introduced system of education which resulted in over production of unemployed youth, indiscipline in the academic environment, low motivation, and a host of other miss-matches. But the existing variability and differences between Central University, State University, and Colleges in terms of efficient teachers, academic environment, infrastructure, etc. would pose a problem in the success. The UGC has always initiated measures to bring efficiency and excellence in the Higher Education System of India. The basic motive is to expand academic quality in all aspects, right from the curriculum to the learning-teaching process to examination and evaluation systems. However, so far multiple methods are followed by different universities across the country towards examination, evaluation and grading system. Considering this diversity, the implementation of the choice based credit system seems to be a good system in assessing the overall performance of a student in a universal way of a single grading system.

### **References:**

1. Aithal, P. S., & Kumar, P. M. S. (2016). Analysis of Choice Based Credit System in Higher Education. *International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME)*, 1(1), 278- 284.
2. Amutha Joseph (2012), Choice Based Credit System: The need of the hour, *University News*, Vol.51, No. 08. 15.
3. Hanchinalkar, S.B. (2014). A Study of Choice-Based Credit System Implemented at Secondary Teacher-Training Institutes by University of Mysore. *Indian Journal of Experimental and Innovation in Education*, 3 (1).
4. Hasan, M & Parvez, M. (2021). Choice-Based Credit System in India: Pros and Cons. *Journal of Education and Practice*, 6(25), 30-33.
5. Naidu, B.V.R. (2016). Choice Based Credit System in India. A critical evaluation. *International Journal of Academic Research*. p.g-77-87.
6. Rumani Saikia Phukan, What is CBCS or Choice Based Credit System? How Does It Work? <http://www.mapsofindia.com/my-india/education/what-is-cbcs-or-choice-based-credit-system-how-does-it-work>, 24/06/2015.
7. Samar Das (2018). Choice Based Credit System: Implications & its Challenges. *International Journal of Research in Humanities and Soc sciences*, 9(1), 16-22.
8. UGC Guidelines on Adoption of Choice Based Credit System, University Grants Commission, India. Downloaded from the website: [http://collegesat.du.ac.in/UGC\\_credit\\_Guidelines](http://collegesat.du.ac.in/UGC_credit_Guidelines)
9. UGC Guideline for Minimum Course Curriculum for UG Courses under CBCS. [www.ugc.ac.in/pdfnews/8023719\\_Guidelines-for-CBCS.pdf](http://www.ugc.ac.in/pdfnews/8023719_Guidelines-for-CBCS.pdf)
10. UGC Instructional Template for Facilitating Implementation of Choice Based Credit System (CBCS). [www.ugc.ac.in/pdfnews/4426331\\_Instructional-Template.pdf](http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4426331_Instructional-Template.pdf)

# "Security in the Social Age: The Effects of Social Media on India's National Stability"

**Dr. Subodh Mani Tripathi**

Assistant Professor

Defence and Strategic Studies, Shri Murli Manohar Town P. G. College, Ballia.

## **Abstract**

In recent years, social media has emerged as a critical platform influencing various aspects of society, including national security. This research paper explores the multifaceted role of social media in shaping India's security environment. Examining both its positive and negative impacts. Through detailed case studies and comprehensive analysis, the paper delves into how social media is used for political mobilization, information warfare, and civil unrest, while also highlighting its potential for counter-terrorism, public awareness, and social cohesion. Key policy recommendations are provided to enhance social media governance, emphasizing the need for robust cybersecurity measures, effective content moderation, and collaborative efforts between the government and social media companies. The findings underscore the dual-edged nature of social media in India's national security landscape and call for a balanced approach to harness its benefits while mitigating its risks.

**Keywords:** Social media, information warfare, political mobilization, national security, cybersecurity.

## **Background of Social Media and Its Evolution**

Social media platforms have undergone a significant transformation since their inception. Originally designed as tools for personal communication and social networking, these platforms have evolved into powerful engines for information dissemination, political mobilization, and commercial activities. The early 2000s saw the rise of platforms like Myspace and Friendster, which laid the groundwork for the social media giants of today, such as Facebook, Twitter, Instagram, and WhatsApp. These platforms are characterized by their ability to connect individuals across vast distances, fostering both global and local communities.<sup>1</sup>

The proliferation of smartphones and affordable internet access has further accelerated the growth of social media. In India, for instance, the number of internet users grew from 137 million in 2012 to over 700 million in 2020, largely driven by the availability of low-cost smartphones and competitive data plans.<sup>2</sup> This digital revolution has made social media an integral part of daily life, influencing how people communicate, access information, and participate in social and political processes.

## **Importance of Social Media in Modern Communication**

Social media has redefined the landscape of communication in the 21st century. It serves as a primary source of news and information for many, often outpacing traditional media in speed and reach. Platforms like Twitter and Facebook allow real-time updates, enabling users to share and receive information instantaneously. This immediacy has profound implications for how events are reported and perceived.

However, the same characteristics that make social media a powerful tool for communication also render it susceptible to misuse. The spread of misinformation and fake news is a growing concern, with false information often spreading faster and more widely than accurate news.<sup>3</sup> This



phenomenon can have severe consequences, influencing public opinion, inciting violence, and undermining trust in institutions.

### **Overview of India's Security Environment**

India's security environment is complex and multifaceted, shaped by both internal and external challenges. Internally, the country faces issues such as communal violence, insurgency in certain regions, and the threat of radicalization. Externally, India's security is influenced by its geopolitical position, with ongoing tensions with neighbouring countries like Pakistan and China.

Social media adds a new dimension to these challenges. It serves as a platform for various actors, including state and non-state entities, to influence public perception and engage in information warfare. The 2016 Uri attack and the subsequent Balakot airstrike in 2019 highlighted how social media can be used to spread propaganda and shape narratives in times of conflict.<sup>4</sup> Additionally, social media has been implicated in exacerbating communal tensions, as seen in the 2013 Muzaffarnagar riots, where inflammatory content on platforms like WhatsApp played a significant role in inciting violence.<sup>5</sup>

### **Social Media and Information Warfare**

Information warfare encompasses the use of information and communication technologies to gain a competitive advantage over adversaries. This involves psychological operations, cyber-attacks, propaganda dissemination, and the manipulation of information to influence public perception and disrupt societal cohesion.<sup>6</sup> The primary goal is to control the information environment, thereby shaping the strategic landscape in favour of the actor conducting the operations.

### **Case Studies of Information Warfare in India**

#### **(a) Pulwama Attack (2019)**

The Pulwama attack in February 2019, where a suicide bomber killed 40 Indian paramilitary personnel, highlighted the role of social media in information warfare. Following the attack, social media platforms were flooded with misinformation, fake news, and inflammatory content aimed at inciting communal tensions and hatred against certain communities.<sup>7</sup> For instance, doctored videos and images were circulated to amplify outrage and drive a wedge between different social groups.

#### **(b) Doklam Standoff (2017)**

During the Doklam standoff between India and China in 2017, social media played a critical role in shaping public perception and nationalistic sentiments. Both countries used social media to disseminate propaganda and portray the other as the aggressor. Chinese state-controlled media outlets used platforms like Twitter and Weibo to propagate their narrative, while Indian media and social media users countered with their own versions of events.<sup>8</sup> This digital tug-of-war demonstrated how social media could be leveraged as a tool of psychological warfare.

### **Role of Social Media in Propagating Information Warfare**

Social media platforms, due to their widespread reach and real-time nature, are ideal tools for conducting information warfare. These platforms enable the rapid dissemination of information, whether true or false, to a large audience. This can have a profound impact on public opinion and societal stability.

#### **(i) Disinformation and Propaganda**

Disinformation campaigns on social media aim to mislead the public and create confusion. These campaigns often involve spreading false or misleading information to achieve strategic

objectives. For instance, during the Pulwama attack, numerous fake news stories were circulated, claiming various conspiracy theories about the incident's perpetrators and motives.<sup>9</sup>

### **(ii) Psychological Operations**

Psychological operations (PSYOPS) are a critical component of information warfare, aiming to influence the attitudes and behaviour of targeted audiences. Social media platforms are particularly effective for PSYOPS due to their ability to reach large audiences quickly and their interactive nature. Through carefully crafted messages, images, and videos, actors can manipulate emotions, spread fear, and create a sense of urgency or panic.

### **Case Studies of Information Warfare in India**

#### **(i)- Doklam standoff**

Propaganda on social media is also used to influence public perception and behaviour. Governments and non-state actors alike employ sophisticated propaganda techniques to advance their agendas. For example, during the Doklam standoff, Chinese state media used social media to present a narrative of Chinese strength and resolve, while depicting India as the aggressor.<sup>10</sup>

#### **(ii)- Muzaffarnagar riots(2013)**

An example of social media being used for PSYOPS is seen in the spread of rumours and fake news during communal riots in India. These operations are designed to incite violence and disrupt societal harmony. The 2013 Muzaffarnagar riots, for example, were exacerbated by inflammatory content spread on social media, leading to widespread violence and displacement of communities.<sup>11</sup>

### **Social Media as a Tool for Political Mobilization**

Social media has revolutionized political campaigns worldwide, and India is no exception. Political parties in India have increasingly leveraged social media platforms to engage with voters, disseminate their messages, and mobilize support. The 2014 and 2019 general elections marked a significant shift in political campaigning strategies, with social media playing a central role.

### **Case Studies of Political Mobilization in India**

#### **(i) The 2014 General Elections**

The 2014 general elections were a watershed moment for social media in Indian politics. The Bhartiya Janata Party (BJP), led by Narendra Modi, utilized social media extensively to reach voters. Modi's team deployed a sophisticated social media strategy that included targeted advertising, viral videos, and an active presence on platforms like Facebook and Twitter.<sup>12</sup> Modi's personal Twitter account, which he used to communicate directly with the public, became a crucial tool for shaping public perception and rallying support.

#### **(ii) The 2019 General Elections**

Building on the success of 2014, the 2019 elections saw even more intensive use of social media. Both the BJP and the Indian National Congress (INC) invested heavily in digital campaigns. The BJP's strategy involved using WhatsApp groups to disseminate campaign messages and mobilize grassroots support, while the INC focused on countering the BJP's narrative with its own social media initiatives.<sup>13</sup> The election campaign highlighted the growing importance of social media as a tool for political communication and mobilization in India.

### **Impact on Public Opinion and Policy**

Social media's ability to shape public opinion and influence policy cannot be overstated. The interactive nature of platforms like Twitter and Facebook allows for real-time engagement between

politicians and the electorate. This direct communication can sway public opinion, mobilize support for policies, and even pressure governments to act.

### **Real-Time Engagement and Public Opinion**

Politicians use social media to gauge public sentiment and respond to issues promptly. This real-time engagement helps in building a rapport with voters and addressing their concerns directly. For example, during the farmers' protests in 2020-2021, social media became a critical platform for both the protestors and the government to communicate their perspectives.<sup>14</sup> The widespread sharing of protest activities and government responses on social media influenced public opinion and kept the issue in the national spotlight.

### **Influence on Policy**

The pressure exerted by social media campaigns can lead to policy changes. One notable example is the 2011 anti-corruption movement led by Anna Hazare. Social media played a pivotal role in organizing protests and amplifying the movement's message, which ultimately pressured the government to pass the Lokpal and Lokayuktas Act in 2013.<sup>15</sup> This illustrates how social media can be harnessed to drive policy changes by mobilizing public support and holding the government accountable.

### **Case Studies of Significant Political Events Influenced by Social Media**

#### **(a) Anna Hazare's Anti-Corruption Movement (2011)**

The anti-corruption movement led by Anna Hazare in 2011 is a prime example of social media's power in political mobilization. The movement, which called for the establishment of a Jan Lokpal, gained momentum largely through social media platforms. Activists used Facebook, Twitter, and YouTube to organize rallies, share information, and garner support from a wide audience.<sup>16</sup> The movement's success in attracting widespread attention and mobilizing millions of Indians demonstrated the potential of social media to effect significant political change.

#### **(ii) Farmers' Protests (2020-2021)**

The farmers' protests against the three agricultural reform laws passed in 2020 showcased social media's role in sustaining and amplifying political movements. Farmers and supporters used platforms like Twitter, Facebook, and WhatsApp to organize protests, share updates, and attract international attention. Hashtags such as #FarmersProtest and #StandWithFarmers trended globally, drawing support from celebrities and politicians worldwide.<sup>17</sup> The government's response, including attempts to counter the narrative on social media, highlighted the platform's influence on public discourse and policy debates.

### **Threats Posed by Social Media to National Security**

Social media poses several threats to national security, primarily through the spread of misinformation, facilitation of extremist activities, and cyber espionage. These platforms can be exploited by malicious actors to disrupt societal harmony, influence political processes, and compromise sensitive information.

#### **(i)- Misinformation and Fake News**

Misinformation and fake news on social media can lead to significant security threats by creating panic, inciting violence, and undermining public trust in institutions. For example, during the COVID-19 pandemic, misinformation about the virus and vaccines spread rapidly on platforms like WhatsApp and Facebook, leading to public confusion and distrust.<sup>18</sup> In India, false rumours about child kidnappings spread via WhatsApp in 2018 resulted in lynchings and widespread fear.<sup>19</sup> Such incidents highlight the potential of misinformation to escalate into serious security issues.

### **(ii)- Facilitation of Extremist Activities**

Social media platforms are increasingly being used by extremist groups to recruit members, spread their ideologies, and coordinate activities. The Islamic State (ISIS), for instance, has effectively used social media for recruitment and propaganda, targeting young, impressionable individuals worldwide.<sup>19</sup> In India, various extremist groups, including separatist movements in Kashmir and Maoist insurgents, have utilized social media to further their agendas and incite violence.<sup>20</sup>

### **(iii)- Cyber Espionage**

Social media platforms are also vulnerable to cyber espionage, where state and non-state actors exploit these networks to gather intelligence and conduct cyber-attacks. For instance, sophisticated phishing attacks often leverage social media to deceive individuals into revealing sensitive information. In 2018, Indian defence personnel were targeted through fake social media profiles operated by foreign intelligence agencies, highlighting the risks of cyber espionage.<sup>21</sup>

### **Cybersecurity Challenges and Social Media**

The intersection of cybersecurity and social media presents several challenges. Protecting personal data, preventing cyber-attacks, and ensuring the integrity of information are critical issues that need to be addressed to safeguard national security.

#### **(a)- Data Privacy and Protection**

Social media platforms collect vast amounts of personal data, making them attractive targets for cybercriminals and foreign intelligence agencies. Data breaches can lead to the exposure of sensitive information, which can be used for malicious purposes. The 2018 Facebook-Cambridge Analytica scandal, where data from millions of Facebook users was harvested without consent for political advertising, underscores the importance of robust data protection measures.<sup>22</sup>

#### **(b)- Preventing Cyber-Attacks**

Social media platforms are frequently targeted by cyber-attacks, including hacking, phishing, and malware distribution. These attacks can disrupt communication channels, steal information, and damage the credibility of the platforms. In India, government agencies and critical infrastructure have been targeted by cyber-attacks originating from state and non-state actors, posing significant national security threats.<sup>23</sup>

### **Government Strategies and Policies to Mitigate Risks**

To address the threats posed by social media to national security, the Indian government has implemented various strategies and policies aimed at regulation, monitoring, and collaboration with social media companies.

#### **(i)-Legal Frameworks and Regulations**

The Indian government has established legal frameworks to regulate social media content and prevent the spread of harmful information. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, mandate social media platforms to appoint compliance officers, remove unlawful content within specified timeframes, and enhance transparency in content moderation.<sup>24</sup> These regulations aim to ensure accountability and mitigate the risks associated with social media.

#### **(ii)-Monitoring and Surveillance**

The government employs sophisticated monitoring tools to track social media activities and identify potential threats. Agencies such as the National Technical Research Organisation (NTRO) and the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) play a crucial role in monitoring

cyber threats and coordinating responses.<sup>25</sup> Enhanced surveillance capabilities help in early detection and mitigation of security risks.

### **(iii)-Collaboration with Social Media Companies**

Collaborating with social media companies is essential for effective regulation and threat mitigation. The Indian government has taken action against misinformation, extremist content, and data protection by interacting with social media sites including Facebook, Twitter, and WhatsApp. For example, WhatsApp implemented policies to restrict message forwarding in order to prevent the dissemination of false information in the wake of mob violence episodes in India.

### **Instances of Social Media Inciting Violence and Unrest**

Social media has played a significant role in inciting violence and civil unrest in India. Platforms such as Facebook, Twitter, and WhatsApp have been used to spread inflammatory content, fake news, and provocative messages, leading to communal tensions and violence.

#### **(a) The 2013 Muzaffarnagar Riots**

Social media's role in encouraging violence is well-exemplified by the Uttar Pradesh riots of 2013(Muzaffarnagar Riots). Community tensions between the Muslim and Hindu communities were made worse by the spread of divisive films and comments on social media sites like Facebook and WhatsApp. Untrue claims in a video that went viral purportedly showed a Muslim mob lynching two Hindu youths, inciting anger and violence that left thousands of people homeless and caused over 60 fatalities.<sup>26</sup> Investigations later revealed that the video was actually from a different country and was several years old, underscoring the potential of social media to spread misinformation rapidly and incite unrest.<sup>27</sup>

#### **(b) The 2020 Delhi Riots**

Another significant instance is the Delhi riots of February 2020, which saw extensive use of social media to spread hate speech and inflammatory content. Clashes between supporters and opponents of the Citizenship Amendment Act (CAA) quickly escalated into communal violence. Social media platforms were rife with incendiary posts and videos that fuelled the violence, leading to 53 deaths and hundreds injured.<sup>28</sup> The role of social media in exacerbating the riots was highlighted by multiple reports documenting the spread of provocative content that incited violence.<sup>29</sup>

### **Government Response and Regulation**

In response to the challenges posed by social media, the Indian government has implemented various measures to regulate content and prevent the spread of misinformation and inflammatory material.

#### **(i)- Internet Shutdowns**

One of the most controversial measures employed by the Indian government is the use of internet shutdowns. These shutdowns are often implemented during times of unrest to prevent the spread of provocative content and maintain public order. For example, during the Delhi riots and other instances of communal violence, the government temporarily suspended internet services in affected areas to curb the spread of inflammatory posts.<sup>30</sup> While effective in the short term, internet shutdowns have been criticized for their impact on freedom of expression and access to information.<sup>31</sup>

#### **(ii)- Legal Frameworks and Content Regulation**

The Indian government has also introduced legal frameworks to regulate social media content. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code)

Rules, 2021, mandate social media platforms to appoint compliance officers, establish grievance redressal mechanisms, and remove unlawful content within specified timeframes.<sup>32</sup> These rules aim to increase accountability and ensure that social media platforms take proactive measures to prevent the spread of harmful content.

### **(iii)- Collaboration with Social Media Companies**

Collaboration between the government and social media companies is essential for effective content regulation. The Indian government has engaged with platforms like Facebook, Twitter, and WhatsApp to address issues related to misinformation, hate speech, and extremist content. These collaborations have led to the implementation of measures such as limiting the forwarding of messages on WhatsApp and enhancing content moderation on Facebook and Twitter.<sup>33</sup> These efforts are aimed at reducing the virality of false information and ensuring timely removal of inflammatory content.

### **Positive Aspects of Social Media**

#### **(i)- Social Media as a Tool for Counter-Terrorism**

Social media has proven to be a valuable tool in counter-terrorism efforts. Security agencies utilize these platforms to monitor and disrupt terrorist activities, gather intelligence, and counteract radicalization.

#### **(ii)- Monitoring and Disrupting Terrorist Activities**

Social media platforms are used by security agencies to track the activities of terrorist organizations and their supporters. By monitoring online communications, authorities can identify potential threats and take pre-emptive action. For instance, the Indian government has employed digital surveillance to monitor the online presence of groups like the Islamic State (ISIS) and Al-Qaeda, leading to the arrest of individuals involved in planning attacks.<sup>34</sup> The use of advanced algorithms and data analytics helps in identifying suspicious activities and networks, thereby enhancing the effectiveness of counter-terrorism operations.<sup>35</sup>

#### **(ii)- Counteracting Radicalization**

Radicalization through social media is a significant concern, but these platforms also offer opportunities to counteract extremist ideologies. Initiatives such as online counter-narratives and digital campaigns aim to dissuade individuals from joining extremist groups. Organizations and government agencies use social media to promote messages of peace and inclusivity, directly challenging the propaganda disseminated by terrorist groups.<sup>36</sup> For example, the Indian government has supported online campaigns that highlight the negative consequences of terrorism and offer alternative narratives to vulnerable populations.<sup>37</sup>

#### **(iii)- Enhancing Public Awareness and Education**

Social media serves as an effective platform for public awareness campaigns and educational initiatives. These platforms enable the dissemination of crucial information quickly and broadly, fostering informed and resilient communities.

#### **(iv)- Public Health Campaigns**

During public health crises, social media can play a pivotal role in disseminating accurate information and guidance. The COVID-19 pandemic illustrated this, as health authorities and organizations used social media to share information on preventive measures, symptoms, and vaccination.<sup>38</sup> In India, platforms like Twitter and Facebook were used extensively by the Ministry of Health and Family Welfare to provide real-time updates and debunk myths, thereby helping to control the spread of misinformation.<sup>39</sup>

**(v)- Educational Initiatives**

Social media platforms also support various educational initiatives, making learning accessible to a broader audience. Educational institutions and organizations use these platforms to share resources, conduct webinars, and engage with students. For instance, the Indian government's "Digital India" initiative leverages social media to promote digital literacy and online education, particularly in remote and underserved areas.<sup>40</sup>

**(vi)- Promoting Social Cohesion and Resilience**

Social media has the potential to foster social cohesion and resilience by connecting communities, promoting solidarity, and providing support during crises.

**(vii)- Community Building**

Social media platforms enable communities to connect and support each other, fostering a sense of belonging and solidarity. During natural disasters, social media has been instrumental in mobilizing support and coordinating relief efforts. For example, during the Kerala floods in 2018, social media was used to organize rescue operations, disseminate information on safe locations, and coordinate volunteer efforts.<sup>41</sup> The widespread use of hashtags like #KeralaFloods facilitated the rapid sharing of information and resources, demonstrating the power of social media in crisis management.

**(viii)- Mental Health Support**

Social media also plays a significant role in providing mental health support. Platforms like Facebook and Instagram host numerous support groups where individuals can share their experiences and seek advice. During the COVID-19 pandemic, such online communities provided essential emotional support to people experiencing isolation and anxiety.<sup>42</sup> These virtual support networks help in building resilience and promoting mental well-being.

**Policy Recommendations**

**(a)-Strategies for Government and Security Agencies**

To effectively address the challenges posed by social media to national security, the Indian government and security agencies must implement comprehensive strategies that encompass regulation, technological advancements, and public engagement.

**(b)- Comprehensive Social Media Policies**

The government should develop detailed social media policies that balance security concerns with the protection of civil liberties. These policies should focus on preventing the spread of misinformation, hate speech, and extremist content while ensuring freedom of expression. A multi-stakeholder approach, involving government agencies, social media companies, civil society organizations, and academia, can help create balanced and effective policies.<sup>43</sup>

**(c)- Enhancing Cybersecurity Capabilities**

Investing in advanced cybersecurity measures is crucial for protecting national security. The government should enhance its cybersecurity infrastructure by adopting cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) for monitoring and analyzing social media content. These technologies can help identify and mitigate threats in real-time.<sup>44</sup> Training cybersecurity personnel and establishing dedicated units within security agencies can further bolster these efforts.

**(d)- Public Education and Awareness Campaigns**

Educating the public about the risks associated with social media and promoting digital literacy is essential. Public awareness campaigns can help individuals identify misinformation, avoid

falling prey to cyber threats, and use social media responsibly. The government can collaborate with educational institutions and non-governmental organizations (NGOs) to implement these campaigns effectively.<sup>45</sup>

**(e)- Role of Social Media Companies**

Social media companies play a critical role in ensuring the safe and responsible use of their platforms. They must adopt robust content moderation policies, enhance transparency, and collaborate with government agencies to address security concerns.

**(f)- Robust Content Moderation Policies**

Social media companies should implement stringent content moderation policies to identify and remove harmful content, such as misinformation, hate speech, and extremist material. This includes employing AI and ML algorithms to detect such content and training human moderators to oversee the process. Platforms should also provide users with clear guidelines and reporting mechanisms for flagging inappropriate content.<sup>46</sup>

**(g)- Transparency and Accountability**

Transparency in content moderation and data handling practices is crucial for building trust with users and stakeholders. Social media companies should regularly publish transparency reports detailing their efforts to combat harmful content and the outcomes of these efforts. Additionally, they should ensure that user data is handled securely and ethically, adhering to privacy regulations and industry standards.<sup>47</sup>

**(h)- Collaboration with Government Agencies**

Effective collaboration between social media companies and government agencies is essential for addressing security challenges. Companies should establish communication channels with relevant authorities to share information on potential threats and coordinate responses. This collaboration can also involve joint initiatives, such as public awareness campaigns and research projects aimed at understanding and mitigating social media risks.<sup>48</sup>

**(i)- Public-Private Partnerships**

Public-private partnerships (PPPs) can enhance the effectiveness of social media governance and security measures. By leveraging the strengths of both sectors, PPPs can develop innovative solutions to address the complex challenges posed by social media.

**(j)- Joint Research and Development Initiatives**

Collaborative research and development (R&D) initiatives between the government, private sector, and academia can lead to the creation of advanced tools and technologies for monitoring and securing social media platforms. These initiatives can focus on developing AI and ML algorithms for content analysis, cybersecurity solutions, and strategies for countering misinformation and extremist content.<sup>49</sup>

**(k)- Capacity Building and Training Programs**

PPPs can facilitate capacity building and training programs for government officials, law enforcement agencies, and social media company employees. These programs can cover topics such as cybersecurity, digital literacy, and crisis communication, equipping participants with the skills and knowledge needed to effectively address social media challenges.<sup>50</sup>

**(l)- Community Engagement and Support**

Engaging with communities and providing support through social media platforms can foster social cohesion and resilience. PPPs can work together to develop community outreach programs that promote positive social interactions, provide mental health support, and encourage responsible



social media use. These programs can help build trust and cooperation between the public and private sectors.<sup>51</sup>

### Conclusion

This study has brought to light the complex ways in which social media influence the security landscape in India. Social media platforms have many advantages, including raising public awareness, aiding in educational endeavours, and promoting social cohesiveness, but they also carry a number of serious concerns. The proliferation of false information, support for extremist endeavours, and cyberespionage are serious risks that demand effective defences. Social media's ability to both strengthen and weaken national security demonstrates its two-edged character. Positively, social media sites like Facebook and Twitter can be used as counterterrorism instruments, assisting law enforcement in keeping an eye on and disrupting terrorist activity as well as combating radicalization through online narratives that challenge preconceived notions. Furthermore, as demonstrated by the COVID-19 pandemic, social media can play a significant role in educational outreach and public health efforts. On the other hand, it is impossible to overlook social media's drawbacks. The Muzaffarnagar riots in 2013 and the Delhi riots in 2020 serve as examples of how social media's ability to quickly propagate hate speech and misinformation may heighten tensions between communities and spark violence. These incidents highlight how crucial it is to have strict laws and oversight in place to stop social media abuse.

### References--

1. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
2. IMAI & Kantar IMRB. (2019). Internet in India Report 2019. Retrieved from <https://www.mediaonline.com/article/internet-in-india-2019>
3. Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
4. Nair, N. (2019). India-Pakistan Tensions in the Age of Social Media. *Carnegie India*.
5. Patel, A. (2013). How Social Media Incited Muzaffarnagar Riots. *The Times of India*.
6. Libicki, M. C. (1995). What is Information Warfare? *National Defense University*. Retrieved from <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA367662.pdf>
7. Chaturvedi, R. (2019). How fake news spread after the Pulwama attack. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47357204>
8. Joshi, M. (2018). The Doklam Standoff: A Lesson in Strategic Restraint. *Observer Research Foundation*. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/the-doklam-standoff-a-lesson-in-strategic-restraint/>
9. Chaturvedi, R. (2019). How fake news spread after the Pulwama attack. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47357204>
10. Joshi, M. (2018). The Doklam Standoff: A Lesson in Strategic Restraint. *Observer Research Foundation*. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/the-doklam-standoff-a-lesson-in-strategic-restraint/>
11. Patel, A. (2013). How social media incited Muzaffarnagar riots. *The Times of India*. Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/How-social-media-incited-Muzaffarnagar-riots/articleshow/22457558.cms>
12. Chakraborty, P. (2014). Social media in the 2014 Indian general elections. *Economic and Political Weekly*, 49(39), 33-37. Retrieved from <https://www.epw.in/journal/2014/39/commentary/social-media-2014-indian-general-elections.html>
13. Vaishnav, M. (2019). The BJP's social media strategy in the 2019 Indian general elections. *Carnegie Endowment for International Peace*. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/2019/05/23/bjp-s-social-media-strategy-in-2019-indian-general-elections-pub-79260>
14. Garg, M. (2021). The role of social media in the 2020-2021 Indian farmers' protests. *Journal of Agrarian Studies*, 15(1), 40-49. doi:10.1080/02589901.2021.1976804
15. Jain, S. (2014). The role of social media in the anti-corruption movement in India. *Asian Journal of Communication*, 24(4), 53-61. doi:10.1080/01292986.2013.839562
16. Mehta, N. (2011). Social media and the Anna Hazare anti-corruption campaign. *Media Asia*, 38(4), 69-72. doi:10.1080/01296612.2011.11726715

17. Chaturvedi, R. (2021). Social media and the farmers' protest in India. *Observer Research Foundation*. Retrieved from <https://www.orfonline.org/expert-speak/social-media-and-the-farmers-protest-in-india/>
18. Cinelli, M., Quattrocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoti, E., Schmidt, A. L., ... & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. *Scientific Reports*, 10(1), 1-10. doi:10.1038/s41598-020-73510-5
19. Banaji, S., Bhat, R., & Agarwal, A. (2019). WhatsApp vigilantes: An exploration of citizen reception and circulation of WhatsApp misinformation in India. *London School of Economics and Political Science*. Retrieved from <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/whatsapp-vigilantes>
20. Sharma, A. (2017). Social media and terrorism in India. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 12(1), 14-25. doi:10.1080/18335330.2017.1278125
21. PTI. (2018). Fake social media accounts used to gather info from defense personnel: Indian Army. *The Economic Times*. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/fake-social-media-accounts-used-to-gather-info-from-defence-personnel-indian-army/articleshow/66062984.cms>
22. Isaak, J., & Hanna, M. J. (2018). User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. *Computer*, 51(8), 56-59. doi:10.1109/MC.2018.3191268
23. Chaudhary, A. (2020). India's cybersecurity challenge: Policy brief. *Observer Research Foundation*. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/indias-cybersecurity-challenge/>
24. PIB. (2021). Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. *Press Information Bureau*. Retrieved from <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1700749>
25. Sharma, R. (2018). The role of India's NTRO and CERT-In in cybersecurity. *Observer Research Foundation*. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/the-role-of-indias-ntro-and-cert-in-in-cybersecurity/>
26. Rao, M. (2013). Muzaffarnagar riots: A case study of communal violence in India. *Economic and Political Weekly*, 48(39), 2-4. Retrieved from <https://www.epw.in/journal/2013/39/commentary/muzaffarnagar-riots-case-study-communal-violence-india.html>
27. Times of India. (2013). How social media incited Muzaffarnagar riots. Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/How-social-media-incited-Muzaffarnagar-riots/articleshow/22457558.cms>
28. PTI. (2020). Delhi riots death toll climbs to 53; PM Modi appeals for peace. *The Economic Times*. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-riots-death-toll-climbs-to-53-pm-modi-appeals-for-peace/articleshow/74355852.cms>
29. Banaji, S., & Bhat, R. (2020). Social media and the Delhi riots: A preliminary study. *London School of Economics and Political Science*, p.3. Retrieved from <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/social-media-and-the-delhi-riots>
30. Financial Times. (2020). India's internet shutdowns spread as Kashmir blackout ends. Retrieved from <https://www.ft.com/content/0b575be0-3d0d-11ea-b232-000f4477fbc>
31. Tewari, R. (2020). Internet shutdowns: A necessary evil in times of unrest?. *Journal of Cyber Policy*, 5(2), 10-15. doi:10.1080/23738871.2020.1830518
32. PIB. (2021). Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. *Press Information Bureau*. Retrieved from <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1700749>
33. WhatsApp. (2018). WhatsApp updates on addressing viral content and misinformation. Retrieved from <https://blog.whatsapp.com/10000618/WhatsApp-Update-on-Addressing-Viral-Content-and-Misinformation>
34. Chatterjee, S. (2016). Digital surveillance and counter-terrorism: India's approach. *Asian Journal of Public Affairs*, 9(1), 40-46. Retrieved from <https://www.asianjournalofpublicaffairs.com/digital-surveillance-and-counter-terrorism>
35. Patel, S. (2019). The role of social media in counter-terrorism strategies. *Defence Studies*, 19(1), 35-50. doi:10.1080/14702436.2019.1565057
36. Bharadwaj, R. (2018). Countering online radicalization: A strategy for India. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 13(2), 51-68. doi:10.1080/18335330.2018.1470563
37. Singh, N. (2020). Online counter-narratives: Strategies to combat radicalization in India. *Journal of Strategic Security*, 13(2), 25-40. doi:10.5038/1944-0472.13.2.1712
38. Cinelli, M., Quattrocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoti, E., Schmidt, A. L., ... & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. *Scientific Reports*, 10(1), 1-10. doi:10.1038/s41598-020-73510-5
39. Goyal, R. (2020). Using social media for public health messaging in India during COVID-19. *Indian Journal of Public Health*, 64(2), 10-14. doi:10.4103/ijph.IJPH\_491\_20
40. Prasad, R. (2017). Digital India: A vision for the future. *Journal of Information Technology and Politics*, 14(3), 15-21. doi:10.1080/19331681.2017.1314331
41. Thomas, V. (2019). Social media in disaster management: The Kerala floods case study. *Journal of Disaster Research*, 14(7), 23-30. doi:10.20965/jdr.2019.p0023

42. Mukherjee, A. (2020). Social media and mental health during the COVID-19 pandemic. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(4), 6-9. doi:10.4103/psychiatry.indianjpsychiatry\_327\_20
43. Tewari, R. (2020). Internet shutdowns: A necessary evil in times of unrest?. *Journal of Cyber Policy*, 5(2), 10-15. doi:10.1080/23738871.2020.1830518
44. Chaudhary, A. (2020). India's cybersecurity challenge: Policy brief. Observer Research Foundation. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/indias-cybersecurity-challenge/>
45. Goyal, R. (2020). Using social media for public health messaging in India during COVID-19. *Indian Journal of Public Health*, 64(2), 10-14. doi:10.4103/ijph.IJPH\_491\_20
46. Cinelli, M., Quattrocioni, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., ... & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. *Scientific Reports*, 10(1), 1-10. doi:10.1038/s41598-020-73510-5
47. Isaak, J., & Hanna, M. J. (2018). User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. *Computer*, 51(8), 56-59. doi:10.1109/MC.2018.3191268
48. Patel, S. (2019). The role of social media in counter-terrorism strategies. *Defence Studies*, 19(1), 35-50. doi:10.1080/14702436.2019.1565057
49. Sharma, R. (2018). The role of India's NTRO and CERT-In in cybersecurity. Observer Research Foundation. Retrieved from <https://www.orfonline.org/research/the-role-of-indias-ntro-and-cert-in-in-cybersecurity/>
50. Chatterjee, S. (2016). Digital surveillance and counter-terrorism: India's approach. *Asian Journal of Public Affairs*, 9(1), 40-46. Retrieved from <https://www.asianjournalofpublicaffairs.com/digital-surveillance-and-counter-terrorism>
51. Mukherjee, A. (2020). Social media and mental health during the COVID-19 pandemic. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(4), 6-9. doi:10.4103/psychiatry.indianjpsychiatry\_327\_20

# Russia-Ukraine Conflict and its Impact on India's Defence Capability

**Dr. Jitendra Kumar Verma**

Assistant Professor, Department of Defence and Strategic Studies  
S M M Town P G College, Ballia, U P

## **Abstract-**

India and Russia have shared a robust defence partnership since the Cold War era. Russian military technology has been integral to India's defence forces, encompassing a wide range of equipment including aircraft, tanks, submarines, and missile systems. This section delves into the historical context of India-Russia defence relations, highlighting key agreements and procurements that have shaped India's military landscape.

The Russia-Ukraine conflict, initiated in 2014 and intensifying significantly in 2022, has had substantial implications globally. This research paper examines the impact of this conflict on India's defence capacity, focusing on military procurement, strategic realignments, and the broader geopolitical consequences. India's historical reliance on Russian military hardware and the evolving global defence landscape necessitate a thorough analysis of how these dynamics affect India's defence strategy and capabilities.

**Key Word-** Defence Capability, Russia-Ukraine conflict, Defence Procurement

## **Introduction -**

The ongoing Russia-Ukraine conflict, which escalated significantly in 2022, has had far-reaching consequences for global geopolitics, economies, and defence strategies. For India, a major regional power with substantial military and strategic interests, the conflict has particularly affected its defence capacity and procurement strategies. This paper explores the impact of the Russia-Ukraine conflict on India's defence capabilities, examining the consequences of disrupted military supplies, strategic partnerships, and economic pressures.

Historically, India has been a significant importer of Russian military hardware, benefiting from the technological advancements and reliability of Russian equipment. This reliance has positioned Russia as a key partner in India's defence strategy. However, the current conflict has necessitated a re-evaluation of this relationship, with implications for India's broader defence and strategic policies. The objectives of this paper are threefold: first, to assess the direct impacts of the Russia-Ukraine conflict on India's defence procurement; second, to analyze the broader strategic shifts and adaptations India is making in response to these challenges; and third, to project potential future scenarios and their implications for India's national security.

## **Historical Context and India's Defence Procurement-**

India's defence relationship with Russia dates back to the Cold War era, marked by the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation in 1971. This relationship facilitated significant military exchanges, with Russia supplying a wide range of equipment, including MiG and Sukhoi aircraft, T-90 tanks, and naval vessels. Over the decades, Russian technology has become deeply integrated into India's military structure, with over 60% of India's defence equipment being of Russian origin.

Key acquisitions from Russia, such as the Sukhoi Su-30MKI fighters and the S-400 Triumf air defence system, have been critical in maintaining India's strategic deterrence capabilities. These

systems are not just hardware but represent a strategic partnership that includes training, maintenance, and co-development projects like the BrahMos missile system.

**Impact on Military Procurement:**

1. **Challenges in Operational Readiness-** The reliance on Russian-origin military hardware means that any disruption in the supply chain can have immediate operational impacts. The conflict has caused delays in the delivery of critical components and spare parts for systems like the Sukhoi Su-30MKI fighters, T-90 tanks, and various naval platforms. This section will explore specific case studies detailing how these delays have affected the operational readiness of the Indian Armed Forces.
2. **Strategic Shifts Towards Indigenization-** In response to these disruptions, India has increasingly focused on indigenization of defence production. The 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative has gained momentum, with a significant push towards developing and manufacturing indigenous defence equipment. This section will discuss the steps taken by the Indian government, such as policy reforms, incentives for private sector participation, and collaborations with foreign defence firms to enhance domestic production capabilities.
3. **Supply Chain Disruptions-** The imposition of international sanctions on Russia due to the conflict has significantly impacted global supply chains, including those critical to India's defence imports. The delays in the delivery of the S-400 systems, crucial for India's air defence, illustrate the challenges posed by these disruptions. Furthermore, the conflict has affected the availability of spare parts and maintenance services, essential for the upkeep of India's existing Russian-origin military equipment.
4. **Technological and Tactical Impacts-** The conflict has underscored the importance of modern military technologies such as drones, electronic warfare systems, and cyber capabilities. For India, staying ahead in these areas is vital, especially given the technological advancements demonstrated during the conflict. The operational effectiveness of these technologies in the conflict has prompted Indian defence planners to prioritize investments in similar systems, thereby modernizing its armed forces.
5. **Diplomatic and Strategic Considerations-** India's historical neutrality and strategic autonomy have been tested by the Russia-Ukraine conflict. While India has abstained from voting on UN resolutions condemning Russia, it has simultaneously sought to strengthen ties with Western nations, including the United States. This balancing act reflects India's strategic need to maintain access to Russian military technology while also diversifying its defence partnerships.
6. **Economic Impacts-** The economic fallout from the conflict, including fluctuations in global oil prices and sanctions-induced financial restrictions, has had a direct impact on India's economy and, by extension, its defence budget. The rising cost of Russian equipment, due to sanctions and currency fluctuations, poses additional challenges for India, which must balance its defence spending with broader economic concerns.
7. **Regional Security Dynamics-** The Russia-Ukraine conflict has also influenced regional security dynamics in South Asia. This section examines the conflict's impact on India's relations with neighboring countries, including China and Pakistan, and the broader implications for regional stability.

### India's Strategic Response and Adaptations:

In response to these challenges, India has undertaken several strategic measures to secure its defence interests. These include diversifying its sources of military equipment, boosting indigenous production capabilities, and enhancing strategic partnerships.

1. **Diversification of Defence Suppliers-** To reduce dependency on Russia, India has expanded its procurement from other countries. The acquisition of Rafale jets from France, Apache helicopters from the United States, and Barak-8 missiles from Israel are notable examples. This diversification not only mitigates the risks associated with over-reliance on a single supplier but also brings in advanced technologies and practices from Western countries.
2. **Indigenous Defence Production Initiatives-** The "Make in India" initiative aims to enhance India's self-reliance in defence production. Projects like the development of the Tejas light combat aircraft and Arjun main battle tank exemplify these efforts. Additionally, reforms in defence procurement policies and increased FDI in the sector are aimed at creating a robust domestic defence industrial base.
3. **Strengthening Alliances and Partnerships-** India has been proactive in strengthening its strategic alliances, particularly in the Indo-Pacific region. The Quad, comprising India, the United States, Japan, and Australia, has become a focal point of India's defence diplomacy, emphasizing freedom of navigation and regional stability. Joint exercises and defence dialogues with these nations enhance India's operational capabilities and strategic deterrence.

### Future Outlook

The future of India's defence strategy in the wake of the Russia-Ukraine conflict depends on several factors. Key among them are the duration of the conflict, the evolving geopolitical landscape, and India's domestic economic and technological advancements. Potential scenarios include:

1. **Prolonged Sanctions:** Continued sanctions on Russia could further challenge India's defence procurement from Russia, pushing India towards greater diversification and indigenization.
2. **Technological Modernization:** India is likely to prioritize investments in next-generation technologies, such as artificial intelligence, cyber warfare, and advanced surveillance systems, to keep pace with global military trends .
3. **Strategic Partnerships:** Strengthening ties with other major powers, especially in the Indo-Pacific, will be crucial for India to counterbalance the influence of China and maintain its strategic autonomy.

### Conclusion –

The Russia-Ukraine conflict has had profound implications for India's defence strategy, challenging its traditional procurement model and prompting a strategic reassessment. India's response, characterized by a mix of diversification, indigenization, and enhanced strategic partnerships, reflects its determination to safeguard its national security interests. As the global security environment continues to evolve, India will need to navigate these challenges and opportunities with a nuanced and forward-looking approach.

### References:

1. Banerjee, A. (1971). Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation. Retrieved from <http://www.foreignaffairsjournal.org/indo-soviet-treaty>.
2. Gupta, S. (2018). India's Defense Procurement from Russia: A Historical Perspective. *Defense Studies*, pp. 45-67.

3. Singh, R. (2021). India's Major Arms Imports by Supplier. SIPRI. Retrieved from <http://www.sipri.org/research/armstransfers/india-imports>.
4. Kapoor, M. (2019). S-400 Triumph Air Defense Systems and Their Strategic Importance. *Indian Defense Review*, pp. 34-50.
5. Sharma, R. (2020). BrahMos Missile: Joint Development and Its Strategic Impact. *Journal of Strategic Studies*, pp. 12-30.
6. Patel, A. (2022). Impact of Sanctions on India's S-400 Deal. *Economic Times*, pp. 24-25.
7. Mehta, D. (2022). Challenges in Maintaining Russian-origin Military Equipment. *Defense Journal*, pp. 67-82.
8. Reddy, V. (2022). Technological Trends in Modern Warfare: Lessons from the Russia-Ukraine Conflict. *Military Technology Review*, pp. 100-115.
9. Kumar, N. (2022). India's Defense Modernization: Current Status and Future Directions. *Observer Research Foundation, Report No.5*, pp. 9-30.
10. Chaudhary, P. (2022). India's Neutral Stance in the Russia-Ukraine Conflict: An Analysis. *International Affairs Journal*, pp. 45-60.
11. Verma, S. (2022). Balancing Act: India's Diplomatic Strategy Amidst the Russia-Ukraine Conflict. *Foreign Policy Analysis*, pp. 22-40.
12. Nair, A. (2022). Economic Implications of the Russia-Ukraine Conflict for India. *The Hindu Business Line*, pp. 5-7.
13. Agarwal, J. (2022). The Financial Impact of Sanctions on Russian Military Exports to India. *Financial Express*, pp. 14-16.
14. Bose, T. (2021). Diversifying India's Defense Procurement: The Role of Western Suppliers. *Defense News*, pp. 45-60.
15. Desai, K. (2022). The Strategic Benefits of India's Diversified Defense Procurement. *Asia Pacific Defense Reporter*, pp. 30-50
16. Singh, V. (2021). Make in India: Progress and Challenges in the Defense Sector. *Indian Defense Review*, pp. 78-95.
17. Joshi, H. (2021). FDI in Indian Defense: Opportunities and Challenges. *Economic and Political Weekly*, pp. 22-40.
18. Rajan, L. (2022). The Quad and India's Indo-Pacific Strategy. *Journal of International Relations*, pp. 90-110.

# Genesis

**Roshini Rani**

Department Of English, Poorna Prajna Evening College, Udupi

Magnitude of the importance of education in our life is huge and multifold what education we are getting, if we question, we are still getting what education Britishes had designed for us long back to make us understand English so that, we would learn their ways of life and they could make us their slaves. So, question arises that, is our education making our children full fledged individual with ethical values and intellectual genius, does it teach our children to manage themselves during crises, which they come across in life, respect others feelings and also respect our elders or is it making them only money earning machines, self centred possessive and insensitive beings. In the name of modernisation and development are we not compromising with our culture, making simple life too complicated with health, food, culture, family sentiments, emotions leading a highly stressful life. Isn't it high time that we need to go back to our genesis to once again lead a happy fruitful, peaceful life. Then, where is happiness ? They say happiness lie within ourselves, we should be happy and be self satisfied with what we have. But, in reality todays world is greedy rather than needy. Our needs could be easily satisfied but, what about greedy ?

If we look back at the genesis where we have evolved from, that is forest, all the great works such as Vedas, Puranas, Yoga, Ayurveda, Natyashastra were all written by our great sages, living a blissful life in the forest, where they got enlightenment living in their ashrams and mediating in the caves, under the trees etc. These ancient treatises have become the base of our civilization from which everything has been evolved. These books has not been written by these sages by taking degrees from Cambridge, Harvard and Oxford Universities. They wrote this because they got enlightenment in the bliss of nature, why their works is so unique than the works of present writers, because these sages enjoyed intellectual freedom. Today, we all say that we are living in a country where we enjoy freedom of expression, thought and speech, but in reality we don't. why ? reason is our children do not enjoy intellectual freedom because, today they are all studying formal education which is taught within the four walls of the classroom, where they are taught to think what the authors think in the text book out of which many authors are dead for centuries. Children are forced to memorize from dead books which dosen't have any feelings, they don't enjoy practicality, instead, they are stuffed their head with only knowledge. They live under the fear of their teacher. So, a child when it is young it tries to question many things, it is inequise to know the world, learn everything with experience and enjoy life. Such budding children are placed under the cruel authorative ways of fromal teaching snubbing all their inequisitives, life experiences and thoughts. They gradually loose the power of critical thinking and intellectual freedom. They are just the puppets in the hands of destiny. What can we expect more from such children ? They end up as only money earning machines for their family. Our constitution has reserved right to education so that every child gets equal education, but in reality rich children go to private schools and poor children go to Government schools. Government schools are inaugrated by our politicians and they send their children to private schools. Also, teachers and Lecturers of Govt. Schools and Colleges send their children to private schools. Today private schools are divided on the basis of Religion like Muslims, Christians and Hindus and they call our Nation as secular. Why there should be schools in



this way? Why there isn't one Nation one Education policy where all get equal education, irrespective of caste.

Today, ancestral skills of farming sculpture, Carpentry, weaving, Pottery etc are all disappearing because, farmer sends his children to schools to get education, but later, that child gets detached from his fathers work of farming because they look only for white color job, so to satisfy his son's wishes farmer sells his land and finances for his higher studies to become a slave in a MNC. Instead, if that same child is given education along with skill oriented farming degree, he could bring revolution in farming technique which would inturn help many farmers and save our farms.

Similarly a carpetneter's son if skill based education was given he would have brought revolution in that field like wise other skills we could have saved all this ancient techniques which is in the vrge of extinction today. If such as system was practiced all would get emoloyment, enjoy financial freedom and all would be happy. Gandhiji's Principle of work and labour, equal distribution of wealth is so apt unlike business firms which are profit oriented, were wealth is concentrated with a single owner, making others slaves and he himself leading a luxurious life.

Today, for education we are spending lacks of rupees for our children, education should empower them and make them think beyond the frame of what we call ultimate knowledge. India, with huge young population will become even more great with quality education, instilling in them ethical and virtuous knowledge. It is high time that we have to bring revolution in the basic system of education where a child should enjoy intellectual freedom and also freedom from slavery.

As Indian based Ayurveda and Yoga has answer for our health issues, in the same note, blend of our vedas, puranas, Ayurveda, Yoga, Arthashastra and many others, should answer all the crisis of education system that we are facing today.

# वर्तमान भारत में बेरोजगारी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता

डॉ. विजय कुमार दूबे

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी), शिवलोक श्रीनेत पी० जी० कालेज, पड़री, मीरजापुर उत्तर - प्रदेश

बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है परन्तु उन्हें काम नहीं मिलता। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के इच्छुक हैं तथा वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं है जैसे-बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारों में शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो लोग काम करना ही पसन्द नहीं करते उनकी गणना भी बेरोजगारों में नहीं की जाती है। बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उस व्यक्ति को किसी कम्पनी व संस्थान के साथ और न ही किसी व्यवसाय में रोजगार प्राप्त होता है। किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोजगारों का प्रतिशत उस स्थान का बेरोजगारी दर कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ समाज की श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2015 में प्राप्त हुआ कि भारत में बेरोजगारी की दर लगभग 3.6 प्रतिशत है। बेरोजगारी के कुछ निम्न प्रकार प्राये जाते हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में, वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। खुली बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिये उत्सुक है और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता। वह पूरा समय बेकार रहता है। वह पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित होता है। ऐसी बेरोजगारी प्रायः कृषि-श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पायी जाती है। जो गावों से शहरी हिस्सों में काम की तलाश में आते हैं पर उन को कोई काम नहीं मिलता। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। इधर बुआई तथा कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिल जाता है किन्तु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार, यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। छिपी बेरोजगारी से पीडित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वह काम में लगा हुआ है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के द्वारा कृषि में सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।

## प्रस्तुत लेख के उद्देश्य-

- 1- भारतीय अर्थ व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी की वास्तविक दशा व उसके प्रमुख कारणों के बारे में जानना।
- 2- बेरोजगारी को दूर करने हेतु सरकार के योजनाओं का अध्ययन करना।

वर्ष	बेरोजगारी की दर प्रतिशत में
2009	3.75
2010	3.54
2011	3.53
2012	3.62
2013	3.46
2014	3.41
2015	3.49

स्रोत-अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट- 2015

उपरोक्त रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 2009 में उच्च स्तर है जो अन्य वर्षों की तुलना में 3.75 प्रतिशत का संकेत देती है, जबकि 2014 की बेरोजगारी दर 3.41 प्रतिशत है, 2009 में भारी स्तर की बेरोजगारी का कारण 2008 में अमेरिकी मंदी के प्रभाव को माना जाता है।

1993 से 1988 के मध्य रोजगार लोच 0.59 थी जो 1993 से 2000 के मध्य कम होकर 0.33 रह गई थी। दूसरी ओर 2001 के जनगणना समकों के अनुसार जहाँ देश में बेरोजगारी की दर 10.1 प्रतिशत थी वहीं 17.2 प्रतिशत स्नातक बेरोजगार थे साथ ही 40 प्रतिशत स्नातक उत्पादक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए थे। गैर तकनीकी स्नातकों में 39 प्रतिशत व तकनीकी स्नातकों में 33 प्रतिशत बेरोजगारी विद्यमान थी।

एन० एस० एस० के 60वें राउण्ड के निष्कर्ष बताते हैं कि 1993-94 व 2004 के मध्य ग्रामीण पुरुषों में बेकारी की दर 5.6 से 9 प्रतिशत व ग्रामीण स्त्रियों में 5.6 से 9.3 हो गई। इसी समय अवधि में शहरी पुरुषों में 6.7 से 8.1 व शहरी स्त्रियों में 10.5 से बढ़ 11.7 प्रतिशत हो गयी। इस अवधि में अनियत श्रम का अनुपात भी 338 से बढ़कर 362 प्रति हजार हुआ। 2001 के जनसंख्या समकों के अनुसार कुल बेरोजगारों की संख्या 1991 में 1.38 करोड़ थी, वहीं 2001 में इनकी संख्या 4.45 करोड़ हो गयी। शहरी क्षेत्र में बेकारी की दर (श्रम शक्ति के साथ बेरोजगारी के अनुपात के रूप में एन० एस० एस० के 27वें राउण्ड (1972-73) में 9.0, 38वें राउण्ड (1983) में 9.5, 50वें राउण्ड (1993-94) में 7.4 व 55वें राउण्ड (1999-2000) में 7.1 रही।

### **बेरोजगारी बढ़ने के कारण:-**

आयोजन काल में संवृद्धि दर का झुकाव लक्ष्य दर से काफी कम था। इसलिए, पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आर्थिक संवृद्धि स्वयं बेरोजगार की समस्या को हल नहीं करती। हाल के कुछ वर्षों में आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि होते हुए भी रोजगार संवृद्धि में गिरावट आई है। इसकी व्याख्या के लिए, निर्माण कार्य के अलावा आर्थिक गतिविधि के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में परिवर्तन के साथ रोजगार की मात्रा में लगातार गिरावट हुई है। टी.एस. पपोला के अनुसार, कुछ समय अवधि में कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि तकनीक गहन अधिक तथा श्रम गहन कम रही है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों की संवृद्धि की बनावट भी बेरोजगारी की मुख्य निर्धारक है। कृषि पर अधिक निर्भरता तथा गैर-कृषि गतिविधियों की धीमी संवृद्धि रोजगार सृजन को सीमित करती है। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने नब्बे के दशक तक कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया ताकि देश की विशाल आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। 1991 में उदारीकरण के आने के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र ने गति पकड़ी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए पश्चिमी देशों की तरह पूँजी प्रधान उद्योगों की ओर रुख किया। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को श्रम प्रधान उद्योगों की जरूरत है। इस प्रकार गलत नीतियों ने बेरोजगारी की स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया, जिसका असर वर्तमान में भी देखा जा सकता है। अतः भारत में बेरोजगारी बढ़ने का एक मुख्य कारण पूँजी व निवेश का कम होना रहा है।

### **बेरोजगारी का प्रभाव:-**

बेरोजगारी भारत की अत्यंत गंभीर समस्या रही है जो समय के साथ-साथ बढ़ती जा रही है। कोई क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नहीं रहा है। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों में नजर आ रही है। इसी प्रकार यह शिक्षित व अशिक्षित वर्गों के बीच में देखने को मिल रही है। बेरोजगारी के अनेक आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत घातक प्रकृति के साबित हुए हैं। शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में अतिरिक्त बर्बादी उन संसाधनों की भी होती है जो उनके कौशल और प्रशिक्षण में लगे होते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बेरोजगार व्यक्ति प्रायः चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी आदि बुराइयों का शिकार हो जाते हैं।

### **बेरोजगारी दूर करने के सरकारी प्रयास:-**

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की समस्या को सदैव प्राथमिकता दी गई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार भी चिंतित हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

- 1- **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-** यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर करने के लिए इसका आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के

लोगों व अन्य गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में कृषि पशुपालन मुर्गी पालन कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग आदि का विस्तार किया जाना है।

- 2- **ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-** जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या जटिल है वहां पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान नगद मुद्रा वस्तु के रूप में दोनों प्रकार से दिया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़के, नहरें, छोटे बांध, भवन निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं।
- 3- **नेहरू रोजगार योजना-** योजना 28 अप्रैल उन्नीस सौ 89 को शुरू किया गया था। जब मैं गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के लिए चलाया गया है। इस योजना के तहत 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे।
- 4- **रोजगार कार्यालयों की स्थापना-** बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है जो बेरोजगारों के लिए हमेशा उचित मार्गदर्शन देता है। सरकार द्वारा इस दिशा में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है।
- 5- **बेरोजगारी भत्ता** – विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दे रही है, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा आदि
- 6- **विशेष आवश्यकता वालों के लिए रोजगार-** देश की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए इसमें विशेष आवश्यकता वालों के लिए रोजगार कार्यक्रम योजना एक अहम भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम के द्वारा अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बेरोजगारों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है
- 7- **लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास** – भारत सरकार ने गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के काश के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अधिक धन व्यय किया जा रहा है
- 8- **ऑपरेशन प्लड** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के स्रोत भी पैदा होते हैं। गरीब परिवारों को निर्धनता से ऊपर उठाने के लिए पशु क्रय करने के लिए एवं चारे की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- 9- **शिक्षित बेरोजगारों हेतु कार्यक्रम** – कार्यक्रम को 1973 -74 में आरंभ किया गया था, तथा सभी योजनाओं में इस कार्यक्रम को चालू रखा गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु अनेक प्रकार के सहयोग दिए गए हैं।
- 10- **अन्य उपाय** – शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार उद्योग लगाने हेतु सहायता स्वरोजगार व साहसी, चतुराई को बढ़ावा, दुर्लभ रास्तों, पहाड़ों पर बस चलाने की सहायता, ग्रामीण युवकों के रोजगार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को सुनियोजित ढंग से संचालित करके भारत में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा रहा है जिससे देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

### **मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ:-**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा रोजगार योजना है, जो देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक रोजगार सुरक्षा योजना है। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान करना है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है और नौकरी न मिलने की स्थिति में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकते हैं। इस योजना को 2006 में लॉन्च किया गया था और उस समय इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर डब्लूडब्लू. कर दिया गया था। मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100 प्रतिशत, अर्द्ध-कुशल और

कुशल श्रम की लागत का 75 प्रतिशत, सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का 6 प्रतिशत वहन करती है, वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

#### **उपलब्धियाँ व निष्कर्ष:-**

मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आँकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किये गए। वर्तमान जारी कार्यक्रमों ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में सरकार के अनेक प्रयासों व कार्यक्रमों ने बेरोजगारी के परिदृश्य में भारी सुधार पहुंचाया है। सरकार रोजगार दर बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है और काफी हद तक सफल भी हुई है। महिलाओं और हाशिए के समूहों की भागीदारी नीतिगत उपायों की सफलता के बारे में बताती है। व्यापक प्रसार कौशल विकास कार्यक्रमों ने पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की है। ऊपर वर्णित रणनीतियों के बेहतर प्रवर्तन के साथ, रोजगार स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

#### **सन्दर्भ:-**

1. सिंह, रमेश, (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, पब्लिकेशन मैकग्राहिल टी0पी0, नोएडा।
2. लाल0एस0एन0 (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, शिव पब्लिकेशन, इलाहाबाद
3. सुन्दरम, के. पी. एम. एवं दत्त रुद्र (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, पब्लि0एस0चन्द एण्ड कम्पनी लि0नई दिल्ली
4. डॉ० कुमारी ज्योति तथा कवलजीत कौर (2015) ग्रामीण श्रमिकों पर मनरेगा के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन, समाज विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड-2, अक्टूबर 2014 से मार्च 2015
5. मिश्र डॉ.एस.के. एवं पूरी वी.के. "भारतीय अर्थव्यवस्था", हिमालिया पब्लिशिंग हाउस, नई, दिल्ली, 201
6. कटारिया, डा0 सुरेन्द्र (2009), आर्थिक मन्दी आर्थिक मन्दी से जुझने में मनरेगा का योगदान कुरूक्षेत्र पत्रिका, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक- दिसम्बर 200
7. डॉ.डी.सी. पंत – भारत में ग्रामीण विकास, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 1998

# वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आर्थिक प्रभाव व चुनौतियां -समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. वन्दना

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज सोनभद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गाँधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केन्द्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गाँवों के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केन्द्र है। वर्तमान में भारत की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की एक-चैथाई जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। भारत कृषि प्रधान देश है। 70 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं और इनमें से अधिकांश कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कृषि की प्रगति के बिना उद्योग, व्यापार और परिवहन की प्रगति असंभव है। कीमतों की स्थिरता कृषि विकास पर भी निर्भर करती है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव है। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, “कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता की आवश्यकता थी क्योंकि अगर कृषि सफल नहीं होगी तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही विफल हो जाएंगे। 1950-51 में कृषि ने लगभग 55 फीसदी भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान दिया था। हालाँकि, प्रतिशत धीरे-धीरे घटकर 19.4 प्रतिशत पर 2007-08 में आ गया था। अन्य देशों में, राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत योगदान बहुत कम है। दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में- जैसे यूके, और यूएसए, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया- यह 5 फीसदी से नीचे है। वास्तव में, जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना किसी देश के विकास के स्तर को इंगित करती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान जितना अधिक होगा, उतना ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश होना चाहिए। इस प्रकार, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का प्रसार पिछड़ेपन का एक लक्षण है। भारत में अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करते हैं। कृषि अभी भी सबसे प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का एक उच्च अनुपात अभी भी काम कर रहा है। भारत में कृषि के आधार पर कामकाजी आबादी का प्रतिशत 1961 और 1971 के जनगणना के अनुसार 69.7 प्रतिशत था। 2001 में, यह घटकर 57 फीसदी हो गया। अधिकांश औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में प्रतिशत 1 और 7 के बीच भिन्न होता है। इसके विपरीत, यह सबसे विकासशील देशों में 40 और 70 के बीच होता है। चीन में, प्रतिशत सबसे अधिक (72) है, इसके बाद भारत (52.7), इंडोनेशिया (52), म्यांमार (50) और मिस्र (42) हैं।

## साहित्यिक पुनरावलोकन-

शफी (1960) ने उत्तर प्रदेश में कृषि क्षमता के निर्धारण हेतु श्रेणीवार गुणांक विधि का प्रयोग किया। इन्होंने कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या से विभाजित कर श्रम उत्पादकता ज्ञात की। हुसैन (1976) ने कृषि उत्पादकता का अध्ययन किया। प्रो0 जसवीर सिंह (1976) ने कृषि के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला बाली (1981) जल ग्रहण प्रबन्धन-संकल्पना विधि से कृषि के महत्व का अध्ययन किया। चैहान (1987)ने कृषि विकास का अध्ययन किया। सिंह आर.पी. (1997) ने भारत में कृषि के दीर्घ कालीन विकास पर प्रकाश डाला।

एस. पी. पाल (1985) ने कृषि आधुनिकीकरण के आधारभूत साधन सिंचाई के प्रभाव का अध्ययन किया। सिंह और िसंह (2003) के अनुसार हरित क्रान्ति समयावधि के दौरान बीज और खाद के प्रयोग के साथ -साथ ट्रैक्टर, पंपिंग सेटस और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ा है। जिससे उत्पादन व उत्पादकता बढ़ी है। हरित क्रान्ति के बाद कृषि क्षेत्र में आगत के प्रयोग में विविधता आई है।

अध्ययन का उद्देश्य- भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लोगों की आजीविका का साधन है, के बारे में अध्ययन करना कि किस प्रकार कृषि लोगों का जीवन यापन पूरा करती है। किसानों के सामाजिक स्तर में

कृषिगत आय से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। कृषि पर आने वाले चुनौतियों के बारे में अध्ययन करना

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको व सूचनाओं पर आधारित हैं जिसमें समग्र रूप से अध्ययन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को लिया गया है। प्राप्त सूचनाओं व समंको का विश्लेषणात्मक व तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले गये हैं। सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

### विश्लेषणात्मक अध्ययन-

भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है। दो-तिहाई आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यह केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह भोजन, चारा और ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह आर्थिक विकास का मूल आधार है। आजादी के दौरान प्रति हेक्टेयर और प्रति मजदूर उत्पादकता बहुत कम थी। हालांकि, 1950-51 के बाद से आर्थिक नियोजन की शुरुआत और विशेष रूप से 1962 के बाद कृषि विकास पर विशेष जोर देने के कारण स्थिर कृषि का पिछला रुझान पूरी तरह से बदल गया था।

- 1- खेती के अंतर्गत क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी जाती है।
- 2- खाद्य फसलों में पर्याप्त वृद्धि चिह्नित की गयी है।
- 3- योजना अवधि के दौरान प्रति हेक्टेयर उपज में लगातार वृद्धि हुई थी।

यद्यपि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसे निम्न तथ्यों और आंकड़ों द्वारा मापा और देखा जा सकता है-

1. राष्ट्रीय आय पर कृषि प्रभाव- सकल घरेलू उत्पाद की ओर पहले दो दशकों के दौरान कृषि का योगदान 48 से 60 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2001-2002 में, यह योगदान घटकर केवल 26 प्रतिशत रह गया।
2. सरकारी बजट में योगदान- प्रथम पंचवर्षीय योजना से कृषि को केंद्र और राज्य दोनों के बजट के लिए प्रमुख राजस्व संग्रह क्षेत्र माना जाता है। हालांकि, सरकारें कृषि और इसकी सहयोगी गतिविधियों जैसे मवेशी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि से भारी राजस्व कमाती हैं। भारतीय रेलवे राज्य परिवहन प्रणाली के साथ-साथ कृषि उत्पादों के लिए माल ढुलाई शुल्क के रूप में एक सुंदर राजस्व भी कमाती है, दोनों अर्ध-समाप्त और समाप्त कर दिया।
3. कृषि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन का प्रावधान करती है- भारत जैसे जनसंख्या श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं के अत्यधिक दबाव और भोजन की मांग में तेजी से वृद्धि के कारण, खाद्य उत्पादन तेज दर से बढ़ता है। इन देशों में भोजन की खपत का मौजूदा स्तर बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि के साथ, भोजन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है (दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में भोजन की मांग की आय लोच बहुत अधिक है)। इसलिए, जब तक कृषि खाद्यान्नों के अधिशेष के विपणन में लगातार वृद्धि करने में सक्षम नहीं होती, तब तक एक संकट उभरने जैसा है।
4. पूंजी निर्माण में योगदान- आवश्यकता पूंजी निर्माण पर सामान्य सहमति है। चूंकि भारत जैसे विकासशील देश में कृषि सबसे बड़ा उद्योग है, इसलिए यह पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि यह ऐसा करने में विफल रहता है, तो पूरी प्रक्रिया आर्थिक विकास को झटका देगी।
5. कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति- कृषि विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों जैसे चीनी, जूट, सूती वस्त्र और वनस्पती उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसी तरह कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए इन उद्योगों का विकास पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है।
6. औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार- औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि बहुत आवश्यक है क्योंकि दो-तिहाई भारतीय आबादी गांवों में रहती है। हरित क्रांति के बाद बड़े किसानों की क्रय शक्ति उनकी बढ़ी हुई आय और नगण्य कर बोझ के कारण बढ़ गई।

7. आंतरिक और बाहरी व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव- भारतीय कृषि देश के आंतरिक और बाहरी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों में आंतरिक व्यापार सेवा क्षेत्र के विस्तार में मदद करता है।
8. कृषि रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है- भारत में कम से कम दो-तिहाई श्रमिक आबादी कृषि कार्यों के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। भारत में अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने में विफल रहे हैं।
9. भोजन का मुख्य स्रोत- कृषि राष्ट्र के लिए भोजन प्रदान करती है। 1947 से पहले हमारे पास भोजन की कमी थी, लेकिन 1969 के बाद कृषि में हरित क्रांति ने हमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। 2003-04 में चावल का उत्पादन 870 लाख मीट्रिक टन और गेहूं का 721 लाख मीट्रिक टन था।
10. बचत का स्रोत- हरित क्रांति ने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया है और किसान समृद्ध हो गए हैं। इन किसानों द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय को बचाया जा सकता है और बैंकों में निवेश किया जा सकता है।

### प्रमुख चुनौतियां व समाधान-

भारत में जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है, जो 2001 में 102.82 करोड़ को पार कर चुकी है। अतः भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत कम होता जा रहा है। कृषिको को कृषि उत्पादन संबंधी पर्याप्त अनुभव नहीं हैं, अनेक बार शीत लहर, पाला व ओले, सर्दी फ़सल नष्ट कर देते हैं। जिसके कारण कृषिको को अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, आज भी कुल कृषि योग्य भूमि के 41 प्रतिशत में सिंचाई होती है। देश में सिंचाई की कुल क्षमता वर्ष 1991-1992 के 81.1 मि० हे० से बढ़कर मार्च 2007 तक 102.77 मि० हे० हो गई है। मानसून पर बढ़ती इतनी अधिक निर्भरता के कारण देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। इसके साथ ही पशुओं की हीनावस्था, भूमि की शक्ति का हास, भूमि का उपविभाजन एवं उपखण्डन, कृषि साख संस्थाओं की कमी आदि के कारण कृषि में उत्पादकता घटती जा रही है।

कृषि समस्या को दूर करने के प्रयास- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिसमें कुछ प्रमुख हैं-

1. कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषक नीति प्रारम्भ की गई।
2. भूमि की उर्वरता और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3. यूरिया और अन्य खतरनाक रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4. कृषि में जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी क्रियान्वित किया जा रहा है।
5. खेती में वित्त की समस्या से निपटने के लिए लोन की सुगमता, किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे पहल किए जा रहे हैं।
6. कृषि में अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के अनुसार ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण में हो रहे बदलाव के बुरे प्रभाव से बचा जा सके और पर्यावरण को भी नुकसान न हो।

### निष्कर्ष-

भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि व कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। अतः कृषि की समृद्धि, सम्पन्नता व उत्पादकता में ही देश की खुशहाली व समृद्धि होने की सम्भावना है। ऐसे देश का स्थायी आर्थिक विकास बिना कृषि विकास के सम्भव नहीं है। अनेक उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। चिंताजनक तथ्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला होने के बावजूद भी पिछले



कुछ वर्षों से कृषि का अंशदान राष्ट्रीय आय में निरंतर कम होता जा रहा है। वर्ष 1950-51 में जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 56 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2000-01 में जी.डी.पी. में कृषि का योगदान 26 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में जी.डी.पी. में कृषि का योगदान 15.80 प्रतिशत रहा। इस गिरावट का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है जिससे उत्पादकता में कमी हो गयी है। जबकि रोजगार में कृषि के प्रतिशत में गिरावट औसतन कम है। अर्थात् भारत में आज भी लगभग 64 प्रतिशत लोग कृषि में ही रोजगार प्राप्त करते हैं।

#### सन्दर्भ सूची-

1. मेहता वी.डी. शर्मा, आर.आर. एवं सैनी, एन एल, (1998) "कृषि अर्थशास्त्र" नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
2. वैधरी सी.एम. (1991) "ग्रामीण विकास – एक अध्ययन" सबलाइन पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. शर्मा, बी. एल. (1987): कृषि भूगोल, साहित्य भवन, आगरा
4. मिश्र, जय प्रकाश. कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007
5. दत्त, रूद्र एवं सुन्द्रम, के.पी. एम (2007) : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली।
6. देवराय विवेक (2001) "राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार संगठन" योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली।

## भारत में वर्तमान राजनीति और डॉ० अम्बेडकर

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

एसो० प्रो० हिन्दी विभाग, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी) उ०प्र०

डॉ० अम्बेडकर के लिए राजनीति के पुरोधा थे उन्होंने वंचितों, शोषितों के महत्वपूर्ण कार्य किया। दलितोंद्वारा की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त सार्वजनिक का मुख्य और सम्भवतया एक मात्र लक्ष्य था—दलितोंद्वारा। डॉ० अम्बेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अद्भुत योद्धा थे। बीसवीं सदी में भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। इसी आधार पर उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। वी.पी. वर्मा ने डॉ० अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कार्यों की तुलना अमेरिका के महान नीग्रो नेता पाल रांक्सन से की है। अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आन्दोलन संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति में सक्रियता से भाग लिया था। उन्होंने अपनी अनेक पुस्तकों में भी राजनीतिक विचार दिये थे। डॉ० अम्बेडकर केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक विचारक भी थे। उनके बारे में यदि यह कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका राजनीतिक चिन्तन और कर्म उनके सामाजिक चिन्तन का ही एक प्रतिफल था। उन्होंने आजीवन एक राजनेता की कम और एक समाज सुधारक की भूमिका का अधिक सक्रियता के साथ निर्वाह किया। अतः उनकी राजनीति उनकी समाजनीति की अनुषंगिक थी तथा वही उसका रूप निर्धारक थी। डॉ० अम्बेडकर एक राजनेता थे। सिद्धान्त प्रतिपादक राजनीतिक चिंतक नहीं। अतः वे प्लेटो, एसो और मार्क्स की श्रेणी में नहीं आते। यही नहीं, यद्यपि वे एक मानवतावादी राजनेता थे और सम्पूर्ण मानवता का कल्याण उनकी राजनीतिक गतिविधियों की परिधि में आता था लेकिन इसके बावजूद मुख्यतः भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में उनकी पहचान दलित वर्गों के एक सक्रिय नेता के रूप में स्थापित होने के कारण वे उनके मसीहा या मुक्तिदाता के रूप में ही जाने गये।

इस कारण अपनी दलित-राजनीति की आवश्यकतानुसार जहाँ उन्हें जरूरत अनुभव हुई, वहाँ उन्होंने अपने सैद्धान्तिक राजनीतिक मत को प्रतिपादित कर उसे अभिव्यक्ति दी। इसीलिए चन्द्र भारिल्ल ने उन्हें एक सिद्धान्त प्रतिपादक राजनीतिक चिंतक की नहीं बल्कि एक सक्रिय राजनेता की संज्ञा दी है। एक व्यावहारिक राजनेता होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से जो विचार दिये हैं उसके आधार पर हम उन्हें एक उदारवादी राजनीतिक चिंतक की श्रेणी में रख सकते थे। अपनी पश्चिमी शिक्षा के कारण उनका ऐसा होना स्वाभाविक था। परम्परावादी, एदिग्रस्त और ऊँच-नीच के जातीय भेदभाव पर आधारित भारतीय समाज की तुलना में उन्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित पश्चिमी समाज आदर्श के रूप में लगा और उन्हें वैसी ही उदारतावादी समाज की स्थापना भारत के संदर्भ में उचित लगी। उसी की स्थापना में उन्हें भारतीय दलित वर्गों की मुक्ति की सम्भावना दिखायी दी। उन्होंने आजीवन ऐसे उदारवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया और उसे एक बहुत बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान के निर्माण के माध्यम से साकार रूप देने में सफल प्रयास किया। डॉ० अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय के एक उत्कृष्ट एवं अजेय सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आजीवन उन्होंने समाज के दलित, पीड़ित और शोषित जनों के उद्धार के लिए कठोर संघर्ष ही नहीं किया बल्कि उन अन्यायपूर्ण प्रथाओं और व्यवस्थाओं के समाप्त करने के लिए भी प्रयास किया जो अन्याय, शोषण और उत्पीड़न को जन्म ही नहीं देती हैं बल्कि उन्हें उग्र भी बनाती है। इस उद्देश्य से ये जन्मजात विद्रोही और सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अपराजेय योद्धा भी थे। इस दृष्टि से उनके द्वारा दिया गया योगदान उल्लेखनीय ही नहीं, चिर स्मरणीय भी है। डॉ० अम्बेडकर का चिन्तन एक आयामी नहीं, बहु-आयामी है तथा इस कारण उन्होंने प्रभावकारी ढंग से समाज की हर समस्या पर विचार ही नहीं किया है बल्कि उसके समाधान हेतु उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव भी दिये हैं। चाहे वह समस्या संस्कृति हो या धर्म की अर्थनीति की हो या राजनीति की समाज की हो या वर्ग विशेष की विधि की हो या संविधान की। इन सभी विषयों में वे गहरी पैठ रखते थे।

इसलिए वे एक राजनेता होने के साथ-साथ एक दार्शनिक एक समाजशास्त्री एक शिक्षाविद एक विधिवेत्ता एक संविधान ज्ञाता और इन सबसे ऊपर एक मानवतावादी थे तथा सम्पूर्ण मानवतावाद का हित उनका आराह्य या इष्ट था।

भारत की राजनीति ऐसी राजनीति जो आज के समय में लोकतंत्र के सबसे अधिक निकट है। भारत की राजनीति जिसमें सभी लोगों को समानता अधिकार प्रदान करने के लिए चुनाव होता है और वही हो रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। चुनाव ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर नियंत्रण भी रखती है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वर्ष 1999 में 13 वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कार्यकारी सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोका। इसके पश्चात बाल ठाकरे को साम्प्रदायिक भाषण देने के कारण छः वर्ष के लिए आयोग घोषित कर चुनाव के समय धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए एक और फोटो पहचान पत्र लागू किए तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू किया लेकिन चुनाव आयोग के पास सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव मशीनरी न होना यदि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए तो भारत विश्व के लिए 'आदर्श लोकतंत्र' का एप ले सकता है। भारत की राजनीति बाजार की तरह थी लेकिन वर्तमान में अत्याधिक पारदर्शी हो गई है भारत की राजनीति को अलग-अलग तरीकों से जैसे बाजार का कोई भी सामान अलग-अलग मूल्य से काम नहीं हो सकता था विशेष लोगों के लिए विशेष छूट औ अन्य के लिए कोई भी प्रकार की कटौती नहीं। भारत के लोकतंत्र चुनाव तब का समय था कि केवल अपने फायदे के लिए जनता को आगे करे जा रहे थे राजनीति पूर्ण तरीके से भारत में नाम मात्र की थी। राजनीति नहीं यह तो राज्यनीति है राजनीति का सही अर्थ है। राज्य की नीति को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए जो की भारत में देखने के मिल रहा है।

संविधान में भारतीय राज व्यवस्था के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये है। ये लक्ष्य हैं लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्षा व्यवस्था, देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व: सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता। भारत की राजनीति इस दिशा में 1950 से आगे बढ़ रही है और इन दिशाओं में काफी दूरियां भी तय की जा सकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है और अब तक 17 आम चुनाव सम्पन्न हो चुके है। धर्म निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनी हुई है तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अब भी हमारे आदर्श बने हुए हैं लेकिन यह कह पाना सम्भव नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की दृष्टि से स्थिति पूर्ण तथा संतोष जनक है या हमने स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त कर लिया है। वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय राज व्यवस्था के सम्मुख अनेक चुनौतियां और समस्याएं विद्यमान है। ऐसी कुछ प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां है। जातिवाद धर्म और साम्प्रदायिकता भाषा का प्रश्न या भाषावाद और क्षेत्रीयतावाद आदि। परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के बाद यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी दंग की राजनीतिक संस्थाएं और लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप परम्परागत संस्था-जातिवाद का अन्त हो जायेगा लेकिन स्वतंत्रता के बाद की भारत की राजनीति में जाति का अभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीतिक और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों प्रशासनाधिकारियों और केन्द्र एवं राज्यों सरकारों ने स्वीकार किया। जयप्रकाश नाराण ने एक बार कहा था कि "जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है।" प्रो0 वी0के रान मेनन का यह निष्कर्ष सही है कि "स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीति क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है।" भारतीय राजनीति में जाति के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं, राजनीतिक दल भी जाति के आधार पर निर्णय लेते हैं। जाति के आधार पर मतदान होता है। मंत्रिमण्डलों के निर्माण में भी जाति एक आधार है, वर्तमान राजनीति में स्थिति यह है कि राजनीतिक

दल आर्थिक विकास को कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। चुनावों में आर्थिक और राजनीतिक विकास के मुद्दे नहीं हैं और राजनीतिक सेल धार्मिक भेदों तथा अगड़ों पिछड़ों और दलितों को आपस में बांटकर खेला जा रहा है। राजनीतिक दल 'वोट राजनीति की प्रेरणा' से जातिगत विद्वेष का वातावरण बना रहे हैं। राजनीतिक दल विकास की ओर उन्मुख राजनीति को अपनावें, चुनावों में जनता के सामने आर्थिक विकास के वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें तभी राजनीति में जाति की भूमिका को मर्यादित किया जा सकेगा और इस भूमिका को रचनात्मक दिशा दी जा सकेगी। आवश्यकता इस बात की है कि जाति का जो एवं उँच नीच का भेद उत्पन्न करने वाला और टकराव के लिए प्रेरित करने वाला है उसे समाप्त किया जाय, लेकिन राजनीति में जाति की जो स्वस्थ उदारवादी और सम्यक किया जाय, सूत्र प्रदान करने वाली भूमिका है, उसे न केवल बनाये रखा जा चाहिए, बल्कि विकसित किया जाना चाहिए।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रमुख विधिवेत्ता एवं समाज सुधारक थे। उन्हें भारत का आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधा का जनक कहा जाता है। डॉ० अम्बेडकर के मनमस्तिस्क पर उस समय समाज में व्याप्त अव्यवस्था अंधविश्वास एवं अशिक्षा काफी प्रभाव पड़ा था। डॉ० अम्बेडकर ने देशी विदेशी सामाजिक व्यवस्थाओं को काफी नजदीक से अनुभव करने के बाद उन्हें यह अहसास हुआ की सामाजिक व्यवस्था छुआछूत एवं जाति पर आधारित था। उन्होंने देश व विदेश की सामाजिक व्यवस्था का न केवल मूल्यांकन किया बल्कि उन विसंगतियों को भी समझा जो भारतीय समाज में छुआछूत के आधार पर मानव से मानव के साथ व्यवहार में परिलक्षित होती है।

डॉ० अम्बेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वह उसे मानव की एक पद्धति मानते थे। संविधान निर्माण के समय उन्होंने मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तोहफा भारतीय जनता को दिया। जिससे सही अर्थों में भारतीय जनता का स्वप्न साकार हो सका। डॉ० अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान को धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत महिलाओं को प्राप्त व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकार, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्कूलों में प्रवेश तथा आरक्षण की व्यवस्था द्वारा वह आर्थिक समानता कर अंत करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। 26 नवम्बर 1999 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किये जाने के बाद डॉ० अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान साहस और लचीला होने के बावजूद इतना मजबूत नहीं है कि वह देश की शांति व युद्ध के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में अलग कुछ होगा तो इसका कारण यह नहीं कि हमारा संविधान खराब था बल्कि उसके उपयोग करने वाले गलत थे।

#### संदर्भ ग्रंथ—

1. डॉ० ए० अवस्थी और डॉ० आर०के० अवस्थी, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिकेशन त्रिपालिया और जयपुर 1996.
2. रामशंकर अग्निहोत्री, भारत रत्न डॉ० अम्बेडकर, अग्निहोत्री मीडिया फोरम फीचर्स प्रकाशन नई दिल्ली 1995.
3. डॉ० कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव जयपुर 1999.
4. डॉ० कालीचरण स्नेही, भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर, आराधना ब्रदर्स कानपुर.

# प्राचीन भारत और पूर्वी एशिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग

डॉ. श्वेता शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर – इतिहास, कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, गाजियाबाद।

## सार

यह शोध पत्र प्रागैतिहासिक काल से लेकर विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों तक फैले प्राचीन भारत और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार संबंधों की जांच करता है। यह प्रारंभिक अंतःक्रियाओं के पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली भारतीय कलाकृतियाँ और साझा भाषा की जड़ें। बौद्ध जातकों और हिंदू महाकाव्यों सहित प्राचीन ग्रंथों में सुवर्णभूमि और जावाद्वीप जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार का उल्लेख है, जो गहरे संबंधों को रेखांकित करता है। ईसाई-पूर्व युग में, भारत का व्यापार बौद्ध धर्म से प्रभावित था, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान में आसानी होती थी। प्रारंभिक ईसाई युग में भारतीय व्यापारियों ने पश्चिमी प्रतिस्पर्धा से समुद्री स्वतंत्रता की सहायता से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पहुंच का विस्तार किया। गुप्त युग के दौरान, व्यापार फला-फूला, जिससे भारत श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत-चीन से जुड़ गया। हालाँकि, 8वीं शताब्दी में अरब और चीनी प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट देखी गई। यह शोध पत्र पूर्वी एशिया में चंपा, कंबुजा और जावा जैसे हिंदू राज्यों के उदय का भी पता लगाता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म से काफी प्रभावित थे। इन राज्यों ने क्षेत्रीय व्यापार और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब तक कि 15वीं शताब्दी में इस्लाम के प्रसार से बाली को छोड़कर हिंदू प्रभाव कम नहीं हो गया।

## I. प्रस्तावना

भारत और पूर्वी एशिया के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध, जो व्यापार संबंधों के माध्यम से विकसित हुए, का पता प्रागैतिहासिक युग से लगाया जा सकता है। यह संबंध ऐतिहासिक काल तक जारी रहा और नये आयाम ग्रहण किये। ईसाई युग तक इस तरह के व्यापार के प्रमाण भारतीय लेखों की खोज और सुदूर देशों में भारतीय नामों के उपयोग और बौद्ध जातकों, रामायण, महाभारत, पुराणों आदि में सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप, जावाद्वीप, ताम्रद्वीप आदि के साथ भारत के व्यापार के उल्लेख से मिलते हैं। तमिल कविताओं में बरुकच्छ, रोवुरा, काविरी-पट्टिनम आदि बंदरगाहों का उल्लेख है।

ईसाई युग के दौरान, जबकि भारतीयों को पश्चिम में अरब और रोमन व्यापारियों से शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, पूर्व में मैदान व्यावहारिक रूप से उनके लिए खुला था। पहली शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में, भारत की समुद्री साहसिकता की भावना दक्षिण-पूर्व - इंडोनेशिया, इंडो-चीन और मलाया द्वीपसमूह में पाई गई।

गुप्त काल के दौरान, ताम्रलिप्ति और सीलोन, इंडोनेशिया और भारत-चीन के बीच नियमित व्यापार संबंध थे। छठी शताब्दी ई. के तीसरे दशक के दौरान, भारत के पूर्वी तट को सीलोन, इंडोनेशिया और चीन से जोड़ने वाला एक अंतर-तटीय व्यापार मार्ग विकसित हुआ। 8वीं शताब्दी ई. से, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार घटने लगा और अगले 300 वर्षों के दौरान यह लगभग नगण्य हो गया।

## द्वितीय पूर्व-ईसाई युग

इस अवधि की जानकारी के स्रोत बहुत कम हैं। अधिकांश जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों और कभी-कभी प्रेरणों से प्राप्त होती है। कभी-कभी, हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों पर भरोसा करना पड़ता है जैसे दूर देशों में भारतीय वस्तुओं की खोज या उन वस्तुओं के लिए भारतीय नामों का उपयोग।

दार्शनिक अनुसंधानों ने भारत के नवपाषाणकालीन लोगों और इंडो-चीन, मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजातियों के बीच एक संबंध स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, जर्मन विद्वान शमित्ज़ का मानना है कि कई भारतीय जनजातियों की भाषाएँ उसी बोली परिवार (जिसे ऑस्ट्रिक कहा जाता है) से संबंधित हैं, जिससे इंडो-चीन और इंडोनेशिया के लोगों की भाषाएँ निकली हैं (मजूमदार, रॉयचौधरी और दत्ता, 1980,).

यह माना जा सकता है कि प्राचीन काल से ही भारत के लोगों का बाहरी दुनिया के साथ स्वतंत्र और घनिष्ठ संबंध था। यहां तक कि धुंधले प्रागैतिहासिक युग में भी, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है,

नवपाषाण काल के लोगों का संबंध सुदूर पूर्व से था और यह मानने के अच्छे कारण हैं कि वे बड़ी संख्या में भूमि और समुद्र दोनों मार्गों से भारत से आए और भारत में बस गए। -चीन और इंडोनेशियाई द्वीप। आगामी युग में, जबकि सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता विकसित हुई, निस्संदेह उन देशों के साथ एक परिचित संबंध था, जिनसे भारत उत्तर, पूर्व और पश्चिम में घिरा हुआ था और यह संबंध ऐतिहासिक काल तक जारी रहा।

जातक और अन्य बौद्ध ग्रंथों, रामायण, महाभारत, पुराणों, कथासरित सागर, हरिभंस, क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी, पतंजलि के महाभारत में सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप, जावाद्वीप, ताम्रद्वीप आदि के साथ भारत के व्यापार का उल्लेख है आदि (स्मिथ, वी., 1974,; घोषाल, यू.एन., 1957। प्राचीन तमिल कविताओं में भारत के विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें बारुकच्छ, रोवुरा, काविरी-पट्टिनम (चोलों की राजधानी), चंपा (आधुनिक भागलपुर) आदि जैसे प्राचीन बंदरगाहों के नामों का उल्लेख है (राइज़ डेविस, 1962,.)

इस अवधि के दौरान पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार संबंधों को विकसित करने में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण कारक था। बौद्ध धर्म, मुख्यतः अपने महाजन रूप में, भारतीय संस्कृति और परंपरा के कई पहलुओं के साथ, साहसी भिक्षुओं द्वारा समुद्र के पार की भूमि पर ले जाया गया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क का सबसे पहला भौतिक साक्ष्य बौद्ध छवियों (अमरावती स्कूल की) का रूप लेता है जो थाईलैंड, कंपूचिया, सुमात्रा और जावा में पाए गए हैं।

आयात और निर्यात की प्रकृति शायद ही कभी निर्दिष्ट की जाती है। विभिन्न प्रकार के रत्न, मलमल, बेहतर प्रकार के कपड़े, कटलरी, कवच, ब्रोकेड, कढ़ाई, गलीचे, इत्र, औषधियाँ, हाथीदांत के काम, सोना, गहने आदि व्यापार के मुख्य लेख थे (मजूमदार, रॉयचौधरी, 1962)

### तृतीय ईसाई युग

#### i) प्रारंभिक ईसाई युग

जबकि भारतीय व्यापारियों को पश्चिम में शक्तिशाली अरब और रोमन व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, वे पूर्व में ऐसी बाधाओं से मुक्त थे। चीनी लेखकों ने उल्लेख किया है कि पहली शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में चोल बंदरगाहों से बहुत बड़े जहाज चलते थे। उन्होंने तीसरी शताब्दी ईस्वी में मलाया और कंबोडिया तक भारतीय व्यापारियों की यात्राओं को भी दर्ज किया है। तक्कोला, तमालिन, जावद्वीप, सुवर्णकुट और सुवर्णभूमि हैं। यह उन स्थानों में शामिल है जहां भारतीय व्यापारी समुद्र के पार जाते थे। टॉलेमी ने भारतीय व्यापारियों द्वारा दौरा किए गए स्थानों के रूप में, गोल्डन चेरसोनीज़ (मलाया प्रायद्वीप) का उल्लेख किया और इयाबिडिओस द्वीप, यानी जौ के द्वीप का भी वर्णन किया, जो बहुत अधिक सोने और चांदी का उत्पादन करता था। उनके अनुसार, इसकी राजधानी को अर्गायरे, यानी चांदी का शहर कहा जाता था। समसामयिक और बाद के ग्रीक, भारतीय और अरब लेखन इस बात की गवाही देते हैं कि यह मुख्य रूप से सोने की खोज थी जो भारतीय व्यापारियों को समुद्र पार करके भारत-चीन और इंडोनेशिया की ओर खींचती थी (घोसल, 1957।

भारत की समुद्री साहसिकता की भावना को दक्षिण-पूर्व में अपना दायरा मिला। बंगाल की खाड़ी के पार, इंडो-चीन और मलाया द्वीपसमूह स्थित है। गंगा के मुहाने से केप कोमोरिन (कन्या कुमारी) तक भारत का पूर्वी तट बंदरगाहों से भरा हुआ था। इनमें से कुछ बंदरगाहों का उल्लेख प्रसिद्ध पुस्तक "पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी" में किया गया है (दुर्लभ पाठ का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मेरे पास उपलब्ध है)। लेखक सुदूर पूर्वी देशों में से कुछ को क्रिसे यानी स्वर्ण भूमि के रूप में संदर्भित करता है। इस पुस्तक के वर्णन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बंगाल से इन क्षेत्रों तक समुद्री यात्रा होती थी। टॉलेमी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ई. में लिखा था, मलाया प्रायद्वीप और जावा और सुमात्रा के द्वीपों में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के नाम जानते थे। उसी अवधि के बारे में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ सुदूर पूर्व में व्यापारिक केंद्रों की एक लंबी सूची देते हैं, जो टॉलेमी के साथ काफी हद तक सहमत हैं। ये नाम अधिकतर संस्कृत में हैं। इस प्रकार, दूसरी शताब्दी ई. तक, भारतीयों ने सुदूर पूर्व के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध विकसित कर लिए थे। टॉलेमी से हमें पता चलता है कि पलुरा (उड़ीसा के गंजम जिले के पास) से समुद्र पार मलाया प्रायद्वीप तक एक सीधा व्यापार मार्ग था (मजूमदार, रॉयचौधरी और दत्ता, 1980।

**ii) गुप्त काल (240-495 ई.)**

गुप्त काल के दौरान भारत में चहुँमुखी समृद्धि थी और इसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार भी फला-फूला। इस अवधि के दौरान सीलोन को व्यापार उद्देश्यों के लिए केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सीलोन के माध्यम से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बंदरगाहों को आपस में जोड़ा गया था। एक ओर ताम्रलिप्ति (पश्चिम बंगाल में आधुनिक तामलुक) और सीलोन और दूसरी ओर इंडोनेशिया और भारत-चीन के बीच नियमित व्यावसायिक संबंध था (महाजन, 1986)।

इस अवधि के दौरान जहाज बंगाल की खाड़ी और अन्य एशियाई देशों के बंदरगाहों के बीच चलते थे। ताम्रलिप्ति के अलावा, कलिंग और तमिल राज्यों के लोगों की भी इस यातायात में बड़ी हिस्सेदारी थी। भारत के पूर्वी तट और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच नियमित व्यावसायिक संबंध भी था। चीनी तीर्थयात्री फाह्यान, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आए थे, ताम्रलिप्ति से सीलोन होते हुए जावा तक और फिर भारतीय जहाज में जावा से चीन तक गए।

547 ई. में लिखी गई अपनी ईसाई स्थलाकृति में कॉसमस के अनुसार व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में मसाले (दालचीनी, लंबी काली मिर्च, सफेद मिर्च, इलायची), जटामांसी, सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पेड़, तिल शामिल हैं। लकड़ियाँ, औषधीय पौधे, चंदन, हींग, मुसब्बर, लौंग, मूंगा, मोती, कच्चा रेशम, रेशम का धागा, रेशम के वस्त्र, हाथी दांत, कस्तूरी, विभिन्न कपड़ा उत्पाद आदि (मजूमदार, 1960)।

वास्तव में, निर्यात को आयात से अलग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि, अक्सर, कुछ देशों से भारत में आयातित वस्तुओं को अन्य देशों में फिर से निर्यात किया जाता था।

**iii) गुप्तोत्तर युग**

इस अवधि के दौरान पूर्वी और दक्षिणी एशिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना छठी शताब्दी के तीसरे दशक तक चीन से इंडोनेशिया और भारत के पूर्वी तट के माध्यम से सीलोन तक पहुंचने और वहां विस्तार करने वाले अंतर महासागरीय व्यापार का विकास था। पश्चिमी भारतीय तट से फारस, अरब और इथियोपिया तक। कॉसमस के अनुसार, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण भारत से माल सीलोन ले जाया जाता था। जहां से इसका निर्यात किया जाता था, पश्चिमी भूमि का अभी उल्लेख किया गया है और भारत का इस अंतर महासागरीय व्यापार में उचित हिस्सा था जो पूर्वी एशिया को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता था।

सीलोन मध्यस्थ की भूमिका निभाता था क्योंकि एक तरफ भारत और पूर्वी एशिया के सभी हिस्सों से और दूसरी तरफ फारस, इथियोपिया और अन्य पश्चिमी देशों से जहाज अक्सर आते थे। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाह्यान से नीचे की ओर अपनी वापसी यात्रा या दोनों के लिए ताम्रलिप्ति से समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे। इन विदेशी मार्गों के अलावा, कई स्थल मार्ग भारत और चीन को जोड़ते थे (मजूमदार, 1962)।

दक्षिण-पूर्व एशिया से आयातित वस्तुएं मुख्य रूप से रेशम, कपूर, मधुमक्खी का मोम, लौंग, चंदन और इलायची थीं। मसाले जावा और सुमात्रा से आयात किये जाते थे। इस क्षेत्र से चीनी रेशम का भी आयात किया जाता था। भारत सीलोन से मोती, सोंठ और टिन का आयात करता था। इस अवधि के दौरान ताम्रलिप्ति अभी भी बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी तट पर अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे: पुरी, चिकाकुली, बाणपुर और रामेश्वर। पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह थे: किलोन, मैंगलोर, थाना, सोपारा, काम्बे, सिंधन, देबल और भृगुकच्छ।

8वीं शताब्दी की शुरुआत से, अरब सबसे प्रमुख समुद्री शक्ति बन गए और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और रोम तक भारतीय विदेशी व्यापार उनसे छूट गया। अरब और चीनी प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे-धीरे पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का विदेशी व्यापार भी कम हो गया और अगले 300 वर्षों के दौरान, यह लगभग महत्वहीन हो गया। व्यापार में गिरावट के कारण कई कस्बों और बंदरगाहों का पतन हुआ, उदाहरण के लिए, पुराना किला (दिल्ली), कौशांबी (इलाहाबाद के पास), मथुरा, हस्तिनापुर (मेरठ जिला), राजघाट (वाराणसी), चिरांद (सारन जिला), वैशाली आदि। भारतीय निर्यात के लिए प्रतिबंधित बाजार के कारण, उन कस्बों और बंदरगाहों में रहने वाले कारीगर और व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए और खेती करने लगे (महाजन, 1986)।

## पूर्वी एशिया में चतुर्थ हिंदू साम्राज्य

गलतफहमी से बचने के लिए, यह बताया जाना चाहिए कि यहां हिंदू शब्द का तात्पर्य किसी विशिष्ट धार्मिक समूह से नहीं है जिसे उसी शब्द से जाना जाता है, बल्कि व्यापक अर्थ में प्राचीन हिंदुस्तान के दर्शन और संस्कृति का अर्थ है जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और शामिल हैं। अफगानिस्तान के हिस्से. प्राचीन काल में हिंदुस्तान के सभी लोग (चाहे ब्राह्मणवादी, जैन या बौद्ध) पूर्व, पश्चिम और दक्षिण एशिया में हिंदू के रूप में जाने जाते थे। हम यहां जिन राज्यों का उल्लेख करने जा रहे हैं वे मुख्य रूप से बौद्ध और ब्राह्मणवादी धार्मिक समूहों से जुड़े थे।

सभी पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्राचीन भारत के व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ (जैसा कि पिछले अनुभागों में विस्तृत है), हिंदुस्तान से इन देशों में लोगों, संस्कृति और धार्मिक विचारों का निरंतर प्रवाह होता था और इस प्रक्रिया में, कई हिंदू साम्राज्य उभरे। पूर्वी एशिया के विभिन्न भाग।

### चंपा (वियतनाम)

हिंदू साम्राज्य भारत-चीन के पूर्वी तट चंपा में स्थापित किए गए थे, जिसे अब अन्नम के नाम से जाना जाता है। शुरुआती राजाओं में से एक, भद्र वर्मन ने लगभग पूरे आधुनिक अन्नम (टोनकिन और कोचीन-चीन को छोड़कर) पर शासन किया, जो तीन प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें अमरावती, विजया और पांडुरंगा के नाम से जाना जाता था। टोंकिन, ठीक उत्तर में स्थित देश, एनामाइट्स द्वारा बसाया गया था, और चीनी साम्राज्य का एक हिस्सा था। चंपा के हिंदू राजा, अपनी शक्तियों को उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, अक्सर चीनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में आते थे और शाही सैनिकों द्वारा आक्रमण का सामना करते थे, कभी-कभी विनाशकारी परिणामों के साथ। बाद में, अन्नामाइट स्वतंत्र हो गए और वे चंपा के साथ लगातार शत्रुता में रहे।

विभिन्न राजवंशों के प्रमुख राजा थे: शंभू वर्मन, सत्य वर्मन, इंद्र वर्मन, हरि वर्मन, सिम्हा वर्मन आदि। 1190 ई. में, कंबुज के राजा जया वर्मन VII ने चंपा के जय-इंद्र वर्मन को हराया, उन्हें बंदी बना लिया और चंपा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 30 साल के युद्ध के बाद चंपा फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन 1282 में उसे मोंगल प्रमुख कुबलई खान से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 15वीं शताब्दी के अंत तक अनामियों ने धीरे-धीरे चंपा पर कब्जा कर लिया (मजूमदार, 1960)।

### कंबुजा (कंबोडिया)

चीनी इतिहास के अनुसार, पूर्वी एशिया में सबसे पुराना हिंदू साम्राज्य फू-नान की स्थापना तीसरी शताब्दी ईस्वी से पहले ब्राह्मण कौंडिन्य ने की थी। वह भारत-चीन में पहले सम्राट थे। छठी शताब्दी के दौरान राजवंश के जया वर्मन और रुद्र वर्मन ने शासन किया।

सातवीं शताब्दी की शुरुआत में, कंबुजा, जो मूल रूप से फू-नान का एक जागीरदार राज्य था, ने फू-नान पर विजय प्राप्त की, इस क्षेत्र में अग्रणी शक्ति बन गया और पूरे देश को यह नाम दिया। आठवीं शताब्दी में, जावा के शैलेन्द्र राजा ने कंबुजा पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसे जय वर्मन द्वितीय के तहत स्वतंत्रता मिली, जिन्होंने 802 से 854 तक शासन किया। उनके बाद सबसे शक्तिशाली राजा यासा वर्मन थे जिन्होंने 889 से 908 तक शासन किया। राजवंश ने 1001 तक शासन किया। सियाम, लाओस और संभवतः युन्नान पर राजनीतिक अधिकार।

अगले राजवंश के संस्थापक सूर्य वर्मन ने उत्तरी सियाम पर अधिकार स्थापित किया और निचले बर्मा पर आक्रमण किया। सूर्य वर्मन द्वितीय, जिन्होंने प्रसिद्ध अंकार वट मंदिर का निर्माण कराया, ने 1113 से 1150 तक शासन किया। जया वर्मन सप्तम, जो 1181 में सिंहासन पर बैठे, ने चंपा को कंबुजा का एक जागीरदार राज्य बनाया और निचले बर्मा के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 13वीं शताब्दी के दौरान थाई आक्रमण के कारण राज्य का पतन हो गया।

### ब्रह्मदेश (म्यांमार)

निचले बर्मा में हिंदूकृत मोन बस्तियों को सामूहिक रूप से रामनादेश के नाम से जाना जाता था। सातवीं शताब्दी ई. में उनका एक शक्तिशाली राज्य था। मॉन्स के उत्तर में, हिंदूवादी पायस ने श्रीक्षेत्र को राजधानी बनाकर एक राज्य की स्थापना की। पायस ने तीसरी शताब्दी की शुरुआत में इरावादी घाटी पर कब्जा कर लिया और नौवीं शताब्दी तक एक महान राजनीतिक शक्ति के रूप में बने रहे। नौवीं और दसवीं शताब्दी में



हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में बर्मा में आए और पेगन को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनके पहले राजा अनिरुद्ध ने 1044 से 1077 तक शासन किया और उनके दो पुत्र उत्तराधिकारी बने। इस राजवंश ने 1287 तक शासन किया। उसके बाद मंगोलों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा अभी भी म्यांमार में कायम है।

### जावा

चीनी इतिहास के अनुसार, पाँचवीं शताब्दी ई. में जावा द्वीप में दो हिंदू राज्य थे - चो-पो और हो-लो-तान। इन दोनों राज्यों के राजाओं की उपाधि वर्मन थी। बटाविया में राजा पूर्ण वर्मन के चार संस्कृत शिलालेख मिले हैं। उन्होंने छठी शताब्दी ई. के दौरान पश्चिमी जावा पर शासन किया। उनकी राजधानी तरुमा थी। उन्होंने एक विशाल नहर खोदी और उसका नाम गोमती नदी रखा। इससे पहले उनके पिता राजाधिराज ने भी ऐसी ही एक नहर खोदी थी और उसका नाम चंद्रभागा नदी रखा था। सुई काल (589-906 ई.) की चीनी कृतियाँ बाद के काल में जावा द्वीप में कई हिंदू राज्यों और 28 सामंती हिंदू राजाओं के अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। तांग काल के दौरान, मध्य जावा में हो-लिंग साम्राज्य का उदय हुआ। राज्य के नाम से पता चलता है कि इसका कलिंग, यानी आधुनिक उड़ीसा (मजूमदार, 1962) के साथ घनिष्ठ संबंध था। शैलेन्द्र राजाओं ने 8वीं शताब्दी ई. से जावा पर शासन किया। वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने सुमात्रा और पूर्वी एशिया के कई अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध बाराबुदुर मंदिर का निर्माण इन्हीं राजाओं द्वारा करवाया गया था। बाद में यह राज्य कमजोर हो गया और 11वीं शताब्दी में चोल आक्रमण के बाद इसका पतन हो गया।

14वीं शताब्दी के दौरान, माजापहित राजा जावा में उभरे और इंडोनेशिया और मलाया के अधिकांश हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। जावा में हिंदू राज्यों का इतिहास 15वीं शताब्दी ई. में इस्लाम के हमले के बाद समाप्त हो गया (स्मिथ, 1974)।

### सुमात्रा

सुमात्रा द्वीप में सबसे पहला हिंदू साम्राज्य चौथी शताब्दी ईस्वी में श्री-विजय में स्थापित किया गया था। मलाया को इसके नियंत्रण में लाया गया था। 684 से श्री-विजय पर बौद्ध राजा जयानाग का शासन था, जिन्होंने 686 में जावा पर विजय प्राप्त की थी। चीनी लेखक इत्सिंग के अनुसार, श्री-विजय बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था। मलाया प्रायद्वीप के लिगोर में खोजे गए शिलालेखों में श्री-विजय साम्राज्य की विशाल नौसैनिक और वाणिज्यिक शक्ति का वर्णन किया गया है, जो 8वीं शताब्दी के दौरान अपनी आक्रामक नीति को सफलतापूर्वक जारी रख सकता था, लेकिन बाद में जावा के शैलेन्द्रों ने इसे जीत लिया था (मजूमदार, 1962)।

### बोर्नियो

पूर्वी बोर्नियो के हिंदू उपनिवेशीकरण की पुष्टि प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह मुरा कामन में पाए गए सात संस्कृत शिलालेखों से होती है। इन शिलालेखों में राजा मूल वर्मन और उनके पोते कुंडुंगो का उल्लेख है। शिलालेख बोर्नियो द्वीप में ब्राह्मणों और हिंदू संस्कृति की महान प्रबलता की गवाही देते हैं। हिंदू उपनिवेश महकम नदी के किनारे पूर्वी बोर्नियो के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़े। इसी प्रकार, कपुआस नदी के तट पर पुरातात्विक अवशेषों की खोज से पता चलता है कि हिंदुओं ने पश्चिमी बोर्नियो पर कब्जा कर लिया और इस नदी की घाटी में कई बस्तियाँ बसाईं।

### बाली

छठी शताब्दी ई.पू. से पहले हिंदुओं ने बाली द्वीप पर कब्जा कर लिया था और वहां एक राज्य स्थापित किया था। लीन राजवंश (502-557 ई.) का चीनी इतिहास बाली के बारे में निम्नलिखित दिलचस्प विवरण देता है: "राजा का परिवार का नाम कौडिन्य है और उन्होंने कहा कि शुद्धदान की पत्नी उनके देश की बेटी थी। 518 ई. में बाली के राजा ने चीन में एक दूत भेजा। कौडिन्य नाम दिलचस्प है और सुवर्णद्वीप (इंडोनेशिया) के सभी हिंदू उपनिवेशों में उस परिवार के प्रभाव को दर्शाता है। चीनी लेखक ने शाही दरबार के तौर-तरीकों और वैभव का विस्तृत विवरण दिया है, जो इस तथ्य की गवाही देता है कि छठी शताब्दी में बाली द्वीप एक समृद्ध हिंदू साम्राज्य का केंद्र था।

15वीं शताब्दी ई. के दौरान इस्लाम के हमले के बाद, बाली को छोड़कर अधिकांश इंडोनेशियाई द्वीपों में हिंदू सांस्कृतिक प्रभाव कम हो गया। इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति और परंपरा के अवशेष अभी भी बाली द्वीप में मौजूद हैं।

### संदर्भ

1. घोषाल, डॉ. यू.एन. (1957): "आर्थिक स्थितियाँ (मौर्योत्तर)", के. ए. नीलकंठ शास्त्री (सं.) में: भारत का एक व्यापक इतिहास, खंड। द्वितीय, मौर्य और सातवाहन, चौ. XXIV, पीपी. 430-457, ओरिएंट लॉन्गमैन्स, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास।
2. महाजन, विद्या धर (1986): प्राचीन भारत, एस. चंद एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
3. मजूमदार, आर.सी. (1960): प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।
4. मजूमदार, आर.सी. (सं.) (1962): भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, शास्त्रीय युग, अध्याय। XXIV, भारतीय विद्या भवन।
5. मजूमदार, आर.सी., रॉयचौधरी, एच.सी., और दत्ता, कलिकिंकर (1980): एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया, मद्रास।
6. स्मिथ, विसेंट ए. (1974): द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।
7. राइस डेविस, श्रीमती सी. ए. एफ. (1962): "प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार आर्थिक स्थितियाँ", ई. जे. रैपसन (सं.) में: द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम। I. प्राचीन भारत, चौ. VIII, एस. चंद एंड कंपनी, दिल्ली (दूसरा भारतीय पुनर्मुद्रण)।

# 1857 के विद्रोह का महानायक : वीरवर बाबू कुँवर सिंह

डॉ० अमित कुमार सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास) डी०ए०वी० पी०जी० कालेज आजमगढ़

भारतीय इतिहास में सम्भवतः 1857 के विद्रोह से अधिक आकृष्ट करने वाली कोई अन्य घटना नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के साम्राज्यवाद विरोधी अथवा उपनिवेश-विरोधी विद्रोहों में यह सबसे सशक्त एवं सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें व्यापक क्षेत्र में बिखरे लाखों लोगों की भागीदारी रही। यद्यपि इसे सैनिकों ने प्रारम्भ किया था किन्तु यह शीघ्र ही जनविद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। विद्रोहियों ने बड़ी वीरता से संघर्ष किया और भारत की कम्पनी सरकार के समक्ष गम्भीर चुनौती प्रस्तुत की। किन्तु गोरखा एवं सिक्ख रेजीमेन्टों तथा गद्दारों की सहायता से अंग्रेज दिल्ली के विद्रोह को कुचलने एवं नेपाली सेना की मदद से अवध पर फिर से अधिकार करने में सफल रहे। विद्रोहियों के साथ उन्होंने अमानवीय बर्बर व्यवहार किया। उन्होंने अधिकांश विद्रोहियों को या तो तोपों के मुख से बाँधकर उड़ा दिया या फाँसी पर चड़ा दिया या गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। जीवित बचे लोगों को जेलों में डाल दिया, उनकी सम्पत्तियां जब्त कर लीं या फिर इतना अधिक अर्थदण्ड लगाया कि वे पूरी तरह से बर्बाद हो गये। सेना से जुड़े लोगों का कोर्ट मार्शल किया गया। बहुतों को देश से निर्वासित किया गया था सजा-ए-कालापानी देकर अण्डमान भेज दिया गया। अंग्रेजों से बचने के लिये बहुतों ने भागकर नेपाल में या अन्यत्र छिपकर अपने जीवन के शेष दिन गुमनामी एवं कष्ट में बिताए। इस विद्रोह के जिन नायकों का नाम सामान्यजन की जुबान पर मिलता है, इनमें अन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र रूहेलखण्ड के खान, कानपुर के नाना साहेब, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, अवध की बेगम हज़रत महल और बिहार के वीर कुँवर सिंह साहेब का नाम प्रमुख है।

कुँवर सिंह की गणना, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वयोवृद्ध नायकों में की जाती है और उनका नाम बलिदान भी अतुलनीय है। इस तथ्य की पुष्टि इतिहास के पन्नों को देखने से होती है। अन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का जन्म 1775 ई० में हुआ था और विद्रोह के समय उनकी आयु बयासी वर्ष की थी।<sup>1</sup> उन्हें देश निर्वासन की सजा देकर रंगून भेजा गया। इसके पूर्व मुगल बादशाह के कुछ पुत्रों, मिर्जा मुगल अबुबक और खैर सुल्तान को दिल्ली दरवाजे पर गोली मार दी गयी थी। ज़हीर देहलवी के अनुसार 30 मुगल राजकुमारों जिनमें बहादुर शाह जफ़र के पुत्र, दामाद और पौत्र सम्मिलित थे, को दिल्ली दरवाजे के बाहर ले जाकर गोली मार दी गयी और उनका कटा हुआ सिर बादशाह के पास भेज दिया गया।<sup>2</sup> बरेली के खान बहादुर खान का जन्म 1779 ई० में हुआ था। उन्होंने लगभग 78 वर्ष की आयु में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व सम्भाला, असफल होने पर भागकर नेपाल की तराई में गये। किन्तु नेपाली प्रधानमंत्री जंगबहादुर राणा ने उन्हें पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया। उन पर बरेली में मुकदमा चलाया गया। अन्त में उन्हें 24 मार्च 1860 को फाँसी दे दी गयी। इस प्रकार वह भी लगभग 80 वर्ष के वृद्ध नायक थे।<sup>3</sup> कुँवर सिंह का जन्म भी 1777 ई० में हुआ था।<sup>4</sup> उन्होंने भी अस्सी वर्ष की आयु में विद्रोह का नेतृत्व सम्भाला। संघर्ष में 8 सितम्बर 1857 ई० को उनके पौत्र वीर भंजन सिंह व 7 नवम्बर 1857 को उनके पुत्र दलभंजन सिंह मारे गये। उनका कोई उत्तराधिकारी शेष न बचा। वह स्वयं संघर्ष के दौरान घायल हुए, उन्हें अपना एक हाथ स्वयं काटना पड़ा। फिर भी हार न मानी। अपने पैपूक निवास जगदीशपुर लौटने के बाद, मृत्यु से तीन दिन पहले उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया और कुछ सीमा तक उन्हें आत्मसंतुष्टि मिली। किन्तु 26 अप्रैल 1858 ई० को वह स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए।<sup>5</sup> उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया और हार नहीं मानी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजी से सुलह

समझौते का प्रयास नहीं किया और न ही अपने प्राणों की परवाह की तुलनात्मक रूप से वयोवृद्ध नायकों द्वारा किये बलिदानों में कुंवर सिंह किसी से कम न थे अपितु कुछ दृष्टियों से बेहतर ही थे।

1857 ई० के विद्रोह में कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा किये गये महान बलिदान के पीछे निहित उद्देश्य क्या थे? क्या वे इसके लिये बाध्य थे? क्या निहित स्वार्थों से प्रेरित थे? क्या शौर्य प्रदर्शन की अभिलाषा से प्रेरित थे या फिर कोई महान उद्देश्य था जिसकी प्राप्ति के लिये वे कटिबद्ध थे? इस सम्बन्ध में इतिहासकारों एवं लेखकों में अलग-अलग मत है। ब्रिटिश अभिलेखों पर आश्रित साम्राज्यावादी इतिहास लेखन के पक्षकारों का मानना है कि कुंवर सिंह का पटना के कमिश्नर मिस्टर डब्लू० टेलर से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था, किन्तु उस पर तेरह लाख रुपये का कर्ज का ब्याज चुकाने तक के लिये पैसा नहीं था, एक मुकदमें में उनके विरुद्ध निर्णय होने से उनकी जमींदारी नष्ट हो जाने वाली थी। अतएव उन्होने विद्रोह का मार्ग अपनाया। ब्रिटिश अभिलेखों को अपने मत के समर्थन में डॉ० आर०सी० मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाय म्यूटनी एण्ड द रिवोल्ट आफ 1857 में प्रस्तुत किया है। एस०एन० सेन ने भी अपनी पुस्तक अटारह सौ सत्तावन (Eighteen Fifty Seven) में इनका उल्लेख किया है। पटना के कमिश्नर डब्लू टेलर ने कुंवर सिंह के साथ अपने मैत्री-सम्बन्धों और उनके आचरण के सम्बन्ध में 14 जून 1857 ई० को बंगाल सरकार के सचिव को लिखा था कि कई लोगों ने अनेक जमींदारों और विशेषकर बाबू कुंवर सिंह की स्वामिभक्ति पर शक करते हुये पत्र लिखे हैं। लेकिन मैं उसके साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता और मेरे लिए उसके दिल में जो स्नेह है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ये बातें गलत हैं। इसी प्रकार के दोषारोपण डुमराव और हथुआ के राजा पर भी किये गये हैं। मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।<sup>6</sup> 8 जुलाई 1857 ई० को उसने यह भी लिखा कि बाबू कुंवर सिंह, यदि कुछ कर सकने की स्थिति में होते तो अवश्य कर लेते, किन्तु अब तो उसके पास साधन ही नहीं हैं। उसने मुझे कई बार अपनी स्वामिभक्ति एवं सहानुभूति व्यक्त करने वाले पत्र लिखे हैं।<sup>7</sup> इस प्रकार कमिश्नर टेलर ने उन्हें साधनविहीन भी बतलाया है। किन्तु शाहाबाद का मजिस्ट्रेट मि० वेक इससे अलग राय रखता था। उसने 19 जुलाई 1857 ई० को सरकार को भेजे गये अपने पत्र में लिखा था कि "वह सिर्फ नाम के लिए विस्तृत जमींदारी का मालिक है, जबकि आर्थिक रूप से वह बर्बाद हो चुका है। उसके लिये अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी पैसा जुटाना कठिन है। इसलिए जब तक कानून-व्यवस्था बनी हुई है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। किन्तु वह अच्छी तरह से जानता है कि कानून-व्यवस्था न रहने पर वह जिले में सर्वोच्च बन जायेगा। मैं यह भी समझता हूँ कि जब तक वह सरकार को मजबूत समझेगा, खुलेआम विरोध नहीं करेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि वह अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये इन जिलों में विद्रोह करने के बारे में सोच सकता है और उसका सामन्ती प्रभाव उन परिस्थितियों में अत्यधिक खतरनाक हो सकता है।"<sup>8</sup>

डब्लू० टेलर के स्थान पर नियुक्त कमिश्नर सैमुअल्स ने भी मजिस्ट्रेट की बात को सत्य मानते हुये लिखा था कि "कुंवर सिंह का यह विद्रोह अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण किया गया विद्रोह था"<sup>9</sup> उसने आगे लिखा कि, "मजिस्ट्रेट को उस पर पूरी तरह से शक था और उसने उसे छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की एक डिप्टी कलेक्टर उसे बुलाने के लिए भेजा गया। लेकिन उसका दोषी मन भयभीत हो गया। उसने अपने गाँव वालों में यह बात फैला दी कि अधिकारी लोग उसे फाँसी देना चाहते हैं, इसलिये लोगों को चाहिए कि वे उसे एक डोम के हाथों मरने से बचायें।"<sup>10</sup> शाहाबाद के मजिस्ट्रेट मि० वेक का यह भी मत था कि कुंवर सिंह का विद्रोह पूर्वनियोजित था। उसने लिखा कि मैं जानता हूँ कि लोग यह समझते हैं कि कुंवर सिंह का विद्रोह पूर्वनियोजित नहीं था, किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वह पिछले तीन महीने से समय की प्रतीक्षा कर रहा था"<sup>11</sup> मिस्टर टेलर ने भी संशय

का निराकरण करने के लिये कुंवर सिंह को पटना बुलाया था। किन्तु इसके पूर्व जून 1857 में उसने पटना में वहाबियों के कुछ प्रमुख नेताओं को दावत पर बुलाकर उन्हें बन्दी बना लिया था और जुलाई 1857 ई० में फौसी दे दी थी। अतः कुंवर सिंह मि० टेलर की ओर से भी सशक्त थे और अस्वस्थता का बहाना बनाकर उन्होंने पटना जाने से इन्कार कर दिया था।<sup>12</sup> इस तरह यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आत्मरक्षा और आर्थिक विनाश से बचने के लिए ही कुंवर सिंह ने विद्रोह में भाग लिया था। किन्तु सरकारी अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि कुंवर सिंह पर 13 लाख रूपये का कर्ज हो गया था जिसमें से 6 लखा रूपया चुका दिया गया था और उसके लिये मात्र 256500 रूपये का नया कर्ज लिया गया था।<sup>13</sup> अतएव उसका कर्ज दस लाख रूपये से भी कम रह गया था। यद्यपि कम्पनी सरकार ने टेलर के प्रस्तावों को मानने से इन्कार कर दिया था जिसमें शाहाबाद के डिप्टी कलेक्टर सैयद अजीमुद्दीन हुसेन खां को जायदाद की देखरेख के लिए नियुक्त करने को कहा गया था,<sup>14</sup> तो भी कुंवर सिंह के पास अन्य विकल्प अवश्य थे। वह अंग्रेजों के पक्ष में सम्मिलित होकर कर्ज से मुक्ति पा सकते थे, पुरस्कार प्राप्त करके अपनी स्थिति सुधार सकते थे जैसा कि बहुत से जमीदारों और नेपाल के प्रधान मंत्री राणा जंगबहादुर ने किया था। वह डुमरांव के राजा जैसे लोगों से सहायता मांग सकते थे जैसा कि क्रान्ति में सम्मिलित होने के पूर्व उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध निजी मान-सम्मान से ऊपर उठाकर एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया था। वास्तविकता तो यह थी कि उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा एवं आर्थिक समस्या को अधिक महत्व नहीं दिया और उनके समाधान के लिए कोई गम्भीर प्रयास ही नहीं किया। वह तो देश को फिरंगियों से मुक्त कराना चाहते थे और इसके लिये प्रयत्नशील थे। किन्तु संसाधनों के अभाव में अपने उद्देश्य को स्पष्ट कराना उचित न समझा, अपनी योजना को छिपाये रखा और उचित समय की अर्थात् दानापुर के सैनिकों के विद्रोह की प्रतीक्षा करते रहें, ताकि सशस्त्र सहयोगी मिल सकें। जैसे ही उचित अवसर मिला, उन्होंने खुलेआम विद्रोह का झण्डा उठा लिया। विद्रोह में विलम्ब से सम्मिलित होने के पीछे यही कारण था। किन्तु इसके लिए वह बहुत पहले से प्रयासरत थे। यदि कर्नल मैलेसन की बात पर विश्वास किया जाये तो सिपाहियों से उनकी गुप्त सांठगांठ थी और उनके ही आदमियों ने वे नावें दी थी, जिनपर चढ़कर विद्रोहियों ने गंगा नदी पार की।<sup>15</sup> इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ देश को स्वतन्त्र कराने के महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कष्ट सहें और बलिदान दिया।

कुंवर सिंह और शाहाबाद के राजपूत 1857 ई० के विद्रोह में राजपूती शौर्य प्रदर्शन के लिए सम्मिलित हुए थे, ऐसा भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। डॉ० एस०एन० सेन ने लिखा है कि "आरा पहुँचने वाले विद्रोही सिपाहियों में अधिकांश भोजपुरी राजपूत थे, जिनका वह स्वाभाविक नेता था, यद्यपि उसने कोई सैनिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। शाहाबाद के राजपूत इस बात पर तुले हुये थे कि वे यह सिद्ध कर दें कि राजपूती वीरता गुजरे जमाने की बात नहीं हैं।<sup>16</sup> पाकिस्तानी इतिहासकार सैयद मोइनुल हक ने अपनी पुस्तक "द ग्रेट रिवाल्युशन आफ 1857 में डॉ० एस०एन० सेन की इसके लिए आलोचना करते हुए लिखा है कि—Dr. Sen has taken pains to show that Kunwar Singh joined the Movement because he was the natural leader of the Rajputs of Shahabad and these latter were out to prove that Valour was not a thing of the past This is putting perhaps too low a premium on Kunwar Singh sacrifices in the cause of the war of Independence was the only occasion for a demonstration of Rajput Valour and Kunwar Singh was guided by no other consideration he could have fought with advantage on the side of his Friend Taylor as his contemporary Jang Bahadur had been doing with a view to gain advantages for the Gurkhas."<sup>17</sup>

किन्तु सैयद मोइनुल हक की आलोचना उचित नहीं है। वास्तव में कुंवर सिंह और उनके सहयोगी स्वतन्त्रता संग्राम में सफलता प्राप्त करने के लिए ही राजपूती शौर्य प्रदर्शन करने को आतुर थे। एक बार विद्रोह में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपने नायक के साथ लड़ते रहें।

कुंवर सिंह महाविद्रोह के उन नायकों में से हैं जिन्होंने उन इतिहासकारों को गलत सिद्ध कर दिया जिन्होंने 1857 ई० के विद्रोह को असंतुष्ट सैनिकों, राजाओं, महाराजाओं एवं सामन्तों का विद्रोह माना और विद्रोह की प्रकृति पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये। डॉ० आर०सी० मजूमदार ने तो इसे न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वाधीनता संग्राम माना है। इसका एक मुख्य कारण इसमें सामान्य जनता की भागीदारी न होना बताया है, किन्तु कुंवर सिंह के संघर्ष ने ही डॉ० मजूमदार को, बिहार के सीमित भूभाग में ही सही, विद्रोह के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है। डॉ० आर०सी० मजूमदार ने लिखा है कि— The Sepoys of Danapur broke out into mutiny on 25 July and marched towards Arrah a small town about twenty-five miles on the west Here the mutiny was converted into a rebellion of the Civil population Under the guidance of Kunwar Singh The Talukedar of Jagidshpur near Arrah. अर्थात् 25 जुलाई को दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और पश्चिम में लगभग पच्चीस मील की दूरी पर स्थिति आरा की ओर चल पड़े। यहाँ पर आरा के निकट जगदीशपुर के तालुकेदार कुंवर सिंह के निर्देशन में विद्रोह जनविद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया।<sup>18</sup>

1857 ई० के विद्रोह के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है। कि इसके नायकों में कोई विजन (Vision) नहीं था। किन्तु डॉ० स्मिता पाण्डेय ने इस कथन का खण्डन अपने शोध प्रबन्ध में किया है<sup>19</sup> जिसे उन्होंने 2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में इतिहास विषय में पी०-एच०-डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत किया था और जो अब प्रकाशित भी हो चुका है। कुंवर सिंह का संघर्ष भी उनके कथन की पुष्टि करता है। विद्रोहियों का अभीष्ट देश को स्वतन्त्र कराना और देश में एकता स्थापित करके नयी लोकसत्ता स्थापित करना था।<sup>20</sup> यह अभीष्ट हिन्दु-मुस्लिम एकता के अभाव में पूरा नहीं हो सकता था। खान बहादुर खान तथा अन्य स्थानों के नेताओं ने इसका पूरा ध्यान रखा था। और अपनी स्वतन्त्र सरकारों के गठन में दोनों सम्प्रदायों के लोगो को स्थान दिया था।<sup>20अ</sup> कुंवर सिंह ने भी इसी नीति का अनुसरण किया।

25 जुलाई 1857 ई० को मेरठ में सैनिक विद्रोह के ढाई महीने बाद पटना डिवीजन की दानापुर की सैनिक छावनी में 7वीं 8वीं और 40वीं देशी पलटनों ने विद्रोही करके आरा के लिए प्रस्थान किया। 26 जुलाई को आरा पहुँचकर उन्होंने कुंवर सिंह से नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया।<sup>21</sup> 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में सिपाहियों ने खजाना लुट और जुलों से कैदियों को छोड़ा दिया। पूरे आरा पर कब्जा हो गया 15 यूरोपियन तथा यूरोशियन तथा 50 सिख सैनिक एवं डिप्टी कलेक्टर सैयद अजीमुद्दीन हुसैन ने पहले से सुरक्षा की दृष्टि से चुने गये रेलवे इंजीनियर बायले के घर में भागकर शरण ली। उन्होंने किलेबन्दी कर रखी थी। कुंवर सिंह के पास दो पुरानी तोपें तो थीं लेकिन समुचित गोला-बारूद न था। अतएव पिटे हुए लोहे और दरवाजों के पीतल के हथ्यों का इस्तेमाल करके बायले के मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। विद्रोहियों के घेरे को तोड़ने के लिए 25 जुलाई 1857 को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में 400 सैनिक आरा पहुँचे किन्तु कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के जत्थे पर छिपकर आक्रमण किया। जिसमें कैप्टेन डनबर सहित आधे सैनिक मारे गये और सिर्फ 50 लोग ही सकुशल वापस लौट सके।<sup>22</sup> इसी के साथ कुंवर सिंह ने आरा में अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था भी स्थापित की। उन्होंने आरा के पूरब और पश्चिम में दो थाने स्थापित किये। शेख गुलाम

याहिया को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। आरा के मिल्की टोला के निवासी शेख मुहम्मद अजीमुद्दीन को पूर्वी थाना का जमादार, दीवान शेख अफजल के पुत्र वुराब अली और सालिम अली को कोतवाली बनाया।<sup>23</sup> कुंवर सिंह और उनके सहयोगी व सैनिक अधिकांशतः राजपूत थे। किन्तु उन्होंने मुसलमानों को दायित्व सौंपकर हिन्दू-मुस्लिम एकता की कड़ी को मजबूत करते हुए विद्रोहियों के राष्ट्रीय एकता के स्वप्न को अपने क्षेत्र में साकार कर दिखाया।

कुंवर सिंह ने राष्ट्रीय विद्रोह को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने डुमराव रियाराव के महाराजा से भी सहायता मांगने में हिचक नहीं। दिखायी, यद्यपि जगदीशपुर रियासत और डुमराव रियासत के सम्बन्ध अच्छे न थे। डुमराव के महाराजा ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। तवारीख-ए-उज्जैनिया के लेखक मुंशी विनायक प्रसाद ने इस बारे में लिखा है कि 1857 ई0 की क्रान्ति में कूद पड़ने के ठीक पहले कुंवर सिंह ने एक पत्र के जरिये महाराजा डुमराव महेश्वर सिंह बख्श को अपने क्रान्तिकारी हो जाने की सूचना दी थी और उनसे मदद की अपील की थी। जवाब में महाराजा डुमराव ने लेखा कि भाई का मुकाबला भाई से, हमले का मुकाबला हमले से सुन्दर होता है। प्रजा और राजा की लड़ाई शरण प्राप्त करने हेतु होती है। आपकी बगावत शिक्षित और अनपढ़ के बीच की बहस है। विद्रोहियों के बीच पड़ना अपने आपको बर्बाद करना है। अगर मेरी सलाह आपके विरुद्ध है। तो मुझे अपना मददगार न समझें। मुझे बादशाह का मददगार और तरफदार समझें जैसी पुराने जमाने से हमारे परिवार की परम्परा है।<sup>24</sup> किन्तु डुमराव के राजा के इस उत्तर से कुंवर सिंह न तो हताश हुए और न अपना इरादा ही बदला अपितु अपने सीमित साधनों और गिने चुने सहयोगियों के साथ संघर्ष के पथ पर चल पड़े।

कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोही अपने सीमित साधनों के कारण ही बायले के घर में छिपे अंग्रेजों पर अधिकार न कर सकें थे। इसी बीच अंग्रेजों की सहायता के लिए मेजर विंसेंट आयर 25 हाइलैंडर्स के साथ बक्सर आया और 160 बंदूकधियों वाले दल के कप्तान एल0 एस्ट्रेंज से जा मिला। बक्सर से वह आरा आया। 2 अगस्त 1857 को मार्ग में उनबर की तरह आयर पर भी विद्रोहियों ने आक्रमण किया, किन्तु उनकी बन्दूकें आयर के तोपखाने और एन्फील्ड राइफलों का मुकाबला न कर सकीं। बीबीगंज के पास कुंवर सिंह ने फिर से मुकाबला कराना चाहा। 5 अगस्त की रात में उन्होंने अंग्रेजों के सैनिक दल पर हमला किया किन्तु परजित होकर हटना पड़ा। वह अपने सैनिकों के साथ जंगलों के बीच स्थिति जगदीशपुर की गढ़ी की ओर चले आये।<sup>25</sup> आयर ने अपनी विजय को पूरा करने के लिए कुंवर सिंह का पीछा करने का निर्णय लिया। किन्तु अपने नये अभियान के लिए उसने कुछ सैनिक टुकड़ी मंगायी और आरा में ठहरकर उनके आने की प्रतीक्षा करता रहा। कानून व्यवस्था की स्थापना के नाम पर उसने पकड़े गये बहुत से क्रान्तिकारियों को फाँसी पर चढ़ा दिया। किन्तु किसी ने भी अपनी जान बचाने के लिए उससे क्षमा याचना नहीं की। 8-9 अगस्त को सहायता सैनिक टुकड़ी के आरा पहुँचने पर आयर जगदीशपुर के लिए चल पड़ा। 13 अगस्त को उसने देखा कि क्रान्तिकारी जिस गाँव पर कब्जा किये हुए है, उसके पीछे एक नाला बह रहा है। उसने गाँव पर हमला किया, दोनो तरफ से गोलियाँ चलीं, अन्त में आयर के आदमियों ने गाँव पर कब्जा करने में सफलता पायी। गाँव से लगभग 300 गज की दूरी पर घना जंगल था, जिसमें क्रान्तिकारी छिप गये थे। जब उन्होंने ब्रिटिश सेना को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने जंगलों से निकलकर उन्हें लड़ने के लिए ललकारा। आयर ने उनके सामने तोपे लाकर गोले बरसाने प्रारम्भ कर दिये और उन्हें अव्यवस्थित तरीके से दाहिनी ओर भागने को विवश किया। तब उन पर गोलियों की बौछार की जिनके सामने वे ठहर न सके। तत्पश्चात् आयर जगदीशपुर की ओर बढ़ा

और दोपहर बाद वहाँ पहुँच गया। कुंवर सिंह किसी तरह भागने में सफल रहे। एस्ट्रेंज के नेतृत्व में एक टुकड़ी उनका पीछा करने गयी, किन्तु

खाली हाथ लौटी। आयर ने हिन्दू मन्दिर सहित जगदीशपुर के महल व अन्य इमारतों को नष्ट कर दिया। कमाण्डर इन चीफ ने गवर्नर-जनरल को पत्र लिखकर मेंजर आयर द्वारा मन्दिर तोड़ने की भर्त्सना की गयी।<sup>26</sup>

मेंजर आयर ने बाबू कुंवर सिंह को निरन्तर दो युद्धों में पराजित करके उनके गढ़ जगदीशपुर को नष्ट कर दिया था। इसके बाद भी इस वयोवृद्ध नायक के मनोबल को तोड़ न सका। कुंवर सिंह एक लम्बे संघर्ष के लिए तैयार थे, यद्यपि उनके पास संसाधन नहीं के बराबर थे। किन्तु उनका इरादा मजबूत और योजनाएँ साहसपूर्ण थीं उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया था। किन्तु उनका इरादा मजबूत और योजनाएँ साहसपूर्ण थीं। उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया था कि अन्तिम विजय या पराजय का निर्णय वस्तुतः उत्तरी भारत में ही होना है।<sup>27</sup> अतएव जगदीशपुर से निकलकर कुंवर सिंह रोहतास की पहाड़ियों में चले जिससे ग्रैंड ट्रंक पर रोड पर खतरा बढ़ गया।<sup>28</sup> तत्पश्चात् वहाँ से वह रीवाँ गये ताकि दिल्ली जाने का उन्हें सुरक्षित मार्ग मिल जाये। किन्तु रीवाँ के राजा ने सम्बन्धी होने के बावजूद उनका विरोध किया।<sup>29</sup> अतएव कुंवर सिंह ने अपनी योजना में परिवर्तन करके उत्तर की ओर प्रस्थान किया और एक सितम्बर को वह विजयगढ़ के नजदीक पहुँचकर मिर्जापुर के लिए संकट उत्पन्न कर दिया। एक सप्ताह बाद वह बाँदा चले गये। इस समय तक दिल्ली का पतन हो चुका था। अतएव उन्होंने अपनी योजना में पुनः परिवर्तन किया। इटली के महान क्रान्तिकारी देश भक्त मैजिनी का कथन है कि—जहाँ हमारा निशान लहराये वहीं हमारी राजधानी। अपनी राजधानी जिधर विद्रोह हो उधर ले जानी चाहिए। विद्रोह राजधानी के पीछे रह यह अच्छी बात नहीं।<sup>30</sup> सम्भवतः इसी विचार के पक्षधर कुंवर सिंह भी थे। 28 अक्टूबर को शेरर के अनुसार, “कुंवर सिंह बाँदा के 12 या 1500 विद्रोहियों और 3 या 400 अपने आदमियों के साथ कालपी आ गये थे।<sup>31</sup> पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कालपी में कुंवर सिंह ने ग्वालियर के क्रान्तिकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया तात्या टोपे से भी उनका सम्पर्क हुआ। कानपुर पर किये जाने वाले हमले में मदद करने के लिए नाना साहेब ने उन्हें आमन्त्रित किया। इसलिए वह अपने साथियों के साथ कानपुर की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने कन्धपुर नामक स्थान पर नाना साहेब व तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया, किन्तु पराजित हुए।<sup>32</sup> तात्या टोपे की हार के बाद वह मराठा सरदारों के कालपी नहीं गये अपितु संघर्ष के महत्वपूर्ण केन्द्र अवध की राजधानी लखनऊ चले गये।<sup>33</sup>

अवध के वली बिरजीस कद्र ने इस बहादुर योद्धा का स्वागत किया, उसे खिलत देकर सम्मानित किया, आजमगढ़ जनपद पर अधिकार करने के लिए एक फरमान और युद्ध-खर्च के लिए 12000 रुपये नगद तथा 16000 रुपये की हुण्डी भी राजा मानसिंह से भुगतान प्राप्त करने के लिए दी।<sup>34</sup> अतः कुंवर सिंह पुनः सक्रिय हो गये। वह फरवरी में अयोध्या पहुँचे। उस समय उनके साथ 2000 लोग थे जिनमें सिर्फ 800 सिपाही थे। वहाँ उनके साथ मानसिंह, गोण्डा के राजा और नरहरपुर के राजा भी थे।<sup>35</sup> उस समय गोरखा सैनिकों के अंग्रेजी सेना की सहायता हेतु लखनऊ चले जाने से आजमगढ़ पर अधिकार करना सरल था। इसका लाभ उठाकर 17 मार्च 1858 ई0 को कुंवर सिंह ने अतरौलिया पर अधिकार कर लिया। कर्नल मिलमैन, जो कोयलसा में पड़ाव डाले हुए था, ने तत्काल सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। रात-दिन चलकर 22 मार्च को वह विद्रोहियों के सामने पहुँच गया। उसने पहुँचते ही क्रान्तिकारियों पर आक्रमण किया किन्तु बुरी तरह पराजित हुआ। उसे वापस भागकर कोयलसा जाना पड़ा जहाँ उसने सुरक्षा हेतु सैनिकों के साथ अपने को जेल में बन्द कर लिया, जिसके चारों तरफ खाई



थी कुंवर सिंह ने 26 मार्च को आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसी दिन डेम्प द्वारा किये गये हमले को भी विफल कर दिया। इस समय लार्ड केनिंग इलाहाबाद में ही था। उसने स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते हुए समय लार्ड केनिंग इलाहाबाद में ही था। उसने स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते हुए क्रीमिया युद्ध में ख्याति प्राप्त और हिन्दुस्तान का पूरा अनुभव रखने वाले मार्क केर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को आजमगढ़ भेजने का आदेश दिया। अतः कुंवर सिंह ने बिहार लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना को अपनी रणनीति से असफल बनाते हुए जनसहयोग से गंगा नदी पार करके जगदीशपुर के जंगलों में प्रवेश किया। अपने भाई अमर भाई अमर सिंह की सहायता से कुंवर सिंह ने अपनी सेवा को पुनः शक्तिशाली बनाकर 23 अप्रैल 1858 ई० को जगदीशपुर में अंग्रेजों पर अन्तिम विजय प्राप्त की। इस युद्ध में बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गये। यह एक तरह से अचानक अंग्रेजों का पुरा विनाश था। इस विनाश से भयभीत होकर ब्रिटिश अधिकारी को और अधिक सैनिक सहायता मंगवानी पड़ी। किन्तु उसके सैनिकों के आने के पहले ही 26 अप्रैल को इस वयोवृद्ध राजपुत सरदार की मृत्यु हो गयी।<sup>36</sup>

कुंवर सिंह ने संघर्ष की जो अग्नि जलायी थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह ने आजीवन छापामार युद्ध के जरिये जलाये रखा, जिसकी प्रशंसा एंगेल्स ने भी की है।<sup>37</sup>

अन्त में यह कहना उचित होगा कि कुंवर सिंह भरत के प्रथम स्वातन्त्र संग्राम के उन वयोवृद्ध नायकों में से एक है जिन्होंने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए अतुलनीय बलिदान किया। वह एक जननायक थे।<sup>38</sup> उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता को समझा और उसे व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया। वह एक जन्मजात रणनीतिकार भी थे, इस बात को अपने लम्बे संघर्ष के दौरान उन्होंने सिद्ध किया। कुंवर सिंह अपने वीरतापूर्ण संघर्ष, त्याग व बलिदान के लिए आज भी आदर एवं श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं।

### सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ—

1. महदी हुसेन, बहादुर शाह II एण्ड द ऑफ 1857 इन देहली विथ इट्स अनफारगेटेबुल सीन्स, दिल्ली, 1958 पृष्ठ 36.
2. पूर्वोक्त, पृ० 281.
3. अनिरुद्ध रे, बिजली, राइजिंग ऑफ 1857-1859 एण्ड द बंगाली बाबू कोतवाली, 2010, पृ० 399, दरखास्त ताजवर, सरगुजिश्ते-देहली, रामपुर, 2005, पृ० 333-35 जेबा लतीफ, रूहेलखण्ड 1857 में रामपुर 2007 पृ० 69-62 उदय प्रकाश अरोड़ (सम्पादक) 1857 और रूहेलखंड, नयी दिल्ली 2010 पृ० 61 पाद टिप्पणी सं०-89.
4. रश्मि चौधरी, 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह, सूचना विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 2007, पृ० 12, 57.
5. पूर्वोक्त, पृ० 17 18 21.
6. एस०एन० सेन, एट्टीन फिपटी सेविन (हिन्दी अनुवाद) अठारह सौ सत्तावन, सूचना विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 2005 द्वितीय संस्करण, पृ० 300 आर०सी० मजूमदार, द सिपाय म्यूटनी एण्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कलकत्ता, सेकेण्ड एडीशन, 1963 पृ० 311
7. आर०सी० मजूमदार, पूर्वोक्त पृ० 311-12
8. पूर्वोक्त, पृ० 313
9. एस०एन० सेन, पूर्वोक्त, पृ० 301.
10. पूर्वोक्त
11. पूर्वोक्त, पृ० 300 आर०सी० मजूमदार, पूर्वोक्त, 313 दृ
12. एस०एन० सेन, पूर्वोक्त, पृ० 301-02 दृ
13. पूर्वोक्त पृ० 299.
14. पूर्वोक्त पृ० 299.
15. पूर्वोक्त पृ० 300.
16. पूर्वोक्त पृ० 302.
17. सैयद मोइनुल हक, द ग्रेट रिवाल्वुशन ऑफ 1857 कराची, 1958 पृ० 311 पाद टिप्पणी।
18. आर०सी० मजूमदार, पूर्वोक्त पृ० 140.
19. स्मिता पाण्डे, द विजन ऑफ दी रिबेल्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 2007
20. रामविलास शर्मा, स्वाधीनता संग्राम, दिल्ली, 1992 पृ० 6-7

21. अ.एस0एन0 सेन, पूर्वोधृत पृ0 411 महदी हुसेन, पूर्वोधृत पृ0 192–94 रौशन तकी लखनऊ, 1857 (द टू वार्स ऐट लखनऊ द डस्क ऐन दरा), लखनऊ, 2001 पृ0 2 113–14.
22. अयोध्या सिंह, भारत का मुक्त संग्राम, नयी दिल्ली 2006 संस्करण पृ0 335–36.
23. एस0एन0 सेन, पूर्वोधृत, पृ0 297–98 मोइनुल हक, पूर्वोधृत, पृ0 311–12.
24. रश्मि चौधरी, पूर्वोधृत, पृ0 13–14 कालिकिकर दत्त बिहार में स्वातन्त्र आन्दोलन का इतिहास, पृ0 34
25. उद्धृत बद्दीनरायन रश्मि चौधरी, संजयनाथ (सम्पादकगण), 1857 का महासंग्राम, हरियाणा 2010 पृ0 150 पादटिप्पणी सं0–20
26. एस0 एन0 सेन, पूर्वोधृत पृ0 303–304 सैयद मोइनुल हक पूर्वोधृत पृ0 313
27. सैयद मोइनुल हक, पूर्वोधृत पृ0 314
28. एस0 एन0 सेन, पूर्वोधृत पृ0 305
29. पूर्वोक्त पृ0 304, सय्यद अब्बास रिजवी, फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश वाल्यूम IV लखनऊ, 1959 टेलीग्राफिक मेसेज, 22 अगस्त, 1857 पृ0 413
30. रश्मि चौधरी के अनुसार उनके पौत्र वीरभंजन सिंह की बांदा जाते समय मार्ग में अंग्रेजों के साथ के हुए संघर्ष में मृत्यु हो गयी। देखिए पूर्वोधृत, पृ0 430–32
31. उद्धृत, विनायक दामोदर सावरकर, 1857 का स्वातन्त्र समर, संस्करण 2011 नयी दिल्ली, पृ0 160
32. एस0एन0 सेन, पूर्वोधृत पृ0 305 सैयद मोइनुल हक, पूर्वोधृत, पृ0 315 सय्यद अतहर अब्बास रिजवी पूर्वोधृत पृ0 430–32
33. एस0एन0 सेन, पूर्वोधृत पृ0 306 सैयद मोइनुल हक पूर्वोधृत पृ0 315 रश्मि चौधरी के अनुसार इस युद्ध में उनके पुत्र दलभंजन सिंह मारे गये थे। रश्मि चौधरी, पूर्वोधृत पृ0 18
34. एस0 एन0 सेन पूर्वोधृत पृ0 315 सैयद मोइनुल हक, पूर्वोधृत, पृ0 315 सय्यद अतहर अब्बास रिजवी पूर्वोधृत पृ0 433
35. सय्यद मोइनुल हक, पूर्वोधृत, 315 एस0 एन0 सेन, पूर्वोधृत, पृ0 306 एक अन्य लेखक रौशन तकी के अनुसार कुंवर सिंह ने पूरब दिशा से लखनऊ में 4 फरवरी में 1858 को प्रवेश किया और राणा बेनीमाधव व शोभा सहित बहुत से सेनानायकों व योद्धाओं से दो दिनों तक ठहरकर भेंट करता रहा। 7 फरवरी को उसके शाही दरबार में उपस्थित होने की उम्मीद थी किन्तु अज्ञात कारणों से उसने 6 फरवरी को ही लखनऊ छोड़ दिया। 1857 (द टू वार्स ऐट लखनऊ—द डस्क ऑफ ऐन एरा) लखनऊ, 2001 पृ0 233
36. सय्यद अब्बास रिजजी, फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश वाल्यूम IV लखनऊ 1959 पृ0 436 एस0 एन0 सेन के अनुसार, फरवरी 1858 में कुंवर सिंह लखनऊ और दरियाबाद के बीच में कहीं था। देखिए, अटारह सौ सत्तावन पृ0 306
37. सैयद मोइनुल हक, पूर्वोधृत पृ0 315–16 आजमगढ़ में सिंह के संघर्ष, रणनीति एवं सफलता व विफलता के विस्तृत विवरण हेतु कौशल किशोर पाण्डेय का अप्रकाशित शोध प्रबन्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अन्तर्गत आजमगढ़ के जमीदारों का एक अध्याय दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 2007 के पृ0 137–156 डॉ0 कन्हैया सिंह, उत्तर प्रदेश 1857 का स्वतन्त्रा संग्राम, इलहाबाद 2009 पृ0 52–53 तथा आजमगढ़ से जगदीशपुर लौटते समय उनका पीछा करने वाली अंग्रेजी सेना को मात देने एवं चकमा देकर प्रयासों को विफल बनाने हेतु कुंवर सिंह द्वारा अपनायी नयी रणनीति के विवरण हेतु देखिए, रश्मि चौधरी, पूर्वोधृत पृ0 19–21 विनायक सावरकर 1857 का स्वातन्त्रय समर, संस्करण 2011 नई दिल्ली पृ0 334–343 अयोध्या सिंह, पूर्वोधृत पृ0 336–339
38. मार्क्स, एंगेल्स द फर्स्ट इण्डियन वार ऑफ इण्डिपेन्डेन्स 1857 मास्को 1975 पृ0 166
39. द हिन्दु पैट्रियाट ने 6 अगस्त 1857 ई0 को लिखा था कि "He possesses considerable influence with the Bhojeporeans of whom there are large number in the army" अर्थात् उनका भोजपुरियों पर पर्याप्त प्रभाव था, जो बड़ी संख्या में है। उद्धृत सय्यद अतहर अब्बास रिजवी पूर्वोधृत पृ0 404–405 भागलपुर के कमिश्नर मिस्टर यूले ने कुंवर सिंह पर दस हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया था, किन्तु उन्हें बन्दी बनवाने का किसी ने कभी भी कोई प्रयास नहीं किया, जो उनकी जनप्रियता का द्योतक है जबकि उन्हें बिहार में हिन्दु धर्म का रक्षक बताकर धर्म के आधार पर अन्य धर्मों के मानने वालों में उनके प्रति नफरत फैलाने का भी प्रयास प्रयास किया गया।

# भूमि उपयोग और वन सघनता का विश्लेषण : जनपद—फतेहपुर

आशीष प्रताप सिंह

शोध छात्र

बी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर (उ0प्र0)

## सारांश

जनपद फतेहपुर में वन संसाधनों की सघनता में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वनों को भारतीय मानसून का प्रेरक माना जाता है। इसीलिए वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग वन आवरण प्रतिरूप का अध्ययन प्राकृतिक, सामाजिक, और आर्थिक रूप से उस क्षेत्र के निवासियों को प्रभावित करता है। कृषि गतिविधियों और जनसंख्या के विशाल आकार के कारण वनों की कटाई में तीव्रता आयी है जिससे जैव विविधता के नुकसान, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा मिट्टी का कटाव, जल का क्षरण, वर्षा कम होना, बाढ़ का खतरा बढ़ा, जंगल की आम का खतरा बढ़ा, मूल निवासियों का विस्थापन आदि समस्या उत्पन्न हुई हैं।

भूमि उपयोग और वन संसाधन के अध्ययन से एक लाभ यह है कि फतेहपुर जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में पिछले 20 वर्षों में वृद्धि या कमी का पता चल पायेगा। जिससे वनों की वृद्धि की आयोजना के लिए आंकड़ें सहायक होंगे, और वनोन्मूलन करना अधिक सरल हो जाएगा। फतेहपुर जिले के वनों के वितरण में लगातार बदलाव होते रहे हैं जिससे अध्ययन क्षेत्र के क्षेत्रीय पर्यावरण में और जलवायु में लगातार परिवर्तन होते रहें हैं अतः भूमि उपयोग तथा वन सघनता का अध्ययन करने से भूमि उपयोग प्रतिरूप में वनीय सघनता में वृद्धि की जा सकती है।

यह अध्ययन फतेहपुर जिले के संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तराई क्षेत्र में स्थित फतेहपुर के बड़े हिस्से को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत भूमि उपयोग के प्रकाशनों से एकत्रित द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत पर आधारित है। डेटा का सारणीकरण, मानचित्रण, प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त तकनीकी कार्य प्रणालियों का उपयोग किया गया है। सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके विकास खण्ड स्तर पर भूमि उपयोग और वनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। आंकड़ें बताते हैं कि भूमि उपयोग में वनों का नगण्य स्थान है। जिले के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 01.79 प्रतिशत हिस्सा (2019–20) वन के अन्तर्गत है। अतः वनों की वृद्धि के लिए, आंकड़े सहायक हो सकते हैं।

**मुख्य बिन्दु** वन, भूमि उपयोग, सघनता, वृक्षावरण, वनीय कटाव।

## परिचय—

भूमि उपयोग किसी भी क्षेत्र की मिट्टी का विभिन्न स्वरूपों में किया गया प्रयोग है, जिससे उस प्रतिवेदित क्षेत्रफल के स्वरूप को गणनीय अंकन के सरलीकरण के लिए किया जाता है। अतः भूमि उपयोग के एक घटक के रूप में वनों का अत्यधिक महत्व है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप वनीय कटाव में वृद्धि हुई है। वन फतेहपुर जनपद के जैविक विविधता और पर्यावरण के मूलाधार रहें हैं। वन भौतिक संसाधनों में मानव जीवन के लिए प्राणदायी संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप वन संसाधनों का अत्यधिक हास हुआ है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़-पौधों को काटकर खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया है। जिससे फतेहपुर जिले में वनों की सघनता में अत्यधिक कमी आयी है और कृषि योग्य भूमि में बढ़ोत्तरी दर्ज हुयी है।

वनक्षरण में मानव की गतिविधियों और भूमि पर होने वाले विभिन्न उपयोगों के रूप में शोध के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है।

1. अध्ययन क्षेत्र के वनों की सघनता एवं वृद्धि/हास का विश्लेषण करना।

1. जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में वनों की भिन्नता का पता लगाना।

## अध्ययन क्षेत्र—

फतेहपुर जिले का विस्तार 25°26' उत्तरी अक्षांश से 25°16' उत्तरी अक्षांश तक 80°14' पूर्वी देशान्तर से 81°20' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।




Fig.-1 Based Map of the study area




Fig.-2 Location Map of the study area

जिले की लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः 100 (पूर्व से पश्चिम) तथा 40 (उत्तर से दक्षिण) तक है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊँचाई 132.5 मीटर है। जिले को खागा, फतेहपुर, बिन्दकी तीन तहसीलों तथा 13 विकास खण्डों में बांटा गया है। जनपद में 2 नगर पालिका परिषद तथा 4 नगर पंचायत सम्मिलित है। जिले की सीमायें बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं उन्नाव जिले की सीमाओं को स्पर्श करती है।

जनपद की सीमाओं का निर्धारण गंगा और यमुना नदियों द्वारा किया जाता है। जिसे, बालू, रेत, बजरी, मोरंग प्राप्त होता है।

#### डाटाबेस एवं कार्यप्रणाली-

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, वनों की सघनता में परिवर्तन के लिए आंकड़े जिला सांख्यिकी पत्रिका 1990 से 2020 तक 30 वर्षों के (अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित) डाटा से प्राप्त किया गया है। इस शोध पत्र में प्रकाशित गैर सरकारी और सरकारी रिपोर्टें एवं पत्रों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र जनपद के 13 विकास खण्डों के अन्तर्गत 30 वर्षों के वन संसाधनों की वृद्धि या ह्रास के स्वरूप को सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया है। एक्सेल साफ्टवेयर की मदद से वन संसाधनों के परिवर्तनकारी स्वरूप की गणना सरल प्रतिशत पद्धति से किया गया है। स्थानिक भिन्नता के लिए जी0आई0एस0 साफ्टवेयर (आर्क जी0आई0एस0 10.1) की सहायता से मानचित्रण किया गया है।


#### वन संसाधन एवं उपयोग-

वनों का सघनता में वृद्धि के लिए तथा वनों को पर्यावरण के अनुकूल रखने के लिए इनकी सही गणना एवं विश्लेषण आवश्यक है। वनों का किसी क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वनों द्वारा सूर्याताप एवं मानव जीवन के अनुकूल तापमान, को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। मानव को फल, लकड़ी, औषधि इत्यादि उपलब्ध होते हैं। जनपद में गैर वन एवं झाड़ियाँ 1992-93 में 5481 हे० था। जो 2000-01 में घटकर 4963 हे० हो गया है। गैर वन के अन्तर्गत वृक्षावरण का क्षेत्र सम्मिलित होता है।

#### तालिका-1

क्र० सं०	विकास खण्ड	उद्यानों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल (हे०में)				
		2000-01	2010-11	2020-21	2001से 2021 प्रतिशत वृद्धि या कमी	
1.	देवमई	275	277	403	128	46.54
2.	मलवां	811	643	540	-271	-13.41 कमी
3.	अमौली	232	443	296	64	27.5
4.	खजुआ	332	583	637	305	91.8
5.	तेलियानी	205	279	495	290	141.4
6.	भिटौरा	201	525	613	412	204.97
7.	हसवां	232	448	567	335	144.00
8.	बहुआ	278	405	526	248	89.20
9.	असोधर	214	469	324	110	51.40
10.	हथगाम	278	407	548	270	97.12
11.	ऐरांया	1469	521	616	-853	-58.06
12.	विजयीपुर	219	467	500	281	128.31
13.	धाता	213	368	653	440	206.57
	योग ग्रामीण	4959	5835	6718		26.18

स्रोत-फतेहपुर की जिला सांख्यिकी पत्रिका पर आधारित 2000-2021 योग-नगरीय, योग-जनपद



उपर्युक्त विवरण में फतेहपुर जिले के वनों को विकास खण्डवार बांटकर पिछले 20 वर्षों के अंतराल का विश्लेषण करके प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को दर्शाया गया है।

यहां यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वास्तविक वन कवर के तहत क्षेत्र वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र से अलग हैं। अवर्गीकृत वह क्षेत्र होते हैं जिसे सरकार ने वन विकास के लिए पहचाना और सीमांकित किया है। जो भू-राजस्व रिकार्ड के अनुरूप है। अभिलिखित वन क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी रिकार्ड में वन के रूप में अभिलिखित समस्त भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल होती है, चाहे उससे वनावरण हो या न हो, इससे मुख्यतः भारतीय वन अधिनियम 1972 के संस्थापित आरक्षित वन क्षेत्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र आते हैं।

2020-21 में कुल रिपोर्ट किए गए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4152 वर्ग किमी<sup>0</sup> (422126 हे०) में वनों का हिस्सा 7595 हे० था। जिसमें ऐराया विकास खण्ड में अधिसूचित कुल वृक्षों एवं झाड़ियों में 1512 हे० था जो जिले के 13 विकास खण्डों में सर्वाधिक था ग्रामीण क्षेत्र में 7547 हे० तथा नगरीय क्षेत्र में 48 हे० क्षेत्र वनों के रूप में दर्ज हुआ है।

शोध में फतेहपुर जिले के वन वितरण, वन वृद्धि/कमी के आंकलन के लिए पिछले 30 वर्षों 1990-91 से 2020-21 तक के आंकड़ों का प्रदर्शन तथा विश्लेषण किया गया है। जिले में उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल 2020-21 में कुल ग्रामीण क्षेत्र का 6718 हे० था।

जिले में 0-50 प्रतिशत तक वृद्धि वाले विकास खण्ड देवमई, अमौली तथा 50-100 प्रतिशत वाले विकास खण्डों में खजुआ, बहुआ, असोथर, हथगाम तथा 100 प्रतिशत से अधिक वाले विकासखण्डों में तेलियानी भितौरा, हंसवा, विजयीपुर, धाता, इत्यादि शामिल है। जबकि मलावां, ऐराया दो विकास खण्ड ऋणात्मक वृद्धि वाले ब्लाक रहे हैं।

## तालिका-2 फतेहपुर जिले में वनों का विकासखण्डवार वितरण 2001-21

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र (हे०में)	वन हे०में 2000-01	वन हे०में 2010-11	वन हे०में 2020-21	वन हे०में 2021-22	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वनों का (%)
1.	देवमई	23188	162	347	346	1.49	11.58
2.	मलवां	36790	448	1136	1135	3.08	153.34
3.	अमौली	35828	224	196	185	0.51	-17.41 कमी
4.	खजुआ	34418	298	488	487	1.41	68.42
5.	तेलियानी	24009	258	492	491	2.04	90.31
6.	भिटौरा	34512	526	479	478	1.38	-09.12 कमी
7.	हसवां	32448	456	533	532	1.63	16.66
8.	बहुआ	28080	485	645	644	2.29	32.78
9.	असोधर	40118	198	431	430	1.07	117.17
10.	हथगाम	28039	277	391	390	1.39	40.79
11.	ऐराया	30719	179	1512	1512	4.92	744.69
12.	विजयीपुर	36691	211	367	367	1.00	73.93
13.	धाता	29890	254	550	550	1.90	116.53
योग ग्रामीण		<b>414730</b>	<b>9839</b>	<b>7567</b>	<b>7547</b>	<b>1.81</b>	<b>-23.29</b>
योग नगरीय		<b>7396</b>	<b>701</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0.64</b>	<b>-93.15 कमी</b>
योग जनपद		<b>422126</b>	<b>10540</b>	<b>7615</b>	<b>7595</b>	<b>1.79</b>	<b>-27.94 कमी</b>

स्रोत-उपर्युक्त आंकड़े-जिला सांख्यिकी पत्रिका से 2001-2021 से प्राप्त

फतेहपुर जिले में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 422126 हे० है। जिसमें 7396 हे० भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 414730 हे० भूमि आती है। जनपद में 2000-01 में वनों के अन्तर्गत कुल भूमि 10540 हे० थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 9839 हे० भूमि थी जबकि नगरीय भूमि 701 हे० थी। अगले 20 वर्षों में शहरी क्षेत्र में 93.15 प्रतिशत की कमी (कुल 48 हे०) दर्ज की गयी। जनपद में पिछले दो दशकों में वनों में 27.94 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है, और कुल क्षेत्रफल 422126 हे० में वनों का 7547 हे० (2020-21) के साथ मात्र 1.79 प्रतिशत ही वनों के अन्तर्गत आता है। जिले के विकास खण्डों में वनों की वृद्धि लगभग प्रत्येक विकास खण्ड में हुई है लेकिन यह वृद्धि अत्यन्त नगण्य रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के एक तिहाई अथवा 33.33 प्रतिशत क्षेत्र में (पहाड़ी क्षेत्रों में दो-तिहाई अथवा 66.67 प्रतिशत क्षेत्र में) वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है।

## निष्कर्ष-

वन स्थायी पर्यावरणीय घटक है जो विभिन्न जलवायविक परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस शोध पत्र में वृद्धि आंकड़ों के स्रोत के आधार पर फतेहपुर जिले वन संसाधनों, वृक्ष, उद्यान एवं झाड़ियों के वनीकरण एवं वृक्षावरण का विश्लेषण किया गया है यद्यपि जिले में कुल क्षेत्रफल (422126 हे०) का 1.79 प्रतिशत उद्यान तथा वृक्षों एवं झाड़ियों का हिस्सा 1.59 प्रतिशत है। जिले के लगभग सभी ब्लाक (अमौली और भिटौरा को छोड़कर) वनों में वृद्धि (2000-2021) को प्रदर्शित करते हैं लेकिन जिले के कुल वनों में पिछले 20 वर्षों में 27.94 प्रतिशत की कमी आयी है। वनों में कमी का मुख्य कारण शहर में अधिसूचित 7396 हे० में फैले वनों के कटाव के कारण शहरी वनों में 93.15 प्रतिशत की कमी आयी है। जनपद में उद्यान वृक्ष तथा झाड़ियों में मलवां और ऐराया प्रतिशत कमी को प्रदर्शित करते हैं जबकि अन्य सभी विकास खण्ड प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। वनों में सर्वाधिक

वृद्धि ऐरांया ब्लाक द्वारा 744 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है तथा वृक्षों एवं झाड़ियों में सर्वाधिक वृद्धि 206.57 प्रतिशत दर्ज की गयी है।

जिले में वनों के बढ़ते हुए क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये यह कहा जा सकता है कि प्रकृति और वानिकी के प्रति लोगों में जागरूकता आयी है पिछले दो दशकों के दौरान उद्यान, वृक्षों एवं झाड़ियों के क्षेत्रफल में 26.13 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इसी वनों में 2000–21 के मध्य 20 वर्षों में 27.94 प्रतिशत की कमी आयी, इसका मुख्य कारण नगरीकरण रहा है, जिसके फलस्वरूप कुल जनपदीय प्रतिशतता में कमी आयी है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के एक तिहाई अथवा 33.33 प्रतिशत तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 66.67 प्रतिशत क्षेत्र वन अथवा वृक्षावरण होने आवश्यक है। यद्यपि देश में कुल वनाकरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत वृक्षावरण 2.91 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में 9.23 से जिले का वनावरण एवं वृक्षावरण अत्यधिक कम है। अतः यह जिले के लिए सही संकेत नहीं है।

जिले में वनों की वृद्धि के लिए संयुक्त नियोजन (सरकार, किसान, मजदूर, शहरी और ग्रामीण) की आवश्यकता है। कृषि के अयोग्य भूमियों पर तथा सड़कों के किनारे, नहर पट्टी इत्यादि में गहन वृक्षारोपण की आवश्यकता है।

#### संदर्भ—

1. Chandel, R.S. (1991). Agriculture Change in Bundelkhand Region. Star Distributors: Varanasi.
2. Dubey, R.S. (1987). Agriculture geography Issues and Application. Gyan Publication House: New Delhi.
3. Kaur, D. Changing pattern of agriculture land use: A spatial analysis of Bist Doab Punjab. Rawat Publications: Jaipur.
4. Shafi, M. (1972). Measurement of agricultural productivity of the great Indian plains. The Geographers. 19 (1). Pg. 7-9.
5. Singh, R.L. (1971). India: A Regional Geography. NGSI: Varanasi.
6. Singh, J., Dhillon, S.S. (1987). Agricultural Geography. Tata McGraw Hills Publishing Company Limited: New Delhi.
7. Tiwari, R.C. (2012). Indian: A Comprehensive Geography. Kalyani Publications: New Delhi.
8. Verma, N. (2017). The study of land use/land cover in Cunar Tehsil. Mirzapur District using Landsat data. The national Geographical Journal of India. 63 (3). Pg. 32-38.
9. Chatterjee, S.P. (1962). Planning for Agricultural development in India. National Geographical Journal India.
10. Husain, M. (2017). Systematic Agricultural Geography, Rawat Publications: Jaipur.
11. Giri, H.H. (1975). "Land Utilization in Gonda District. U.P. Shivalaya Prakshan: Gorakhpur.
12. Garima, Verma. Utilization and Management of Resources of Fatehpur district Uttar Pradesh by use location map.



# सतत विकास में कौशल विकास की भूमिका

डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय

असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र

संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज मोहम्मदाबाद, गोहना मऊ

किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया हो। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। यह भारत को सुनहरा अवसर प्रदान करता है, परंतु एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ तभी मिलेगा, जब हमारी जनसंख्या विशेषकर युवा स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होंगे।

भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिसने आने वाले समय में सामाजिक -आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना तय है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके वे युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने को प्रभावित करने के काबिल होंगे, बल्कि दूसरे के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। सतत विकास यथार्थ विद्यार्थी के व्यक्तित्व में क्रमशः प्रगति होने से हैं। समय-समय पर शिक्षा में नए-नए शोध तथा नवीन तकनीकी विकसित होने से शिक्षा में न केवल गुणवत्ता में वृद्धि होती है, बल्कि विद्यार्थी के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखा जा सकता है। शिक्षा में नवाचार सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा के सतत विकास में विभिन्न कौशलों का प्रयोग करके शिक्षक छात्र के जीवन में एक नवीन ज्ञान विकसित कर उसे न केवल एक श्रेष्ठ नागरिक बना सकता है, बल्कि सम्बंधित विषय का मौलिक ज्ञान कर सकता है। इसके लिए पाठ के लक्ष्य का ज्ञान अवश्य हो, छात्रों की क्षमता के अनुरूप व्याख्यान हो, छात्र के अंदर उस विषय के प्रति उत्सुकता हो छात्र की आयु अनुभव मानसिक स्तर के अनुकूल कौशल हो, व्याख्या के समय सरस और व्यापक भाषा का प्रयोग किया जाए। मुख्य बिंदु को बोर्ड पर लिखा जाए। आवश्यक चित्र, मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग किया जाए। सम्बंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान हो, ताकि व्याख्यान त्रुटिपूर्ण न हो। बीच-बीच में प्रश्न पूछा जाए। व्याख्यान बहुत लंबा होने पर विषय में निरसता आ सकती है। सतत विकास के द्वारा छात्र न केवल शिक्षण उपलब्धि अंक का ज्ञान होता है, बल्कि छात्र के हर क्षण के व्यवहार का ज्ञान होता है और उसमें यदि कौशल विकास पर प्रारंभ से ध्यान दिया जाए तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से देशभर जाएगा और यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो न केवल उनका जीवन सफल होगा बल्कि राष्ट्र समृद्ध होगा और तेजी से शिक्षा में गिरावट व बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। उसका सफाया भी हो सकता है तथा एक मजबूत एवं समृद्ध राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकती है।

कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव के अनुसार-” साक्षरता एवं सतत विकास में साक्षरता उन प्रमुख तत्वों में से एक है, जिसकी जरूरत सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। चूंकि साक्षरता एक आम आदमी को सशक्त बनाती है, इसलिए इंसान अपनी आर्थिक क्षमता में बढ़ोतरी और सामाजिक विकास समेत पर्यावरण के बारे में सही फैसला ले सकता है। साक्षरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक माध्यम है और सामाजिक व मानव विकास का मापक है। शिक्षा हासिल करने का मौका साक्षरता पर आधारित है। साक्षरता सभी के लिए बुनियादी शिक्षा के केंद्र में है और गरीबी निवारण, बाल मृत्यु दर कम करने, आबादी में बढ़ोतरी को रोकने, महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने और शांति व लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। साक्षरता एक प्रकार से जीवन पर्यन्त सीखने व समझने पर आधारित कौशल है और यह सतत समृद्धि और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। साक्षरता और कौशल इंसान के जीवन को उन्नत स्तर की ओर ले जाता है। इससे अपनी जिम्मेदारियां को समझने, अपनी एवं अपने आस-पास की गरीबी को कम करने, किसी विषय पर गंभीर चिंतन करने, सत्ता में भागीदारी निभाने, पारिस्थितिकी, जैव विविधता के संरक्षण और आपदाओं में उपजे जोखिम को कम करने आदि के बारे में समझ पैदा होती है। साक्षरता एक सेतु है, जो इंसान को विपदा से निकाल कर अच्छी अवस्था की ओर ले जाती है।”

सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्षण को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में 1989 में महिला समाख्या योजना प्रारंभ की गई। मुख्य रूप से इसका प्रारंभ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किया गया। महिला समाख्या के अंतर्गत उद्देश्य प्राप्ति के लिए नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया। जिसमें मात्र लक्ष्यो को प्राप्त करने की बजाय "प्रक्रिया" पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है वरन् प्रश्न पूछने समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया माना गया है।

शिक्षा में नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है। पिछले दिनों यूनेस्को के तत्वाधान में इस संबंध में 16 एशियाई देशों में मूर्धन्य शिक्षाविदों, मनीषियों एवं अनुसंधानकर्ताओं ने जापान से संबंध नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल रिसर्च के साथ नैतिक शिक्षा के सामूहिक पहलू पर विचार विमर्श किया गया। योजना का प्रमुख विषय था - "शिक्षा के परंपरागत ढर्रे को परिवर्तित करना।" क्योंकि कई देशों ने नैतिक शिक्षा का आधार न केवल धार्मिक माना है, वरन् चरित्र निर्माण पर भी बल दिया है। अतः इस क्षेत्र को व्यापक बनाना होगा। धार्मिक शिक्षा के समरूप इसे नहीं माना जा सकता। नैतिकता वस्तुतः जीवन जीने की कला है। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" अभियान के लक्ष्यो को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्य बल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है।

इस दिशा में उठाये गये सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गई है। इस नीति के जरिए ऊंच गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने के रूप रेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत 3 संस्थान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इसकी समीक्षा भी कर रही है। विकास एजेंडा 2030 के समर्थन हेतु विधि नियम पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का सम्मेलन-

मित्रों! मुझे विश्वास है कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि गरीबी पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए गरीबी मिटाना मेरी सरकार का एक प्रमुख बुनियादी लक्ष्य है। अपने महत्वपूर्ण मूल्यों से निर्देशित होकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। हम 1.25 अरब भारतीयों के लिए एक ऐसा मददगार माहौल बनाना चाहते हैं, जिसमें वे विकास कर सकें और समृद्ध हो सकें। हम शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल संपर्कता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हम युवाओं के लिए बेहतरीन ईको-प्रणाली विकसित हो सकें। हम इसे टिकाऊ तरीके से करना चाहते हैं।"

उत्तर प्रदेश विकास मिशन के तहत ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे युवा जो विभिन्न टेडो में प्रशिक्षण प्राप्त करने को इच्छुक हो, वे जन सेवा केंद्रों पर जाकर निशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। मिशन निदेशक ने कहा है कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 14 से 35 साल के अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार इस योजना में टेड एवं पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं।

अतः सतत विकास में कौशल विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विभिन्न प्रकार के कौशलों पर सरकार ध्यान दे रही है तथा शिक्षण संस्थानों में भी कौशल विकास पर ध्यान देकर विद्यार्थियों की सतत विकास में तेजी से वृद्धि की जाने की आवश्यकता है।

### संदर्भ सूची (bibliography)

1. भारतीय शिक्षा का इतिहास और सामायिक समस्याएं डा.वी.वी.पाण्डेय, डा.ए.के.पाण्डेय।
2. The history and prospects of British education in India -F.W.thomas p.n.01
3. पी.डी.पाठक, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 1995
4. भारतीय शिक्षा व्यवस्था विकास और चुनौतियां। डॉ. शिव शरण शुक्ल
5. भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन डॉ हरिओम त्रिपाठी, डॉ कुमैल अब्बास

## वर्ग, लिंग एवं परिवार पर स्तरीकरण का प्रभाव

डॉ. शैलेश मिश्रा

अतिथि शिक्षक, समाजशास्त्र विभाग, मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा, बिहार।

वर्ग, लिंग एवं परिवार सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है, वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक स्तरीकरण ने इस व्यवस्था में नवीन परिवर्तन किये हैं, जिससे परिवार एवं समाज के विकास में लैंगिक भूमिका एक अध्ययन का विषय बनकर उभरा है। आधुनिक समाज में जनसंचार, इंटरनेट के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि ने स्तरीकरण के प्रारूप को समृद्ध किया है जिससे वर्ग, लिंग एवं परिवार की पारंपरिकता प्रभावित हुई है और भारतीय समाज की संरचना में अपनी भूमिका तथा कार्य प्रणाली से इस विषय की विमर्शता के लिये शोध को प्रेरित करता है।

स्तरीकरण: आरंभ में व्यक्ति ने अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता एवं बुद्धि के आधार पर कार्यों को चुना इन कार्यों के बदले समाज ने इन्हें कुछ अधिकार, पद और प्रतिष्ठा प्रदान की विभिन्न कार्यों से विभिन्न व्यक्तियों को जो सुविधायें, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उसने समाज में इन्हें एक सामाजिक स्थिति और स्तर भी प्रदान किया। इस तरह समाज में विभिन्न कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के विभिन्न समूह बना गये जिससे समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक स्थितियों का बोध होने लगा। प्रत्येक समूह के कार्य करने का ढंग दूसरे से भिन्न था। इसलिए एक समूह के समान कार्य करने वालों का कालांतर में एक वर्ग बन गया। स्तर की विभिन्नता और भेद ही आगे चलकर स्तरीकरण के मुख्य आधार बन गये। इस प्रकार स्तरीकरण का जन्म विभिन्न समूहों, संगठनों और वर्गों के बनने से हुआ इस प्रकार यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।<sup>1</sup>

सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग-विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति तथा जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि सामाजिक स्तरीकरण के आधार बने हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो। यह तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं सामान्य होती हैं, और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि उनकी विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। स्तरीकरण की संकल्पना तब उसे विचार को संदर्भित करती है जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है, तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।<sup>2</sup>

स्तरीकरण से अंतःक्रिया सीमित हो जाती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतःक्रिया की अपेक्षा किसी विशेष श्रेणी के मनुष्यों के बीच अंतःक्रिया अधिक हो जाती है। किसी विशिष्ट स्तरीकरण प्रणाली में, कुछ प्रकार की अंतःक्रिया अन्य की अपेक्षा अधिक प्रतिबंधित हो सकती है। जीवन-साथी के चुनाव में, व्यवसाय के चुनाव में, मित्रों को बनाने में स्वचालित ट्रैफिक के प्रवाह की अपेक्षा अधिक प्रतिबंध हो सकते हैं। मोटर-चालक निर्धारित नियमों के अनुसार न की अपनी अथवा दूसरे चालकों की सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार आगे-पीछे गुजर जाने का रास्ता देता या लेता है।

**स्तरीकरण का आरंभ कैसे हुआ-** गम्पलोजिज तथा ओपेन हीमर तथा अन्य समाजशास्त्रियों का विचार है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रारंभ एक समूह द्वारा दूसरे की विजय में ढूंढा जा सकता है सीसल नॉर्थ भी एक समूह की दूसरे समूह पर विजय को विशेषाधिकार की उत्पत्ति का कारण मानता है। उसने तो यहां तक कहा है कि “जब तक जीवन का शांतिपूर्ण कम चलता रहा तब तक कोई तीव्र और स्थाई श्रेणी-विभाजन प्रकट नहीं हुआ।” परंतु सोरोकिन इस विचार से सहमत नहीं हैं। इन्होंने स्तरीकरण का कारण वंशानुगत मानवीय विभेदों एवं पर्यावरण-संबंधी दशाओं के अंतरों को माना है।

स्पेंगलर के अनुसार, स्तरीकरण का आधार अभाव है। जब समाज में प्रकार्यो एवं शक्तियों के संदर्भ में विभिन्न पदों में विभेद किया जाता है एवं इन पदों को विशेष अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रधान किये जाते हैं तो अभाव उत्पन्न होता है। इस आधार पर कुछेक पद अधिक वांछनीय बन जाते हैं क्योंकि इन पदों पर विशेष लाभ प्राप्त है। अतएव दुर्लभ विशेषाधिकारों एवं शक्तियों के आवंटन से स्तरीकरण का जन्म होता है।<sup>3</sup>

**लिंग:-** विभिन्न लिंगों के बीच संबंधों के सामाजिक पक्ष के संदर्भ में जेंडर एक ऐसी अवधारणा है जो जैवकीय यौन भेद से अलग की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में, सामाजिक विज्ञानों में लिंग के सामाजिक पक्ष को उसके जैवकीय पक्ष से अलग कर जेंडर के रूप में उसे समझने और अध्ययन करने की एक नई शुरुआत हुई है। किंतु आजकल जेंडर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु प्रतीकात्मक स्तर पर इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदर्शों तथा पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं तथा संरचनात्मक अर्थों में, संस्थाओं और संगठनों में लैंगिक श्रम- विभाजन के रूप में भी किया जाता है।

सन 1970 के आसपास लिंग- भेद के अध्ययन में समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक रुझान पैदा हुआ विभिन्न समाजों में लैंगिक संबंधों के भिन्न रूप-स्वरूप हैं-ऐतिहासिक काल, प्रजातिक और जातीय समूहों, सामाजिक वर्ग और पीढ़ियों में लिंग भेद से संबंधित एक सर्वाधिक समान विशेषता हमें लिंग-असमानता में देखने को मिलती है और यह विशेषता लगभग एक सार्वभौमिक विशेषता है। सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में लिंग-भेद की रचना और अभिव्यक्ति की जाती है। यह संस्कृति, विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक ही सीमित नहीं है। घर में लैंगिक श्रम-विभाजन से लेकर श्रम- बाजार तक, राज्य की व्यवस्था में, काम भावना में, हिंसा की रचना में और सामाजिक संगठन के कई पक्षों में लैंगिक संबंधों की रचना होती है।<sup>4</sup>

सामाजिक स्तरीकरण का लिंग पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि नारीवाद के संबंध में कई सिद्धांत उभर कर आए हैं जिनमें प्रमुख तीन हैं अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उदारवादी नारीवाद। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत ये हैं, जैसे रूढ़िवाद, काली महिलाओं के विचार, उत्तर आधुनिकतावाद, द्वि-व्यवस्था सिद्धांत, आर्थिक महिलावाद और भौतिकवादी महिलावाद।

बर्जर तथा बर्जर का मानना था कि सामाजिक स्तरीकरण से समाज में व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न पहचान होती है जो सामाजिक वर्गीकरण के सिद्धांत पर उस समाज में टीका होता है। सामाजिक स्तरीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बंटे होते हैं उन्हें स्तर कहते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि जब हम जाती, वर्ग तथा सामाजिक स्तरीकरण की बात सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन समूहों का ध्यान आता है सामाजिक स्तरीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया है व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बाटे होते हैं उन्हें अस्तर कहते हैं जिसके सदस्य समाज में अपना एक स्थान रखते हैं। उसके आधार पर उन्हें कुछ प्रतिष्ठा मिली होती है। इसी आधार पर एक समूह की स्थिति दूसरे समूह से वैधानिक दृष्टि से अलग मानी जाती है वह सामाजिक स्तरीकरण का आधार बन जाती है। जब हम वर्ग पर आधारित समाज की बात करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वर्ग- विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह कहा जाता है कि जनजातीय समाज में कोई वर्ग नहीं होता। उनका सामाजिक संगठन, उम्र, लिंग तथा नातेदारी पर आधारित होता है परंतु वह समाज भी जब जटिल हो जाता है और कुछ लोग संपत्ति अधिक कमाकर अपना स्थान ऊंचा बना लेते हैं तो उसे समाज में भी स्तरीकरण की प्रणाली दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए टाम वाटमोर का कहना था समाज में वर्ग तथा श्रेणी का बटवारा सत्ता और प्रतिष्ठा के आधार पर क्रमबद्ध स्वरूप किसी भी समाज की सार्वभौमिक कारण है जिसने सभी सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है।<sup>5</sup>

जहां कहीं भी निम्न जातियों द्वारा आर्थिक रूप से उच्चोन्मुख्य गतिशीलता की संभावना रहती है जैसा की बेली द्वारा अध्ययन किये गए बीसीपारा गांव में बोड व गंजम शराब बनाने वालों के मामले में है, आर्थिक परिवर्तन, शक्ति के संतुलन में परिवर्तनों का अग्रदूत बन जाता है। यह दो अछूत जातियां शराब के व्यापार में पर्याप्त धन कमा सकीं, ताकि वे गांव में भूमि खरीद सकें जिस पर कि पहले बीसीपारा की प्रभु जाति, योद्धा जाती का एकाधिकार था। फलस्वरूप, सामाजिक स्तरीकरण की पारंपरिक व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमान भिन्न है। श्रीपुरम गांव में पारंपरिक भूपति समूहों द्वारा अपनी भूमि को किसी विशाल मात्रा में खोए बिना गांव की शक्ति संरचना में परिवर्तन हुआ है। बेते कहते हैं:

यद्यपि वर्गों के मध्य संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन ने शक्ति के वितरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समान गति नहीं बनाये रखी है। भूमि किराए पर देने वाले पुराने वर्ग से किसानों के उदीयमान वर्ग तथा मालिक-काशतकारों में बहुत छोटे स्तर पर भू-स्वामित्व बदला है। दूसरी ओर गांव के पारंपरिक अभिजन से शक्ति अधिक निर्णायक रूप से नए लोकप्रिय नेताओं के हाथों में आ गई है।

परंपरागत व्यवस्था में जाति एवं वर्ग के मध्य न केवल अत्यधिक तारतम्य था, अपितु आज की तुलना में यह दोनों शक्ति संरचना के साथ अधिक तारतम्यता में थे। अतीत में शक्तिशाली परिवार बड़े भूपति परिवार थे। इनमें मुख्यतया ब्राह्मण परिवार तथा गैर- ब्राह्मण परिवारों में, मराठा परिवार थे। अतीत की भांति आज राजनैतिक शक्ति चाहे गांव के भीतर या बाहर भू-स्वामित्व से घनिष्ठ से जुड़ी हुई नहीं है। शक्ति के नए आधार भरे हैं जो की कुछ हद तक, जाति एवं वर्ग दोनों से स्वतंत्र हैं। शायद इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संख्यात्मक समर्थन की ताकत है।

इस तथ्य के बावजूद कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन व्यापक नहीं हुए हैं, इस व्यवस्था में सीमांत परिवर्तन प्रायः होते रहे हैं। यह विशेष रूप से व्यावसायिक विविधीकरण, नगरीय क्षेत्रों तथा कस्बों की ओर प्रव्रजन, कृषि के तार्किकीकरण के संदर्भ में है। दक्षिण भारत में दो गांवों के ऐपस्टाइन का अध्ययन वाह्य पर्यावरण के तनावों के परिणाम के रूप में आर्थिक विविधीकरण का उदाहरण पेश करता है। चानुखेड़ा में हमने ऐसे अनेक मामले पाए जिसमें परंपरागत सेवक जातियों ने चाय की स्टालें खोल ली है, सुनार किराने की दुकान चलाते हैं और अछूत श्रमिक निर्माण कार्य, ईट के भट्टों व फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो भारत में अधिकांश गांवों में जातियों और वर्गों के अभिकेंद्रीय विश्व दर्शन में, परिवर्तन आया है। शिक्षा, प्रस्थिति गतिशीलता तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय शक्ति संरचनाओं में सहभागिता हेतु अभिप्रेरणा बढ़ रही है। इस परिवर्तन का अधिकांश भाग समकालीन राजनैतिक सुधारों के माध्यम से गांवों में राजनैतिकीकरण के परिणामस्वरूप आया है। यह सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा भी अभिप्रेरित हुआ है जो की अब भारत में लगभग सभी गांवों में चल रही हैं।<sup>6</sup>

गतिशीलता सामाजिक स्तरण का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए की जब समाज में स्तरण नहीं होगा तो गतिशीलता की कोई बात नहीं होगी। गतिशीलता का अध्ययन हमेशा स्तरण की पृष्ठभूमि में ही किया जाता है। स्तरण यदि एक ग्राफ पेपर की तरह है, तो गतिशीलता उसे ग्राफ पर ऊपर- नीचे और दाएं-बाएं खिसकने वाला एक किस्म का रेखाचित्र है। लेस्ली का कहना है कि “कुछ रूपों में यह स्तरण का विरोधी भी है।” जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है या जाने की कोशिश करता है तो वह अपनी परंपरागत स्थिति के बारे में नापसंदगी का भाव रखता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश होती है कि वह समान स्तर पर खड़ा रहे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो असमानता या विषमता की स्थिति को हृदय से पसंद करता हो।<sup>7</sup>

**परिवार:-** मैकाइवर और पेज ने कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री-पुरुष के यौन-संबंध पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन-क्रिया और बच्चों के पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था होती है।<sup>8</sup>

इसी तथ्य को कांकलीन ने बहुत ही सरल और संक्षिप्त ढंग से कहा है कि “परिवार कम-से-कम दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित संबंध है, जो जन्म, विवाह या दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया से जुड़ा होता है।”<sup>9</sup>

आधुनिकोत्तर समाज की अपनी परेशानियां है, जो विभिन्न रूपों में समाज में प्रकट हो रही हैं। पाश्चात्य देशों का इन समस्याओं से निकलना इतना आसान नहीं है। परंतु यह भविष्यवाणी करना काफी कठिन है कि पाश्चात्य देशों में परिवारविहीन समाज कब स्थापित होगा ?

मार्क्स एवं उनके अनुयायियों ने परिवार के भविष्य पर संदेह व्यक्त किया है, लेकिन उनके संदेह का कारण ऊपर चर्चित कारणों से भिन्न है। मार्क्स एवं एंगल्स ने यह दलील दी है कि परिवार पूंजीवादी समाज की विशेषता है। पूंजीवादी समाज के अंतर्गत परिवार जैसी संस्था के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है। इस व्यवस्था में लोग महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखते हैं। बच्चों और महिलाओं का उत्पादन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकेगा, तो परिवार भी समाप्त हो जायेगा। प्रकार्यवादियों की तरह मार्क्सवादी चिंतक यह कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि परिवार सहज और सरल ढंग से एक संस्था के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाता है। खैर जो भी हो,

इस तथ्य पर एक सवालिया या निशान खड़ा होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद साम्यवादी व्यवस्था में परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि यह पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण का उपकरण है।<sup>10</sup>

लिंग के आधार पर हम स्त्री- पुरुष के बीच विभेद करते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में प्रायः निम्न है। जितनी स्वतंत्रता या सुविधाएं पुरुषों को प्राप्त हैं, उतनी स्त्रियों को उपलब्ध नहीं है या जो प्रतिष्ठा परिवार के मुखिया को प्राप्त है, वही परिवार की गृहस्वामिनी को नहीं है। यह असमानता परिवार के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। यदि परिवार मातृसत्तात्मक है, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक अधिकार प्राप्त होता है।<sup>11</sup>

स्तरण से जहां कुछ लोगों के जीवन में आशा के दीप जलते हैं वहीं अधिकांश लोगों को निराशा और परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। समाज में उच्च और मध्यवर्ग के लोगों के लिए स्तरण की व्यवस्था लाभकारी तो है, पर निम्न श्रेणी के लोगों के लिए, जिनकी संख्या हर एक समाज में सबसे अधिक होती है, स्तरण की व्यवस्था निश्चित रूप से दुष्प्रकार्यात्मक ही साबित होती है। किंगज्जी डेविस एवं विलबर्ट मोर जैसे समाजशास्त्रियों ने स्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के माध्यम से स्तरण के दुष्प्रकार्यात्मक पहलू को छिपाने का एक षड्यंत्र किया है। असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कभी भी शांतिमय एवं स्वस्थ नहीं हो सकता है। वैसे समाज में हमेशा संघर्ष और शांति की स्थिति स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी।<sup>12</sup>

### निष्कर्ष:-

यद्यपि वर्ग लिंग एवं परिवार पर स्तरीकरण के प्रभाव से संबंधित शोध होते आए हैं परंतु वैश्वीकरण के दौर में परिवर्तन प्रतिदिन हो रहा है अतः आधुनिकता ने समाज में औद्योगिक एवं तकनीकी विकास से वर्ग, लिंग एवं परिवार को विभिन्न आयामों पर प्रभावित किया है जिससे हमारी वर्ग, लिंग एवं परिवार संबंधी सामाजिक व्यवस्था जो समाज के संरचना में महत्वपूर्ण सहयोग करती है जिसके बिना समाज निर्माण का कार्य अधूरा है, परंतु पूंजीवादियों ने स्तरीकरण को श्रम विभाजन के आधार पर विभाजित करके इसमें नई चुनौतियों को जन्म दिया है जिससे मेरा भारतीय परिवार जो कभी संस्कृति सभ्यता का उदाहरण होता था उसमें अब लिव इन रिलेशनशिप जैसी अवधारणा का अभ्युदय हो गया है और वर्ग, लिंग संबंधी प्रतिमानों को बहुत सारी कोटियों के स्तर पर नामकरण किया जाने लगा है। इस प्रकार स्तरीकरण ने वर्ग, लिंग एवं परिवार को पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया है।

### संदर्भ:

1. सिंह वि.एन एवं सिंह जन्मेजय, प्रकाशक: विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली 7, ग्रामीण समाजशास्त्र, 2007 पृष्ठ संख्या 150-151.
2. जयराम, एन., इंटरडॉक्टरी सोशियोलॉजी मैकमिलन इंडिया लिमिटेड दिल्ली, 1987, पृष्ठ संख्या 22.
3. सचदेव, डी.आर. एवं विद्याभूषण, प्रकाशक किताब महल, 22-ए, सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 2008, पृष्ठ संख्या 350-351.
4. हरिकृष्ण रावत: रावत प्रकाशन, जवाहर नगर, जयपुर, 2009, पृष्ठ संख्या 146-147.
5. hi.m.wikipedia.org
6. सिंह, योगेंद्र: भारती परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2014, पृष्ठ संख्या 315-316.
7. सिंह, जे.पी. : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, प्रकाशक: पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली- 2010, पृष्ठ संख्या 111.
8. R.M.Maclver and Charles H.Page, Society: An Introductory Analysis, Macmillan India Limited, New Delhi, 1985, P. 238.
9. John E. Conklin, Sociology, Macmillan Publishing Co., New York, 1984, P. 249.
10. Singh, J.P.- Theory and Concept: Sociology, Publication, PHI Learning Pvt.Ltd. New Delhi, 2009, P.P.- 255-256.

# श्रृंगार रस का शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक विवेचन

डॉ. नम्रता निश्चल त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर. हिन्दी विभाग, दाउ दयाल महिला पी.जी.कॉलेज फिरोजाबाद

भारतीय काव्य चिंतन में रस की महत्ता सर्वश्रेष्ठ है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस का उल्लेख प्राचीन वाङ्मय में उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के छठे एवं सातवें अध्याय में रस का विवेचन किया, उन्होंने रस के अवयव, रस की प्रक्रिया, रस संख्या, रस के अधिकारी, रस के वर्ण एवं रस का स्वरूप आदि की चर्चा नाट्यशास्त्र में की है इसलिए भरत को रस संप्रदाय का पुरस्कर्ता एवं आचार्य भी कहा गया है। भामह, दण्डी, उद्भट्ट इत्यादि अलंकार वादी आचार्यों ने रस को समुचित स्थान दिया है। रस वास्तव में काव्य की आत्मा है। श्रृंगार शब्द की व्युत्पत्ति श्रृंग तथा आर शब्द से हुई है अर्थात् श्रृंग का तात्पर्य है कामोद्रेक और कामोद्रेक की उत्पत्ति का कारण ही श्रृंगार कहलाता है। साहित्य दर्पण कार ने काम के अंकुरण को श्रृंग कहा है। काम मानव जीवन की मूल भावना है जिसके अंतर्गत वासना का परिगणन है नर - नारी का परस्पर आकर्षण। वात्स्यायन ने काम को मानव की भावनाओं का मूल कहा है। परिगणन ने काम को सारे जीवन व्यापनों की एकमात्र प्रेरणा माना है और युग ने काम को शक्ति अर्थात् लिबिडो कहा है।

भारतीय मनीषी जीवन विवेकी होने के कारण आचार्य विज्ञान से भली भाँति परिचित रहा है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने की एक कला है तथा जिससे जीवन जीने योग्य बनता है। जगत के प्रत्येक पदार्थ के सामने पहुंचकर उसकी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जो उसे विशेष रूप प्रदान करती है तथा अन्य युगों के सजातीय पदार्थों से उन्हें भिन्न रखती है। उस युग की चेतना के अनुसार श्रृंगार की आचरोत्पन्नता उसका एक गौरवशाली स्वरूप है। श्रृंग प्राधान्यम यति 'श्रृंगार की यह नियुक्ति उस युग की चेतना के अनुरूप ठहरती है। अमर सिंह श्रृंग का अर्थ प्राधान्य उच्च शिखर या कूट बताते हैं। मेदिनिकोश में भी श्रृंगी के नाना अर्थों में उसका शिखर और उत्कर्ष मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि श्रृंगार रस की अनुभूति के क्षण में व्यक्ति जीवन की एक उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित रहता है क्योंकि यह शब्द जीवन के साथ जुड़ा है। श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति की ओर संकेत करते हुए साहित्य दर्पण कार विश्वनाथ ने कहा है कि इसके आदि में जुड़े हुए श्रृंग शब्द का अर्थ मनमथोदभेद होता है श्रृंग ही मनमथोदभेद'। मनमथ कामदेव का एक नाम है जिस कारण कहा जा सकता है कि यह श्रृंग कामवासना की प्रवृत्ति का भी वाचक होगा और उद्भेद का अर्थ अंकुरित होने अथवा उद्रेक होने से होगा। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी काम शब्दों का सामान्य अर्थ आत्मा से युक्त मन द्वारा कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा एवं प्राण का अपने-अपने विषय के अनुकूल प्रवृत्ति होना ही बतलाया गया है।<sup>12</sup>

संस्कृत के काव्याचार्य ने श्रृंगार को प्रमुख मानकर इसे रस राजत्व प्रदान किया है। देव के अनुसार श्रृंगार समस्त रसों का सार है 'रसनी सार सिंगार रस प्रेम सार सिंगार' लक्षणा के आधार पर श्रृंगार का अर्थ होता है कि यह अनुभूति का सर्वोच्च शिखर अनुभूति का श्रृंग है अर्थात् श्रृंगार का तात्पर्य है कामोदर एक और कामोद्रेक की उत्पत्ति का कारण ही श्रृंगार कहलाता है। मानव हृदय की भावना के मूल में प्रेम अथवा रति का महत्वपूर्ण स्थान है जिसका समाहार श्रृंगार के अंतर्गत होता है। नव रसों में श्रृंगार प्रधान है जो अपनी कमनीयता के कारण ही सभी रसों में प्रमुख है -

**नव रस सब संसार में नवरस में संसार।**

**नव रस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार।<sup>13</sup>**

श्रृंगार रस का उदय मानव में आदि सृष्टि से ही हुआ है। शारदा तनय ने अपने भाव प्रकाशन में कहा है कि भावों में जो उत्तम या श्रेष्ठ है उसे श्रृंग कहते हैं और स हृदय को उस उत्तम दशा तक पहुंचाने वाला श्रृंगार ही होता है।<sup>14</sup> श्रृंगार को आचार्यों ने सर्वोत्कृष्ट रस के रूप में मान्यता प्रदान की है। श्रृंगार का मूल रति विश्व व्यापक तत्व है जिसकी अनुभूति से सृष्टि के संपूर्ण स्थावर जंगम अनुप्राणित है। भरत मुनि यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ लोक में पवित्र, उज्ज्वल और दर्शनीय है वह श्रृंगार से ही उपमित होने योग्य है।<sup>15</sup> इसके अभाव में काव्य रसहीन रहता है। आनंद वर्धन श्रृंगार को सर्वाधिक मधुर और प्रह्लादन मानते हैं।<sup>16</sup> भोज तो श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, हास्य आदि रसों के स्थान पर रस की संज्ञा केवल श्रृंगार को देते हैं।<sup>17</sup> श्रृंगार रस मूल रस है इसकी तुलना उस अष्टदल कमल से की जाती है जिसकी सभी पंखुड़ियां कर्णिका से संबंध रखती है और

अपने जीवन के लिए उसी से रसग्रहण करती है। शृंगार रस में कामवासना, प्रेम और सौंदर्य इन तीनों तत्वों का सन्निवेश रहता है और इनमें से प्रत्येक का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है संसार के समस्त प्राणी सौंदर्य प्रिय होते हैं, सौंदर्य अनुभूति मानव जीवन की निधि है। शृंगार रस के जितने संचारी भाव हैं उतने अन्य रसों में किसी के नहीं हैं। इन्हीं दृष्टियों से साहित्य शिल्पियों ने शृंगार रस को रसरज माना है।

नाट्यशास्त्र के दस रूपक प्रकरण में संवाकर के प्रसंग में भरत ने शृंगार के संयोग और वियोग दो प्रचलित भेद के अतिरिक्त तीन प्रचलित भेद और किए हैं जो धर्म शृंगार, अर्थ शृंगार और काम शृंगार हैं।<sup>9</sup> जब मनुष्य अपनी इच्छा को मूल में रखकर धर्म, अर्थ काम इन पुरुषार्थों को पाने के लिए प्रयत्न करता है तब उक्त तीनों प्रकार के शृंगार प्रकाश में आते हैं जिस काम का हेतु धर्म हो और फल भी धर्म हो वह धर्म शृंगार कहलाता है इसमें व्रत, नियम तप का अनुष्ठान अभीष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है।<sup>9</sup>

भरत में शृंगार की शारीरिक और ऐंद्रिय स्तर पर उद्दाम अभिव्यक्ति की जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी उसे उन्होंने उज्ज्वल और ठोस भाव भी में प्रदान करके लौकिक स्थूलता से मुक्ति दिलाई और यह प्रमाणित भी किया कि काम रस ही शृंगार रस नहीं है, शृंगार रस के मूल में काम आवश्यक है किंतु रस दशा तक पहुंचते पहुंचते उसका इतना उन्नयन एवं रूपांतरण हो जाता है कि उसकी समस्त स्थूल चेतना तथा जीवन को विकृत तथा कुंठित करने वाली समस्त प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं फिर वह मध्य, उज्ज्वल और शुचि रूप में अभिव्यक्त होकर जीवन की दिव्य ज्योति को प्रस्तुत करता है।

रस विशेषतः शृंगार का विवेचन साहित्य शास्त्र के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है लोक में जो स्थिति शृंगार की है वही स्थिति अध्यात्म में भक्ति रस की है। रस का ही दूसरा नाम आनंद है जिसकी रसभेद से विषयानंद, रसानन्द और ब्रह्मानंद आदि कई श्रेणियां देखी जाती हैं इनमें विषयानंद व्यक्तिगत एवं लौकिक होता है रसानंद सार्वजनिक और अलौकिक होते हुए भी अनित्य एवं नियति नियम रहित होने के कारण कृत्रिम रहता है जबकि ब्रह्मानंद रस रूप ब्रह्म के आस्वाद के कारण ब्रह्मा को अंग भूत जीव के लिए सहज एवं नित्य होता है। रस सिद्धांत आनंद।त्मक है यह आनंद केवल विभावादि संयोग का परिणाम नहीं है। आनंद तो मूलतः विश्व में प्रतिष्ठित है साहित्य के रस में आनंद की प्रतिष्ठा करने वाले मुख्यतः तीन दर्शन है- कश्मीर के अद्वैत मूलक शैव दर्शन, अद्वैत वेदांत और सांख्य दर्शन। शैव दर्शन के अनुसार आत्मा चेतन और आनंद मय है।<sup>10</sup> समस्त विश्व प्रपंच आनंद का विस्तार है वह जगत के समस्त पदार्थों में आनंदमय है इसी को चैतन्य परासंवित अनुस्युत परमेश्वर और परम शिव कहते हैं। यह नाना रूपात्मक जगत शिव का स्मरण मात्र है जो स्वेच्छा से विश्व का उन्मूलन करता है।

वेदांत दर्शन के अनुसार समस्त भूत आनंद से उत्पन्न होते हैं, आनंद में जीवित रहते हैं और आनंद में ही समाहित हो जाते हैं। आनंद ही ब्रह्म है।<sup>11</sup>, आनंद व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है जो पांच कोषों से आवृत है। व्यक्ति अपनी साधना से उक्त कोषों को बेधता हुआ आनंद तक पहुंचता है और जगत में उसकी व्याप्ति के तत्व का हृदयंगम करता है। वेदांत में ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानन्द ये आनंद के तीन भेद किए गए हैं और ब्रह्मानंद को सभी आनंद का मूल बताया गया है। ब्रह्म सब का मूल है, और वही रस है उसे पाकर ही प्राणी आनंदी होता है।

सांख्य दर्शन की विशेषता है जिसमें प्रकृति और पुरुष दो नित्य और भिन्न तत्व हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है उसमें सत्व, रजस् और तमस गुण सुख, दुख और मोह के कारण है जो कभी राजस व कभी तामस हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रभाव से व्यक्ति को कलात्मक दृष्टि मिलती है जो न प्राकृतिक है न आध्यात्मिक क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि सुख दुखात्मक है और आध्यात्मिक दृष्टि सुख-दुख विहीन। कलात्मक दृष्टि विशुद्ध आनंद की जननी है इसके सत्व के उद्रेक से आनंदात्मिका समवित दशा को प्राप्त होती है जिसकी प्राप्त कला दृष्टि के कारण साधक प्राकृतिक जगत से पलायन करके कला के कल्पना जगत में पहुंचकर सुख पाता है।

अतः कहा जा सकता है कि शृंगार के मूल में विद्यमान काम और प्रेम तत्व शृंगार को जीवन के व्यापक धरातल पर रहने वाला प्राणी भी बच नहीं पाता। यदि उसे इसका भौतिक स्वरूप रुचिकर ना होगा तो वह इसके मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप की शरण ग्रहण करेगा यह भाव मानव जीवन के पाथेय है। यही कारण है कि शृंगार अन्य रसों की तुलना में महत्वपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट है फलतः इन्हीं दृष्टियों से साहित्य शिल्पियों ने शृंगार रस को रसरज माना है।



**सन्दर्भ - ग्रंथ**

1. विश्वनाथ- साहित्य दर्पण 3 / 188
2. वात्सायन - कामसूत्र अधिकरण 1 अध्याय 2 सूत्र 11
3. देव - शब्द रसायन पृष्ठ 84
4. शारदा तनय- भाव प्रकाशन अधिकरण 2 पृष्ठ 4
5. भरत-नाट्य

## पर्यावरणीय चिंतन और पंत का काव्य

डॉ. मोहम्मद काशिफ नईम

सहायक प्रोफेसर

हिन्दी विभाग, गांधी फैज़-ए-आम कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश

संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की अप्रतिम रचना है, इस रचना में पर्यावरण एक अमूल्य निधि के समान हमारे सामने खड़ा है, हजारों वर्षों की ऋषियों और तपस्वियों की साधना का परिणाम ही इस पर्यावरण की उत्पत्ति का सूत्रधार है। सृष्टि की उत्पत्ति पर यदि विचार दृष्टिगोचर करें तो जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' इस विचार से एक अप्रतिम रचना है, जिसका प्रारंभ ही सृष्टि के सृजन से होता है और पर्यावरण का जीवंत उदाहरण 'कामायनी' में जगह-जगह मिल जायेगे। छायावाद में पर्यावरणीय चिंतन पर अनेकों कविताओं ने पर्यावरण चिंतन को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। हिमालय से लेकर कैलाश पर्वत तक अप्रतिम चट्टन का चित्र छायावाद में जगह-जगह मिल जाएंगे जिसका वर्णन 'पंत' अपनी रचना में करते हैं। "पंत मनुष्य से कम प्यार नहीं करते किंतु उससे भी अधिक प्यार वह प्रकृति से करते थे स्वयं पंत जी ने 'मेरा रचना काल' लेख में प्रकृति के प्रति अनेक मुग्ध कुतूहल की स्वीकृति दी है।"<sup>1</sup>

'पंत' जी अपने काव्य में प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न रूपों का सोपान तो करते हैं किंतु इन काव्य रूपों में प्रकृति और पर्यावरण की ओर अपना ध्यान उन्मुख करना उन्हें आधुनिक काल के विभिन्न कवियों से अलग करता है। जहां नगेंद्र ने छायावाद को "स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह"<sup>2</sup> कहकर परिभाषित किया वहीं पंत प्रकृति और पर्यावरण के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को व्याख्यात करके एक नए आयाम को स्थापित करते हैं।

आज वर्तमान समय में प्रकृति और पर्यावरण एक ज्वलंत प्रश्न बनकर पूरे विश्व के सामने एक विकराल रूप धारण करके खड़ा है, समूचा विश्व पर्यावरण और इस प्रकृति के हास को बचाने में लगा हुआ है नित नए वैज्ञानिक प्रयोगों से इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है इस पर निरंतर सम्मेलन बैठके, संगोष्ठियां और प्रयोग हो रहे हैं किंतु पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व के विभिन्न देश इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कार्बन उत्सर्जन गैसों का बढ़ना पृथ्वी का तापमान बढ़ता वायुमंडल में हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैसों का बढ़ता ही आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है।

प्रतिद्वंद्विता के बढ़ते इस युग में जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से वायुमंडल के स्वरूप और परिवर्तित कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब यह पृथ्वी धीरे-धीरे एक आंख के गले में बदल जाएगी इसमें सबसे अधिक हास इस मानवता का होगा। हमें विश्व के उन लोगों के विषय में सोचा होगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको अपने जीवन को बचाने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। किंतु हमें पहले पर्यावरण और प्रकृति के लिए हानिकारक कारकों पर भी विचार कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ-साथ साहित्य के माध्यम से पर्यावरण को सुधारण बनाने में क्या किया जा सकता है यह एक विचारशील बिंदु है ?

विश्व में आज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांति हुई है यह अपने आप में गर्व का विषय है आज वर्तमान युग में पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन नई-नई कर बस स्कूटर मोटरसाइकिल का बाजार में आना जहां रसों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है वही इन गाड़ियों में प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों की खपत दिन प्रतिदिन दूनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में एक बड़ा कारक है अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो इस पेट्रोलियम पदार्थों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। जबकि बाजार में अब बैटरी चलित वाहन आने प्रारंभ हो गए हैं किंतु इसका प्रति पेट्रोलियम चरित्र वाहनों की अपेक्षा पांच प्रतिशत है क्योंकि पूरे विश्व में लिथियम आयन तत्व बहुत कम मात्रा में है जिसका प्रयोग बैटरी से चलने वाले वाहनों में प्रयोग किया जाता है, इस लिथियम आयन की क्षमता को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से पूरे विश्व में इसको बढ़ाना होगा तभी हम पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को सुद्धरण बना सकते हैं।

पृथ्वी का तापमान आज निरंतर दिनों दृदिन बढ़ता जा रहा है समूचे विश्व में हर वर्ष 4 से 5 डिग्री तापमान में वृद्धि हो रही है। जिससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ और जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम कैसे इन ग्लेशियरों को पिघलने से बचा सकते हैं तभी पर्यावरण को रक्षित किया जा सकता है। अन्य कारकों में आज जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है यह भी एक चिंतनीय विषय है आज जिस प्रकार से नए-नए भवन ,अपार्टमेंट बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है उसमें प्रयोग होने वाली लकड़ी के लिए अंधाधुंध लकड़ी का कटान हो रहा है। जिससे वन संपदा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है चोरी छिपे व्यापार में लगे लोग यह नहीं सोच रहे हैं कि वह मानवता के लिए क्या कठिनाई पैदा कर रहे हैं, अगर जंगलों का कटान निरंतर इसी प्रकार से होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति में फैले वन्य जीवों को बचाना मुश्किल हो जाएगा और इसके बाद का समय मनुष्य का क्या होगा इन जंगलों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु के समय जंगलों में लगने वाली आज पर्यावरण के ताप को और बढ़ा रही है। शेरों को जोड़ने के लिए जिन आधुनिक सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तो किनारे लगे हुए वृक्षों का कटान भी चिंता का विषय है।

यदि हमें इस पर्यावरण को बचाना है तो कटे हुए जंगलों के स्थान पर दोगुनी पेड़ लगाने होंगे नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य ऑक्सीजन गैस भी खरीद कर रखनी होगी इसका परिणाम हम कोरोना जैसी महामारी के समय में देख सकते हैं इसलिए समूचे विश्व के रसों में अपने नागरिकों को जागरूक करना होगा कि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाने होंगे तभी हमारी प्रकृति बच सकती है और इस पर्यावरण में हम खुलकर सांस ले सकते हैं।

इस समूचे विश्व को कैसे पर्यावरणीय प्रदूषण से कैसे बचाया जाए? इस प्रश्न को सुलझाने में साहित्य हमारी सहायता कर सकता है हमें लोगों को पर्यावरण के प्रति साहित्यिक रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रकृति के सुकुमार कवि 'पंत' के साहित्य का सहारा लिया जा सकता है। इस सुकुमारता के पीछे का कारण हमें जानना होगा और 'पंत' के प्रकृति प्रेमी होने का कारण और पर्यावरण और प्रकृति की सुंदर छटा को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करना होगा।

संसार के सभी मनुष्यों के लिए पर्यावरण और प्रकृति के नाना रूपों की छवि अंकित करना। जिससे संसार था साधारण व्यक्ति इस पर्यावरण और प्रकृति से प्रेम करने लगे इसमें पथ का काव्य एक अविस्मरणीय भूमिका निभा सकता है। अब हमारे मन में यह कुतूहल होता है कि पंत को प्रकृति और पर्यावरण इतना प्रिया क्यों है क्योंकि पंत की कविताओं का प्रथम विषय ही प्रकृति है और गाँड विषय मानव है। जो जो उनकी कविता—

**“छोड़ दुर्मो की मधु छाया।**

**तोड़ प्रकृति से भी माया।**

**वाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन”<sup>3</sup>**

इस कविता में प्रकृति की अनूठी छटा के दर्शन होते हैं किंतु विषय है कि पंत ने प्रकृति को ही क्यों अपनी कविता का विषय बनाया है पंत जी युग से आते हैं उसे युग का प्रारंभ ही प्रकृति की कविता से होता है कामायनी छायावाद का महाकाव्य है और इसकी प्रथम रचना में भी प्रकृति का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है।

**“हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर,**

**बैठ शिला की शीतल छाह**

**एक पुरुष, भीगे में नयनौ से,**

**देख रहा था प्रबल प्रवाह!”<sup>4</sup>**

मनु और श्रद्धा तो स्वयं प्रकृति की वह अमूल्य निधि है जिसे छायावाद में चित्रित किया गया है और इसी कार्य को पंत जी ने आगे बढ़ाया। प्रकृति के चित्रण को पंत जी ने जिस प्रकार से आत्मसात किया इसके पीछे के कारण को जाने बिना पथ का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण अधूरा है। पंत ने जिस प्रकृति को अपने काव्य की जननी कहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है की पंत को माता का सानिध्य कुछ क्षणों के लिए ही प्राप्त हुआ। बाल अवस्था का समय बिन मां की पूर्णता

को पूरा करने की खोज में प्रकृति को अपने जीवन की मां बना डाला और उनकी कविता का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया।

“मां से बढ़कर धात्री, तू बचपन में मेरे हित।  
धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनक वन पोषण।  
मात्रहीन बालक के सिर पर वरद हस्तधर गोपन”<sup>5</sup>

पंत ने प्रकृति का संवेदनात्मक रूप में भी वर्णन किया है सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और इसका चित्रण उनकी मिलन कविता में प्रकृति के प्रथम रूप का चित्रण तो परिवर्तन में शोक, विषाद आदि दूसरे रूप का चित्रण है विश्व की अविरलता देखकर वायु आहा भर रही है और तारे शहर रहे हैं इसका रूप दृष्टव्य है।।

“खोलता इधर जन्म लोचनदृमूंदती मृत्यु छण दृछण,  
अभी उत्सव और हासहुलास, अभी अवसाद, अश्रु, उच्चवास  
अचिरता देख जगत की आप शून्य भरत समीर निश्वास,  
डालता पातों पर चुपचाप, उसके आप एम नीलाकाश  
शिक्षक उठना समुद्र का मन, सिहर उठते उदगन।”<sup>6</sup>

पंत ने प्रकृति का मानकीकरण भी किया है छायावादी कवियों की यह विशेषता रही है कि पर्यावरण और प्रकृति एक सचेतन प्राणी के रूप में चित्रित करने का प्रयास पंत ने किया उसने मानकीकरण के रूपों और क्रियो का वर्णन प्रकृति को चेतन बनाने में किया निर्गुण को सकार, अरुण को सुरुप, बनाकर प्रस्तुत किया है छाया बादल, मधुकरी, निर्झरी, संध्या, नौका बिहार, चांदनी और जुगनू आदि कविताओं में पंत ने प्रकृति को मानवीय भावनाओं और चेष्टाओं तथा व्यापारों से ओतप्रोत करके सचेतन की तरह प्रस्तुत किया जिसका एक उदाहरण दृष्टव्य है—

“सुरपति के हम ही हैं अनुचर  
जगतप्राण के ही है सहचर  
मेघदूत के चिरंजीवनधर  
मुग्ध शीखी के नृत्य मनोहर  
सुभग स्वाति के मुक्ताकार  
विहग वर्ग के गर्भ विधायक  
कृषक बालिका के जलधर”<sup>7</sup>

इस इस प्रकार पंत को प्रकृति और पर्यावरण का चितेरा कहना उचित है संसार में इन दोनों के बिना जीवन दुरुह है वह प्रकृति के भक्त हैं और अपने संपूर्ण काव्य साहित्य को प्रकृति की रचना में लगा देना ही अपने जीवन की इति श्री मानते हैं और आज मानव जाति के लिए एक नए मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं जो इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने में मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं।

### संदर्भ सूची

1. मेरा रचनाकाल, सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ संख्या 28
2. हिंदी साहित्य का इतिहास डॉ. नगेन्द्र, मयूर बुक्स दरियागंज नई दिल्ली 2022, पृष्ठ संख्या, 529
3. तारापथ, सुमित्रानंदन पंत, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1968, पृष्ठ सं. 58
4. कामायनी, जयशंकर प्रसाद, प्रथम संस्करण 1988, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा. लि. दिल्ली, पृष्ठ सं. 15
5. हिंदी के छायावादी कवि, रामविलास शर्मा, पृष्ठ सं. 56
6. मिलन, सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ संख्या 07
7. कृबादल, सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ संख्या, 15

# समकालीन भारत में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन

डा॰ अरविन्द कुमार उपाध्याय

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग, केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, औराई, भदोही

मोहम्मद आकिफ तौफीक

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग, केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, औराई, भदोही

## सारांश:-

राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा महज एक संकल्पना नहीं होती यह एक अभिमान और गर्व की बात होती है, जो हम सभी में एक भारतीय होने के नाते होना चाहिए और परंपराओं की जो विरासत हमारे हिस्से में आई है वह अन्य किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई है, इस विरासत को संभालना जतन करना और इस पर गर्व करना हमारा फर्ज है। भारत ने विश्व को शून्य दिया, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद जैसी बातें दी, विवाह, परिवार जैसी संकल्पनाई दी, भाषाएँ, धर्म, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, संस्कृत परंपराएं आदि सभी बातों में भारत में प्रांत और प्रदेश के अनुसार विविधता पाई जाती है लेकिन इसके बावजूद भारत जैसी एकता की मिसाल विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं पाई जाती विविधता में एकता यही भारत की पहचान है। वर्तमान भारतीय समाज में गांधी जी की आर्थिक विचारों को दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी या कम्युनिस्ट, समाजवादी, पूंजीवादी विचारधाराओं में रख पाना संभव नहीं है इसलिए गांधी जी के विचारों पर व्यापक विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करके उनका परीक्षण करके ही या पता लगाया जा सकता है कि गांधी जी के व्यावसायिक समाधानों में दूरदर्शिता है या तर्कहीनता। गांधीजी स्वदेश में ग्रामीण आत्मनिर्भरता में बड़े उद्योगों की बजाय कुटीर और छोटे उद्योगों में और उत्पादन में मशीनों की अपेक्षा श्रम के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे गांधी जी राष्ट्रवादी भावना के साथ-साथ एक उच्च मानवतावादी दृष्टिकोण भी रखते थे इसलिए उन्होंने अपने आर्थिक विचारों में श्रमिकों की समस्याओं को भी स्थान दिया था, उनका कहना था कि मजदूर अधिनियम या कानून की अभाव में पूंजीपति किस प्रकार श्रमिकों का शोषण करता है श्रमिकों के ही तो अधिकारों के संरक्षण के लिए गांधी जी ने श्रम संघों की श्रम यूनियनों की वकालत की थी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का समर्थन किया था ताकि अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और समान वेतन और समान कार्य के आधार पर उनको मजदूरी प्रदान करके एक प्रकार का सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके।

## शब्दावली:-

**बुनियादी** - मूलभूत आवश्यकताएं

**शोषण** -अपने-अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का गलत तरीके से उपयोग करना

**आत्मनिर्भर** - स्वयं कार्यक्रम एवं निर्णय लेने में सक्षम

**परंपरा**- विरासत में प्राप्त करना

**चिरस्थायी**- सदा रहने वाला

**स्वदेशी**- स्वदेशी का सिद्धांत देसी वस्तुओं और उत्पादों के प्रयोग में निहित हैं

हम सभी करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के इतिहास को पढ़ते और सुनते रहे हैं जहां इस ग्रह पर करोड़ों वर्षों से जीवन के चिरस्थायी बने रहने की आधारशिला सृजन है तो उसे अनवरत जारी रखने का स्तंभ उनकी 'ज्ञान सभ्यता और परम्परा है'। जीवों के जीवन जीने की कला और कौशल ही उनकी संस्कृति और परम्परा के नाम पर प्रचलित होती चली गई जो जीवन के प्रति उनके समझ और संचित ज्ञान का कोष है। हमारे देश भारत में आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार चरक द्वारा आयुर्वेद की खोज प्राचीनतम भाषा संस्कृत, योग, अध्यात्म आदि अनेकों सृजन है। भारतीय संस्कृत की इन रचनाओं ने विश्वपट्ट में न सिर्फ अमिट छाप अंकित की है, अपितु समस्त विश्व इन रचनाओं का पथ प्रदर्शक स्वरूप अनुकरण कर इन्हें अपने जीवन में अपना रहा है। यह गौरव की बात है, कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां की संस्कृत एवं परम्परा इतनी

प्राचीन एवं विकसित होने के साथ-साथ विभिन्नताओं से परिपूर्ण है भारतीय परम्पराये जितनी प्राचीन है, उतनी ही समृद्ध भी है और संस्कृत तथा परम्परा के नाम हमारी थाती है। संस्कृत और परम्परा नामक संचित ज्ञानरूपी कोष में स्थानानुसार भिन्नता तो पाई जाती है लेकिन यह भिन्नता भी अनूठी है और एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करती है।

महात्मा गांधी एक राष्ट्र में गाँवों को उत्पादन की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते थे। चूंकि महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक पुरुष थे तो उन्होंने अध्यात्म में जिस गाँव की संरचना देखी थी वह रामराज्य से प्रेरित थी। इसमें गाँवों को लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाता था, जहाँ शासक लोगों के हित के लिए काम करता था। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते थे, हिंसा की कोई जगह नहीं थी और जहाँ सभी धर्म और मान्यताओं का आदर किया जाता था। परंतु गांधीजी के इस विचारधारा को एक राष्ट्रवादी हिंदू मानसिकता से जोड़ना ठीक नहीं होगा। क्योंकि गांधीजी साथ ही साथ यह भी कहते थे कि “मैं उस राम में आस्था नहीं रखता हूँ जो रामायण में है, मैं उस राम में आस्था रखता हूँ जो मेरे मन में है।” महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना करते थे उस भारत में पंचायतों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया था। गांधीजी का मानना था कि भारत कुछ चंद शहरों में नहीं बल्कि अपने 7 लाख गाँवों में बसता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता निचले स्तर से आरंभ होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के ढेरों विद्वानों के लेखों में गाँवों को सुचारु रूप से चलाने की बात कही गयी है। गांधीजी ने उन्हीं विचारों को पुनर्जीवित कर भारत के लोगों के समक्ष रखा था। बापू ने नए सिद्धांतों का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने भारत की महान सभ्यता से बस पुनः अवगत कराया था।

भूमंडलीकरण के इस दौर में मानव के रहन सहन में बदलाव आया है। आज के माहौल में गांधी जी के विचार खोते जा रहे हैं और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांधीजी का कहना था कि “अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक है, अर्थात् आर्थिक प्रतिस्पर्धा में हमें अपनी नैतिकता को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियम पूर्ण सत्य हैं, परंतु आर्थिक नियम समय व स्थान के साथ बदलते रहते हैं।” गांधीजी का मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान “अहिंसा” में छिपा है। गांधीजी पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि “इस पृथ्वी पर मानव की आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, परंतु मानव की लालसा के अनुरूप संसाधन नहीं हैं।” अगर मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करें तो कोई भी इस दुनिया में भूखा नहीं मरेगा। गांधी जी उन सभी अहिंसक आजीविकाओं के समर्थन में थे जो घृणा और शोषण के विरुद्ध थे।

गांधीजी विकेंद्रीकृत उद्योगों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि औद्योगीकरण समस्त सामाजिक राक्षसों की जननी है। गांधीजी ने विकेंद्रीकृत उद्योगों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि विकेंद्रीकृत उद्योगों में शोषण ना के बराबर होगा। चूंकि भारत एक श्रमिक प्रधान देश है और उस वकत पूंजी का अभाव था तो ऐसे में श्रम धनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सिद्धांत आज के समय में प्रासंगिक नहीं लगते हैं परंतु यह उस समय की बात है जब भारत में बेरोजगारी तथा भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी। उस वकत की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों को सप्ताह में एक बार उपवास करने की सलाह दी जाती थी ताकि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही भारत में बेरोजगारी को देखते हुए उन्होंने खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही। गांधीजी का कहना था कि “खादी एक वस्त्र नहीं, खादी एक विचार है”। गांधी जी खादी को भारत की आर्थिक स्वतंत्रता तथा एकता का प्रतीक मानते थे। गांधीजी का खादी उद्योग को बढ़ावा देने के पीछे तर्क था कि खादी उद्योग भारत के सभी लोगों को रोजगार दिला सकता है तथा भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना सकता है। इसीलिए गांधी जी ने चरखा को एक उपकरण के रूप में चुना जो सस्ता, कम पूंजी पर चलने वाला तथा सभी घरों में आसानी से इस्तेमाल हो सकता था। उत्पादन के किसी औजार का ऐसा समाजवादी तसव्वुर, किसी नेता नहीं किया जैसा गांधी जी ने चरखा का किया है। गांधी जी चरखे के जरिए हर तरह के विभेद को खत्म करने की बात करते हैं। वे एक जगह लिखते हैं, “काम ऐसा होना चाहिए जिसे अपढ़ और पढ़े-लिखे, भले और बुरे, बालक और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़किया, कमजोर और ताकतवर फिर वे किसी जाति और धर्म के होकर सके। चरखा ही एक ऐसी वस्तु है, जिसमें ये सब गुण हैं। इसलिए जो कोई स्त्री या पुरुष रोज आधा घंटा चरखा कातता है, वह जन समाज की भरसक अच्छी से अच्छी सेवा करता है।” साथ

ही साथ उन्होंने 'कताई से स्वराज' का नारा भी दिया। गांधीजी का मकसद भारत के हर एक घर को उत्पादन की एक इकाई में बदलना था। इससे भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के साथ-साथ पूरी दुनिया का एक विनिर्माण केंद्र बन सकता था। गांधीजी मशीन को एक उच्चतम कोटि के पाप के रूप में देखते थे। गांधी जी का मानना था कि बड़े स्तर पर मशीनों का उपयोग भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण होगा और साथ ही साथ इससे समाज में अस्थिरता पैदा होगी, जो हम आज के वातावरण में देख भी सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी विचारों को इस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए समझने की कोशिश की जाए।

गांधीजी भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को निचले स्तर से शुरू करना चाहते थे, इसके लिए गांधीजी ने 'ग्राम सर्वोदय' का नारा भी दिया ताकि गांव अपना उद्धार खुद कर सके तथा सर्वोदय सभी के उदय की अवधारणा प्रस्तुत हो। भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन इसी विचारधारा से प्रेरित है।

महात्मा गांधी उच्च कोटि के चिंतक थे। उनके बारे में विश्वविख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्सटाइन का यह मत है कि- 'हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ऐसा प्रकाशमान समकालीन पुरुष दिया है-वह भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश-स्तंभ का काम देगा।'

महात्मा गांधी भारतवर्ष को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने माना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए उनका दृष्टिकोण था कि भारत को विकास-मार्ग पर ले जाने के लिए 'ग्राम-विकास' प्राथमिक आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया था। उनकी दृष्टि में इस अर्थव्यवस्था का आधार था- 'ग्रामीण जीवन का उत्थान'। इसीलिए, गांधीजी ने बड़े-बड़े उद्योगों को नहीं, वरन् छोटे-छोटे उद्योगों (कुटीर उद्योगों) को महत्व प्रदान किया, जैसे-चरखे द्वारा सूत कताई, खद्वर बुनाई तथा आटा पिसाई, चावल कुटाई और रस्सी बांटना आदि। 'हिन्द स्वराज: में उन्होंने विशाल उद्योगों एवं मशीनीकरण की कड़ी भर्त्सना की है। चरखे को वह भौण्डेपन का नहीं, वरन् श्रम की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझते थे। चरखे पर सूत कातने में 'चित्त की एकाग्रता' बनाने की आवश्यकता पडती है। सन् 1923 ई. में उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की भी स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य - घरेलू तथा ग्रामीण उद्योगों को उन्नत बनाना था।

गांधीजी शिक्षा से अर्थशास्त्री नहीं थे, किन्तु इस विषय में भी उनका चिन्तन क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा था कि अपनी जरूरत से अधिक संग्रह करने का अर्थ है- 'चोरी'। उनके मतानुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है- "इंसान की कमाई का मकसद केवल सांसारिक सुख पाना ही नहीं, बल्कि अपना नैतिक और आत्मिक विकास करना है।" इसीलिए उन्होंने त्यागमय उपभोग की बात का समर्थन किया था।

आर्थिक समानता और पूंजीपतियों की भोगवादी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने 'ट्रस्टीशिप' का विचार प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि पूंजीपति सामाजिक सम्पत्ति का ट्रस्टी या संरक्षक मात्र है। वस्तुतः गांधीजी का आर्थिक चिन्तन 'नैतिक आदर्शों पर स्थापित समाजवाद' या रामराज्य है। गांधीजी ने यह माना था कि हर नागरिक को अपनी आजीविका 'शारीरिक परिश्रम' के द्वारा कमाना चाहिए। उन्होंने बुद्धिजीवी के लिए भी 'शारीरिक परिश्रम' की शिक्षा दी थी। इस बात को गांधीजी ने 'रोटी का परिश्रम' कहा था।

शिक्षा के बारे में गांधीजी का दृष्टिकोण वस्तुतः व्यावसाय परक था। वे 'बुनियादी तालीम' के पक्षधर रहे थे। उनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ कुछ धनोपार्जक भी कर लेना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 'धर्म-शिक्षा-योजना' बनायी थी। शिक्षा को लाभदायक एवं अल्पव्ययी करने की दृष्टि से सन् 1936 ई. में उन्होंने भारतीय तालीम संघ की स्थापना की। गांधीजी का क्रांतिकारी चिन्तन आज भी सार्थक एवं अनुकरणीय है। उनके चिन्तन के आधार पर अनेक समस्याओं के समाधान उपस्थित किए जा सकते हैं। हमें यह बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत की आर्थिक-औद्योगिक व्यवस्था को लेकर गांधीजी का जो जीवन-दर्शन देशवासियों को उपलब्ध हुआ है, वह सदैव उपयोगी रहेगा।

गांधी को समझना आसान नहीं, विशेषतः अगर बात उनके अर्थशास्त्र की हो तो। इसका मुख्य कारण यह है कि गांधी विश्व की अपनी नैतिक समझ के कारण अपने निष्कर्षों तक पहुँचे, न कि विकास, निवेश, माँग या पूर्ति की अपनी समझ के कारण। यही वजह है कि उनके अर्थशास्त्र के विचारों को वामपंथी-दक्षिणपंथी-मध्यमार्गी या कम्यूनिस्ट-समाजवादी-पूँजीवादी विचारधाराओं में रख पाना सम्भव नहीं है। इसलिए गांधी के

विचारों पर व्यापक विषयवस्तु के संदर्भ में चर्चा करके, वर्तमान वास्तविकताओं की कसौटी पर उनका परीक्षण करके ही यह पता लगाया जा सकता है कि गाँधी के व्यावसायिक समाधानों में दूरदर्शिता है या तर्कहीनता। गाँधी स्वदेशी में, ग्रामीण आत्मनिर्भरता में, बड़े उद्योगों के बजाय कुटीर और छोटे उद्योगों में और उत्पादन में मशीनों की अपेक्षा श्रम के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे।

गांधी सम्भवतः एक सहज समाजवादी थे, समाजवाद की कठोर रूढ़िवादिता से कहीं परे। उन्होंने महसूस किया कि उदारमना पूँजीवाद ही सही जवाब होगा। “इसमें कोई संदेह नहीं कि पूँजी निर्जीव है, पर पूँजीवादी सजीव हैं और उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार किया जा सकता है।” वह मानते थे कि अमीर लोगों को समाज के भले के लिए अपनी सम्पत्ति को ट्रस्ट में रखना चाहिए। उनका कहा था, “सच्चा समाजवाद हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिनका मानना था: ‘सारी धरती गोपाल की है। दूसरे शब्दों में, एक अच्छा पूँजीवादी वह है जो अपने लाभ के पहले समाज का भला सोचता है।”

स्वदेशी उन्होंने अपने एक निबंध में लिखा, “भारत को अपने प्राथमिक उद्योगों की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि एक माँ पूरी दुनिया के खिलाफ अपने बच्चों की रक्षा करती है। “एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा, “बड़ी मात्रा में जनता की गरीबी आर्थिक और औद्योगिक परिक्षेत्र से स्वदेशी के बाहर हो जाने की वजह से है। अगर व्यापार में भारत के बाहर से एक भी सामान न लाया जाय, तो वो आज दूध और शहद से भरी हुई भूमि होगी।” गांधी का स्वदेशी अंतर्मुखी नहीं था, इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी आयात को बाहर रखने से कहीं अधिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। “जहाँ कपास उगाने से लेकर सूत कातने तक के सभी कार्य एक ही गाँव या कस्बे में किये जाते हों, वही सच्चा स्वदेशी है।”

गांधीवादी झुकाव स्वचालन और मशीनरी के प्रति उनकी घृणा से सम्बन्धित है। उन्होंने शारीरिक श्रम को उच्चकोटि का माना और अप्रचलित चरखे को गले लगाकर इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी की। चूँकि आज का डिजिटल संसार की बिना स्वचालन के कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो गांधी को एक ऐसे पुरातनपंथी व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो श्रमिकों के लिए मशीनों को तोड़ दे। उनका मानना था मशीनें इंसान के लिए होनी चाहिए न कि इंसान मशीनों के लिए वैसे कि असेम्बली लाइन में खड़े लोग करते हैं। अगर गाँधी की चलती तो फोर्ड कभी अपनी मॉडल-टी असेम्बली लाइन की स्थापना नहीं कर सकते थे। गांधी उच्च तकनीक की अपेक्षा कम-से-कम तकनीक में विश्वास करते थे। मशीन और स्वचालन पर उनके विचार थे, “मेरी मशीन सबसे आरम्भिक प्रकार की होनी चाहिए, जिसे मैं लाखों लोगों के घर में रख सकूँ।” और आगे, “मैं मशीनों के गायब होने पर रोऊँगा नहीं, या इसे कोई विपत्ति नहीं मानूँगा।

गांधीवादी अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है जिसमें “वर्ग” का कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं करता है। अर्थात् गांधीवादी अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। गाँधी जी मानते थे कि “प्रकृति हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन वह किसी के लालच को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है।”

गाँधी जी के आर्थिक विचार काफी हद तक जॉन रस्किन की किताब “UNTO THE LAST” से प्रभावित थे। यह किताब 1860 में प्रकशित हुई थी। उन्होंने इस किताब से सीखा कि एक व्यक्ति का भला “सबके भले” में निहित है। एक वकील के काम की अहमियत एक नाई के काम की कीमत से कम नहीं है क्योंकि दोनों ही अपनी आजीविका को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं।

इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का आर्थिक दर्शन देश की आर्थिक समस्याओं (गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी) तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सूचित करता है और यह बताती है कि अपने संसाधनों के बल पर इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाये चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहर या राष्ट्र, सभी में व्याप्त आर्थिक समस्याओं का समाधान उन्होंने बड़े सटीक व उचित रूप से प्रस्तुत करके एक सच्चे देश भक्त तथा मानवतावादी का परिचय दिया था। गांधी जी ने जहाँ एक तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अहम बताते हुये ग्राम स्वराज का उल्लेख किया है। जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढता प्रदान करने हेतु लघु व कुटीर जैसे उद्योगों पर दृष्टि डाली है वही दूसरी तरफ स्वदेशी शब्द का उपयोग करके एक राष्ट्रवादी भावना प्रस्तुत की है।



गांधी जी राष्ट्रवादी भावना के साथ-साथ एक उच्च मानवतावादी दृष्टिकोण भी रखते थे इसीलिये उन्होंने अपने आर्थिक विचारों में श्रमिकों की समस्याओं को भी स्थान दिया था। उनका कहना था कि मजदूर अधिनियम या कानून के अभाव में पूंजीपति किस प्रकार श्रमिकों का शोषण करता है। श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिये गांधी जी ने श्रम संघों या श्रम यूनियनों की वकालत की थी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का समर्थन किया था ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जा सके और समान वेतन व समान कार्य के आधार पर उनको मजदूरी प्रदान करके एक प्रकार का सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के आर्थिक विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो यह पता चलता है कि आज भी उनके विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सटीक व उचित साबित होते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो विकास के अंश दिखाई दे रहे हैं वे उन्हीं के विचारों की देन हैं। एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना जिसमें यह कहा गया था कि ग्राम की पाठशाला, बच्चों के लिये उचित शिक्षा की व्यवस्था, स्वच्छ घर व पानी, बिजली, सड़कें, बांध आदि होना चाहिये, सत्य सिद्ध हो रही हैं। शहरों में स्थापित बड़े-बड़े उद्योगों में श्रमिकों के कल्याण व अधिकारों के लिये श्रम संगठनों की स्थापना जिसके माध्यम से श्रमिक उद्योगपतियों से अपनी शर्तें मनवाने के लिये सफल हुये हैं, स्वदेशी, जिसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन स्वयं के द्वारा और अपने उपभोग के लिये करना चाहिये इत्यादि उन्हीं के विचारों की देन हैं। आज स्वदेशी की अवधारणा के अन्तर्गत जो मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, गांधी जी के द्वारा की गयी पहल का ही नतीजा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी गांधी जी के आर्थिक विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उचित प्रतीत हो रहे हैं।

### सन्दर्भ सूची

- 1- प्रमु, आर0के0 (संपा)(1946) : गांधी जी 'पंचायत राज', अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
- 2- दामोदरन, के0 : 'भारतीय चिन्तन परम्परा, नई दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0
- 3- अग्रवाल जी0 के0(1976) भारतीय सामाजिक संस्थाएं एस बीपीडी पब्लिशिंग आगरा ।
- 4- गुप्ता एम0एल0 तथा शर्मा, डी0 डी0(1989)सामाजिक संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन आगरा।
- 5- जोशी ओमप्रकार (डॉ.) (1974) ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र दिल्ली ।
- 6- मुखर्जी रविन्द्रनाथ, (1989) भारतीय समाज एवं संस्कृति दिल्ली ।
- 7- विद्यामातंण्ड सत्यव्रत (प्रो) भारत की जनजाति तथा संस्थाएँ देहरादून ।
- 8- सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, पंचायती राज, भारती भवन प्रकाशन, पटना, 1997

# लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन

डॉ० धर्मेन्द्र शुक्ल

प्रोफेसर,

शिक्षाशास्त्र विभाग, साँई नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

## सारांश

समस्या कथन में लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की जनसंख्या के रूप में प्रयागराज जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालयों जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध है, में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। तत्पश्चात् 10 माध्यमिक विद्यालयों (5 शहरी एवं 5 ग्रामीण विद्यालयों) का चयन लॉटरी विधि से किया गया तथा प्रत्येक विद्यालयों से 60 विद्यार्थियों (30 छात्र एवं 30 छात्राओं) का चयन किया गया है अर्थात् कुल 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। छात्र एवं छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता का मापन एवं आँकड़ों का संग्रहण करने हेतु डॉ० यशवीर सिंह एवं महेश भार्गव द्वारा निर्मित संवेगात्मक परिपक्वता स्केल का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात् उसका सांख्यिकी विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी-अनुपात विधियों का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषणोपरान्त इस अध्याय में निष्कर्ष प्राप्त हुआ जो निम्नवत् है— शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक प्रगति एवं सामाजिक समायोजन में समानता है जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों में व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है। छात्र एवं छात्राओं के सांवेगिक स्थिरता एवं सांवेगिक प्रगति में समानता है तथा छात्रों में सामाजिक समायोजन छात्राओं की तुलना में अधिक है जबकि व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता छात्राओं में छात्रों की तुलना में अधिक है।

**मुख्य शब्द—** छात्र, छात्राएँ, शहरी, ग्रामीण, माध्यमिक, सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक दमन, सामाजिक कुसमायोजन, व्यक्तित्व विघटन, नेतृत्वहीनता एवं संवेगात्मक परिपक्वता

## प्रस्तावना—

प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से सम्बन्धित है। चूँकि इस स्तर के विद्यार्थी आयु स्तर से किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था बालक के विकास क्रम में आने वाली वह अवस्था है जिसमें प्रविष्ट करने पर बालक न तो बालक रह जाता है और न प्रौढ़। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों यथा— शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आदि के समायोजन में ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन आते हैं जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था को एक नये जन्म से संज्ञापित करते हैं। इसी सन्दर्भ में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेबली हॉल ने कहा है कि— किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। अतः किशोरावस्था में केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं समस्त प्रकार की परिपक्वता पायी जाती है। किशोरावस्था संक्रमण रूप में होती है। किशोरावस्था में कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों आदि का अनुभव होने लगता है तथा माता—पिता और साथियों के प्रति उसकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। यह अवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ तीव्र विकास और पूर्णता की ओर अग्रसर की अवस्था भी कही जाती है। यह अवस्था प्रायः 13 से लेकर 20—21 वर्ष के बीच की संचालित होती है। इसलिए इस अवस्था को शारीरिक, मानसिक परिपक्वता के साथ—साथ वैधानिक परिपक्वता भी प्राप्त हो जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आसुवेल ने किशोरावस्था को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक सामाजिक संस्कृति में किशोरावस्था को व्यक्ति की जैव सामाजिक स्थिति का एक संक्रमण काल कहा जाता है। इस अवस्था में कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, विशेषाधिकारों और अन्य लोगों के साथ सम्बन्धों में

बहुत परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने माता-पिता, मित्रों और दूसरों के प्रति मनोवृत्तियों का परिवर्तन हो जाना अनिवार्य हो जाता है।

किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में परिवर्तन अपनी अस्थिरता की चरम सीमा पर होता है। जो भाव प्रधान होकर संवेगों में भी अस्थिरता पैदा करता है। जिसके कारण बालक के व्यवहार के साथ-साथ महत्वाकांक्षा और सामाजिक सम्बन्धों में भी अस्थिरता पायी जाती है। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिक जे०एस० रॉस ने कहा है कि— किशोर अत्यन्त संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है जहाँ उसके अत्यधिक उत्साह एवं गम्भीर निराशा के निरन्तर विकल्प में हम व्यवहार के धनात्मक एवं ऋणात्मक पक्षों के लिए विकल्प तलाश कर सकते हैं। किशोर के व्यवहार में कभी-कभी स्वार्थ परता दिखायी पड़ती है। उत्साहपूर्ण व्यवहार करने के बाद अचानक उदासीन हो जाना आशावादिता के प्रदर्शन के साथ ही निराशापूर्ण व्यवहार करना आदि प्रकार की अस्थिरता किशोर बालक-बालिकाओं के व्यवहार में प्रदर्शित होने लगती है। किशोर बालक जब कुछ क्षणों के लिए कल्पना व दिवा स्वप्नों के मनोराज में विचरण के बाद अन्त में जीवन की कठोरताओं, निराशाओं एवं जटिलताओं के भंवर जाल में फंस ही जाता है। ऐसी जीवन की वास्तविकताओं के सम्पर्क में आने से उसकी महत्वाकांक्षा का विनाश हो जाता है।

अतः किशोर के जीवन में संवेगात्मक अनुभूतियों की अधिकता होती जाती है। संवेगों के वशीभूत होकर वह कोई भी कार्य कर बैठता है किन्तु यथोचित मार्गदर्शन और परामर्श से बालक का उचित दिशा-दर्शन कराया जा सकता है। वैसे तो समस्याएँ जीवन की सभी अवस्थाओं में पायी जाती हैं किन्तु किशोरावस्था में जीवन की समस्याएँ कठोर एवं जटिल होती हैं। किशोर बालक-बालिकाओं की अधिकांश समस्याएँ उनके संवेगों से सम्बन्धित होती हैं जो उनकी आकृति, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध, विद्यालयी कार्य विपरीत लिंगी, सामाजिक सम्बन्ध, शिक्षा व्यवस्था जीवन साथी आदि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब किशोर बालक-बालिकाओं की इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं में घोर अंतर्द्वन्द्व चलता है। तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि किशोरावस्था में बालक या बालिका न तो अपने माता-पिता का और न ही अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं की बात से पूर्णतया इत्तफाक रखते हैं, वे केवल अपनी कल्पनाओं और उमंगों के वशीभूत होकर अपने अनुसार विचरण करना चाहते हैं। किशोर-किशोरी अपनी शारीरिक व मानसिक अपरिपक्वता और संवेगात्मक अस्थिरता के आचरण और भावना को प्रौढ़ों के मानकों से ऑकलन करते हैं। परिणामस्वरूप उनमें खिन्नता और उदासी के शिकार होते जाते हैं। वे कभी-कभी उत्तेजना में आकर सामाजिक नियमों और मानकों तथा नियंत्रण का उल्लंघन करने से भी नहीं घबराते और यदि उनकी भावना अत्यधिक आहत होती है तो वे समाज विरोधी व्यवहार करने को बाध्य होते हैं।

गारीसन और स्ट्रॉंग (1952, 1956) के अध्ययनों से भी स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य रूप से औसत बुद्धि के किशोर-किशोरी की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले किशोर-किशोरी की शारीरिक व मानसिक समस्याएँ और जटिलताएँ अपेक्षाकृत होती हैं। इस प्रकार औसत बुद्धि के बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले किशोर बालकों का समायोजन अच्छा होता है।

#### अध्ययन का उद्देश्य—

समस्या कथन के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

#### परिकल्पनाएँ—

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है—

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

### शोध प्रविधि—

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की जनसंख्या के रूप में प्रयागराज जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालयों जो उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध है, में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। तत्पश्चात् 10 माध्यमिक विद्यालयों (5 शहरी एवं 5 ग्रामीण विद्यालयों) का चयन लॉटरी विधि से किया गया तथा प्रत्येक विद्यालयों से 60 विद्यार्थियों (30 छात्र एवं 30 छात्राओं) का चयन किया गया है अर्थात् कुल 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। छात्र एवं छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता का मापन एवं आँकड़ों का संग्रहण करने हेतु डॉ० यशवीर सिंह एवं महेश भार्गव द्वारा निर्मित संवेगात्मक परिपक्वता स्केल का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात् उसका सांख्यिकी विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी-अनुपात विधियों का प्रयोग किया गया है।

### प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन –

**H<sub>01</sub>** माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

### तालिका सं० 1


माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य अन्तर का टी-अनुपात

क्र. सं.	संवेगात्मक परिपक्वता के आयाम	शहरी विद्यार्थी (300)		ग्रामीण विद्यार्थी (300)		D= M1~M2	σ <sub>D</sub>	t-value
		M	SD	M	SD			
1	सांवेगिक स्थिरता	26.80	5.85	27.59	5.98	0.79	0.48	0.79
2	सांवेगिक प्रगति	26.72	5.36	26.27	5.82	0.45	0.46	0.98
3	सामाजिक समायोजन	28.81	5.38	28.34	5.70	0.47	0.45	1.04
4	व्यक्तित्व एकीकरण	23.94	5.81	27.41	6.89	3.47	0.52	6.67*
5	अनाश्रित	20.61	5.64	25.27	6.33	4.66	0.49	9.51*
6	संवेगात्मक परिपक्वता	121.88	15.58	129.88	15.89	8.00	1.28	6.25*

\*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक


### व्याख्या—

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों का अलग-अलग अध्ययनोंपरान्त पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक प्रगति एवं सामाजिक समायोजन के मध्य टी-मान क्रमशः 0.79, 0.98 एवं 1.04 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से कम है। परिणामतः शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक प्रगति एवं सामाजिक समायोजन में समानता है जबकि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य टी-मान क्रमशः 6.67, 9.51 एवं 6.25 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से अधिक है। परिणामतः शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता में सार्थक अन्तर है। ग्रामीण विद्यार्थियों में व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है।



ग्राफ नं० 1

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



ग्राफ नं० 2

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण

2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन –

H<sub>02</sub> माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं० 2


माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य अन्तर का टी-अनुपात

क्र. सं.	संवेगात्मक परिपक्वता के आयाम	छात्र (300)		छात्राएँ (300)		D= M1~M2	σ <sub>D</sub>	t-value
		M	SD	M	SD			
1	सांवेगिक स्थिरता	27.34	5.45	27.05	6.37	0.29	0.48	0.60
2	सांवेगिक प्रगति	26.88	5.39	26.10	5.77	0.78	0.46	1.69
3	सामाजिक समायोजन	29.38	5.39	27.77	5.58	1.61	0.45	3.58*
4	व्यक्तित्व एकीकरण	24.05	6.58	27.30	6.21	3.25	0.52	6.25*
5	अनाश्रित	21.50	6.28	24.38	6.26	2.88	0.51	5.65*
6	संवेगात्मक परिपक्वता	124.15	16.01	127.60	16.28	3.45	1.32	2.61*

\*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक


**व्याख्या—**

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों का अलग-अलग अध्ययनोंपरान्त पाया गया कि छात्र एवं छात्राओं के सांवेगिक स्थिरता एवं सांवेगिक प्रगति के मध्य टी-मान क्रमशः 0.60 एवं 1.69 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से कम है। परिणामतः छात्र एवं छात्राओं के सांवेगिक स्थिरता एवं सांवेगिक प्रगति में समानता है जबकि छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य टी-मान क्रमशः 3.58, 6.25, 5.65 एवं 2.61 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से अधिक है। परिणामतः व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित के सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता में सार्थक अन्तर है। छात्रों में सामाजिक समायोजन छात्राओं की तुलना में अधिक है जबकि व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता छात्राओं में छात्रों की तुलना में अधिक है।



ग्राफ नं0 3

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता के आयामों के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



ग्राफ नं0 4

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण

### निष्कर्ष—

आँकड़ों के विश्लेषणोपरान्त इस अध्याय में निष्कर्ष प्राप्त हुआ जो निम्नवत् है—

1. शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक प्रगति एवं सामाजिक समायोजन में समानता है जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों में व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है।
2. छात्र एवं छात्राओं के सांवेगिक स्थिरता एवं सांवेगिक प्रगति में समानता है तथा छात्रों में सामाजिक समायोजन छात्राओं की तुलना में अधिक है जबकि व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं संवेगात्मक परिपक्वता छात्राओं में छात्रों की तुलना में अधिक है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर.आर. राजेश्वरी एवं राज, एस. जॉन मानो (2015). ओपनिंग ऑफ न्यू इनसाइट्स फॉर द रिसर्च : ए डिस्क्रिटिव स्टडी ऑफ इमोशनल मैचुरिटी, आई.जे.ई.एम.आर., वॉ0 5, इश्यू-11, पृ0 1-12
2. कुमारी, निधि (2021). उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, संवेगात्मक बुद्धि का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र). नेहरू ग्राम भारती (मानित वि0वि0). प्रयागराज।
3. दास, जूरी एवं पदमावती, आर.डी. (2019). रिलेशनशिप बिटविन इमोशनल मैचुरिटी एण्ड एलुस्टिक बिहैवियर एमंग हाईस्कूल स्टूडेन्ट्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेन्ट टेक्नोलॉजी एण्ड इंजीनियरिंग, वॉ0 8, इश्यू-4, पृ0सं0 10065-10070
4. यादव, सुरेन्द्र कुमार (2021). राजकीय, अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा, सांवेगिक परिपक्वता तथा शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, शोध-प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज।
5. यूसिफी, फयेघ एण्ड अहमदी, शोहरेश (2017). द रिलेशनशिप बिटविन द इमोशनल क्वटेन्ट एण्ड इमोशनल मैचुरिटी इन स्टूडेन्ट्स ऑफ कुर्दिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, जर्नल ऑफ ह्युमैन, इन्वायरमेण्ट एण्ड हेल्थ प्रोमोशन, 2(2), पृ0 96-104
6. शर्मा, रेनुबाला (2014). बाल्यावस्था में संवेग परिपक्वता एवं सामाजिक समायोजन के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन (जिला सागर म0प्र0 के संदर्भ में), शोध-प्रबन्ध, गृह विज्ञान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
7. सिंह, दलविन्दर एट ऑल (2012). इमोशनल मैचुरिटी डिफरेंटियल्स एमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स, जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स मैनेजमेण्ट, वॉ0 3(3), पृ0 41-45

# कैशलेस अर्थव्यवस्था संपोषणीय विकास की ओर एक कदम

अनवर आलम

असिस्टेंट प्रोफेसर वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महोबा, उत्तर प्रदेश 210427

## सारांश

पर्यावरण तथा आर्थिक विकास का घनिष्ठ संबंध है, निरंतर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण के कारण संपोषणीय विकास आज की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को किए गए विमुद्रीकरण के अनेक उद्देश्य बताए गए, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना भी एक प्रमुख उद्देश्य था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रुपया को लांच किया, ताकि लेन देन को अधिक से अधिक डिजिटल किया जा सके, इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 के बाद से 2000 के नोटों के चलन को बाजार से बाहर करने का निर्णय किया, यह भी एक तरह से विमुद्रीकरण का ही रूप है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले ने एक बार पुनः इस विषय पर विचार—विमर्श करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में अब भारतीय बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कैशलेस अर्थव्यवस्था अथवा कैशलेस सोसाइटी का निर्माण करना है और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रही है तो उसके क्या फायदे होंगे, कैशलेस अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संपोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकती है, इन्हीं प्रश्नों की खोज करने के लिए इस शोध पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि नगद मुद्रा किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती है तथा कैशलेस अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

**मुख्य शब्द** – विमुद्रीकरण, कैशलेस अर्थव्यवस्था, संपोषणीय विकास, पर्यावरणीय लागत, सूचना प्रौद्योगिकी युग

## परिचय

विकास मानव को अपनी क्षमताओं की पहचान कराने या उसमें वृद्धि कराने वाली और बेहतर जीवनशैली प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली एक सतत प्रक्रिया है (केजी सक्सेना, 2015)। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास का घनिष्ठ संबंध है क्योंकि आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आश्रित है, जो पर्यावरण का एक भाग है दूसरी ओर आर्थिक विकास पर्यावरण क्षति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। 16 वीं शताब्दी में कुछ पाश्चात्य दार्शनिक (जिनमें रोजर बेकन, डॉक्टर फास्ट आदि) ज्ञान तथा शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जाने की सलाह दे रहे थे। इन विचारों में इतनी प्रबलता थी कि कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म लेना पड़ा। उच्च आर्थिक समृद्धि एवं तीव्र आर्थिक विकास की लालसा में मानव प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुन विदोहन करता गया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय संकट के रूप में एक नई समस्या का जन्म हुआ। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन एवं प्रकृति की साहनीय सीमा से अधिक छोड़े गए प्रदूषण के दुष्प्रभाव को देखते हुए मानव आज यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यदि प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान दिए बगैर वह आगे बढ़ता गया तो उसके द्वारा किया गया विकास न सिर्फ मानव के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा।

प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक विदोहन के संबंध में सर्वप्रथम, रिचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा क्लब ऑफ रोमन द्वारा प्रस्तुत पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 1972 में पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1987 में ब्रडलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' में संपोषणीय विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमताओं से कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। 1992 में रियोडीजेनेरियो सम्मेलन में ब्रडलैंड रिपोर्ट को सराहा गया, 2002 में रियो + 10 संपोषणीय विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की जो भविष्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति है, जहां बिना भौतिक मुद्रा के लेन-देन संभव होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से मुद्रा का




एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है, आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी युग के नाम से जाना जाता है, किसी देश के सतत विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के बिना किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, कोई देश जैसे-जैसे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता जाता है, उसमें प्रौद्योगिकी के प्रयोग का चलन बढ़ता जाता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था की नीति वित्तीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग पर आधारित नीति है।

### भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था का प्रयास

8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 500 एवं ₹1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, यद्यपि भारत में पहले भी दो बार विमुद्रीकरण 1948 एवं 1978 ईस्वी में किया गया, किंतु उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का व्यापक प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बड़े मूल्यों के नोटों का प्रचलन कम था, किंतु 2016 के विमुद्रीकरण ने देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि इस विमुद्रीकरण ने लगभग 86 परसेंट नोटों को चलन से बाहर कर दिया, विमुद्रीकरण से आम आदमी को अनेक समस्याएं हुई, किंतु इसमें सात्वना देने वाली एक ही बात थी और वह थी, विमुद्रीकरण के पीछे बताया गया उद्देश्य। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा की कि इस निर्णय से भ्रष्टाचार, काले धन तथा तथा जाली नोटों के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे, विमुद्रीकरण के पीछे सरकार का एक और उद्देश्य था, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार करना। विमुद्रीकरण के बाद से भारत सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। भारत सरकार द्वारा डिजीधन मेला, लकी ग्राहक योजना, डिजिटल साक्षरता अभियान, आदि अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कैशलैस ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि देखने को मिली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया कैशलैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला एक और सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

### रेखा चित्र –1 भारत में कैशलैस लेन-देन की प्रवृत्ति



स्रोत : लेखक द्वारा गणना (आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर)

प्रवृत्ति विश्लेषण (चित्र-1) से पता चलता है कि भारत में विशेष रूप से मोबाइल ऐप पर आधारित डिजिटल लेनदेन भुगतान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर आधारित लेन-देन का चलन लगातार बदल रहा है। भारत सरकार 2016 से नोटबंदी के बाद कैशलैस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही थी, जिसका असर डिजिटल लेन-देन पर भी पड़ा, लेकिन कोरोना वायरस ने डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि लोगों ने कोरोना

वायरस बीमारी फैलने के भय एवं लाकडाउन की वजह से डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर दिया था, जो धीरे-धीरे लोगों की आदत बन गई और अब डिजिटल लेनदेन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

### साहित्य समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(2016). एक नगदी रहित समाज हमारा सपना है यह सही है कि 100 परसेंट नगदी रहित समाज संभव नहीं है, लेकिन हम एक कम नगद समाज से शुरुआत कर सकते हैं और तब नकदी रहित समाज दूर की कौड़ी नहीं होगी। (मन की बात)

साहू प्रभाकर के अरोड़ा( 2017). अपने लेख नगदी अर्थव्यवस्था से कम नगद अर्थव्यवस्था की ओर में की ओर में लिखते हैं यदि नगदी परिसंचरण घटता है और ज्यादातर लेनदेन डिजिटल हो जाता है तो लोग अपने साथ कम नगद रखेंगे। वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण भारत में चल रही है अनेक समस्याओं को रोकने का प्रभावशाली साधन साबित हो सकता है।

उपेंद्र और फ्राइडे अकाम,(2016). अपने शोध पत्र कैशलेस इकोनामी पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नाइजीरियारू द मिसिंग लिंक. में लिखते हैं कैशलेस आर्थिक नीति के प्रभाव पूर्ण क्रियान्वयन से बैंकिंग क्षेत्र में संपोषणीय विकास संभव होगा तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. नगद मुद्रा की पर्यावरण की लागत लागत की खोज करना।
2. नकदी रहित अर्थव्यवस्था और संपोषणीय विकास के मध्य संबंध की खोज करना।

### पत्र मुद्रा(करेंसी नोट) की पर्यावरणीय लागत

मुद्रा को वर्तमान आर्थिक युग की आधारशिला माना जाता है। समय के साथ मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता रहा है और आज अधिकांश देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। पत्र मुद्रा का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से ही संभव होता है. पत्र मुद्रा जिस कागज से निर्मित की जाती है वह कागज, कपास अथवा विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों से तैयार किया जाता है । कपास एवं अन्य वनस्पतियों के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग होता है इस कपास एवं अन्य वनस्पतियों से कागज निर्माण की प्रक्रिया में भी स्वच्छ जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग होता है, इन सब के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचती है ,जिसे शायद कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। यद्यपि पत्र मुद्रा की मौद्रिक लागत एवं उसके रख-रखाव के प्रबंधन की लागत के आंकड़े तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु पर्यावरणीय लागत की सदैव उपेक्षा की जाती है। पत्र मुद्रा के प्रबंध की क्रियाओं में मौद्रिक लागत समानतर विकसित देशों के जीडीपी का लगभग 0.5से 1 परसेंट, जापान में 2 और भारत में 3.5 परसेंट आती है(एस रोचेमंट 2017)

### सारणी-1 भारत में पत्र मुद्रा की मौद्रिक लागत

नोट	प्रति 1000 नोट की लागत	प्रति नोट की लागत
10	1010	1.01
20	1000	1
50	1010	1.01
100	1510	1.51
500	2570	2.57
2000	4180	4.18

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

उपर्युक्त सारणी-1 से यह स्पष्ट है कि भारत में पत्र मुद्रा की छपाई की मौद्रिक लागत भिन्न – भिन्न प्रकार के नोटों के लिए अलग-अलग है, ₹10 का एक नोट छापने के लिए 1.1 रुपए की लागत आती है, ₹20 का एक नोट छापने के लिए 1 रुपए की लागत आती है, ₹50 का एक नोट छापने के लिए प्रति नोट 1.01 रुपए की लागत आती है ,₹100 का एक नोट छापने के लिए 1.51 रुपए की लागत आती है ,500 का एक नोट छापने के लिए 2.57 रुपए की लागत आती है, वही 2000 रुपए का एक नोट छापने के लिए 4.18 रुपए की लागत आती है, कागज एवं प्रिंटिंग की कीमतों में हो रही निरंतर

वृद्धि ,भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष एक चुनौती भी है क्योंकि इससे भारत में पत्र मुद्रा की छपाई की मौद्रिक लागत में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए आरबीआई डिजिटल रुपया के प्रचलन को प्रोत्साहित कर रहा है ।

### **एटीएम की पर्यावरणीय लागत**

ऑटोमेटेड टेलर मशीन ने बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने में सफलता प्राप्त की है। भारत में 1987 से एटीएम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारत में इस समय लगभग 2 लाख 38 हजार हजार एटीएम है (आरबीआई रिपोर्ट 2019)। यद्यपि, एटीएम मुद्रा निर्गमन करने, मुद्रा जमा करने के साथ मुद्रा हस्तांतरण का भी कार्य करता है, किंतु भारत में एटीएम का सबसे अधिक प्रयोग नगद निकासी के लिए ही किया जाता है। एटीएम बैंकिंग क्षेत्र को सुविधाजनक बनाता है, किंतु यह पर्यावरण को प्रभावित भी करता है, एटीएम मशीनों के विनिर्माण प्रक्रिया में पर्यावरणीय क्षति तो होती है किंतु इसके परिचालन में भी पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एटीएम के प्रयोग में ऊर्जा की आपूर्ति एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। एटीएम परिचालन में तापमान का नियमन करने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए विनाशक हैं। इस प्रकार यदि हम पत्र मुद्रा के निर्गमन एवं एटीएम के विनिर्माण एवं प्रयोग की पर्यावरणीय लागत का आकलन करें तो पत्र मुद्रा या या नगदी अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय संकट के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार कारक के रूप में उभर कर सामने आती है जो एक चिंता का विषय होना चाहिए।

### **पत्र मुद्रा की स्वास्थ्य संबंधित लागत**

किसी देश के आर्थिक विकास में मानव पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है एक स्वस्थ मनुष्य ही मानव पूंजी का निर्माण कर सकता है बदलते पर्यावरण के माहौल में आज अनेक ऐसी बीमारियों को जन्म दिया है , जो लोगों के संपर्क में आने अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के जरिए एक दूसरे में फैलती हैं ऐसे में पत्र मुद्रा जो एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती है , जीवाणु अथवा विषाणु के हस्तांतरण का कारण बन सकती है। कोरोनावायरस के कारण कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी ने भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पत्र मुद्रा इस वैश्विक महामारी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि पत्र मुद्रा जब एक हाथ से दूसरे हाथों में हस्तांतरित होती है तो वायरस फैलने का जोखिम बढ़ जाता है । लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिक से अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन का सुझाव दिया गया,क्योंकि पत्र मुद्रा व्यापक स्तर पर लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकती थी।

### **कैशलेस अर्थव्यवस्था और संपोषणीय विकास विकास के मध्य संबंध**

कैशलेस अर्थव्यवस्था में लेन देन भौतिक मुद्रा के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के अनेक माध्यम हैं जैसे, नेफ्ट ,आरटीजीएस, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, पॉइंट ऑफ सेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ऐप जैसे भीम एप, पेटीएम,यूपीआई आदि। भुगतान प्रणाली के यह सभी चैनल कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, पत्र मुद्रा का प्रचलन कम होता जाता है,क्योंकि पत्र मुद्रा के निर्माण एवं एटीएम के विनिर्माण एवं उसके परिचालन की पर्यावरणीय लागत अधिक होती है, जो पर्यावरण संकट को बढ़ाती है, किंतु डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इस पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है ।

### **निष्कर्ष**

पत्र मुद्रा की पर्यावरणीय लागत की अधिकता पर्यावरण संकट के लिए उत्तरदाई कारकों में से एक है, जबकि कैशलेस अर्थव्यवस्था मुद्रा की पर्यावरणीय लागत को कम करती है, अतः यह कहा जा सकता है कैशलेस अर्थव्यवस्था संपोषणीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यद्यपि भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में अनेक संरचनात्मक अवरोध हैं जिन्हें दूर किए बिना कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव नहीं है इसलिए इस दिशा में भारत सरकार को कुछ और सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे

1. शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या एक बड़ी समस्या है तकनीकी उन्नति के द्वारा इस समस्या को जल्द दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2. कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन में लगने वाले शुल्क को समाप्त करना चाहिए।
3. बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि यह कम आय वालों के लिए एक समस्या है।
4. पंजीकृत दुकानों में पीओएस मशीन अनिवार्य किया जाए इस दिशा में छोटे व्यापारियों को पीओएस मशीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जिसकी भरपाई कर राजस्व में वृद्धि से हो जाएगी।
5. भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण में डिजिटल साक्षरता का आभाव एक बड़ी समस्या है इसलिए इसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा साथ ही डिजिटल साक्षरता से संबंधित भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके जन्त का समय-समय का समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए, ताकि योजनाएं कागजी कार्यवाही का हिस्सा बनकर न रह जाए।
6. कैशलेस अर्थव्यवस्था के सम्मुख साइबर सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है, डिजिटल साक्षरता के अभाव के कारण आम जनमानस आसानी से साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, जिसके कारण कैशलेस लेनदेन के प्रति लोगों में एक भय की भावना अभी भी बनी हुई है, जिसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि कैशलेस लेनदेन के प्रति लोगों का विश्वास कायम हो सके।

यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तथा कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा तो निश्चित रूप से यह संपोषणीय विकास विकास के लिए बेहतर साबित होगा।

### संदर्भ सूची

1. प्रधान बी.के. एंड घोष, जे.(2012). द इंपैक्ट ऑफ कार्बन टैक्स एस ऑन ग्रोथ एमिशंस एंड वेलफेयर इन इंडिया ,ईसीजी एनालिसिस आईजी वर्किंग पेपर नंबर 315, 2012.
2. यूएन ( 2015). सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन्स.
3. वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट.(1987). अवर कामन फ्यूचर रिपोर्ट ,ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डब्ल्यूसीडी, स्विट्जरलैंड.
4. पारीख, के .(2012).सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लो कार्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एनर्जी, आईआरडीए मीमिओ.
5. एस .प्रभाकर एंड ए .अरोड़ा (2017). नगदी अर्थव्यवस्था से कम नगर अर्थव्यवस्था की ओर,योजना हिंदी जर्नल,अंक 2.
6. मलिक डी.एस.(2017). पुनर्मुद्रीकरण कम नगद अर्थव्यवस्था की ओर कदम, योजना हिंदी जर्नल अंक, 2
7. अनि .एन.( 2020 ). द यूज़ ऑफ ई पेमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक. इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंस 6(4),395 -401.
8. अकीनोला ओ. एस.( 2012). कैशलेस सोसाइटी, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ,डाटा माइनिंग रिसर्च पोर्टेशियल .इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन 3(8) 49 -55.
9. अदु, सी.ए. ( 2016). कैशलेस पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द नाइजीरियन इकोनामी .यूरोपियन जनरल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी,4(2),81-88.
10. उपऑंग,ओ.यू. एंड फ्राइडे, ए. (2012). कैशलेस इकोनामी पाल्सी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नाइजीरिया इकोनामी रूद मिसिंग लिंक. जनरल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड एंटरप्रेन्योरियल रिसर्च,3(3),3.
11. इंडिया, आर .बी. ओ. (2020 ).हाई लेवल कमिटी ऑन डीपनिंग आफ डिजिटल पेमेंट.
12. (2019). द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस.
13. ( 2016-17).इकोनामिक सर्वे .मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
14. (2017-18). वार्षिक बजट.वित्त मंत्रालय भारत सरकार.
15. इंडिया आर.बी.ओ.(2020). असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिजिटलाइजेशन फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक्स
16. (2016). मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात.

# अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के पश्चात् भारत की सुरक्षा में जम्मू-कश्मीर की भूमिका

ज्योति वर्मा

शोध छात्रा

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ०५०१।

## सारांश

वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को 'जम्मू और कश्मीर की विधान सभा' के रूप में नया अर्थ प्रदान किया और फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिये राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधान सभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किये गए। इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय—जिसने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया—संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये लिया गया था न कि विघटन के लिये। न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में 'अस्थायी' था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों— 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' में विभाजित कर दिया। इसी सिलसिले के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के संकट के दौर का विश्लेषण करते हुए जम्मू-कश्मीर का भारतीय सुरक्षा में योगदान का अध्ययन करेंगे।

**मुख्य शब्द—** अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, भारतीय सुरक्षा

## प्रस्तावना—

दुनिया में ऐसे भू-राजनीतिक बिंदु हैं, जो अपने रणनीतिक महत्व के कारण राज्यों और महाद्वीपों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसलिए सैन्य संघर्षों से बचना मुश्किल है। राजनीतिक संघर्ष अक्सर युद्धों का परिणाम होते हैं। ये मुख्य रूप से घरेलू और विश्व सुरक्षा को बाधित करते हैं और परिणामस्वरूप आबादी के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को नष्ट करते हैं। दुनिया में हर युद्ध विशेष रूप से विकासशील देशों में महसूस किया जाता है। यदि संघर्ष करने वाले देश परमाणु शक्ति सम्पन्न भी हैं तो वे स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य विषय बन जाते हैं। दुनिया में रणनीतिक महत्व वाले सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बिंदुओं में से एक कश्मीर का व्यापक क्षेत्र है, जो भारत और पाकिस्तान की परमाणु शक्तियों के बीच स्थित है। यही कारण है कि कश्मीर की भू-राजनीतिक स्थिति अद्वितीय है।

पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष तीन युद्धों में लड़ा गया जो 1947 में शुरू हुआ। दोनों देशों को लगा कि यह क्षेत्र पूरी तरह से उनका है। भारत-पाकिस्तान युद्ध संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ, जिसने अपनी सेनाओं को निगरानी रेखा नामक एक अंतरक्षेत्र में स्थापित किया। 1965 और 1971 के युद्धों में आगे की लड़ाई के बाद शिमला समझौते ने औपचारिक रूप से दोनों देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बीच नियंत्रण रेखा स्थापित की। 1999 में दोनों देशों के बीच कारगिल में फिर से सशस्त्र संघर्ष हुआ फिर भी जमीन पर स्थिति नहीं बदली।

**जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की उभरती रूपरेखा**

पिछले वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हिंसा में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। कुल मिलाकर आतंकवादी घटनाओं और सुरक्षा बलों तथा नागरिकों की हत्याओं की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और राज्य विरोधी राजनीतिक लामबंदी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अकेले यह गहरी राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकता है। जम्मू-कश्मीर को सामान्य स्थिति की राह पर वापस लाने के लिए हिंसा में कमी से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। प्रमुख आतंकवाद विरोधी प्रतिमान लोकतंत्र को बढ़ावा देने को सशस्त्र संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा की उपयोगिता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं।<sup>1</sup> सरकार के लोकतांत्रिक रूपों की अनुपस्थिति में, लोग आसानी से कट्टरपंथी आख्यान से प्रभावित हो सकते हैं।

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2019 के बाद से आतंकवादी घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है और कम संख्या में सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मई 2014-अगस्त 2019 और अगस्त 2019-नवंबर 2021 की अवधि के लिए आतंकवादी घटनाओं और नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्याओं के आंकड़े साझा किए।<sup>2</sup> 5 अगस्त 2019 से 22 नवंबर 2021 तक जम्मू और कश्मीर से रिपोर्ट की गई आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या 496 है। इन घटनाओं में 45 सुरक्षाकर्मियों और 79 नागरिकों की जान चली गई। इसी समयावधि के दौरान अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से ठीक 841 दिन पहले, 16 अप्रैल 2017 से 4 अगस्त 2019 तक अधिक संख्या में आतंकवादी घटनाएं (843) दर्ज की गईं। इस अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए सुरक्षा बलों और नागरिकों की संख्या क्रमशः 78 और 86 थी।

**अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले और बाद में जम्मू-कश्मीर में हिंसा की घटनाएं -**

पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ रोधी ग्रीड को नया स्वरूप देकर बाहरी प्रभाव को रोकने में भी कामयाबी हासिल की है। अगस्त 2019 के बाद सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। 2021 में 31 अक्टूबर तक कुल घुसपैठ की संख्या में भारी कमी आई है और यह 28 हो गई है। 2020 में कुल घुसपैठ का अनुमान 51 था, जबकि 2018 में यह 143 था।<sup>3</sup>

विवरण	5 अगस्त 2019 से पहले	5 अगस्त 2019 के बाद
आतंकवादी घटनाएँ	843	496
नागरिक मारे गए	86	79
सेना कार्मिक मारे गए	78	45

**जम्मू और कश्मीर में दर्ज घुसपैठ की घटनाएं (2018-2023)<sup>4</sup>**

विवरण	2018	2019	2020	2021	2022	2023
अनुमानित घुसपैठ	143	141	51	28	35	42

2021 में जम्मू-कश्मीर से करीब 93 आतंकवादी घटनाएं हुईं,<sup>5</sup> जिनमें से में करीब 189 आतंकवादी मारे गए। घटनाओं की संख्या में कमी आई है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पिछले साल मारे गए ज्यादातर आतंकवादी हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के अलावा अन्य संगठनों से जुड़े थे, जो तीन दशकों से हावी था और जिसने कई कश्मीरी भर्तियों को आकर्षित किया। पिछले साल जम्मू-कश्मीर में मारे गए ज्यादातर आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट

(TRF) जैसे संगठनों से जुड़े थे, जिनके बारे में पुलिस का दावा है कि वे LeT से अलग हैं और अगस्त 2019 के बाद उभरे हैं।<sup>6</sup> ऐसे अन्य संगठन भी हैं जिन्होंने अलग-अलग समय पर सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है। उदाहरण के लिए पीपुल्स एंटी-फ़ासिस्ट फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फ़ोर्स और कश्मीर टाइगर्स जिन्होंने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे।

एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों में से केवल 19 प्रतिशत पाकिस्तानी मूल के थे। यह गिरावट का रुझान 2018 से ही बना हुआ है।<sup>7</sup> उससे पहले यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से कहीं अधिक था। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या में कमी पाकिस्तान द्वारा नीतिगत बदलाव के कारण है।<sup>8</sup> पाकिस्तान निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में देखे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है, जबकि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की तलवार उसके सिर पर लटक रही है। नीतिगत बदलाव के पीछे एक और संभावित कारण अफगानिस्तान में उसकी व्यस्तता हो सकती है। तालिबान द्वारा देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के बाद क्या जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी बढ़ेगी, यह अभी एक मायावी प्रश्न है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर चलने को तैयार है या नहीं।

### हाइब्रिड उग्रवाद— एक नई चुनौती

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का मानना है कि 2022 में सबसे बड़ी चुनौती हाइब्रिड आतंकवादियों से निपटना होगी। जम्मू-कश्मीर के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाइब्रिड आतंकवादी “नागरिकों के वेश में छिपे आतंकवादी” हैं।<sup>9</sup> वे पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी सूचीबद्ध नहीं हैं। वे हमले करते हैं और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यह न केवल इसलिए एक चुनौती है क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना और पकड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इसलिए भी कि अधिकांश वैचारिक रूप से उन्मुख लोगों को यह सुविधाजनक लगेगा क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में काम करने में बहुत कम जोखिम शामिल हैं। आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य के रूप में आतंकवादियों को आमतौर पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे सैन्य शैली में समायोजन, व्यक्तिगत असुरक्षा और समूह की विचारधारा से मोहभंग, वे यहां शामिल नहीं हैं।

सीमा पार से घुसपैठ में कमी के बावजूद, पिछले साल अक्टूबर का महीना सबसे ख़तरनाक रहा, जिसमें 44 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 12 सशस्त्र बल, 19 आतंकवादी और 13 नागरिक शामिल थे। कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों और गैर-स्थानीय मज़दूरों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया, जिसके कारण अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में घाटी से हजारों गैर-स्थानीय लोगों का पलायन हुआ। जिस तरह से हत्याएँ हुईं, उससे ज़मीनी स्तर पर बदलाव का पता चलता है। चिंताजनक बात यह है कि नागरिकों और दूसरे आसान लक्ष्यों पर ज़्यादातर हमले पिस्तौलधारी युवाओं ने किए, जो पुलिस रिकॉर्ड में आतंकवादी के तौर पर दर्ज नहीं हैं। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती होगी क्योंकि समाज में गहराई से पैठ रखने वाले अत्यधिक कट्टरपंथी युवाओं पर नज़र रखना संभव नहीं होगा।

एक और आयाम है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। किसी संगठन का हिस्सा न होने पर आतंकवादी शायद ही ज़्यादा समय तक टिके रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अपनी जान जोखिम में डालने की इच्छा ज़्यादातर संगठन की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी विचारधारा से जुड़े संगठन या समूह के सदस्य उचित प्रशिक्षण और दैनिक अभ्यास के ज़रिए इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं कि वे किस बात के लिए खड़े हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। किसी भी संरचित संगठन और एक विशिष्ट कथा के बिना, भर्ती की रणनीतियाँ साकार नहीं हो सकतीं। आदिल रशीद ने इसे “कथा बाज़ार” के रूप में सटीक रूप से परिभाषित किया है, जहाँ यह समूह या संगठन होता है, न कि कोई व्यक्ति, जो एक कथा या “जीवन के प्रचलित दर्शन के विपरीत” विकसित करता है।<sup>10</sup> किसी हमले को अंजाम देने का जोखिम उठाने के लिए ज़रूरी वैचारिक अभिविन्यास एक परिवार के सुरक्षित और

अलग-थलग माहौल में संभव नहीं है। आम तौर पर आतंकवादी संगठन व्यक्तियों को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए अलग-अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें वैचारिक अपील, चुनिंदा प्रोत्साहन और जबरदस्ती शामिल हैं।<sup>11</sup> जब ये साधन अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं, तो सदस्य अपनी प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार करना शुरू कर देते हैं। इसके आधार पर ऐसा लगता है कि हाइब्रिड उग्रवाद की घटना पुराने संगठनात्मक ढांचे के पतन का परिणाम है। यह कुछ समय के लिए सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी।

#### निष्कर्ष—

आतंकवादी घटनाओं में कमी और सीमा पार से घुसपैठ में कमी निस्संदेह एक सकारात्मक विकास है, लेकिन केवल इससे जम्मू-कश्मीर में शांति की गारंटी नहीं मिल सकती। पहले बताए गए आंकड़े और डेटा किसी भी तरह से जम्मू-कश्मीर प्रशासन और संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को यह मानने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए कि सब कुछ सामान्य है। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी संगठनों के संगठनात्मक ढांचे को नष्ट करने के बावजूद, कश्मीरी स्थानीय युवा अभी भी कम संख्या में ही सही, आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए प्रेरित हैं। जम्मू-कश्मीर के भीतर लोगों का अलगाव और हथियार उठाने की उनकी इच्छा चिंता का विषय होनी चाहिए। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि स्वदेशी लामबंदी के बिना बाहरी हस्तक्षेप जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने में विफल रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करके लोगों के अलगाव को दूर करने का सही समय है ताकि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में सक्षम हों।

#### संदर्भ सूची—

1. <https://www.drishtias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/article-370-decoding-the-supreme-court-verdict>.
2. मैक्स अब्राहम, "आतंकवादी वास्तव में क्या चाहते हैं: आतंकवादी उद्देश्य और आतंकवाद विरोधी रणनीति", अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खंड 32, संख्या 4, 2008, पृष्ठ 78-105।
3. जम्मू और कश्मीर में हत्याएं, "राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 358 का उत्तर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 1 दिसंबर 2023।
4. जम्मू और कश्मीर में हत्याएं, "राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 358 का उत्तर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 1 दिसंबर 2023।
5. सफ़वत ज़रगर, "प्रतिरोधक मोर्चे ने कश्मीर में नागरिक हत्याओं की ज़िम्मेदारी ली है। वे कौन हैं?" , स्कॉल, 11 अक्टूबर 2021।
6. रियाज़ वानी, "पाकिस्तान पीछे हटा, लेकिन कश्मीरी आतंकवादी बड़ी संख्या में मरे" , अनुच्छेद 14, 24 मार्च 2021।
7. रियाज़ वानी, "पाकिस्तान पीछे हटा, लेकिन कश्मीरी आतंकवादी बड़ी संख्या में मरे" , अनुच्छेद 14, 24 मार्च 2021।
8. जुल्फिकार मजीद, "हाइब्रिड मिलिटेंसी 2022 में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती: जम्मू-कश्मीर पुलिस", डेक्कन हेराल्ड, 31 दिसंबर 2021।
9. मुहीत उल इस्लाम और पीरज़ादा शाकिर, "कश्मीर के 'हाइब्रिड उग्रवादी' कौन हैं?" , द डिप्लोमैट, 30 नवंबर 2021।
10. आदिल रशीद, काउंटरिंग द रेडिकल नैरेटिव , नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली, 2020, पृ. 5.
11. एन्जो नुसियो और जुआन ई. उगारिज़ा, "विद्रोही लड़ना क्यों बंद कर देते हैं: कोलंबिया के विद्रोह में संगठनात्मक गिरावट और परित्याग", अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खंड 45, संख्या 4, 2021, पृष्ठ- 167-203।



# प्रयागराज जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समायोजन का अध्ययन : लिंग, क्षेत्र एवं वर्ग के आधार पर

डॉ० विजय कुमार गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर,

शिक्षाशास्त्र विभाग, साँई नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

## सारांश

समस्या कथन वर्तमान में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के समायोजन क्षमता का अध्ययन करना है अतः अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है जो वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। अध्ययन के समग्र के रूप में यू०पी० बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्रतिदर्श के रूप में कुल 600 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया जिसमें 300 छात्र एवं 300 छात्राओं का चयन शहरी-ग्रामीण एवं कला- विज्ञान संकाय के आधार पर किया गया है। अध्ययन में कुल 12 माध्यमिक विद्यालयों जिसमें 6 शहरी एवं 6 ग्रामीण क्षेत्र से सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में छात्र-छात्राओं के आँकड़ों के संग्रहण हेतु ए०के०पी० सिन्हा एवं आर०पी० सिंह द्वारा निर्मित एडजेस्टमेन्ट इन्वेण्ट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स (ए आई सी एस) का प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन में अन्तर प्राप्त करने हेतु टी-अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये-

- शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता में समानता है। शहरी विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च तथा ग्रामीण विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है।
- छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन में समानता है। छात्रों में संवेगात्मक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता छात्राओं की तुलना में अधिक है।

शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सम्पूर्ण समायोजन में समानता है।

**मुख्य शब्द** – माध्यमिक स्तर, शहरी, ग्रामीण, छात्र-छात्राएँ, समायोजन, कला, विज्ञान, समायोजन क्षमता, तुलना

## प्रस्तावना –

हमारा जीवन चुनौतियों एवं संघर्षों से परिपूर्ण है। बालकपन से हमें जीवन की विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो जिस सीमा तक जितने अच्छे ढंग से जीवन संग्राम की इस लड़ाई को लड़ता जाता है वह उतने ही अच्छे रूप से सफलता के स्तर पर प्रगति करता रहता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं और यही चाह हमें पल-पल संघर्ष करने को प्रेरित करती है। और प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। यह उसके निजी हित में होता है। इसके साथ ही वह अपनी प्रजाति के सदस्यों तथा पर्यावरण जनित चुनौतियों से स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य द्वारा अपने भौतिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से सम्बन्ध बनाये रखने उसके साथ संतुलन स्थापित करने तथा उसकी चुनौतियों से कुशलतापूर्वक एवं सफल समन्वय करने और उनके साथ समझौता करने की स्थिति तक पहुँचने की निरन्तर प्रक्रिया समायोजन की श्रेणी में आती है।

समायोजन शब्द अंग्रेजी के एडजस्टमेन्ट शब्द का ही पर्यायवाची है। इसकी व्युत्पत्ति जीव विज्ञान के एडाप्शन शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना। जीवन की समस्याओं का समाधान समायोजन में निहित है अर्थात् इस चिन्ताओं, समस्याओं के युग में

जितना सम्भव हो सके उतना ही सीधे और सरल मार्ग से लक्ष्य तक पहुंचने की दक्षता ही समायोजन का आधार है।

**मैस्ले और मिटिलमैन** की परिभाषा के अनुसार जीवन में संतुष्टि और आनंद प्राप्ति का मार्ग समायोजन से होकर गुजरता है। समायोजन का अर्थ होता है कि जीवन की आवश्यकताओं और मांगों से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के संदर्भ में अनुकूलन करके चलना। अतः समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और समस्याओं का समाधान होता है एवं आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना और लक्ष्य प्राप्त करना ही समायोजन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।

वर्तमान युग में समायोजन समस्या का क्षेत्र बहुत व्यापक एवं जटिलतम है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हैं क्योंकि आज का युग अर्थवादी है और अपने आर्थिक स्तर को सुधारने का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है जिसके कारण सर्वाधिक उपेक्षा के शिकार बच्चे हैं और उनसे भी विकट स्थिति दिव्यांग बच्चों की है जो ईश्वरीय अभिशाप झेल रहे हैं और उन्हें सामाजिक अपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है। जिसके कारण नित्य हमें कुसमायोजन समस्याओं के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अतः आज की बदलती परिस्थितियों में छात्र व छात्राओं के समायोजन का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है।

#### **अध्ययन का उद्देश्य—**

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

#### **परिकल्पनाएँ—**

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

#### **शोध प्रविधि—**

समस्या कथन वर्तमान में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के समायोजन क्षमता का अध्ययन करना है अतः अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है जो वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। अध्ययन के समग्र के रूप में यू0पी0 बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्रतिदर्श के रूप में कुल 600 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया जिसमें 300 छात्र एवं 300 छात्राओं का चयन शहरी-ग्रामीण एवं कला- विज्ञान संकाय के आधार पर किया गया है। अध्ययन में कुल 12 माध्यमिक विद्यालयों जिसमें 6 शहरी एवं 6 ग्रामीण क्षेत्र से सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में छात्र-छात्राओं के आँकड़ों के संग्रहण हेतु ए0के0पी0 सिन्हा एवं आर0पी0 सिंह द्वारा निर्मित एडजेस्टमेन्ट इन्वेण्ट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स (ए आई सी एस) का प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन में अन्तर प्राप्त करने हेतु टी-अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

#### **आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—**

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन –  
**H<sub>01</sub>** माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

## तालिका सं0 1

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों एवं समायोजन क्षमता के मध्य अन्तर का टी-अनुपात

क्र. सं.	समायोजन क्षमता के आयाम	शहरी विद्यार्थी (300)		ग्रामीण विद्यार्थी (300)		D= M1~M2	$\sigma_D$	t-value
		M	SD	M	SD			
1	संवेगात्मक समायोजन	27.69	7.10	25.97	7.48	1.72	0.60	2.87*
2	सामाजिक समायोजन	21.39	5.15	22.28	5.37	0.89	0.43	2.07
3	शैक्षिक समायोजन	24.03	6.52	25.68	6.28	1.65	0.52	3.17*
4	समायोजन	73.11	14.81	73.93	12.85	0.82	1.13	0.73


\*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

## व्याख्या—

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों का अलग-अलग अध्ययनोंपरान्त पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता के मध्य टी-मान क्रमशः 2.07 एवं 0.73 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से कम है। परिणामतः शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता में समानता है जबकि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य टी-मान क्रमशः 2.87 एवं 3.17 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से अधिक है। परिणामतः शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर है। शहरी विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च तथा ग्रामीण विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है।


## ग्राफ नं0 1

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



ग्राफ नं० 2

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन –  
 H<sub>02</sub> माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं० 4.5

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता के आयामों एवं समायोजन क्षमता के मध्य अन्तर का टी-अनुपात

क्र. सं.	समायोजन क्षमता के आयाम	छात्र (300)		छात्राँ (300)		D= M1~M2	$\sigma_D$	t-value
		M	SD	M	SD			
1	संवेगात्मक समायोजन	27.88	7.03	25.78	7.49	2.10	0.59	3.56*
2	सामाजिक समायोजन	22.06	5.09	21.61	5.45	0.45	0.43	1.05
3	शैक्षिक समायोजन	25.39	6.23	24.32	6.63	1.07	0.53	2.02
4	समायोजन	75.33	13.09	71.71	14.39	3.62	1.12	3.23*


\*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

व्याख्या—

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता के आयामों का अलग-अलग अध्ययनोंपरान्त पाया गया कि छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य टी-मान क्रमशः 1.05 एवं 2.02 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से कम है। परिणामतः छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन में समानता है जबकि छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता के मध्य टी-मान क्रमशः 3.56 एवं 3.23 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से अधिक है। परिणामतः छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन में सार्थक अन्तर है। छात्रों में संवेगात्मक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता छात्राओं की तुलना में अधिक है।


ग्राफ नं0 3

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता के आयामों के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



ग्राफ नं0 4

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन क्षमता के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



3. माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन –

**H<sub>03</sub>** माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं0 3

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों एवं समायोजन क्षमता के मध्य अन्तर का टी-अनुपात

क्र. सं.	समायोजन क्षमता के आयाम	शहरी विद्यार्थी (300)		ग्रामीण विद्यार्थी (300)		D= M1~M2	$\sigma_D$	t-value
		M	SD	M	SD			
1	संवेगात्मक समायोजन	26.70	7.52	26.96	7.16	0.26	0.60	0.43
2	सामाजिक समायोजन	22.05	5.45	21.62	5.09	0.43	0.43	1.00
3	शैक्षिक समायोजन	24.93	6.65	24.79	6.25	0.14	0.53	0.26
4	समायोजन	73.67	13.80	73.37	13.95	0.14	1.13	0.12

\*.01 सार्थकता स्तर पर असार्थक


व्याख्या—

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों का अलग-अलग अध्ययनोंपरान्त पाया गया कि कला एवं विज्ञान संकाय विद्यार्थियों के संवेगात्मक

समायोजन, सामाजिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता के मध्य टी-मान क्रमशः 0.43, 1.00, 0.26 एवं 0.12 है जो .01 पर क्रान्तिक मान 2.59 से कम है। परिणामतः संवेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों संकाय के विद्यार्थियों की सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक प्रगति एवं सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व एकीकरण, अनाश्रित एवं समायोजन क्षमता में समानता है।


ग्राफ नं0 5

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के आयामों के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



ग्राफ नं0 6

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता के मध्यमान का ग्राफीय निरूपण



**निष्कर्ष-**

अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये-

1. शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता में समानता है। शहरी विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च तथा ग्रामीण विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च है।
2. छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन में समानता है। छात्रों में संवेगात्मक समायोजन एवं सम्पूर्ण समायोजन क्षमता छात्राओं की तुलना में अधिक है।

3. शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सम्पूर्ण समायोजन में समानता है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, राधा एवं उपाध्याय, हिमानी (2016). अनाथ एवं सनाथ विद्यार्थियों की मनोसामाजिक समस्याओं का अधिगम व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लिनरी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट*, वॉल्यूम-3, इश्यू-12, पृ0 215-217
2. मणिमाला (2020). सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उनके सृजनात्मकता एवं समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित वि0वि0), प्रयागराज।
3. शर्मा एवं कौशिक (2018). सीकर जिले के हाईस्कूल स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन का अध्ययन, *एरियो इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल*, वॉल्यूम-XIV।
4. शर्मा एवं पड़ेगाँवकर (2013). किशोर बालिकाओं में सुरक्षा की भावना एवं समायोजन का शैक्षणिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ फण्डामेण्टल एण्ड एप्लाइड रिसर्च*, वॉल्यूम-1, इश्यू-6, पृ0 3-7।
5. शनि, शीला के. (2015). सोशियो-पर्सनल एडजेस्टमेण्ट एण्ड एचिवमेन्ट ऑफ कल्चर्ली डिसएडवाण्टेज्ड, सेकेण्डरी स्कूल पीपल्स, पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध, महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टयम, केरला।
6. सिंह, दिनेश (2019). स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं की चिन्ता, समायोजन क्षमता एवं मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित वि0वि0), प्रयागराज।
7. सिंह, अमित कुमार (2017). अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालय के विद्यार्थियों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन, *रिसर्च मैग्मा- एन इण्टरनेशनल मल्टीडिस्प्लिनरी जर्नल*, वॉल्यूम-1, इश्यू-10, पृ0 1-4
8. श्रीवास्तव एवं गुप्ता (2016). शिक्षित-अशिक्षित परिवारों का विद्यार्थियों के समायोजन व शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, *एस.आर.एस.डी. मेमोरियल शिक्षा शोध संस्थान*, आगरा, इण्डिया, वॉल्यूम-1, इश्यू-1, पृ0 32-34

# “नासिरा शर्मा के कथा साहित्य में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन”

ज्योति भड़ाना

शोध छात्रा (हिंदी विभाग)

प्रो० (डॉ०) मन्जू शुक्ला

शोध निर्देशिका

हिंदी विभाग, राजकीय स्नतकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा

## सारांश:

मुस्लिम महिलाओं के उन्नयन एवं विकास का प्रश्न वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है इसी क्रम में समकालीन कथा साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान एवं समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपने साहित्य के माध्यम से वाणी प्रदान की है। मुस्लिम महिलाओं की दोगुनी स्थिति को अपने सशक्त एवं बेजोड़ लेखन कोशल से अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के द्वारा प्रस्तुत की है। मुस्लिम महिलाओं की घुटन, पीड़ा, बदरंग जीवन का यथार्थ रूप उजागर किया है। मुस्लिम समाज की रूढ़िगत एवं अपरिवर्तनीय विचारधारा के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाएँ समाज में आज भी सबसे पिछले पायदान पर नजर आती हैं।

**कूट शब्द:**—मुस्लिम महिलाएँ, संघर्ष, समाज उन्नति, मानसिकता, कट्टर धार्मिकता पितृसत्तात्मक।

## प्रस्तावना:

नासिरा शर्मा ने अपने कथा साहित्य में मुस्लिम महिलाओं की यथार्थ संघर्ष को शब्दों के माध्यम से चित्रित किया है। मुस्लिम पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों को कुंठित एवं हीनतापूर्ण जीवन को ही अपना भाग्य मानना पड़ता है। नासिरा जी अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के माध्यम से मुस्लिम नारी की मनः अवस्था का स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। पुरुषों की मानसिक विकृति और महिलाओं को अपने अधीन रखने की रूढ़िगत विचारधारा के चलते महिलाओं को दांपत्य जीवन में कटुता एवं अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नासिरा जी का रचना फलक बहुत विस्तृत है। उन्होंने अपने अनुभव के ठोस धरातल पर अपनी लेखनी का विस्तार प्रदान किया है। वर्तमान में ऐसे निर्भिक लेखकों की समाज को बहुत आवश्यकता है; जो समय पर सही गलत का दर्पण समाज को दिखाने के लिए तत्पर रहें। नासिरा शर्मा उन्ही श्रेष्ठ लेखकों में विशेष स्थान रखती हैं। इनके उपन्यासों में मुस्लिम महिलाओं को एक मानव के रूप में स्थान दिलाने एवं उसकी संवेदनाओं को अनुभव करने के साथ-साथ मुस्लिम पुरुष प्रधान समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने मुस्लिम स्त्री-विमर्श के नए-नए आयामों अपने सृजन-साधना से आकार प्रदान किया है। स्वयं मुस्लिम होकर भी इन्होंने मुस्लिम परिवारों की मानसिकता पर अपनी कलम चलायी और मुस्लिम समाज की बदरंग व्यवस्थाओं, अंधविश्वास धार्मिक कट्टरवादिता, जागरूकता के अभाव के कारण महिलाओं के संत्रास का गंभीरतापूर्वक चित्रण किया। साहित्य जगत् में उनके अगमन् के पश्चात् खल-बली मच गयी। वह किसी वाद या धारा में स्वयं को जोड़े बिना अपने प्रगति पथ पर चलती रहीं।

मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नासिरा जी ने अपनी कहानी एवं उपन्यासों में युगों से पिछड़ी मुस्लिम स्त्रियों के शोषण के वक्तव्य प्रकट किए हैं।

इन्होंने मुस्लिम नारी के जीवन की त्रासदी को अलग दृष्टि से परखकर मुस्लिम समाज के खोखले कानून की पोल खोल दी। ठीकरें की मंगनी' उपन्यास में मुस्लिम इस उपन्यास की महरूख मुस्लिम स्त्री-संघर्ष एवं जीवन की कटूता को सहने वाली सहासी लड़की है। महरूख मुस्लिम समाज में उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती हैं जो रूढ़िगत मानसिकता से अपने उन्नयन एवं मुक्ति के साथ-साथ अन्य मुस्लिम नारी जो मुस्लिम समाज में पूर्णरूप से उपेक्षित, संघर्षशील, शोषण का शिकार हुई हैं वर्षों दबी-कूचली महिलाओं को भी स्वतंत्रता से जो जोड़कर देखने की पक्षधर हैं।



“जब लम्हे शताब्दी की चाल से सरकने लगे, तो जिन्दगी कितनी पुरानी लगने लगती है। महसूस होता है, सब कुछ ठहर गया है और यह ठहराव, जो मौत से भी बदतर होता है; उसे भी जिया है मैंने, जो यह अहसास जगाता है कि सब कुछ खोकर वह कितनी खाली दामन है। यह सब कुछ किससे कहूँ? इसे सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ”<sup>(1)</sup>

महरूख जैदी खानदान की बेटी है; जिसकी जन्म के समय मंगनी हो जाती है। क्योंकि पीढ़ियों से इनके परिवार में कोई बेटी नहीं थी। इसी कारण जन्म के समय एक रुढ़ हो चुकी प्रथा के चलते बच्ची को किसी रिश्तेदार द्वारा अपने बेटे के लिए मांग लिया गया था।

“यह टोटके की रस्म थी, ताकि लड़की जी जाए इसके ददिहाल में तो लड़कियाँ जीती ही न थी। शहिदा ने पैदा होते ही उसे गोद ले लिया था; मगर यह टोटके की रस्म सच पुछों, ठीकरे की मंगनी में बदल झाली थी।”<sup>(2)</sup>

यही रस्म उसके जीवन को दीमक की तरह खोखला कर देती है। उसकी मंगनी खालाजाद भाई रफत से तय होती है; जो मुस्लिम समाज का एक अति महत्वकाक्षी युवक है। वह सबसे पहले स्वयं के लिए सोचता है। अपनी गलतियों पर अपने लिए वकील भी बन जाता है। खुद को निर्दोष भी सिद्ध करने के लिए वह किसी की भावनाओं को भी कूचल सकता है। इसलिए उसे महरूख की कोमल भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। अपने नाम का परचम लहराने के लिए वह विदेश में जाकर किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है। जिस कारण महरूख बहुत आहत होती है। इतना सब होने पर भी परिवार के लोग महरूख से कहते हैं कि वह रफत से निकाह कर ले; रफत ने सो भी गलत किया उसे भूल जाए।

“क्या मैं पूरी जिन्दगी यूँ ही झेलती जाऊंगी या फिर कभी मुझे खड़े होने के लिए ठोस जमीन नसीब भी होगी?”<sup>(3)</sup>

“ठीकरे की मंगनी कददावर लेखिका ने मुस्लिम समाज में महिलाओं के आन्तरिक संघर्ष, घुटन, टूटन को स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि स्त्री तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वह अपने मार्ग एवं लक्ष्य के प्रति सजग न हो वह इसी जंग में तभी जीत सकेगी जब वह स्वयं लड़ेगी।

उपन्यास “जिदां मुहावरे” बटवारे की त्रासदी पर लिखा महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें विभाजन के दर्द को दर्शाया गया है। जिस दर्द की चुभन आज भी बरकरार है; विभाजन के दंश के साथ मुस्लिम महिलाओं के दर्द की परतों को भी गम्भीरता से परखा गया है। “सुगरा” के मानसिक द्वन्द एवं विघटन तनाव, संत्रास, जो मुस्लिम समाज में स्त्रियों के लिए ही अधिक बने है उसका उत्कृष्ट रूप इनके इस उपन्यास में देखा जा सकता है। परिवार में विभाजन के बाद महिलाओं को अनेक विषम परिस्थितियों गुजरना पड़ता है।

“खानदानी रिवाज यही रहा है कि शरीफों का दस्तुर रहा है कि जिससे लड़के-लड़की का नाम बधँ गया, बस जिंदगी अच्छी बुरी उसी के साथ कट गई”

नासिरा जी मुस्लिम समाज में पली-बड़ी होने के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य को भी परखने की क्षमता रखती हैं। मुस्लिम नारी से जुड़े सभी तथ्यों के पैनी दृष्टि से जाँचा है यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है।

“पारिजात” उपन्यास मानवीय संवेदनाओं का पुख्ता दस्तावेज है। भारतीय संस्कृतियों का अनुपम संगम है। यह उपन्यास इनकी सृजनात्मकता का निचोड़ है। पारिजात में एक साथ बहुत-सी कहानियाँ चलती हैं। यह समाज, परिवार, प्यार, मानवीय रिस्ते जो जाति, धर्म, भाषा एवं नस्ल के आधार पर विविधता में अखण्डता को समेटे हुए हैं; स्त्री किस प्रकार अपनी ममतापूर्ण आत्मा से पुरुष की जिजीविषा को पुनः संचारित करती है इसका अद्भूत चित्रण नासिरा जी की बहुचर्चित “पारिजात” उपन्यास में सहज रूप से स्पष्ट है। ‘रूही’ मुस्लिम समाज की उच्चवर्गीय महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो शिक्षित है।

“दूसरी जन्मत” नासिरा जी का एक लघु उपन्यास है जिसमें इन्होंने बड़ी बारीकी से मुस्लिम समाज का यथार्थ रूप उकेरा है। नवीन ज्ञान एवं अविष्कारों को किस प्रकार देखा समझा जाता है इस्लामिक मापदंडों के आधार पर यह इस रचना में स्पष्ट है। यह दो कथानक में विभक्त है जिसके

दुसरे भाग में वर्तमान युग की स्त्री समस्याओं एवं समाधान पर चर्चा की गई है। स्त्री का बांझ होना उसके लिए अभिशाप की तरह होता है। निःसान्तान महिलाएँ मुस्लिम समाज में अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं का जीवन बड़ी विडम्बनाओं और अनसुलझे सवालियों से दो-चार हो रहा है। इतने दशकों बाद भी मुस्लिम महिला समाज में उपेक्षिता की भाँति जीवन यापन कर रही हैं। वंशवृद्धि करने में अक्षम महिलाओं का जीवन और अधिक जटिल हो जाता है।

“रुखसाना को लगा जैसे उसकी कज़न का जख्म निसंतान होने का उसके सामने खुल गया है। राना की तरह यह पीड़ा तो मैंने भी सही है, फिर उनकी आत्महत्या का दर्दनाक दृश्य....”<sup>(6)</sup>

आज भी स्त्री यदि निःसान्तान हो तो समाज में उसे अनेक दंश झेलने पड़ते हैं। परिवर्तन एवं विज्ञान के बावजूद अभी भी मुस्लिम महिलाओं की डगर सरल नहीं है। शिक्षा के अभाव के कारण आज भी इस वर्ग की सोच बहुत पिछड़ी है।

गुलजार और फरहाना दोनों संतान के लिए तड़प रहे होते हैं तकनीकी खोज की सहायता से उनके जीवन में संतान प्राप्ति से बदलाव होता है। परन्तु उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं ठहर पाती। पुरुष (गुलजार) की अहमवादी सोच जागृत होती है उसी क्षण से फरहाना की जिन्दगी पूरी तरह से बिखर जाती है। इन बिखराव को समेटते-समेटते वह स्वयं टूट जाती है।

“औरत अपनी ममता की प्यास बुझाने के लिए स्पर्म बैंक की मदद लेती है तो उसकी कीमत उसे अपनी व्याहता जिंदगी की कुर्बानी से अदा करनी पड़ेगी। यह तो इन्साफ न हुआ औरत के साथ।”<sup>(6)</sup>

पिता बनने के लिए गुलजार दूसरी शादी करता है क्योंकि उसे खुद का बच्चा चाहिए। जब यह बात उसकी पत्नी (फरहाना) को पता चलती है; तो वह सहन नहीं कर पाती अपने पती का विरोध करती है। मुस्लिम समाज में धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरवादिता के कारण। फरहाना को ही सवालियों के कटघरों में खड़ा कर दिया गया उसके फोन पर धमकिया मिलने लगी। उसके चरित्र पर अभद्र टिप्पणियों की जाने लगी।

“यहाँ कि मर्द को दूसरी शादी की इजाजत है मुताह की इजाजत है मगर औरत के पास सिवाएँ शौहर से औलाद पाने के अलावा कोई रास्ता हमारे आलिम क्यों नहीं तलाश रहे है।”<sup>(7)</sup>

आज परिवर्तन के दौर में भी मुस्लिम महिलायें पारिवारिक, धार्मिक तथा सामाजिक संकीर्ण मानसिकता के कारण घुट-घुट कर जी रही है। उनकी इस दशा को लेखिका ने तल्लिखियों के साथ अपने साहित्य में दिखाया है।

“मर्द-औरत का यह रिश्ता अपने में एक सच है मगर जब वह इन्सानों की बनाई बंदिशों, नियमों पर खरा नहीं उतरता तो वह हराम और हलाल में बदल जाता है।”<sup>(8)</sup>

मुस्लिम परिवारों में समय के साथ चलने एवं परिवर्तन को स्वीकार करने को धर्म के साथ छेड़-छाड़ या मजहब पर हमला मानकर पीछे कदम खींच लिया जाता है। जिस कारण मुस्लिम समुदाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से इतना अधिक पिछड़ा नजर आता है। इस दूरी को मापने में उसे न जाने कितने दशक लगेंगे।

अब तक नासिरा जी के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जिसकी एक-एक कहानी चुनिंदा फुलों का गुलदस्ता है। ये जितनी सशक्त एवं बेजोड़ उपन्यास रचने में है उतनी ही उम्दा कहानियों के सृजन में भी हैं। अपनी प्रखर लेखनी से इन्होंने आधुनिक युग की सभी समस्याओं एवं चर्चित मुद्दों पर धारदार लेखन किया है। इन्होंने मानवीय द्वंद्व एवं मूल्यों की जद्दोजद को पूर्ण निष्ठा से आकार दिया है। इनकी कहानियों में स्त्री परिवेश को ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को समाज से परिचित कराया है।

कट्टरपंथी मुस्लिम समाज न जाने क्यों अपने अस्तित्व को लेकर इतना डरा हुआ है, मुस्लिम समाज कट्टरवादिता के चलते महिलाओं के विकास में बाधक बनता रहा है। जबकि ‘कुरान’ महिलाओं को शिक्षित होने एवं विकास मार्ग पर बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करता है; लेकिन व्यवहारिक रूप में कुरान के ये नियम-कायदे महिलाओं के पक्ष में लागू नहीं किये जाते हैं। इसके पिछे पुरुषों का ही षडयन्त्र है। इसी लिए नासिरा जी ने धर्म की सही व्याख्या को महिलाओं के लिए समझना प्रथम

महत्वपूर्ण कड़ी माना है क्योंकि समाज में उनके अधिकार उन से इसलिए छीन लिए जाते हैं उसका एक कारण अधिकारों का ज्ञान न होना है। इसलिए आज इतने वर्षों बाद भी मुस्लिम महिलाएँ घर की दहलीज लाँघकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में अपना स्थान मुकम्मल नहीं कर सकी हैं। मुस्लिम समाज में मेहर की प्रथा है जो निकाह के समय लड़के के द्वारा लड़की को निश्चित धन राशि बतौर मेहर दिया जाता है। नासिरा शर्मा के कहानी संग्रह की लोकप्रिय कहानी "खुदा की वापसी" में इसका बड़ा रोचक रूप देखने को मिलता है। परिवार द्वारा लड़की को शिक्षा दी जाए कि उन्हें 'कुरान' व शरियत कानून के साथ, देश के संविधान द्वारा निर्मित कानून एवं अधिकारों का इल्म होना चाहिए। अन्यथा उनका सोषण इसी प्रकार होता रहेगा। इस कहानी की नायिका फरजाना एक अच्छे परिवार से है उसका निकाह जुबैर से होता है। जुबैर बातों के जाल में फंसाकर मेहर की रकम माफ करा लेता है। जबकि 'कुरान' में मेहर माफी का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता।

"लाहौल... क्या जिहालत है... यह तो सरासर मर्द समाज में मर्द की एक चाल है, ताकि व औरत का हर हथियार छीन ले, कहीं प्यार से कहीं कानून से कहीं जुल्म से... पता नहीं, पैसे के लालच में और औरतों की आजादी से खौफजदा मर्दों ने जाहिल मौलवियों को अपना रहबर क्यों मान लिया।" (9)

फरजाना अपने पति के इस छल से आहत होती है और सोचती है कि क्या कभी जुबैर को अपने किये पर पछतावा भी होगा या नहीं अपनी कहानियों के द्वारा ये मुस्लिम नारी को स्वयं के लिए आवाज बुलंद करने की हिदायत देती हैं, तभी अपने हिस्से के सम्मान को प्राप्त कर सकेंगी। मुस्लिम समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है। जिसका एक रूप लिंग भेद है। जिस कारण पुरुषों को श्रेष्ठ एवं महिलाओं को निम्न माना जाता है मुस्लिम समाज में लैंगिक भेदभाव के कारण नारी को मर्दों की कठपुतली बनकर उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। नासिरा जी की कहानियों में भारत की माटी के साथ-साथ भौगोलिक सीमाओं से परे की गहरी मानवीय संवेदनाओं, मूल्यों एवं नारी: अस्मिता एवं संघर्ष के समन्वित रूप की छलक मिलता है। इराक व इरान, कुवैत, अफगानिस्तान, इजरायल की महक इनकी कहानियों से आती है। ये मिट्टी की खुशबु पहचानने में प्रखर है, अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की समस्याएँ भी भिन्न होती है।

"मुस्लमान औरत चारों तरफ से घिर गई। एक तो वह अपने धर्म के बारे में जानती न थी, क्योंकि वह अरबी भाषा में है, दूसरे जो उर्दू में भी है, तो वह शिक्षित नहीं कि उर्दू भी पढ़ सके, सो वह पूरी तरह पति और मौलवी पर निर्भर है। उसकी अपनी कोई आवाज नहीं रह जाती।" (10)

उपर्युक्त कथन से यह बात निकलकर आती है कि मुस्लिम महिलाओं को अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व बोध के लिए स्वयं तत्पर होना होगा अन्यथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था में चारदीवारी ही उनकी नियती बनकर रह जायेगी। समानता एवं स्वतन्त्रता तब तक उनको नहीं मिलेगी जब तक वह शिक्षित एवं जागरूक नहीं होगी। नासिरा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और उनकी आजादी के प्रसंग को बड़ी शिद्दत से वाणी दी है। अपनी प्रगतीशील दृष्टि से उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों का सही अध्ययन करके मुस्लिम महिलाओं तक धार्मिक जागरूकता फेलाने की कोसीस की है। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की दूरदसा धर्म की आड़ में किये गए श्रोसड़ का ही परिणाम है।

"मैंने शरीयत कानून का अध्ययन किया, तो पता चला कि इस्लाम ने औरत को कई अधिकार दे रखे हैं, जिसका पता उसे खुद नहीं है। मुझे हैरत और शर्मिंदगी दोनों हुई और मैंने शरीयत पर आधारित कुछ कहानियाँ लिखीं, ताकि वह दूर तक पढ़ी और सुनी जाए।" (11)

इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा मुस्लिम परिवारों में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, एवं दयनीय स्थिति को उजागर कर मुस्लिम समुदाय की खोखली मानसिकता को प्रकट किया है। मुस्लिम नारी के बराबरी के दर्जे एवं विकास में बाधक बनने वाले सभी असमाजिक तत्वों की निंदा की है। पुरुष प्रधान समाज की दमनकारी नीतियों एवं धार्मिक आडम्बरों की आड़ में महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य किए जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी "बावली" की महिला पात्र सलमा है जो अपने वैवाहिक जीवन में अभावों एवं उपेक्षाओं के साथ जीवन जीने को ही अपनी नियती मान लेती है।

‘मैं अपने को हमेशा से दूसरों में बाँटती आई हूँ ठीक बावली के पानी की तरह जिस किसी को प्यास लगी, मेरी वजूद की सीढ़ियाँ उतरता सीधा नीचे चला आया और खाली बर्तन भरकर ले गया।’<sup>(12)</sup>

मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक शोषण पर नासिरा जी ने कई कहानियाँ लिखी हैं जिसमें, ‘दरवाज-ए-कजबिन’ ‘संगसार’, गुंजादहन, खुदा की वापसी, उडान की शर्त, आवे-तौबा’, पत्थर गली’, आदि महत्वपूर्ण हैं; जो उनके उत्कृष्ट साहित्य लेखन की अनुपम निधि हैं। मुस्लिम महिलाओं की भी मानव्य संवेदनाएँ एवं इच्छाएँ हैं जिनको पूरा करना उनका अधिकार है। परन्तु विद्वम्बना यह है कि उनके जीवन में कुछ भी उनके अनुसार नहीं होता।

‘‘वह जो चाहती है, उसकी आत्मा की जो माँग है वह उसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अपने इस घर में तो बस दूसरों की दया और मर्जी से जीना है।’’<sup>(13)</sup>

इन्होंने कहानियों के द्वारा मुस्लिम नारी के अभावग्रस्त जीवन को रेखांकित किया है।

सच है, नारी की भावनाओं की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति से नासिरा ने मुस्लिम-समाज में नारी के अस्तित्व को अस्मिता प्रदान की और जीवन की तमाम जटिलताओं के वर्णन ने उनकी लेखनी की भाषा को संस्कार दिया। उनकी कुछ कहानियों की पृष्ठभूमि में स्त्री की न केवल छाया रही बल्कि मुख्यतः मुस्लिम नारी एक प्रतिबिंब के रूप में नज़र आती है।<sup>14</sup>

अपनी सरर्जनात्मकता के द्वारा इन्होंने मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी रूढ़ियों एवं भ्रामक धारणाओं का खण्डन किया है।

‘‘औरतों के हक-हकूक, आज़ादी के नाम पर रात-दिन ऊँची आवाज़ें और उग्र, आक्रामक भाषा में हाय-तौबा करके हाथ-पैर फँकने-नचाने वालों को इन कहानियों को पढ़कर यह पता लग सकता है कि औरत की आजादी, वीरता संघर्षों, दर्दों, जख्मों की बातें शाइस्तगी और खामोशी के साथ भी सामने लाई जा सकती हैं।’’<sup>15</sup>

समाज के कठोर सत्य को एवं भविष्य की असीमित सम्भावनाओं को खोजने वाले साहित्यकार बहुत कम देखने को मिलते हैं उन्हीं साहित्यकारों में नासिरा शर्मा जी, अग्रिम स्थान रखती हैं, जो प्रसिद्धी की चकाचौंध के चक्कर में न पड़कर शालीनता एवं कर्तव्यनिष्ठा के आधार पर अपनी लेखनी से समाज की रूढ़ियों अंधविश्वासों, जड़ताओं को नष्ट करने की चेष्टा करती हैं। बिना किसी रक्त-बहाव के बड़े बदलावों को सहजता से समाज में स्थापित करने की अद्भूत क्षमता रखती हैं। इनके द्वारा रचित साहित्य अपने दौर के शिलालेख हैं।

### निष्कर्ष

निःसंदेह नासिरा शर्मा उन कर्मठ साहित्यकारों में से हैं; जो उन संवेदनशील मद्दों को चुनती हैं, जिन्हें अन्य साहित्यकार भय से पीछे धकेलते हैं। मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर लेखनी चलाने से सभी कतराते नज़र आए; परन्तु नासिरा जी ने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को पर्दे में छिपे होने के बाद भी उजागर किया। इनकी कहानियाँ मुस्लिम समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ये समाज और राष्ट्र के लिए अपने दायित्व को जानती हैं और निष्ठापूर्ण निभाती भी हैं। मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियाँ पर्दा प्रथा, बहुविवाह, तीन तलाक, अशिक्षा आर्थिक कमजोरी, मानसिक शोषण, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के दर्द को न सिर्फ इन्होंने समझा बल्कि कागज पर यथा रूप में उकेरा भी है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव हो रहे हैं; उनकी गति बहुत धीमी है। जिस कारण स्थिति परिवर्तित होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। परन्तु सकारात्मक बदलाव अवश्य होगा। इसी आशा के साथ आज भी इनका साहित्य विस्तारित हो रहा है

मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा की और कदम बढ़ाना आरम्भ कर दिया है, किन्तु आधुनिक दौर में मुस्लिम महिलाएँ बदलते परिवेश के साथ पूर्णतः कदमताल नहीं मिला पा रही हैं, फिर भी अनेक स्थलों पर उनके उत्थान के लिए कार्य किये जा रहे हैं सरकार द्वारा भी कठोरता से कानून लागू किये गये हैं। इससे उनकी स्थिति में आशाजनक सुधार लाया जा सके।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, किताब घर प्रकाशन, पृ.सं. 11
2. ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, किताब घर प्रकाशन, पृ.सं. 17
3. ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, किताब घर प्रकाशन, पृ.सं. 102
4. नासिरा शर्मा: एक मूल्यांकन, सम्पादक, एम.फिरोज अहमदख पृ.सं. 139
5. दूसरी जन्त, नासिरा शर्मा, पृ. 78
6. दूसरी जन्त, नासिरा शर्मा, पृ. 88
7. दूसरी जन्त, नासिरा शर्मा, पृ. 89
8. दूसरी जन्त, नासिरा शर्मा, पृ. 89
9. खुदा की वापसी, नासिरा शर्मा, कहानी संग्रह-2, किताबघर प्रकाशन, पृ.सं. 398
10. औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, सामयिक प्रकाशन, पृ. 62
11. औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, सामयिक प्रकाशन, पृ. 63
12. बावली, नासिरा शर्मा, सामयिक प्रकाशन, पृ. 289
13. पत्थर गली, नासिरा शर्मा, सामयिक प्रकाशन, पृ.
14. नासिरा शर्मा के कथा-साहित्य में स्त्री मुक्ति चेतना, स्वाती सिंह, आयुष्मान पब्लिकेशन हाउस, पृ. 233
15. नासिरा शर्मा : शब्द ओर संवेदना की मनोभूमि, पृ.सं. 172

## मानवाधिकार एवं गैर सरकारी संगठन

डॉ० दिलीप कुमार सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर—राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय, रावर्टसगंज —सोनभद्र (उ०प्र०)

### शोध—आलेख सार

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। चाहे मानव को प्रदत्त अधिकारों का समावेश किसी संविधान में हो या न हो, मानव के वे सभी अधिकार अपनी जगह स्थित हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा इन अधिकारों का मूल है। मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार होते हैं जिनका जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ क्योंकि इन अधिकारों के बिना वह न तो गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता तथा संस्कृति का विकास कर सकता था।

**मुख्य—शब्द :** अमरीकी क्रान्ति, फ्रांसीसी, बसुधैव कुटुम्बकम्।

अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से बिना जाति, धर्म, लिंग तथा वर्ण के भेदभाव के प्रदान किये जाते हैं। अरस्तू ने कहा था कि "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।" मनुष्य में अन्तर्निहित सामाजिक तत्त्व उसमें सामाजिकता का भाव उत्पन्न करके उसे समाज निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं जबकि उसके बौद्धिक तत्त्व उसे अन्य मनुष्यों के साथ उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य की स्थापना के लिए उत्साहित करते हैं। इस प्रकार समाज व राज्य द्वारा व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु जरूरी स्वतन्त्रता व अधिकार दिये जाते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर सकता है।

लास्की ने ठीक ही कहा है, "बिना अधिकार के कोई स्वतन्त्रता नहीं हो सकती और प्रत्येक राज्य अधिकारों के संरक्षण से ही जाना जाता है।" "अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करने की व्यवस्था करता है।" राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम था जिसका प्रतिपादन हॉब्स, लॉक एवं रूसो द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया। इसी सिद्धान्त के आधार पर मानवाधिकारों के दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। मानवाधिकार का विचार उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता।

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। चाहे मानव को प्रदत्त अधिकारों का समावेश किसी संविधान में हो या न हो, मानव के वे सभी अधिकार अपनी जगह स्थित हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा इन अधिकारों का मूल है। मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार होते हैं जिनका जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ क्योंकि इन अधिकारों के बिना वह न तो गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता तथा संस्कृति का विकास कर सकता था।

ये अधिकार मनुष्य की प्रकृति में निहित होते हैं तथा जो उसके मनुष्य जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं ये व्यक्ति, की योग्यताओं के पूर्ण विकास के साथ-साथ मानवीय योग्यताओं, वृद्धि तथा चेतना के प्रयोग द्वारा अपने हितों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यक शर्तें होती हैं। इनका अस्तित्व किसी विशेष समाज की विशेष परिस्थितियों तथा स्वीकृति पर निर्भर न होकर एक चेतना युक्त, आत्मसम्मान वाले मानव व्यक्ति की प्रकृति में ही निहित होते हैं। यह विश्व के लोगों के प्रसन्न तथा समूह जीवन जीने के लिए प्राकृतिक और आवश्यक परिस्थितियाँ हैं।

मानव अधिकार हमें अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा तथा अन्तर्विवेक का विकास करने में सहायक होते हैं जिससे हम अपनी भौतिक, आध्यात्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सन्तुष्टि कर सकें। मानव अधिकार मनुष्य की एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ती हुई माँग पर आधारित है जिससे मानव की अन्तर्निहित गरिमा एवं गुण का सम्मान हो तथा उसे संरक्षण प्रदान किया जाये। इन अधिकारों को किसी विधायिका या सरकार के किसी कृत्य द्वारा नहीं छीना जा सकता है। बहुत समय तक व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा विकास का कार्य राज्य के एकमात्र अधिकार का विषय रहा मानव अधिकारों के अभाव में व्यक्ति जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी मानव अधिकारों के अस्तित्व का वर्णन है सन 1215 का ब्रिटिश मेग्नाकार्टा को मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जा सकता है, 1776 की अमरीकी कान्ति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मानवाधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।

20वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस विचार को अपनाने के लिए आगे आया कि मानव अधिकार और स्वतन्त्रताएं साझा विषय हैं तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे कदम बढ़ाये जिनसे मानव अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हो तथा इनकी सुरक्षा और विकास मानवता का साझा उद्देश्य और ध्यान का केन्द्र बन जाये। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। इसमें 1 प्रस्तावना तथा 30 अनुच्छेदों के साथ नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें ऐसे अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें विश्व के समस्त देशों के स्त्री-पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, निरंकुश गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से मुक्ति, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने

जाने का अधिकार, विवाह करने का, और परिवार बसाने का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने की स्वतन्त्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र मानव सभ्यता के इतिहास में पहला दस्तावेज है जिसमें अधिकारों की न सिर्फ विस्तृत व्याख्या की गई अपितु इसे नई विश्व व्यवस्था के आदर्श के रूप में स्थापित किया गया।

इस घोषणा के बाद महासभा ने अपने सभी सदस्य देशों से इस घोषणा की विषयवस्तु का प्रचार करने तथा किसी देश या क्षेत्र के राजनैतिक दर्जे की भिन्नता के आधार पर भेदभाव किये बिना इसे मुख्य रूप से स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में इसके प्रचार-प्रसार द्वारा इसे बढ़ावा देने पर बल दिया। सभी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के साथ मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने तथा उनका पालन करने का प्रण किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह घोषणा-पत्र किसी प्रकार का कानूनी दस्तावेज न होकर एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है इसकी प्रस्तावना संसार में स्वतन्त्रता, न्याय और शांति की स्थापना का लक्ष्य रखती है इसमें उन नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो प्रत्येक देश के नागरिक को प्राप्त होने चाहिए।

मानव अधिकार मानव के मानव के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनिवार्य होते हैं जहां तक भारत में मानवाधिकारों का सम्बन्ध है यहाँ सभ्यता के आरम्भ से ही उन्हें महत्त्व दिया जाता रहा है। 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के उपरान्त भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई और तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत में एक प्रजातन्त्रिक गणराज्य की स्थापना हुई तथा स्वतन्त्र भारत ने अपने समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक उद्घोषणा में प्रतिपादित मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर अपने जिस संविधान का निर्माण किया उसे मानव अधिकारों के अनोखे दस्तावेज की संज्ञा दी जा सकती है। मानव अधिकार के सभी रूपों को भारत के संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित कर दिया।

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा की संकल्पना सदियों पुरानी है। भारतीय धर्मग्रन्थों में मानवाधिकारों की रक्षा की संकल्पना अहिंसा, सहिष्णुता, अक्रोध, दान, सर्वधर्म समभाव, आदि रूपों में प्रकट हुई है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा का तत्त्व अहिंसा सिद्धान्त और सहिष्णुता के रूप में देखा जा सकता है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" व "आत्मवत् सर्वभूतेषु" के विचार भारतीय मानवाधिकार दर्शन की अमूल्य निधि है। भारतीय मानाधिकार दर्शन के स्तम्भ चार पुरुषार्थ— धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष है जो यथार्थ. में अंतःकरण की स्वतन्त्रता, आर्थिक अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार व सांस्कृतिक अधिकार व इसके साथ ही भारतीय मानवाधिकार दर्शन की व्यापक अभिव्यक्ति पं० दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' में हुई जो भारतीय मानवाधिकार विचार का परम बिन्दु कहा जा सकता है।

हमारे देश में प्रत्येक युग में मानवाधिकार के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" का सन्देश दिया था। कबीर, तुलसी, रैदास आदि ने भी अपनी रचनाओं में मानव अधिकारों के महत्त्व को समाज के सामने रखा। डॉ० भीमराव . अम्बेडकर ने 20वीं सदी में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, अस्मिता, समानता और मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया। डॉ० अम्बेडकर ने समाज के निम्न वर्ग के सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक अधिकारों को मानव अधिकारों से जोड़ा।

भारत के संविधान में मानवाधिकार के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त किया गया है जिसमें सभी व्यक्तियों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, रंग तथा वर्ण के भेदभाव के बावजूद समान माना गया है तथा सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, सिविल, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अन्तर्गत रखा गया है। ये सभी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मर्यादित हैं और इनके हनन के विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है। संविधान के अनु० 14 से लेकर 18 तक नागरिकों के समानता के अधिकारों का उल्लेख है जिसमें कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत व उपाधियों का अन्त आदि शामिल हैं। संविधान के अनु 19 से लेकर 22 में स्वतन्त्रता के अधिकारों का तथा संविधान के अनु० 23 एवं 24 द्वारा नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है, अनु० 25 से 28 में नागरिकों को प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक अधिकार अनु० 29 व 30 द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को अपनी संस्कृति एवं शिक्षा की उन्नति सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं तथा संवैधानिक उपचार संविधान के अनु० 32 द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार पृच्छा सम्बन्धी आदेश जारी कर सकते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्यों के प्रशासन के लिए दिए गए निर्देशों की व्यवस्था की गई है इसके अन्तर्गत अनु० 36 से अनु० 51 तक समावेश किया गया है। मानव अधिकार के सभी रूपों को भारत के संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित कर दिया।



मानवाधिकार वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह बात और है कि हमने आर्थिक प्रगति कर ली है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ चुके हैं परन्तु जब तक मानव को उसके मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तब तक सब व्यर्थ है। जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र जैसे कारणों को आधार बनाकर मानव को न्यूनतम मानवीय व्यवहार से वंचित किया जा रहा है। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की स्थापना के लिए वैयक्तिक और संस्थागत संघर्ष चल रहे हैं जो सम्पूर्ण मानवता के हित में है। यह भी उल्लेखनीय है कि मानव कितना ही स्वार्थी हो कुछ अंश तक वह आदर्शवादी भी होता है और इसी आदर्शवादिता की चमक से प्रभावित होकर अनेक गैर-सरकारी संगठनों का निर्माण हुआ है। जिन्होंने ईमानदारी से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है ये संगठन भी अनेक लोगों की आशा की किरणें हैं।

गैर सरकारी संगठन, किसी देश के भीतर ऐसा संगठन है जो समाज के उपेक्षित लोगों के हितों की देखरेख करता है, क्योंकि ये लोग स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त संगठित व समर्थ नहीं होते। ऐसा संगठन उनकी समस्याओं का पता लगाता है उनके कारणों की जांच करता है तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रभावित लोगों को उपयुक्त सलाह व सहायता देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव 27 फरवरी, 1950 को अंगीकार किया गया जिसमें परिभाषित किया गया कि गैर सरकारी संगठन का अर्थ है— “कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में, इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो सरकार से स्वतन्त्र हो।” इस संगठन में वैतनिक व अवैतनिक दोनों प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं तथा ये संगठन शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जनता के विकास हेतु कार्यरत रहते हैं।

#### गैर-सरकारी संगठनों की विशेषताएं इस प्रकार हैं—

- 1) यह स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक या सामाजिक स्तर से नीचे के स्तर के लोगों को सशक्त, समर्थ बनाने का कार्य करता है।
- 2) ये संगठन स्वपोषित नहीं होते हैं। इनके पास अपने स्वयं के वित्तीय स्रोत बहुत ही सीमित होते हैं। इन्हें बाहरी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इस हेतु ये संगठन सरकारी एजेंसी और विदेशी दानदाता एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं।
- 3) इन पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता है, ये स्वायत्तशासी संगठन होते हैं तथा पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हैं तथा ये सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से अलग रहते हुए भी मुक्त रूप से कार्य करते हैं।
- 4) इन संगठनों की स्थापना इनमें कार्य करने वाले लोगों की स्वयं की इच्छा होती है।
- 5) जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए वे स्वयं प्रयासरत रहते हैं।
- 6) मानव कल्याण, विश्व-बन्धुत्व तथा लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हेतु प्रयासरत हैं।
- 7) ये संगठन जनकल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं।
- 8) ये संगठन योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्य को लेकर अपनी सम्पूर्ण कार्यनीतियां निश्चित करते हैं।
- 9) यह समाज विकास प्रेरित संगठन है जो समाज को सशक्त और समर्थ बनाने में विशिष्ट भूमिका का निर्वन करता है।
- 10) यह जन समुदाय को मदद देने, उनके विकास और कल्याण के कार्यों में जुटा रहता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारम्भ से ही गैर-सरकारी संगठन इसके सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल' बनाए जाने में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गैर-सरकारी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनु, 71 के अन्तर्गत मातृता प्राप्त है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आर्थिक व सामाजिक परिषद् द्वारा इस प्रकार के प्रयास किये जाये जिससे गैर-सरकारी संगठनों को परामर्शदात्री भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के लोक सूचना विभाग के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठन पंजीकृत है। जो संयुक्त राष्ट्र को समय-समय पर मानवाधिकार के हनन की सूचना देते हैं और हनन के कारणों की जाँच करने में सहायता प्रदान करते रहते हैं।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार से सम्बंधित विभिन्न गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गैर- सरकारी संगठनों में प्रमुख है- एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच आदि। भारत में मानवाधिकार से सम्बंधित गैर-सरकारी संगठनों में प्रमुख है 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी' एवं पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं इंडियन पीपुल्स ह्यूमन राइट्स वाच आदि।

गैर-सरकारी संगठन प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, सशक्तिकरण, सामाजिक विकास, सामाजिक जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता 'पशुकल्याण, आर्थिक और वित्तीय संसाधन प्रबंधन विकास, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार जैसे किसी भी उद्देश्य के लिए कार्य कर सकते हैं जो समाज के सदस्यों, व्यक्तियों व समाज की उन्नति में सहायक व उपयोगी है। गैर-सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण हेतु प्रशासनिक तौर पर कार्य करना होता है।

भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों का बड़ा भाग शामिल किया गया। स्वतंत्रोत्तर भारत में मानवाधिकार के संरक्षण के संदर्भ में तमाम प्रावधान, व्यवस्थाओं एवं प्रयत्नों के बावजूद स्वतंत्र भारत की सरकार एवं नेता अपने वायदों में विफल रहे। तथा 1975-77 के वर्षों के आपातकाल ने मानवाधिकार आंदोलन की विवशता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था किन्तु नये सरकारी एवं गैर-सरकारी समूहों एवं संगठनों के उद्भव एवं विकास से इस आंदोलन में एक नयी ऊर्जा का संचार हुआ अब मानवाधिकार आंदोलन का सरोकार सिर्फ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के संरक्षण तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि नारी अधिकार, दलित, शोषित, वंचित एवं हीनतम स्थिति के लोगों के अधिकार, पर्यावरण अधिकार, उपभोक्ता अधिकार इत्यादि भी आज इस आंदोलन के प्रमुख सरोकारों के रूप में उभरे हैं। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष रहा हो जो मानवाधिकार आंदोलन से अछूता रहा हो।

राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों के गठन तथा अन्य मानवाधिकार समूहों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं। इन संगठनों ने शोषित, दमित, वंचित, प्रताड़ित वर्ग के लोगों के लिए मानवाधिकार आंदोलन की आग को प्रज्वलित रखा और इस संदर्भ में सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। यह इन्हीं संस्थाओं के प्रयासों का फल है कि देश में मानवाधिकार आंदोलन को ना सिर्फ टोस आधार प्राप्त हुआ बल्कि एक नये रूप में उभरकर सामने आया और इस आंदोलन में अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, पर्यावरण, महिला मुक्ति, पिछड़ा वर्ग व वंचित वर्ग अधिकार इत्यादि मांगे भी शामिल हो गई।

जनहित याचिका की धारणा के विकास से मानव अधिकार आन्दोलन को और भी गति मिली तथा सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित पक्ष की ओर से कर सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है गैर-सरकारी संगठनों में एक नये उत्साह का संचार हुआ। अब जनहित याचिका मानवाधिकार के संरक्षण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित हुआ।

**गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वर्तमान में मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन में निभाई जा रही भूमिका इस प्रकार है-**

- 1) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश व विदेश में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने के लिए सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं।
- 2) गैर-सरकारी संगठन बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं द्वारा न्यायालयों के समक्ष वाद दाखिल करते हैं।
- 3) समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, साम्प्रदायिकता, स्त्री-पुरुष असमानता, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित नई व्यवस्था लाने में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

- 4) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जनता व सरकार के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई जाती है जिससे यह संगठन जनता की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं।
- 5) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकार को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए नए कानून बनाने के लिए दबाव डाला जाता है।
- 6) इनके द्वारा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक विचार कार्यक्रमों गोष्ठियों, पोस्टर, पुस्तिकाओं के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं।
- 7) गैर-सरकारी संगठन, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करता है जो स्वयं अज्ञानता व श्रम स्वयं के हित के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं।
- 8) गैर-सरकारी संगठन होने के नाते जहां-जहां भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उस देश की सरकार की आलोचना ये बेहिचक कर सकते हैं।
- 9) ये संगठन राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपना मत, किसी भी विषय पर आसानी से जाहिर करने में समर्थ होते हैं।

तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवस्थाओं के प्रयत्नों के बावजूद मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न आज भी भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर रहा है फिर भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन की इस दिशा में सक्रियता एवं गतिशीलता आज भी बनी हुई है।

### निष्कर्ष

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष आज एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है। विश्व में मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए सक्रिय और संघर्षशील व्यक्तियों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है लेकिन फिर भी यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश-विदेश में मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है अतः सरकार द्वारा भी गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इन संगठनों को भी चाहिए कि मात्र अपनी लोकप्रियता के लिए सरकारी की उचित कार्यवाहियों का विरोध न करे ताकि जनता का विश्वास इन संगठनों पर बना रहे। विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा के हित में गैर-सरकारी संगठनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है। वास्तव में सामाजिक रूप से समर्पित गैर-सरकारी संगठन, दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

### संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ० वीरेन्द्र यादव, मानवाधिकार के विविध संदर्भ, 2012
2. शोभा नाटाणी, गैर सरकारी संगठन, 2015
3. डॉ० बी०एल० फडिया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 2018
4. डॉ० रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एवं राजनीति, 2020
5. डॉ० एच० ओ० अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, 2000
6. लाटर पैट, इन्टरनेशनल लॉ एण्ड ह्यूमन राइट्स, 1950
7. महासभा संकल्प 2526 (XXV) दिनांक 24 अक्टूबर 1970
8. एम०ई० टार्ड, इन्टरनेशनल कम्प्लेन्ट प्रोसीजर फॉर बायलेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1988
9. डी०डी० बसु, इन्ट्रोडक्शन टू द कन्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया, 1954
10. डी०डी० बसु, कमेन्ट्री ऑन द कन्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया, 1954

# वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन : मानव की भूमिका

मिथिलेश कुमार गौतम

असिस्टेंट प्रोफेसर (प्राणि विज्ञान),  
भा0रा0दे0राजकीय महाविद्यालय दुद्धी-सोनभद्र

## सारांश :-

जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। इसी बदलाव का कारण प्राकृतिक व मानव जनित हो सकता है। औद्योगिक विकास की अन्धी दौड़ ने इस प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। जिससे वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसें के प्रतिशत में वृद्धि के कारण वायुमण्डल से बाहर जाने वाली सूर्य प्रकाश की उष्मा का अवशोषण जरूरत से ज्यादा होने लगा है जिससे क्षोभमण्डल में उष्मा का जमाव अधिक होने लगा है। इस स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। अगस्त 2021 में आई0पी0सी0सी0 कर रिपोर्ट आई है जिसमें यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि विश्व के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 2040 तक 1.5 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा 2050 तक 2.0 डिग्रीसेन्टीग्रेट की बढ़ोत्तरी हो जायेगी जिससे जलवायु में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, जिसका जिम्मेदार खुद मानव ही होगा।

**Keywords**— जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आई0पी0सी0सी0, ग्रीन हाउस गैसों और क्षोभमण्डल।

## प्रस्तावना :-

जलवायु का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर लम्बी कालावधी में बनी रहने वाले विशिष्ट वायुमण्डलीय अवस्थाएं। जलवायु की अंक्षाओं के अधार पर चार भागों में बाटा जा सकता है उष्णकटिबन्धीय, उपोष्ण कटिबन्धीय, महाद्वीपीय तथा उत्तर ध्रुवीय। इसे भूमध्य सागरीय, मानसूनी मरुस्थलीय आदि प्रकारों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है अन्य कारकों के अतिरिक्त तापमान तथा वर्षण प्रमुख कारक है जिनसे जलवायु प्रभावित होती है।

जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास की दीर्घ अवधियों में बाट कर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है, और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी।

मानव जनित कारकों यथा भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वातावरण में कार्बन डाईआक्साईड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का ह्रास, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग आदि द्वारा जलवायु परिवर्तन होते हैं। वर्तमान जलवायु परिवर्तन मानव जनित समस्या है। मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्यों एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरण अवनयन कहलाती हैं। यह पर्यावरण अवनयन ही जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण आदि के रूप में मानव के समक्ष समस्या बन कर उभरा है।

पर्यावरण अवनयन के कारण दुनियां दिनो-दिन गर्म होती जा रही है। मानव जीव जन्तुओं व वनस्पतियों के आधार में बड़ी भूमिका निभाने वाली पृथ्वी दिनो-दिन ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में तेजी से बढ़ रही है और इसके आगे सारा संसार अपने आपको असहाय पा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए कोई प्राकृतिक कारण जिम्मेदार नहीं है बल्कि विवेकशील माने जाने वाले मानव की रोजमर्रा की गतिविधियां इसके प्रमुख कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग को

लेकर एक आम आदमी शायद एक पल के लिए यह धारणा बनाता होगा कि पर्यावरण के जानकारों के लिए ही इसका महत्व है जबकि वह इस बात से अनजान रहता है कि कहीं वह भी इस ग्लोबल वार्मिंग के विकास में हाथ तो नहीं बटा रहा है। वरहाल ग्लोबल वार्मिंग और इसके नुकसान को लेकर आज कल चर्चा एक बार फिर चल पड़ी है दरअसल विश्व समुदाय की बढ़ती चिन्ता का प्रमुख कारण संयुक्त राष्ट्र की संस्था IPCC (इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज) द्वारा अगस्त 2021 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर छठी आकलन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन के जो उपाय किए जा रहे हैं उनके आलोक में विश्व के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के तापमान की तुलना में 2040 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2050 तक 2.0 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

IPCC (इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज) के रिपोर्ट की बातों को विस्तार से समझने के साथ-साथ इस बात की तह तक जाने की कोशिश करने की आखिर ग्लोबल वार्मिंग इतना चिन्ताजनक मुद्दा कैसे हो गया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ-साथ विश्व के स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करेंगे।

वैश्विक तापन में मानव की भूमिका को समझने में अनेक प्रश्न परेशान करते हैं, जैसे-ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ग्रीन हाउस गैसों के बीच में क्या सम्बन्ध होता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मानव की क्या भूमिका है? ग्लोबल वार्मिंग जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? इसलिए उपरोक्त के आलोक में यह पेपर वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन पर मानव की भूमिका के प्रभाव को देखता है पेपर की शुरुआत जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन पर संक्षेप में चर्चा से होती है निम्नलिखित खण्ड वैश्विक तापन में आद्यौगिकरण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में मानव की भूमिका का अध्ययन तथा परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। अगला खण्ड आई0टी0सी0सी0 2021 की रिपोर्ट में वैश्विक तापमान में वृद्धि से होने वाले प्रभावों को रेखांकित करने पर भी जोर दिया गया है। जिसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है।

पेपर का प्राथमिक उद्देश्य केवल मानव की भूमिका के माध्यम से वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखना है। इस पेपर निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। भारत में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और उनकी प्रतिक्रियाएं, विभिन्न देशों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण इत्यादि।

#### शोध प्रविधि :-

यह पत्र शैद्धान्तिक दृष्टिकोण को अपनाता है क्योंकि यह विषय जलवायु परिवर्तन पर मानव की भूमिका के अध्ययन की आवश्यकता पर है। क्योंकि यह आज भी मौजूद हैं इस पत्र में प्रस्तुत तर्क की प्रकृति व्याख्यात्मक और साथ निदेशात्मक दोनों हैं।

#### परिणाम और चर्चा :-

सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह और वायुमण्डल गर्म होते हैं। आने वाली विकिरण का लगभग एक तिहाई भाग वापस अन्तरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। लगभग 20 प्रतिशत वायुमण्डलीय गैसों अवशोषित कर लेती है और शेषभाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है जहां वह अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार अवशोषित ऊर्जा अवरक्त किरणों के रूप में वापस परावर्तित होती है। इसमें से कुछ विकिरण वायुमण्डलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है और इस तरह आने वाली कुल ऊर्जा का सम्पूर्ण भाग वापस अन्तरिक्ष में नहीं पहुंचता है। अतः कुछ उष्मा इन गैसों द्वारा रोक ली जाती है जिससे वायुमण्डल गर्म हो जाता है। यही वह कारण है जिससे पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेन्टीग्रेड से बढ़कर 15 डिग्री सेन्टीग्रेड हो जाता है और यहां

पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह स्थिति ग्रीन हाउस जैसी है जिसमें कांच की दीवारें उष्मा को बाहर नहीं जाने देती जिससे भीतर का तापमान बढ़ता जाता है इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है।

गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्पों के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में जल का योगदान लगभग दो-तिहाई और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग एक चौथाई होता है। वातावरण में पाई जाने वाली अन्य गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर्गन अवरक्त किरणों का अवशोषण करने में असमर्थ होती हैं।

1824 में जोसेफ कोरियर नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो यह बेहद ठंडी होती दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी को पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है और यही कारण है कि यहां की जलवायु रहने योग्य बन सकी है। लेकिन आज की हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है।

औद्योगिक विकास की अन्धी दौड़ ने इस प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रतिशत में बढ़ोतरी के कारण वायुमण्डल से बाहर जाने वाले सूर्य प्रकाश की ऊष्मा का अवशोषण जरूरत से ज्यादा होने लगा है। हालत यह हो गई है कि पृथ्वी के वायुमण्डल के निचली परत जिसे क्षोभमण्डल कहते हैं उसके आस-पास के वातावरण में पर्याप्त उष्मा से कहीं अधिक ऊष्मा का जमाव होने लगा है। इसी स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। लिहाजा यह ग्लोबल वार्मिंग अब अपने पैर पसारने लगा है और इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा।

हाल ही में आईपीसी0 द्वारा जारी स्पेशल रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस बात का जिक्र करती है कि आज इस समय की आवश्यकता है की औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े, कहने का तात्पर्य यह है कि उस काल का औसत वैश्विक तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाए तो इसे अब अधिकतम 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए। आईपीसी0 सी0 द्वारा जारी रिपोर्ट में चिन्ता जताई गई है कि कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर ही बनी रहे तो 2030 से 2052 के बीच औसत वैश्विक तापमान इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा को पार कर जाएगा। अभी की स्थिति देखे तो विश्व का औसत तापमान वर्तमान काल और औद्योगिक काल की तुलना में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि औसत वैश्विक तापमान में 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ाते ही होने पर जलवायु परिवर्तन का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ सकता है।

2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु सम्मेलन ऐसे ही उपायों की अपेक्षा की गई थी की औसत वैश्विक तापमान 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े लेकिन आज इन उपायों में ग्रीन हाउस गैसों की अन्धाधुन उत्सर्जन पर रोक लगाना पहली चुनौती बन गई है। यहां एक रोचक बात पर विचार करना जरूरी है कि आखिर वैश्विक औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की तुलना में से 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर मौसम में चरम परिवर्तन आ सकता है, जैसे भारी बारिश होना, सूर्य की तेज गर्मी के कारण हीटवेव में बढ़ोतरी आदि। इस लिहाज से आईपीसी0सी0 की हालिया रिपोर्ट खासा महत्व रखती है। इसलिए इस रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हुए ऐसे विकल्प अपनाने की जरूरत है जो ग्लोबल वार्मिंग के बेहद हानिकारक प्रभावों पर काबू पा सकें।

ग्लोबल वार्मिंग किसी अचानक होने वाली घटना का परिणाम नहीं है दरअसल जैसे-जैसे हमने विकास की छलांग लगाने शुरू किए वैसे-वैसे प्रकृति के साथ खिंच-तान का दौर शुरू हो

गया। घने वनों को काटा जाने लगा, बड़े-बड़े कल कारखाने स्थापित किए जाने लगे, नए-नए उपकरणों का आविष्कार होने लगा, कल-कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं, रेफ्रिजरेटर, ए0सी0 जैसे उपकरणों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने वातावरण को जरूरत से ज्यादा गर्म करने का काम किया है। एक समय था जब वन एक बेहतर कार्बन सिंक की भूमिका निभाते थे। कार्बन सिंक का मतलब है की वन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लेते थे। एक आंकड़े के मुताबिक 1990 से 2007 के दौरान दुनिया भर के देशों ने प्रतिवर्ष लगभग 2.5 गीगाटन का भण्डारण किया था, लेकिन वनों के लगातार उन्मूलन ने चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2100 तक ग्लोबल तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी तक सीमित रखने के लिए यह जरूरी है कि वन कार्बन की बड़ी मात्रा का संचयन करें। यह बताना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर वनों के महत्व 4 को समझा तो गया है और साथ ही इस लिहाज से वैश्विक पहल भी की गई है। लेकिन इस पहल का कोई खास असर अभी तक सामने नहीं आया है। दरअसल 2007 में ही रिड्यूजिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी रेड प्लस का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य वनों के उन्मूलन को नियंत्रित करने के लिए ग्लोबल कार्य योजना तैयार करना था। इसके बावजूद हालत यह है कि वैश्विक तौर पर वनों के उन्मूलन को रोकने या बड़ी मात्रा में वन लगाए जाने के मजबूत प्रमाण नहीं मिले हैं। सच तो यह है कि विश्व भर में अलग-अलग देशों में वनों के प्रबन्धन से जुड़े मुद्दे अलग-अलग आरंभ हुए हैं। इस कारण रेड प्लस से जुड़े नियमों को लागू करने में भी दिक्कतें आती हैं। इसी मुद्दे पर यदि भारत की बात करें तो उसने भी वनों की सहायता से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है लेकिन सरकार को इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभी ठोस प्लानिंग की जरूरत है। दूसरी तरफ कल-कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं, रेफ्रिजरेटर, ए0सी0 जैसे उपकरणों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों ने वातावरण को जरूरत से ज्यादा गर्म करने का काम किया है। परिवहन क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र भी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में सहायक है।

इसके अतिरिक्त यदि सैनिटेशन सेक्टर की बात करें तो यह बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। ऐसा देखा गया है कि मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक नुकसान देह हो सकती है। लेकिन अक्सर इसके बारे में यही समझ लिया जाता है कि यह एक अक्रिय किस्म का प्रदूषक है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लोबल क्लाइमेट को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

आइए अब एक नजर इस पर डालें की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या परिणाम दिखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हद से कहीं आगे निकल गया है। जलवायु परिवर्तन में इसकी भूमिका ने कई मायनों में बदलाव की है। जहां एक तरफ औसत तापमान में इजाफा हुआ है वहीं वर्षा का पैटर्न भी बदला है, सूखे की बारम्बारता में इजाफा हुआ है, बाढ़ आने की दर बढ़ी है और तटीय इलाकों के डूबने का खतरा काफी बढ़ा है।

नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने कार्बन उत्सर्जन की घरेलू सामाजिक कीमत का अंदाजा लगाया है। कार्बन उत्सर्जन का सामाजिक स्तर पर कितना नुकसान हो सकता है इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत को प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर लगभग +90 का नुकसान होता है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। हालिया स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ने भी चेताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के असर पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बदतर हो सकती है। इसके अनुसार तटीय देशों और भारत जैसे कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित देशों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है साथ ही

फसल की उपज में गिरावट जलवायु दशाओं में बड़े परिवर्तन से 2050 तक गरीबों की संख्या में लाखों का इजाफा होगा। इसलिए यह रिपोर्ट बड़ी चेतावनी साबित हो रही है की दुनिया को जल्द से जल्द और एकजुट होकर इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों पर गौर करें तो देखते हैं कि छोटे-छोटे दिव्य देश और 5 कई अल्पविकसित देश इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि वैश्विक औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में अधिकतम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्बन उत्सर्जन करने वाले बड़े देश हैं, क्योंकि ऐसे में उन्हीं को सबसे पहले अपने यहां उत्सर्जन होने वाले कार्बन में भारी कटौती करनी पड़ेगी। एक दूसरा उपाय यह है कि यह देश अन्य विकासशील व अल्पविकसित देशों को बड़ी मात्रा में वित्तीय व तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराएं। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया है कि चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जन देशों को इस दिशा में गम्भीर प्रयास करना चाहिए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि भूमि, ऊर्जा, भवन निर्माण, परिवहन और शहरों की प्लानिंग उनके विकास के मद्देनजर क्लाइमेट से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। आजकल कुछ ऐसी तकनीकें इजाद करने पर भी विचार हो रहा है जो वायुमंडल में से कार्बन डाईऑक्साइड की बड़ी मात्रा को हटाकर उसे स्थाई या अस्थायी रूप से उसे कहीं दूर कर दे। हालांकि अभी तक ऐसी तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। बृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उपकरणों के जैविक विकल्पों को अपनाना जैसे उपायों को विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। इन सबके अलावा संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बनाया गया है, यह फंड क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे देशों को उनकी सहायता के लिए धनराशि मुहैया कराता है। अभी हाल ही में लगभग 1 बिलियन डालर की धनराशि 19 प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर मुहईया कराई गई है। इण्डोनेशिया में जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट और भारत के तटीय इलाकों के संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट इनमें शामिल हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन उपायों में सदैव अग्रणीय रहा है पेरिस समझौते के आलोक में भारत ने पहले से ही अपने व्यापक कार्बन लक्ष्यों को घोषित किया हुआ है। भारत ने COP-26 सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जलवायु संकट की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच नये लक्ष्यों की घोषणा की जिन्हें उन्होंने पंचामृत की संज्ञा दी :-

- अ. भारत 2030 तक नवीकृत उर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा।
- ब. भारत 2030 तक अपनी उर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत हिस्सा नवीकृत उर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा।
- स. भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में एक बिलियन टन तक कम करेगा।
- द. भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 45 प्रतिशत तक की कमी करेगा।
- य. भारत 2030 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करेगा।

यहां इस बात की चर्चा लाजमी है कि भारत ने भी अपने यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कैंपा फंड (कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लैनिंग अथॉरिटी फंड) बनाया है जो कंपनियों या उद्योग वन भूमिका इस्तेमाल करती हैं वह इस के एवज में कैम्पा फंड में पैसा जमा कराती हैं। इस फंड के पैसे का उपयोग अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। इन सराहनीय कदमों के बावजूद आईपीसीसी की रिपोर्ट को देखने से लगता है कि अभी और अधिक प्रयास की आवश्यकता है तभी स्थिति कुछ नियंत्रित हो सकती है।

**निष्कर्ष :-**



अतः यह रिपोर्ट मानव समाज को आगाह करती दिख रही है कि अभी ना संभले तो शायद मानव विनाश के साथ ही इस पूरे जीव जगत के विनाश का जिम्मेदार खुद मानव ही होगा हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण ही हमारे जीवन का आधार है भारतीय वेदों, पुराणों में कई स्थानों पर प्रकृति के महत्व को दर्शाया भी गया है आज भारत सहित पूरे विश्व को इस मुद्दे पर आपसी सहयोग और साथ साथ काम करने की जरूरत है तभी हम ग्लोबल वार्मिंग के ताप से मुक्त हो पाएंगे नहीं तो यही ताप हमारे विनाश की कहानी लिखेगा।

**संदर्भ :-**

1. जलवायु परिवर्तन-विकी पीडिया (मूल से 9 जून 2015 को पूरालिखित)
2. आईपीसीसी द्वारा अगस्त 2021 में प्रकाशित स्पेशल रिपोर्ट आन ग्लोबल वार्मिंग आफ 1.5 रिपोर्ट।
- 3- Environmental Biology and toxicology- P.D. Sharma- Page No- 226-228.
- 4- Environmental Studies- IGNOU Study Material- Page No. 233-235.
- 5- Pratiyogita Darpan- Feb./2020/Page No.59-60.
- 6- Ecology and Environment- Dristi Publication 5th Edition.
- 7- <http://www.downtoearth.org.in>.
- 8- <http://www.himwickypidea.org>.
- 9- I.P.C.C. Report August 2021.

## स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के सन्दर्भ में हंसा मेहता समिति का समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ० अजीत शुक्ल  
सहायक आचार्य  
शिक्षाशास्त्र विभाग,  
साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड

शिक्षा किसी भी आधुनिक, सम्य, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है और इसके बिना प्रगति कभी भी पूर्ण एवं बहुआयामी नहीं हो सकती। एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित राष्ट्र ही प्रगति के दुर्गम पथ पर यात्रा कर पाने में समर्थ होता है। शिक्षा पर विचार करते समय कुछ मूलभूत प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं यथा शिक्षा क्या है? इसके उद्देश्य क्या हैं? शिक्षित राष्ट्र की क्या विशेषताएं हैं? एवं शिक्षित समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत किस सीमा तक सफल हुआ है? शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है? मूलभूत स्तर तक प्राथमिक शिक्षा का प्रवाह सुगम बनाने में हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं? और कितनी दूरी तय करना अभी शेष है? इस संबंध में सरकार, अभिभावकों व समाज के क्या दायित्व हैं? और वे इन दायित्वों के निर्वहन में कहाँ तक सफल रहे हैं? तथा एक शिक्षित व्यक्ति के अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं? भूमंडलीकरण एवं मुक्त अर्थव्यवस्था के इस दौर में यह प्रश्न और भी अधिक रोचक, महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो जाते हैं। विशेष तौर पर जब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर साथ-साथ महत्वपूर्ण वाद-विवाद जारी हों तब इन प्रश्नों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

भारत का संविधान भारतीय जनमानस के जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का साधन माना गया है। संविधान निर्माण करने वाले प्रबुद्ध विद्वजनों ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संविधान में शिक्षा हेतु अनेक उपबंधों की व्यवस्था की है। इन उपबंधों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति हेतु सर्वसुलभ कराने का हर संभव प्रयत्न किया है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि यदि राष्ट्र को शीघ्रातिशीघ्र विकास के पथ पर अग्रसारित करना हो तो इसके लिये केवल एक ही साधन उपलब्ध है और वह साधन है शिक्षा। स्त्रियों की शिक्षा एवं साक्षरता के प्रचार-प्रसार तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने के लिये स्वतंत्रता के पश्चात हंसा मेहता समिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन समिति ने अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र यथा उद्देश्य, अवधि, पाठ्यक्रम, माध्यम, शिक्षण विधियों एवं परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिससे शिक्षा के गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्षों में वृद्धि की जा सके। संप्रग सरकार द्वारा लिये गये शैक्षिक नीतिगत निर्णय इसी क्रम में महत्वपूर्ण हैं। परंतु प्रतिबद्धता एवं जागरुकता के अभाव, राजनैतिक उदासीनता, स्वार्थ, आर्थिक संसाधनों के अभाव एवं कुछ सीमा तक इन सुझावों में ही व्यावहारिकता के अभाव के कारण इन सुझावों में से अधिकांश को लागू नहीं किया जा सका। इस कारण शिक्षा व्यवस्था में विहित दोष तब से लेकर अब तक यथाविद्यमान ही हैं। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण उपबंधों की व्यवस्था की है। साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान

करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसे आगामी 10 वर्षों अर्थात् 1960 तक प्राप्त करने का निश्चय किया गया परंतु राजनैतिक उदासीनता, प्रतिबद्धता का अभाव, आर्थिक संसाधनों की कमी एवं वृद्धि 8.86 प्रतिशत थी। इन्ही प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आज उन सभी क्षेत्रों को जिन पर कि पूर्व में मात्र पुरुषों का ही एकाधिकार माना जाता था यथा तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र, कानून, प्रतिरक्षा, खेलकूद, राजनीति इत्यादि में महिलाओं ने भी सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ऐसी महिलाओं की संख्या उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या के अतिसूक्ष्म क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करती है। अभी तक भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं। यद्यपि लैंगिक अंतर पूर्व की तुलना में कम हुआ है जो कि इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। परंतु इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ऐसी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं। यद्यपि लैंगिक अंतर पूर्व की तुलना में कम हुआ है जो कि इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रति आशान्वित करता है। महिलाओं की शिक्षा में निर्धनता, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियाँ एवं सामाजिक कुरीतियाँ प्रमुख बाधा है। भारत में अभी भी लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। जिस कारण यह परिवार शिक्षा को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं कर पाते यदि कभी उन्हें इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं तो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये बालिकाओं की अपेक्षा बालको को तरजीह दी जाती है। निर्धन परिवारों में व्यक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता अन्नोपार्जन होती है। ऐसे में माता-पिता का दृष्टिकोण यह होता है कि उनके बच्चे चाहे वह बालक हो या बालिका कुछ न कुछ कमा कर लायें और परिवार के भरण-पोषण में योगदान करें। यद्यपि यह योगदान बहुत अधिक तो

नहीं होता परन्तु दो जून की रोटी की व्यवस्था में वह योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस प्रकार का योगदान शिक्षा का परित्याग करके ही प्राप्त हो सकता है। महिला शिक्षा में पुरुष प्रधान मानसिकता भी बाधक है। इस संबंध में अतीत से ही यह घिसा-पिटा तर्क दिया जाता है कि आखिर बालिकाओं को पढ़ना-लिखना आवश्यक नहीं है। कुछ पुरुष प्रधान परिवार आज भी इस रुढ़ि-लिखी कन्या हेतु सुयोग्य वर प्राप्त होना भी उनके लिए एक प्रमुख समस्या है। उपरोक्त के अतिरिक्त कम आयु में विवाह कर दिये जाने तथा विद्यालय एवं घर से बाहर अभद्र व्यवहार का सामना करने के कारण भी महिलाओं की शिक्षा सुचारु ते हुए अपने बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयत्न तो करेगी ही साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को समझते हुए जनसंख्या के नियंत्रण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी जिससे अशिक्षा, निर्धनता एवं जनसंख्या वृद्धि के दुष्चक्र को रोकने में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकेगी।

संविधान में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई है परन्तु इसके पश्चात भी यह बड़े दुर्भाग्य एवं निराशा का विषय है कि पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो समय-सीमा संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्तर्गत अर्थात् 1960 में रखी गई थी उस लक्ष्य को हम संविधान लागू होने के 70 वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं। ठीक यही स्थिति अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भाषायी व धार्मिक आधार पर घोषित अल्पसंख्यकों हेतु किये गये विशेष प्रावधानों की है। यद्यपि यह सत्य है कि इन व्यवस्थाओं से शैक्षिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है वह इन योजनाओं को उचित अपने बच्चों पर डालना।

सन् 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य “राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद” द्वारा नियुक्त श्री हंसा मेहता समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जिसके आधार

पर स्त्रियों की शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा तथा क्षेत्र में इनकी सहभागिता में वृद्धि हो सकें।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु बच्चों की रुचि एवं क्षमताओं की अवहेलना कर माता-पिता द्वारा स्वयं निर्धारित एवं चयनित विषयों के अध्ययन हेतु बच्चों को बाध्य करना। छात्रों को इस स्थिति से बचाने के लिए तत्कालीन संप्रग सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय कपिल सिब्बल ने कुछ नवाचारों को अपनाने का सुझाव दिया है, इनमें से कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

1— बोर्ड परीक्षाओं की अनिवार्यता को समाप्त कर इसे वैकल्पिक व्यवस्था बनाना।

2— अंको के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना।

3— माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अनुत्तीर्ण न कर के निम्नस्तरीय ग्रेड प्रदान करना।

4— आई0 आई0 टी0 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये बारहवीं में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंकों की अर्हता को अनिवार्य करना। परंतु उपरोक्त सुझावों के समालोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह सुझाव समस्याओं के पूर्ण समाधान में सक्षम नहीं हैं। साथ ही इनमें परस्पर विरोधाभास भी सम्मिलित है।

अतः इस समस्या के समाधान हेतु निम्न सुझावों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा—

1— निर्देशन एवं परामर्शदाताओं की सहायता प्राप्त कर स्त्रियाँ अपनी क्षमताओं एवं योग्यतानुसार पाठ्य-विषयों का चयन स्वयं करें।

2— तनाव पैदा करने वाली लिखित परीक्षाओं के फायदे भी हैं क्योंकि इसी के कारण उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को ऐसी शिक्षा मिलती है जो परिश्रम के महत्व को समझते हैं और मेहनत से नहीं अघाते परंतु एकमात्र लिखित

परीक्षा के अंकों को ही छात्र की योग्यता का आधार मान लेना भारी भूल होगी। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष के अंत में तथा एक ही क्षेत्र से संबंधित न होकर सतत एवं व्यापक होनी चाहिए।

3— माता-पिता को बच्चों पर अपनी इच्छाओं का बोझ न डाल कर उन्हें विषयों के चयन एवं भावी जीवनवृत्ति के क्षेत्र को चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उच्च शिक्षा वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी कठोर प्रक्रिया के बाद भी हमारे देश का कोई भी शिक्षण संस्थान विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में सम्मिलित नहीं है। आई० आई० टी० तथा आई० आई० एम० जैसी संस्थाओं को छोड़ दिया जाय तो शेष उच्च शिक्षा पूर्व के समान ही नीरस, पुस्तकीय और सैद्धान्तिक है जो भारत के लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार सहायक नहीं है। वर्तमान समय के विश्वविद्यालयों में ज्ञान को टुकड़ों में बांटकर प्रदान किया जा रहा है जो कि अर्थहीन है क्योंकि जब जीवन टुकड़ों में नहीं बंटा हुआ है तो ज्ञान को टुकड़ों में कैसे बांटा जा सकता है। उदाहरणार्थ वैज्ञानिक को नये विचार केवल प्रयोगशाला में कार्य करते समय ही नहीं आते अपितु जीवन की विविध परिस्थितियों का सामना करने पर भी आते हैं। अतः सृजनात्मकता के विकास हेतु यह आवश्यक है कि विषयों के इस पारम्परिक कठोरतापूर्ण विभाजन को शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज हमारे विश्वविद्यालयों में "प्रतिभा" के स्थान पर "निष्ठा" को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राजनीति ने यहाँ ऐसे पैर पसार लिये हैं जिस कारण विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद अर्थात् कुलपति की गरिमा समाप्त हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार इनकी नियुक्ति में "राजनैतिक प्रभाव" प्रमुख होता जा रहा है तथा नेताओं और नौकरशाहों के पीछे इन्हें जिस प्रकार चक्कर काटने पड़ते हैं उसे देखकर अब इस पद को

“अकादमिक” नहीं “राजनैतिक” माना जाता है। इसी प्रकार नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार, धन अर्जन करने के उद्देश्य से तेजी से स्थापित किये जा रहे स्ववित्तपोषित संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास ही हो रहा है क्योंकि इन्हें चलाने वाले व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो कल तक होटल, शराब या कोचिंग संस्थानों से सम्बद्ध थे। अतः जाहिर सी बात है कि इनका उद्देश्य एवं रुचि धन एकत्र करने में है न कि शिक्षा एवं इसका गुणात्मक अभिवृद्धि में।

उच्च शिक्षा की उपरोक्त विसंगतियों को दूर करने के लिये प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनमें – “उच्च शिक्षा के क्षेत्र की मौजूदा सर्वोच्च संस्थाओं यू० जी० सी० और ए० आई० सी० टी० ई० को समाप्त कर” “नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च” तथा “उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण” का गठन विश्वविद्यालयों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना, उन्हें अपने छात्रों, शिक्षकों के चयन व पाठ्यक्रम के निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करना, विषयों के परम्परागत विभाजन को समाप्त करना एवं धन अर्जन के उद्देश्य से स्थापित किये जा रहे शैक्षिक संसाधनों को बंद करना इत्यादि प्रमुख हैं। यह सभी सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं, यद्यपि शिक्षाविदों का एक वर्ग इनसे असहमत भी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन सुझावों से विवादास्पद अंशों को दूर कर सुझावों को शीघ्रता से लागू किया जाय जिससे आई० आई० टी० और आई० आई० एम० जैसे संस्थाओं के समान ही भारतीय विश्वविद्यालय भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान कायम कर सकें। जिस देश में नालन्दा तथा तक्षशिला जैसे शिक्षा के वैश्विक केन्द्र हों वहाँ के बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारी भरकम शुल्क चुकाने के बाद भी अपमान और प्रताड़ना सहन करने के लिए बाध्य हों इससे बड़ा



देश का और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अतः शिक्षा के इस गंभीर संकट से देश को उबारना आज की पहली जरूरत है। इसलिए इस दिशा में शीघ्रातिशीघ्र सभी समुचित प्रयास किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष—

हंसा मेहता समिति के समालोचनात्मक अध्ययन के पश्चात् स्त्री शिक्षा हेतु निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—

- शिक्षा तक बालिकाओं और महिलाओं की पहुंच निश्चित करना और उनके लिए शिक्षा में गुणात्मक और प्रासंगिक सुधार करने में हंसा मेहता समिति की भूमिका के पश्चात् भी महिलाओं की शिक्षा शत-प्रतिशत नहीं हो पायी है।
- हंसा मेहता समिति द्वारा स्कूलों के पाठ्यक्रम में से लिंग आधारित गलत अवधारणाओं से स्त्रियों के अन्दर पुरुषों के बराबर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जागरूकता शत-प्रतिशत नहीं हो पायी।
- हंसा मेहता समिति द्वारा लिंग भेद को समाप्त करने हेतु कुछ विशिष्ट लक्ष्य और समय निर्धारित करने में अपनी अहम् भूमिका नहीं निभा पाया।
- हंसा मेहता समिति द्वारा बालिकाओं के घर के समीप ही स्कूलों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना आज भी शत-प्रतिशत नहीं हो पायी है।
- हंसा मेहता समिति द्वारा ज्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति आज स्त्रियों को पुरुषों के आगे आत्मनिर्भर पा रही हैं।
- हंसा मेहता समिति द्वारा बालिका शिक्षा में सहभागिता और सहायता हेतु अभिभावकों को जागरूक को आज शत-प्रतिशत नहीं हो पाया है।
- ज्यादा से ज्यादा विवाहित जवान लड़कियों और किशोरावस्था में माँ बनी लड़कियों का स्कूलों में नामांकन न होने के कारण आज भी स्त्रियों को शिक्षा के लिए जागरूक नहीं बना पाया है।

➤ हंसा मेहता द्वारा निर्धारित कुछ नवीन कार्यक्रमों के साथ स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग विद्यालयों की बृहद् स्तर पर स्थापना आज भी स्त्रियों को पुरुषों के शिक्षा के बराबर दर्जा दिलाने में बहुत पीछे है।

अन्ततः, वर्तमान में शिक्षा के प्रति स्त्रियों का रुझान बढ़ा है ऐसे में हंसा मेहता द्वारा निर्धारित स्त्रियों की शिक्षा के लिए पुरुषों के बराबर शैक्षिक कार्यक्रमों को समाहित कर उन्हें आगे ले जाने की महती भूमिका नहीं निभा पाया है जिससे महिलाओं की सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में अपना योगदान देकर देश का और आगे ले जाने पुरुषों का साथ शत-प्रतिशत भूमिका अदा नहीं कर पा रही है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सक्सेना, एन0आर0 स्वरूप, (2006). *शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार*, मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन।
- त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली : 2017 (पृष्ठ संख्या 31-47)
- गुप्ता, एस0पी0 गुप्ता, गुप्ता एस0पी0, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद (पृष्ठ संख्या 389-394)
- बुच, एम0 बी0: 'फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन' (1983-88) वॉल्यूम 4, 5।
- समसामयिक घटनाचक्र अतिरिक्तांक भारत की जनगणना एवं विश्व जनसंख्या। घटना चक्र प्रकाशन 8/9, विश्वविद्यालय मार्ग इलाहाबाद 2011।
- खत्री, डॉ0 रीता (2016), दी रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्डस वूमैन एम्पावरमेंट इन इंडिया, मुम्बई, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च, 4(11), पृ0 550-555।
- जी0रथनामन (2015) "विमन एम्पावरमेंट थ्रो कोओपरेटिक्स", पी-एच.डी, मैसूर विश्वविद्यालय

## आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते स्टार्टअप्स: एक विस्तृत विश्लेषण

डॉ. निशा पाण्डेय<sup>1</sup>, डॉ. जितेन्द्र प्रसाद यादव<sup>2</sup>

असिस्टेंट प्रोफेसर<sup>1</sup>, अभय पी. जी. कॉलेज तरना, वाराणसी, 221002

असिस्टेंट प्रोफेसर<sup>2</sup>, बयालसी पी. जी. कॉलेज, जलालपुर, 222136

### प्रस्तावना-

"उद्यम से उद्योग, कल्पना से कार्यान्वयन, और स्वप्न से साकार" - यह पंक्तियाँ आज के भारत के स्टार्टअप परिदृश्य को बखूबी बयान करती हैं। 21वीं सदी के भारत में, जहाँ प्रौद्योगिकी और नवाचार का बोलबाला है, स्टार्टअप्स ने देश की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को नए आयाम दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में घोषित "आत्मनिर्भर भारत अभियान" ने इस गतिशीलता को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। यह अभियान भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य: एक सिंहावलोकन

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है, जो इसकी विशाल क्षमता को दर्शाता है। नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 तक भारत में 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स थे, जिनमें से 42 यूनिคอร์न (1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप्स) थे। यह संख्या 2022 में बढ़कर 100 से अधिक हो गई, जो इस क्षेत्र की तेज वृद्धि को दर्शाती है।

### स्टार्टअप्स का योगदान: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में

#### 1. नवाचार और तकनीकी विकास

भारतीय स्टार्टअप्स विभिन्न क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए:

- \*कृषि क्षेत्र\*: कृषि-टेक स्टार्टअप जैसे 'क्रॉपइन' और 'नैजकार्ट' ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
- \*स्वास्थ्य सेवा\*: 'पैक्टो' और '1mg' जैसे स्टार्टअप्स टेलीमेडिसिन और ई-फार्मसी सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बना रहे हैं।
- \*शिक्षा\*: 'बायजूस' और 'अनएकेडमी' जैसे एडटेक स्टार्टअप्स ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ।

#### 2. रोजगार सृजन

स्टार्टअप्स रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नैसकॉम के अनुसार, भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 तक लगभग 6.5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और 34 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की थीं। यह न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद करता है, बल्कि देश में उच्च कौशल वाले कार्यबल के निर्माण में भी योगदान देता है।

### 3. विदेशी निवेश आकर्षण

भारतीय स्टार्टअप ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। 2021 में, भारतीय स्टार्टअप ने 42 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जो 2020 की तुलना में तीन गुना अधिक था। यह न केवल देश में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत करता है।

### 4. ग्रामीण विकास

कई स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए:

- 'हैंड इन हैंड' डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर काम कर रहा है।

- 'रूपीक' जैसे फिनटेक स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।

ये प्रयास ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं।

### साहित्य की समीक्षा-

भारतीय स्टार्टअप परिवृश्य की गतिशीलता को समझने के लिए, हम कुछ प्रासंगिक साहित्यिक कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं:

1. \*"*The Golden Tap: The Inside Story of Hyper-Funded Indian Startups*" by Kashyap Deorah\*: यह पुस्तक भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की कहानी बताती है और इसकी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालती है।

2. \*"*Stay Hungry Stay Foolish*" by Rashmi Bansal\*: यह पुस्तक 25 IIM अहमदाबाद के स्नातकों की कहानियों को प्रस्तुत करती है जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए। यह युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

3. \*"*Startup Nation: The Story of Israel's Economic Miracle*" by Dan Senor and Saul Singer\*: हालांकि यह पुस्तक इजराइल के बारे में है, लेकिन इसमें बहुत से सबक हैं जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू होते हैं।

इन पुस्तकों में वर्णित अनुभव और अंतर्दृष्टि भारतीय स्टार्टअप के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका को समझने में मदद करते हैं।

### अध्ययन का उद्देश्य-

इस शोध का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है:

1. भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और इसके विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान करना।

2. आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में स्टार्टअप के योगदान का विश्लेषण करना, विशेष रूप से नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के संदर्भ में।

3. भारतीय स्टार्टअप द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना।

4. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी नीतियों और पहलों का मूल्यांकन करना।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर स्टार्टअप के दीर्घकालिक प्रभाव का अनुमान लगाना और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना।

6. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप की भूमिका को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना।

इन उद्देश्यों के माध्यम से, यह अध्ययन न केवल वर्तमान परिदृश्य का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप भी प्रदान करता है, जो नीति निर्माताओं, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

## शोध पद्धति-

यह अध्ययन "आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते स्टार्टअप" का विश्लेषण करने के लिए एक विश्लेषणात्मक-वर्णनात्मक शोध डिजाइन का उपयोग किया गया है। यह पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, उद्योग विश्लेषण और अकादमिक प्रकाशन शामिल हैं। डेटा विश्लेषण में वर्णनात्मक सांख्यिकी, समय श्रृंखला विश्लेषण और विषयगत विश्लेषण का संयोजन शामिल है। अध्ययन स्टार्टअप के नवाचार, रोजगार सृजन और स्थानीय समाधानों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। यह शोध आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में स्टार्टअप के योगदान पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

## चुनौतियाँ और अवसर-

### 1. वित्त पोषण

शुरुआती चरणों में पूंजी जुटाना अभी भी कई स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठा रहे हैं:

- सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है।
- एंजेल निवेशक नेटवर्क और वेंचर कैपिटल फर्म अधिक सक्रिय हो रहे हैं।

### 2. नियामक बाधाएँ

कुछ क्षेत्रों में जटिल नियम और कानून स्टार्टअप की प्रगति में बाधा बन सकते हैं। सरकार इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठा रही है:

- 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत, नियामक अनुपालन को सरल बनाया गया है।
- ई-गवर्नेंस पहलों ने नौकरशाही को कम किया है।

### 3. प्रतिभा प्रबंधन

उच्च कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना और बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। स्टार्टअप इस मुद्दे से निपटने के लिए नवीन रणनीतियाँ अपना रहे हैं:

- कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाएँ (ESOPs) प्रदान करना।
- लचीले काम के घंटे और दूरस्थ काम के विकल्प प्रदान करना।
- निरंतर सीखने और विकास के अवसर प्रदान करना।

## सरकारी पहल और नीतियाँ-

भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:

1. \*स्टार्टअप इंडिया\*: 2016 में शुरू की गई यह पहल स्टार्टअप्स को कर लाभ, सरलीकृत नियम और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. \*अटल इनोवेशन मिशन\*: यह देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
3. \*डिजिटल इंडिया\*: यह कार्यक्रम डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, जो कि कई तकनीक-आधारित स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण है।
4. \*मेक इन इंडिया\*: यह पहल विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रही है।

इन पहलों ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है।

## निष्कर्ष एवं संभावनाएँ-

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे न केवल नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान दे रहे हैं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी बदल रहे हैं। स्टार्टअप्स की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है:

### 1. डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण

भारत तेजी से एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, और स्टार्टअप्स इस परिवर्तन के अग्रदूत हैं। फिनटेक, ई-कॉमर्स, और एडटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने पारंपरिक व्यवसाय मॉडल को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, 'पेटीएम' ने डिजिटल भुगतान को आम आदमी तक पहुंचाया है, जबकि 'फ्लिपकार्ट' ने ई-कॉमर्स को देश के दूर-दराज के कोनों तक पहुंचाया है।

### 2. सामाजिक समस्याओं का समाधान

कई स्टार्टअप्स सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए:

- 'आरोग्य सेतु' ऐप, जो कोविड-19 के दौरान विकसित किया गया था, स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

- 'स्वच्छ' जैसे स्टार्टअप्स अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को हल करने पर काम कर रहे हैं।

### 3. वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व

भारतीय स्टार्टअप्स अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 'जोमैटो' और 'ओला' जैसे स्टार्टअप्स ने अपने व्यवसाय का विस्तार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किया है, जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है।

#### 4. अनुसंधान और विकास को बढ़ावा

स्टार्टअप अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं, जो देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। 'आयुष्मान भारत' जैसी सरकारी पहलों ने स्वास्थ्य-तकनीक स्टार्टअप को नए समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

#### 5. स्थानीय समाधान, वैश्विक दृष्टिकोण

भारतीय स्टार्टअप स्थानीय समस्याओं के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण के साथ। यह दृष्टिकोण 'वोकल फॉर लोकल' के विचार को साकार करता है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आने वाले वर्षों में, स्टार्टअप की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने की संभावना है:

1. \*उभरती तकनीकें\*: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों में स्टार्टअप नए अवसर तलाश रहे हैं। ये तकनीकें भारत को एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती हैं।
2. \*ग्रीन टेक्नोलॉजी\*: जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को देखते हुए, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
3. \*अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी\*: 'स्काईरूट एयरोस्पेस' जैसे स्टार्टअप पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक नवाचार की उम्मीद है।
4. \*ग्रामीण विकास\*: ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप की संख्या बढ़ने की संभावना है, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।
5. \*स्वास्थ्य सेवा\*: कोविड-19 महामारी के बाद, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार की गति तेज होने की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत का विजन एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भी हो। स्टार्टअप इस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि प्रसिद्ध उद्यमी और लेखक विवेक वाधवा ने कहा है, "भारत का भविष्य उसके उद्यमियों के हाथों में है।" यह कथन आज पहले से कहीं अधिक सटीक प्रतीत होता है। स्टार्टअप न केवल व्यावसायिक सफलता के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वे एक बेहतर, अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

आने वाले वर्षों में, यह महत्वपूर्ण होगा कि हम इस गति को बनाए रखें और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करें। इसके लिए निरंतर नीतिगत समर्थन, निवेश में वृद्धि, और एक ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक होगा जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। अंत में, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व करता है, लेकिन साथ ही वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो भारतीय मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं।

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" आज के संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि "आत्मनिर्भर भारत की आत्मा उसके स्टार्टअप में बसती है।" ये स्टार्टअप न केवल आर्थिक विकास के इंजन हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी हैं। वे भारत के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, नए विचारों को जन्म दे रहे हैं, और एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार है। इस प्रकार, स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं - एक ऐसी नींव जो मजबूत है, नवोन्मेषी है, और भविष्य के लिए तैयार है। यह एक ऐसा भारत है जो अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, अपने अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है, और दुनिया को बदलने के लिए तत्पर है। स्टार्टअप के नेतृत्व में, आत्मनिर्भर भारत का सपना न केवल एक लक्ष्य है, बल्कि एक वास्तविकता है जो धीरे-धीरे साकार हो रही है।

### संदर्भ सूची-

1. NASSCOM. (2021). Indian Tech Start-up Ecosystem: Year of the Titans. Retrieved from <https://nasscom.in/knowledge-center/publications/indian-tech-start-ecosystem-year-titans>
2. स्टार्टअप इंडिया. (2021). स्टार्टअप इंडिया: प्रोग्रेस रिपोर्ट. भारत सरकार. <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/progress-report.html> से प्राप्त
3. Deorah, K. (2015). The Golden Tap: The Inside Story of Hyper-Funded Indian Startups. Roli Books.
4. Bansal, R. (2008). Stay Hungry Stay Foolish. CIIE, IIM Ahmedabad.
5. मोदी, एन. (2020, मई 12). आत्मनिर्भर भारत अभियान [वीडियो]. You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=Q0hUwh7dSmk>
6. कुमार, ए. & शर्मा, पी. (2021). भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र: चुनौतियाँ और अवसर. जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 45(2), 78-95.
7. सिंह, एस. (2022). डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 68(1), 110-125.
8. Reserve Bank of India. (2022). Report on Trend and Progress of Banking in India 2021-22. Retrieved from <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Trend%20and%20Progress%20of%20Banking%20in%20India>
9. World Bank. (2022). Doing Business 2022. Washington, DC: World Bank. Retrieved from <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2022>
10. कलाम, ए.पी.जे. (2002). इग्नाइटेड माइंड्स: अनलीशिंग द पावर विविन इंडिया. पेंगुइन बुक्स इंडिया.



## उच्च शिक्षा में महिलाओं की चुनौतियाँ एवं उपलब्धियाँ

प्रियंका दीक्षित

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र

श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय,  
अलीगढ़

महिलाओं की शिक्षा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चिंता और चर्चा का विषय रही है। इसमें न केवल सीखने का कार्य शामिल है बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा भी शामिल है जो महिलाओं को सशक्त बनाती है वे बड़े पैमाने पर समाज और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देती है। महिलाओं के लिए शिक्षा की खोज एक मौलिक अधिकार है जिसके लिए सदियों से संघर्ष किया जा रहा है, जो उस समय से प्रगति का प्रतीक है जब उनकी भूमिकाएँ घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित थीं। आज तक, जहाँ वे हर क्षेत्र में नेता, नवप्रवर्तक और प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

महिलाओं के लिए शिक्षा केवल साक्षरता या ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह लैंगिक समानता हासिल करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आधारशिला है। शिक्षित महिलाओं के स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं, बच्चे कम होते हैं और श्रम बल में भाग लेने की संभावना अधिक होती है कि वे अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन के बारे में विकल्प चुनने में अधिक सक्षम हैं, जो गरीबी के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, एक लड़की की भविष्य की कमाई औसतन 10–20% तक बढ़ सकती है। यह आर्थिक सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिवारों, समुदायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हालाँकि, स्पष्ट लाभों के बावजूद, लड़कियों और महिलाओं को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा में अद्वितीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएँ सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक हो सकती हैं। कुछ संस्कृतियों में, लड़कियों की

शिक्षा को लड़कों के समान महत्व नहीं दिया जाता है जिसके कारण कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करना पड़ता है जिससे उनकी शैक्षिक यात्राएँ बाधित होती हैं और अक्सर समाप्त हो जाती हैं। आर्थिक बाधाएँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कई परिवार अपने बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, अक्सर संसाधन सीमित होने पर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित स्कूल वातावरण और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं सहित सामाजिक बाधाएँ, शिक्षा में लड़कियों की लगातार भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महिलाओं की शिक्षा के महत्व को पहचानता है, जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों में उजागर किया गया है, जिसका उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, समुदाय-आधारित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के अवसर जैसे नवीन समाधान महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सामग्रियों के भीतर लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और लड़कियों के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को बढ़ावा देना अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। युवा लड़कियों को अपनी शिक्षा और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा लैंगिक समानता और आर्थिक विकास हासिल करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका न केवल स्वयं महिलाओं पर बल्कि उनके परिवारों, समुदायों और बड़े पैमाने पर देशों पर

गहरा प्रभाव पड़ता है। लगातार चुनौतियों के लिए निरंतर प्रयास और नवीन रणनीतियों की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर लड़की को सीखने, बढ़ने और हमारे साझा भविष्य में योगदान करने का अवसर मिले। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध दुनिया में एक रणनीतिक निवेश है।

पिछले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। यह बदलाव न केवल लैंगिक समानता की दिशा में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्वतंत्रता, नेतृत्व और नवाचार को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति उनके लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और ऐतिहासिक बाधाओं के टूटने का प्रमाण है जो कभी उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को सीमित करती थी।

उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन विश्व स्तर पर बढ़ा है जो अक्सर कई देशों में पुरुषों से आगे निकल जाता है। यह उल्लेखनीय प्रवृत्ति उन बहुमुखी बाधाओं को दूर करने के ठोस प्रयासों का परिणाम है जिनका महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सामना किया है। इन प्रयासों में कानूनी सुधार, लैंगिक समानता की वकालत, वित्तीय सहायता कार्यक्रम और महिलाओं की शिक्षा को कम महत्व देने वाले सामाजिक मानदंडों को बदलने के उद्देश्य से पहल शामिल हैं। परिणामस्वरूप पहले से कहीं अधिक महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) जैसे पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में डिग्री हासिल कर रही हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव व्यक्तिगत सशक्तिकरण से कहीं अधिक है। शिक्षित महिलाएं कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण हैं जो नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले विविध दृष्टिकोण और कौशल लाती हैं। वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और उन्हें नया आकार देने, अधिक समावेशी और न्यायसंगत समुदायों में योगदान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भाग लेने की अधिक संभावना होती है जिससे ऐसी नीतियां बनती हैं जो सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित करती हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से एसटीईएम क्षेत्रों में और संस्थानों के भीतर शिक्षा और नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर। महिला शिक्षाविदों और छात्रों को अक्सर लिंग पूर्वाग्रह और कभी-कभी शत्रुतापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है जो उनके कैरियर की प्रगति और व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकता है। शैक्षणिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को देखभाल जैसी सामाजिक अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना कई महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त चुनौती है।

शिक्षा जगत में महिलाओं को बाधाओं के एक जटिल जाल का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी पूर्ण भागीदारी और उन्नति में बाधा डालता है। ये चुनौतियाँ न केवल अकादमिक या पेशेवर प्रकृति की हैं बल्कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के अनुभवों को प्रभावित करने वाले सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों में भी गहराई से निहित हैं।

एक और महत्वपूर्ण चुनौती लैंगिक पूर्वाग्रह और भेदभाव है जिसका महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों में सामना करना पड़ता है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है जिसमें साथियों और संकाय द्वारा असमान व्यवहार परामर्श के अवसरों की कमी

और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रह शामिल हैं। महिला शिक्षाविद अक्सर हाशिए पर महसूस करने और मान्यता और उन्नति हासिल करने के लिए अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक मेहनत करने की रिपोर्ट करती हैं। यह वातावरण न केवल उनके पेशेवर विकास को प्रभावित करता है बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी प्रभावित करता है।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में कार्य-जीवन संतुलन का मुद्दा विशेष रूप से गंभीर है। शिक्षा जगत में उत्कृष्टता हासिल करने का दबाव, देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर सामाजिक अपेक्षाओं के साथ मिलकर, महिलाओं पर असंगत बोझ डालता है। यह चुनौती अकादमिक करियर की संरचना के कारण और भी गंभीर हो गई है जिसके लिए अक्सर गतिशीलता, लंबे घंटे और एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है जो पारिवारिक जीवन के विपरीत हो सकती है। कार्यकाल या नेतृत्व पदों का लक्ष्य रखने वाली महिलाओं के लिए, ये मांगें व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के बीच कठिन विकल्प और समझौते का कारण बन सकती हैं।

दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में यौन उत्पीड़न और हिंसा व्यापक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस तरह के अनुभवों का न केवल गहरा व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है बल्कि भय और बहिष्कार का माहौल भी बनता है जो महिलाओं को शैक्षणिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोक सकता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए संस्थानों की आलोचना की गई है, कई लोगों ने मजबूत सुरक्षा, स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र और एक सांस्कृतिक बदलाव की मांग की है जो सभी छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देता है

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों, नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समाज को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो वास्तव में महिलाओं के योगदान

और क्षमता का समर्थन और महत्व देता हो। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना, चुनौतियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करना और उच्च शिक्षा में महिलाओं के अवसरों और उपलब्धियों को सीमित करने वाले पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शामिल है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं का समर्थन करने, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और व्यापक पेशेवर नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर महत्वपूर्ण हैं। उत्साहजनक रूप से, कई संगठन और पहल अब शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं का समर्थन करने, ऐसे समुदायों के निर्माण में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो महिलाओं को अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाते हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे न केवल स्वयं महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को लाभ होता है। यह लैंगिक समानता की दिशा में व्यापक बदलाव और शिक्षा जगत, कार्यबल और नेतृत्व में महिलाओं के अमूल्य योगदान की मान्यता को दर्शाता है। हालांकि, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। शेष चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं कि उच्च शिक्षा वास्तव में एक समावेशी स्थान बन जाए जो लिंग की परवाह किए बिना अपने सभी सदस्यों की प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं का पोषण करती है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपलब्धियाँ उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और सदियों पुरानी बाधाओं के टूटने का प्रमाण हैं। ये उपलब्धियाँ न केवल व्यक्तिगत महिलाओं के लिए मील के पत्थर हैं बल्कि शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता की दिशा में सामूहिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्यवस्थागत चुनौतियों

पर काबू पाने से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान देने तक, उच्च शिक्षा में महिलाओं ने ज्ञान, नवाचार और नेतृत्व के परिदृश्य को नया आकार दिया है।

ऐतिहासिक रूप से, उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच गंभीर रूप से प्रतिबंधित थी। दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया था। हालाँकि महिला शिक्षा में शुरुआती अग्रदूतों की दृढ़ता ने भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज, महिलाएं न केवल पहले से कहीं अधिक संख्या में उच्च शिक्षा में भाग लेती हैं बल्कि अकादमिक उपलब्धियों के मामले में अक्सर अपने पुरुष समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कई देशों में, महिलाएं अब पुरुषों की तुलना में अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री अर्जित करती हैं, जो शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपलब्धियाँ उनकी अपनी शैक्षणिक सफलता से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। महिला शिक्षाविद और शोधकर्ता चिकित्सा विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग और मानविकी से लेकर सामाजिक विज्ञान तक विभिन्न विषयों में अभूतपूर्व अनुसंधान में सबसे आगे रही हैं। उनके काम से तकनीकी प्रगति, चिकित्सा सफलताएं और मानव संस्कृति और समाज की गहरी समझ पैदा हुई है जिससे समग्र रूप से मानवता को लाभ हुआ है।

नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि विश्वविद्यालय के अध्यक्षों और डीनशिप जैसे नेतृत्व के सर्वोच्च पदों पर अभी भी कम प्रतिनिधित्व है लेकिन बढ़ती संख्या में महिलाएं इन भूमिकाओं को निभाने के लिए “कांच की छत” को तोड़ रही हैं। उनके नेतृत्व की विशेषता समावेशिता, सहयोग और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता है जो अधिक गतिशील और उत्तरदायी संस्थानों में योगदान देता है।

उच्च शिक्षा में महिलाएं शैक्षणिक समुदायों के भीतर विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने में भी सहायक रही हैं। वकालत और नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि उच्च शिक्षा लिंग, नस्ल, जातीयता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ और स्वागत योग्य हो। इसमें यौन उत्पीड़न और भेदभाव से निपटने और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपलब्धियाँ प्रेरणा के स्रोत और कार्रवाई के आह्वान के रूप में काम करती हैं। वे हमें शिक्षा जगत और उसके बाहर लैंगिक समानता के लिए लड़ना जारी रखने के महत्व की याद दिलाते हैं। महिलाओं की उन्नति का समर्थन करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति, परामर्श कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से, उच्च शिक्षा संस्थान अगली पीढ़ी की महिला नेताओं, नवप्रवर्तकों और विद्वानों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपलब्धियाँ उनकी क्षमताओं और क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब हैं। ये उपलब्धियाँ न केवल शैक्षणिक समुदाय को समृद्ध करती हैं बल्कि सामाजिक प्रगति और मानव जीवन की बेहतरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमें महिलाओं के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च शिक्षा वास्तव में एक समावेशी स्थान बन जाए जहां सभी फल-फूल सकें। शिक्षा जगत में लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ आगे के रास्ते को उजागर करती हैं जो भावी पीढ़ियों के लिए आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ:—



चनाना, करुना, (1988). 'एजुकेशन, सोशलाइजेशंस एंड विमेन", ओरिएंट ओंगमेन.

मिश्रा, पी, और शर्मा, ए. (2018). "बेरियर्स टू विमेंस हायर एजुकेशन इन इंडिया : ए क्वालिटीटेव स्टडी. जेंडर एंड सोसायटी" 32 (4) 489– 508

सिंह, एन .(2008). "हायर एजुकेशन फॉर विमेन इन इंडिया - चॉइसेज एंड चौलेंजेस, पब्लिशड बाय द फोरम ऑन पब्लिक पॉलिसी

एस पॉलपुनिथा, केआर मुरुगन (2015). "चलेंजेस एंड अचीवमेंटस इन हायर एजुकेशन" इंटरनेशनल ,जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च 1(8) 470–473

## भारतीय ज्ञान परंपरा में औद्योगिक नीति तथा उसके प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ प्रभात कुमार पांडेय

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

राजकीय महिला महाविद्यालय रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र

### सारांश

भारत की परंपराओं को आज विश्व भी अपना रहा है। हमें और हमारी भावी पीढ़ियों को भी भारत की प्राचीन मूल्य को यथोचित महत्व देना होगा। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप से पहचानना एवं सही दिशा प्रदान करना होगा। प्राचीन भारत ने दर्शन, ध्वन्यात्मक भाषा विज्ञान, अनुष्ठान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्य सिद्धांत, तर्क, जीवन विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं संगीत जैसे विभिन्न मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना करके मानव जाति की उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया है। प्राचीन भारतीयों द्वारा आविष्कृत विचारों और तकनीकियों का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूलाधार को दृढ़ करने में अद्भुत योगदान रहा है। जबकि इन अभिनव योगदान को वर्तमान में कुछ तो अपनाया जा रहा है, कुछ अभी भी अज्ञात हैं। उपनिषद् यद्यपि ज्ञानकाण्ड है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन किया गया है। तथापि साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए इसका भी उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में नीतिबोध का रूप अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। प्राचीन वेदों और अन्य शास्त्रों में चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता (1000-500 ईसा पूर्व) 700 औषधीय जड़ी बूटियों के साहित्य के मुख्य पारम्परिक संग्रह हैं। बहुविषयी शिक्षा, सम्पूर्ण विकास, जड़ से जग तक, मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशित है। सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ, शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत, लोक कला की विकसित परंपराएं, मिट्टी के पात्र, मूर्तियां और कांस, उमदा वास्तु कला, असाधारण व्यंजन, हरेक प्रकार के शानदार टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ, यह सब जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी महान विविधता को प्रदर्शित करता है। विश्व धरोहर के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें बढ़ाना चाहिए और इन्हें नये उपयोग में भी लाना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्योग क्षेत्र में पहले पटसन और चीनी जैसे कृषि आधारित उत्पादों तक ही सीमित था लेकिन अब इसका विस्तार बहुत ही आधुनिकतम वस्तुओं तक हो गया है जो समय-समय पर प्रचलित औद्योगिक नीतियों का ही परिणाम है।

**KEYWORDS**---भारतीय ज्ञान परंपरा, उद्योग, औद्योगिक विकास पूंजी, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, सार्वजनिक क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था

1850 का दशक श्रम गहन औद्योगिक विकास में तेज वृद्धि के लिए विशिष्ट दशक था। यह वह दशक था जिसमें जूट और कपास मिलों की सफल स्थापना हुई थी। भारत में विस्तारित रेलवे प्रणाली को आपूर्ति की सुविधा के लिए कोयला-क्षेत्र रेलवे जंक्शनों से जुड़े थे। चूंकि भारत ब्रिटिश औद्योगिक हितों के अधीन था, रेलवे प्रणाली का निर्माण और कोयला क्षेत्र का कार्य करना औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन नहीं दे सकता था। यह एक विविध औद्योगिक विकास की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत और एक अंत दोनों थी। बल्कि, जैसा कि डैनियल थॉर्नर ने देखा है, रेलवे प्रणाली का निर्माण आर्थिक दरों पर कच्चे माल को बाहर निकालने और ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा करने के लिए किया गया था। डैनियल थॉर्नर ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में रेलवे ने कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों में क्षेत्रीय विशेषज्ञता का एक पैमाना बनाया और खेती के लिए अधिक भूमि लाने को प्रोत्साहित किया। रेलवे को भी मजदूरी और कीमतों के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है और इससे उन्हें उप-महाद्वीप में समग्र रूप से अधिक समान बनाने में मदद मिली है। फिर भी जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि रेलवे भारत में वास्तव में आधुनिक चरित्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्यम रहा है, जिसमें भारी मशीनरी, सटीक तकनीक और उन्नत संचार शामिल हैं, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि उनके आश्चर्यजनक रूप से कुछ रचनात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया का प्रसार करने में मदद की, जबकि ग्रामीण इलाकों में आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया शुरू की। 1946 में, औद्योगिक सूचकांक का 70 प्रतिशत सूती वस्त्र जूट वस्त्र और कोयले द्वारा गठित किया गया था। अन्य सभी खनन और औद्योगिक चिंताओं का कारण स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक तिहाई था। प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास पूरी तरह से इन चार बुनियादी उद्योगों अर्थात् रेलवे, कोयला, जूट और कपास तक ही सीमित था। यह जर्मनी में इस्पात उद्योग की खतरनाक वृद्धि थी जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंसेंट्री स्टील उद्योग विकसित करने के लिए मजबूर किया, और टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने 1911 में भारत के औद्योगिक मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ी।

कोयला उद्योग-रेलवे उद्योग के महत्व के आगे कोयला उद्योग था। यह न केवल भारत में रेलवे की बुनियादी आवश्यकता थी, बल्कि ब्रिटिश उद्योग की भी थी। 1840 के दशक में कोयले का उत्पादन सिर्फ एक लाख टन था। 1860 में यह बढ़कर तीन लाख टन हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मिलियन टन, और उसके बाद, देश से पैक्स ब्रिटानिका के अधीन होने के दौरान 250 मिलियन टन पर लगभग स्थिर रहा। 1920 के दशक तक, कोयला उद्योग को नियंत्रित और विशेष रूप से ब्रिटिश द्वारा प्रबंधित किया गया था। 1920 के बाद, भारतीय प्रबंधन द्वारा छोटे कोयला-क्षेत्र विकसित किए गए थे।

जूट उद्योग-जूट उद्योग भी अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। पहला जूट उद्योग 1854 में स्थापित किया गया था। 1862 तक तीन और मिलें अस्तित्व में आईं। 1877 तक 4000 करघे प्रचालन में थे। सदी के करीब आते-आते यह संख्या बढ़कर 15,000 करघों तक पहुंच गई। यह बीसवीं शताब्दी में यूरोप में सैन्य तैयारी

थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर संख्या को 40,000 करघे तक बढ़ाने में मदद की। यूरोप में सत्ता संघर्ष के लिए जारी तनावपूर्ण स्थिति और युद्धों से यह निशान कायम था।

कपास उद्योग- यह भारतीय कपड़ा उद्योग था जिसे भारत में अंग्रेजों ने बेरहमी से नष्ट कर दिया था। लेकिन यह कपास उद्योग भी था जिसे भारतीय उद्यमियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कच्ची-कपास का व्यापार करने वाले पारसी समुदाय ने पहली बार 1854 में एक सूती मिल की स्थापना की। कपास उद्योग का विकास तेजी से हुआ। 1914 में मिलों की संख्या 1861 में महज 8 से बढ़कर 271 मिलों तक पहुंच गई और लगातार बढ़ते टेम्पो को 1946 तक बनाए रखना जारी रखा।

अन्य उद्योग- यह प्रथम विश्व युद्ध था जिसने औद्योगिक विकास को तेज दर और विविध क्षेत्रों में मजबूर किया। 1800 में समुद्री गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा था, भारत को अपने यहां कोई भी व्यापारी नहीं बचा था। युद्ध के दौरान ब्रिटिश व्यापारी बेड़े द्वारा दी जाने वाली समुद्री सुविधा से भी देश वंचित था। इसने पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए गंभीर खतरे को उजागर किया क्योंकि गैर-स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण रेलवे सेवा में भी लगभग ब्रेक-डाउन।

सरकारी दुकानों के लिए अपनी मांगों को रखने के लिए ब्रिटिश मजबूरी, अब तक भारतीय संसाधनों पर इंग्लैंड से प्राप्त अन्य हल्के उद्योगों के उभरने में मदद मिली। सामान्य और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग जो 1914 के औद्योगिक मानचित्र से अनुपस्थित थे, 1919 तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। इसी तरह रेलवे कार्यशालाओं अध्यादेश कारखानों, लोहा और इस्पात कारखानों, रासायनिक उद्योगों और अन्य ने भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक सम्मान-योग्य स्थान प्राप्त किया था। यह औद्योगिक विकास था जिसने लोगों की बढ़ती संख्या को रोजगार प्रदान किया और भारत में एक पर्याप्त श्रम शक्ति का उदय हुआ।

तालिका- विभिन्न उद्योगों में श्रम शक्ति हजार में

उद्योग	1892	1899	1909	1919	1929	1939	1949
रेलवे	25	309	510	713	818	709	901
कोल माइन्स	33	83	29	190	180	227	345
काटन टेक्सटाइल्स	121	163	237	280	338	449	653
जूट टेक्सटाइल्स	66	102	204	276	347	299	332
रेलवे वर्कशाप	-	-	-	30	53	48	136
लौह एवं स्टील	12	17	24	21	32	41	60
अन्य उद्योग	55	105	213	404.2	622.5	715.2	1053

स्रोत- औद्योगिक सर्वोद्धि वार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 1892 में लगभग 546 हजारों की श्रम शक्ति थी। 1949 तक ताकत बढ़कर 3854 हो गई, अर्थात् इस अवधि में यह 700 प्रतिशत बढ़ गई। रेलवे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसने सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया। उनकी संख्या 1892 में 259 हजारों से बढ़कर 1949 में 901 हजार हो गई। इसलिए, रेलवे में मजदूरों के रोजगार में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके आगे खनन उद्योग था। 1892 में सिर्फ 33 हजारों खनिक थे। 1948 में इनकी संख्या बढ़कर 594 हो गई, यानी खनन उद्योग में रोजगार के अवसरों में 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रोजगार देने में रेलवे के आगे कपास उद्योग था। इसने 1892 में 121 हजार और 1848 में 661 हजारों लोगों को रोजगार दिया, कुल मिलाकर, कारखाना रोजगार नगण्य था। 1882 में कारखाने के रोजगार में केवल 254 हजारों लोग थे। भारत में कारखाने 1949 में लगभग 2580 हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे थे।

औद्योगिक विकास का इतिहास-

भारत में एक संगठित प्रतिरूप पर आधारित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत 1854 में देशी पूंजी व उद्यम प्रधान मुंबई वस्त्र उद्योग की स्थापना से हुई। 1855 में हुगली घाटी में रिशरा नामक स्थान पर जूट उद्योग की स्थापना की गयी, जिसमें विदेशी पूंजी व उद्यम का बाहुल्य था। 1853 में रेल परिवहन की आधारशिला रखी गयी। 1870 में बालीगंज (कोलकाता के निकट) में देश के प्रथम कागज कारखाने की स्थापना की गयी। 1875 में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए कुल्टी में पहली बार इस्पात का निर्माण किया गया। 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा जमशेदपुर में कार्य करना आरंभ किया गया। दो विश्व युद्धों ने लौह व इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, रासायनिक तथा अन्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को विकास का एक अवसर उपलब्ध

कराया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति में सामाजिक उद्देश्यों- रोजगार निर्माण, उच्च उत्पादकता, क्षेत्रीय विकास असंतुलन की समाप्ति, कृषि आधार की मजबूती, निर्यात-मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन तथा उपभोक्ता संरक्षण इत्यादि की पूर्ति पर बल दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की उच्च वरीयता दी गयी। 1948 एवं 1956 की औद्योगिक नीतियाँ भारत में औद्योगिक विकास की दिशा का संकेत देती हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ की गयी, जो अन्य परवर्ती योजनाओं के दौरान निरंतर चलती रही है।

औद्योगिक नीति 1948

6 अप्रैल 1948 ई० को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा और इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचार धारा स्वीकार की गयी जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया।

अ-पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के अन्तर्गत उद्योग जिसमें तीन महत्वपूर्ण उद्योगों को रखा गया।

1. अस्त्र शस्त्र निर्माण
2. अणु शक्ति का उत्पादन एवं नियंत्रण
3. तेल, यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण

ब-निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण में 18 उद्योग चलाये जायेंगे जिसमें भारतीय रसायन उद्योग, चीनी, सूती एवं ऊनी वस्त्र, सीमेन्ट इत्यादि।

स- छः आधारभूत उद्योग जिसकी स्थापना निजी औद्योगिक इकाइयाँ करेंगी पर 10 वर्ष बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा जिसमें कोयला, लौह इस्पात, हवाई जहाज, जलयान निर्माण, टेलीफोन एवं वायरलेस बनाना, खनिज तेल उद्योग।

द- निजी क्षेत्र में उपर्युक्त के अलावा सभी उद्योगों की स्थापना की जायेगी।

औद्योगिक नीति 1956- तत्कालीन प्रधानमंत्री चण्डीतन ने प्रस्ताव संसद में रखा जिन्होंने उद्योगों को 4 क्षेत्रों में विभाजित करके मात्र तीन क्षेत्रों में विभाजित किया

अनुसूची अ- जिसमें 17 उद्योगों को शामिल किया गया जिनके विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी जिसमें अस्त्र शस्त्र परमाणु शक्ति लौह इस्पात, भारी मशीने बिजली के उपकरण, लौह एवं इस्पात की ढलाई कोयला एवं लिग्नाइट, कच्चा लोहा, खनिज तेल एवं मैग्नीज, जिप्सम, गंधक एवं सोने, हीरे की खानों को खोदना, हवाई जहाज, रेल, समुद्री जहाज, टेलीफोन एवं वायरलेस।

अनुसूची ब- में 12 उद्योग रखे गये हैं जो शुरू में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किये जायेंगे पर धीरे-धीरे सरकार इनका अधिग्रहण कर लेगी जिसमें रसायनिक खाद, मशीनरी टूल्स, दवायें, सड़क यातायात इत्यादि।

अनुसूची स- इसमें उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया जो उपर्युक्त में नहीं हैं सामान्यतः इसमें उपभोग्य वस्तुयें शामिल हैं। जिनके भावी विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की होगी।

औद्योगिक नीति 1977

दिसम्बर 1977, में जनता सरकार के उद्योग मंत्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका 1956 की नीति के ही अनुसार ही स्वीकार किया गया इसके साथ ही इसमें लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना और विकास पर बल दिया गया। अति लघु क्षेत्रों की नयी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया ऐसे उद्योग जिनकी पूँजी एक लाख ₹० तक हो तथा जो 50000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे वे अति लघु क्षेत्र के उद्योग माने जायेंगे।

औद्योगिक नीति 1980

जुलाई 1980, में कांग्रेस सरकार ने इस नीति की घोषणा की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास रहा इस नीति में अति लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 1 लाख से 2 लाख की गयी, लघु उद्योगों में 2 से 20 लाख की गयी।

एम०आर०टी०पी०एक्ट:- सरकार ने एकाधिकारी जाँच आयोग का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में दी और इस आयोग की सिफारिश पर डट्ज् बज 1969 में पारित हुआ पर 1970 में लागू हुआ। ऐसी कंपनियाँ जिनके निवेश योग्य पूँजी 20 करोड़ ₹० या उससे अधिक हो वे कंपनियाँ अर्थव्यवस्था में निवेश के पूर्व सर्वप्रथम डट्ज् आयोग से अनुमति प्राप्त करेंगी और यही कम्पनियाँ डट्ज् कम्पनियाँ मानी जायेंगी। 1985-86 में डट्ज् कंपनियाँ की निवेश योग्य पूँजी 20 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ ₹० कर दी गयी अतः 100 करोड़ से कम निवेश पर डट्ज् आयोग से अनुमति की आवश्यकता नहीं रही। वर्तमान में डट्ज् बज समाप्त कर दिया गया है। पर आयोग कायम है जो कम्पनियों के निवेश के लिए कोई रोक नहीं लगायेगा सिर्फ एकाधिकारी प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में जनित होने पाये इस पर रोक लगायेगा चाहे कम्पनियों की पूँजी 100 करोड़ हो या उससे अधिक।

नयी औद्योगिक नीति 1911: नयी औद्योगिक नीति की घोषणा 1985 ई० में जनता दल सरकार ने की थी। जिसके निम्न उद्देश्य बनाये गये।

1. रोजगार सृजन।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारों का विस्तार।
3. निर्यात में लघु उद्योगों के योगदान पर बल दिया गया।
4. लघु सहायक तथा अतिलघु उद्योगों में निवेश की सीमान्त वृद्धि।
5. लाइसेंसिंग नीति में उदारता।

नयी औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991, को कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पी०वी० नरसिम्हा राव ने कार्यरत रूप में घोषणा की जिसकी आधारशिला पूर्व में ही रखी गयी थी। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का लक्ष्य बनाया गया जो नयी आर्थिक नीति के उद्देश्य है। इस नीति के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पारित किये गये हैं।

5 लाइसेंसिंग नीति में सुधार. प्रारम्भ 1948 से ही औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति अत्यधिक कठोर थी जिसके अनुसार कोई भी नयी औद्योगिक इकाई खोली जा सकती थी और नही उसमें विस्तार लाया जा सकता है जब तक केन्द्र सरकार से अनुमति न मिल जाये। आर०के० हजारी व सुविमल दत्त समिति ने पूर्व औद्योगिक नीति की आलोचना की तथा यह स्पष्ट कहा कि पूर्व की लाइसेंसिंग नीति ने बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुँचाया है दोनों समिति ने लाइसेंसिंग नीति में उदारता के लिए सरकार से सिफारिश की। परिणाम स्वरूप 1991 की औद्योगिक नीति में सरकार ने 34 उद्योगों की सूची को घटाकर लाइसेंसिंग के लिए 18 उद्योगों की सूची जारी की पर वर्तमान में 18 की जगह सिर्फ 5 उद्योगों का रखा गया।

1. अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का आसवन एवं निर्माण।
2. तम्बाकू के सिगरेट एवं तम्बाकू की बनी अन्य वस्तुएं
3. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं सुरक्षा वस्तुओं
4. औद्योगिक विस्फोटक।
5. जोखिम वाले रसायन।

5 एम०आर०टी०पी० अधिनियम में संशोधन. नयी औद्योगिक नीति में डट्ज् बज में सुधार लाया गया जिसके अन्तर्गत अब 100 के उपर की भी कंपनियाँ जो अर्थव्यवस्था में निवेश करेगी उन्हें डट्ज् आयोग से स्वीकृत लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन लाइसेंस होना अनिवार्य है राघवन समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून 2002 लागू किया गया। और 4 अक्टूबर 2003, को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ जो प्रतियोगिता के विपरीत प्रणाली को समाप्त करने बाजार में कम्पनियों के प्रवेश में बाधाओं को समाप्त करने, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखना एवं उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा।

5 सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार. भारत की नई आर्थिक नीति 24 जुलाई, 1991 को केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पी०वी० नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अवसरों का लाभ मिल सके. यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि अभी देश में केवल 5 क्षेत्र (सुरक्षा, रणनीतिक और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित) ऐसे बचे हैं जिनमें घुसने के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभों को भुनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी है. वर्ष 2014 के दौरान रेल बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को भी अनुमति दे दी गयी है. नतीजतन वर्तमान में केवल 2 औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं और बाकी सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है. ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की 5 उद्योग जो स्थायी रूप से घाटे में एक रूग्ण है उनके लिए सरकार 3 साल तक अपनी बजटीय व्यवस्था से क्षति पूर्ति करने का प्रयास करती है जब तीन साल तक यह घाटा निरन्तर बना रहे तो सरकार उन्हें बी०आई०एफ०आर० को सौंप देगी यदि ठप्त् को सौंपने के बाद भी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता न हो जाये तो ठप्त् उन्हें बन्द करने का आदेश कर सकती है। बी०आई०एफ०आर० की स्थापना 1987 में हुयी जो मूलतः निजी कम्पनियों की रूग्णता से सम्बन्धित थी पर 1992 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाईयों के देखने के लिए तथा सुधार करने के लिए सरकार ने आदेश दिया। बी०आई०एफ०आर० कम्पनियों के दिवालियापन, पुर्नवास, ऋण की पुर्नअदायगी आदि की समस्या पर विचार करती है और बीमार इकाईयों को लाभ में लाने का प्रयास करती है। बाल कृष्ण इराड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 2000 को सरकार के सामने रखी जिसमें ठप्त् को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्युनल की स्थापना का सुझाव दिया सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार के सम्बन्ध में सरकार ने विनिवेश तथा निजीकरण का निर्णय लिया।

5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश. अनुसूची-1 के 3 उद्योगों को छोड़कर सरकार ने अतिरिक्त सभी उद्योगों में कुछ उद्योगों में 49 प्रतिशत तथा कुछ में 51 प्रतिशत और कुछ में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। जिसमें औषधि रसायन, कृषि उपकरण, औद्योगिक उपकरण, परिवहन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के खेत्र में साथ ही साथ एअरपोर्ट के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निम्न शर्तें रखी। घरेलू बिक्री का 5 प्रतिशत तथा विदेशी बिक्री का 8 प्रतिशत रायल्टी विदेशी प्रौद्योगिकी की तिथि से 10 वर्षों की अवधि या

उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष की अवधि तक देय होगा। नयी औद्योगिक नीति में सरकार ने जो कदम उठाये उसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का वातावरण विश्व में भी प्रसार किया है और अर्थव्यवस्था में निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण के आधार पर विश्व के व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापार 1.5 प्रतिशत के उपर और उसके साथ ही साथ इस नीति की देन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा कोष जहाँ 1991 में मात्र 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त था। वर्तमान में विदेशी मुद्रा कोष 280 बिलियन डालर से अधिक है।

5 उत्पाद एवं आयात शुल्कों में कमी - 1991 की औद्योगिक नीति में उत्पाद एवं आयात शुल्कों को सरल एवं तार्किक बनाने का प्रयास किया गया था, परन्तु इसके पश्चात भी पूँजीगत वस्तुओं पर उत्पादक शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाया गया है। पूँजी सम्बन्धी लागतों को कम करने के लिए तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयात एवं उत्पाद शुल्कों में और भी कटौती की गयी है।

5 बीमा व्यवसाय में निजी कम्पनियों को अनुमति - नयी औद्योगिक नीति के बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया था कि यह व्यवसाय केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रहेगा परन्तु अक्टूबर 2000 में इसमें परिवर्तन किया गया तथा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने प्रारम्भ में निजी क्षेत्र की तीन कम्पनियों को बीमा व्यवसाय प्रारम्भ करने का अनुज्ञापन प्रदान कर दिया इन तीन कम्पनियों में जीवन बीमा के क्षेत्र में एच. डी. एफ. सी. स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. तथा साधारण बीमा के क्षेत्र में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० व रायल सुन्दरम एलायस इंश्योरेंस कम्पनी लि० को अनुज्ञापन प्रदान किये। जून 2008 तक निजी क्षेत्र की कुल 19 जीवन बीमा कम्पनियों तथा 13 सामान्य बीमा कम्पनियों को बीमा व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है।

5 रक्षा सम्बन्धी उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति - नयी औद्योगिक नीति में रक्षा सम्बन्धी उत्पादन का कार्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा करने का प्रावधान था। परन्तु केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के 9 मई 2001 को लिए गये एक निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार ने सुरक्षा सम्बन्धी 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी परन्तु सुरक्षा सम्बन्धी उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनी को रक्षा मन्त्रालय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। रक्षा सम्बन्धी किन-किन उत्पादों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी है, इसका निर्णय रक्षा मन्त्रालय के अधीन है।

5 अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन या संशोधन - नयी औद्योगिक नीति 1991 के घोषित होने के पश्चात् कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन, उपायों या संशोधनों का विवरण है-

- 1 विदेशी निवेश संबद्धन को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी निवेश संबद्धन परिषद् गठन तथा विदेशी निवेश संबद्धन मण्डल का पुनर्गठन।
- 2 सेवाकर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया।
- 3 कम्पनियों की रूग्णता का पता लगाने के लिए दिसम्बर 1993 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन।
- 4 गैर-वित्तीय कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100 प्रतिशत अनुमति।
- 5 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में वृद्धि।
- 6 वाणिज्यिक क्षेत्र को पर्याप्त साख उपलब्ध कराने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (बत्) तथा सांविधिक नकदी अनुपात में समय-समय पर परिवर्तन।
- 7 थोक दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति।
- 8 सभी वस्तुओं वर सेनवैट 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करना।

प्रधानमन्त्री श्री पी. वी. नरसिंहराव ने इस नीति को उदार नीति बताते हुए अगस्त, 1991 को राज्य सभा में कहा था कि- सरकार ने औद्योगिक नीति, 1991 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है। इसमें अनेक आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा एकाधिकार अधिनियम का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया है। विदेशी पूँजी के पर्याप्त स्वागत की नीति अपनाई गई है, लोक उपक्रमों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया तथा औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को पुनः तय किया गया है।

निष्कर्ष- भारतीय औद्योगिक विकास नीतियों और व्यापारिक उद्यमों ने पिछली शताब्दी से लेकर अब तक एक लम्बा रास्ता तय किया है। भारतीय उद्योग क्षेत्र पहले पटसन और चीनी जैसे कृषि-आधारित उत्पादों तक ही सीमित था लेकिन अब इसका विस्तार बहुत ही आधुनिकतम वस्तुओं तक हो गया है जो समय समय पर प्रचलित औद्योगिक नीतियों का ही परिणाम है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आज भारत एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है और उपनिवेश उपरान्त के तीसरी दुनिया के देशों में से भारत विशालतम औद्योगिक देश है। इसके बावजूद संतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीकरण में कमी और आत्म-निर्भरता (विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी पर निर्भर न रहने के अर्थों में) जैसे उद्योग नीति संबंधी नियोजन के कुछ उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। जिसे प्राप्त किये जाने के निरन्तर प्रयास जारी है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सिंह, रमेश (आठवां संस्करण, 2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, टाटा मैकग्रा हिल एजुकेशन पब्लिकेशन नोएडा।

2. सुन्दरम के०पी०एम० एवं रुद्र दत्त(72वां संस्करण 2016)भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द लिमि०
3. कपिला,उमा (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, अकेडमिक फाउन्डेशन, नयी दिल्ली
4. विजय.एल.केलकर, एंड राजीव कुमार (1990) इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन एट्रीज'' इकानामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 27 पेज क्रमांक 209
5. आर्थिक समीक्षा-2012-13
6. राकेश मोहन (2002) ए डिकेड आफ्टर 1991 : न्यू चैलेन्जेज फेसिंग द इंडियन इकानामी.
7. नीतिशतकम् २०
8. मनुस्मृति २.२०
9. मिश्र जयशंकर : प्राचीन भारत का इतिहास पृ० ६६७

# OPERATIONAL IMPACT OF SEWAGE TREATMENT PLANT ON UNDERGROUND WATER POOL

(AT DINAPUR VILLEGE, VARANASI)

SAURABH SINGH

M.Sc. (SEM 4)

(A dissertation work, sumitted in)

EWING CHRISTIAN COLLEGE, PRAYAGRAJ

There is no doubt that the ecological imbalance is a big problem but in the present, work emphasis has been given to an important ecological imbalance which has been caused by human interference on water ecosystem of Ganga River and underground water.

In past this Gangetic ecosystem was acting as a habitat for the Gangetic Dolphins and several fresh water organisms, but recent observations clearly established the fact that this ecosystem is not properly functioning. Water level have also been affected mainly underground water level, which is a matter of great concern.

So, in order to overcome from this underground water table issue, STPs were planned and installed by government. But as we know that “every solution of a problem have some impact of its own”. One such STP in Dinapur village in Varanasi district in Uttar Pradesh have some impacts on local surrounding, such as contamination underground water and current position of the STP.

## Q. What is STP?

A. STP stands for Sewage Treatment Plant, which is used to treat the sewage water from domestic, industrial, agricultural runoff, etc. upto a permissible limit to further use it or to dump it into nearby water body.

These treatments involve nutrient management, silt removal in form of dry or wet sludge, chlorination, etc., these treatment clean the sewage water upto an extent that they could be reused for household work after thorough treatment or can be used for agricultural purpose.

There have been several numbers of sewage treatment technologies have been developed, mostly using biological treatment process. These technologies are as follows: -

- **Activated Sludge Process (ASP)**- A common method where microorganisms break down organic matter in wastewater.
- **Anaerobic Granulation Potential (AGP).**
- **Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)**- An anaerobic process that treats organic pollutants.




- **Constructed Wetlands-** Natural system that use plant and microbes to filter wastewater.
- **Decentralized Wastewater System-** Smaller scale solution for treating sewage locally.
- **Waste Stabilization Ponds-** Natural ponds where sunlight and microorganisms treat wastewater, etc.

Engineers and local authorities are responsible for opting out a suitable technology and its alternatives. The main criteria for the selection of suitable technology are-

- Desired effluent quality.
- Expected construction cost and operation.
- Operating cost.
- Availability of land.
- Energy requirement.
- Sustainability aspect, etc.

Following image shows the process of sewage treatment :-



Sewage treatment plants with modern technologies have well equipped machineries that cause nearly less or no damage to surrounding ecosystem.

Following flow chart shows the illustrated form of the above mentioned image –




Image 1) Preliminary treatment



Image 2) Primary treatment



Image 3) Aeration



Image 4) Secondary treatment



Image 5) Disinfection



Image 6) Nutrient management



Image 7) Sludge digester along with gravity thickener



Image 8) Sludge dewatering unit



Image 9) Sewage discharge

Currently the STP working in Dinapur village have two plants inside the same facility, one is 80 MLD and another one is 140 MLD, out of which 80 MLD plant is oldest one and 140 MLD plant is new one commissioned in 2018.

80 MLD plant was constructed in 1986 with the current technology of that time, which have the sludge bed of earthen base which leads to the seepage of sludge water into the underground water table leading to its contamination and making it unfit for drinking or any household purpose.

Villagers of Dinapur village reported these problems in recent years like foul smell of underground water, increasing hardness of water resulting in deposition white layer of the walls of bucket.

Following table shows the physical test of underground water from surrounding of STP in Dinapur village and from some distance:-

SAMPLES PARAMETERS	SAMPLE- A	SAMPLE- B	SAMPLE- C
pH	7.76	7.33	7.70
CONDUCTIVITY (at cell constant 1.10)	1.2 mho (range = 200 μs)	1.2 mho (range = 20 μs)	1.5 mho (range = 20 μs)
TURBIDITY (at 100 NTU level)	2.5 NTU	2.3 NTU	2.4 NTU
TEMPERATURE	30°C	42°C	37°C
TDS (at 2000 ppm)	480	314	320

TABLE-1

(NTU = Nephelometric Turbidity Unit)  
(TDS = Total Dissolved Solutes)

The test results presented in above states that :

- a) **Sample A-** This sample of underground water was collected from a well which is located just beside the STP, the result of this sample clearly states that it have high pH value than other sample (upto 7.76), leading to its alkaline nature, this sample also have conductivity to 1.2 mho, and highest TDS value upto 480.

- b) Sample B-** This sample of underground water was collected from a borewell which is about 6km far from STP, the result of this sample clearly states that it low pH value than other sample (upto 7.33), making it fit for drinking upto an extent, this sample also have conductivity to 1.2 mho, and lowest TDS value upto 314.
- c) Sample C-** This sample of underground water was collected from the location in between the origin place of Sample A and Sample B. It was collected just for clarification of difference in values of Sample A and Sample B. Thus, it have pH value of 7.70, conductivity upto 1.5 mho, and TDS value upto 320.

When this problem arose, government and local authorities commissioned the new plant of 140 MLD with improved and latest Japanese technology, which don't have the beds for drying of sludge, but instead it have heaters for drying the sludge mechanically, avoiding the conventional methods.

### **REFERENCES**

1. <https://microbiologyjournal.org/floating-raft-wastewater-treatment-system-a-review/>
2. <https://nofima.com/projects/rashealth/>
3. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9120046/>
4. [https://www.crystaltanks.com/activated\\_sludge.html](https://www.crystaltanks.com/activated_sludge.html)
5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Sewage\\_treatmentrrrrrrrrrrrrrrrrrr6](https://en.wikipedia.org/wiki/Sewage_treatmentrrrrrrrrrrrrrrrrrr6)
6. Metcalf & Eddy, Inc., Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Fourth edition, McGraw Hill Companies, New York.
7. Kushwaha Rajkumar, Pradushan ke Samajik-Arthik Prabhav: Dinapur Sewage Treatment Plant ke Sandarbh me, 2013, Social Work Department, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, 221002, PhD Thesis.
8. <https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/bhuvan2d2.0/>
9. <https://www.google.co.in/maps/@25.347794,83.0468385,596m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

## Aatmanirbhar Bharat: India's Vision for Self-Reliance

Manoj Kumar Tripathi<sup>1</sup>, Dr. Pramendra Vikram Singh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Assistant Professor, Department of Financial Studies, V.B.S. Purvanchal University,  
Jaunpur, U.P.-222003

<sup>2</sup>Assistant Professor, Department of Business Management, V.B.S. Purvanchal University  
Jaunpur, U.P.-222003

### ***Abstract***

This paper examines the Aatmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) initiative, a comprehensive economic strategy launched by the Indian government in 2020. Through a multifaceted analysis, the study explores the historical context of self-reliance in Indian economic policy, the key components of the initiative, and its implementation strategies. The research assesses the short-term impacts and long-term projections of Aatmanirbhar Bharat on various sectors of the Indian economy, while also identifying associated challenges and criticisms. A comparative analysis with similar global initiatives is conducted to situate Aatmanirbhar Bharat within the broader context of international economic policies. The paper concludes by discussing the future outlook of the initiative and its potential to transform India's economic landscape. This study contributes to the ongoing academic discourse on economic self-reliance and development strategies in emerging economies, offering insights into the balancing act between fostering domestic capabilities and maintaining global competitiveness.

***Keywords:*** Aatmanirbhar Bharat, Self-Reliance, Indian Economy, Manufacturing, Economic Development, Emerging Economies

### **Introduction-**

Aatmanirbhar Bharat, which translates to "Self-Reliant India," is a vision propagated by the Indian government under Prime Minister Narendra Modi. Launched in May 2020 amid the COVID-19 pandemic, this initiative aims to make India "a bigger and more important part of the global economy," pursuing policies that are efficient, competitive, and resilient.

The concept of self-reliance isn't new to India. It harks back to the swadeshi movement during the Indian independence struggle and the economic policies of post-independence India. However, Aatmanirbhar Bharat represents a modern interpretation of this ideal, emphasizing integration with global supply chains rather than isolation.

This paper argues that Aatmanirbhar Bharat is a comprehensive economic strategy aimed at making India a self-reliant and globally competitive nation, balancing domestic capabilities with international cooperation.

### **Background-**

India's economic journey since independence has been marked by various phases. The initial decades saw a focus on import substitution and a controlled economy. The liberalization of 1991 marked a significant shift towards a more open market economy. However, challenges such as bureaucratic hurdles, infrastructure deficits, and an overdependence on imports in certain sectors persisted.

The global economic context leading up to 2020 was characterized by increasing protectionism, trade wars, and then the unprecedented disruption caused by the COVID-19 pandemic. These factors exposed vulnerabilities in global supply chains and renewed focus on domestic manufacturing capabilities worldwide.

India faced several economic challenges, including a slowdown in GDP growth, high unemployment rates, and the need for significant infrastructure development. The Aatmanirbhar Bharat initiative was introduced as a response to these domestic challenges and the changing global economic landscape.

### **Literature Review-**

The concept of self-reliance in economic development has been a subject of extensive academic discourse. This section reviews key literature relevant to understanding and contextualizing the Aatmanirbhar Bharat initiative.

#### **A. Historical Context of Self-Reliance in India**

##### **1. Swadeshi Movement:**

- Chandra (2015) in "The Rise and Growth of Economic Nationalism in India" traces the roots of economic self-reliance to the Swadeshi movement during India's struggle for independence.

- Goswami (2004) argues in "Producing India: From Colonial Economy to National Space" that the idea of economic nationalism was central to India's anti-colonial struggle and post-independence economic policies.

##### **2. Post-Independence Economic Policies:**

- Panagariya (2008) in "India: The Emerging Giant" provides a comprehensive analysis of India's economic policies from independence to the liberalization era, offering insights into the evolution of self-reliance as a policy objective.

## **B. Theoretical Frameworks for Self-Reliance**

### 1. Import Substitution Industrialization (ISI):

- Bruton (1998) in "A Reconsideration of Import Substitution" reviews the theoretical underpinnings and practical implications of ISI strategies, which were influential in shaping India's early economic policies.

### 2. Dependency Theory:

- Vernengo (2006) in "Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect" discusses how dependency theory influenced thinking about self-reliance in developing economies.

## **C. Contemporary Perspectives on Economic Self-Reliance**

### 1. Global Value Chains:

- Gereffi and Fernandez-Stark (2011) in "Global Value Chain Analysis: A Primer" provide a framework for understanding how countries can integrate into global value chains while building domestic capabilities.

### 2. Innovation and Industrial Policy:

- Mazzucato (2015) in "The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths" argues for a proactive role of the state in fostering innovation and industrial development.

## **D. Aatmanirbhar Bharat in Academic Discourse**

### 1. Policy Analysis:

- Kumar (2021) in "Aatmanirbhar Bharat Abhiyan: Challenges and Opportunities" provides a critical analysis of the initiative's potential impact on India's economic growth and global competitiveness.

### 2. Sectoral Studies:

- Sharma et al. (2022) in "Make in India and Aatmanirbhar Bharat: A Comparative Analysis of Manufacturing Sector Policies" examine the continuities and changes in India's approach to boosting domestic manufacturing.

### 3. Global Context:

- Chaudhuri (2021) in "Aatmanirbhar Bharat and the New Global Economic Order" situates the initiative within the changing dynamics of global trade and geopolitics.

This literature review demonstrates that Aatmanirbhar Bharat is part of a long-standing discourse on economic self-reliance and development strategies. It builds upon historical concepts while adapting to the contemporary global economic landscape.

The initiative represents a nuanced approach that seeks to balance domestic capability building with integration into global value chains.

### **Objectives of the Study-**

This research paper aims to provide a comprehensive analysis of the Aatmanirbhar Bharat initiative and its potential impact on India's economic landscape. The specific objectives of this study are:

1. To examine the historical context and evolution of the concept of self-reliance in Indian economic policy, leading up to the Aatmanirbhar Bharat initiative.
2. To analyze the key components and implementation strategies of the Aatmanirbhar Bharat initiative, including policy measures, fiscal stimulus packages, and sector-specific reforms.
3. To assess the short-term impacts and long-term projections of the initiative on various sectors of the Indian economy, including manufacturing, agriculture, and services.
4. To identify and evaluate the challenges and criticisms associated with the implementation of Aatmanirbhar Bharat, including the balance between self-reliance and global integration.
5. To compare the Aatmanirbhar Bharat initiative with similar economic policies in other countries and analyze its potential impact on international trade and relations.
6. To explore the future outlook of the initiative and identify areas for further development and research in the context of India's economic growth and global competitiveness.
7. To contribute to the academic discourse on economic self-reliance and development strategies in the context of emerging economies.

By addressing these objectives, this study aims to provide a balanced and critical analysis of the Aatmanirbhar Bharat initiative, its potential to transform India's economy, and its implications for India's position in the global economic landscape.

### **Key Components of Aatmanirbhar Bharat-**

The initiative is built on five pillars:

- A. Economy:** Focuses on quantum jumps, not incremental changes.
- B. Infrastructure:** Aims to become the identity of modern India.
- C. System:** Leverages 21st-century technology-driven arrangements.



**D. Demography:** Utilizes the vibrant demography of the world's largest democracy.

**E. Demand:** Aims to fully utilize the power of demand and supply chains.

These pillars are designed to encompass all aspects of economic development, from grassroots innovations to high-tech industries.

### **Implementation Strategies-**

The government has announced several policy measures and reforms to implement the Aatmanirbhar Bharat vision:

#### **A. Policy Measures:**

- Production Linked Incentive (PLI) schemes for various sectors
- Reforms in agriculture, including the controversial farm laws (later repealed)
- Changes in the definition of MSMEs to foster growth

#### **B. Fiscal Stimulus Packages:**

- A series of economic packages totaling ₹ 20 lakh crore (approximately \$260 billion)
- Focus on liquidity infusion and credit guarantees for MSMEs

#### **C. Sector-specific Reforms:**

- Defense: Increasing FDI limit and promoting indigenous defense production
- Space: Opening up to private sector participation
- Agriculture: Attempts to reform agricultural marketing (APMC reforms)

### **Analysis Impact-**

#### **A. Short-term Effects:**

- Immediate liquidity support to businesses, especially MSMEs
- Boost to domestic manufacturing in sectors like electronics and pharmaceuticals

#### **B. Long-term Projections:**

- Potential to increase India's manufacturing share in GDP

- Aim to position India as a global manufacturing hub

### **C. Sectoral Analysis:**

- Manufacturing: Significant push through PLI schemes
- Agriculture: Mixed results due to controversies surrounding farm laws
- Services: Focus on digitalization and tech-driven growth

## **Challenges and Criticisms-**

### **A. Balancing Self-reliance with Global Integration:**

- Concerns about potential protectionist measures
- Need to maintain competitiveness in the global market

### **B. Implementation Hurdles:**

- Bureaucratic inefficiencies
- Infrastructure and skill gaps

### **C. Potential Economic Risks:**

- Possibility of trade retaliation from other countries
- Risk of focusing on import substitution at the cost of export competitiveness

## **Global Perspective-**

### **A. Comparison with Similar Initiatives:**

- "Made in China 2025"
- "America First" policy under the Trump administration

### **B. Impact on International Trade and Relations:**

- Potential reshaping of trade partnerships
- Alignment with the broader trend of regionalization in global trade

## **Future Outlook-**

### **A. Potential Scenarios:**

- Optimistic: India emerges as a major manufacturing hub and moves up the value chain
- Moderate: Partial success in select sectors with continued challenges in others
- Pessimistic: Policy implementation struggles lead to limited impact

### **B. Areas for Further Development:**

- Skill development to match industry requirements
- Continued focus on ease of doing business
- Strengthening R&D capabilities

## **Conclusion-**

The Aatmanirbhar Bharat initiative represents a significant evolution in India's economic policy, building upon historical concepts of self-reliance while adapting to the realities of the 21st-century global economy. This comprehensive approach, encompassing various sectors from manufacturing to digital technologies, demonstrates India's commitment to enhancing its domestic capabilities while maintaining global competitiveness. While early indicators suggest positive outcomes in certain areas, particularly in boosting domestic manufacturing and attracting foreign investment, the initiative faces challenges in balancing self-reliance with global integration and overcoming implementation hurdles.

The success of Aatmanirbhar Bharat will largely depend on effective policy implementation, private sector engagement, and the ability to adapt to changing global economic dynamics. If successfully executed, it has the potential to significantly enhance India's economic standing and resilience, possibly serving as a model for other emerging economies. However, the journey towards self-reliance is likely to be complex, requiring constant evaluation and adaptation. As India progresses on this path, further research will be crucial in areas such as the long-term impact of sector-specific policies, effects on India's participation in global value chains, and the role of technological innovation in achieving self-reliance. Ultimately, Aatmanirbhar Bharat represents a bold vision for India's economic future, one that could reshape not only India's economic landscape but also provide valuable lessons for other developing nations navigating the complexities of the global economy.

## References-

1. Government of India. (2020). Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan. Ministry of Finance.
2. Reserve Bank of India. (2021). Annual Report 2020-21.
3. NITI Aayog. (2021). Strategy for New India@75.
4. World Bank. (2021). India Development Update.
5. International Monetary Fund. (2021). World Economic Outlook.
6. Chandra, B. (2015). The Rise and Growth of Economic Nationalism in India. Penguin Books India.
7. Goswami, M. (2004). Producing India: From Colonial Economy to National Space. University of Chicago Press.
8. Panagariya, A. (2008). India: The Emerging Giant. Oxford University Press.
9. Bruton, H. J. (1998). A Reconsideration of Import Substitution. Journal of Economic Literature, 36(2), 903-936.
10. Vernengo, M. (2006). Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. Review of Radical Political Economics, 38(4), 551-568.
11. Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2011). Global Value Chain Analysis: A Primer. Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University.
12. Mazzucato, M. (2015). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. PublicAffairs.
13. Kumar, R. (2021). Aatmanirbhar Bharat Abhiyan: Challenges and Opportunities. Economic and Political Weekly, 56(9), 20-23.
14. Sharma, A., et al. (2022). Make in India and Aatmanirbhar Bharat: A Comparative Analysis of Manufacturing Sector Policies. Journal of Public Affairs, e2733.
15. Chaudhuri, B. (2021). Aatmanirbhar Bharat and the New Global Economic Order. India Quarterly, 77(2), 177-195.

# **BIODIVERSITY AND IT'S CONSERVATION IN INDIA**

**Vijay Prakash Singh**

**Department Of Botany**

**Ramabai Govt. Girls P.G. College , Akbarpur , Ambedkar Nagar, U. P.**

## **ABSTRACT**

Paper throws light on biodiversity of India which is considered one of the mega diversity countries of world. India harbours four hotspots, viz ; Indian Himalaya, Western Ghats, North-East India entire except Assam and Andaman group of islands and fourth one is Sundaland which includes Nicobar group of islands. The great ecological diversity makes India as one of the megadiversity regions on the globe. The rich biodiversity in India has given shape to variety of cultural and ethnic diversity which includes over 550 tribal communities of 227 ethnic groups spread over 5000 forested villages. Present status of flora and fauna of country shows 47,000 species of plants and 90,000 species of animals. There are about 2000 species of fishes in fresh and marine water and near about 1200 species of birds.

Biodiversity is termed by Rasen in 1985. The biodiversity is variety & variability of plant & animal species on our planet. It is the genetic variation of species. The term is defined in convention on Biological diversity as the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystem. In simple words, biodiversity is totality of genes, species and ecosystem in a region. Of 12 megadiversity countries of world namely Brazil, Columbia, Ecuador, Mexico, Peru, India, Madagascar, Zaire, China, Indonesia, Malaysia & Australia which collectively constitute 60-70% of world's biodiversity. Australia alone is considered developed. The pressure on wild lands & forests of economic development is too high in rest of the 11 countries taking priority over environmental & ecological issues.

Myres (1988) identified 18 Hotspots that feature “exceptional concentrations of species with high level of endemism & that face exceptional threat of destruction “. Of these, 10 hotspots are in the Asia pacific region, (13% Land area of earth) out of which India harbours four hotspots, viz; Indian Himalaya, Western Ghats, North-East India entire except Assam and Andaman group of Islands and fourth one is Sundaland which includes Nicobar group of Islands. Demands for economic growth are high in these regions and the rapidly increasing population – 60 million annually, i.e. 50% of world population exerts too much pressure on biological resources, unless immediate decisive steps are taken to counter the effects of fragmentation & degradation of the remaining wilderness areas, forward assumption foretell that much of the biodiversity of Asia will be lost within a few decade.

The wildlife institute of India has demarcated following 10 biogeographical zones in India – 1.Himalaya, 2. Trans Himalayan, 3. Indian Desert, 4. Semi Arid, 5. Western Ghats, 6. Deccan Peninsula, 7.Gangetic Plain, 8. North-East India, 9. Islands, 10. Coasts. It is this ecological diversity that makes India as one of the megadiversity regions on the Globe. On the surface of earth the tropics, mountainous region and island archipelagos (group of Islands) are specially rich in biodiversity. The rich biodiversity in India has given shape to variety of cultural & ethnic diversity which includes over 550 tribal communities of 227 ethnic groups spread over 5000 forested villages. Internationally, the Biosphere Reserves concept is gaining considerable ground. The principle of Biosphere Reserves such as zonation into core, buffer & transition zone emphasizes active participation of local communities in management,

coupling of scientific research with conservation & local development issues, are now being advocated by organizations such as IUCN & are being adopted by most countries.

Harlen (1951) termed Gene microcentres – such small areas where evolution is still proceeding at rapid rate, as in Turkey where he recognised gene microcentre for wheat. Zhukovasky (1968) enlarged Vavilo's centre to include the area of domestication also and called it megacentres or megagenecentre. Some ecologists such as Eckhom (1991), Gargle (1994), Kenton (1991), A. Kothari (1993), Mc Neely & J.F. *et.al.*, (1990) and N. Myres (1988) presented their views on biodiversity. Besides them J.C.Punita (1993), J.C. Rayan (1992), Susan M. Wells (1988), Wilson (1998) and B. Zobel studied the biological diversity and conservation of different areas.

### **Conservation –**

The details of conservation methods make a separate subdiscipline of biodiversity studies called conservation biology. These techniques of biodiversity conservation include 'in-situ' and 'ex-situ' conservation and are as follows –

### **In-situ Conservation –**

It applies only to wild fauna & flora because conservation is achieved by protection of population in nature. It includes a system a system of protected areas of different categories e.g. National Parks, Sanctuaries and Biosphere reserves, Nature reserves, and Natural monuments. The present situation shows 99 National Parks, 513 Sanctuaries, 15 Biosphere reserves and 309 forest preservation plots in India.

### **Ex-situ Conservation –**

In Ex-situ conservation using sample populations, is done through establishment of 'gene bank' which includes Genetic resource centres, i.e., Zoos, Herbaria, Botanical Gardens, Culture collections etc. Recent study shows 275 zoos, 33 Botanical Gardens, 21 Wetlands, 21 Mangrooves & 4 Coral reef areas in our country.

At NBPGR- New Delhi – National facilities for plant tissue culture repository (NFPTCR) was established by Deptt. of Biotech, where in-vitro conservation techniques including tissue culture & cryopreservation offers distinct advantages. This national facility aims at developing suitable in-vitro conservation technologies for medium & long term preservation of clonally propagated antibiohorticultural & plantation crops including their wild relatives. The programme also aims at developing techniques for cryopreservation of seeds, pollen & in-vitro cultures. For this purpose liquid nitrogen (-196°C) container and a liquid nitrogen plant are already in operation for cryopreservation. A range of crops like millets, oil seeds, vegetables, pulses & narcotics have been maintained for several years in liquid nitrogen without any decline in viability or vigour.

**Hottest Hotspots** – Western Ghats, Sri Lanka & Burma are considered as hottest hotspots.

### **Species Diversity –**

Present status of flora and fauna of country shows 47,000 species of plants and 90,000 species of animals. There are about 2000 species of fish in fresh and marine water & about 1200 species of birds.

### **Sacred Groves –**

It is another unique tradition to preserve islands of biodiversity in various parts of India. Sacred groves are areas which have important vegetational resources and represent the original flora of the locality, preserved in its natural form without any external disturbance.

### **Genetic Diversity –**

Wild flora and fauna show genetic diversity or genetic stock, which are disappearing from nature. Development of protected area network (N.P. Sanctuary, BRs) is isolating populations & thus decreasing chances of one group breeding with another. Thus, efforts are to be made to avoid interbreeding within a small population (as in isolated cases of protected areas) to check decreasing genetic diversity. Similarly, high yielding hybrid plant varieties are to be replaced by locally adopted wild varieties. This is a real challenge to our agriculture. India has been the centre for origin of most genetic stock of plant and animal species, which has to be conserved & restored.

### **Acknowledgements**

The author is grateful to Prof. Sifali Singh, Principal, Ramabai Govt. Girls P.G. College, Akbarpur, Dr. Anish Ahmad Ansari (Scientist 'E') Joint Director, Botanical Survey of India, Central circle, Allahabad, Dr. O.P. Singh Solanki and Dr. A.K. Singh Raghuvansi, Associate Professor, T.D.P.G. College, Jaunpur for library facilities and suggestions.

### **References**

- Eckholm E.P. 1991, Biological diversity and economic development. In *Dawn to Earth* Ed. Eckholm E.P., Aff. East, West Press, New Delhi.
- Gargle M. 1994, Biodiversity: Reckoning with life *The Hindu Survey of Environment – 1994*, Madras.
- Kenton R. Miller, *et al*, 1991, issue on the preservation of Biological diversity. In *Global Possible; Resource, Development and the New Century*. Aff. East-West press, New Delhi.
- Kothari A., 1993, Biodiversity conservation: for those vanishing species. In *The Hindu Survey of Environment – 1993*, Madras.
- Mc Neely & J.F. *et al*, 1990, *Conserving World's Biological Diversity* Gland Switzerland and Washington D.C.
- Myres N., 1988, Threatened biotas: 'Hotspots' in tropical forests. *The Environmentalist* 8:187.
- Punita J.C., 1993, Flora and Fauna – they perish one by one, In *The Hindu Survey of Environment- 1993*, Madras.
- Ryan J.C., 1992, Conserving Biological Diversity. In *State of The World-1992*, Eds. Brown L.R. Horizon India Books, New Delhi.
- Susan M. Wells, 1988, *Coral reefs of the world*, IUCN-UNEP, gland Switzerland.
- Wilson E.O., 1998, The current state of biological diversity. In *Biodiversity*, Eds. Wilson E.O., Peter F.M. National Academy Press, Washington D.C.
- Zobel B., 1978, Gene Conservation as viewed by a forest tree breeder. *Forest Ecol. Manag.* 1:339.

## Plants Intertwined in to Our Tradition

**Dr. A. Sasikala**

Lecturer in Botany, SVCR Govt Degree College, Palamaner-517408  
Chittoor dt, Andhra Pradesh.

“Here I stand in awe, deeply moved by the sheer beauty you cast forth... I feel small and minuscule in the face of your size, your age, your experience, your wisdom. How many cycles of the sun, the moon and the seasons you have seen, how many times you have felt life and death, suffering and happiness, grief and joy. How sophisticated your branches wind to grow towards the sun, how elaborate your leaves are spread, how elegant they dance in the wind; of what inconceivable complexity is the vast and deep network of roots from which you draw just what you need, never more. You give more than you take, you know your place, you are humble, altruistic, generous and friendly. You know this place better than I ever will, and you understand its will better than I can ever fathom. You are my inspiration, my paragon, and I wish to learn from you as much as you can teach me, so that one day I will be as wise as you — so that one day I will become you.” — Prayer to a tree (1)

Plants have been emphasized in traditional medicine since 2600 BCE. Traditional medicine has been accessible to millions of people worldwide and are prevalent in countries such as India, Pakistan, China, Korea, Africa, as well as South and Central America (2). The home remedies we all follow are a simplified version of the herbal recipes mentioned in Ayurveda texts (3).

***Ocimum sanctum***: Tulsi, flowering plant of the mint family (Lamiaceae) is native to the Indian subcontinent and grows throughout Southeast Asia. The plant is widely used in Ayurvedic and folk medicine, and is considered sacred in Hinduism(4). While tree worship is not uncommon in Hinduism, the Tulsi plant is regarded as the holiest of all plants.

In hindu mythology, thulasi is very dear to Lord Vishnu. When hindu women worship thulasi, they in effect pray for “less and less carbonic acid and more and more oxygen”. The thulasi plant is even known to purify or de-pollute the atmosphere and also works as a repellent to mosquitoes, flies and other harmful insects. It may also offer anti-aging benefits as well. The leaves are a nerve tonic and also sharpen memory. They promote the removal of the catarrhal matter and phlegm from the bronchial tube. The leaves strengthen the stomach and induce copious perspiration. The seed of the plant are mucilaginous. The leaves of basil are specific for many fevers. During the rainy season, when malaria and dengue fever are widely prevalent, tender leaves boiled with tea act as preventive against these diseases. In case of acute fevers, a decoction of the leaves boiled with powdered cardamom in half a litre of water mixed with sugar and milk brings down the temperature. The juice of tulsi leaves can be used to bring down fever. Extract of tulsi leaves in fresh water should be given every 2-3 hours(5).



***Musa paradisiaca***: Traditionally the meals is served on plantain leaves. According to legend, banana leaves contain anti-bacterial properties that destroy all the germs in food, reducing the



likelihood of becoming ill. When served with hot food, the waxy layer on banana leaves melts and gives the dish a mild flavour and outstanding taste.

According to research in animal models, banana leaves are a rich source of rutin, a substance that controls glucose homeostasis and is a prospective candidate for the development of anti-diabetic drugs. Banana leaves include polyphenols, such as epigallocatechingallate, a plant-based chemical that is a potent antioxidant that purifies the blood. The heated meal activates the polyphenols in banana leaves, which are then ingested by the food. Polyphenols found in banana leaves have anti-proliferative qualities that protect against cancer and heart disease (6).



**Piper betle:** According to Sushratha, the greatest of ancient Indian medicine men and the world's first-ever surgeon, the betel leaf preparation keeps the mouth clean, strengthens the voice, tongue and teeth and guards against diseases. It is also said to aid in digestion. The alkaline in the saliva helps in reducing the spread of cancer. Science has proved that cancer cells die when kept in an alkaline solution(7).

The betel leaf contains a little bit of betel oil. It generates the spice and the taste that you feel when you chew the betel leaf. By itself, the betel leaf is a powerhouse of vitamin A and C. Further, it also contains plenty of calcium which reduces or even prevents osteoporosis. The betel leaf is also a great blood thinner. It also helps all those suffering from cold and cough by controlling mucous production.

Betel leaf is traditionally known to be useful for the treatment of various diseases like boils and abscesses, conjunctivitis, constipation, headache, hysteria, itches, mastitis, mastoiditis, leucorrhoea, otorrhoea, ringworm, swelling of gum, rheumatism, abrasion, cuts and injuries etc as folk medicine. Further, the essential oil contained in the leaves possesses antibacterial, antiprotozoan and antifungal properties. They also act as a natural and easily available appetizer, digestive, mild stimulant, aphrodisiac and refreshing mastication(8).



**Cocos nucifera:** The coconut plant is a multipurpose tree with immense benefits to mankind. The coconut palm, scientifically known as *Cocos nucifera* L., belongs to the Arecaceae family. It is properly eulogized as “*Kalpavriksha*” (a legendary tree thought to grant all desires—“the tree that offers all the essentials of life”) in India (9)

The coconut in Sanskrit is alluded to as “*Sriphala*” signifying “The God’s fruit.” It is mentioned in the post-Vedic works as the epic of Mahabharata (3000 BC), Ramayana, Puranas, and stories of Jataka in Buddhism. The coconut is into domestic rituals, attained sanctity as an offering to God, and become stable as a pure object of gift to guests on occasions like festivals, marriage, and other ceremonies known in numerous portions of India before the 6th century AD (10). Later, it became a requirement in religious rites during the time of Agni Purana (800-900 AD) and Brahma Purana (800–900 AD).

Coconut’s medicinal value has been known in India since ancient times (11). The flesh, water, milk, and oil found in the coconut are all healthy and nutritious. Coconut contains more fat than carbohydrates and, however, some important vitamins such as folate (B9), thiamine (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), B6, vitamin E, vitamin C, and vitamin K. It is especially high in manganese, which is essential for bone health and the metabolism of carbohydrates, proteins, and cholesterol. The fat present is known to promote better hair growth and reduce early graying (12).



**Curcuma longa:** Turmeric is a product of *Curcuma longa*, a rhizomatous herbaceous perennial plant belonging to the ginger family Zingiberaceae. The use of turmeric dates back nearly 4000 years to the Vedic culture in India, where it was used as a culinary spice and had some religious significance (13). Turmeric is considered as Indian kitchen’s wonder spice. The main component of the root is a volatile oil, containing turmerone, and there are other coloring agents called curcuminoids in turmeric.

In Ayurvedic medicine, turmeric is a well-documented treatment for various respiratory conditions (e.g., asthma, bronchial hyperactivity, and allergy), as well as for liver disorders, diabetic wounds, runny nose, cough, and sinusitis. From ancient times, as prescribed by Ayurveda, turmeric has been used to treat sprains and swelling. Sometimes, turmeric mixed with milk or water is taken to treat intestinal disorders as well as colds and sore throats.

Indians use turmeric, in addition to its Ayurvedic applications, to purify blood and remedy skin conditions. Turmeric paste is used by women in some parts of India to remove superfluous hair. Turmeric paste is applied to the skin of the bride and groom before marriage as it is believed to make the skin glow and keep harmful bacteria away from the body. Turmeric is currently used in the

formulation of several sunscreens. Several multinational companies are involved in making face creams based on turmeric (14)



**Mangifera indica:** Mango leaves have long held a special place in Hindu rituals and ceremonies. Embedded in cultural traditions, these vibrant green leaves are not mere decorative elements but carry large spiritual significance. Mango leaves are often seen placed atop the Kalash alongside a solitary coconut before ceremonies. Widely utilized in puja ceremonies, mango leaves symbolize prosperity, fertility, and the triumph of good over evil (15).

In many houses in southern parts of India, dark green mango leaves are strung along doorways (Toranam) mainly at the entrance of houses. People also string them up in religious ceremonies and during weddings as a blessing of prosperity and fertility. Scientifically, mango leaves become sturdy when mature, which allows them to last for several days. Therefore, the dark green color allows the leaves to purify the air and they continue to absorb carbon dioxide and release oxygen. Symbolically it is viewed as cleansing energies, and as people walk through doorways lined with these leaves, their energies are cleansed, protecting the household against evil (16).





### References:

1. David B Lauterwasser, “On the personhood of plants and our relationship with them”, Sep 4, 2017, *Environment*
2. Ritee Basu, Sukanya Dasgupta, Spoorthy N. Babu & Ayesha Noor, “Medicinal plants in the Indian Traditional Medicine and Current Practices” pp 253-286, 31 August 2023, *Bioprospecting of Tropical Medicinal Plants*
3. “Guide to the Most Used Ayurvedic Herbs and Their Benefits” September 6, 2022, *Kerala Ayurveda wellness naturally*
4. Melissa Petruzzello, Aakanksha Gaur & Gloria Lotha, Holy Basil – Description, Uses and Facts “ June 6, 2024, *Britannica.com*
5. Lopamudra Sethi & Preethi Bhadra, A Review Paper on Tulsi Plant (*Ocimum sanctum L.*) July 2020 Pg 20854-20860, *International Journal of Natural Science (IJONS)*
6. Karpagavalli.K , Nithyamala.I , SriSakthiLogisha.M , Nivetha.G , Thirugnanam.K5, HarishAnbuSelvan.V , Dinesh.S, A Literature Review on Banana Leaf, *Journal of Survey in Fisheries Sciences* Pg. 3512-3517 2023
7. Rajendra Toprani and Daxesh Patel, Betel leaf: Revisiting the benefits of an ancient Indian herb, *South Asian J Cancer*. 2013 Jul-Sep; 2(3): 140–141.
8. P. Guha, Betel Leaf: The Neglected Green Gold of India, *J. Hum. Ecol.*, 19(2): 87-93 (2006)
9. Monika Devi & Kriti Ghatani, The use of coconut in rituals and food preparations in India: a review, *Journal of Ethnic Foods*. (2022); (9) Article number: 37
10. Sosiowati I. Coconut and its related words in Hindu society: ecolinguistic approach. *Int J Res Soc Sci*. 2016;6(3):320–33.
11. Joshi S, Kaushik V, Gode V, Mhaskar S. Coconut oil and immunity: what do we really know about it so far. *J Assoc Phys India*. 2020;68:67–72
12. Biswas K, Mohanta YK, Kumar VB, Hashem A, Abd-Allah EF, Mohanta D, Mohanta TK. Nutritional assessment study and role of green silver nanoparticles in shelf-life of coconut endosperm to develop as functional food. *Saudi J Biol Sci*. 2020;27(5):1280–8.
13. Deepika sahu, “Turmeric: Indian kitchen’s wonder spice”, October,2 2013, *Timesofindia.indiatimes.com*
14. Sahdeo Prasad and Bharat B. Aggarwal, “Turmeric, the Golden Spice: From Traditional Medicine to Modern Medicine”, 2011, Chapter 13, 2nd edition, *Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects*
15. <https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/soul-search/significance-of-mango-leaves-in-puja-ceremonies/photostory/106231594.cms>
16. [https://www.netmeds.com/health-library/post/mango-leaf-health-benefits-nutrition-uses-and-delectable-recipe-of-these-tender-leaves?srltid=AfmBOoqOfmqNZWnCjMONia9o3ii\\_x9JHk0bo11Jq3e7dsfoG\\_8m8r3Pb](https://www.netmeds.com/health-library/post/mango-leaf-health-benefits-nutrition-uses-and-delectable-recipe-of-these-tender-leaves?srltid=AfmBOoqOfmqNZWnCjMONia9o3ii_x9JHk0bo11Jq3e7dsfoG_8m8r3Pb)

# Analyzing the employment and export elasticity potential of MSMEs sector in India.

Miss Yadav sandhya

Research scholar, Applied economics, Faculty of commerce, University Of Lucknow; Uttar Pradesh (India)

**Abstract:**

This MSME sector has contributed significantly to India's growth over the years. The Indian government publicly created MSME in 2006 with the goal of fostering the growth of both new and established firms. The number of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in India is 7.9 million. About 120 million jobs across all industries and regions are provided by MSMEs, which account for roughly 33% of the nation's GDP. Based on secondary data, this article explores the employment and export elasticity potential of MSME sectors in India.

**Keywords:** MSMEs, Gross value added, employment, export elasticity.

**Introduction:**


Since Independence industrial sector in our country developed more than some of the West European countries, Britishers systematically destroyed the industrial base of India due to which at the time of independence industrial sector was not very much developed. After independence, the government of India, with the view to flourish growth, came up with various policies and guidelines which included agricultural sector also.

In 1991, the merger of the Ministry of the Small-Scale industries with the Ministry of Agro and Rural Industries led to the formation of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Before the execution of MSME Act 2006, the non-agriculture MSME sector focussed on small scale industries but after the MSME Act 2006 came into existence, it included the medium and large-scale industries also.

**MSMEs covers a wide spectrum of industries categorised under:**

- a. small scale industrial undertaking;
- b. Ancillary industrial undertaking;
- c. Export oriented units;
- d. Artisans, village and cottage industrial and
- e. Women entrepreneurs.

MSMEs providing large employment opportunity at comparatively lower cost than large industries, and also help in providing employment to rural and backward areas. By this, they reduce regional imbalances equitable distribution of income and wealth and a semi-contribute to the socio-economic development of the country. The MSME sector has created millions of jobs belonging to manufacturing sector, trade, rural and urban areas and in other services across the nation.



Agro-traditional industries like as coir, khadi, and village industries are greatly aided by MSME growth. In order to foster the growth and development of the MSMEs sector, the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises received cooperation from other ministries, state governments, and stakeholders. The ministry's objective is a thriving MSME sector.

2006 saw the notification of the Micro, Small, and Medium Enterprise Development Act to address policy problems.

The Ministry and its organizations' schemes and programs aim to: i) provide an adequate flow of credit from banks and financial institutions; ii) support technological modernization and upgradation; iii) integrate infrastructure facilities; iv) provide modern testing facilities and quality certification; v) provide access to modern management practices; vi) develop entrepreneurship and improve skills through suitable training facilities; vii) support product development and design intervention and packaging; viii) welfare of artisans and workers; ix) assistance for better access to domestic and export markets and x) cluster-wise measures to promote capacity-building and empowerment of the units and their collectives.

**DEFINITION OF MSMEs**

Union Cabinet has approved the revised definition of MSME, based upon two factors that is investment and turnover size. This classification helps an entity to be recognized as an MSME and will be eligible for the subsidies and schemes of the government.

<b>Manufacturing Enterprises And Enterprises Rendering Services (Revised Classification With Effect From July 1, 2020)</b>		
<b>CATEGORY</b>	<b>INVESTMENT</b>	<b>TURNOVER</b>
MICRO	Investment less than 1 crore.	Turnover up to 5 crores.
SMALL	Investment more than 1 crore but less than 10 crores	Turnover up to 50 crores.
MEDIUM	Investment more than 10 crore but less than 50 crores.	Turnover up to 250 crores.

Micro unit are the smallest businesses where investment do not exceed 1 crore, while their annual turnover remains below 5 crores.

Small units, bigger than micro-businesses, where investment ranges up to Rs.1 crore to Rs.10 crore and annual turnover ranges up to Rs.5 crore to Rs.50 crore.

Medium units medium size businesses can have net investments on plants, machineries and equipment ranges between Rs.10 crores to 50 crore and annual turnover ranging between Rs.50 crores to Rs.250 crores.

The changes in the definition of MSMEs were made by the Union Cabinet headed by the Prime Minister Narendra Modi. The changes in the definition of MSMEs are based investment and turnover limit which will help further incorporate larger number of medium sized enterprises. These changes were made under Atma-nirbhar Bharat Abhiyaan during the pandemic. The Government supports MSMEs by providing financial help, modern technology, marketing assistance, initiating new schemes which are crucial for the MSMEs to expand. The statutory bodies like – KVIC, Coir Board, NSIC, NI-MSME and the MGIRI, headed by the MSME Ministry, help MSME with government schemes and policies.

**Review Of Literature:**

Gola, S. K, (2018) In 2018 wrote an article where he studied small and medium sized business in India reports and how they changed after a law MSMED Act was passed in 2006. Main goal of his study were to understand about small business and how they performed before and after passing the law. He uses information from the year 2006 to 2015 and applied maths to figure out business growth and results. Is a result being about 19.42% growing every year during those eight years. This study also found that they were adding jobs at the rate of about 18.82% each year.

Siva Krishna Golla (2018) found that the MSME sector has shown notable growth after the enactment of the MSMED Act 2006. The study found that the MSME sector has been a leading

contributor to export, employment, and GDP in India. Another study by the Reserve Bank of India (RBI) found that the MSME sector grew at a rate of 12.4% in 2021-22, compared to 7.0% growth in the overall economy. The growth of the MSME sector after the MSME Act 2006 can be attributed to a number of factors, including: The Act has provided a legal framework for the MSME sector and has defined MSMEs based on their investment in plant and machinery. This has helped to increase the visibility and importance of the MSME sector.

The Act has established a number of institutions and programs to support the growth of MSMEs. These institutions and programs provide financial assistance, technical support, and marketing assistance to MSMEs.

The Act has also simplified the regulatory environment for MSMEs. This has made it easier for MSMEs to start and operate businesses. However, the MSME sector still faces a number of challenges. These challenges include lack of access to finance, lack of technology, and competition from larger companies. The government is taking steps to address these challenges through a number of initiatives, such as the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme, the Make in India program, the Digital India program, and the Startup India program.

Jeena, Nihar Ranjan and Thatte, Lina R (2018), "An Empirical Study of Elasticity of Employment Generated in Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprises in India" aims to discover value of employment elasticity in manufacturing MSME sector using econometric technique for the period 1973-74 to 2012-13.

Setak Palak and Dr. Sandhyarani Das titled (2023), "Growth and Elasticity of Output of MSMEs in India", the SME sector was the main factor affecting India's overall employment elasticity's level and change. The study also discovered that, while the manufacturing sector continues to be a significant factor in changes in aggregate employment elasticity, the service sector is the most significant determinant of its level. The Extended Cobb Douglas Production Function was used in the study's analysis of the MSME sector's productivity in India. The study discovered that the productivity of the MSME sector in India is significantly influenced by employment, the number of active businesses, input, output, and capital.

Extensive research has been made on MSMEs sector in India.

The International Finance Corporation (IFC) estimates that 65 million firms, or 40% of formal micro, small and medium enterprises (MSMEs) in developing countries, have an unmet financing need of \$5.2 trillion every year, which is equivalent to 1.4 times the current level of the global MSME lending.

World Bank (2023) revealed that the MSME sector accounts for over 30% of India's GDP and over 40% of the country's employment. The study also found that MSMEs play a vital role in boosting India's exports. World Bank found that over 600 million jobs will be required by 2030 to absorb the growing global workforce, which makes SME development a high priority for many governments around the world.

A study conducted National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises (NI-MSME) (2022) revealed that the MSME sector undergoes plenty of challenges like access to finance, adoption of new technology and lack of marketing skills. The study also focuses on the MSMEs being excessively affected by the economic shocks such as the COVID-19 pandemic.

**Some researches have also been made on employment and export elasticities of MSMEs in India-**

A study in Indian Institute of Madras (2023) revealed that employment elasticity of MSMEs in India is higher in manufacturing sector as compared to service sector, also the employment elasticity is higher in rural areas as compared to urban areas.

World Bank (2023) researched that the employment elasticity is 1.2 in MSME sector in India while 0.8 for large enterprises. This means that when economic output increases by 1%, employment in MSME sector is increased by 1.2% in India and 0.8% for large enterprises.

A study was made in Indian Institute of Ahmedabad (2023) revealed that export elasticity of MSMEs in India is higher in technology sector and in firms which are run by the entrepreneurs while it is low in non technology sector.

A study by National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises (NI-MSME) (2022) reported that export elasticity of MSME in India is 1.5 while it is 1.0 for large enterprises which would mean that if an output will increase by 1% then exports in MSME sector in India will increase by 1.5% and 1% as a result for large enterprises.

**Objective:**

1. Analyzing the employment and export elasticity potential of msme sector in India.
2. To study the contribution of MSMEs in Indian economy.

**Methodology:**

This paper is based on secondary data (time series) for analysis I have used simple regression analysis (EXCEL). Sample size- data mainly used from 2006-2007 To 2018-2019. Three variables were taken export, employment and GVA (Gross value added). Where GVA is dependent variables. Sample source- Annual reports, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs), Reserve Bank of India (RBI), National Sample Survey Organization.

**Summary Output**

*Regression Statistics*

Multiple R	0.579299
R Square	0.335587
Adjusted R Square	0.275186
Standard Error	0.811381
Observations	13

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3.657711	3.657711	5.555962	0.038007
Residual	11	7.241737	0.65834		
Total	12	10.89945			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-3.78509	7.807758	-0.48479	0.637338	-20.9699	13.39967	-20.9699	13.39967
X Variable 1	2.753328	1.168096	2.357109	0.038007	0.182367	5.32429	0.182367	5.32429

The results of a regression analysis, I can conclude that GAV is dependent on employment. The R-squared value of 0.335587 indicates that the model explains 33.5% of the variation in GAV. The p-value of 0.038007 for the coefficient on the employment variable indicates that the relationship between employment and GAV is statistically significant. And, the coefficient on the employment variable is positive, indicating that a higher level of employment leads to a higher level of GAV.

The regression analysis suggests that there is a positive relationship between GAV and employment. This means that when employment increases, GAV also increases, and vice versa. This



is consistent with the intuition that GAV is a measure of economic activity, and that employment is a key driver of economic activity.

**SUMMARY OUTPUT**

*Regression Statistics*

Multiple R	0.702461
R Square	0.493452
Adjusted R Square	0.447402
Standard Error	0.708462
Observations	13

**ANOVA**

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	5.378351	5.378351	10.7156	0.007419
Residual	11	5.521097	0.501918		
Total	12	10.89945			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-17.6197	9.847998	-1.78917	0.101126	-39.295	4.055595	-39.295	4.055595
X Variable 1	1.296582	0.396088	3.273469	0.007419	0.424798	2.168366	0.424798	2.168366

Regression analysis, it is impossible to conclude whether GAV is dependent on export. The R-squared value of 0.493452 indicates that the model explains 49.3% of the variation in GAV. However, the p-value of 0.101126 for the coefficient on the export variable indicates that the relationship between export and GAV is not statistically significant. This means that there is not enough evidence to conclude that there is a causal relationship between export and GAV.

In other words, the regression analysis suggests that there is a correlation between GAV and export, but it does not tell us whether export causes GAV or vice versa. It is also possible that there is a third variable that is causing both GAV and export to increase.

**Conclusion:**

It is impossible to conclude whether GAV is dependent on export based on the regression analysis results. The relationship between the two variables is not statistically significant, indicating that there is not enough evidence to conclude that there is a causal relationship. GAV is dependent on employment. This is supported by the results of the regression analysis, which show a statistically significant positive relationship between the two variables.

**Referenses:**

1. Upender, M. (2006), "Output Elasticity of Employment in the Indian Economy: An Empirical Note", Applied Econometrics and International Development, Vol. 6 – 1 (2006), pp. 197-206.
2. Jiun, Chan Yu and Nga, Janice L. H. (2011), "Economic Growth, Employment Elasticity and Poverty: A Case of Malaysia", Prosiding Persidangan Kembangan Ekonomi Malaysia, Ke VI, JILID 1, pp. 468-481.
3. Jethwant, Nidhi (2010): Micro, Small & Medium Enterprises – In Today’s Perspective, New Delhi: Axis Publications.
4. Kapsos, Steven (2005), "The employment intensity of growth: Trends and macroeconomic determinants", International Labour Office (ILO): Employment strategy papers, Series 20
5. Jeena, Nihar Ranjan and Thatte, Lina R (2018), "An Empirical Study of Elasticity of Employment Generated in Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprises in India"
6. Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, World Bank <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>.
7. National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises (NI-MSME)
8. MSME Annual Report 2022-23.

# Physiological actions of various Panchakarma procedures in Ayurveda

**Dr. Bhagyashree Hanumant Yadav**

Assistant Professor Sharir Kriya Department at Dr Vedprakash Patil Ayurvedic college, Jalna 431203.

**Dr. Sarika Laxmanrao Puyad**

Professor and Hod Sharir kriya Department at Dr. Vedprakash Patil Ayurvedic College, Jalna 431203.

## Abstract:

Panchakarma is an elegant cleansing process that can help us releasing toxins which get stored in body and it restores the body's innate healing ability. <sup>1</sup> Panchakarma is a Sanskrit word that means the "five treatments" or "five actions". These are Vamana, Virechana, Basti, Nasya, and Raktamokshana. Ayurveda recommends the panchakarma treatments equally for preventing of diseases, rejuvenation of health and therapeutic management of disease.

Panchakarma is ancient system designed to facilitate the removal of deep rooted stresses and toxins in physiology. We are well known about Panchakarma procedures but not about the physiology behind that. In this paper we were going to take review of all Physiological actions of Panchakarma. e.g. How the basti dravyas work on body? How Vaman, Virechana karma actually happened? how the panchakarmas actually happened in body, if it is not done properly what changes takes place in human physiology these all elements we are going to discuss in the article.

**Keywords:** Panchakarma, Therapeutic Physiology.

## Introduction :

Panchakarma is a method of cleansing the body of all unwanted waste after lubricating it. Panchakarma are five in numbers hence the term PANCHA –KARMA (procedures). Panchakarma it includes preventive, curative and promotive actions for various diseases.

## Panchakarma includes :

1. *Vamana* – included emesis using ayurvedic medicine or snehapana, internal oleation therapy.
2. *Virechana* – purgation induced by Ayurvedic medicines.
3. *Nasya* – Detoxication of upper respiratory tract by administration of Ayurvedic drugs in nasal cavity.
4. *Basti* : Ayurvedic herbal enema to cleanse out toxins from lower colon.
5. *Raktamokshana*- Removal of detoxicated blood from body.

## Benefits of Panchakarma :

- It helps in restoring the metabolic fire (*Agni*).
- It helps to assist balance all three *Doshas*.
- It helps to improve strength, endurance and vitality.
- It boosts the body's immunity levels.
- It helps implement a healthy diet and lifestyle.

**Aim:** To study the physiological actions of various *panchakarma* procedures in *Ayurveda*.

**Objectives :** study of physiological actions of *Panchakarma* procedures.

## Material and Methods :

### Physiological Action of *Vamana* :

īÉŠÉ SÉāwÉWūUhÉÇ EkuÉipÉÉaÉqÉÇ uÉqÉlÉxÉÇYÉMüqÉÇ ||<sup>2</sup> ( cÉ. žü. 1/4)

*Vamana* is a process in which vitiated doshas are expelled through the upper routes. The process of *Vamana* includes steps – Nausea, Retching and vomiting. An unpleasant sensation that leads to nausea. Retching comprise laboured spasmodic respiratory movements against a close glottis with contractions of the abdominal muscles, chest wall and diaphragm without any expulsion of gastric content. It can occur without vomiting but normally it generates the pressure gradient that leads to vomiting and the vomiting is the expulsion of gastroduodenal content from GIT to the

external environment via mouth. It is caused due to the powerful sustained contraction of the abdominal and chest wall musculature. Mechanical and chemoreceptors located in stomach, jejunum and ileum are involved in the process of Vamana.

#### **Physiological Action of *vaman dravyas* :**

*Vamana* drugs processing the properties like *ushna*, *tikta*, *sushma*, *vyavyai*, *vikasi* and with their *Swavirya* they move to *Hridaya*. From there, through *Dhamanias* leads to micro and macro channels in the body they act on vitiated complexes in the body, and then with *Agneya guna* –it liquefy the complexes, with *Tikshnas guns*-break them down into several particles. Liquefied matter then glides through various unctuous or smooth channels towards *Koshta*. It enters *Amasaya* and then stimulated by *Udana Vayu* having the dominance of *Agni* and *Vayu* elements in the constitution along with self deposition it moves in upward towards oral cavity (due to *urdhaga prabhava*) expelled to outside through it and called as *Vamana*.

#### **Physiological Action of *Virechana Dravyas* :**

|| 3(cÉ. çü. 1\4)

When *Virechana dravyas* are administered it gets absorbed due to *virya* and circulates all over the body through macro and micro channels of the body. The *virechana dravyas* are *vyavai*, *vikasi*, *tikshna*, *sukshma* in nature and by *prabhava*, *prithvi* - *jala* constitutes presence of *sara guna* process of *virechana* takes place.

The *Virechana* drug acts in *Pachyamana awastha* means, in the digestion state. So it starts this action in stomach, small intestine. These drugs act by the mechanism of osmotic pressure myenteric plexus stimulation receptor activation causes local irritation. The *Virechana dravyas* acts like,

1. hydrophilic or bulk purgative, retaining water forming a bulky gel increases the volume of colon content promotes peristalsis.
2. Direct stimulation of myenteric plexus of enteric nervous system.
3. Accumulation of water and electrolyte in the lumen by altering the absorption and secretory activity of mucosal cell.
4. some *virechana dravyas* acts on nerves hormones, liver and crypts of Lieberkühn and they have irritating effect on defecation centre in medulla oblongata.

#### **Physiological action of *Basti* :**

|| (A.¼Òù.xÉÔ. 19\1)

It is given with the help of *Mutrashaya* of animals so it is called as *basti*.

The action of *Basti* includes theory of action through vascular route, nervous route. Biofeedback mechanism, mechanism of transport across intestine by transcellular and Paracellular pathway includes, passive diffusion, facilitated diffusion, active transport, carrier mediated transport, endocytosis, pinocytosis.

The rectum is full of blood supply and *basti* can easily cross the rectal mucosa. Short chain fatty acid can be absorbed into the blood as they are more water soluble and allow direct diffusion from epithelial cells into capillary blood of villi. *Basti dravyas* – honey, *saindhav*, *sneha*, *kalka*, *kashya* from emulsion by making the churning in specific manner described in text. Long chain and middle chain fatty acid may break down into small chain fatty acid which get easily absorbed.

#### **Physiological action of *Nasya*:**

|| 4(xÉÑ .ícÉ. 40\21)

As the nasal mucosa offers numerous benefits as a target tissue for drug delivery, the drugs are being used intranasally for topical, systemic and CNS action. The passage of drug through mucus is the first step in absorption. There are various theories considered for the mechanism of absorption. Drug transport across the nasal epithelium is assumed to occur by these mechanisms.

1. Transcellular passive diffusion.
2. paracellular passive diffusion.
3. carrier mediated absorption and secretion.
4. Efflux transport.

Drugs act by 2 ways,

- **vascular path** : In nasal cavity the submucosa is rich vascularised. Large surface of the nasal cavity and relatively high blood flow promotes rapid absorption. The drug absorption is rapid because of high permeability of nasal epithelium and avoid hepatic first pass metabolism.
- **Neural path** : The delivery of the drug from nose to CNS may occur via olfactory neuro epithelium and according to the study this may involve Para cellular, transcellular and or neuronal transport .

**Physiological action of Raktamokshana:**

Bloodletting has been used for its pain relieving and heat reducing action. During bloodletting the antihistamine liberates in the blood, As histamines are responsible for allergy the symptoms like itching, patches diminished by bloodletting due to antihistamine liberations.

Bloodletting by leech therapy shows the rejuvenation as appearance of shine in eyes. The improvement of skin elasticity, appearance of lustre.

Biological active substance in the saliva of medicinal leech can restore blood circulation in the nidus of inflammation, removes an ischemia of organs, provide capillary tissue exchange and due to it can carry out of the transport of chemical drug into the Indus of inflammation, improve protection and regeneration of tissue.

**Discussion :**

According to Ayurveda, good health depends upon our capability to fully metabolize all aspect of life, assimilating that which nourishes and eliminating the rest. when we can not completely digest our food, experiences and emotions also toxins, they get accumulate in body tissue, creating imbalance and ultimately causes diseases. So, with the help of *Panchakarma* we will able to release the toxins from body and restore the body's innate healing ability.

**Conclusion :**

In our *Ayurvedic* Science Acharya already given the various procedures in Ayurveda and these procedure are very useful for cleaning body, in detoxifying body .But the actual physiology of all the procedures is very important to know. So in this article we have concluded the physiological action of various panchakarma procedures and uses of all procedures.

**References :**

1. <http://www.Ayurvedichealing.net>
2. Chakrapani charak samhita, kalpasthan adhaya 1 shlok 4 edited by vd.Yadavji TrikamjeeAcharya Chaukhamba surbharti prakashana Varanasi Reprint 2016 ;651
3. Chakrapani charak samhita, kalpasthan adhaya 1 shlok 4 edited by vd.Yadavji TrikamjeeAcharya Chaukhamba surbharti prakashana Varanasi Reprint 2016 ;651
4. Sushrut Sushrut samhita , Chikitsasthan Adhaya 40 shlok 21 edited by Kaviraj Ambikadatta Shastri Chaukhamba Sanskrit sansthan Varanasi , reprint 2014 ;224

# A Study on Urban Older Age People's Mental Health: Challenges and Interventions

**Dr. Tukaram S. More**

Associate Professor, Department of Psychology, Kohinoor Arts, Commerce & Science College, Khultabad.  
Dist. Chhatrapati Sambhajanagar. (MS) India - 431101

## Abstract

The mental health of urban older adults is a growing concern due to the unique challenges they face, including social isolation, financial insecurity, and declining physical health. This paper examines key factors affecting mental health in this population, such as loneliness, chronic illness, and environmental stressors. It explores the impact of urban living conditions and highlights interventions that can mitigate these challenges, including community engagement programs, improved healthcare accessibility, and age-friendly urban design. The study also emphasizes the importance of social connectivity, physical activity, and mental health awareness in promoting emotional well-being. Comprehensive strategies targeting financial support, healthcare, and environmental adaptation are proposed to enhance mental health outcomes for urban older adults. These interventions aim to foster resilience, improve quality of life, and ensure healthy aging in increasingly urbanized environments.

## Introduction

The mental health of older adults is increasingly recognized as a critical area of public health, particularly in the context of urban environments where older populations are growing. As life expectancy rises globally, a significant portion of the population is entering older adulthood, with cities experiencing an increase in older residents. Urban areas, while providing benefits such as better healthcare facilities and social services, also introduce specific stressors that can impact the mental health of older individuals. Understanding these challenges is essential in developing effective strategies to promote mental well-being among older adults.

Urban older adults often encounter a range of psychological, social, and environmental factors that influence their mental health. Social isolation, despite the density of urban populations, is a pervasive issue. Older adults may experience isolation due to the loss of friends, family members, or spouses, and they may have limited social interaction as a result of decreased mobility or the pressures of fast-paced urban life. Loneliness, a significant contributor to mental health problems such as depression and anxiety, is particularly prevalent in this demographic. Unlike younger populations, older adults may find it harder to form new social connections, leading to prolonged periods of isolation.

Moreover, urban environments can be overwhelming for older adults who may struggle with the rapid technological changes and the complexity of modern life. Digital literacy is often lower among older adults, leaving them disconnected from digital forms of communication, which are increasingly important for social interaction and access to information. This digital divide can deepen the sense of exclusion and isolation among older people in cities.

Healthcare access, although generally more available in urban settings compared to rural areas, may still present challenges for older adults, especially in terms of mental health services. Many urban healthcare systems are overstretched, and older adults may face long waiting times for mental health treatment or struggle to find specialists who understand geriatric mental health needs. Financial barriers also play a role, with many older adults living on fixed incomes, making it difficult for them to afford regular mental health care, medication, or therapy.

Financial insecurity itself is another stressor that contributes to poor mental health outcomes. In many urban areas, the cost of living is high, and older adults, particularly those relying on pensions or limited savings, may struggle to cover basic expenses. This financial strain can lead to anxiety, depression, and a diminished sense of control over one's life. The transition from

employment to retirement, coupled with the rising costs of housing, healthcare, and other essentials, can exacerbate these mental health challenges.

Physical health is closely intertwined with mental health in older populations. As people age, they are more likely to experience chronic illnesses, pain, and reduced mobility, all of which can have a significant psychological impact. Urban environments, which may lack accessible public transportation and pedestrian-friendly infrastructure, can be particularly challenging for older adults with mobility issues. The difficulty in navigating the physical landscape of cities can further isolate older individuals, preventing them from participating in social or physical activities that are vital for maintaining mental well-being. Environmental stressors in urban settings, such as noise pollution, crowded living conditions, and air pollution, can also have a detrimental effect on the mental health of older adults. Cities often lack the quiet, green spaces that are essential for relaxation and mental rejuvenation. The constant exposure to environmental stressors can lead to heightened levels of stress, anxiety, and other mental health issues. Furthermore, older adults may feel overwhelmed by the rapid pace of urban life, especially if they are not fully integrated into the digital and social infrastructure of modern urban living.

Given the unique challenges faced by older adults in urban areas, it is crucial to develop targeted interventions that address both the environmental and social determinants of mental health. This paper explores these challenges in detail and highlights effective interventions, including the role of community support, accessible healthcare, and policies that promote mental well-being among urban older adults. By addressing the multifaceted issues facing this demographic, we can ensure that older adults in cities are able to age with dignity, health, and psychological resilience.

### **Factors Affecting Mental Health in Urban Older Adults**

The mental health of older adults living in urban environments is shaped by a combination of social, economic, and environmental factors. These influences create a unique set of challenges that differ from those faced by older individuals in rural or suburban settings. In this section, we will explore the key factors that contribute to mental health problems among urban older adults in greater detail.

#### **1. Social Isolation and Loneliness**

Social isolation is one of the most significant factors affecting the mental health of older adults in urban settings. While cities are often densely populated, many older adults may find themselves disconnected from the social fabric of urban life. Several elements contribute to this isolation:

- **Loss of social networks:** As people age, they experience the loss of close friends, family members, and spouses, leaving them with fewer sources of emotional support. Older adults who have spent decades building social connections may find these networks gradually erode due to death, relocation, or decreased mobility.
- **Living arrangements:** Many older adults in urban settings live alone, either in private residences or apartments. The physical proximity to neighbours does not always translate into meaningful social interaction, particularly in cities where individuals may be more transient or less engaged with their local community.
- **Decreased mobility:** Urban environments, although bustling, can pose challenges for older adults with physical disabilities or mobility impairments. Navigating busy streets, using public transportation, or accessing public spaces can become difficult. As a result, older adults may become housebound or limit their social activities, leading to increased isolation.
- **Retirement:** For many older adults, retirement represents not just the end of their working life, but also the loss of daily social interaction with colleagues and the structured routine that comes with employment. This transition can lead to feelings of purposelessness and disconnection from society.
- **Loneliness:** Loneliness is a subjective feeling of being disconnected from others, and it is prevalent among urban older adults. Loneliness has been strongly linked to mental health issues,

particularly depression and anxiety. The lack of regular social contact can lead to a sense of emotional neglect, further exacerbating these mental health problems.

## 2. Healthcare Access and Mental Health Services

Despite the availability of healthcare infrastructure in cities, older adults may face significant barriers to accessing mental health services. These barriers can include:

- **Stigma:** Mental health stigma remains prevalent among older generations, who may be less likely to seek out mental health services due to fear of judgment or cultural taboos surrounding mental illness. Many older adults may not recognize symptoms of depression or anxiety, attributing them to "normal aging" rather than treatable mental health conditions.
- **Lack of geriatric mental health professionals:** Mental health services in urban areas often focus on the needs of younger or middle-aged populations, leaving gaps in care for older adults. There is a shortage of mental health providers trained to address the unique psychological, cognitive, and emotional needs of the aging population, such as dealing with grief, age-related cognitive decline, or managing chronic health conditions.
- **Accessibility issues:** Older adults may face challenges related to the physical accessibility of healthcare services. Long waits, difficult-to-reach clinics, or overcrowded public healthcare systems can deter older individuals from seeking help. For those with physical limitations, transportation to healthcare facilities may also be a significant barrier.
- **Financial constraints:** Many urban older adults live on fixed incomes, relying on pensions or government assistance. Mental health services, including therapy and medication, can be costly, and financial insecurity may prevent older adults from seeking help. Even in cities with public healthcare systems, co-pays, medication costs, or lack of insurance coverage for mental health services can limit access to treatment.

## 3. Financial Stress

Financial insecurity is another major determinant of mental health in older adults. As people age, many transition from active employment to retirement, leading to fixed or reduced incomes. Key financial stressors include:

- **Inadequate pensions:** Many older adults depend on pensions or retirement savings that may not be sufficient to cover the rising cost of living in urban areas. This financial strain can cause chronic stress, leading to feelings of anxiety and depression.
- **Rising living costs:** Cities often have higher costs of living, particularly in terms of housing, healthcare, and daily expenses. Many older adults in urban environments face challenges in paying rent, utilities, and medical bills, which can lead to financial stress and, in turn, poor mental health outcomes.
- **Employment challenges:** While some older adults may wish to remain in the workforce, finding suitable employment in urban settings can be difficult. Age discrimination in the workplace, combined with the physical demands of many jobs, can make it hard for older individuals to secure stable employment. Those who do work may experience stress related to job insecurity or underemployment, further contributing to poor mental health.

## 4. Physical Health and Mobility Issues

Physical health problems often co-occur with mental health issues in older adults, and the two are closely interlinked. Chronic health conditions can exacerbate mental health problems, particularly in urban settings where physical barriers exist. Key considerations include:

- **Chronic illnesses:** As people age, they are more likely to develop chronic health conditions such as cardiovascular disease, diabetes, arthritis, and respiratory issues. These conditions can lead to chronic pain, fatigue, and reduced mobility, all of which can have a negative impact on mental health.
- **Mobility impairments:** Cities, with their fast pace and often crowded streets, may not be easily navigable for older adults with mobility impairments. Poor infrastructure, inadequate public

transportation, and limited pedestrian-friendly spaces can prevent older adults from engaging in physical activities or even performing daily tasks, such as grocery shopping or visiting friends.

- **Interaction of physical and mental health:** Poor physical health is a known risk factor for depression and anxiety. For example, chronic pain from conditions such as arthritis can lead to sleep disturbances, irritability, and feelings of helplessness, all of which can contribute to mental health problems. Additionally, physical health issues can prevent older adults from engaging in social activities, leading to further isolation and loneliness.

## 5. Urban Stressors and Environmental Factors

Urban environments are often characterized by unique stressors that can negatively impact the mental health of older adults. These stressors include:

- **Noise pollution:** Urban areas are often noisy, with constant traffic, construction, and other ambient sounds. For older adults, especially those with sensory impairments, noise pollution can be overwhelming and disruptive to mental well-being. Chronic exposure to noise can increase stress and anxiety levels and contribute to sleep disturbances.
- **Air pollution:** Older adults are more vulnerable to the effects of air pollution, which is prevalent in densely populated urban areas. Poor air quality can exacerbate respiratory problems, leading to physical discomfort that impacts mental health. Additionally, the chronic stress of living in an unhealthy environment can lead to increased anxiety and depressive symptoms.
- **Overcrowding and lack of green spaces:** Many urban areas lack accessible parks or green spaces where older adults can relax, exercise, or socialize. The lack of these calming environments can contribute to a sense of confinement and stress. Overcrowded living conditions or neighborhoods with little natural beauty may increase feelings of claustrophobia or anxiety, particularly for older adults who have difficulty escaping the urban landscape.
- **Technological overwhelm:** As cities become increasingly reliant on technology, older adults may feel left behind due to a lack of digital literacy. From using smartphones to accessing online services, the technological gap can increase feelings of frustration, helplessness, and exclusion. This sense of inadequacy can exacerbate mental health conditions such as anxiety and depression.

## Interventions and Strategies for Supporting Mental Health

Addressing the mental health challenges faced by older adults in urban environments requires a multi-faceted approach. Effective interventions should target social, psychological, and environmental factors that influence mental well-being. Below are some detailed interventions and strategies designed to support the mental health of urban older adults.

### 1. Promoting Social Connectivity

Social isolation and loneliness are major contributors to mental health problems among older adults. Strategies that encourage social engagement and meaningful connections can have a significant impact on their mental well-being.

- **Community-based social programs:** Cities can implement community-based programs that provide social opportunities for older adults. These programs could include senior centers, community clubs, or local activities such as art classes, gardening groups, or exercise classes designed for older adults. Such programs help foster social interactions and provide a sense of belonging, which is critical for emotional well-being.
- **Intergenerational programs:** Initiatives that bring together older adults and younger generations, such as volunteer or mentoring programs, can reduce social isolation while promoting mutual learning and understanding. These programs help older adults feel valued and connected to their communities and provide an opportunity for sharing wisdom and experiences.
- **Support groups and counseling services:** Group-based interventions, such as support groups for older adults dealing with grief, depression, or anxiety, can provide a space for shared experiences and emotional support. Group therapy, particularly when led by mental health



professionals trained in geriatric issues, can help older adults process their emotions and feel less isolated.

## 2. Enhancing Healthcare Accessibility

Improving access to healthcare, particularly mental health services, is crucial in supporting the well-being of urban older adults. A focus on geriatric mental health and removing barriers to care can greatly improve outcomes.

- **Geriatric mental health services:** Healthcare systems should prioritize the inclusion of mental health services specifically tailored for older adults. Geriatric psychiatry, counseling, and therapy services that are designed to address age-related mental health issues—such as cognitive decline, depression due to loss, or coping with chronic illness—are essential. Healthcare providers need to be trained in geriatric care, so they can properly assess and treat mental health conditions in older adults.
- **Mobile health units and telehealth:** Mobile health services and telemedicine can make healthcare more accessible for older adults who have mobility issues or who find it difficult to travel to healthcare facilities. Telehealth platforms can allow older adults to consult with mental health professionals from the comfort of their homes, which is especially beneficial for those with transportation challenges.
- **Affordability and insurance:** Expanding insurance coverage for mental health services, including therapy and counseling, is essential. Policies should be in place to ensure that older adults on fixed incomes can access the care they need without financial strain. Offering free or subsidized mental health services for low-income seniors could help bridge the gap.

## 3. Addressing Financial Insecurity

Financial stress is a significant contributor to mental health problems in older adults. Interventions that alleviate financial burden or provide financial support can help reduce the anxiety associated with financial insecurity.

- **Financial literacy programs:** Offering financial education programs aimed at older adults can empower them to better manage their resources, access benefits, and plan for long-term needs. These programs can help seniors navigate the complexities of pensions, social security, and healthcare costs.
- **Subsidized housing and living expenses:** Providing affordable housing options for older adults in urban areas can ease the financial burden. Housing assistance programs, subsidies for rent, or utility cost reductions can help alleviate anxiety related to high living costs. Senior-specific housing developments that include social activities and healthcare services can also create a supportive living environment.
- **Workforce reintegration support:** For older adults who wish to continue working, programs that offer retraining, job placement, and age-friendly employment opportunities can provide financial stability and a sense of purpose. Age discrimination laws should be enforced to protect older workers from unfair treatment, and flexible, part-time work options should be promoted.

## 4. Improving Physical Health and Mobility

Physical health is closely tied to mental well-being, and interventions that support the physical health of older adults can also improve their mental health outcomes. Encouraging physical activity and providing access to healthcare for chronic conditions are essential.

- **Exercise and physical activity programs:** Regular physical activity has been shown to improve mental health by reducing symptoms of depression, anxiety, and stress. Urban environments should offer accessible and safe exercise options for older adults, such as senior fitness classes, walking groups, or yoga. Parks, recreational areas, and community centers should cater to the needs of older adults by providing low-impact exercise facilities and programs designed specifically for their age group.
- **Accessible urban infrastructure:** Cities should improve accessibility for older adults by enhancing public transportation, ensuring walkable streets, and making public spaces more age-

friendly. Adequate seating, well-maintained sidewalks, and barrier-free access to public facilities are critical for promoting mobility and reducing isolation in older adults.

- **Integrated care models:** Healthcare providers should offer integrated care models that address both physical and mental health. Chronic illnesses, such as diabetes or cardiovascular disease, can exacerbate mental health issues, so coordinated care that treats both physical and psychological symptoms can lead to better outcomes. Regular screenings for depression or anxiety in older adults with chronic health conditions should be standard practice in healthcare systems.

## 5. Environmental Adaptations and Urban Design

The urban environment itself can either support or hinder mental well-being in older adults. Designing cities to be age-friendly is an effective intervention for reducing environmental stressors and promoting mental health.

- **Age-friendly cities:** Age-friendly urban design includes creating spaces that promote social engagement, physical activity, and mental well-being. This can involve the development of parks and green spaces where older adults can engage in outdoor activities, relax, and socialize. Urban planning should incorporate accessible public spaces with benches, shaded areas, and safe walking paths.
- **Noise and pollution control:** Reducing noise pollution and improving air quality in cities are important strategies for enhancing the quality of life for older adults. Urban planners and policymakers should work on reducing traffic congestion, implementing clean energy initiatives, and increasing green spaces to counteract the mental health impacts of noise and air pollution.
- **Technological assistance programs:** The digital divide in older adults can be addressed by offering technological literacy programs to help them stay connected to family, friends, and healthcare services. Community centers or libraries could offer training sessions on using smartphones, computers, and social media platforms, enabling older adults to engage in the digital world and reduce feelings of isolation.

## 6. Mental Health Awareness and Education

Raising awareness about mental health issues among older adults and providing education on coping mechanisms can help reduce the stigma surrounding mental illness and encourage individuals to seek support.

- **Mental health awareness campaigns:** Cities can run public awareness campaigns that target older adults and their caregivers, focusing on recognizing the signs of mental illness and encouraging help-seeking behaviors. These campaigns could be conducted through community centers, healthcare providers, or social media platforms.
- **Resilience-building programs:** Resilience training programs that teach older adults how to cope with life changes, such as loss or chronic illness, can improve their mental well-being. Cognitive-behavioral therapy (CBT) and mindfulness-based stress reduction (MBSR) are evidence-based interventions that can help older adults develop coping skills, manage anxiety and depression, and maintain emotional balance.
- **Caregiver support:** Educating caregivers on how to support the mental health of older adults is also crucial. Caregivers should be trained to recognize symptoms of mental health problems, offer emotional support, and facilitate access to mental health services when needed.

## Conclusion

The mental health of urban older adults is a multifaceted issue influenced by social, environmental, economic, and healthcare-related factors. As cities continue to grow, addressing the unique challenges faced by this population is critical for promoting healthy aging. Interventions such as enhancing social connectivity, improving access to mental health services, and designing age-friendly environments are essential strategies. Additionally, fostering resilience through mental health awareness and financial support can reduce the risk of isolation, anxiety, and depression. By implementing comprehensive and targeted approaches, urban communities can significantly

improve the well-being of their older residents. Ultimately, a collective effort from policymakers, healthcare providers, and society is required to ensure that older adults in urban areas experience emotional, physical, and mental well-being throughout their later years.

### References

1. Goveas, J. S., & Shear, M. K. (2020). Grief and the COVID-19 pandemic in older adults. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 28(10), 1119-1125.
2. Lubben, J., Gironde, M., & Berkman, B. (2019). Social networks and social isolation among older people. *Journal of Aging & Social Policy*, 12(1), 123-136.
3. World Health Organization (WHO). (2021). *Mental health of older adults*.
4. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). *World Population Ageing 2019 Highlights*.
5. Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). *Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review*. *PLOS Medicine*, 7(7),
6. Golden, J., Conroy, R. M., & Lawlor, B. A. (2009). *Social support network structure in older people: Underlying dimensions and association with psychological and physical health*. *Psychological Medicine*, 39(10), 1607-1616
7. Beard, J. R., & Petitot, C. (2010). *Ageing and urbanization: Can cities be designed to foster active ageing?* *Public Health Reviews*, 32(2), 427-450.
8. Smith, R. J., Lehning, A. J., & Dunkle, R. E. (2013). *Conceptualizing age-friendly community characteristics in a U.S. context: Findings from a national survey of urban and rural areas*. *Journal of Aging & Social Policy*, 25(3), 254-270.
9. Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2018). *Loneliness in older adults: A focus on resilience and interventions*. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 225-240.
10. Scharlach, A. E. (2017). *Creating aging-friendly communities in the United States*. *Ageing International*, 42(1), 1-18.

# The Impact of Job Satisfaction on Mental Health

**Dr. Munjaji K. Rakhonde**

Department of Psychology, Kohinor Arts, Commerce & Science College, Khultabad. Dist. Chhatrapati Sambhajinagar. (MS) India - 431101

## Abstract

Job satisfaction is a key determinant of overall well-being, influencing both mental health and quality of life. This paper explores the complex relationship between job satisfaction and mental health, examining how various factors such as work environment, job security, workload, and interpersonal relationships contribute to employee satisfaction and their psychological state. Through an analysis of current research and case studies, the paper investigates how low job satisfaction can lead to stress, anxiety, depression, and burnout, while high levels of satisfaction are associated with better mental health outcomes, including reduced stress and increased emotional resilience. The paper also highlights the role of organizational strategies and workplace interventions in improving job satisfaction to promote mental well-being. Ultimately, the research underscores the importance of fostering a supportive work environment that enhances job satisfaction, which in turn protects and enhances employees' mental health.

## Introduction

Job satisfaction is a multifaceted concept that encompasses an individual's emotional and cognitive evaluation of their work experiences. It reflects how employees perceive their roles, the organizational culture, management styles, compensation, interpersonal relationships, and overall work environment. In recent years, the link between job satisfaction and mental health has gained significant attention as research increasingly underscores the importance of emotional well-being in the workplace. As people spend a large portion of their lives at work, the quality of their professional experiences has a profound impact on their mental and emotional health. The World Health Organization (WHO) identifies mental health as a state of well-being in which individuals can cope with the normal stresses of life, work productively, and contribute to their community. Given the significant time spent at work, job satisfaction is a key determinant of mental health.

In the context of mental health, job satisfaction is more than a measure of how much someone enjoys their work. It is intertwined with psychological states such as stress levels, anxiety, depression, self-esteem, and overall emotional resilience. Research has shown that employees who are satisfied with their jobs tend to have better mental health, higher productivity, and stronger interpersonal relationships, both at work and in their personal lives. Conversely, job dissatisfaction is often linked to negative mental health outcomes, including chronic stress, burnout, anxiety, and depression. These mental health issues can have far-reaching effects, influencing not only the individual but also the organization's productivity and success.

There are numerous dimensions of job satisfaction that directly affect mental health. These include job security, the physical work environment, work-life balance, relationships with colleagues and supervisors, and the availability of professional development opportunities. For instance, a lack of job security can lead to feelings of uncertainty and anxiety, which over time can escalate into chronic stress or depressive symptoms. Similarly, toxic workplace environments, where employees face harassment, bullying, or unrealistic performance expectations, can exacerbate mental health problems. On the other hand, workplaces that prioritize employee well-being by fostering supportive environments, offering fair compensation, and providing opportunities for career growth can significantly improve job satisfaction and, by extension, mental health.

Another critical factor in the relationship between job satisfaction and mental health is workload. When workloads are unmanageable or deadlines are unrealistic, employees may experience heightened stress and fatigue, leading to burnout, a state of physical and emotional exhaustion that can severely impair mental health. Burnout is increasingly recognized as a

significant consequence of prolonged job dissatisfaction and is a major contributing factor to conditions like anxiety and depression. In contrast, when workloads are reasonable and employees feel their contributions are valued, they are more likely to experience job satisfaction, which helps them maintain a balanced and healthy mental state.

In the modern era, workplace culture and organizational behavior are also important contributors to job satisfaction. Employees who feel respected and recognized for their efforts tend to have higher levels of engagement and satisfaction, which positively impacts their mental health. Furthermore, a healthy work-life balance, which allows employees to manage their personal and professional responsibilities without feeling overwhelmed, has been shown to play a pivotal role in promoting job satisfaction and preventing mental health issues. Employers that provide flexible work schedules, mental health resources, and a supportive organizational culture create a workplace that prioritizes mental well-being alongside productivity.

This paper seeks to explore the intricate relationship between job satisfaction and mental health, investigating how factors such as workplace environment, job security, interpersonal relationships, workload, and work-life balance affect employees' mental well-being. It will also examine the consequences of low job satisfaction, including stress, anxiety, depression, and burnout, and highlight the ways in which high job satisfaction can enhance mental health. Additionally, the study will discuss practical strategies that organizations can implement to improve job satisfaction and support the mental health of their workforce. By understanding the critical connection between job satisfaction and mental health, organizations can better support their employees, leading to healthier, more productive workplaces.

#### **Factors Influencing Job Satisfaction**

Several key factors contribute to job satisfaction, each playing a distinct role in how individuals perceive and experience their work environment. These include:

##### **1. Work Environment**

A supportive and healthy work environment is one of the primary drivers of job satisfaction. This includes physical conditions, like safety, comfort, and access to resources, as well as emotional factors, such as respect, recognition, and a positive organizational culture. A toxic work environment, characterized by high levels of conflict, lack of support, or poor communication, can significantly decrease job satisfaction and harm mental health.

##### **2. Job Security**

The degree of security that employees feel in their jobs directly influences their satisfaction. Job insecurity, or the fear of losing one's position, can cause chronic stress and anxiety, significantly affecting mental health. Conversely, employees who feel secure in their jobs are more likely to experience job satisfaction, which fosters psychological stability and reduces stress-related symptoms.

##### **3. Workload and Work-Life Balance**

Workload refers to the volume of tasks and responsibilities assigned to an employee, while work-life balance involves the ability to manage both professional and personal responsibilities. Excessive workload or poor work-life balance can lead to stress, burnout, and a deterioration in mental health. In contrast, when employees have manageable workloads and a healthy work-life balance, their job satisfaction increases, contributing to positive mental health outcomes.

##### **4. Interpersonal Relationships**

The quality of relationships between colleagues, supervisors, and subordinates plays a vital role in determining job satisfaction. Positive relationships in the workplace can create a sense of belonging and support, leading to higher satisfaction levels. On the other hand, interpersonal conflicts, bullying, or lack of communication can lead to dissatisfaction and mental health problems such as depression, anxiety, and feelings of isolation.

## 5. Compensation and Rewards

While financial compensation is not the sole determinant of job satisfaction, it remains an important factor. Fair wages and benefits can contribute to higher satisfaction levels, whereas inadequate compensation can cause frustration and dissatisfaction. Additionally, non-monetary rewards such as recognition, promotions, and opportunities for professional growth can enhance employees' sense of fulfilment and mental well-being.

### **The Impact of Low Job Satisfaction on Mental Health**

When employees experience low job satisfaction, it can have detrimental effects on their mental health. Some of the most common mental health issues associated with job dissatisfaction include:

#### 1. Stress

Stress is perhaps the most immediate and prevalent consequence of low job satisfaction. When employees feel undervalued, overworked, or insecure in their roles, they are more likely to experience chronic stress. This can manifest in both psychological and physical symptoms, including anxiety, fatigue, headaches, and difficulty sleeping. Long-term exposure to stress not only diminishes mental health but also weakens immune function, leading to physical health problems.

#### 2. Anxiety and Depression

Persistent dissatisfaction with one's job can lead to more severe mental health problems, such as anxiety and depression. Feelings of helplessness, frustration, and lack of control in the workplace can exacerbate anxiety symptoms, while ongoing dissatisfaction can trigger depressive episodes. Research has shown that individuals in unsupportive or stressful work environments are at higher risk of developing these mental health conditions.

#### 3. Burnout

Burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by prolonged stress and dissatisfaction at work. Employees experiencing burnout often report feeling drained, detached from their work, and incapable of performing their duties effectively. Burnout has become a widespread issue, particularly in high-stress professions, and is associated with a range of mental health problems, including depression, anxiety, and substance abuse.

#### 4. Decreased Productivity and Job Engagement

Low job satisfaction can lead to disengagement and a lack of motivation at work, which not only affects the individual's mental health but also the organization's productivity. When employees feel disconnected from their roles or undervalued by their employers, they are less likely to put in the effort required to meet job demands. This lack of engagement can cause a downward spiral, where dissatisfaction feeds into poor performance, further lowering job satisfaction and mental well-being.

### **The Positive Effects of High Job Satisfaction on Mental Health**

High job satisfaction, on the other hand, can have a protective effect on mental health. Employees who are satisfied with their jobs tend to experience lower levels of stress, greater emotional resilience, and higher overall well-being. Some key benefits include:

#### 1. Emotional Resilience

Employees with high job satisfaction are better equipped to handle stress and adversity. They are more likely to view challenges as opportunities for growth rather than threats, which fosters emotional resilience. This resilience protects against the development of mental health problems and contributes to long-term emotional well-being.

#### 2. Improved Social Relationships

Job satisfaction often leads to positive interpersonal relationships in the workplace. Employees who feel valued and content in their roles are more likely to collaborate effectively, communicate openly, and provide support to their colleagues. These strong social ties act as a buffer against workplace stress and contribute to a sense of belonging and job engagement.

### 3. Greater Job Engagement and Productivity

Satisfied employees are more likely to be engaged in their work, leading to higher productivity and better mental health. Job engagement, characterized by enthusiasm, commitment, and involvement, is strongly linked to personal fulfillment and job satisfaction. Engaged employees are not only more productive but also report higher levels of well-being and lower incidences of mental health issues.

#### Strategies for Improving Job Satisfaction and Mental Health

Organizations play a pivotal role in fostering job satisfaction and, by extension, mental health. Several strategies can be implemented to improve workplace conditions and promote well-being:

##### 1. Promote Work-Life Balance

Employers can offer flexible work schedules, remote work opportunities, and reasonable workloads to help employees maintain a healthy work-life balance. This reduces stress and enhances both job satisfaction and mental health.

##### 2. Supportive Work Environment

Creating a supportive workplace culture where employees feel valued and recognized is essential for job satisfaction. Offering employee recognition programs, mental health resources, and opportunities for professional development can significantly improve employees' sense of fulfillment.

##### 3. Encourage Open Communication

Fostering open communication between management and employees helps address concerns early and improves job satisfaction. Employees who feel they have a voice are more likely to be engaged and experience positive mental health outcomes.

##### 4. Professional Development Opportunities

Providing opportunities for career growth and professional development can increase job satisfaction by giving employees a sense of purpose and progression. This can also enhance their sense of competency and accomplishment, which boosts mental health.

#### Conclusion

Job satisfaction and mental health are inextricably linked, with each influencing the other in profound ways. Low job satisfaction can lead to stress, anxiety, depression, and burnout, while high job satisfaction fosters emotional resilience, positive social relationships, and greater job engagement. Organizations that prioritize job satisfaction by offering supportive work environments, fostering open communication, and promoting work-life balance can significantly enhance employees' mental health and overall well-being. By acknowledging the critical role job satisfaction plays in mental health, both employees and employers can work together to create healthier, more productive, and fulfilling work environments.

#### References

1. Faragher, E. B., Cass, M., & Cooper, C. L. (2005). The relationship between job satisfaction and health: A meta-analysis. *Occupational and Environmental Medicine*, 62(2), 105-112.
2. Schulte, P., Vainio, H., Westerholm, P., & Shain, M. (2002). Work, well-being, and mental disorders. *Occupational Medicine*, 52(2), 87-89.
3. Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job satisfaction: Subjective well-being at work. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), *The science of subjective well-being* (pp. 393-413). Guilford Press.
4. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309-328.
5. Bowling, N. A., Eschleman, K. J., & Wang, Q. (2010). A meta-analytic examination of the relationship between job satisfaction and subjective well-being. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 83(4), 915-934.
6. Warr, P. (2007). *Work, happiness, and unhappiness*. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
7. Van der Doef, M., & Maes, S. (1999). The Job Demand-Control (-Support) model and psychological well-being: A review of 20 years of empirical research. *Work & Stress*, 13(2), 87-114.
8. Spector, P. E. (1997). *Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences*. SAGE Publications.
9. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16(2), 250-279.
10. Lu, H., While, A. E., & Barriball, K. L. (2005). Job satisfaction among nurses: A literature review. *International Journal of Nursing Studies*, 42(2), 211-227.

# Disability Rights and Equal Treatment

**Sumaiyya Gaffar Sayed**

Ph.D. Candidate, A.K.K. New Law Academy & Ph.D. (Law) Research Centre, Savitribai Phule Pune University (Formerly University of Pune)

## **Introduction**

### **Meaning of disability rights**

Dignity and autonomy are the principles that are associated with disability rights in India. In India, disability rights and upholding physical disability are autonomy. This means that a disabled person has a right to make decisions about their life, that can be related to personal matters, health, care, work, and education. It cannot be denied that living with dignity is one of the fundamental rights engraved in our Indian Constitution, and this subject must be equally treated with persons with disabilities regardless of their deficiencies. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 focuses on the right of people with disability to live with respect and dignity. In addition, non-discrimination and equality are another and one of the significant disability rights in India emphasizing the fact that PwDs must be treated equally in all spheres like public services, healthcare, employment, and education. Also, it includes the freedom from discrimination depending on disability. However, this pinnacle of equality and non-discrimination means that people with disabilities must not face biases or barriers in accessing resources and opportunities. The principle of equality with PwDs is a further interpretation of Article 15, dealing with the prohibition of discrimination and Article 14 dealing with the right to equality enshrined under the Indian constitution.

### **Significance of Equal Treatment**

The importance of equal treatment of people holding some kind of disability in India is multifaceted, holds an ethical dimension, and encompasses economic and social aspects. On the one hand, equal treatment of people is one of the powerful tools for including social, making sure that people with disabilities have equal opportunities as compared to others, with no disabilities to participate in public, employment, and education life. It has been identified that treating equally in mitigating social barriers, decreases stigma, and promotes diversity. Also, it alliance with equity and justice principles, ensuring that people with disability are not different from the societal margins but are all equal members in the recognized society.

On the other hand, practicing the concept of equal treatment with people with disabilities is often excluded. However, in India, there is a legal framework or regulatory norms to treat PwDs equally namely, the Persons with Disabilities Act, 2016 . This act generally encounters the problems faced by people with disabilities in accessing public services, employment, and education. Such barriers are attitudinal as well as physical with a lack of awareness among people. However, the law of treating disabled people mandates equal treatment but the application of this legal practice is not even and therefore people with disabilities, persistently face, essential problems in achieving real equality in society.

While comparing it with other nations, the disability rights norms as family and force people with disability to ensure treatment. In contrast, India, having a diverse and huge population continuously struggles with efficient enforcement and accessibility issues. There is a gap between practice and policy regarding rights with physical disabilities in India highlighting not just the quality of legal protection, but also the adequate implementation which societal change mechanisms. In summary, it can be stated that the principle of equal treatment is important for empowering PwDs people in India and to mitigate societal barriers completely.

The primary purpose of writing this article is to advance the legal landscape that surrounds the people right are suffering from any kind of disability in India. This article intends to attain the importance of disability rights as one of the crucial aspects of human rights, intending that people



with disabilities should enjoy equal opportunity and treatment in every sphere of their lives. Also, it explores how development and legal areas help in mitigating the barriers that are related to people with disabilities and promotes the aspect of equal treatment with respect and dignity towards them. In furtherance, the article deals with the case of Vikas Kumar versus the Union Public Service Commission as this is one of the landmark cases in recognizing the rights of people with disabilities in India. Analyzing this case will help in enforcing and interpreting the judicial aspect of people with disabilities. Moreover, the existing article will discuss the tension between present legal frameworks and the requirement for more legal protection for people with disabilities from any kind of discrimination. The existing article would educate readers on the rights of persons with disabilities act, 2016 and related constitutional provisions to advance their understanding of disability, rights and equal treatment in Indian society.

### **Historical Background Of Disability Rights In India**

In India, the disability rights movement has evolved for four decades. People started to raise their voices and demands. Rights of people suffering from any kind of disability from the early 1970s. However, the movement did not end at that point and scattered the demand of people or groups regarding disability rights significantly.

#### **Pre-Independence**

Before attaining independence, there were no well-versed and established rights for people with disabilities in India under the law. However, the term discrimination against disabled people was prevalent in numerous forms. One such form was discrimination in Hindu law, pre-modern Hindu law defined and explained the discrimination against disabled people in two areas. The first area was baudhayana, where it has been determined that disabled people or incapable people have a legal right to do business. Another belief was that people who have any kind of disability will not perform any kind of religious ceremony. However, Hindu society divided disability into different categories for property succession. It includes disability costs to people in India due to diseases like leprosy, physical disability like missing any important, body parts, dumbness, deafness, and blindness. any kind of mental disability like lunacy and idiocy. Presumed any kind of physical disability like performing sexual intercourse out of legal wedlock in particular situations. Another form of disability rights in India is the charity and welfare approach. However, the approach to discrimination has changed over time but disability is considered as one of the aspects of social security discrimination. People believe that individuals caring any kind of disability need guardianship under the legal system. According to the charity and welfare approach, people having certain types of disability or considered as an object of charity program, health, and welfare instead as a subject of legal rights.

Before independence, they were not well-versed or spelt out disabled rights under the label legislation. Notwithstanding, it cannot be denied that some of the employer relationships included standing orders, regulations, and rules in delegated legislation with special reference to disabled people. Moreover, to determine the property rights, the Indian Succession Act, 1925 and the Hindu Succession Act, 1956 are relevant. Under these laws, a person with a disability may inherit ancestral property. However, according to pre-independent laws and legislations, individuals with disabilities were historically restricted in their ability to dispose of property due to their disability.

Similarly, the Constitution of India was enacted and enforced in the year 1950 and does not include any such special provisions related to safeguarding the rights of people suffering from any kind of disability. This means the fundamental rights do not apply uniformly to all citizens and there was not any such special provision for disabled people in India.

In conclusion, it can be stated that before Independence in India, there were no well-defined and well-protected rights for persons, having certain kinds of disability. The welfare approach, lack of constitutional safeguards, and discrimination discussed the scenario of the rights of disabled people in India adequately. Nevertheless, the Post-Independence era shows some of the gradual changes or improvements regarding the rights of the disabled and legislation.

## **Post-Independence**

The post-independence era in India is considered a period of significant transformation in terms of disability rights, evolving from a charitable welfare approach to a rights-based perspective. This particular shift has been affected by both domestic advocacy efforts and global movements, promoting a better understanding of disability rights and considering it as a basic human right instead of considering it as a medical or charitable issue. From 1947 to 1980, certain early initiatives have been taken by the Government of India to address persons suffering from any kind of disability.

It emphasized primarily welfare and rehabilitation. In the beginning, some of the efforts were mostly focused on individuals and veterans affected by diseases like leprosy and polio. However such initiatives lacked a better and advanced legal framework and were generally categorized under a paternalistic approach. It viewed persons with disabilities as charitable beneficiaries. Instead of viewing them as right holders. Later the year 1980 became a turning point in the journey of disability movement in India. It coincided with the United Nations laws regarding disabled persons and promoted and emergence of better advocacy groups. These groups highlighted the social barriers and tried to mitigate such kind of challenges, allowing disabled people to participate equally in society.

The legislative milestones have been achieved post-independence regarding disability rights in India. One such legislation is the Persons with Disabilities Act, of 1985 . Also, it is considered one of the landmark legislation and comprehensive laws in India emphasizing at preventing the disabled persons right. This law examined the individual rights who are disabled in employment, education, and non-discrimination activities. It promoted an environment which is barrier-free in nature. Certain categories have been identified in this act related to disabled and physically challenged people like providing 3% of reservation in government jobs and educational institutions to advance their future positively.

Another act, which came into enforcement is the National Trust Act, of 1999 , which emphasizes on particular group of people with disabilities, like those people suffering from cerebral palsy and autism. This act established the National Trust, a prestigious, an autonomous body emphasizing at empowering people with disabilities and promoting their independent living. Moreover, one of the recent legislation that came into enforcement is the Rights of Persons with Disabilities Act, of 2016. It brought essential and advanced changes in the legal framework for promoting disability rights in India. Furthermore, it increased the quota of reservations from 3% to 5% in terms of higher education and raised reservations to 4% in government jobs. The act aimed to align disability laws in India and access it as a fundamental right under the United Nations Convention ratified in India in 2007. However, it can be stated that the development of disability rights in India previews the journey from a charity-based approach and marginalization to the equality and dignity rights of Persons with Disabilities.

### **Legislations For Disability Rights In India**

#### **The main legislations under this category of above disabilities or as follows:**

The Rehabilitation Finance Administration Act, 1948, The Mental Health Act, 1987, The Rehabilitation Council of India Act, 1992, Persons with Disabilities (Equal Participation) Act, 1995, and the National Trust for Welfare of Persons with Austin, Mental Health Care Act, 2017, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. Other than this, some legislation analyses the compensation for the occurrence of any kind of disability at the workplace or on the road. The Motor Vehicles Act, 1988 and the Workman Compensation Act, 1923 are two such legislations that provide benefits for the person and equality for the person who has suffered any kind of disability while driving or riding on the road and while working at their workplace.

However, it would be surprising to note that even after several legislations and interpretations of equality under the Indian Constitution, the objective of providing rights for such people has not been fulfilled yet. The Person with disability act does not recognize the legal capacity principle and

a reasonable accommodation in India yet. The bill which was presented in the year 2011 has tried a lot to incorporate statutes in order to shift the approach of human rights faster. Recognizing and determining the legal capacity of any such person is one of the significant steps that must be ensured to provide them with fundamental and other basic human rights, especially, the right to equality in employment, education, workplace, public service, and any other environments. The capacity of persons with disabilities cannot be questioned or denied, nor can it be exercised with discrimination or preference. In furtherance, the concept of reasonable accommodation has been determined and recognized by the judiciary in India. The bill of 2011 recognized the essential and basic rights of human suffering from disability like the right to health, employment, education, justice, liberty, and equality. Still, there is a scope for further improvements in the rights of persons with disability in India with appropriate provisions.

### **Implementation of Policies and Suggested Recommendations**

The journey of India in ensuring disability rights has been multifaceted and complex. After analyzing the 2011 Census, it has been observed that around 26.8 million people are living with any type of disability in India. This means there is an essential need to frame adequate and better laws to protect the legal rights of disabled people in India. However, the RPwD Act of 2016 has been an essential milestone in aligning the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities accepted for enforcement in the year 2007 . Nevertheless, even after its policy enforcement the implementation or application of such policies remains an unresolved issue.

The RPwD Act, of 2016 is generally compared with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in order to measure its effectiveness. The RPwD Act, 2016, elaborated its definition of disability after recognizing 21 categories of disabilities. Also, this Act mandated or made a compulsory reservation of 4% in educational institutions and government jobs for persons suffering from disability. However, after comparing the RPwD Act with international norms, especially the CRPD, the application of such policies views discrepancies. It can be understood with the help of an example, the convention on the Rights of Persons with Disabilities focuses on the right to effective participation and full participation in society. On the other hand, the policies of India have been criticized for putting more emphasis on welfare instead of being emphasized on empowerment. It can be stated that the concept of reasonable accommodation came into practice. After some landmark judgements of disability rights are still not integrated into the policy framework in India. This means that it limits the practical application of such rights in educational institutions and rights at workplaces.

The RPwD Act was passed by both houses of the Parliament and after receiving the assent of the President, it came into enforcement in the year 2016. This Act focused on the empowerment of persons with disabilities, individual, autonomy, and respect for inherent dignity, including independence of person and freedom of their own choices. The Act formation intends to promote non-discrimination, effective and full participation and inclusion in the society of disabled persons. The Act intended to accept the disability of all individuals in India and provide them equal opportunity to access all spheres of life. In simple terms, it can be stated that the principle of this Act is to shift our thoughts about disabled people to a human rights issue from a social welfare concerned.

This Act granted certain rights to persons with disabilities, including non-discrimination and equality, protection from any human treatment and equality, children and women, with disability rights, protection from exploitation, violence, and abuse of disabled persons, community, lives, safety and protection, home and family, accessibility in voting, reproductive rights, legal capacity, access to justice, guardianship, provision, and designation of authorities to support other incorporated rights enshrined under the Act. The Act of disability rights, 2016 also provided accessibility of communication and information to disabled persons, insurance schemes, reservation, rehabilitation, privacy, transportation accessibility, social security, healthcare, adult education, free education for disabled children, and equal opportunity.

Certain other related laws on persons with disabilities are The National Trust Act, 1999 , The Mental Health Act, 1987 , The Rehabilitation Council of India Act, 1992 , The Persons with Disabilities Act, 1995 . These cases socially pertain to inheritance, privacy, transport and access, specialized care, health care, employment, and education. From these legislations, it has been observed that efforts have been undertaken to provide disabled in India equal rights.

Even after having provisions related to the Rights of Persons with Disabilities Act, the application of these norms remains inconsistent across different sectors and states in India. States like Kerala and Tamil Nadu have made huge progress in implementing policies that a disability, friendly, including inclusive education and accessible infrastructure. However, several other states in India, still lag significantly, reflecting a patchy or insufficient implementation landscape. Similarly, a huge difference can be seen in rural areas of India versus urban areas of India. In rural areas, persons with disabilities are largely inaccessible, while urban areas have seen some progress in terms of infrastructure accessibility. This difference not only restricts mobility but also impacts access to employment, healthcare, and education, thereby perpetuating economic and social exclusion. Additionally, a significant gap exists in public awareness and understanding of disability rights. Although policies are in place, their implementation or effectiveness are generally low because of a lack of awareness among governmental agencies as well as the general public. For illustration, the norms or regulations of accessible formats or assistive devices of communication are not, uniformly implemented, leaving disabled persons without essential support in the various aspects of their life.

### **Policy Reforms**

For several policy reforms, it is a necessity that this implementation gap has been addressed. One such essential area that needs to be addressed is the requirement for a stronger enforcement mechanism. The existing framework relies mainly on individual complaints, generally coming as a burden for persons with disabilities. A more active or holistic approach can be taken like regular audits of private institutions and public institutions for compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. This is because it could help in bridging the gap between practice and law. Furthermore, it is recommended that the standardization of disability advantages and services across states. The difference in educational support for disabled persons, healthcare services for disabled persons, and disability pensions, creates or hampers inequality and impacts the overall effectiveness of the Rights of Persons with Disability Act. Uniform practice for the application or implementation of policies must be followed, clearly defining the adequate funding and guidelines helping to promote a more equitable system in Indian society. Moreover, it is sensual to integrate disability rights with development programs to enhance the efficiency of act as well as rights of persons. In simple terms, it can be stated that disability of a person should not be treated as a single issue, but it should be worn into the fabric of all programs and policies involving areas like healthcare, employment, and education. it can be promoted by implementing skill development programs where certain modules are taught to a person with a disability ensuring that they have equal opportunity to enter in market and axis jobs as compared to normal persons in India.

### **Future Legal Challenges**

From a future perspective, it is recommended that it is essential to address several legal challenges to ensure that people with disabilities have equal rights and must opt for their rights under the legislation. This gives rise to a significant challenge that there is a need for interpretation of the RPwD Act among disabled persons. Also, it cannot be denied that Indian courts have sometimes taken a narrow view of the rights of disabled persons, limiting their scope in the law. Therefore, there is an urgent need to expand the interpretations to align with the convention. Rights of Persons with Disabilities and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 to appeal this issue more robustly. Another significant challenge that has been identified is the integration of technology into disability rights. It has been observed that digitalization is transforming various sectors. However, ensuring that technological advancements are accessible to persons with disabilities

remains crucial and, at times, controversial. There is a need to improve the accessibility of websites and mobile applications to better support disabled persons in the workplace.

In summary, India has made significant changes in forming or implementing legal framework for persons with disability rights. However, adequate implementation or application of these policies remains fraught and uneven with challenges. By adopting a more proactive and comprehensive approach, India as a nation can move a step ahead towards attaining the full potential of disability, rights framework, ensuring each person with disability in India, equality and protection from Law.

### **Conclusion**

The impact of disability has been felt directly in the health and medical term insurance and impacted indirectly in the spheres of social interaction, leisure activities, health services, housing, welfare and social schemes, building, environment, physical access, transport, and education. Above all the direct and indirect emissions that ability has mostly impacted in the field of implementation to individuals in India. Initially or traditionally, it can be stated that disability in person has been considered a significant subject of paramedical and medical professionals and this approach is generally termed as a medical welfare aspect. However, certain movements regarding disability rights have been conducted in India and it has been analyzed that the attitude towards disability in person has changed and is persistently changing. However, a major shift in the foundational level of personal disability in India has been found as the approach for medical welfare has been shifted to social welfare, again replaced by the human rights welfare approach. Previously it was on the program where laws have been governing or considering the center of care, converting into compensation and capacity building and now emphasizing structural changes integration. Such changes are important to make as a social environment because of diversities and disabled persons must not be deprived of their equal opportunities because of their medical deficiencies.

# **Liberation Movement Kalyana Karnataka Region – Need For Micro Research**

**Smt. Nagaratna B Tamminal**

Assistant professor, Department of History Government First Grade College for Women Koppal -583231

## **Abstract**

This paper discusses the importance of liberation movement Kalyana Karnataka region in the history of Karnataka unification movement. This region was under the Nizam of Hyderabad and was popularly called as Hyderabad Karnataka. In 2019, it was renamed as Kalyana Karnataka. Kalyana Karnataka included districts of Bellary, Bidar, Kalgurgi, Koppal, Raichur, Yadagiri and Hosapete. The Kalyana Karnataka reflects geographically different culture and is vibrantly different form rest of Karnataka. The legendary tussle tales for the liberation of Hyderabad is not generally known. The heroic fight of martyrs who unselfishly lighted the blaze of Indian patriotism needs commemoration. The post independent India's politically turbulent struggles are not known to the present generation.. There is a need to augment research on the role of liberation struggle led associations, books, newspapers, women associations, folk singers, rural dramas and such other documents which could lead to comprehending and gathering further additional information about the Kalyana Karnataka liberation movement. Such research would also help to align historical understanding of the subaltern facets of Indian freedom struggle.

**Key words: Kalyana Karnataka , Liberation movement , need for research**

**Introduction-** India was under colonial British rule till 1947 and gained independent from the foreign yoke on 15<sup>th</sup> august 1947. Independent India consisted of numerous princely principalities and princedoms. Hyderabad was one such princely state which was ruled by Nizam of Hyderabad. After the Indian independence in 1947 the princely states were given an option to join India or Pakistan or they could choose to remain independent.

## **Kalyana Karnataka liberation day**

Kalyana Karnataka liberation is observed on 17<sup>th</sup> September. This date commemorates the integration of liberation of Hyderabad Karnataka region from the princely state of Hyderabad. The day also commemorates the merger into the Indian union in 1948.

**Kalyana Karnataka regions** - the Kalyana Karnataka region now comprises North eastern districts of Karnataka including

1. Bellary ,
2. Bidar ,
3. Hosapete ,
4. Kalburgi ,
5. Koppala ,
6. Raichur,
7. Yadagiri

**Evolution of Kalyana Karnataka** - Kalyana Karnataka Nizam of Hyderabad choose to remain independent and stayed away from joining Indian Union. But the political developments after not deciding to join the Indian union were turbulently suffocating. The Nizam's people were up against the Nizam rule and decided to join Indian union. After a long battle, the Nizam was persuaded to join the Indian union. The Home Minister Vallabh Bai Patel was successful in persuading other princedoms to Indian union by 1848.

**Kalyana Karnataka liberation day commemoration** - Liberation day of Kalyana Karnataka is celebrated on 17<sup>th</sup> September every year. It is observed in Kalyana Karnataka region every year and the sacrifices of the innumerable people

**Kalyana Karnataka and the Operation Polo mission-** Kalyana Karnataka and the integration of Hyderabad into India was achieved through a military operations known as operation polo It was

launched on September 1948. Indian armed forces quickly secured the control of the princely state. The operation led to the end of Nizam's rule. The Princely state of Hyderabad was merged into Indian union in 1948.

**Kalyana Karnataka liberation struggle** - Kalyana Karnataka purpose of celebrating the day is to revive the history of this liberation struggle and to remember the tales of known and unknown martyrs by igniting the flame of patriotism in the among the youth and present generation. This will support them to revive the spirit of patriotism.

**Kalyana Karnataka - Kalyana Karnataka liberation** is not the work of one or two individual. The struggle encompasses the fight with Hyderabad Nizam led Razakars. The Razakars and the people aspiring for union with Independent India. Following is the list of some of the important leaders of the liberation movement

1. Sardar Papanna Gaur
2. Turrebaz Khan
3. Alla –Uddin
4. Ali beg Khan
5. Bhgya reddy Varma
6. Pandit Narendra Ayra
7. Vande Mataram Ramachandra Rao
8. Shoybullah Khan
9. Mogilya Gaur
10. Doddi Komaraya
11. Chakli Ilamma Narayan Pawar
12. Jagadish Arya
13. Doddi Chennaiya
14. Kumara Rangaiah
15. Bolle Nagaiah
16. Vara Prasad reddy garu

**Kalyana Karnataka organizations fighting liberation** –There were several organizations which supported the liberation movement. Kalyana Karnataka organizations which supported the cause of liberation include

1. **Bhagyanagara Satyagraha Samiti**
2. **Hindu Mahasabha Samiti**
3. **Osmaniya University Unit Of Vande Mataram**
4. **Bharatha seva samiti**
5. **Sahiti sadana samiti**
6. **Satyagraha bandhu**
7. **Paavana bharaatha etc**

**Creation of Kalyana Karnataka - historical journey** - Kalyana Karnataka people fought against the Razakars. The Razakars were a paramilitary force. They were also a home guards unit of Hyderabad state. This unit was formed in 1938 by Bahadur Jung. The main objective of creating this unit was support the Nizam sir Osman Ali Khan who was against the integration of Hyderabad state into Indian union. This unit of Razakars was primarily Indian government made repeated demands to the Nizam of Hyderabad to disband the Razakars unit. The Nizam turned down the request and decided to further strengthen the unit through regular rigorous training and disciplined military schooling.

After the Nizam turned down the persuasion the Indian government to join the Indian Union armed invasion became inevitable for the Indian Military. The Indian army led by J N Chaudhuri, planned **Operation Polo** and defeated the Razakars and the Nizam surrender. Late he agreed to disband the Razakars. Leader Qasim Rizvi was jailed and after jailed for nearly ten years he emigrated to Pakistan. Pandit Sunderlal Committee estimated the loss of nearly forty thousand lives

during the armed intervention. The Nizam finally entered into a standstill agreement with the Government of India

**Current position of Kalyana Karnataka** - Government of Karnataka has given priority for Kalyana Karnataka in terms of providing developmental grants, special growth zones, and special grant allowances. The formation of

3. Hyderabad Karnataka Development Board – 2009
4. KKRDB- Kalyana Karnataka regional development board -2010
5. Hyderabad Karnataka Special package 2010
6. Kalyana Karnataka regional growth project 2023

Have helped the developmental process in the region. Even though the Kalyana Karnataka regions are now apart of the K unified Karnataka state the cultural, social, literary, artistic and linguistic alignment still exists in these regions. Kalyana Karnataka is still fondly recognized as Hyderabad Karnataka by general public.

**Need for research** – The need to undertake micro level research about the role of

2. liberation associations,
3. literary books on motivating people to join Indian union,
4. newspapers publishing the speeches of national leaders
5. women associations motivating rural women to join the struggle
6. folk singers who toured the entire Hyderabad region singing motivational songs
7. rural drama artists staging street plays and small drama scenes and motivating people to fight the Razakars militants

Besides, fragmented documents which could lead to comprehending and gathering further additional information about the Kalyana Karnataka liberation movement needs to be researched. The need to understand the various dimensions of Liberation movement is necessary because Karnataka state offers interesting accounts of a very long drawn history and narration. Such research would also help to align historical understanding of the subaltern facets of Indian freedom struggle.

**Conclusion:** Thus the need to highlight the sacrifices of people during the Hyderabad Razakars violence is the responsibility of every citizen. The Indian union formations is full of sacrifices of millions of people which is not evidenced in History books. The need to micro study the people's fight against the rebellious Razakars is the need of the hour. Otherwise the tales of known and unheard of martyrs who selflessly ignited the flame of patriotism in the post independent politically turbulent period needs to reach present generation. There is a need to augment research on associations, books, newspapers and pamphlets which dominated the scene of liberation struggle.

#### References:

1. Bhagavan, Manu "Princely States and the Hindu Imaginary: Exploring the Cartography of Hindu Nationalism in Colonial India" Journal of Asian Studies, 2008
2. Bipan Chandra; and others (2016). India's struggle for independence: 1857-1947.
3. G S Halappa- History of freedom movement in Karnataka
4. Kamat Suryanatha -A Concise History Of Karnataka: From Pre-Historic Times To The Present- Bangalore: Jupiter Books
5. Kulakarni H.L. & others " A Study Of Emerging Pattern Of Leadership In Mysore state" Administrative training Institute- Government of Mysore Publication, 1971
6. Pattanasetti R -Forgotten tales of the freedom struggle in North Karnataka 21<sup>st</sup> august 2021
7. Report Of The High Power Committee On Regional Committee On Study Of Regional Imbalances ( popularly known as the Nanjundappa committee ), 2009
8. Sarojini Sinthri - Women freedom fighters in Karnataka
9. Suman Bhai Shinde - History of Kalyana Karnataka International Journal of current research trends , Vol. 9 , Issue 11 , November 2021
10. Dr Somanatha C H The Freedom Struggle of Kalyana Karnataka With Special Reference to Koppala and Ballari Districts Inter National Journal of Research and Analytical Reviews , VOL 7 , No 2 , July , 2022
11. Deccan chronicle - Razakars and communists a threat to India , article dated 15<sup>th</sup> September 2018
12. Suman Bhai Shinde - History of Kalyana Karnataka International Journal of current research trends , Vol. 9 , Issue 11 , November 2021



# Corruption: Causes, Consequences And Cures

**Dr. Prakash D. Haveripeth**

Assistant Professor, Department of Criminology, Government First Grade College, Navabag, Vijayapur, Karnataka

## Abstract

The paper stresses the need to keep the issue of corruption squarely in view in the development agenda. It discusses the causes and consequences of corruption, especially in the context of a least developed country with considerable regulation and central direction. Lack of transparency, accountability and consistency, as well as institutional weaknesses such as in the legislative and judicial system; provide fertile ground for growth of rent seeking activities in such a country. In addition to the rise of an underground economy and the high social costs associated with corruption, its adverse consequences on income distribution, consumption patterns, investment, the government budget and economic reforms are highlighted in the paper. The paper also touches upon the supply side of bribery and its international dimensions and presents some thoughts on how to address the corruption issue and to try and bring it under control.

**Key-words:** Corruption, India, Economy, Development, Policies, Laws, Officials, Politicians, Impact and Remedies.

## Introduction:

There have been many changes due to Globalization; we possess extraordinary resources as well as talent pools to bring changes in our system i.e., the system which is corrupt. Every citizen of our country now takes interest in playing vital roles for better governance of our country. They have become more vigilant and more protective about themselves as well as our country. We criticize about our government and system, a public servant plays a very pivotal role in governing our country, because they are one most important organ of our system, i.e. Executive. So the burden of executing every act of the system depends upon them. Still the question remains to be answered is corruption.

## The main objectives of these papers are:

- 1) To outline the possible causes of corruption.
- 2) To know field of corruption.
- 3) To know various provisions of corruption.
- 4) To know the impact and remedies of corruptions.

## Meaning and Definition of Corruption

In spite of its prominence through the ages, corruption remains difficult to define. In India, even in 4<sup>th</sup> century B.C. 'Corruption' had been a key theme as reflected in Kautilya's Arthashastra, an ancient Hindu treatise on state craft, economic policy and military strategy penned during the time.

The UN convention against Corruption (adopted 9 December, 2003, entered into force 14 December 2005) GA Res. 58/4 defines 'Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish'.

A multifaceted concept, there is no universally accepted definition of 'corruption' and there has been disagreement as to what specific acts constitute corruption as a construct. A thorny and loaded term, it has been said that corruption is like an elephant – though it may be difficult to describe, it is generally not difficult to recognize when observed. A standard and officiated definition of corruption and universally accepted is that it is constituted by 'an act in which the power of public office is used for personal gain.'

As per the Transparency International (TI): Corruption is operationally defined as the misuse of entrusted power for private gain or the use of public office for private gain. In other words, use of

official position, rank or status by an office bearer for his/ her own personal benefit. Therefore the corrupt behavior would include, bribery, fraud, stealing the public resources, partiality/ favoritism, seizure of public assets for private use, etc. (1998).

**Main causes of corruption:**

Although there are many causes of corruption but based upon several research, surveys and studies, the following are most common causes in most of the governments and societies:

- ✓ Lack of rules, regulations, transparency and accountability in public sectors.
- ✓ Lack of control, supervision and auditing.
- ✓ Lack of articulated code of Conduct for public servants and politicians.
- ✓ Attitudes or circumstances that make average people disregard the law.
- ✓ The change in the value system and ethical qualities of people.
- ✓ The moral and ethics have declined and most people give more importance to money than excellence.
- ✓ Bribe may provide a convenient means of getting work done or avoid any punishment.
- ✓ Bad incentives, such as any employee not earning enough to live on; so he supplements his income with bribes.
- ✓ Tolerance of people towards corruption
- ✓ Absence of strong public forum or civil society to oppose corruption, etc

**Consequences of corruption:**

In the final analysis, corruption is as much a moral as a development issue. It can distort entire decision making processes on investment projects and other commercial transactions, and the very social and political fabric of societies. The Supreme Court of India in a recent judgment gave its comments on the far reaching effects of corruption, and these comments deserve to be mentioned in some detail. The apex court observed that, “Corruption in a civilized society is like cancer, which if not detected in time is sure to maximize the polity of the country leading to disastrous consequences. It is termed as a plague which is not only contagious but if not controlled spreads like a fire in a jungle. Its virus is compared with HIV leading to AIDS, being incurable. It has also been termed as royal thievery. The socio-political system exposed to such a dreaded communicable disease is likely to crumble under its own weight.

Corruption is opposed to democracy and social order, being not only anti-people, but also aimed and targeted at them. It affects the economy and destroys the cultural heritage. Unless nipped in the bud at the earliest, it is likely to cause turbulence shaking of the socio-economic political system in a otherwise healthy, wealthy, effective and vibrating society” AIR 2000, SC 870).

**Economic Development**

Some fairly robust statistical evidence has now been furnished showing that higher corruption is associated with higher (and more costly) public investment:

- Lower government revenues;
- Lower expenditures on operations and maintenance; and
- Ensuring lower quality of public infrastructure.
- The evidence also shows that corruption increases public investment, by making it more expensive, while reducing its productivity.

A recent study by the Peruvian economist Paolo Mauro (195 and 1998) found that a corrupt country is likely to face aggregate investment levels of approximately 5 percentage points less, than a relatively uncorrupt country. The evidence from India is particularly stark. If corruption levels in India were reduced to that in the Scandinavian countries, investments rates could increase annually by some 12 percent and the GDP growth rate by almost 1.5 percent each year (Gandhi 1997). Corruption also acts as an additional tax on investment by lowering the potential return to an investor on both the initial investment and on subsequent returns. In India, current corruption levels mean that the implicit corruption tax on investment is almost 20 percentage points (Gandhi 1997). The impact of corruption on the quality of public infrastructure is all too clearly visible in the towns

and cities of India. The Public Works Department and the State Electricity Boards which are largely responsible for the maintenance of roads and management of power distribution respectively are among the most corrupt government departments in India. In the capital city of Delhi itself the transmission and distribution losses in the power sector are estimated to be over 50% out of which almost 30% is attributed to theft which is done with the connivance of the electricity board employees. A former Chairman of the Delhi Electricity Board (DVB) was very recently suspended times more than his known sources of income. Such massive corruption is certainly one of the main reasons for perennial power shortages and frequent breakdowns in the capital. Corruption also reduces the government's resources and hence its capacity for investment, since tax revenues are depleted by tax evasion (Jain 1998.). This has two adverse effects: first, shifts away from investments in development areas occur as bribe takers are less likely to invest in activities with significant positive social benefits like education and health. Second, overall investment levels may fall, since conspicuous consumption or flight of illegal earnings is probably higher than legal earnings. The high potential for capital flight of illegal earnings makes corruptions more likely to be associated with a negative impact on the balance of payments (HDC 1999). India's Chief Vigilance Commissioner recently observed that," India's economy today is a standing monument to the corruption and inefficiency of four specific departments, namely, customs, Central Excise, Income Tax and enforcement Directorate. It is the evasion of taxes and the failure of these departments to black money in the economy. The quantum of black money has been estimated from Rs.40,000 crores to Rs.100,000 crores. Whole industries today depend on black money. The film industry, a substantial part of the construction industry and a large number of small industries are run on the basis of black money" (Vittal 1999).

#### **Social Welfare:**

Access to core social services can be easily restricted with the intention to make corrupt gains. For instance, a government doctor may deliberately store away free medicines until he is bribed, a police inspector may deny a First Information Report to a victim until he is paid a kickback, and a principal may refuse to admit a child in a school until he is paid under the counter. Since obtaining access to basic public services normally requires an illegal cash payment, corruption also raises the price of these services.

Second, in addition to a decrease in total government expenditure (due to tax evasion), corruption also shifts government expenditure from priority social sector spending to areas, where the opportunities for rent-seeking are greater and the possibilities for detection are lower. Allocating government funds to a few large defense contracts or mega-projects may seem more attractive to corrupt bureaucrats and politicians than spending the same money to build numerous rural health clinics (Bardhan, 1997). Similarly, there may be a temptation to choose more complex technology (where detecting improper valuation or over invoicing is more difficult) than simpler, and more appropriate technology.

#### **Political System:**

Politically, corruption increases injustice and disregard for rule of law. Basic human rights and freedoms come under threat, as key judicial decision are based on the extent of corrupt bribes given to court officials rather than on the innocence or guilt of the parties concerned. Police investigations and arrests may be based on political victimization or personal vendettas rather than on solid legal grounds. Commenting on the socio-political consequences of corruption the Supreme Court of India observed in the judgment cited above that corruption in a civilized society was a disease like cancer. If not detected in time it was sure to turn the polity malignant leading to 'disastrous consequences'. The apex court said a socio-political system exposed to such a dreaded communicable disease was likely to crumble under its own weight.

#### **Laws and Provisions in India to Tackle Corruption**

##### **i) The prevention of Corruption Act, 1988**

The Prevention of Corruption Act 1988 (hereinafter referred to as “the corruption Act”) was enacted to consolidate different anti-corruption provisions from various pieces of legislation under one umbrella and to make them more effective. The Corruption Act is the main law for dealing with offences pertaining to corruption in India, however many avenues of corruption cannot be dealt with under the Prevention of Corruption Act, 1988.

**ii) India and the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNCAC)**

India has welcomed the UNCAC, which provides for international co-operation and mutual legal assistance in investigating cases of corruption and recovery of assets. India signed the UNCAC in December 2005. It is the process of enactment of requisite enabling legislations by the concerned Ministries or Departments before ratifying the Convention. Once ratified, the Convention will boost India’s effort and commitment to fight corruption at both domestic and international level.

**iii) The Prevention of Money Laundering Act 2002 (Article 23 of the UNCAC):**

Many public servants are able to hold their ill-gotten wealth in foreign countries, which they subsequently transfer to their homeland through money laundering, disguising them as funds, apparently from a legal source. This act empowers the Directorate of Enforcement, India, and Financial Intelligence Unit, India, both agencies of the Government of India, to investigate and prosecute such persons under the said Act.

**iv) The Foreign Exchange Management Act 1999**

Middlemen or touts, who take huge commissions for brokering deals pertaining to purchases from foreign suppliers, often transfer such money in foreign currencies, claiming it to be the proceeds of some business abroad. This act empowers the Directorate of Enforcement, India to investigate and prosecute such persons under the said act.

**v) Transference as per law**

It is well-known fact that too much secrecy in public administration breeds corruption. The right to information act aims at ensuring efficiency, transparency and accountability in public life. This act requires all public authorities, except the ones that handle work relating to national security, to publish all information about their functioning at regular intervals through various means of communication, including the Internet. Now any person can seek any information from the concerned public authority just by filing an application at almost at no cost.

**vi) Use of Communication Technology**

The tools of communication like mobiles and other electronic devices too should be brought on record for curbing corruption. The legal provisions relating to telephonic or electronic surveillance under the Indian Telegraph Act 1885 are effectively used by the CBI to gather accurate information about corrupt activities of the public servants. After ascertaining details about various phone numbers and email identifications used by the public servant, permission of the competent authority is taken to put the same under surveillance. Information gathered during such surveillance has been successfully used in exposing big scams.

**vii) Criminal procedure - The Criminal law (Amendment) Ordinance, 1944**

The criminal procedure as per Code of Criminal procedure to curb corruption perhaps helps in eradicating problem of corruption. This is an important law on freezing, secure and confiscation of properties which are proceeds of crime, including offences under the Corruption Act. Properties can remain frozen till disposal of the case by the court after completion of the investigation. If the alleged offence is proved in the court of law and the property is proved to be the proceeds of crime, the court will order its confiscation.

**Conclusion:**

The Corruption is done by only the person having some powers, has he can have undue advantages through them. That is why corruption is generally found among either government servants or among the persons who have special powers of making ups and the downs in someone’s

life. Nobody can deny this fact that the more powers one gets the more rapidly he moves towards corruption the corrupted person neglects even the government and the law for a personal game. Prevention of corruption from public life has become so important that raising the moral standard of each individual is a very urgent need of the country today so that they may fulfill responsibility and duty towards the country. And there must be some reforms in the penal system. The punishment should provoke terror in hearts of the criminals and mischief mongers. Even the hardest punishment may be given. In its justification Cicero writes “Capital Punishment aims to prevent crime by causing the fear of death in those who might otherwise be criminal. The law courts should take a quick action on the complaints so that any criminal may not get time to give bribes.

**References:**

1. All India Reporters (AIR). SC 870 “State of Madhya Pradesh v. Shri Ram Singh”, April 2000.
2. Bardhan, Pranab. “Corruption and Development: A Review of Issues”, *Journal of Economic Literature*, 35(1997)
3. Dr. R. N. Sharma, *Criminology and Penology* Surjeet Publications, 2008
4. Gill, S.S. *The Pathology of Corruption* (New Delhi: Harper Collins, 1998).
5. Girling, John. *Corruption, Capitalism and Democracy* (London: Routledge,
6. HDC (Human Development Center). *Human Development in South Asia* (New Delhi: Oxford University Press, 1999).
7. Heidenheimer, Arnold J. *Political Corruption: A Handbook* (New Brunswick: Transaction
8. Jain, Arvind K., (Ed.). *Economics of Corruption* (New York: Kulwer Academic Publishers, 1998).
9. Kashyap, Subhash C., (Ed.). *Crime and Corruption to Good Governance* (New Delhi: Uppal
10. *Corruption and human rights*. Author- Dr Santosh Kumar Rai. Radha Publications, Delhi (2014)
11. *Corruption in India*. Author- Dipavali Debroy, Laveesh Bhandari. Konark Publishers (2012)
12. *Corruption and Good Governance in India*. Author - Dr. Shivali Agarwal, Radha publications, Delhi (2013).

# Echoes of Rebellion: The Cherur Revolt and Socio-Political Tumult in 19th-Century Malabar

**Dr. Sukesh Kumaradas**

Associate Professor, Department of Islamic History, Government College, Malappuram

## Abstract

Mappila Padapats wield substantial influence in shaping local historical struggles. Before the Malabar Rebellion of 1921, Malabar witnessed numerous anti-British uprisings. Among these, Cherur Patapattu, titled Sara Sarguna Thiru Tarula Mala, emerges as a poignant struggle poem against British occupation. The Cherur Revolt of 1843, instigated by British policies in Malabar, signalled a pivotal transformation in Kerala's political and social terrain, notwithstanding intense opposition from the authorities. The Cherur revolt is a testament to the enduring power of resistance and the transformative potential of collective action. The Patapatu tradition in Arabic Malayalam literature reflects the Mappila Muslim warrior ethos, emphasizing its cultural and historical impact. Analysing Cherur Padapat requires understanding the 19th-century Mappila socio-political context, marked by economic unrest due to foreign incursions and the East India Company's antagonism. Local rulers fell into subservience while Muslims viewed as archenemies by the British, resisted and prepared for counteractions. This resistance, shaped by existential challenges, evolved into a persistent and generational source of fervour. The Mappilas of Ernad, especially the Ernad Mappilas, occupy a crucial niche in regional history. Their lasting legacy, articulated through Mappila songs, embodies an unwavering commitment to dignity and equality. These contributions galvanize resilience and reinforce community identity, epitomizing the relentless pursuit of social justice against systemic oppression.

**KeyWords:** British, Cherur Patapatu, Muhammadkutty and Muhiudin, 1843 Cherur conflict, Mappila, Mampuram Thangals, Conversion, Martyrs.

Mappilas are deeply devoted to songs, primarily religious, that recount the battles of the Prophet as well as their own.<sup>1</sup> It indicates the importance of religion and history in Mappila culture and identity. Fawcett describes them as "Mappilas displayed an unparalleled courage and a fearless contempt for death, rarely matched by any other race in the world."<sup>2</sup> This sentiment could be based on historical accounts of Mappila resistance and conflicts, or perhaps personal observations of Mappila behavior during times of hardship or danger. The Mappilas' deep-rooted connection to religious music suggests that it serves as a powerful tool for expressing and reinforcing their faith and cultural identity. Their historical experiences and strong sense of communal belonging have likely contributed to their reputation for bravery and resilience, which may be reflected in their music as well.

The Malabar outbreaks, which have occasionally disrupted the harmony of the region since 1886, are a unique aspect of Malabar's history and culture.<sup>3</sup> However, it was particularly widespread during the years 1865 and 1878, a time marked by agricultural hardships and Mappilla uprisings.<sup>4</sup> Mappilla unrest peaked between 1830 and 1853, spanning a tumultuous eighteen-year period during which no less than twenty-two uprisings occurred, alongside numerous failed revolts and clandestine conspiracies. These events have disrupted the peace and stability of the region.

The "Cherur battle" was a historical event that followed the appearance of a figure named "Saiful Bathar." The composition of a literary work titled "Assayful Bathar"<sup>5</sup> (or "Powerful Sword") was inspired by the "Mutichira Riot" of 1841. Mutichira Riot and the Cherur battle were likely connected events, and that the figure of Saiful Bathar played a notable role in these historical occurrences. The narrative of this literary work might have had an impact on the soldiers who fought in the Cherur battle. Every piece of literature originates either directly or indirectly as a response to the prevailing power dynamics and societal circumstances. "Cherur Padapatu" constitutes a confrontational poetic composition that unreservedly interrogates the nation and its imperial

authority. William Logan refers to it as "Mappila Gitans" on pages 102–104 in his Malabar.<sup>6</sup> William Logan, in his work "Malabar," used the term "Mappila Gitans" to describe the songs or musical traditions of the Mappila community. However, this terminology was later replaced by "Mappila Pattu" following the publication of two articles by Fawcett.<sup>7</sup> Cherur Patapatu is a piece of song that was authored by individuals named Muhammadkutty and Muhiudin,<sup>8</sup> Who were native to the region. The writer has written the poem at the request of certain individuals named Kadir Sahib Markar and Kunji Mohidin, who reside in Vettat Pudiangadi. These individuals have expressed their strong approval of the poem's content.<sup>9</sup> This is the first work of Mappilapatu composed in the context of the Malabar Muslim struggle. Cherur Patapatu is a famous historical poem written in Arabic Malayalam in 1844<sup>10</sup> November 26/15th July 1845. In comparing origins, Cherur Patapatu (1844) emerges as the seminal work, predating and fundamentally shaping the Sakhum Patapatu (1848) as evidenced in their respective writings. Varisai Muhideen Pulavar wrote Sakoon Padaigor, an epic detailing King Sakoon's battle in 1686.<sup>11</sup> Sakhum Patapatu represents a transliteration composition. In 1686, Ummer Alim Labba, a scholar originally from Kayal Pattanam and later based in Ponnani, translated the Arabic Tamil work Sakoon Padaigor into Arabi-Malayalam.<sup>12</sup>

Cherur Patapatu stands as the premier composition, crafted within the terrestrial milieu of Malabar's Mappilas. It is known as Sara Sarguna Thiru Tarula Mala.<sup>13</sup> It can be generally translated as a heart-wrenching praise poem containing substantial virtues. Patapattaus are a well-presented genre of Mappila literature. This is the writing of the said category. It can be described as Kadijul Kani (first fruit) in Patapatu composed in Arabic Malayalam.<sup>14</sup> Virum and Sringaravum are the two aspects of Mappila "Mappila traditional music and storytelling."<sup>15</sup> Virum" in English means "courage" or "bravery, Sringaravum" in English means "romance" or "love. In this Patapatus represent Veera Rasa. In a sense, Patapatu is the fighting resource of the Mappilas who lived a "life of adversity, hardship, challenges, struggle. They are the reactions of responsive people. They can be seen as an expression of a people fighting against social injustices. The fact that Patapatts was born in Malabar in the 19th century, which was troubled by anti-British struggles, underlines the said reality. Patapatus developed in Malabar with Cherur patapat.

This composition centres around the conflict that transpired on October 24, 1843, near Cherur, in the vicinity of Vengara, which is now situated in the Malappuram district. The conflict involved an engagement between the British military forces and a group of Mappilas.

Thomas H. Baber, Sub-Collector of Tellicherry, fought against slavery,<sup>i</sup> and the unjust revenue assessments imposed by the East India Company on Malabar's poor farmers. Despite clashes with his superiors, he stood firm for the people's welfare. Baber describes slavery in Malabar as absolute ownership, with slaves treated like property, bought and sold like cattle for prices ranging from five to twenty rupees. The rent from leasing them out is about four fanams (two shillings) a year. He notes that there are over 100,000 slaves in Malabar, living in extreme degradation. Their physical appearance, especially in the eastern and southeastern parts, reflects their wretched condition, and Baber expresses astonishment that no legislative actions have been taken to improve their situation. Baber's use of the term "baboon" in his statement, even though he was speaking in defence of the enslaved community, is still derogatory and reflects the racist attitudes of the time.<sup>16</sup> Later in history Mr Logan, "Believed that the best solution was to create a class of peasant proprietors with permanent rights of occupancy and provide compensation for their improvements."<sup>17</sup> The relationship between *janmis* and *kanamdars* often led to social and political tensions, especially during times of economic hardship. Kanam is a tenancy agreement where a tenant (*kanamdari*) cultivates land owned by another (*janmi*) for a fixed rent.<sup>18</sup> Janmam is absolute ownership of land, granting the owner (*janmi*) complete control. Later Malabar Compensation for Tenants Improvements Act (1887) as a result of Mr. Logan's inquiries. This act aimed to address the grievances of tenants in Malabar by ensuring that they receive full market value for their improvements.<sup>ii</sup> Contemporary authors frequently attribute a substantial number of conversions to Islam to the fervent aspiration of the marginalized lower castes to liberate themselves from the

oppressive constraints enforced upon them by the stratified Hindu social order.<sup>19</sup> The conversion from lower caste to Islam is mentioned and recorded by several historians.<sup>20</sup> The observation of William Logan is that conversion to *Muhammadanism* (Islam) has also had a most marked effect in freeing the slave caste from their former burthens. By conversion, a Cheruman obtains a distinct rise in the social scale, and if he is in consequence bullied or beaten the influence of the whole Muhammadan community comes to his aid. With fanaticism still rampant the most powerful of landlords dares not to disregard the possible consequences of making a martyr of his slave.<sup>21</sup> Willaim Logan's passage presents information without expressing any opinions or judgments about slavery or religious conversion. The passage does the exact number of slaves in Ernad 35,419 of the 1857 census,<sup>22</sup> but he did not provide how many of them converted to Islam. He also indicates that strong religious or political beliefs are prevalent and fiercely held. The term "fanatical"<sup>23</sup> was often used by colonial administrators to describe indigenous populations, including Muslims, who resisted their rule. It was a way to justify their actions and portray these populations as irrational and dangerous. Landlords fear the consequences of harming slaves: Even the most powerful landlords are wary of harming their slaves because they fear the potential consequences. The expression "making a martyr of his slave" suggests that if a slave is mistreated or killed, it could lead to widespread sympathy and potentially even violence against the landlord. Landlords act with caution: The sentence implies that landlords are careful not to mistreat or harm their slaves to avoid negative repercussions. Logan's statement, coming after the Cherur Revolt, reflects the growing awareness among landlords of the potential risks associated with mistreating their slaves. The phrase "making a martyr of his slave" implies that slaves, once seen as mere property, could now evoke sympathy if mistreated or killed, potentially turning them into symbols of resistance. In the post-Cherur Revolt context, where tensions between oppressed classes and landlords were high, such actions could lead to public unrest or retaliation.

William Logan's passage suggests that the majority of slaves in the ancient Chera territory were concentrated in the Ernad, Valluvanad, and Ponnani regions.<sup>24</sup> These areas were likely considered the core of the Chera kingdom due to their historical significance. The large slave population in these regions is attributed to the conversion of slaves to Islam, which was particularly prevalent in these areas.<sup>25</sup> Throughout history, instances of societal upheaval and turmoil akin to the Cherur riots of 1843 or the aforementioned resolution have been recurrent, marked by the widespread disorientation and perplexity that gripped the collective psyche of the populace. The incitement of these tumultuous events can be attributed to the self-serving conduct of the prevailing authorities during that era, who enforced external economic and political doctrines upon the common populace, primarily for their gain and enrichment. The economic reforms instituted in the region of Malabar by both the British administration and the Janmi Madambis in Kerala exhibited a marked disposition that was conspicuously detrimental to the welfare of the general populace. These reforms exhibited an overt disregard for the intrinsic worth of human labour and placed little to no value on it. Excessive rental charges, unjust land seizure practices, recurrent evictions, and the heartless mistreatment of rural labourers fomented profound resentment and alienation among the agricultural workers and indigenous population. The Mappilas whose livelihood depended on agrarian pursuits and wage labor within the administrative divisions of Eranad and Valluvanad in the Malabar region, vociferously protested these inequities. The testimonies of T.H. Baber about an investigation conducted among the prominent denizens of Vetutnad and Shernad unveiled that, in the majority of instances, agrarian serfs were prohibited by their proprietors from engaging in labour for their benefit.<sup>26</sup> Therefore, it should evoke no astonishment that the pinnacle of caste-centric tyranny scaled the towering heights of the Himalayas.<sup>27</sup> Buchanan delineates three distinct mechanisms of slave transfer: "Jenmam" for sale, "Canum" for mortgage, and "Patom" for rent. The slaves endure exceedingly harsh treatment, evident in their diminutive physique and squalid countenance, which unmistakably reflects their acute deprivation of sufficient sustenance.<sup>28</sup> The arrival of Syed Alavi Tangal in Malabar in 1767 C.E.,<sup>29</sup> marked a pivotal moment in the evolution of anti-British



agitation, shaping the trajectory of resistance in the region. His successors, particularly the revered Mampuram Tangal, emerged as formidable figures whose influence permeated both the socio-political and religious spheres of the Mappila community. The Tangal lineage, with deep-rooted connections to Islamic scholarship and spirituality, functioned not merely as religious guides but as catalysts of socio-religious mobilization against British colonial hegemony. Their close relationship with renowned teachers and Sufi networks further amplified their role, making them indispensable architects of the resistance movement, with their spiritual leadership intertwined with the fervour of rebellion. The Mampuram Tangal, in particular, became emblematic of the fusion of religious piety and anti-colonial defiance, rendering the Tangal family a highly influential force in Malabar's historical narrative. Prominent Mappila leaders and erudite scholars, notably the Mampuram brothers, advocated for the adoption of an eight-hour concealment period. The Mampuram Thangals wielded substantial influence among the *Kiyalas*, (low caste) who had grown increasingly disillusioned with the discriminatory labour, traditional practices, and behavioural regulations imposed by the hereditary caste-based *Naduvazhi*(rulers) administration. A significant number of low castes, who grappled with ritualistic obligations such as *Ayattam* (untouchability) *Todil*, *Tindal*, and the like, embraced Islam. However, certain indigenous Hindus, who held sway as local *nadivazhis* (ruler) displayed hostility towards the eight-and-a-half and often coerced them to revert to *purva acharanchal* (old Customs), signifying adherence to outdated customs. Frequent discontentment pervaded the Mappila community, which was resolutely diverse in its religious convictions and observances, leading to their entanglement in communal hostilities. The Cherur Riot serves as a notable illustration of an incident that transpired within this complex milieu.

The Cherur Rebellion traces its origins to a highly provocative event in 1252 AH, when three men and three women, previously labourers under the Hindu Zamindar Kapratu Krishna Panikkar of Venniyur, embraced Islam under the guidance of the revered Sayyid 'Alavi Thangal at Mampuram. This conversion, with the individuals adopting the Islamic names Ahmed, Husain, Salim, Aisha, Khadeeja, and Haleema,<sup>iii</sup> exacerbated already simmering tensions between the local Hindu elite and the Mappilas. Their defection from the Zamindar's domain to the spiritual and cultural fold of Islam not only challenged the entrenched socio-religious hierarchies but also signified a direct affront to the authority and dominance of the Hindu landed gentry, sowing the seeds of violent conflict and rebellion. A parallel situation unfolded among the Christians in Travancore during the early phase of conversions, notably reminiscent of the Channar Revolt era.<sup>30</sup> The socio-political tensions and resistance faced by these early converts mirrored the struggles of the Channar community, as both groups grappled with entrenched hierarchies and oppressive systems while asserting their rights and identities. This act, viewed as a significant insubordination and threat to the established order, catalyzed a larger confrontation against British and local feudal forces, igniting one of the many uprisings that punctuated the volatile landscape of 19th-century Malabar. Some Mappilas who were enraged by this killed him on the edge of the field. Logan describes that on the 19<sup>th</sup> of October, 1843 Kunnancheri Ali Attan and five others killed one Kaprat Krishna Panikkar, the Adhikari of Tirurangadi, and proceeded at the suggestion of a seventh Mappila who joined them afterwards, to the house of a Nayar in Cherur and posting themselves in it avowed not only the murder they committed but their determination of fighting to death<sup>31</sup>

The *Amsam's Adhikari* fell victim to a heinous murder on the year 19<sup>th</sup> October 1843.<sup>32</sup> Then they went to Cherur and entered the house of a Hindu Nair chief.<sup>33</sup> The Talukdar informed the Collector about the incident of revolt. So, the company army reached Cherur and faced the rioters. Seven Mappilas who participated in the riot were also killed. The subject of this work is the fierce battle that took place on October 19, 1843, at Cherur in Malappuram district between the company of Kappat Krishna workers and the seven Mappila fighters. Cherur Pata is an incident where seven Muslims and 64 soldiers from the 5<sup>th</sup> Native infantry (Madrasi Pada), led by Captain Lead assigned to combat them, engaged in a clash in Cherur village in the Malappuram district. In this incident, one Subedar and three soldiers lost their lives on the British side, while one Englishman and seven

Taluk sepoy sustained injuries. Seven individuals on the Muslim side became martyrs.<sup>34</sup> "Prominent leaders such as Puwadan Muhiyuddin, Pattar Kadavil Hussain, and Marakkar, Muhiyuddin alias Theke Muhiyidin, along with other notable figures like Punthiritti Ismail, Ismaili's son Toppil Moosakutty, Cholakal Bukhari, and Kunnancherri Ali Assan, played significant roles in the Malabar uprising.<sup>35</sup> Logan describes. On the morning of the 24th, they assaulted the Mappilas; however, when the latter rushed out, the sepoy fled in terror.<sup>36</sup> The result was that one subedar, along with three other sepoy, was killed. Captain Leader and five other sepoy were wounded, with the former suffering injuries to his neck and stomach. In addition, seven other people were wounded, one of them seriously. A Military Court of Enquiry that was gathered at Cannanore tried the sepoy later on. The next day, a new group of thirty-five soldiers took the place of the misbehaving military unit, which had been called into Calicut.<sup>37</sup>

The Cherur riots erupted following an insult (*kuppayamuri*) by Kaprat Krishna Panicker, a Thirurangadi native, directed at a low-caste woman who had embraced Islam under the guidance of Mampuram Thangal. In a society where lower-caste women were expected to keep their upper bodies uncovered in the presence of higher-caste individuals, a Dalit woman broke with tradition by appearing before higher-caste individuals without following this rule. This act of defiance by a Dalit woman demonstrated the influence of the Mampuram clan on the lower-caste community, which encouraged them to challenge the established caste norms. The Janmi publicly humiliated the woman who approached him by tearing her shirt. The riot occurred following the enraged Muslims killing Krishna Panicker. Like the Channar riot, the Cherur incident was also a marked event in the history of Kerala. The phrase "marked events" suggests that the Channar Riot and the Cherur Incident were significant and noteworthy occurrences in the history of Kerala. These events stand out from the ordinary course of events due to their impact on society, politics, and the lives of the individuals involved. The designation of these incidents as "marked" implies that they left an indelible mark on the state's narrative, shaping its trajectory and influencing subsequent developments. Sayyid Fadl of Mampuram<sup>iv</sup> and his son Fazal Pookoya Thangal became targets in the eyes of British authorities not only for their alleged encouragement of the Mappila riots but also due to the self-belief and courage they infused into the low-caste sect through their presence and social interactions. They instilled in these individuals a sense of self-worth and empowerment, which the British authorities perceived as a threat to their control over society. The British authorities were concerned about Mampuram and his son's growing influence among the low castes. They saw this influence as a potential destabilizing factor and sought to suppress it. The British authorities sought to dispose of the bodies of the Muslims who perished in the Cherur riot by transporting them to Tirurangadi and incinerating them. Syed Alavi Thangal and his followers initiated a protest and led the army to abandon the lifeless bodies. Then the Mampuram Alavi Thangal cremated the dead bodies in Tirurangadi Manthani Paramba according to Islamic etiquette. Indian troops fighting for the British Empire, when confronted by these agitators, the sepoy army often failed or lost heart. These difficulties led the authorities to decide against sending sepoy forces on any further missions of a similar kind.<sup>38</sup>

This work was written 21 months after the riots. This work is made up of fifty-one stanzas. Shortly after it was first composed, the song was banned due to its controversial nature. As soon as the printing of the work began at Malharul Muhimmat Press in Tirurangadi, commissioned by Karakal Saeed Ali of Thalassery, the information reached British officials.<sup>39</sup> They surrounded the press and confiscated the manuscripts and printed pages. The press was confiscated as the officials feared that the work might incite the Mappilas to join an anti-British movement.

In 1843 and 1841, heavily armed sepoy, despite their overwhelming numerical superiority, hesitated to confront a small group of Sahids who were armed solely with war knives during their attack.<sup>40</sup> This work is a collection of songs written by imagining them as martyrs and heroes. This work, which posed a serious challenge to the empire and nationalism, was later banned by the British and their printed copies were confiscated. Dr P Sakkeer Hussain opines that it was not

republished in Arabic or Malayalam in its entirety after the ban.<sup>v</sup> He undertook the translation of this significant work into Malayalam, thereby contributing to the dissemination of our rich historical legacy to a global audience. He commands an unparalleled level of expertise in delivering a definitive evaluation of the Mappila community's status due to his intrinsic connection with that very community.

### **Conclusion**

Malabar came under British rule in 1792, becoming a district within the Madras Presidency. The British implemented new land revenue systems and administrative frameworks, which had negative consequences for the agrarian population. These policies exacerbated existing social tensions, leading to a state of unrest within the community. The uprisings, known as "Malabar Outrages," were characterized by sudden and sporadic acts of violence, involving both small groups and larger bands. The Mappila rebellion against British rule began with leaders like Ilambulasserri Unni Moosa and Haidrose, who led the first organized opposition in Malabar. The British attempted to suppress these revolts through force and appeasement, but the Mappilas, supported by religious figures like Mampuram Thangal, continued their struggle. Major conflicts like the Muttichira Rebellion of 1841 arose due to injustices involving the seizure of a mosque, sparking further anti-British resistance. Despite British efforts to crush these movements, Mappila insurgents remained resilient, and many martyrs were honoured by their community. The rebellion highlighted the strong Hindu-Muslim unity and religious motivation in the fight against colonial oppression. The situation in Malabar during this period was marked by a series of anti-British uprisings, including the Rebellion of 1817, Muttichira, Cherur, Manjeri, Kolathur, and Mattannur rebellions, all driven by resentment towards colonial oppression and injustices. These revolts were fueled by both religious and socio-economic grievances, with prominent leaders like Sayyid Fadhal Thangal offering spiritual support and guidance. The exiling of Sayyid Fadhal Thangal and the murder of H.V. Conolly reflected the growing intensity of resistance. The Strange Commission report attempted to address these revolts but often failed to recognize their deeper causes. While these movements had elements of peasant unrest, they were also rooted in the defense of religious and cultural identity against British interference.

The history of Malappuram, Kerala, during British rule, highlights its frequent involvement in revolts against British authority. The Mappila community in Malappuram played a significant role in these revolts, leading to the formation of the Malappuram Special Police in 1852. This special police force was established to quell the revolts and maintain British control in the region. However, it was later abolished after the 1921 revolt, and a company of Malabar Special Police was stationed in Malappuram instead. The Malappuram Special Police became a symbol of British tyranny and oppression in the region.<sup>41</sup>

The Patapatu tradition of Arabic Malayalam literature encapsulates the influence of the Mappila Muslim warrior ethos, offering a rich mix of themes that highlight their cultural and historical significance. Evaluating the historical narrative in Cherur Padapattu necessitates incorporating the contemporary Mappila social perspective and its interplay with the prevailing liberation dynamics and societal disorder. Mappila literature predominantly crystallized within the ideological milieu of 19th-century Mappila life. Economic unrest escalated amid the incursion of foreign powers. Local rulers were reduced to subservient vassalage under foreign commercial powers. From the outset of its involvement in Malabar's political sphere, the East India Company exhibited an antagonistic stance towards Muslims. The British perceived Muslims as archenemies, even as they strategically engaged with local villagers to secure dominance in Malabar's trade relations. Inevitably, a populace forcibly excluded from the sphere of social production and confronted with existential challenges will not only resist but also actively prepare for counteroffensive measures. As a persistent socio-emotional experience, it has become both generalized and evolved into a wellspring of fervour across successive generations. For the

insurgents, it signifies a fight for survival, while for the British, it is a threat that must be obliterated to prevent its contagion from spreading through the state.

In these pivotal revolts, one witnessed the *Channar Lahala*, navigating its trajectory towards Christianity, and the Cherur revolt, steering its course towards Islam" suggests that the *Channar Lahala* and Cherur revolts, two significant uprisings against caste oppression in Kerala, India, were influenced by Christianity and Islam, respectively. These revolts also were not solely driven by socioeconomic factors but also by religious ideologies and the pursuit of spiritual liberation. It's crucial to understand that the *Channar Lahala* and Cherur revolts were influenced by religion in a complicated way. Some people from these communities chose to follow Christianity or Islam, but many others continued practising their traditional Hindu beliefs. The main driving force behind these revolts was the quest for fairness and equal rights. While religious beliefs did play a role in shaping the identity and strategies of the movements, the core motivation was a shared desire for social justice and equality.

The lower-caste individuals who converted to Islam during the 1841 riot underwent a significant transformation in their character and social standing. After embracing Islam, many of them experienced an upliftment in their status, finding a more egalitarian and inclusive community. Their conversion provided an avenue to escape the harsh treatment they faced as agrarian slaves, and it enabled them to participate in a more supportive and cohesive environment within the Muslim community. While the conversion may not have eradicated all the challenges they faced, it did bring about a shift in their lives. The newfound faith offered them an opportunity for better integration and an escape from some of the social prejudices they encountered as low-caste individuals. Their experience after conversion during the 1841 riot reflects the transformative power of faith and the potential for improved social conditions when transitioning from a marginalized caste to a different religious identity.

In Malabar, the British authorities were more inclined to support the existing social hierarchy, which placed the Mappilas and low castes in a lower position. In Travancore, on the other hand, the British authorities exhibited a more progressive stance, encouraging social reforms and advocating for the upliftment of lower castes. This shift in approach can be attributed to several factors, including the influence of Christian missionaries. The contrasting attitudes of the British authorities in Malabar and Travancore reflect the complex dynamics of colonial rule in India, where the British often adapted their policies to suit the specific conditions and social structures of different regions. The British policy toward the Mappilas was complex and evolved over time, but it was generally characterized by a combination of suppression and containment. This was due to the British perception of the Mappilas as a potential threat to their rule in Malabar. The British had a contrasting approach towards the Mappilas in Malabar and the low castes in Travancore. The Mappilas were a distinct and isolated community with a strong sense of identity and history of resistance to external rule. The Mappilas were heavily involved in the Malabar peasant uprisings of the 19th century. In Malabar, the British viewed the Mappilas as a threat due to their distinct identity, history of resistance. They responded with suppressive measures such as troop deployment, martial law, and suppression of Mappila practices.

1. Indian antiquary, *A journal of Oriental Research*, Richard Carnac Temple, Ed., Vol. XXX, 1901, Fawcett, F, *War songs of the Mappilas of Malabar*, 1901, November, Education Society's Press, Bureau, London, p. 499.
2. *The Imperial and Asiatic Quarterly Review and Oriental and Colonial Record*, October 1897, F. Fawcett, *The Moplas of Malabar*, p. 288. *The Indian Antiquary*, November 1901, F. Fawcett, *War songs of the Mappilas of Malabar*, p. 499.
3. Innes C.A., *Madras District Gazetteers*, Malabar, Vol. I, reprinted by the superintendent Government Press Madras, 1951, p. 388.
4. *Ibid.*, p. 388.
5. Saiful Battar, *Archives, Department of History*, PSMO College, Scanned copy., 1857. Documentation Date: August 20, 2021.
6. William Logan, *Malabar*, in two Vols, Vol. I, 1887, Reprinted by the Superintendent Government Press, Madras, 1951, p. 102.

7. *The Indian Antiquary*, March 1899, F. Fawcett, *A popular Mopla song*, p. 64.; *The Indian Antiquary*, November 1901, F. Fawcett, *op.cit.*, p. 505.
8. Balakrishnan Vallikkunnu, *Mappila Sahithya Patanangal*, vijnanamudranam Press, Thiruvananthapuram, 2011, p. 120.
9. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 104.
10. Balakrishnan Vallikkunnu, *op.cit.*, p. 120.
11. *Islamic Studies*, Vol. 32, No.2, Summer 1993, pp. 169-189., Mahroof M.M.M., *Arabic-Tamil in south India and Sri Lanka, Language as mimicry*, p. 179.
12. Balakrishnan Vallikkunnu, *op.cit.*, p. 120.
13. *Ibid.*, p. 120
14. Sakkeer Hussain P., *Cherur Padappattu, Kanalpadhangalile Ishaljwalakal*, Mal. Ipb Books, Calicut, 2018, p. 13.
15. *Report from the selection committee of the House of Lords appointed to enquire into the present state of the affairs of the east-India company, and into the trade between Great Britain, the East Indies and China, together with the minutes of Evidence*, An Appendix, Honourable Court of Directors, 1830, London, p. 362.
16. *Ibid.*, p. 384.
17. Innes C.A., *op.cit.*, p. 232.
18. *Report from the selection committee of the House of Lords*, *op.cit.*, p. 360-
19. Innes C.A., *Madras District Gazetteers*, *op.cit.*, p. 233.
20. Arabic manuscript, *Qissat Shakarwati al Farmad: A Tradition Concerning the Introduction of Islam to Malabar*. Friedmann, Y. *Israel Oriental Studies V.*, Tel Aviv University, 1975, p. 245.
21. Panikkar K. N., *Against Lord and state Religion and Peasant uprising in Malabar, 1836-1921*, Oxford University Press, Delhi, 1989, p. 52.
22. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 149.
23. *Ibid.*, p. 148.
24. *Indian antiquary, A journal of Oriental Research*, Richard Carnac Temple, Vol. XXX, 1901, Ed., Fawcett, F, *War songs of the Mappilas of Malabar*, *op.cit.*, p. 499.
25. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 148.
26. *Ibid.*, p. 148.
27. Banaji D.R., *Slavery in British India*, Jal HD Taraporevala for D.B Taraporevala sons & co. Kitab Mahal Hornby Road, Bombay, 1933, p. 83.
28. *Ibid.*, p. 86.
29. Francis Buchanan, *A Journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar*, In III Vols, Vol. II., The honourable, The directors of the East India Company, London, Asian Educational Services, New Delhi, 1988, p. 371.
30. Panikkar K.N., *op.cit.*, 1989, p. 61.
31. Balakrishnan Vallikkunnu, *Mappila Sahithya Patanangal*, *op.cit.*, p. 127.
32. Robert L Hardgrave J.R., *The Nadars of Tamil Nadu, The political culture of a community In Change*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, p. 19.; Sage Journals, Vol. 5, Issue, 2, June 1968, [ier.sagepub.com](http://ier.sagepub.com), Robert L Hardgrave J.R., *The breast-cloth controversy: Caste consciousness and social change in Southern Travancore*, University of Texas, USA, p. 171-187.
33. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 557.
34. Innes C.A., *Madras District Gazetteers*, *op.cit.*, p. 79.
35. Hassan Nediyanadu, *Mappilapattintey Verukal Thedi*, Vachanam Books, Kozhikode, 2017, p. 87.
36. *Ibid.*, p. 87.
37. *Ibid.*, p. 87.
38. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 557.
39. *Ibid.*, p. 557.
40. Ahmed Kutty E.K., (Ed.), *Arabic in South India, Papers in honour of Prof. S.E. A Nadvi*, Department of Arabic, University of Calicut, 2003, K.M. Mohamed, *Contribution of Kerala to Arabic Literature (Prose)*, p. 87.
41. William Logan, *Malabar*, *op.cit.*, p. 104. n.1,
42. Hassan Nediyanadu, *op.cit.*, p. 87.
43. Innes C.A., *Madras District Gazetteers*, *Malabar*, *op.cit.*, p. 78.
44. Sakkeer Hussain P., *op.cit.*, p. 13.
45. Kareem C.K., *Kerala District Gazetteers*, Adoor K.K. Ramachandran Nair, State Editor,
46. *Kerala Gazetteers*, Trivandrum, The Government Press Ernakulam, 1986, p. 2

# Prurigo Nodularis and Homoeopathy : A case study

**Dr. Swapnali Tryambakrao Bathe**

Asso. Professor & HOD of Department of Surgery, PHMC Khamgaon

## **Introduction :**

Prurigo Nodularis (PN) is a chronic, benign neurodermatitis. The exact cause is unknown. Complete resolution of the nodules even with treatment do not possible in majority cases of PN. Case Summary: Here, a diagnosed case of PN of an 52 years old male with a history of 1 year old eczematous lesion is presented. In homoeopathy, medications are given on the basis of individualization. Thus, management of Prurigo Nodularis, which is challenging, i. e. there are no approved drugs that can relieve the distress as well as signs and symptoms caused by PN and its pruritus, can be successfully achieved by homoeopathy. After repertorisation of case, homoeopathic medicine Silicea was prescribed and gradually the patient showed stable improvement in the domain of signs and symptoms and reached remission by the end of 5<sup>th</sup> months. There was no recurrence over the next 1 year. It is evident from this case that Homoeopathy is effective in prurigo nodularis and encourages homoeopathic physician to undertake such cases for treatment.

**Keywords:** Case report, Homoeopathy, Silicea, Prurigo Nodularis.

## **Introduction-**

Prurigo Nodularis is described by Hyde in 1909; also known as nodular prurigo. A pruritic disorder that runs a chronic course. Hyperkeratotic, firm nodules vary in size from 0.5 to 3.0 cm and may be excoriated. Associations include atopic dermatitis or systemic causes of pruritus. Pathology consists of hyperkeratosis, hypergranulosis, and psoriasiform epidermal hyperplasia. Dermal changes include thickened papillary dermal collagen and characteristic neural hyperplasia.<sup>[1]</sup>

Alleviating the itching is an integral part of the treatment plan.<sup>[2]</sup>

Prurigo nodularis (PN) is a relatively uncommon dermatosis characterized by recalcitrant chronic pruritus and keratotic nodules. It predominantly affects middle-aged and older individuals and Africans. Multiple discrete nodules are often symmetrically distributed in scratchable areas, such as the extensor surfaces of the limbs and trunk, with fewer lesions on the harder-to-reach mid-upper back, creating the classical butterfly sign. The pruritus associated with PN is notably intense. A previous study has shown that PN exerts a more significant impact on quality of life and carries a higher risk of psychological disorders (e. g. anxiety and depression) than other pruritic dermatoses. However, its exact pathogenesis remains unknown. Current understanding suggests that a persistent "itch-scratch" vicious cycle leading to recurrent skin excoriation, crusting and thickening, is the primary driver of nodule formation. Skin neuroimmune interactions and neuronal sensitization play important roles in mediating chronic itch in PN.<sup>[3]</sup>

Nodular prurigo is characterized clinically by intensely itchy nodules which may be associated with an eczematous eruption.<sup>[4]</sup> Nodular Prurigo presents with hard warty nodules, often showing increased pigmentation. As they are very itchy, they are often ulcerated or crusted. Nodular Prurigo is very resistant to treatment.<sup>[5]</sup>

Epidemiology- Prurigo nodularis may occur at any age, but most patients are between 20 and 60 years old. Men and women are equally affected. Patients with co-existent atopic dermatitis have been found to have an earlier age of onset (mean:19years) as compared to the non-atopic group (mean:48years).<sup>[1]</sup>

Types- There are two types of prurigo nodularis: Primary and Secondary.

Primary prurigo nodularis develops independently without the presence of another health condition, whereas secondary prurigo nodularis occurs when you have another health or skin disorder that is driving symptoms.<sup>[6]</sup>

### **Etiology and Pathogenesis-**

The prurigo nodule is induced by picking and scratching most commonly, but not always, in response to itch. Various factors incite itch in both disorders, and not all are well understood. Here, prurigo nodules occur in concert with subacute prurigo, lichenification, and xerosis. "Besnier prurigo" refers to the pruriginous nodules seen in atopic dermatitis. In the non-atopic nodular prurigo group, systemic causes of pruritus, including renal insufficiency, hyper- or hypothyroidism, liver failure, human immunodeficiency virus disease, parasitic infection, or an underlying malignancy, must be excluded. Hepatitis B and C have been reported as associations without liver failure. Prurigo nodularis has also been reported to occur in the setting of celiac disease in the presence or absence of dermatitis herpetiformis.

One study of prurigo nodularis patients found that approximately one-half of 46 patients had a history of depression, anxiety, or other treatable psychological disorders. It has been postulated that neurotransmitters that affect mood, such as dopamine, serotonin, or opioid peptides, modulate perception of itch via descending spinal pathways. Obsessive-compulsive disorder has also been associated with picking in these disorders.

At a microscopic level, increased numbers of Merkel cells are also seen adjacent to the dermal nerve fibers and mast cells in prurigo nodularis. It is thought that this complex may mediate the abnormally heightened perception of touch and itch in these patients.

Nerve growth factor is overexpressed in prurigo nodularis lesions and it has been implicated in the pathogenesis of the characteristic cutaneous neural hyperplasia seen. Nerve growth factor is produced and released by mast cells, which are increased in number and size on histologic sections. It upregulates the expression of neuropeptides, such as calcitonin gene-related peptide and substance P. These are thought to mediate inflammation and itch.<sup>[1]</sup>

### **Signs & symptoms-**

Prurigo nodularis is a skin disease, especially found on forearms, legs, and neck. It can affect other areas as well. They are multiple nodular skin lesions with tiny open wounds due to intense itching. They are found in groups which may vary from a few to a couple of hundreds.

It may appear as a small, red, itchy bump about half an inch to about two centimeters in diameter, with crusting and scale in recently scratched lesions which then turn to darker and paler compared to the surrounding skin.

The skin between the nodules is usually dry with itching so intense that the patient keeps on scratching it for hours on end which sometimes leads to secondary infection.

Repetitive scratching, picking and rubbing may lead to permanent changes to the skin like nodular thickening (lichenification), hyperkeratosis, hyperpigmentation (dark pigmentation), and skin thickening in spots.

Scaly, crusted, scabbed and unhealed lesions are seen even after relieving the itch with medication. New nodules may keep on appearing but existing nodules may regress spontaneously leaving scars. This disease may run for a long time leading to stress and a lot of depression in patients.

### **Diagnosis-**

Prurigo nodularis can be diagnosed clinically by visual examination, as these are large, more or less symmetrical nodules with intense itching.

Blood tests may include full blood count, liver, kidney and thyroid function tests.<sup>[7]</sup>

A dermoscopy and skin biopsy will be performed along with a physical exam and review of your health history.<sup>[6]</sup>

### **Treatment -**

Currently, there is no cure available for prurigo nodularis. However, management is possible through behavioural and medical treatment modalities.

### **Behavioral modifications include:**

Preventing scratching by keeping fingernails short, wearing long sleeves and shirts, keeping lesions covered, and using anti-itch lotions such as calamine.

Decreasing xerosis by using gentle cleaners, keeping the skin moisturized, and avoiding activities and weather that cause sweating.<sup>[8]</sup>

#### **Patient Information-**

##### **Chief Complaints-**

A diagnosed case of PN, of an 52 years old male ,visited the OPD (on 13 April, 2023) of Panchasheel Homoeopathic Medical College and Hospital, Khamgaon, with complaints of multiple painful nodular lesions with itching over bilateral legs, flanks and back (Figures 1a,2a,3a, 4a) for 1year.The lesions exuded discharge on scratching, discharge was sticky, watery on continuous scratching and itching aggravated on scratching. Sometimes there is bleeding from lesions on severe scratching. Gradually, the patient started developing complaint of itching followed by nodular lesions with burning pain.

In this case, main clinical features itching, nodular, reddish and oozing lesions were persisting over bilateral legs, flanks, ,back since 1 year.

Self- rating, patient global assessment score (PGA, rating was scored on 0-10 scale, 'considering all the ways in which illness affects the patient', minimum and maximum scores indicates 0-very good and 10-very bad) was 6 on the first visit.

There was no significant finding in general and other systemic examinations.

**Past history** - H/O Piles(Operated for piles)

**Family history**- No major family history as such

**Drug history**-Taken Allopathic as well as Ayurvedic treatment for prurigo nodularis but no relief

**Allergic history**-Not particular

**Addiction**- No any addiction

##### **Physical generals-**

Appetite-Normal

Desire- Cold food

Aversion-Not particular

Intolerance-Not particular

Thirst-Thirsty

Bowel - Normal

Urine-Normal

Sleep-Disturbed due to itching

Dream-Not particular

Perspiration-Not particular

Thermal state- Chilly patient

**Mental generals**- He becomes irritable on slightest things. He was obstinate and confused. He felt restlessness and nervousness also.

##### **Physical Examination-**

. Built-Obese

. Blood pressure-122/80mmHg

. Pulse rate-72/min

. Respiratory rate-16/min

. Temperature-99<sup>0</sup> F

##### **Local Examination-**

Inspection - Intensely itchy nodules

Distribution - distributed over bilateral legs, flanks, back.

**Diagnosis** - Prurigo Nodularis (The case was diagnosed by a dermatologist as Prurigo Nodularis)

**Analysis of the case-**



After analysis and evaluation, the characteristic symptoms were considered for framing the totality. Irritability, confused, restlessness, nervousness, obstinate were the important mental symptoms in this case. There were multiple itching nodular lesions with burning pain over bilateral legs, flanks and back and discharge was watery, sticky on scratching lesions. Sometimes there was bleeding on severe scratching.

Miasmatic evaluation for the presenting symptom was done with the help of 'Chronic disease by Dr. Samuel Hahnemann', which showed the predominance of psoric miasm.

Selection of remedy was based on repertorisation of the case using Kent Repertory of RADAR software. The repertorisation chart is shown in Figure 5.

On the basis of repertorial analysis and after consulting Materia Medica, Silicea was selected and 200 potency in single dose was prescribed followed by placebo for 15 days on the first visit (13 April, 2023) (Table 1).

Diagnosis of this case is made on the basis of case history & clinical examination.

Table 1: Timeline including follow-up

Date	Signs and symptoms	Prescription Medicine with potency and dose
29 April 2023	Itching in lesions was reduced. Burning pain, consistency of the lesions and discharges (sticky, watery) from the lesions on legs, flanks and back were same.	Silicea 200/1dose Placebo 30/tds/15 days
15 May 2023	Itching and discharges (sticky, watery) from lesions reduced. Burning pain, consistency of the lesions on legs, flanks and back were same.	Placebo 30/tds/15 days
31 May 2023	Few new papular, itching lesions appeared on the legs. Itching, burning pain, consistency of the lesions and discharge(watery) from the lesions on flanks, back were same.	Silicea 200/1dose Placebo 30/tds/15 days
16 June 2023	No new lesions appeared. Itching, burning pain in lesions were markedly reduced and occasional discharges(watery) from lesions. Consistency of the lesions on legs, flanks and back were same.	Placebo 30/tds/15days
2 July 2023	No new lesions appeared. Discharges (watery) from the lesions of legs on scratching increased. Itching, burning pain, consistency of the lesions and discharges from the lesions on flanks, back were same.	Silicea 1M/1dose Placebo 30/tds/15days
18 July 2023	No new lesions, no discharge, no new complaints, itching in lesions was reduced, but not complete relief in itching.	Placebo 30/tds/15days
3 August 2023	No new lesions, no discharge, no new complaints, itching in lesions was reduced but slight itching was there.	Placebo 30/tds/15 days
19 August 2023	No new lesions, no discharge, no new complaints, itching in lesions was reduced but not complete relief in itching.	Silicea 200/1dose Placebo 30/tds/15 days

4 September 2023

No new lesions, no discharge, no itching, no new complaints (Figures 1b, 2b, 3b and 4b). Sound sleep. Overall patient was better.

Placebo 30/tds/15 days



Figure 1: (a) Pre-treatment b/l leg, (b) post-treatment b/l leg




Figure 2: (a) Pre-treatment left flank (b) post-treatment left flank




Figure 3: (a) Pre-treatment right flank (b) post-treatment right flank



Figure 4: (a) Pre-treatment back (b) post-treatment back

**Discussion-**

This case report demonstrates the usefulness of homoeopathic treatment in Prurigo Nodularis in comparison to other treatments which yielded no relief. In this case, Silicea in 200C and 1M potencies was prescribed, which covered the totality of symptoms of the patient and it has shown positive results.

Improvement status of the patient was assessed on the basis of self-rating scale i.e., patient global assessment score with pretreatment score being 6 which was reduced to 0 post-treatment.

In this case, the total score of outcome as per Modified Naranjo Criteria was 8, which was close to the maximum score of 13. This explicitly shows the causal attribution of the single medicine homeopathic treatment Silicea towards remission of the PN in this case (Table 2).

The general approach in homeopathy towards treatment is "The real sick man is prior to the sick body." [9] In this case, important mental generals, physical generals and particulars i. e. irritability, confused, restlessness, nervousness, obstinate, desires cold food, skin induration nodules, skin eruption burning. Skin eruption itching were included for repertorisation purpose.

There is no definite diagnostic criteria and treatment regimen for PN so such cases are generally poorly managed. Individualised medicine helps the body to heal itself and hence can serve as a possible treatment option for PN.

Table 2: Assessment by Modified Naranjo Criteria score

		Yes	No	Not sure or N/A
1	Was there an improvement in the main symptom or condition for which the homeopathic medicine was prescribed?	+2		
2	Did the clinical improvement occur within a plausible time frame relative to the drug intake?	+1		
3	Was there an initial aggravation of symptoms? (need to define in glossary)		0	
4	Did the effect encompass more than the main symptom or condition, i.e., were other symptoms ultimately improved or changed?	+1		
5	Did overall wellbeing improve? (suggest using validated scale)	+1		
6	A) Direction of cure: did some symptoms improve in the opposite order of the development of symptoms of the disease?			0
6	B) Direction of cure : Did at least two of the following aspects apply to the order of improvement of symptoms From organs of more important to those of less importance From deeper to more superficial aspects of the individual From the top downwards			0
7	Did "old symptoms" (defined as non-seasonal and non-cyclical symptoms that were previously thought to have resolved) reappear temporarily during the course of improvement?		0	
8	Are there alternate causes (other than the medicine) That with a high probability could have caused the improvement? (consider known course of disease, other forms of treatment, and other clinically relevant interventions)		+1	
9	Was the health improvement confirmed by any objective evidence? (e.g., lab test, clinical observation, etc.)	+2		
10	Did repeat dosing, if conducted, create similar clinical improvement?		0	

Total score- 8




Figure 5: Repetorisation chart

**Conclusion –**

It is evident from this case that Homoeopathy is effective in prurigo nodularis and encourages homoeopathic physician to undertake such cases for treatment. There is a scope of further research in Homoeopathy in Prurigo Nodularis.

**Declaration of patient consent**

The authors certify that they have obtained patient consent and the patient has given his consent for his photographs and other clinical information to be reported in the journal. The patient was made to understand that his name and initials will not be published and due efforts will be made to conceal his identity.

**References-**

- [1] Klaus Wolff,Lowell A. Goldsmith,Stephen I. Katz, Barbara A. Gilchrest Amy S. Paller, David J. Leffell;Fitzpatrick's Dermatology In General Medicine; Volume One ; Seventh Edition; p.160-161.
- [2] What is Prurigo Nodularis? Available from : LinkedIn- www.linkedin.com/pulse/what- prurig....
- [3] Molecular mechanisms of pruritus in prurigo nodularis- Frontiers; volume 14-2023. Available from : www.frontiersin.org
- [4] Prurigo - GPnotebook; 1 Jan. 2018. Available from: gpnotebook. com/pages/dermatology.
- [5] Clin. Assoc. Prof. Amanda Oakley, Dermatologist, Hamilton, New Zealand; Prurigo: Signs and Symptoms – DermNet; 2009. Available from : dermnetnz.org/topics/prurigo
- [6] Angelica Bottaro; Prurigo Nodularis: Symptoms, Diagnosis and Treatment; Updated on March 04,2023. Available from : www.verywellhealth.com
- [7] American Osteopathic College of Dermatology; Prurigo Nodularis. Available from : www.aocd.org/page/PrurigoNodularis
- [8] Source : NORD-National Organization for Rare Disorders (2021,June 28); Prurigo Nodularis; Retrieved February 6,2022. Available from: https://rare diseases.org/rare-diseases/prurigo nodularis.
- [9] Kent JT; Lectures on Homoeopathic Philosophy; reprint edition : October 2016 ; Mayur Jain Indian Books & Periodicals Publishers (P) ; p.9.

## शहरी गरीब : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

डॉ. हर्षद भोसले

डॉ. रविंद्र जाधव

प्रा. संजय गायकवाड

### गोषवारा

महानगरीय भागातील झोपडपट्ट्या हटविण्याची 'सौंदर्यपूर्ण प्रेरणा' आहे. आधुनिक सभ्यतेच्या अनुमानित मानकांनुसार आणि सरळ रेषांच्या आधुनिकतावादी सौंदर्यशास्त्रानुसार, मोकळ्या जागा आणि दृश्यमान क्रमाने शहरी नियोजक झोपडपट्ट्यांना सध्याच्या शहरी लँडस्केपमध्ये विकृती मानतात. त्यामुळे, झोपडपट्ट्यांमध्ये अनेकदा पाहिल्याप्रमाणे सरकारे आणि स्थानिक एजन्सी देखील स्थानिक रहिवाशांच्या (किंवा त्यांच्या सहभागाशिवाय) संमती आणि सहमतीशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रमांद्वारे या भागात पुनर्बांधणी आणि नवीन स्थानिक आदेश लागू करण्याच्या दिशेने त्यांचे प्रयत्न निर्देशित करतात. भूतकाळात, झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सरकारने प्रदान केलेल्या, नियोजित निवासस्थानांमध्ये स्वेच्छेने पुनर्वसन करण्याची परवानगी देण्यासाठी अशा अनेक योजना तयार केल्या गेल्या आहेत. अनेक झोपडपट्ट्यां आता कमी-उत्पन्न गटातील वस्तीत विकसित झाल्या आहे, ज्यांचे रहिवासी पुनर्वसन करू इच्छित नाहीत, तरीही जमिनीवरील बेकायदेशीर कब्जांची चिंता अद्याप सुटलेली नाही. अशा वेळी कायदा स्वतःच्या स्वभावाने - शहरी गरिबांच्या हक्काचे आणि उपजीविकेचे रक्षण कसे करतो? हे सांगण्याची गरज नाही. अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना काही कायदेशीर अधिकार आहेत जे अधिकारी नाकारू शकत नाहीत. अगदी मूलभूत स्तरावर, ही कायद्याची स्थिर स्थिती आहे. घर आणि निवारा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य घटक आहे. याचा अर्थ झोपडपट्टीतील रहिवाशांना बेदखल करण्यापूर्वी सुनावणी आणि सूचना देण्याचा अधिकार मिळायला हवा. या शिवाय, रहिवाशांना समान किंवा पुरेशा पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचा अधिकार आहे.

### प्रस्तावना

दुसऱ्याच्या जागेवर झोपडया बांधण्याला सुरुवात मुंबई व पुण्यामध्ये 1947 च्या आधीपासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून झाली व वाढत राहिली. 1970 च्या मोक्या दुष्काळात महाराष्ट्र बिहार, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेशाच्या विविध भागातून अनेक अल्प उत्पन्न कुटुंबे आश्रयाच्या शोधात पुण्यात असलेल्या ओसाड जमिनीवर ताबा मिळवला व अनेक वस्त्याचा पाया रचला गेला. आज या भागास झोपडपट्टी म्हणून ओळखले जाते. झोपडयांची पहिली अधिकृत खानेसुमारी जानेवारी 1976 मध्ये राज्य सरकारतर्फे केली गेली. त्यावेळी छोट्या छोट्या वस्त्यामध्ये 9,02,015 झोपडयांची नोंद करण्यात आली. भविष्यकाळात वसाहतींच्या दृष्टीने या झोपडयांना ओळखपत्रे देण्यात आली. 1976 च्या गणनेनुसार जे झोपडीवासी होते ते सर्व झोपडी सुधारणा योजनेसाठी पात्र होते. या सुधारणांत झोपडपट्टी सुधारणा, 2,335 पुनर्विकास आणि पुनर्वसन यांचा अंतर्भाव होता. सरकारने त्यावेळेस असे निश्चित केले होते की, इथून पुढची अतिक्रमणे परिणामकारकपणे व कठोरपणे थांबवली जातील. सुरुवातीस जरी कठोरपणे झोपडवासीयाना बाहेर काढून काही जागा रिकाम्या केल्या गेल्या तरी झोपडया शहराच्या इतर भागांत पुनःप्रस्थापित झाल्या व त्यांची वाढ चालूच राहिली.

### पार्श्वभूमी

पत्रास टक्क्याहून अधिक झोपडया या खाजगी जागांवर उभ्या राहिल्या, त्या मागोमाग नगरपालिकेच्या जमिनीवर 76.6% तर इतर ठिकाणी 21.1% झोपडवासी रहात होते. जनता वसाहत, पर्वती टेकडीच्या पायथ्याशी असलेली पुण्यातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही अनधिकृत वस्ती मानली जात होती. 1974 मध्ये ही वस्ती पाडण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले. मात्र, त्यानंतरच्या स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया रूखडली, त्यानंतर ती झोपडपट्टी म्हणून अधिसूचित करण्यात आली. तेव्हापासून, 1974 ते 2018 या काळात, पर्वती टेकडीच्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी 'झोपडपट्टीचे पुनर्वसन' करण्याच्या विविध राज्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्नांच्या विरोधात त्यांचा निवारा आणि रहिवासी समुदाय टिकवून ठेवण्यासाठी त्रासदायक

प्रवास केला. 1980 च्या दशकातील पुनर्वसनाचा प्रयत्न भूसंपादन प्रकल्पापासून सुरू झाला. ज्याने झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात HUDCO(गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ) गृहकर्ज आणि नवीन निवास व्यवस्था प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास 50% रहिवाशांनी योजनेत सहभागी होण्यास नकार दिला. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील संरचनात्मक त्रुटींमुळे उर्वरित अर्ध्या भागांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रयत्न अयशस्वी ठरलेल्या योजनेच्या भयंकर अंमलबजावणीवर निषेध आणि खटले सुरू झाले. 1987 मध्ये, पुणे महानगरपालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाचे प्रमुख, किंकर यांनी 1 रुपये/चौरस फूट या दराने अतिरिक्त जमीन खरेदी करून ती जागा जनता वसाहतच्या रहिवाशांना देण्याचा प्रस्ताव ठेवला जेणेकरून झोपडपट्टीतील संपूर्ण लोकसंख्या तिथून हलवता येईल. प्रत्येक कुटुंबाला पर्वती टेकडीवरील जमीन स्थलांतरित करण्यासाठी आणि रिकामी करण्यासाठी एक भूखंड देण्यात आला. जेथे शेवटी एक उद्यान बांधले जाऊ शकते असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

रहिवाशांनी आपली मालमत्ता सरकारकडे सोपवण्याऐवजी जनता वसाहत येथे आपल्या नातेवाईकांना घरी स्थायिक करण्यासाठी बोलावल्याने अडचणीत वाढ झाली. दूरवरची कुटुंबे आता त्यांच्या घरात राहत असल्याने, जुने रहिवासी सरकारने दिलेल्या या नव्याने संपादित केलेल्या जमिनीवर गेले. त्यामुळे, पुनर्वसनाचा दुसरा प्रयत्न अयशस्वी झाला. अशा योजनांच्या अपयशामुळे पुनर्वसन सुरू करण्याच्या अटींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची जोरदार मागणी झाली आहे. जनता वसाहत (आणि यासारख्या अनेक वस्त्या) केवळ 'झोपडपट्ट्या' किंवा 'शहरी विकासाच्या नियोजित मॉडेल'च्या बाहेर पडलेल्या बहिष्कृत वस्त्या कशा नाहीत हे मान्य करणे आणि समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे स्थलांतरितांच्या घट्ट विणलेल्या समुदायाची एक प्रातिनिधिक रचना आहे ज्यांनी पुण्याच्या शहरी लँडस्केपमध्ये स्वतःसाठी एक स्थानिक ओळख निर्माण केली आहे. हे निवासी-सामाजिक संपर्क संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि इतर राज्यांतून पुण्यात आलेल्या सर्व स्थलांतरित कामगारांसाठी एक दिलासा आणि संधीची भूमी तर आहेच, पण त्यांची उपजीविका वस्तीतच खोलवर रुजलेली आहे. त्यांनी या मोठ्या वसाहतीमध्ये दुकाने आणि इतर लहान-मोठ्या किरकोळ व्यवसाय कसे उघडले आणि या व्यवसायांमधून ते जे काही कमावतात त्यावरून त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करतात.

### स्थलांतरित लाटांचे ट्रेड

अनेक कुटुंबांनी स्वतःसाठी चांगले जीवन जगण्यासाठी त्यांच्या गावातून झोपडपट्टीमध्ये स्थलांतर केले आणि हे असे ठिकाण बनले जेथे त्यांना घर, पाणी, वीज, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी सुविधांसह तुलनेने अधिक आरामदायी जीवन जगण्याची संधी मिळाली. या सर्व दशकांमध्ये विकास त्यांना या 'सार्वजनिक' वस्तू पुरवू शकला आहे. कारण झोपडपट्टीमधील अनेक रहिवासी जेव्हा त्यांना विस्थापित करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलतात तेव्हा ते हलण्यास नकार देतात. पूर्वी जनता वसाहत येथे राहणारे बांगडी विक्रेते रफिक मणियार\* म्हणतात "आमच्याकडे पाणी, वीज उपलब्ध आहे, बस स्थानक येथून जवळ आहे, रेल्वे स्टेशन जवळ आहे... आम्हाला या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, मग का बिल्डर्स आम्हाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत राहतील का, पण त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला जनता वसाहतमधील 70% लोकांची गरज आहे, त्यामुळे असा कोणताही उपाय नेहमीच खंडित होतो. विकसनशील शहरी अर्थव्यवस्थांमधील शहरीकरण प्रक्रियेत निःसंशयपणे ग्रामीण-ते-शहरी स्थलांतर होते. या स्थलांतरित लाटांचे ट्रेड अर्थातच अनेक दशकांमध्ये बदलले आहेत. 1960 आणि 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस (जनता वसाहतमध्ये पाहिल्याप्रमाणे) नैसर्गिक आपत्तींमुळे किंवा रोजगाराच्या चांगल्या संधींच्या अभावामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांचे स्थलांतर जवळच्या शहरी भागात झाले.

या स्थलांतरामुळे शहरी लोकसंख्येची पातळी वाढली आणि बांधकाम आणि रिअल इस्टेटमधील कामासाठी उद्योगांना स्वस्त मजूर उपलब्ध करून देऊन शहरी विकासाला चालना दिली. तथापि, अशा स्थलांतराच्या स्थानिक प्रभावाने आधुनिक टोपोलॉजिकल कॉम्प्लेक्समध्ये चांगले बदल केले, कारण अनेक महानगरीय भागात कमी-उत्पन्न वस्तीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या पातळीत, परवडणाऱ्या घरांची मागणी, विशेषतः शहरांमध्ये, अपूर्ण राहिलेली आहे. कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे बहुधा विस्कळीत वस्ती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याचा अवलंब करतात. कालांतराने अशा तात्पुरत्या

वस्त्यांचे रूपांतर अर्ध-पक्की घरे आणि झुगुगींच्या चक्रव्यूहात झाले आहे. शहरी युटोपियामध्ये उंच गगनचुंबी इमारती आणि चौपदरी रस्ते यांच्यामध्ये झोपडपट्ट्यांची उपस्थिती विरोधाभासी आहे. परिणामी, स्थलांतरित आणि त्यांच्या मोठ्या वस्त्या ज्या पूर्वी शहरीकरण प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक होत्या त्या आता शहरी नियोजनास अडथळा आणणारे अडथळे समजले जातात. त्याच वेळी, झोपडपट्ट्यांबाबत भारत सरकारची चिंता ही एक गुंतागुंतीची, बहुस्तरीय समस्या आहे. बहुतेक झोपडपट्ट्या राज्य प्राधिकरणांच्या मते, पुण्यातील झोपडपट्ट्यांसह, 'शहरी जमिनीची वाया गेलेली क्षमता' दर्शवतात. कारण वस्त्यांमध्ये मोठी जागा व्यापलेली आहे. जी शहरी नियोजनादरम्यान इतर कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, या जागेचा उपयोग सार्वजनिक रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी, सार्वजनिक कार्यालये आणि इमारती बांधण्यासाठी केला जाऊ शकतो. बहुतांश अधिकाऱ्यांनी कबूल केले की 'चांगल्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण विकास योजना' नसताना, जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा आणि अतिक्रमणे या प्रमुख समस्या बनल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद सारखी शहरे.

महानगरीय भागातील झोपडपट्ट्या हटविणे 'सौंदर्यपूर्ण प्रेरणा' देखील आहे. आधुनिक सभ्यतेच्या अनुमानित मानकांनुसार आणि सरळ रेषांच्या आधुनिकतावादी सौंदर्यशास्त्रानुसार, मोकळ्या जागा आणि दृश्यमान क्रमाने शहरी नियोजक झोपडपट्ट्यांना सध्याच्या शहरी लँडस्केपमध्ये विकृती मानतात. त्यामुळे, वसाहतमध्ये अनेकदा पाहिल्याप्रमाणे सरकारे आणि स्थानिक एजन्सी देखील स्थानिक रहिवाशांच्या (किंवा त्यांच्या सहभागाशिवाय) संमती आणि सहमतीशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रमांद्वारे या भागात पुनर्बांधणी आणि नवीन स्थानिक आदेश लागू करण्याच्या दिशेने त्यांचे प्रयत्न निर्देशित करतात. भूतकाळात, झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सरकारने प्रदान केलेल्या, नियोजित निवासस्थानांमध्ये स्वेच्छेने पुनर्वसन करण्याची परवानगी देण्यासाठी अशा अनेक योजना तयार केल्या गेल्या आहेत.

जनता वसाहत आता अधिक विकसित कमी-उत्पन्न वस्तीत विकसित झाली आहे, ज्यांचे रहिवासी पुनर्वसन करू इच्छित नाहीत, तरीही जमिनीवरील बेकायदेशीर कब्जांची चिंता अद्याप सुटलेली नाही. अशा वेळी कायदा स्वतःच्या स्वभावाने - शहरी गरिबांच्या हक्काचे आणि उपजीविकेचे रक्षण कसे करतो? हे सांगण्याची गरज नाही. जनता वसाहतमध्ये राहणाऱ्यांना काही कायदेशीर अधिकार आहेत जे अधिकारी नाकारू शकत नाहीत. अगदी मूलभूत स्तरावर, ही कायद्याची स्थिर स्थिती आहे घर आणि निवारा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य घटक आहे. याचा अर्थ झोपडपट्टीतील रहिवाशांना बेदखल करण्यापूर्वी सुनावणी आणि सूचना देण्याचा अधिकार मिळायला हवा. या शिवाय, रहिवाशांना समान किंवा पुरेशा पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे प्रभावी पुनर्वसनावर न्यायालयांनी वेळोवेळी भर दिला आहे. निवारा व्यतिरिक्त, उपजीविकेच्या अधिकाराबाबत दीर्घकालीन न्यायशास्त्र देखील आहे. ओल्गा टेलिस वि. युनियन ऑफ इंडिया मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, उपजीविकेचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. जो कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय लोकांना बेदखल करून नाकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जनता वसाहत सारख्या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना 1984 च्या पुनर्वसन प्रकल्पादरम्यान झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी आणि असंवैधानिक कृतींपासून संरक्षण मिळते.

तथापि, या 'हक्कां'बद्दल समुदायांमध्ये जागरूकता नसणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे दावा करणे हा आहे. अशा लोकसंख्येसाठी केवळ वसाहतमध्येच नव्हे, तर शहरातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थानिक, कमी उत्पन्न असलेल्या स्थलांतरित गटांना मोठ्या भांडवलदार बिल्डर्स सारख्या 'हितसंबंधित गटां'विरुद्ध मदत करू शकतील अशी कोणतीही कायदेशीर कार्यकर्ते किंवा कायदेशीर मदत केंद्रे उपलब्ध नाहीत. महानगरपालिकाभूतकाळातील पुनर्वसनाचे प्रयत्न विस्थापित झालेल्या समुदायांच्या उपजीविकेच्या आणि कल्याणाच्या खर्चावर आले आहेत. जनता वसाहतमध्ये राहणारे स्वतःला भाग्यवान समजू शकतात. 'राज्य' आणि 'रहिवासी' लढाई म्हणून, अधिक समावेशक, आणि विचारपूर्वक, शहरी पुनर्विकास आणि अपग्रेडेशनसाठी सर्वसहमतीच्या नेतृत्वाखालील योजना विचारात घेतल्यास, संपूर्ण पुनर्वसन विवेकपूर्ण पर्याय असू शकतात.

या झोपडपट्ट्या ज्या जमिनी विकासासाठी योग्य नाहीत अशा जमिनीवर बहुतेककरून होत्या; उदा. कमी उंचीच्या ओसाड जागी, टेकड्यावरील उतार, किवा रेल्वे मार्गाच्या बाजूला झोपडपट्टीच्या खानेसुमारीत पदपथावर राहणाऱ्यांच्या समावेश होता. ज्या खाजगी जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी म्हणून विकास योजनेत राखून ठेवल्या होत्या, अशा जागांवर बहुतेक झोपडपट्ट्या उभारल्या गेल्या. या झोपडपट्ट्यांतील संख्येच्या घनतेत खूपच तफावत होती. ही घनता 450 ते 500 झोपड्या प्रति हेक्टर जागेत अशी होती की, 10 ते 15 % झोपडीवासी त्या वस्त्यांतच काम करतात. पुणे व पिंपरी-चिंचवड सारख्या ठिकाणी झोपडपट्ट्यांची खूप गर्दी झाली आहे. या क्षेत्रास ना सरकारचे सहाय्य, ना कोणत्या कायद्याची आडकाठी.

प्रत्येक झोपडीचे सरासरी क्षेत्रफळ 12.5 चौ. मीटर व फक्त 12.72 % झोपड्या या पक्क्या मालाने (वीट, चूना, सिमेंट वगैरे) बांधलेल्या आहेत. भाड्याने देण्याचा उद्योग हा इथे महत्वाचा होता कारण 28 % लोक भाड्याने राहतात. इथली आरोग्य व्यवस्था अत्यंत निकृष्ट व पाणीपुरवठाही अपुरा, सार्वजनिक नळाद्वारे मिळणारा. सुमारे 48% घरे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या मालकीची व 39 टक्के घरे कमी उत्पन्नवाल्या लोकांच्या मालकीची. यातली 70 % कुटुंबे 1960 नंतर पुण्यात आली व 50% स्थलांतरीत देशाच्या अन्य राज्यातून आले आहेत. सामुदायिक जीवन जगण्याच्या भावनेने, झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे की ज्यांना या कार्यक्रमाची सर्वात जास्त गरज आहे. ज्यांना शांत, अनेकदा 'आवाजहीन' शहरी-गरीब "इन-सिटू" झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रम (ISSR) चा एक भाग म्हणून 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सर्वांसाठी घरे' मिशन अंतर्गत आता यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश जमिनीच्या बंद संभाव्यतेला मुक्त करणे आहे. झोपडपट्ट्या रहिवाशांना औपचारिक नागरी वस्तीत आणताना. हे धोरण अधिक आशादायक वाटत असले तरी, रहिवाशांना अशा धोरणात्मक कार्यक्रमांशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक आणि अगदी मनोवैज्ञानिक आधार देखील प्रदान करणे अत्यावश्यक आहे. गृहनिर्माण धोरणे न्याय्य, वाजवी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार असणे आवश्यक आहे. वास्तविकता, दुर्दैवाने, यापासून दूर दिसते. शहरी गरीबाचा अभ्यास करणारी सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक्स स्टडीज (CNES), सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज अँड अँक्टिव्हिटीज (CDSA) पुणे, आणि MASHAL ही पुण्यातील NGO संशोधनात अत्यंत मोलाची भूमिका पार पाडत आहेत.

### सरकारी मदतीचे धोरण व पार्श्वभूमी

निवाऱ्यासाठी जागतिक धोरणाला अनुसरून भारत सरकारने 1988 मध्ये राष्ट्रीय घरबांधणी धोरण (राष्ट्रीय घर बांधणीधोरण) आखले. राष्ट्रीय घर बांधणी धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरील निवारा धोरण म्हणून काम करील व देशामध्ये सर्वांगीण घर बांधणी विभागाच्या विकासासाठी एक विशाल धोरण म्हणून उपयोगी पडेल. यावर आधारित असा स्वतःचा घरबांधणी कार्यक्रम राज्य सरकारे विकसित करतील. आपापल्या राज्यातील घरबांधणी समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या धोरणांचा आवाका सुसंगत ठेवतील. घरांची सर्वसाधारण मागणी लक्षात घेऊन त्यासाठी घरांचा पुरवठा करणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल; व त्यायोगे अधिक झोपड्यांची व अतिक्रमित वस्त्यांची वाढ नियंत्रित केली जाईल.

भारत सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय घरबांधणी धोरणाचे अनेक उद्देश होते. उदा.

1. घरबांधणी विभागाच्या विकासात शहरी गरीब घटकांना सहभाग घेण्यास मदत करणे. त्यासाठी त्यांना जमीन, घरबांधणी साहित्य व आर्थिक सहाय्य देणे.
2. घरबांधणी विभागात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देणे.
3. संबंधित बाजारपेठांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करून मदतीचे वातावरण तयार करण्यासाठी सध्याच्या नियमाना बाजूस सारून नवीन नियम करणे.
4. प्राथमिक सेवा उपलब्ध करून मानवी वस्त्यांच्या भोवतालचा प्रदेश सुधारणे. (जीओआय)

ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी राष्ट्रीय घर बांधणी धोरणाप्रमाणे (एनएचपी) काही धोरणे पुरस्कृत केली. उदा. जमिनीचा उपभोगकाल नियमित करणे, घरबांधणीसाठी विशेष आर्थिक व्यवस्था सुरु करणे, भाडेतत्वावरील घरांच्या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन, सहकारी व एकत्र येऊन केलेल्या घरबांधणीस प्रोत्साहन, बिगर सरकारी संस्थांच्या (एनजीओस) सहभागाचे संस्थाकरण, अयोग्य कायद्याचे नियंत्रण काढून टाकणे, तसेच बाजारपेठेच्या कार्यक्षमतेच्या आड येणारे नियम काढून टाकणे व उच्च उत्पन्नवाल्यांच्या घरबांधणीवर नियंत्रण आणणे



(जीओआय 1988) एनएचपी ने शहरी गरीब समाजास पुरेशा घराची उपलब्धता यांची आवश्यकता व निकड यावर भर दिला आहे. घरबांधणी समस्येकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विशेष धोरणांची शिफारस एनएचपी ने केली आहे. ती अशी झोपडपट्टी सुधारण्यासाठी असलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात वाढ करणे, जमीनीला उपभोगकाल प्रदान करणे, आर्थिक संस्थांकडून मिळू शकणाऱ्या भांडवलाची सहज उपलब्धता, घर बांधणीसाठी बचत योजनांची संस्थापना, व या सर्वात समाजाचा सहभाग वाढविणे. (जीओआय 1988) केवळ घरबांधणीसाठी 'नॅशनल हाउसिंग बँक' या अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थेची स्थापना हे एनएचपी बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. एनएचपी निर्माण करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट घराघरातून बचत गोळा करून तसेच भांडवली बाजारातूनही निधी जमवून त्याची पुनर्गुतवणूक घरबांधणी विकासासाठी करावयाची व अशा तऱ्हेने एनएचपी ने विशाल आर्थिक विकासात सहभागी होऊन घरबांधणी कार्यक्रमास मदत करावी हे होते यामुळे आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी खत्रीपूर्वक हातभार लागेल.

घरबांधणी विभागाचा विकास खाजगीकरणातून व्हावा यावर एनएचपीचा भर होता. त्याचप्रमाणे घरबांधणी अर्थ व्यवस्थेची निर्मिती यावरही भर होता. यायोगे जमीन व घरबांधणी सुधारणांची अंमलबजावणी करून लोकाना परवडणाऱ्या दरात घरबांधणीसाठी अर्थपुरवठा होऊ शकेल. एनएचपीने त्यांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून एनजीओचा सहभागास प्रोत्साहन देणे हा होता. या एनजीओनी घरबांधणीचा तसेच शहरी गरीबांसाठी नागरी सेवा योजनांचा प्रस्ताव तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि व्यवस्थापन करणे अपेक्षित होते. तसेच शहरी गरीबांसाठी साधनांची जमवाजमव करून त्यांना घरबांधणीस क्षेत्राच्या विकासात सहभागी करून घेणे अशा प्रकारचा मोठा सहभाग एनजीओ कडून अपेक्षित होता. एनएचपीने घरबांधणी संस्थांना व क्षेत्र विकास प्राधिकरणांना आपली भूमिका अशा तऱ्हेने बदलायला सांगितले की, त्यांनी घरे पुरवठादार बनण्यापेक्षा जास्त मदतनीस म्हणून काम करावे. अशा तऱ्हेने राष्ट्रीय झोपडपट्टी धोरण (नॅशनल स्लम पॉलिसी) जे भारत सरकारने सूत्रबद्ध केले होते. त्याने आपली भूमिका घरबांधणी अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी साधन सामुग्रीचे पुनर्विभाजन करण्यासाठी अधोरेखित केली. तसेच विकासाच्या प्रक्रियेस अडथळा ठरणाऱ्या निवडक नियमांची हकालपट्टी संस्थाविषयक सुधारणा पुढे आणून संस्थाविषयक व्यवस्थांचे विकेंद्रीकरण करणे व सरकार, खाजगी विभाग, समाज व एनजीओ यांच्यामध्ये एकमेकास जोडणारी साखळी निर्माण करणारी संस्थाविषयक रचना निर्माण करणे हे पण अपेक्षित होते.

### **झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना**

महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्र. झोपुप्रा-2004/ प्र.क्र-213/झोपसू-१, दि.30 जून, 2005 अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 च्या कलम 3 अ नुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

### **झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना:-**

महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक क्र. झोपुयो-1001/प्र.क्र.125/14/झोपसु-1 दि.16/05/2015 अन्वये दि.01/01/2000 या अर्हता दिनांका रोजी अथवा त्यापूर्वी आस्तित्वात असलेल्या शासकीय, निमशासकीय व खाजगी जमिनीवरील घोषित तसेच गणनाकृत झोपडीत सध्या प्रत्यक्ष रहात असलेल्या झोपडीवासियांचा निवारा संरक्षित करण्यात आला आहे. दि.01 जानेवारी 2000 रोजी किंवा त्यापूर्वीपासून झोपडपट्टीत बास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्टीवासियांचे शक्यतो त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टीने व्यापलेल्या जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर करून त्यासाठी जास्तीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करून झोपडीधारकांना 269 चौ. फूट (25 चौ मी.) चटईक्षेत्र असलेली आवश्यक सोयी सुविधायुक्त सदनिका विनामूल्य मालकी हक्काने देण्यासाठी सदर योजना महाराष्ट्र शासनाने अमलात आणलेली आहे.

### **योजनेचा उद्देश :-**

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतर्गत झोपडपट्टीवासियांना आवश्यक सोई-सुविधायुक्त मालकीचे घर विनामूल्य उपलब्ध करून देऊन झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे तसेच शहर झोपडपट्टी मुक्त करणेसाठी कार्यवाही करणे.

### **झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची रचना व व्याप्ती:-**

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची प्रभावीपणे व शीघ्रगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना

करण्यात आली आहे. शासन मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), मा.राज्यमंत्री (नगरविकास), मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन मा. प्रधान सचिव/सचिव(गृहनिर्माण), मा. प्रधान सचिव/सचिव महसूल, प्रधानसचिव/सचिव (विकास),मा. आयुक्त, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मा. जिल्हाधिकारी, पुणे हे सदर प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत,मा.आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांची प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपड्यांचे पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आलेले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास सहाय्य करण्यासाठी मा. पालकमंत्री, पुणे जिल्हा यांचे अध्यक्षतेखाली सहाय्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व सन्माननीय लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, मा. महापौर-पुणे महानगरपालिका, मा. महापौर-पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, मा.पोलीस आयुक्त पुणे शहर,मा. आयुक्त पुणे महानगरपालिका, मा.आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हे या समितीचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 2 (19) (बी) मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण आहे.

### झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकार, कर्तव्ये व कार्य:-

- झोपडपट्टी क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करणे आणि त्यांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेणे.
- झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करणे.
- झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा हेतू साध्य करण्यासाठी आवश्यक अशी सर्व कार्ये करणे.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची विकसकामार्फत प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

### सारांश

1980 नंतरचे घरबांधणी विषयक धोरण हे प्रकर्षाने दाखवून दिले आहे की, घरबांधणीसाठी मदत धोरण हे एका अर्थपूर्ण व योग्य धोरणामध्ये परावर्तित न झाल्यामुळे स्थानिक स्तरावर कसे अपयशी ठरले. मुंबईत अमलात आलेल्या घरबांधणी धोरणाचे उद्दिष्ट खाजगी क्षेत्राच्या नफेखोरीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे होते व त्यासाठी त्यांना अनेक प्रोत्साहने देऊन बाजारभाव खालच्या पातळीवर आणून शहरी गरीब समाजाला परवडेल अशा किमतीत घरांचा पुरवठा करणे. या धोरणांचे पालन योग्य तऱ्हेने न झाल्यामुळे जे अपयश आले त्यामुळे मागणी व पुरवठा यामध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाली अनौपचारिक क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या घरांची मागणी, नेहमीच्या औपचारिक प्रक्रियांच्या अपयशानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनातून पूरी करणे हे एक अशक्य काम आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील म्हणजेच पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीत, गलिच्छ वस्तीत वास्तव्य असणाऱ्या पात्र झोपडीधारक कुटुंबास झोपडीच्या/घराच्या ऐवजी मोफत पक्की सदनिका मालकी हक्काने देण्याची ही योजना आहे. सदनिका २६९ चौ. फुट (२५ चौ. मी) चटई क्षेत्राची असेल व सदनिकेमध्ये एक बहुपयोगी खोली (हॉल), स्वयंपाकासाठी जागा व स्वतंत्र संडास व न्हाणीघर देण्यात येते. झोपडपट्ट्या रहिवाशांना औपचारिक नागरी वस्तीत आणताना. हे धोरण अधिक आशादायक वाटत असले तरी, रहिवाशांना अशा धोरणात्मक कार्यक्रमांशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक आणि अगदी मनोवैज्ञानिक आधार देखील प्रदान करणे अत्यावश्यक आहे.

### संदर्भ

- देशपांडे राजेश्वरी (1999): शहरी गरीबांचे राजकारण, समाज प्रबोधन पत्रिका, पुणे
- अप्पादुराई, अर्जुन (2001): 'डीप डेमोक्रेसी: अर्बन गव्हर्नमेंटिलिटी अँड द होरायझन ऑफ पॉलिटिक्स एन्हॉयनमेंट अँड अर्बनायझेशन'.
- रविंद्र जाधव (2017): नागरी पुनर्निर्माण योजना: धोरण आणि अंमलबजावणी व राजकारण याचे तुलनात्मक विश्लेषण, (पीएचडी प्रबंध) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.
- नागमोते सोनाली (2006): पुणे शहरातील झोपडपट्टीवासीयांचे जीवन व राजकारण: एक अभ्यास (एम.फील. लघुप्रबंध) राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
- वेग रेहना (2001): शहरातील झोपडपट्टी वासियांचा सामाजिक आर्थिक परिस्थिती व राजकारण, (पीएचडी प्रबंध) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.
- अफजुलपूरकर(1995): डी. के. प्रोग्रॅम फॉर रिहॅबिलिटेशन ऑफ स्लम अँड हटमेंट डेवलपर्स इन बृहन्मुंबई. मुंबई: महाराष्ट्र सरकार.
- कोरिया, चार्ल्स. (1989) 'द न्यू लॅन्डस्केप - अर्बनायझेशन इन द थर्ड वर्ल्ड', लंडन: बटरवर्थ आर्किटेक्चर.
- देसाई व्ही(1995): कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्लम हाऊसिंग. न्यू दिल्ली: सेज पब्लिकेशन

9. टीओआय : 'स्लम रिहॅबिलिटेशन स्कीम वॉज फ्लॉव्ड फ्रॉम् डे वन' टाईम्स ऑफ इंडिया 29 ऑगस्ट (2001) मुंबई एडिशन.
10. टीओआय : 'सी.एम. व्हाऊज टु स्पीड अप स्लम रीसेटलमेंटस्' टाईम्स ऑफ इंडिया 28 जानेवारी (2003) मुंबई एडिशन
11. हॅबिटाट,(2001) :युनायटेड नेशन्स सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (युनसीएचस). सिटीज इन द ग्लोबलायझिंग वर्ल्ड. नैरोबी.
12. Desai A. R. & Pillai S. D. (1970) Slums and Urbanization, Popular Prakashan, Bombay.
13. MASHAL (2010) Housing Study for Pune Municipal Corporation, Pune.

# नांदेड जिल्हाच्या कृषी मालाच्या बाजारपेठेचा अभ्यास (2010-11 ते 2020-21)

श्रीकांत नंदकुमार स्वामी

संशोधक विद्यार्थी

डॉ. पुरुषोत्तम गाठे

मार्गदर्शक

भारत हा कृषीप्रधान देश असून जवळपास 72% लोक शेती व्यवसाय करतात म्हणजेच बहुतांश लोकांचा रोजगार हा शेती व्यवसायाशी निगडित आहे. आजही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पन्न कृषी क्षेत्रातून मिळते. भारतीय जनतेला अन्नधान्य व उद्योग संस्थेला कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी शेतीवर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण मदार शेतीवरच अवलंबून असल्यामुळे शेतीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हणतात. तेव्हा खऱ्या अर्थाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावायचा असेलतर शेतीच्या उत्पादनात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य किंमत मिळवून देणे आवश्यक आहे. आज आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला आहे. शेती उत्पादनात अन्नधान्ये, कापूस, ताग, भूईमुग व ऊस यांचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जसे उद्योग, सहकार तसेच ते कृषी उत्पादनाच्या बाबतीतही आघाडीवर असून ज्वारी, बाजरी, गहू, सूर्यफुल, भूईमुग, ऊस, केळी, कापूस यांचे उत्पादनाचे प्रमाण अधिक आहे. रोखीच्या पिकांच्या बाबतीत बोलावयाचे झाल्यास कापसाचा वाटा मोठा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्र हे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात व राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीत शेती क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. देशातील बहुतांशी शेतकरी सध्या शेती क्षेत्र हे उपजीविकेचे साधन जरी विकसित करीत असले तरी अलीकडील काळात शेती क्षेत्रात व्यापारी दृष्टिकोन विकसित होत आहे. 1991 नंतर देशाने स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणाच्या काळात फळे, फुले, भाजीपाला व बागायती पिकांचे उत्पादन यासाठी शेती उत्पादन वाढीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. या दृष्टिकोनातून भारतातील शेतमालाचे उत्पादन व बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारे उत्पादन यांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. प्रस्तुत शोधनिबंधात भारतीय शेतमालाच्या उत्पादनाची स्थिती, विक्रीची वाढ, शेतमालाची विक्री व्यवस्था व त्यातील दोष दूर करण्यासाठी शासनाने योजलेले उपाय इत्यादी बाबींचा प्रस्तुत प्रबंधातून परामर्श घेण्यात आला आहे.

## अन्न व कच्चा माल :

मनुष्य प्राण्याच्या जीवनात अन्नाचे महत्त्व स्पष्टच आहे. प्रत्येकाला योग्य प्रतीचे जीवन जगण्यासाठी कमीत कमी 3000 कॅलरीजचा दररोजचा पुरवठा होईल एवढे अन्न आवश्यक असते. जीवनावश्यक सत्त्वे आपणाला शेतीपासूनच मिळतात. वस्त्र व निवारा यांचेही मूळ शेतीतच आहे. त्याशिवाय बऱ्याच उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा माल हा शेतीमार्फतच पुरविला जातो. या कच्चा मालाचा पुरवठा वेळच्या वेळी व योग्य प्रमाणात झाल्याशिवाय शहरातील कारखाने चालणे शक्य नाही.

## शेती हाराष्ट्रीय भरभराटीचा पाया :

शेतीची भरभराट हा सर्वसाधारण सर्व अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीचा पाया मानला जातो. विशेषतः भारतासारख्या अविकसित देशात शेतीतील चढउतारांप्रमाणे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत चढउतार होतात. जेव्हा शेतीचे उत्पादन वाढते तेव्हा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढही खुंटते असा अनुभव अविकसित देशांना येतो. शेतीचे उत्पादन झाले तरच शेतकरी वर्गाच्या हातात चार पैसे खेळतात. त्यामुळे औद्योगिक वस्तूंची मागणी वाढते व औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीचा मार्ग मोकळा होतो.

## शेती व भारतीय उद्योगधंदे

भारतातील बहुतेक महत्त्वाचे उद्योगधंदे हे शेतीवर आधारीत आहेत. ताग, साखर, कापड हे धंदे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. चहा हा भारताचा आणखी एक मोठा धंदा तोही

शेतीवरचआधारलेला आहे. ग्रामीण भागातील लघू व कुटीर धंदे हेही शेतीवरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्यांपैकी आहेत. तेलाचे धाणे, तांदुळ सडणाऱ्या गिरण्या, पिठाच्या गिरण्या, हातमागया धंद्यांना शेतीपासून कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात मिळाला तरच त्यांची भरभराट शक्य आहे. अशा रीतीने भारतात उद्योगधंद्यांची वाढमोठ्या प्रमाणात एककल्ली झालेली असल्याने शेतीचापरिणाम ताबडतोब या उद्योगधंद्यांवर तीव्रपणे होतो. लोखंड, पोलादासारखे शेतीशी संबंध नसलेले धंदे यांची वाढ गेल्या काहीवर्षात झाली आहे. पण अद्याप ती उल्लेखनीय नाही. यामुळे शेती उत्पादनाचा त्वरीत परिणाम आपणास औद्योगिक उत्पादनावर होताना आढळतो.

### **शेती व भारताचा परकीय व्यापार**

भारताची निर्यात अद्यापही मोठ्या प्रमाणात परंपरागत वस्तूवर अवलंबून आहे. तेलबिया, तंबाखू, कापूस, ताग, साखर, लोकर, चहा, कॉफी या वस्तूंच्या निर्यातीपासून एकूण निर्यातीपासून मिळणाऱ्या परकीयचलनांपैकी सुमारे एक तृतीयांश परकीयचलन मिळते. या सर्व वस्तू शेतीवर आधारीत आहेत. गेल्या काही वर्षात भारताने निर्यातीत विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीसुद्धा शेतीच्या वस्तूंचा एकूण निर्यातीत वाटा अद्यापिही फार मोठा आहे.

### **संशोधनाची उद्दिष्टे**

1. कृषी विपणनाची आवक प्रवृत्ती अभ्यासणे
2. शेतमालाच्या किंमतीची प्रवृत्ती अभ्यासणे.
3. नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्ययन करणे.

### **संशोधनाची गृहितके**

- 1.नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्नाची आवक कमी-जास्त होते.
- 2.नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्नाच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत.
- 3.नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्नबाजार समितीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे.

### **संशोधनाच्या मर्यादा**

- 1.प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी एक वर्षाचा म्हणजे 2010-11 या वर्षाची निवड केली आहे.
- 2.संशोधनाचे भौगोलिक क्षेत्र नांदेड जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे.
- 3.प्रस्तुत संशोधन हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यापूरते मर्यादित आहे.

### **शोधनिबंधाच्या माहितीचे स्त्रोत :**

प्रस्तुत शोधनिबंध हा दुय्यम स्त्रोतांवर आधारीत असून, दुय्यम स्त्रोतांमध्ये सार्वजनिक साधने व इतर साधनांचा वापर केला. सार्वजनिक साधनांमध्ये संशोधनकर्त्याने संशोधनाविषयी माहिती मिळविताना सार्वजनिक साधनात सार्वजनिक मोफत वाचनालये, संदर्भ ग्रंथ, शासकीयसमालोचन, प्रकाशिके, वर्तमानपत्रे, कार्यालयीन माहिती तर इतर साधनांमध्ये रेडिओ, टी.व्ही. व पत्रिका यांचा देखील वापर केला आहे.

### **नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गव्हाची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तृणधान्य उत्पादनाबरोबरच गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात गहू घेतला जातो. कृषीउत्पन्न बाजार समितीत गव्हाची आवकही मोठ्या प्रमाणावर असते. 2010-11 या वर्षात गव्हाची आवक 123234 क्विंटल इतकी झाली याचे शेकडा प्रमाण 677.55% आहे.

### **नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्वारीची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तृणधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच ज्वारीतचे उत्पन्न घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात ज्वारी घेता जाते. 2010-11 या काळात ज्वारीची आवक 33518 क्विंटल इतकी झाली.

### **नांदेड जिल्ह्यातील भूईमुगाची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तेलबियांच्या उत्पादनांबरोबरच भूईमुगाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात भूईमूग घेतला जातो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भूईमुगाची आवकही मोठ्या प्रमाणात असते. 2010-11 या दहा वर्षांच्या काळातील भूईमुगाची आवक अभ्यासली.

### **नांदेड जिल्ह्यातील सूर्यफुलाची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तेलबियांच्या उत्पादनाबरोबरच सूर्यफुलाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे खरीप व रब्बी हंगामात सूर्यफुलाचे पीक घेतले जाते. सन 2010-11 या काळातील सूर्यफुलाची आवक झालेली दिसून येत नाही.

### **नांदेड जिल्ह्यातील उडदाची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तृणधान्यांच्या उत्पादनाबरोबरच उडदाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात उडीद घेतला जातो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उडदाची आवकही मोठ्या प्रमाणात असते. इ.स. 2010-11 याकाळात नांदेड जिल्ह्यातील उडदाची आवक 128408 क्विंटल आहे.

### **नांदेड जिल्ह्यातील हरभऱ्याची आवक**

नांदेड जिल्ह्यात इतर कडधान्यांच्या उत्पादनाबरोबरच हरभऱ्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात हरभरा घेतला जातो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हरभऱ्याची आवकही मोठ्या प्रमाणावर असते. इ.स.2010-11 या वर्षात उडदाची आवक 5814 क्विंटल इतकी झाली.

### **नांदेड जिल्ह्यातील तुरीची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर कडधान्यांच्या उत्पादनाबरोबरच तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे बागायती जमिनीत रब्बी हंगामात तूर घेतली जाते. कृषीची आवक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर असते. इ.स. 2010-11 हंगामात 5828 क्विंटल इतके झाले.

### **नांदेड जिल्ह्यातील सोयाबीनची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर तेलबियांच्या उत्पादनाबरोबरच सोयाबीनचे देखील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यपणे खरीप हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची आवकही मोठ्या प्रमाणात असते. नांदेड जिल्ह्यात 2010-11 या वर्षात सोयाबीनची आवक 244141 क्विंटल इतकी आहे.

### **नांदेड जिल्ह्यातील मुगाची आवक :**

नांदेड जिल्ह्यात इतर कडधान्यांच्या उत्पादनाबरोबरच मुगाचेही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सामान्यतः खरीप हंगामात मूगाचे उत्पादन घेतल्या जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मुगाची आवक मोठ्या प्रमाणात असते. नांदेड जिल्ह्यात 2010-11 या वर्षात मुगाची आवक 724 क्विंटल इतकी झाली होती.

### **नांदेड जिल्ह्यातील कृषी मालाची किंमत :**

कृषी उत्पन्नाच्या विपणनात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य महत्त्वाचे आहे. कृषी उत्पन्नाच्या विपणनाशी निगडित असलेली, शेतकऱ्यांच्या हिताची असलेली आणि सामाजिक न्यायाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कृषी उत्पन्नाचा बाजारभाव होय. सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते की, कृषी उत्पन्न जेव्हा तयार होते आणि बाजारात येते त्यावेळी बाजारातील मालाचा पुरवठा वाढतो. वाढलेला पुरवठा हा बाजार किंमत कमी करतो. परिणामी शेतकऱ्यांना कमी किंमतीला माल विकवा लागतो. शेतकऱ्यांना निकड असल्यामुळे माल साठवून वाट पाहणे त्यांना शक्य होत नाही. परिणामी कमी किंमतीला मालविकणे अपरिहार्य होते. शेतमालाचा बाजारभाव जसा मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर आधारलेला असतो तसाच तो मालाच्या प्रतीवरही आधारलेला असतो. मालाची प्रत ठरविणे, शेतकऱ्यांच्या हाती नसून ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अथवा व्यापाऱ्यांच्या हाती असते. ही प्रत ठरविताना अयोग्य निर्णय होण्याची शक्यता असून असे निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्यापेक्षा व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे ठरणे शक्य असते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला माल विकत असताना शेतकऱ्याला वाहतकीचा खर्च आणि अन्य प्रासंगिक खर्चही करावे लागतात. या सर्व बाबी लक्षात घेता शेतमालाला योग्य ती किंमत मिळणे महत्त्वाचे ठरते. या दृष्टीने नांदेड जिल्ह्यातील नमुना म्हणून निवडलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून नमुना म्हणून विविध प्रकारच्या शेतमालाला अध्ययनाच्या कालावधीत जो बाजारभाव देण्यात आला त्याचे अध्ययन दुय्यम स्त्रोतांच्या आधारे प्रस्तुत शोध निबंधात केले आहे.

### नांदेड जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्नशी निगडित समस्या :

नांदेड जिल्ह्यातील कृषी बाजारपेठांचा अभ्यास करीत असताना विविध दृष्टिकोनातून कार्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर योजनांशी निगडित समस्यांचा शेतकरी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या दोहोंच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास होणे महत्त्वाचे ठरते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात आर्थिक, विपणन, व्यवस्थापन अशा विविध अंगाशी निगडित असलेल्यास समस्या उत्पन्न होतात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समस्यांचा अभ्यास पाहिल्यास शेतकरी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवस्थापन यास पायाभूत सुविधांपासून ते बाजारभावापर्यंत विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यातच कर्मचारी व्यवस्थापन, व्यापारी व शेतकरी यांचे सहसंबंध, अशा सर्व बाबींचाही विचार करावा लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समिती योजना सुरू झाल्यापासून ते आजतागायत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

### निष्कर्ष :

1. नांदेड कृषी बाजारपेठेत सर्व मालांच्या उत्पादनाची आवक बऱ्या प्रमाणात आहे.
2. नांदेड कृषी बाजारपेठेत सर्व मालांच्या किंमती ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या योजनेनुसार ठरवल्या जाते.
3. नांदेड जिल्ह्यातील कृषी बाजार पेठेत अनेक समस्या आहेत त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात आर्थिक, विपणन, व्यवस्थापन अशा अनेक समस्या आहेत.
4. नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कर्मचारी व्यवस्थापन, व्यापारी व शेतकऱ्यांचे सहसंबंध याबाबत अनेक समस्या आहेत.

### संदर्भ :

1. मेमोरीया सी.बी.(1982), अँग्रीकल्चरल प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडिया, किताब महल, आग्रा
2. लेखी आणि जोगिंदरसिंग (1996), अँग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स, कल्याणी पब्लिशर्स.
3. महाराष्ट्र शासन (1961), कृषी उत्पन्न विपणन कायदा 1961, प्रकाशन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
4. आचार्य एस.एस.(2010), अँग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, रावत पब्लिशर्स, जयपूर
5. आपला नांदेड जिल्हा (2011), जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड
6. वार्षिक प्रशासन अहवाल (2010), जिल्हा परिषद कार्यालय, नांदेड
7. वार्षिक प्रशासन अहवाल, जिल्हा परिषद कार्यालय, नांदेड, 2010-11.

# अंगणवाडी कर्मचार्याच्या शैक्षणिक समस्या

मार्गदर्शक

डॉ. संजय गंगाराम सुरेवाड

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबेजोगाई जि. बीड

कुमिदिनी जोशी रामचंद्र याडाराम

संशोधन विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग

## प्रस्तावना

समाजात जीवन जगत असतांना अनेक समस्याला सामोरे जावे लागते. महिलांना आजही समाजात अनेक समस्या उदभवतांना दिसून येतात.

अंगणवाडी महिला कर्मचार्यांना अंगणवाडीत शिक्षण देतांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना अनेक मानसिक तानाला सामोरे जावे गालते. समाजातील लोकांना त्यांचे कार्य समजून सांगण्यासाठी सुद्धा खुप वेळ लागतो.

जगात दुसऱ्या क्रमांकाच्या शिक्षण व्यवस्थेसह भारतात सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढत असतांना देशभरात आव्हाने आहेत. ज्यांना सामोरे जाण्याची गरज आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार शिक्षणाचा आवाका आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने काम करत असतांना, खाजगी क्षेत्राचा म्हणजे गैर- सरकारी किंवा ना नफा संस्था (एनजीओ) यांच्या समान सहभागाची देखील गरज आहे. आपण सध्या करू शकणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची आपल्याला जाणीव असली तरी ती मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाते. परंतु आपण हे सुनिश्चित करणे देखील आवश्यक आहे की, कमी विशेषाधिकार असलेल्यांसाठी संधी मिळतील.

हे स्विकारलेले सत्य लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणावर मोठा भर दिला गेला आहे. परंतु ग्रामीण भारतात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे हे मुलींच्या शिक्षणाबरोबरच सरकारसाठी नेहमीच सर्वात मोठे आव्हान राहिले आहे. भारतातील इतर शहरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे आपल्या ग्रामीण भागात कमी भेट दिली गेली आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे एक कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलभूत शिक्षण मिळणे अशक्य आहे.

भारताला सार्वत्रिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षणाची आकांक्षा आहे. गरीब मुलांना शाळेत ठेवणे आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे ही आव्हाने साध्य करणे कठीण आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला हे पटवून देणे आवश्यक आहे कि, स्वतः मुलांचे पालकांना आणि शिक्षणाच्या प्रसार करणाऱ्या एका मार्गाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि ज्ञान एकमेकांना शेअर केले पाहिजे. येथे ग्रामीण आणि मुलींचे शिक्षण धोरण साध्य करणेसाठी ग्रामीण शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रामध्ये साधारणपणे 2000 सालानंतर मुलांना महिला व बाल विकास विभागासोबत जोडले गेले आणि गावा गावात अंगणवाडी आल्या व त्याचा एक भाग म्हणून बालवाडी सुरू झाल्या. लहान मुलं घरी संभाळण्यापासून सुटका म्हणून पालक मुलांना शाळेत पाठवतात. तर शाळा पटसंख्या वाढवण्यासाठी मुलांना संभाळते आणि शैक्षणिक मानसशास्त्र असे म्हणते की बालकांच्या मेंदूची पेशींची वाढ 5 वर्षापर्यंत होते. त्यामुळे शिक्षण सुरू करण्याच्या योग्य वयात आहे.

शालेय पोषण आहार आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आणि गेली काही वर्षे जननी शिशु आहाराची केंद्र म्हणून अंगणवाड्या ओळखल्या जावू लागल्या. असो मुळ मुद्दा असा आहे की, अंगणवाडी किंवा बालवाडी असण्याची गरज आहे. मुलांचे सामाजिकरण होते. शिक्षणाची गोडी लागते. चवांगल्या सवयी विकसीत करता येतात. अक्षर पाठांतर आणि बुद्धीमत्ता या गोष्टीवर काम करता येते.

## अंगणवाडी सध्यास्थिती व शिक्षणातील गरज :-

आज देशातील किंवा आपल्या राज्यातील किती अंगणवाडीला अंगण आहे. किती अंगणवाडी विविध खेळण्यांनी भरलेल्या आहेत. अंगणवाडीतील सेविका बदलल्या काळानुसार कोणती बालगीते, गोष्टी शिकवत असते. अंगणवाडीत बालकांना बसण्यासाठी कशी व्यवस्था आहे. प्रत्येक अंगणवाडीत Building as learning



aid असे प्रश्न घेऊन आपण आपल्या गल्लीतील, भागातील, गावातील अंगणवाडीला भेट देऊन विचारपुस करू शकतो. यातून सद्यस्थिती जाणायला मदत होईल. यावर्षी सरकारने अंतरिक अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील 10 हजार अंगणवाड्या आदर्श करण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद केली. त्यात आपल्या भागातील अंगणवाडी येण्यासाठी ग्रामपंचायतीने या स्थानीक प्रशासनाने प्रयत्न केले आहेत. का केले नसतील तर पाठपूरावा करण्यासाठी सुचवायला हवे.

लहान वय हे फक्त ऐकत, बघत, अनुकरण करत शिकत असतं आपण काही ही बोलण्यास सांगितले की, ते बोलते अन काहीही प्रश्न विचारत असतं तेंव्हा ते अंगणवाडीत जात असते तेंव्हा पौष्टीक आहारांबरोबर बालगीते, गोष्टी, भिंतीवरच्या चित्रातून पक्षी-प्राणी संख्या, ओळख, रंग ओळख, शरीराची ओळख इत्यादी बाबीतून त्याला संस्काराची शिदोरी मिळणं गरजेचं असतं.

बालकांच्या जडणघडणीत सर्वात महत्वाचा हिस्सा बालगीते, गोष्टी आणि चित्र काढणे व त्याचे रंगभरण करणे हे असते. पण आपल्या अंगणवाडीत ठरलेली बालगीते आहेत. जे त्या बालकांच्या आई-वडीलांनी लहापणी म्हटलेली असते. तेच बालक आजही म्हणत असते. उदा. नाच रे मोरा - मामाच्या गावाला जाऊ या पिढी नुसार बालगीते, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूमितीशी निगडीत असायला हवीत. अशा बालगीतामुळे प्राथमिक शिक्षणात रूची निर्माण होते. गोष्टीचे ही तसेच जास्त गोष्टी देवाभोवती असतात. तिथे महापुरुषांच्या विज्ञानाच्या काल्पनीक गोष्टींना स्थान नसते. ते असायला हवं बदलत्या काळानुसार बालगीते, गोष्टीत बदल म्हणजे उदाहरण सांगायचे झाले तर सध्या पाण्याची समस्या आहे. पाण्याचे महत्व सांगणाऱ्या गोष्टी, बालगीते नेहमी बालकांच्या कानी पडायला हवीत. अंगणवाडीत किंवा पालकांनी आपल्या घरात कोरे पेपर, रंगपेटी कायम ठेवायला हवीत ते ठेवल्याने मुले हवं तसं कागदापासून फुले, पक्षी, वस्तू बनवणे त्या कागदावर रेघा ओढणे, कशी ही ओबडधोबड चित्रे काढणे हे त्यांच्या बुद्धीला चालना देत असते.

अंगणवाडीतील सर्वात महत्वपूर्ण भूमिका ही अंगणवाडी सेविकांची असते. त्यांना आजही योग्य पगार व महत्वाचे म्हणजे प्रशिक्षण मिळत नाही. त्या कायम आपडेट ठेवण्यासाठी सरकारने त्यांचे प्रशिक्षण घ्यायला हवे. जर सरकार ते घेत नसेल तर स्थानीक प्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांनी मागणी करायला हवी. त्यात त्यांना मुलांशी भावनीक दृष्ट्या जुळवून प्रत्येक्ष-अप्रत्येक्ष संस्कारक्षम सवयी कशा लावता येतील याचे शिक्षण कसे द्यावे. काळानुसार बदलणाऱ्या शिक्षणासाठी अंगणवाडीची काय भूमिका राहिल हे सतत त्या माध्यमातून सांगायला हवे. उदा. सध्या सोशल इमोशनल (लर्निंग) द्वारे शिक्षणावर भर दिला जात आहे. ते अंगणवाडीत रूजवण्यासाठी सेविकांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे. गावातील किंवा शहरातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी बालवाडीकडे लक्ष द्यायला हवे कारण त्यांच्या शाळेत प्रवेश घेणारी मुले अंगणवाडीतूनच येत असतात. म्हणून अंगणवाडीतच मुलांचा पाया भक्कम करण्यावर स्थानीक नागरिकांची धडपड कायम राहिली तर त्या बालकांचे प्राथमिक शिक्षण सुरू झाल्या शिवाय राहणार नाही.

आत्ताच्या अंगणवाड्या त्या मानाने बऱ्याच चांगल्या वाटतात. जगाची व शिक्षणाची खरी ओळख इथूनच होत असल्याने त्या एक वर्षात मुलांच्या मन, भावना व बुद्धी विकासाला चालना मिळते. खरे तर एक माणुस किंवा नागरिक म्हणून जी सामाजिक व सांस्कृतिक जडणघडणेला सुरूवात होते. त्यासाठी सुक्ष्म अभ्यासाची गरज आहे. विकसित देशात याची फार काळजी घेतल्या जाते कारण ते उद्याचे नागरिक घडवत असतात.

### संशोधन विषयाची गरज :-

शैक्षणिक समस्या आज संपुर्ण मानवी जीवनाला व्यापून आहे. शहरी व ग्रामीण भागात सर्व सेवा सुविधा मिळूनही स्थिती ही खास करून शैक्षणिक सुविधा महिलाना कशी असेल त्यांना शासनाच्या सर्व सुविधा, योजनाचा लाभ मिळत असेल का, कुपोषणाची गंभीर समस्या आहे. मात व बालमृत्यूच्या प्रमाणात काही पोषण आहार मिळतो का व त्यांना कोण कोणत्या समस्या जाणवतात. शैक्षणिक समस्या चांगले ठेवण्याला यंत्रणेची भूमिका काय आहे हे सत्र पाहण्यासाठी संशोधन विषयाची गरज आहे.

### संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :-

- 1) शैक्षणिक साहित्याचा आढावा घेणे.
- 2) शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे
- 3) अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याच्या योजनाचा अभ्यास करणे.

## गृहीतके

- 1) ग्रामीण व शहरी भागामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक समस्या विषयक शैक्षणिक समस्या महिलांना अंगणवाडीत येतात.
- 2) अंगणवाडीमध्ये प्रसुतीपूर्व व प्रसुती पश्चात सेवा सुविधा घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प असावे.
- 3) परभणी जिल्ह्यातील अंगणवाडीची शैक्षणिक समस्या गंभीर असावी
- 4) अंगणवाडी महिलांना विविध शैक्षणिक समस्या विषयक सामोरे जावे लागत असावे.
- 5) ग्रामीण भागामध्ये शासनाची भूमिका चिकित्सक पध्दतीने अभ्यासण्याची गरज आहे.
- 6) अंगणवाडीत विविध शैक्षणिक सोयी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

## तथ्य विश्लेषण निर्वचन :-

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये संकलीत तथ्यांचे संख्यात्मक व गुणात्मक पध्दतीने विश्लेषण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय प्रव्रतीची मापके, सरासरी, टक्केवारी, सहसंबंध या तंत्राचा तसेच एस.पी.एस.एस या डेटा विश्लेषण तंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे.

## संशोधन प्रकरणाची रुपरेषा :-

अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक समस्या तसेच शैक्षणिक समस्या विषयक मानकाचे अध्ययन केल्यानंतर संशोधन प्रबंधात सुसुत्रता येण्याच्या उद्देशाने खालील प्रकरणाचा समावेश करण्यात येणार आहे.

प्रकरण पहिले : प्रस्तावना

प्रकरण दुसरे : संशोधन पध्दती व संशोधन साहित्याचा आढावा.

प्रकरण तिसरे : तथ्य संकलन व विश्लेषण संदर्भग्रंथ

## संशोधन पध्दती :-

प्रस्तुत संशोधनामध्ये संख्यात्मक व गुणात्मक संशोधन पध्दतीद्वारे करण्यात आले आहे. अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक समस्या विषयक सद्यस्थितीचे तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधांचे अध्ययन करण्यात येणार आहे.

## नमुना निवड :-

प्रस्तुत संशोधनामध्ये संभाव्यता नमुना निवड या प्रकारातील बहुस्तरीय नमुना निवड (Multistage Sampal) या पध्दतीद्वारे स्तरावर तथ्य संकलन केले जाईल. सामाजिक समस्या क्षेत्रातील शासनाची भूमिका राबविणाऱ्या यंत्रणेतील तालुका सामाजिक अधिकारी, गावपातळीवर अशा कार्यकर्ती यांच्याकडून चर्चा पध्दतीने माहिती संकलीत केली जाणार आहे.

## तथ्य संकलन :-

सदरील संशोधनामध्ये तथ्य संकलनाच्या प्राथमिक व द्वितीय या दोन्ही साधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. प्राथमिक साधनामध्ये निरीक्षण, मुलाखत व अनुसूची या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

## संदर्भ ग्रंथसूची :-

1. जोशी, महादेवशास्त्री, 1972 भारतीय संस्कृतीकोष खंड 7 महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुणे : संस्कृती मंडळ विशिष्ट धर्म सुत्ता 1348, पृ. 32
2. तुकडोजी, महाराज 1995 ग्रामगीता (संपा) सुक्ष्म सावकार मांझरी गुरुदेव प्रकाशन पृ. 55
3. वैध, शांती 1990 बालकाचे हक्क मुंबई: युनिसेफ (भारत) प्रकाशन इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी पृ. 54
4. चावल, निलीमा 1984 भारतातील समन्वित बाल विकास युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बालकोष पृ 27
5. महाजनी, स्नेहा 1994 आहारशास्त्री मुलतले नागपूर : श्री प्रकाशन पृ. 230-232
6. लेले, सरल 1995 पोषण व आहारशास्त्र पिंपळपुरे : पब्लिकेशन, पृ. 58
7. भांडारकर, पु. ल. 1981 संशोधन पध्दती नागपूर : महाराष्ट्र ग्रंथ निर्मिती मंडळ पृ. 51
8. बोधनकरअलोणी 1993 सामाजिक संशोधन पध्दती नागपूर : साईनाथ प्रकाशन पृ. 89
9. कुंभोजक ग. वि. 1989 संशोधन पध्दती व संख्याशास्त्र कोल्हापूर : फडके प्रकाशन पृ. 70
10. जोशी पृ.न. 1950 आदर्श मराठी शब्दकोष पुणे : विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी पृ. क्र. 1905 पृ. 50

## वेबसाईटस :-

1. <http://dwed.kar.nic.in/iedscms>
2. <http://www.balangala.kar.nic.in>
3. <https://www.icds-trg.nic.in>

# शिक्षणात एआय आणि डिजिटल साधनांचा वापर

सौ. प्रिया नितीन उपासनी

माहीम मनपा माध्यमिक शाळा, माहीम.

21 व्या शतकात जग जवळ येत चालले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर विविध क्षेत्रात वाढला आहे. मग शिक्षण क्षेत्र या तंत्रज्ञानापासून कसे बरे वंचित असेल?

कोरोना काळात "शाळा बंद पण शिक्षण चालू" म्हणत शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा श्रीगणेशा केला. zoom app ,google meet यांसारख्या ॲपच्या माध्यमातून व्हिडिओ निर्मिती, ई बुक द्वारा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवले. "शिक्षक समृद्धी बरोबर विद्यार्थी समृद्धीही" केली. आज डिजिटल तंत्रज्ञान शिक्षणाच्या क्षेत्रात एखाद्या मार्गदर्शकाप्रमाणे काम करत आहे. रोज नवनवीन संधी आव्हाने याद्वारे शिकवणे आणि शिकणे हा मार्ग सुकर झाला आहे. मग हे डिजिटल तंत्रज्ञान म्हणजे काय ? हा प्रश्न नेहमीच आपणाला पडतो.

या डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे शिकण्याचे शिकवण्याचे अनुभव वाढवण्यात शिक्षकांना यश आले आहे. त्याचबरोबर दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी एआय महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे मग ती कशी हे बघूया.

## 1. शिकण्याचे अनुभव वाढवणे

ए आयमुळे शिक्षण हे सहज सोपे होते. प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करतो. त्याचे शिक्षण हे आनंददायी बनवतो आणि त्याचा आत्मविश्वास वाढवते.

## 2 सहायक शिक्षक

शिक्षकांना बऱ्याचदा प्रचंड ताणाचा सामना करावा लागतो. तेव्हा ए आय द्वारे धड्याचे नियोजन करणे, प्रश्नमंजुषा तयार करणे, ग्रेड देणे ही कामे तयार करते. उदाहरणार्थ- लेसन प्लॅन तयार करणे, असाइन्मेंट तयार करणे इत्यादी.

## 3 प्रवेश योग्यतेचा प्रचार करणे

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरी भागाप्रमाणेच उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळू शकते. शिक्षण हे सर्व समावेशक बनवून शिक्षणातील समानतेला एआय प्रोत्साहन देते.

## 4 आजीवन शिक्षणाची सोय करणे

सतत नवनवीन कौशल्य मिळवण्यात एआय मदत करते.

## 5. शिक्षणाचे जागतिकीकरण

यामुळे भाषेतील अडथळे दूर होऊन सांस्कृतिक संप्रेषण होते आणि शिक्षणाचे जागतिकीकरण होण्यास मदत होते. ए आयची शिक्षणातील भूमिका बहुआयामी आणि निर्विवादपणे महत्वपूर्ण आहे. विविध अभ्यासक्रमांची प्रश्नमंजुषा तयार करायच्या असेल तर एआयला पर्याय नाही.

एखादी गोष्ट ऐकायची असेल तर आकर्षक ऑडिओद्वारे ऐकता येते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना जटिल विषय समजून सांगण्यासाठी एआयचा वर्चुअल सहाय्यक म्हणून उपयोग होतो.

नैसर्गिक मानवी भाषा ओळखण्यासाठी एआयचा वापर होतो. सायबर सुरक्षेसाठी एआय हे उत्कृष्ट साधन आहे मग जेव्हा शिक्षणाचा विचार येतो तेव्हा वेगवेगळे कौशल्य शिकणे वेगवेगळे शैली विकसित करणे त्यासाठी एआय महत्वपूर्ण ठरते. विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांना शिकण्यास मदत करते उच्च शिक्षणासाठी मदत करते.

**अध्ययन** - अध्यापन पद्धती प्रभावी करणे. शिक्षक विद्यार्थी संवादात मदत करणे. योग्य शैक्षणिक वातावरण तयार करणे. वेळेची बचत करणे. सहाय्य करणे. दूरस्थ शिक्षणाची सोय करणे. या आणि अशा नानाविध भूमिका व डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. पूर्वी पारंपारिक वर्गात कथनाद्वारे अध्यापन चालत असे आता ए आयद्वारे वैयक्तिकरित्या शिक्षण देता येते. परस्पर संवाद वाढवण्यास यामुळे मदत होते. प्रमाणित चाचण्या द्वारा मूल्यांकन केले जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गतीनुसार शिक्षण दिले जाते. सुरुवातीला अध्यापनाच्या माहिती देण्यासाठी डेटाचा कमीत कमी वापर केला जात असे परंतु आता एआय मुळे डेटाचा

व्यापक प्रमाणावर वापर होतो. डिजिटल साक्षरतेवर भर दिला जातो विद्यार्थी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सह कधीही कुठेही अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतो. मग ए आय सर्वक्षेत्रात महत्वपूर्ण ठरत आहे. बऱ्याचदा अशी भीती व्यक्त केली जाते की ए आय ने सगळ्या गोष्टी केल्या तर मानवीकाम संपुष्टात येईल. पण हे काही खरे नाही शेवटी तंत्रज्ञानाला मर्यादा असतात मग या गोष्टीचा बाऊ न करता या तंत्रज्ञानाचा आपल्या फायद्यासाठी कशाप्रकारे उपयोग होईल हे बघणे जास्त श्रेयस्कर ठरेल. मग तो दिवस दूर नाहीजेव्हा मानवी शक्ती व ए आयचे तंत्रज्ञान हातात हात घालून अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ करेल आणि जग एका नव्या प्रवाहाचे साक्षीदार होईल यात शंकाच नाही.

### संदर्भ साहित्य

1. संगणक आणि शिक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता खंड दोन \_10001
2. डिजिटल ट्विन तंत्रज्ञान म्हणजे काय तंत्रज्ञान समजून घेण्याचा प्रयत्न लेखक तान्या आगरवाल
3. डिजिटल स्किल डिजिटल संसाधने आणि कौशल्ये डॉक्टर दीपक ताटपुंजे
4. 12 ways Ai in Education is Transforming the Industry Blog by\_chirag
5. The importance of Ai in Education Revolutionizing Learning for the future BY Afia siddiqui

# मराठा कालखंडातील प्रभावी शस्त्र भाला

डॉ. मधुकर विठोबा जाधव

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, हलकर्णी, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर ४१६५५२

## प्रस्तावना -

मानवी इतिहासामध्ये शस्त्रास्त्रांना खुप महत्व आहे. मानवाने स्वसंरक्षणासाठी विविध शस्त्रास्त्रांची निर्मिती केली. दगड, हाडे, शिंगे यांना त्याने तासून टोकदार व अणकुचीदार केले. नुसत्या काठीने जे काम होते त्यापेक्षा तिच्या टोकास काही जड वस्तू लावली तर त्याचा आघात जोरकस होतो. हे लक्षात आल्यानंतर शस्त्रास्त्र निर्मितीला चालना मिळाली. मुक्त व अमुक्त प्रकारातील मुख्य शस्त्र म्हणजे भाला होय. हे शस्त्र आणि अस्त्र म्हणूनही उपयोगात असलेले हत्यार होय. हे प्राचीन काळापासून वापरात असलेले शस्त्र होय. मानव काठीस अणकुचीदार दगड, हाडे, शिंगे झाडाच्या वेलीने बांधून त्याचा वापर शिकारीसाठी करू लागला. त्यातुनच भाला, कु-हाड, तलवार याची निर्मिती झाली. मानवाने जमिनीत विविध प्रयोग करून धातूचा शोध लावला. ताम्रयुगात तांब्याची हत्यारे तर लोह युगात लोखंडाची हत्यारे निर्माण होऊ लागली. या शस्त्राची निर्मिती दगडी हात्यारांच्या ठेवणीवरून झाली. भाले, बरच्या, तीर, सुरा या शस्त्रांचा वापर मानव शिकारीसाठी व संरक्षणासाठी करू लागला. अणकुचीदार शुळासारखे फळ तयार करून ते काठीमध्ये बसवून भाले तयार करण्यास सुरुवात झाली. भाला हे शस्त्र तलवार या शस्त्रानंतरचे उपयुक्त, सोयीचे व प्रभावी शस्त्र होय. भाल्याचा वापर युद्धपध्दती नुसार केला जात असे.

**भाला या शस्त्राची उत्पत्ती-** कुंट म्हणजे भाला होय. भल्ल या संस्कृत शब्दापासून भाला हा शब्द रूढ झाला. याला दंडशस्त्र असे ही म्हणतात. भाल्याची सुक, भल्ल, कुंट, प्रस, शुल, मल्ल, वल्लभ, सांग, तोमर, मुक्कल, शक्ती व त्रिशुल अशी नावे आढळतात. प्राचीन ग्रंथांमध्ये युद्धशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कौशल्यपूर्ण वर्णन आलेले पाहावयास मिळतात. अगदी सिंधु संस्कृतीत भाले तयार होत असत. लोहयुगात लोहाचे भाले तयार केले जात होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये नांगराच्या फळाप्रमाणे टोकास धार असलेले शस्त्र म्हणजे भाला होय असे वर्णन आलेले आहे. भरीव बांबूच्या पुढील बाजूस तांबे, लोह, पोलाद याच्या पात्याचे टोक बसवून भाला तयार केला जात असे.

**भाल्याची रचना किंवा घडण-** भाला म्हणजे लांब टोकदार शस्त्र होय. भाला पायदळ, घोडेस्वार आणि हत्तीवरील सैनिक वापरत असत. भोकसण्यासाठी हे महत्वाचे शस्त्र ठरते. भाल्याची लांबी 6 फूट असे. भाल्याचे टोक धारदार आणि रूंद आणि दुधारी असे. त्याचा मधला भाग जाड असे. भाला वापरायला सोपा असे. भाला हे एक लांबलचक मजबूत मोठी काठी व पुढे तिला तिक्ष्ण पाते लावलेले शस्त्र होय. भाल्याचा दांडा भक्कम पाच ते साडे पाच फूट लांब असून त्याचा परीघ चार इंचाचा असे. या दांड्याच्या निमुळत्या टोकाला भाल्याचे पाते तीन इंच खोल घातलेले असते. याची बाहेर आलेली लांबी दोन फूट एक इंच व दुधारी असे. पोलादापासून बनविलेले टोकदार रूंद दुधारी निमुळते व मध्ये जाड शीर असलेले सुमारे 6 ते 10 इंच लांबीचे पाते गोल निमुळत्या नळ्यावर बसविलेले असते. हा भाला एक भरीव काठीवर घट्ट बसवला जातो. सात हात लांबीचा भाला उत्तम, सहा हात लांबीचा भाला मध्यम तर पाच हात लांबीचा भाला कनिष्ठ समजला जातो. सर्वात लांब भाले, बांबू, वेळू किंवा वेत यांचे असत.

**भाल्याचे वर्गीकरण-** भाल्याच्या वापरावर त्याचे प्रामुख्याने तीन विभागात वर्गीकरण करता येते.

**पदातीकुंत-** हा पायदळातील सैनिकांचा वापरावयाचा भाला होय. म्हणजेच पायदळाने वापरावयाचा भाला म्हणजे पदातीकुंत होय. संपूर्ण धातू, बांबू व इतर लाकूड यापासून हे शस्त्र बनविलेले असे. या भाल्याचे पाते किंवा पान जाड व रूंद असते. हे शस्त्र लांबीला अधिक असे शत्रूला घायाळ करण्यावरोवरच शत्रू सैन्यापासून बचाव करण्यासाठी संरक्षक तट म्हणून या शस्त्राचा वापर केला जात असे.

**गजकुंत-** हा हत्ती दलातील सैनिकांचा वपरावयाचा भाला होय. याचा वापर हत्तीवरून शत्रूचा वेध घेण्यासाठी केला जातो. या भाल्याचे पाते टोकदार व वजनाने हलके असते. याचे वजन टोकाकडील बाजूला जास्त झुकलेले असे. हा भाला युद्धात एकदा वापरल्यानंतर तो परत घेतला जात नसे म्हणजे हा भाला मुक्त

प्रकारातील असे अंबारीत बसुन या शस्त्राचा वापर केला जात असल्यामुळे तो आकाराने सामान्यपणे लहाण असतो.

**अश्वकुंत-** मराठा कालखंडामध्ये या भाल्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. मराठ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात घोडदळ असल्यामुळे हे हत्यार सर्वास वापरले गेले. हा घोडदळातील सैनिकांनी वापरावयाचा भाला होय. घोडयावरून शत्रूला मारण्यासाठी अश्वकुंत भाल्याचा वापर केला जातो. म्हणजेच घोडयावरून वापरण्याचा भाला म्हणजे अश्वकुंत होय. या भाल्याचे पाते लांबीस जास्त व हलके असते. ते अणकुचीदार असे. हे मुक्तामुक्त व अमुक्त प्रकारातील शस्त्र होय.

**भाला या शस्त्राची विभागणी-** भाल्याची एकूण चार भागात विभागणी केली जाते. बांबू, वेत व इतर लाकूड यापासुन भाल्यांचे दंड बनविले जात असत. पायदळ, घोडदळ व गजदल यामधील वापरावरून दंडाची लांबी ठरविली जात असे.

**पार्व-** भाल्याची मागील बाजू यास बट असे म्हणतात. हा भाल्याच्या दंडाचा शेवटचा भाग होय. हा भाग गोलाकार असे.

**ध्वजा-** भाल्याचे फळ बसविलेल्या भागास ध्वजा असे म्हणतात.

**मुख किंवा शिर्ष-** यास अणी किंवा फळसुध्दा म्हणतात. भाल्याचे अगदी वरचे पाते म्हणजे शीर्ष होय. भाल्याच्या शिर्षाला दोन्हीबाजूनी अनुकुचीदार धार असे. भाल्याचे शीर्ष लोखंड, पोलाद, पितळ यापासुन बनविलेली असे.

**डोके किंवा फाळ-** पात्याच्या वरच्या टोकाला डोके किंवा फाळ म्हटले जात असे. खाचेमधुन भाला पात्यामध्ये बसविला जात असे.

**भाल्याचे प्रकार-**भाल्याचे आकार व वैशिष्ट्यावरून पुढील प्रकार सांगता येतील भाल्याचे विविध प्रकार आहेत. भाल्याच्या पात्यांचे आकार निर-निराळे असतात.पात्याची लांबी 6 इंचापासून 20-25 इंचापर्यंत असते. भाल्याला मध्ये शीर असे. मध्ये उंच शीर काढल्यामुळे पाते लवत नाही. वाकत नाही व आपोआपच पात्याला नाळ तयार होते. पाते लांब असल्यामुळे टोक वाकू नये म्हणून टोकास जाडपणा देऊन फुगीरपणाने टोकाची ताकद वाढविली असते. अशा जाड टोकास मणी असे म्हणतात .

**1. कुंट-** हा भाला छाती फाडून पार होत असे. तो खूप पातळ व चमकदार असे. त्यामुळे या भाल्याचे हात पवित्रे करताना तो सहसा दृष्टीस पडत नसे. तेज धार आसलेला हा भाला मागील बाजूस मोठ्या आकाराचा असे .

**2. मल्ल-**हा भाला दुधारी जाडजूड दंड आसलेला होता. अश्वदलातील सैनिक या भाल्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत असत. या भाल्याचे फळ मोठे असुन वजनाने जास्त होते .

**3. प्रस-**भाल्यांमध्ये सर्वात खतरनाक भाला म्हणून प्रस याची ओळख आहे. युध्दामध्ये घोडेस्वार या भाल्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत असत.बांसच्या लाकडापासून बनविलेल्या या भाल्याचे फळ अणकुचीदार व झाडाच्या पानासारखे होते.फळाचा हिस्सा छोटा असला तरी तो तज व धारदार असे.दोन्ही बाजूस धार असल्यामुळे सैनिक याचा वापर फेकून मारण्यासाठी सुध्दा करीत असत .

**4. शुल-शुल** या भाल्याचा वापर प्रामुख्याने पायदळात केल्याचे दिसून येते.लांबलचक फळाचा गोल काट्यासारखा टोकदार व लांब दंड असलेला शुल भाला आघात केल्यावर फळाबरोबर दंड सुध्दा शरीरामध्ये घुसत असे .

**5. नेझा-**एका लांब बांबूच्या काठीला एक पोलादी बाणाचे डोके बसवून ते तयार केले जाते. ते घोडेस्वाराचे शस्त्र आहे. ते 8 ते 10 इंच लांब असे. त्याचे पाते 20 ते 25 से. मी असे. मध्यावर पकडून डोक्याच्यावर जाईल तितका वर हात नेऊन ते फेकावयाचे असते. या शस्त्राची पकड भाल्याच्या मध्यभागी असे .

**6. बरच्छा किंवा बच्छा-** मराठा कालखंडामध्ये या शस्त्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. हे शस्त्र पायदळ व घोडदळामध्ये सर्वास वापरले जात असे. याचे पाते त्रिकोणी, चौकोनी, पंचकोनी, षटकोनी किंवा अष्टकोनी असे. लांबी सामान्यपणे आडीच ते सहा फूटापर्यंत असे. त्याचा दांडा संपूर्ण लोखंडी असुन तो लहान असतो. त्याला निमुळते टोकदार पाते असे. त्याच्या दांडयाच्या मध्यावर मुठ असते. तिचा धरण्यासाठी उपयोग होतो. मुठीजवळ बोटांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्था केलेली असे.बरच्छा संपूर्ण धातूचा असलातरी तो बारीख आणि हलका असल्यामुळे फेकण्यास सोपा असतो .

**7. साक-**हे शस्त्र पायदळामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असे. या भाल्याला पानाच्या आकाराचे पाते असते आणि त्याच्याबरोबर खाली दोन गोलाकार गाळे असतात. या दोन गोळ्याच्या मध्ये सैन्याचे निशाण बांधलेले असे. या शस्त्राची लांबी साधारणपणे चार ते पाच फुटापर्यंत असे. लहाण परंतु टोकदार पाते असणारे हे शस्त्र वैशिष्ट्यपूर्ण होते .

**8. सेलारा-**हे शस्त्र प्रामुख्याने पायदळामध्ये वापरले जात असे. या शस्त्राला दोन्ही बाजूनी पाती असत. हा भाला बर्छा प्रमाणे असून त्याच्या दांड्याच्या मध्यावर पकडण्यासाठी मुठ असे. वरची पाती काहीशी रूंद आणि खालील बाजूची थोडी पातळ असतात. ही दोन्हीही पाती त्रिकोणी आकाराची असतात .

**9. भाल्लम किंवा बल्लम-**हा छोटा भाला असून त्याचे डोके सुशोभित केलेले असे. प्रामुख्याने पायदळामध्ये याचा वापर केला जात असे. त्याचबरोबर घोडदळ व गजदळामध्ये ही वापरला जात असे. याचे पाते पानाच्या आकाराचे असते. आणि लाकडी किंवा पोलादी दांड्याला बसवलेले असे. त्याची लांबी सामान्यपणे अडीच ते तीन फुट असे .

**10. फेकण्याचा भाला-** हा फेकण्याचा भाला असल्यामुळे तो हलका आणि सुटसुटीत असतो. घोडेस्वाराचे हे आवडते शस्त्र होय. घोडदळातील सैन्यांनी तो उजव्या हातात धरावयाचा असतो. हल्ला करताना हा भाला आपल्या डोक्याच्यावर एक हात उंचीवर धरावयाचा असतो. मजबूत पकड येण्यासाठी घोडदळातील सैनिकांनी हा भाला त्यांच्या दांड्याला खालच्या बाजूला तो घट्ट करण्यासाठी धातूच्या टोप्या किंवा इतर व्यवस्था केली जाते .

**11. मानाचा भाला-** भाले किल्ल्याच्या दरवाजावर, राजवाड्याच्या दरवाजावर, दरबारात, सिंहासनाजवळ राजाच्या दोन्ही बाजूला धार्मिक विद्येच्या वेळी मिरवणूकीमध्ये राजकीय समारंभाच्या वेळी भाला घेऊन उभे राहण्याचा मान काही घराण्यांना असे. त्यांना भालदार असे म्हणत. त्यांच्याकडे असणारे भाले नक्षीदार प्रमाणबद्ध उच्चप्रतीचे देखणे असत. हे शस्त्र अलंकृत करून गुंडाळलेले असे. लढाईला जात असताना त्या राज्याचा झेंडा सर्वात पुढे घोड्यावर व हत्तीवरून नेला जात असे. त्यासाठी सर्वोच्च मानाचा मोठा सुंदर भाला वापरला जात असे.

**12. सांग-** सांग हे शस्त्र संपूर्णपणे लोखंड किंवा पोलादाने बनवलेले असे. त्याची सर्वसाधारण लांबी 7 फूट असते. त्यापैकी डोक्याची लांबी 2 फूट असे. त्याचे पाते गोलाकार असून त्याला दोन किंवा तीन बाजू असतात. त्याच्या मध्यावर मूठ असते आणि तिला वेल्वेटचे वेष्टन असते. खोगिरला बांधण्यासाठी तिला धातूची साखळी असते. घोडेस्वार या शस्त्राचा वापर करीत असत. घोडदळाबरोबर पायदळामध्येही हे शस्त्र वापरले जात असे. या शस्त्राचा वापर मराठा कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला.

**भाल्याचे पवित्रे-** भाल्याचे पाच प्रकारचे पवित्रे सांगितले जातात. 1. कंकणवर्त 2. मुष्टवर्त 3. परिघवर्त 4. व्दिमुखी 5. चौमुखी असे भाला चालविण्याचे पवित्रे आहेत. पवित्रा घेऊन वार केला जातो. हे वार शत्रूच्या शरीराच्या निरनिराळ्या भागावर लक्ष ठेऊन केले जातात. जसे शीर, वार, डोक्यावर तमाचा वार, डाव्या कानावर बहिरा वार, शत्रूच्या उजव्या कानावर, नडगीवार, पायावर असे निरनिराळे वार आहेत .

**भाल्याच्या फळावरून नावे-** भाल्याच्या फळावरून नावे पडली आहेत वराहकर्ण, कणय, कर्षण, त्रासिक, हाटक अशा विविध आकारातील पोलादी फळ काठीस बसवलेले अनेक भाले पहावयास मिळतात. त्याचबरोबर संपूर्ण पोलादी भाले देखील आढळतात. त्यास सांग असे म्हटले जाते. एका बाजूस फळ असलेल्या भाल्यास एक अबजी तर दोन्ही बाजूस फळ असलेल्या भाल्यास दुअबजी भाला असे म्हणतात. दुअबजी भाला युद्धात श्रेयस्कर मानला जातो. कारण हा भाला दोन्ही बाजूस परजता येतो.

**भाल्याचे हात व वापराचे तंत्र-** सर्वसाधारणपणे भाल्याचे हात दोन्ही हातांनी भाला पकडून करण्याचा परिपाठ आढळतो. याचे एकूण सहा हात दिले आहेत. त्यामध्ये उडडीन, अवडीन, निडीण, भूमिलीन, तिर्यलीन, तिलाख श्री. विनय चोपदार यांनी आपल्या 'ओळख ऐतिहासिक मर्दानी खेळाची' या ग्रंथामध्ये भाला चालविण्याचे तंत्र सांगितले आहे ते असे 'भाला दोन्ही हातांनी पेलण्याचा प्रघात सर्रास ठिकाणी पाहावयास मिळतो. यामध्ये उजवा हात मागे व डावा हात पुढे असतो. काही संप्रदयामध्ये उजवा हात मागे व डावा हात पुढे या पध्दतीने भाला धरतात परंतु दोन्ही हात पालथे असतात. काही ठिकाणी डावा हात उत्ताणा व उजवा हात पालथा करून भाला धरला जातो पण उजवा हात उत्ताणा व डावा हात पालथा करून भाला धरणे

केंव्हाही इष्ट ठरते. कारण भाला मारताना म्हणजेच भाला भोकसताना आपण उजव्या हाताने भाला रेत असतो. त्यासाठी उत्तण्या हाताने पकडणेच योग्य असल्याने अशा पध्दतीने भाला पकडण्याने भाला फेकतेवेळी किंवा मारतेवेळी सहजपणा येत असल्याचे दिसते. जे. एन. सरकार यांच्या मताप्रमाणे भाल्याला आपल्या लक्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी 30 ते 40 पावले टाकावी लागतात .

छत्रपती शिवाजी महाराजांना इ. स.1679 मध्ये दक्षिणेवर मोगलांची स्वारी होणार अशी वार्ता समजल्यानंतर त्यांनी सर्व प्रकारची लष्करी तयारी करण्यास मोरोपंत पेशवे यांना सांगितले. मराठ्यांचे मुख्य हत्यार भाला त्याकरीता लागणाऱ्या काठ्या विशिष्ट प्रकारच्या असत. त्या रोहिड खोऱ्याच्या हद्दीवर सहयाद्रीच्या कड्याखाली व माथ्यावर जावळी भागात व वेळवंड खोऱ्यात कड्याखाली व माथ्यावर जावळी भागात व वेळवंड खोऱ्यात कड्याखाली जे रान होते. त्यातून दादाजी नरस प्रभू व बाजी प्रभू देश कुलकर्णी तर्फे हिरडस मावळ यांनी कावळ्याच्या जंगलातून 500 ते 700 काट्या काढून त्या शिवापूरच्या पागेकडे रवाना कराव्यात अशी छत्रपतींनी आज्ञापत्रे काढली व त्याप्रमाणे त्या काढ्या आल्यावर हजार पंधराशे फळे व बूड भाल्यास तयारी करावी असे मोरोपंतास कळविले .

**धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व-** भाला या शस्त्राला धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व मोठे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक प्रसंगी इंग्रज वकिल हेन्री ऑक्सेडन याने दरबारात हजर झाल्यानंतर सिंहासनाचे जे वर्णन केले आहे. ते असे 'सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूस भाल्याच्या टोकावर अनेक निदर्शक व राजसत्ता धोतक चिन्हे होती. दोन भाल्यांवर मोठ्या दातांच्या मत्स्यांची सुवर्णाची शिरे बसविली होती म्हणजे छत्रपती चारी समुद्राचे अधिपती झाले होते. एका भाल्यावर अश्वपुच्छे तर मौल्यवान भाल्याच्या टोकावर तराजूची पारडी न्यायचिन्ह म्हणून तळपत होती. ही राजचिन्हे भाल्यावर बसविली असल्याने भाल्याचे महत्व हे धार्मिक व अध्यात्मिदृष्ट्या खूपच मोठे आहे. भाल्याच्या दंडावर नक्षीकाम केलेले असे. भाल्यावर सोने, चांदीचे नक्षीकाम असे. विविध नक्षीकाम करून भाले सजविले जात असत. शिकार युद्ध या प्रसंगाबरोबरच स्वतःचे नाव त्यावर कोरलेले असे. भाल्याचे मुख उत्तम प्रकारच्या पोलादापासून तयार केलेले असते. खैर किंवा बांबूच्या कठिण दंडात ते बसवितात. भाल्याच्या फळाखाली लहानशी ध्वजा बसवितात. तर खालील भागास पादत्राण बसविले जाते. अशी भाल्याची रचना असते. भाल्याच्या टोकाला पुढच्या बाजूला नेहमी एक पताका झळकत असे. आणि सोनेरी धाग्याने विणलेली असे तिला जरी पट्टा असे म्हणत. ही पताका किरमिजी रंगाची सोनेरी धाग्याची झालर लावलेली असे आणि त्याच्या भाल्याला गोंडे लावलेले असत. घोडेस्वार आणि पायदळ यांच्याशिवाय अन्य लोक राजवाड्यातील परिचारक रक्षक आणि दरबारात नेमणूकीवर असलेले सेवक राजघराण्याच्या लवाजम्याचा भाग म्हणून असे वापरत असत. लष्करात विविध शस्त्रे चालविणाऱ्या पलटणी असायच्या सांग व भाला चालविणारे प्रामुख्याने पायदळाच्या पुढच्या पलटणीत असायचे. भारताच्या राष्ट्रपतींचे शरीररक्षक घोडदळ राष्ट्रीय समारंभप्रसंगी भाले मिरवतात .

**भाला शस्त्रावरून पडलेली अडनावे-** युद्धामध्ये त्या-त्या शस्त्रावरून अडनावे पडली गेली आहेत. भाला चालविणारे भालाईत, भालदार, भालेकर, भालकर, भाले तर सांग चालविणारे सांगवे, सांगाडे, सांगाळे अशी अडनावे रूढ झाली.

#### सारांश-

भाला हे मराठा कालखंडातील प्रभावी शस्त्र होय. हे मराठा योद्ध्याचे आवडते शस्त्र होय. तलवारीनंतर भाला हे सोयीस्कर, उपयुक्त आणि छाप पाडणारे शस्त्र होय. हे शस्त्र वापरावयाला सोपे असून प्रभावी असे. हे हातात धरून वापरता येते व फेकूनसुद्धा मारता येते. हा या शस्त्राचा सर्वात महत्वाचा उपयोग होय. भाल्याचा उपयोग समोरासमोरील युद्धात संरक्षण म्हणून तर लांबून फेकून मारून वेध घेण्यासाठी केला जात असे. युद्धाच्या वेळी भालदारांची तुकडी सर्वात पुढे असे. सैनिकांच्या शारीरिक रचनेनुसार व सामर्थ्यानुसार भाल्यांची लांबी वेग-वेगळ्या प्रकारची असे. भाला फेकणे व भाला चालविणे यातून शस्त्रवेध घेतला जात असे. छत्रपती शिवाजी महाराज, वीर राणा प्रताप या शूर वीरांनी भाला हे शस्त्र लोकप्रिय केले .

#### संदर्भ ग्रंथ-

1. भावे वा. कृ. शिवकालीन महाराष्ट्र, वरदा प्रकाशन पुणे, 1957, पृष्ठ 115 .
2. चोपदार विनय, ओळख ऐतिहासिक मर्दानी खेळाची खंड 1 ला, शंभुराजे मर्दानी खेळ विकास मंच संभाजी नगर, कोल्हापूर, 2003, पृष्ठ 27 .



3. डॉ.अ.रा. कुलकर्णी, मराठ्यांचा इतिहास, पुणे, 1979, पृष्ठ 121.
4. रघुनाथपंत हणूमंते, राज्यव्यवहार कोष, शिवचरित्र प्रदीप, द. वि. आपटे [संपा], पुणे, 1925, पृष्ठ 53.
5. महाराव ज्ञानेश (संपा), चित्रलेखा-ऐतिहासिक शस्त्रांचा वापर, मुंबई, 2002, पृष्ठ 53 .
6. जाधव गिरीष, इतिहासाचे साक्षीदार, अमिता प्रकाशन कुर्ला, मुंबई, 2001, पृष्ठ 23.
7. Sarkar Jadunath, Military History of India, New Delhi, 1960, P.27.
8. Pant G. N., Studies in Indian Weapons and Warfare, Army Educations. Pub., New Delhi, 1970, P.158.
9. Pant G.N., Weapons in Ancient India, unpublished thesis, Saugar University, Sagar (M.P), P. 29.
10. Doshi Saryu (ed.), Shivaji and Facts of Maratha Culture, Mumbai 1982 P.73.

# डिजिटल माध्यम, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टोकॉरेंसी से भुगतानका विश्लेषण

डॉ. सुनील सूर्यवंशी

सह-प्राध्यापक वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन

डिजिटल पेमेंट मेथड (Digital Payment Method) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भुगतान डिजिटल रूप में किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके। इसी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पर डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने वाले उत्पादों या सेवाओं का विपणन है, जिसमें मोबाइल फोन ऐप्स के माध्यम से, प्रदर्शन विज्ञापन और किसी भी डिजिटल माध्यम का उपयोग शामिल है।<sup>1</sup> डिजिटल मार्केटिंग चैनल इंटरनेट पर आधारित सिस्टम हैं जो डिजिटल नेटवर्क द्वारा निर्माता से टर्मिनल उपभोक्ता तक उत्पाद मूल्य को बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और प्रसारित कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2013.14 के बाद डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2013.14 में डिजिटल भुगतान लेनदेन 220 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023.24 में 18,592 करोड़ हो गया है। इसी अवधि के दौरान लेनदेन का मूल्य ₹ 952 लाख करोड़ से बढ़कर ₹ 3,658 लाख करोड़ हो गया है।

डिजिटल पेमेंट मेथड के प्रकार-

1. ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) : ऑनलाइन बैंकिंग में आप अपने बैंक खाते से भुगतान कर सकते हैं।
2. मोबाइल वॉलेट (Mobile Wallet) : मोबाइल वॉलेट में आप अपने फोन से कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।
3. क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) : क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं।
4. यूपीआई (UPI) : यूपीआई एक मोबाइल भुगतान प्रणाली है जिसमें फोन से भुगतान कर सकते हैं।
5. डिजिटल क्रिप्टोकॉरेंसी (Digital Crypto currency): डिजिटल क्रिप्टोकॉरेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम आदि का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।

डिजिटल पेमेंट मेथड के लाभ :-

- सुविधा : डिजिटल पेमेंट मेथड सुविधाजनक है क्योंकि आप कहीं से भी भुगतान कर सकते हैं।
- गति : डिजिटल पेमेंट मेथड तेजी से है क्योंकि यह स्वचालित रूप से किया जाता है।
- सुरक्षा : डिजिटल पेमेंट मेथड सुरक्षित है क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। भुगतान का भविष्य उत्साहजनक और तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ एक विस्तृत दृष्टिकोण है :

<sup>1</sup> "White Paper on Mobile Payments". European Payments Council. 2016. [Archived](#) from the original on 5 August 2019. Retrieved 2 February 2017.

### डिजिटल वॉलेट :

- मोबाइल वॉलेट जैसे कि एप्पल पे, गूगल पे, और सैमसंग पे की बढ़ती स्वीकृति
- संपर्क रहित भुगतान विधियों का विस्तार, जैसे कि टैप-टू-पे कार्ड और वियरेबल्स
- डिजिटल वॉलेट का लॉयल्टी प्रोग्राम और रिवाईस के साथ एकीकरण डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet) एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जो आपको अपने फोन या कंप्यूटर से भुगतान करने की अनुमति देता है। यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है जिससे आप अपने पैसे को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनदेन कर सकते हैं।<sup>2</sup> डिजिटल वॉलेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नकदी और अन्य भुगतान विधियों को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक स्थान पर प्रबंधित कर सकते हैं।

### डिजिटल वॉलेट के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं :

- अमेजन ([Amazon Pay](#))
- गूगल पे (Google Pay)
- फोनपे (PhonePe)
- एप्पल पे (Apple Pay)
- सैमसंग पे (Samsung Pay)
- भीम (Bhim)
- जी कैश ([GCash](#))
- पेटीएम ([Paytm](#))
- क्लाउड क्वीक पास [Cloud QuickPass](#)
- एलजी पे ([LG Pay](#))

### डिजिटल वॉलेट के उपयोग से आप :

- ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं।
- बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
- पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
- स्टोर्स में भुगतान कर सकते हैं।
- सब्सक्रिप्शन सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं।

डिजिटल वॉलेट के उपयोग से आपको सुरक्षा और सुविधा का लाभ मिलता है, क्योंकि आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी शारीरिक वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

1. डिजिटल वॉलेट चुनें : अपने फोन या कंप्यूटर पर एक डिजिटल वॉलेट ऐप चुनें, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, एप्पल पे या सैमसंग पे।

<sup>2</sup> ["GSMA Mobile Money Deployment Tracker"](#). Wireless Intelligence. Archived from [the original](#) on 23 November 2011. Retrieved 23 June 2012.

2. अकाउंट बनाएं : यदि आपके पास पहले से ही अकाउंट नहीं है, तो एक नया अकाउंट बनाएं और अपनी जानकारी दर्ज करें।
3. कार्ड जोड़ें : अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान विधियों को अपने डिजिटल वॉलेट में जोड़ें।
4. भुगतान विकल्प चुनें : जिस स्टोर या वेबसाइट पर आप भुगतान करना चाहते हैं, वहां जाएं और भुगतान विकल्प के रूप में डिजिटल वॉलेट चुनें।
5. भुगतान करें : अपने डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान करें, जिसमें आपको अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होगी और भुगतान की पुष्टि करनी होगी।
6. लेनदेन की पुष्टि करें : भुगतान की पुष्टि करने के बाद, आपको लेनदेन की पुष्टि मिलेगी और आपका भुगतान पूरा हो जाएगा। क्यू आर कोड के माध्यम से भी स्कैन कर पैमेंट किया जा सकता है।<sup>3</sup>

### डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने के लिए आपको :

- अपने फोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।
- अपने डिजिटल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।
- भुगतान के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता और कार्ड की जानकारी।

वर्तमान में यूपीआई पूरी तरह कार्यात्मक है और संयुक्त अरब अमीरात भूटान और सिंगापुर में उपलब्ध है। यूपीआई तकनीकी रूप से लाइव है और नेपाल, मॉरीशस, फ्रांस और श्रीलंका में पायलट परीक्षण पूरे हो चुके हैं। भुगतान मोड की व्यावसायिक तैनाती जल्द ही होने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति नेपाल भूटान सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात; तकनीकी रूप से मालदीव में लाइव है।

### क्रिप्टोकॉर्सेसी-

क्रिप्टोकॉर्सेसी वॉलेट एक डिवाइस,<sup>4</sup> भौतिक माध्यम, प्रोग्राम या एक ऑनलाइन सेवा है जो क्रिप्टोकॉर्सेसी लेनदेन के लिए सार्वजनिक और निजी कुंजी संग्रहीत करती है। कुंजियों को संग्रहीत करने के इस मूल कार्य के अलावा, एक क्रिप्टोकॉर्सेसी वॉलेट अक्सर जानकारी को एन्क्रिप्ट करने और हस्ताक्षर करने की कार्यक्षमता प्रदान करता है। ख उदाहरण के लिए हस्ताक्षर करने से स्मार्ट अनुबंध एक क्रिप्टोकॉर्सेसी लेनदेन; बिटकॉइन लेनदेन छवि देख पहचान या कानूनी रूप से दस्तावेज़; आवेदन फॉर्म विश्वसनीयता से निष्पादित हो सकता है।<sup>5</sup>

- बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकॉर्सेसी की बढ़ती स्वीकृति ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन के लिए
- स्थिर मुद्राओं का विकास अस्थिरता को कम करने और अपनाने में वृद्धि के लिए
- ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन के लिए

<sup>3</sup> ["History of QR Code". qrcode.com. Archived from the original on 15 October 2015. Retrieved 16 Oct. 2015.](#)

<sup>4</sup> रॉबर्ट्स, डैनियल (15 दिसंबर 2017)। "हार्डवेयर वॉलेट में बिटकॉइन कैसे भेजें"। *याहू! फाइनेंस*

<sup>5</sup> नाकामोतो, सातोशी। "बिटकॉइन: एक पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम" (पीडीएफ)।

क्रिप्टोकॉर्सेसी एक डिजिटल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित है। यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यह किसी एक संस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। क्रिप्टोकॉर्सेसी की दरें बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं। जब अधिक लोग क्रिप्टोकॉर्सेसी खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब अधिक लोग इसे बेचना चाहते हैं, तो इसकी कीमत गिर जाती है।<sup>6</sup>

क्रिप्टोकॉर्सेसी के साथ व्यापार संभव है। लोग क्रिप्टोकॉर्सेसी का उपयोग अन्य क्रिप्टोकॉर्सेसी, फिएट मुद्राओं (जैसे डॉलर या यूरो) या अन्य संपत्ति (जैसे सोना या चांदी) के लिए व्यापार करने के लिए कर सकते हैं।

क्रिप्टोकॉर्सेसी बहुत महंगी हो सकती है क्योंकि यह एक सीमित संसाधन है और इसकी मांग अधिक है। इसके अलावा, क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतें बहुत अस्थिर हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी से बदल सकती हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी देश की सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती है और न ही किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित होती है। इसका मूल्य पूरी तरह से ऑनलाइन बाजार में इसकी मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है।

**क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतों को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं :**

**मांग और आपूर्ति :**

जब अधिक लोग क्रिप्टोकॉर्सेसी खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब अधिक लोग इसे बेचना चाहते हैं, तो इसकी कीमत गिर जाती है।

**बाजार की भावना :**

क्रिप्टोकॉर्सेसी बाजार में अक्सर भावनाओं का राज होता है, जिसका अर्थ है कि जब लोग आशावादी होते हैं तो कीमतें बढ़ सकती हैं, और जब वे निराशावादी होते हैं तो कीमतें गिर सकती हैं।

**वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ :**

क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतें वैश्विक आर्थिक स्थितियों से भी प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी, या राजनीतिक अस्थिरता।

**नवाचार और प्रौद्योगिकी**

क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतें नवाचारों और प्रौद्योगिकी में सुधार से भी प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी में सुधार या नए उपयोग के मामलों का विकास। क्रिप्टोकॉर्सेसी के साथ व्यापार करने के लिए, आपको एक क्रिप्टोकॉर्सेसी एक्सचेंज पर एक खाता खोलना होगा, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप क्रिप्टोकॉर्सेसी खरीद और बेच सकते हैं। आप क्रिप्टोकॉर्सेसी को अन्य क्रिप्टोकॉर्सेसी, फिएट मुद्राओं (जैसे डॉलर या यूरो) या अन्य संपत्ति (जैसे सोना या चांदी) के लिए व्यापार कर सकते हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी के लाभों में शामिल हैं :

<sup>6</sup> "यादव, नागेंद्र सिंह और गोअर, विशाल और कुरी, मनोज। (2020)। क्रिप्टो वॉलेट: बैंकिंग के लिए ब्लॉकचेन और सुरक्षा समाधान के साथ एक आदर्श संयोजन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन। 24. 6056-6066 / 10.37200/IJPR/V24I2/PR2021078"

### **विकेंद्रीकरण :**

क्रिप्टोकॉर्सेसी किसी एक संस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जो इसे अधिक स्वतंत्र और लचीला बनाती है।

### **सुरक्षा :**

क्रिप्टोकॉर्सेसी को क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जो इसे अन्य प्रकार की मुद्राओं की तुलना में अधिक सुरक्षित बनाता है।

### **गोपनीयता :**

क्रिप्टोकॉर्सेसी लेनदेन में गोपनीयता होती है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान को प्रकट किए बिना लेनदेन करने की अनुमति देती है। क्रिप्टोकॉर्सेसी के साथ व्यापार करने से पहले, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतें बहुत अस्थिर हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी से बदल सकती हैं। इसके अलावा, क्रिप्टोकॉर्सेसी का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, इसलिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी विश्वसनीय एक्सचेंज या व्यापारी के साथ काम कर रहे हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी के फायदे और नुकसान हैं, इसलिए आपको अपने निवेश के निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को समझना चाहिए। क्रिप्टोकॉर्सेसी एक नए प्रकार की मुद्रा है, और इसकी कीमतें और उपयोग समय के साथ बदल सकते हैं।

### **कुछ प्रमुख क्रिप्टोकॉर्सेसी में शामिल हैं :**

- बिटकॉइन (BTC)
- इथेरियम (ETH)
- रिपल (XRP)
- लाइटकॉइन (LTC)
- बिटकॉइन कैश (BCH)

क्रिप्टोकॉर्सेसी के बारे में अधिक जानने के लिए, आप ऑनलाइन शोध कर सकते हैं या क्रिप्टोकॉर्सेसी समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी एक रोमांचक और तेजी से विकसित होती हुई तकनीक है, और इसके बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है।

### **बायोमेट्रिक पेमेंट क्या है :**

बायोमेट्रिक पेमेंट एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके शरीर के अंगों का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। इसमें आपके शरीर के अंगों जैसे-

- उंगली की छाप (Fingerprint)
- चेहरे की पहचान (Facial Recognition)
- आंखों की पहचान (Iris Scan)
- आवाज की पहचान (Voice Recognition)

का उपयोग करके भुगतान किया जाता है।

### **बायोमेट्रिक पेमेंट कैसे काम करता है :**

1. सबसे पहले, आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा को रजिस्टर करना होगा, जैसे कि अपनी उंगली की छाप या चेहरे की पहचान।
2. जब आप भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी।
3. एक बार आपकी पहचान पुष्टि हो जाती है, तो भुगतान स्वचालित रूप से किया जाता है।

### **बायोमेट्रिक पेमेंट के लाभ :**

1. सुरक्षा : बायोमेट्रिक पेमेंट सुरक्षित है क्योंकि यह आपके शरीर के अंगों का उपयोग करके भुगतान किया जाता है।
2. सुविधा : बायोमेट्रिक पेमेंट सुविधाजनक है क्योंकि आपको अपने पैसे या कार्ड को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
3. गति : बायोमेट्रिक पेमेंट तेजी से है क्योंकि यह स्वचालित रूप से किया जाता है।

कॉन्टैक्टलेस पेमेंट (Contactless Payment) एक ऐसी तकनीक है जिसमें भुगतान करने के लिए कार्ड या डिवाइस को किसी भी सतह से स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) या नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग किया जाता है।

### **कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कैसे काम करता है :**

1. सबसे पहले, आपके पास एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड या डिवाइस होना चाहिए जिसमें RFID या NFC तकनीक हो।
2. जब आप भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्ड या डिवाइस को कॉन्टैक्टलेस रीडर के पास ले जाना होगा।
3. कॉन्टैक्ट लेस रीडर आपके कार्ड या डिवाइस को पहचान लेगा और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा।
4. भुगतान स्वचालित रूप से किया जाता है और आपको किसी भी शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

### **कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लाभ :**

- सुविधा : कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधाजनक है क्योंकि आपको अपने कार्ड या डिवाइस को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- गति : कॉन्टैक्टलेस पेमेंट तेजी से है क्योंकि यह स्वचालित रूप से किया जाता है।
- सुरक्षा : कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुरक्षित है क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है।

### **कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के उदाहरण :**

- डेबिट/क्रेडिट कार्ड
- स्मार्टफोन
- स्मार्टवॉच
- फिटनेस ट्रैकर

**संपर्क रहित भुगतान :**

- संपर्क रहित भुगतान विधियों की व्यापक स्वीकृति, जैसे कि टैप-टू-पे कार्ड और वियरेबल्स
- सार्वजनिक परिवहन और आईओटी डिवाइसों के साथ संपर्क रहित भुगतान का एकीकरण
- धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि

**मोबाइल भुगतान :**

- मोबाइल भुगतान प्रणालियों जैसे कि यूपीआई, अलीपे, और वीचौट पे का विस्तार
- पीयर-टू-पीयर लेनदेन और ऑनलाइन खरीदारी के लिए मोबाइल भुगतान का बढ़ता उपयोग
- मोबाइल भुगतान का डिजिटल वॉलेट और लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ एकीकरण

**ब्लॉकचैन और वितरित लेजर प्रौद्योगिकी :**

- ब्लॉकचैन का उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान प्रसंस्करण के लिए
- विकेंद्रीकृत भुगतान नेटवर्क और प्रणालियों का विकास
- ब्लॉकचैन का पारंपरिक भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण

**इन नए तरीकों से भुगतान करने के लाभ :**

**सुरक्षा :** डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टोकॉर्सेसी सुरक्षित तरीके हैं जिससे आप भुगतान कर सकते हैं।

**सुविधा :** ये तरीके सुविधाजनक हैं और आपको अपने पैसे को डिजिटल रूप में स्टोर करने और ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनदेन करने की अनुमति देते हैं।

ये तरीके तेजी से हैं और आपको तुरंत भुगतान करने की अनुमति देते हैं। इसलिए, भुगतान का भविष्य डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टोकॉर्सेसी और अन्य नए तरीकों के साथ बदल रहा है। ये तरीके सुरक्षित, सुविधाजनक और तेजी से हैं और भविष्य में भुगतान को बदलेंगे।



## महिला सबलीकरण व महिलांच्या चळवळी

ढगे अक्षया रामराव

संशोधक विद्यार्थिनी

डॉ. माधव माणिकराव मोरे

सहाय्यक प्राध्यापक व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, नारायणराव वाघमारे महाविद्यालय आखाडा बाळापूर,  
जिल्हा हिंगोली

20 शतकातील समाजसुधारकांनी प्रथमतः स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या विषम दर्जा व वागणुकीचा प्रश्न उपस्थित केला. स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, ही जाणीव त्यांनीच निर्माण केली. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या राष्ट्रीय चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटनेनुसार कायद्यासमोर स्त्री-पुरुषांना समानता देण्यात आली. राज्यघटनेची तरतूद झाल्यामुळे विषमता, अन्याय, उच्च- निच, भेद- भेदभाव, इ. या समस्या सुटल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळेच अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त महिलांचे कार्य त्यातून दिसून येते. परंतु ही परिस्थिती 1960 ते 70 नंतर टिकून राहिली नाही.

1975 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे झाली तसेच 1975 ते 1985 हे दशक महिला दशक म्हणून साजरे केले. भारतात 1971 मध्ये परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने जी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने अहवालातील निष्कर्षांमध्ये स्त्रियांना भोगावे लागणाऱ्या भीषण विषमतेवर प्रकाश टाकला. याचा परिणाम स्त्रियांच्या आंदोलनकारी गटाचा उदय झाला. या गटाची उद्दिष्ट महिलांचा दर्जा वाढवण्याचे होते. अमानुष रूढीला विरोध करावयाचा होता. स्त्रियांचा छळ आणि पिवळणूक कशी होते हे लक्षात घेतले गेले. स्त्री शोषणाविरुद्ध, मुक्तीसाठी लढे उभारले जाऊ लागले. स्त्रियांना जाणवणाऱ्या असमानता कमी व्हाव्यात म्हणून महिला कृती गटाचा उदय झाला. त्यांनी स्त्री समस्याकडे व्यापक प्रमाणात लक्ष वेधून घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न चालवले. स्त्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून निदर्शने केली. त्यात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना, गर्भजल परीक्षा, प्रसिद्धी पत्राध्यमात वापरली जाणारी स्त्रीची लैंगिक प्रतिमा, आदिवासी महिलांचा जमीन धारणा हक्कासाठी संघर्ष, इत्यादी स्त्री जीवनाशी संबंधित समस्येचा विचार केला गेला. त्याविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठवला गेला. 1975 पासूनच्या दोन दशकांच्या अभ्यासातून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचार लक्षात घेऊन या शोधनिबंधाची मांडणी करण्यात आली आहे.

सबलीकरणाचा विचार आणि स्त्री जीवन, स्त्रियांमध्ये घडून आलेल्या सध्याचा बदल हा बऱ्याच अंशी परिस्थितीने त्यांच्यावर लादला गेला आहे. त्यामुळे आजची सुधारणा भक्कम पायावर उभारलेली आहे असे म्हणता येत नाही, असा दृष्टिकोन आढळतो. अनेक अर्धशिक्षित महिला उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करीत आहेत. परंतु त्यांची जुन्या पद्धतीची ग्रह जीवनाची ओढ सतत वाढत असते. मात्र त्यातिल काही जणांचा रोजगाराच्या निमित्ताने घराबाहेरच्या वातावरणाचा अनुभव घेतलेल्या स्त्रीला पुन्हा घरातच गुंतून राहणे आवडणार नाही. जोपर्यंत स्त्रिया अन्न वस्त्र साठी पुरुषावर अवलंबून आहेत. व जोपर्यंत घर कामाचा अंतर्भाव अर्थ उत्पादक कामाच्या यादीत केला जात नाही. तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्त्रिया मुक्त झाल्या असे म्हणता येत नाही. स्त्रियांनी मानाने जगावे व त्यांना समाजात स्वतंत्र स्थाना असावे अशी प्रामाणिक इच्छा

असणाऱ्यांनी स्त्रियांना असे शिक्षण दिले पाहिजे की, त्यायोगे त्यांना स्वतंत्र बौद्धिक जीवन लाभेल. स्वतःच्या पायावर त्या उभ्या राहू शकतील. त्यांना त्यांचा हक्काची जाणीव होईल. असा दृष्टिकोन या शोधनिबंधाच्या आधारे मांडण्यात आलेला आहे.

विवाहाची जबाबदारी घेण्यापूर्वी प्रत्येक मुलीला असे शिक्षण मिळाले पाहिजे की कोणत्याही परिस्थितीत ती आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकेल. या विचाराला सर्वसामान्यपणे मान्यता मिळत गेली. परंतु कृतीत अद्याप पूर्णपणे उतरले गेल्याची दिसत नाही. शहरातील लोक मुलींना आता शक्य तेवढे शिक्षण देऊ लागले आहेत. मध्यम वर्गातील आर्थिक परिस्थिती ही त्याला कारणीभूत ठरत आहे. मात्र ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार केला जावा. अशी परिस्थिती आजही आहे. हुंड्याची अनिष्ट पद्धत अजूनही आहे. आंतरजातीय विवाह कडे कल झुकतो आहे. मात्र मुलांना व मुलींना आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याची पात्रता येण्यासाठी शिक्षणाची जोड देणे आवश्यक आहे. पाश्चिमातीकरणाकडे न बघता भारतीय स्त्रीने भारतीय संस्कृतीच्या साच्यातच आपल्या जीवनाचे सापडले शोधले पाहिजे, अशा प्रकारच्या विचाराचा एक प्रभाव आढळतो. कारण जीवनाचे सौंदर्य हे बाह्य सुधारणेत नाही. तर आंतरिक मूल्यात आहे. अशी भारतीय परंपरा विचारापासून प्रेरणा घेतलेली दिसून येते. भारतीय स्त्रिया म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे चालते बोलते प्रतीक मानले जाते.

आतापर्यंत मध्यमवर्गीय स्त्रियांचे स्त्रीचे जीवन ठराविक होते. घरकाम, थोडेफार शिकणे, फिरणे, याबरोबर करमणूक प्रधान छंद, व्यवसायात रमणे यात तिचा वेळ व्यतीत होत होता. मुलांचा असलेले संबंध व जीवनातील गुंतागुंत निर्माण होण्यापूर्वीच बहुतेक मुलीचा विवाह होत असत. परंतु ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत चालली. मुलींच्या शिक्षणा प्रसाराबरोबर विवाहाचे वय वाढत गेले. नवनवीन करमणुकीचे साधने, सौंदर्य प्रसाधनाचा प्रसार, इत्यादीमुळे पूर्वीची साधी राहणी जाऊन नवीन जीवनपद्धती येत गेली. हे जीवनमनावर जसे परिणाम दिसून येत गेले. त्याचबरोबर इतर क्षेत्रात स्त्रियांचा प्रवेश सुरू झाला. त्यातूनच नामवंत लेखिका, गायिका, तत्वज्ञ, राजकारणी शास्त्रज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्रियांच्या शिक्षणात वाढ होत गेली. स्त्रियांचे स्वावलंबन वाढत गेले. विविध क्षेत्रात कामे करण्याची संधी स्त्रीला आता उपलब्ध झालेली आहे.

स्त्रियांवर होणारे अन्याय दूर करावेत, अनिष्ट रूढी बंद व्हाव्यात, म्हणून 19 व्या शतकापासून आधुनिक काळात समाज सुधारक आणि प्रयत्न केले. काही कायदे अस्तित्वात आले. 1937 नंतर हिंदू विधवा स्त्रियांच्या परिस्थितीत बरी सुधारणा झाली. पती निधनानंतर पत्नी संपत्तीचा हिस्सा, मुलाबरोबर तिचा कायदेशीर दर्जा ही सुधारलेला आहे. भारतातील मुसलमान व ख्रिश्चन समाजात मुलीला वडिलांच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळवण्याबाबत नियम आहेत. शिक्षणाने आर्थिक स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र स्वावलंबी होतील, परंतु कायद्याच्या दृष्टीने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नुसते कायदे करून खऱ्या सुधारणा कमी अमलात येत नाही. त्यासाठी समाजाच्या पाठिंब्या आणि जागृती असणे आवश्यक असते. नव्या बदलाचा स्वीकार करण्याची मानसिकता तयार व्हावी लागते. जेव्हा समाजात आर्थिक सुस्थिती होती. तेव्हा देखील विधवा म्हणजे समाजाचा निरुपयोगी घटक असे समजले जात होते. जुन्याकाळी विधवावर अनेक कशे बंधने होती. परिवर्तनवादी चळवळीच्या लाटेने त्यात बऱ्याच प्रमाणात शिथिलता आलेली आहे. त्यांना शिकण्याची तसेच व्यवसायात कार्ये करण्याची संधी मिळावी, बदलत्या

परिस्थितीत स्त्रियावर होणारे अन्याय दूर केले जावेत म्हणून प्रयत्न झालेत. सतीबंदी, बालविवाह बंदी, विधवा पुनर्विवाह इत्यादी चळवळीमध्ये यश येत गेले. परंतु स्त्री जिवनासंदर्भात नवीन समस्या वाढीस लागलेले आहेत. विवाहाचे वय वाढलेले आहे. त्यामुळे बालविवाहामुळे दिसून येणारे अनिष्ट परिणाम आज दिसत नाहीत. परंतु हुंडाबळी सासर्याकडून होणारा छळ या व इतर अनेक अन्य समस्या वाढत आहेत. त्या दृष्टीने स्त्रियांच्या या समस्यावर मात करण्यासाठी सेवाभावी संस्था अनेक ठिकाणी कार्यरत आहेत. शासकीय पातळीवरून इत्यात दखल घेतली जात आहे. परंतु या समस्येच्या संख्येत घट होताना दिसत नाहीत. यातूनच स्त्रीमुक्ती चळवळ वाढीस लागली आहे.

### स्त्री मुक्ती चळवळ

19 व्या शतकामध्ये ज्यावेळी भारतीय स्त्रिया पूर्ण निरक्षर, पददलित आणि मानवतेच्या सर्व हक्कांना वंचित होती. त्यावेळी समाजाची अवहेलना सहन करित अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. त्यातून स्त्री जीवनविषयक स्थितः अंतरे होत गेली स्त्री मुक्ती चळवळीने जोर धरला. स्त्री मुक्तीची चळवळ ही पुरुषाबरोबर नाही किंवा पुरुषा बरोबरीची नाही. पुरुषाबरोबरची स्पर्धा ही नाही तर हा संघर्ष आहे. तो पुरुषी अरे राव विरुद्ध पुरुषी अहं ते विरुद्ध पुरुषी प्रवृत्ती विरुद्ध या विचारातून स्त्री मुक्तीची चळवळ सुरू झाली. स्त्रीची अशी अवस्था होण्याचे कारण पाहताना फेडरिक इंगल्सने, आपले विचार मांडलेले आहेत, त्यानुसार प्रजोत्पादनाच्या नैसर्गिक गुणामुळे तिला मानवी समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेत स्वामिनीपद प्राप्त झाले. त्यानंतर वारसा हक्क वंशपरंपरेने पिताकडे देऊन पुरुषप्रधान संस्कृती वाढीस लागली. आधुनिक काळात स्त्री घराबाहेर पडून नोकरी करू लागली. तरी तिच्याकडे पाहण्याचा पुरुषी प्रवृत्तीत फारसा फरक पडला नाही. समाजाचा विकास होत गेला. परंतु स्त्रीचे समाजातील दुय्यम स्थान तसेच राहिले.

**1) लिंगभेद समाज :-** समाज जीवनाकडे उत्पादन प्रक्रिये कडे पाहिले असता, भारतातील श्रम विभागणी ही लिंगभेदावर आधारलेली दिसून येते. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची प्राथमिक जबाबदारी आपले घरच मानली जाते. ही मानसिकता असल्यामुळे आणि श्रम विभागणीमुळे बऱ्याच प्रमाणात सत्ता आणि संपत्ती यावर पुरुषाचे नियंत्रण राहिले आहे.

स्त्री वर्गाला पुरुष वर्गाकडून आजही संपूर्णपणे न्याय वागणूक दिली जात नाही. हे मान्य करून सुद्धा एक निश्चित सांगता येईल की, आजच्या पुरुष वर्गाची मासिकता मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे बदलत आहे. स्त्री मुक्तीचा संदेश घेऊन आलेल्या, स्त्री स्वातंत्र्य पुरस्कार, त्यांनी सामाजिक क्रांतीची च्या घोषणा लावल्यामुळे असेल व खऱ्या अर्थाने स्त्री जातीवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल अपराधीपणाची भावना पुरुषवर्गाला झाल्यामुळे असेल, आजची स्त्री ही बऱ्यापैकी सामाजिक प्रतिष्ठेच्या स्थानावर येऊन ठेपली आहे. सामाजिक बदलाची एक गती असते. त्या गतीनुसारच बदल घडत असतात. चळवळी करून फार तर बदल वाढवता येते. पण त्वरित घडणाऱ्या सामाजिक क्रांतीचे स्वप्न पाहण्यात अर्थ नसतो. गतीची चाके अविरीतपणे वेगाने फिरवण्याचा प्रयत्न हा कधीकधी प्रतिवादी प्रतिक्रियेला जन्म देतो. आणि मग सामाजिक सुधारणेत बाधा निर्माण होते.

**2) विचारविरुद्ध लढा:-** शूद्र भाव, पार्श्वभूमी, भोगशक्ती, सार्वजनिक संपत्ती, स्वार्थासाठी लुटमार, कोर्य, खोटेपणा, अरेरावी इत्यादी भांडवली व्यवस्थेचे अविष्कार म्हटले जातात. त्यासाठी उत्पादन साधनावरील मालकी हक्क नष्ट करणे आणि भांडवली संस्कृती नष्ट करणे ही दोन्ही उद्दिष्टे उद्दिष्टे स्त्री मुक्ती

चळवळीची मानली जातात. म्हणून हा लढा केवळ प्रचलित शोषणाधिष्ठ व्यवस्थेविरुद्ध नाही. तर तो स्वतःशी पण आहे. मनात रुजलेल्या भांडवली विचाराविरुद्ध, संस्काराविरुद्ध, कल्पनाविरुद्ध, संघर्ष विरुद्ध असा आहे. असा एक दृष्टिकोन आढळतो

**3) संघटन:-** स्त्रियांचे सर्व प्रश्न वैयक्तिक पातळीवर सुटणार नाहीत. व्यक्तिगत पातळी बरोबरच व्यापक सामाजिक चळवळ आणि स्त्रियांचे संघटन आवश्यक आहे. हे स्त्री मुक्ती चळवळीच्या दृष्टीने लक्षात घेतले पाहिजे. एखादी स्त्री वैयक्तिकरित्या आपला विकास करून घेऊन खाजगी जीवनातील समानता ही होऊ शकेल. परंतु संपूर्ण समाजाचा दृष्टिकोन बदलल्यास समाजातील स्त्री म्हणून तिची उपेक्षा थांबवण्यास हा लढा सुरु असल्याचे दिसून येते.

स्त्रीला कायद्याने वारसा हक्क मिळाला आहे. घटस्फोटाचा हक्क मिळाला आहे. दिवसेंदिवस या कायद्याच्या आधारे अधिकाधिक स्त्रिया आपल्या जीवनातील याचा अन्याय कमी करू शकत आहेत. स्त्रियांच्या समस्यावर आधार घेऊन सामाजिक व्यक्तिगत पातळीवरील विविध दृष्टिकोन समोर आलेले आहेत. त्यामधील प्रसिद्ध विचारवंत, मानवेद राय म्हणतात, “आधुनिक स्त्रिया या पुरुषाविरुद्ध नव्हे तर ज्या विशिष्ट सामाजिक प्रथेमुळे व आर्थिक विषमतेमुळे त्यांना पुरुषाच्या वर्चस्व ते खाली राहावे लागते. त्याविरुद्ध बंड करित आहेत.” स्त्री समाजवाद मार्क्सवाद या दृष्टिकोनातून वरील प्रमाणे विविध मते स्त्री मुक्ती चावी संदर्भात आढळतात. स्त्री-पुरुष नात्यांमध्ये विरोध आहे, ही त्यात असलेल्या शक्तीला जेथे पैशावर सर्व नातेसंबंध ठरवली जातात. आर्थिक सुरक्षितता व स्वातंत्र्य नसते.

स्त्रियांच्या चळवळी 1975 पूर्वी महाराष्ट्रात स्त्री संघटना कार्यात आहे. प्रश्न ही मांडली जात होते. पण माध्यमांनी त्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. स्त्री चळवळ समजावून घेतले नाही. यातून स्त्री संघटना स्वतःच्या नियतकालिकाची गरज वाटली. त्यातून त्यातूनच अनुसया, वायजा, आवाज, आवृत्ती, महिला आंदोलन, पत्रिका, ललकारी, यासारखी नियतकालिके निघाली.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्त्री जीवनात अनेक बदल घडण्यास सुरुवात झाली. गांधीयुगात मोठ्या संख्येने स्त्रियांनी राष्ट्रीय आंदोलनात भाग घेतला. त्यातून त्यांच्या कार्याचा विस्ताराला एक वेगळी दिशा मिळत गेली. सामाजिक सुधारणांच्या बरोबर स्त्री जागृतीला सुरुवात झाली. सुधारणांच्या समाजकारणाप्रमाणेच स्वातंत्र्याच्या राजकारणात व खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन उद्धार इत्यादी विधायक कार्यक्रमांमध्ये स्त्री आणि पुरुषांच्या बरोबरीने समानतेच्या पायावर सहभागी व्हावे, असे महात्मा गांधींचा आग्रह होता. त्यातूनच अनेक स्त्रियांनी सत्याग्रहात व अन्य राजकीय चळवळीतून त्या संबंधित कृतीतून सहभाग घेतला. 1904 मध्ये सुरु झालेल्या चळवळीला स्त्री कार्यकर्त्या मिळाल्या. काँग्रेसमधील संघटनेच्या चौकटीत राहून त्यांनी समाजवादी तत्त्वज्ञानाच्या समाजात सेवा दल व अन्य माध्यमातून प्रसार केलेला आहे. स्त्रियांच्या विद्यार्थी संघटनेत असा थोडाफार सहभाग सुरु झाला. तसेच डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीतून दलित स्त्रियांच्या सहभाग वाढला. हिंदुत्ववादाच्या पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जोडीला राष्ट्रसेविका समिती ही स्त्रियांची संघटना स्थापन झाली. स्त्री मतदारांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला होता. त्यातून स्त्रियांच्या सहभाग वाढला. ही स्त्री जीवनातील बदल राजकीय जीवनात दिसून आली. तसेच वैवाहिक, कौटुंबिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, जीवनातील होत गेली. स्त्रियांच्या सर्व क्षेत्रात

सहभाग वाढत गेला. तिच्या समस्या वाढत गेल्या. पूर्वीच्या स्त्री जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी समाज सुधारकांनी प्रयत्न केले. पुढे त्याला कायद्याची जोड दिली गेली.

आधुनिक कालखंडात विशेषता स्वातंत्र्यानंतर काळात स्त्रियाला आपल्या समाजाची जाणीव होत गेल्याने त्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यांच्या संघटना उभारल्या. आपल्या हक्कासाठी संघर्षाची तयारी ठेवली. त्यातून त्यांच्या चळवळी वाढीस लागल्या. सामाजिक जीवनात मोठे परिवर्तन घडवून येण्यास सुरुवात झाली. त्याचे स्वरूप आज दिसून येत आहे. पुरुषाच्या बरोबरीने स्त्रीचे कार्यक्षेत्र विस्तारले. समानतेचा हक्क मिळवण्यासाठी स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला. अजूनही करावा लागतो आहे. नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. अडचणी निर्माण होत आहेत. या सर्वांवर मात करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या वाटचालीचा मागवा या शोधनिबंधात घेण्यात आलेला आहे. स्त्रियांच्या समस्या चा विचार करून त्यानुसार वेळोवेळी कायदा सुधारणा करण्यात आल्या. अर्थाजणांसाठी स्त्री बाहेर पडल्याने तिच्या व्यक्तिगत समस्या निर्माण झाल्या. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जे प्रयत्न होत गेले. त्यांच्या संघटना, चळवळी वाढीस लागल्या. ग्रामीण स्त्रीच्या जीवनावरही त्याचे परिणाम दिसून येत गेले. त्यातून स्त्रियांच्या सबलीकरणाचा विचार वाढीस लागला.

### संदर्भसूची

1. इंगल्स दि, 'ओरिजन ऑफ दि फॅमिली', प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड स्टेट मास्को, फॉरेन लॅंग्वेजेस पब्लिकेशन्स 1957
2. ग. बा. सरदार, 'महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रबोधनाची वाटचाल' पारगाव, नवनिर्माण प्रकाशन
3. प्राचार्य डॉ. संभाजी देसाई, 'महिला सबलीकरण' प्रशांत पब्लिकेशन्स
4. उज्वला वैरागडे विद्युलता मुळे, 'सामुदायिक विकास विस्तार शिक्षण व महिला सबलीकरण' विद्या बुक्स
5. डॉ. सुवर्णा सूर्यवंशी, 'महिला सबलीकरण बदलते सामाजिक व राजकीय संदर्भ'
6. जयश्री महाजन, 'महिला सक्षमीकरण' अथर्व प्रकाशन

# “पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राचा परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेला परिणाम”

सहाय्यक. प्रा महेंद्र जीवन कडू

सेंट जोसेफ कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, उत्तन , भायंदर, (पश्चिम)

## गोषवारा

देशामध्ये शहरीकरण वाढत असताना आर्थिक सुबत्ता आल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात वाढ होत आहे. जागतिक पातळीवर पर्यटन क्षेत्रात चार टक्के वाढ होत असताना भारतात मात्र या क्षेत्रात दरवर्षी १० टक्के वाढ होत आहे. जगामध्ये भारताचा पर्यटनामध्ये पहिल्या दहा देशांमध्ये समावेश होतो. पर्यटन विषयाची व्याप्ती मोठी आहे.सांप्रत काळात कृषी पर्यटन ही ग्रामीण विकासाला उभारी देणारी संकल्पना विकसित झालेली आहे.जर आपण कृषी पर्यटन या संकल्पनेचा विचार केला तर यामध्ये “कृषी” व “पर्यटन” या दोन भागांचा समन्वय हा दिसून येतो. या संकल्पनेमध्ये शेती पर्यटक शेतांना भेट देतील, शेतीचे विविध अंगे व पैलूचे दर्शन वा अनुभव घेतील, आणि शहराकडचा कोलाहलापासून दूर आणि प्रदूषण मुक्त वातावरणाचा अनुभव पर्यटक घेऊ शकतील तसेच ताजा फळे व भाजीपाला खरेदी करू शकतील.एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागातील आहार पद्धती तिथल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पारंपारिक लोककलांचा अनुभव व आनंद पर्यटक घेऊ शकतील. तसेच पुन्हा ताजेतवाने होऊन आपल्या शहराकडे जाऊ शकतील. या संकल्पनेच्या आधारावर ग्रामीण भागातील माणूस हा शहराशी जोडला जाईल. तसेच शहरातील मुलांना आपले मामाचे घर मिळेल. तसेच कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुगीचे दिवस येतील.शहरातील पैसा हा ग्रामीण भागात आल्याने आपले गाव निश्चित स्वयंपूर्ण होऊन शाश्वत विकासाकडे वाटचाल सुरू होईल..

**किवर्ड:-**कृषी, कृषी पर्यटन केंद्र, कृषी पर्यटन केंद्राचा परिणाम

**प्रस्तावना :-**भारत देशाची ओळख खेडेप्रधान आणि शेती प्रधान अशी आहे. भारताचा विचार केला तर ६.५० लाख गावांमध्ये १४.५० कोटी शेतकरी राहतात; म्हणजेच ५८ टक्के समाज गावात राहतो. महाराष्ट्राच्या ४५ हजार गावांमध्ये १.२० कोटी शेतकरी राहतात. शेतकऱ्यांचे प्रमाण एवढे असूनही देशाच्या एकूण सकल उत्पन्न कमी आहे .हे उत्पन्न वाढण्यासाठी देशातील काही शेतकर्यांनी कृषी पर्यटन केंद्राची उभारणी केली आहे.महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात 55 कृषी पर्यटन केंद्रे विकसित झालेली आहेत.या कृषी पर्यटन केंद्रामुळे केवळ कृषी पर्यटन केंद्र चालकांचा विकास झालेला नाही तर परिसरातील शेतकरी वर्गावर सकारात्मक परिणाम झालेले आहेत.

## अभ्यासाची उद्दिष्टे

1.कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेले परिणाम अभ्यासणे

## अभ्यासाची गृहीतके

1.कृषी पर्यटन केंद्राच्या अस्तित्वामुळे परिसरातील शेती व्यवसायावर सकारात्मक परिणाम होतो.

2. कृषी पर्यटन केंद्राच्या अस्तित्वामुळे परिसरातील पर्यावरण पूरक शाश्वत विकासाला चालना मिळते.

**संशोधन पद्धती-**कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेले परिणाम अभ्यास करण्यासाठी संशोधकाने प्राथमिक आणि द्वितीय संशोधन पद्धतीला वापर केला आहे.

### **संशोधनाची व्याप्ती**

सदर संशोधन हे पालघर जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 27 कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेले परिणामाचा अभ्यास करते.

### **संशोधनासाठी घेतलेला नमुना**

सदर संशोधनासाठी संशोधकाने पालघर जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 27 कृषी पर्यटन केंद्रांची नमुना म्हणून निवड केलेली आहे

### **पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राचा परिसरातील शेती व्यवसायावर झालेले परिणाम**

**विश्लेषण:-**पालघर जिल्हा हा कोकण विभागात महाराष्ट्र राज्यातील एक जिल्हा आहे. पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट इ.स. २०१४ रोजी निर्मित करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा म्हणून निर्माण झालेला हा जिल्हा कृषी पर्यटन व्यवसायात अग्रेसर ठरत आहे. कारण पर्यटन व्यवसाया च्या विकासासाठी लागणारे प्राकृतिक घटक या जिल्ह्याला निसर्गाने भरभरून दिले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील 27 कृषी केंद्राचा अभ्यास करता असे लक्षात आले की या जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्र क्रियाशील असून काळानुसार या व्यवसायात संशोधनाचे कार्य सुरू आहे. या व्यवसायाशी संबंधित नवनवीन उपक्रम राबवून कृषी पर्यटकांना सुद्धा आकर्षित केले आहे. पालघर जिल्ह्यात कृषी पर्यटन केंद्राचा विकास होत असताना विविध उपक्रम जे नाविन्यपूर्ण आहेत जे शेतीशी निगडित आहेत ते राबविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे .या प्रयत्नाचे फळ म्हणून कृषी पर्यटन केंद्राचा मालकांच्या जीवनात सुगीचे दिवस आलेले आहेत .समाजात त्यांना मानसन्मान मिळालेला आहे .या कृषी पर्यटन केंद्राच्या मालकाकडून परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनी प्रेरणा घेऊन शेतीशी निगडित व्यवसाय सुरू केले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राचा शेती परिसरातील शेती क्षेत्रावर झालेला परिणाम पुढीलप्रमाणे सांगता येईल

**(अ). जलसंधारण :-** पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राचा आजूबाजूचा परिसरातील शेतकऱ्यांना खूप फायदे खूप फायदे झालेले आहेत. 27 कृषी पर्यटन केंद्रांपैकी 50% कृषी पर्यटन केंद्राच्या मालकांनी आपला शेतात शेततळे तयार केलेले आहेत. यात पावसाचे पाणी साठवलेले आहे. या साठवलेल्या पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी व मासेमारीसाठी केला जातो. या कृषी पर्यटनाचा मालकाने घालून दिलेल्या जलसंधारणाचा पाऊलवाटेने परिसरातील शेतकरी सुद्धा जाऊ लागले आहेत.. .या जलसंधारणामुळे कृषी पर्यटन केंद्राचा आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना व लोकांना फायदे झाले आहेत ते पुढील प्रमाणे (1) जलसंधारण केल्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली आहे .त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना शेतात असलेल्या विहिरी व लोकांच्या बोरवेलच्या पाण्याची पातळी जी उन्हाळ्यात एकदम खाली असायची ती पातळी वाढलेली दिसून येते. त्यामुळे लोकांना व शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी पुरते (2) जलसंधारण केल्यामुळे पावसात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी झाला आहे पिकांना आवश्यक असलेले नत्र, स्फुरद व पालाश यांचा व्हास कमी झाला आहे

(3) पिकांचा आवश्यक असलेल्या घटकांचा न्हास कमी झाल्यामुळे जमिनीची उत्पादकता वाढली आहे. पूर्वी ज्या जमिनीत शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळायचे त्या जमिनीत जास्त उत्पाद मिळू लागले आहे

(4)जमिनीची उत्पादकता वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे त्याच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुकूल परिणाम येथील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे .

**(ब)मृदसंधारण :-**

जमिनीची सुपीकता कायम टिकून ठेवण्यासाठी मृदा संधारण करणे आवश्यक आहे पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्रात मृदसंधारण व जलसंधारण होण्यासाठी वृक्षारोपण व वृक्षाचे संवर्धन केले आहे. मृद संधारण करण्यासाठी पिकाची फेरपालट, शेतीला बांध घालणे,नवीन झाडे लावणे यासारखे उपाय केले आहेत. त्यामुळे कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामध्ये (1)वृक्ष संवर्धन केल्यामुळे ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवून कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी झाले आहे त्यामुळेच या परिसर अल्लादायक वाटते .(2)मृदसंधारण केल्यामुळे हवेचे प्रदूषण कमी झाले आहे व मातीची धूप कमी होत आहे(3) मातीचा एक इंचाचा थरात असणारे जमिनीतील मूलद्रव्ये वृक्षाचे मुळे धरून ठेवतात त्यामुळे पिकाची उत्पादन जोमाने वाढते आहे .जमिनीची सुपीकता टिकून राहते (4) वृक्ष संवर्धनामुळे पक्षांची आश्रयस्थाने सुरक्षित झाली आहेत. विविध पक्षी येथे पाहायला मिळतात

**(क) मधुमक्षिका पालन:-** शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मधुमक्षिका पालन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्रात 75 टक्के कृषी पर्यटक केंद्राच्या मालकाने सातेरी जातीचा मधमाशांचे पालन केले आहे. त्यामुळे त्यांना मधाची उत्पादन ते मिळतेच परंतु भाजीपाल्याच्या उत्पन्नात वाढ होते हे पाहून परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये या पर्यटन केंद्राच्या मालकाकडून प्रेरणा घेऊन शेती व्यवसायात मधुमक्षिका या शेती पूरक व्यवसाय सुरू केला बआहे त्यामुळे अनेक फायदे होत आहेत

(1) मध उत्पादनामुळे आर्थिक प्राप्ती चांगली मिळू लागली आहे.

(2) दोन मधमाश्या पालन त्यांनी आपल्या शेतातच केले आहे त्यामुळे भाजीपाला व फुलांच्या फळबागेतील उत्पादनात वाढ झाली आहे.

(3) मध सेवनाचे फायदे लोकांना माहीत असल्यामुळे त्यांच्या शुद्ध मताच्या विक्रीस उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

**(ड) सेंद्रिय शेती -**सजीव पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्र समजून घेऊन व रसायनाचा वापर टाळून केलेली शेती म्हणजे सेंद्रिय शेती होय .पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्रात 75 टक्के सेंद्रिय शेती केली जाते. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सुद्धा सेंद्रिय शेती करण्याच्या संकल्प केलेला आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीपासून उत्पादित झालेला मालाला रास्त किंमत किंमत मिळत आहे

**(इ)रोपवाटिका :-** पालघर जिल्ह्यात 27 कृषी पर्यटन केंद्रा पैकी 5 कृषी पर्यटन केंद्रात रोपवाटिका हा शेतीपूरक व्यवसाय सुरू केलेला आहे. या कृषी पर्यटन केंद्राच्या मालकांकडून प्रेरणा घेऊन परिसरातील शेतकऱ्यांनी रोपवाटिका तयार केलेली आहे पुढील फायदे झालेले आहेत.1.शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ (2) फळझाडे फुलझाडे यांचीही रूपे तयार केल्यामुळे त्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे कारण हे शेतकरी दर्जेदार असा मातृक्षापासून दर्जेदार रोपे तयार करत आहेत तीन यामुळे वृक्ष झाडाच्या लागवडी सातवा लागून पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे चार रोपवाटिकेमुळे या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात म्हणजेच परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पादनात वाढ झाली आहे प्रक्रिया उद्योग पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्रात 50% कृषी पर्यटन केंद्र केंद्रात प्रक्रिया उद्योग निर्माण झालेले आहेत तर 50% कृषी



पर्यटन केंद्र ही परिसरातील बचत गटाने विकसित केलेली आहेत. ह्या बचत गटातील सर्व सदस्य शेतकरी आहेत. या बचत गटांनी आपल्या भागात शेतातून उत्पादित झालेल्या मालावर प्रक्रिया करून हा माल जवळच्या कृषी पर्यटन केंद्रात विक्रीस ठेवलेला आहे. यामध्ये चिकू प्रक्रिया उद्योग मसाले सरबते जॅम चटण्या अशा प्रकारची उत्पादने घरगुती स्वरूपात तयार केले जातात त्यामुळे परिसरातील बचत गटांना सुद्धा फायदा झालेला आहे ते फायदे पुढील प्रमाणे (1) प्रक्रिया उद्योगामुळे रोजगाराच्या संधी परिसरात उपलब्ध झाले आहेत (2) घरगुती स्वरूपाचे उद्योग असल्यामुळे विक्री करण्यास कोणत्याही समस्या निर्माण होत नाही (3) महिला बचत गटाने या उद्योगांमध्ये रस घेतल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढले व एकीही निर्माण झालेली आहे.

**निष्कर्ष:-** पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राच्या विकास होताना परिसरातील शेतकऱ्यांनी कृषी पूरक व्यवसाय सुरू केले आहेत. हा एक सकारात्मक परिणाम पालघर जिल्ह्यातील कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरात दिसून येतो. कृषी पर्यटन केंद्राच्या नावलौकिक एवढा वाढला की आजूबाजूचा काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात कृषी पर्यटन केंद्रे सुद्धा सुरू केलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर शेतीमध्ये नवनिर्मिती करून पर्यटकांना आकर्षित करून घेतलेले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी काही परिसरातील शेतकऱ्यांनी कृषी पर्यटन केंद्राच्या परिसरात कुकूटपालन, मधुमक्षिका पालन, बागायती शेती, रोपवाटिका, दुग्ध व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग वनौषधी शेती आणि बकरी पालन इत्यादी जोड व्यवसायात सुद्धा सुरू केलेले आहेत. कृषी पर्यटनामुळे पालघर जिल्ह्यातील अर्थकारणावर सकारात्मक परिणाम होत आहे. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी पर्यटन व्यवसायाची वाट धरली तर शेती आणि पर्यटनाच्या संगमातून केवळ रोजगाराची संधीच फक्त निर्माण होणार नाही तर ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास वाटतो.

#### संदर्भ ग्रंथ

1. James A Maetzon, N.A. (2009). Nature-Based Tourism and Agritourism
2. Kumbhar, D. V. (ISSN 2249-9598, Volume-2, Issue-3 (May-June, 2020) Tourists Expectation Regarding Agritourism:
3. Maharashtra Krishi Partatan Vistar Yojana, 2008, A. T. D. C, Pune
4. www.agrotourism. com
5. गोडवा मासिक, मे, 2012
6. बळीराजा मासिक, मार्च, 2013
7. पर्यटन भूगोल, डॉ विठ्ठल धारपुरे, पिंपळापुरे प्रकाशन 1998
8. संशोधन पद्धती, डॉ बा. भा. पाटील, प्रशांत पब्लिकेश पुणे, 2006
9. संशोधन पद्धती शास्त्र व तंत्रे, डॉ प्रदीप आगलावे, विद्या प्रकाशन, नागपूर, 1999
10. <http://www.shodhganga.inflibnet.ac.in>

## भारतातील पत्रकारिता : सद्यस्थिती, आव्हाने आणि भविष्य

सागर ज्ञानेश्वर दरेकर

संशोधक विद्यार्थी

### प्रास्ताविक

पत्रकारिता ही माणसाला सर्वांगाने समृद्ध करते. पत्रकारितेबाबतची कर्तव्ये, उत्तरदायित्व आणि वास्तवाबद्दलची सखोल व व्यापक जाण ही पत्रकारितेचे रीतसर, व्यावसायिक शिक्षण नसताना देखील अगोदरच्या पत्रकारांच्या पिढ्यांना होती; किंबहुना त्यांनीच या क्षेत्राला दिलेल्या वळणामुळे या क्षेत्राची म्हणजेच पत्रकारितेची कर्तव्ये काय असतात हे समजणे सोपे जाते.परंतु आता काळ बदलला आहे,त्यामुळे ओघाने,पत्रकारितेचे स्वरूपही.भारतीय पत्रकारितेत नेमके कोणकोणते बदल घडले आहेत याचा आढावा घेण्याचा आपण सदर लेखात प्रयत्न करणार आहोत .

### भारतीय पत्रकारितेची थोडक्यात पार्श्वभूमी

सुरुवातीला भारतातील सामान्य लोकांची पत्रकारितेशी ओळख कशी झाली आणि पत्रकारितेची सुरुवातच मुळात भारतात कशी झाली यावर कटाक्ष टाकायचा म्हटले तर आपल्या लक्षात येते की भारतात वृत्तपत्राला सुरुवात अठराव्या शतकातच झाली.त्याकाळी प्रकाशित झालेले जे वृत्तपत्र होते ते मात्र भारतीय व्यक्तीने प्रकाशित केलेले नव्हते किंवा भारतीय भाषेतही झाले नव्हते.भारतात सर्वात पहिल्यांदा प्रकाशित झालेले वृत्तपत्र हे इंग्रजी भाषेतील 'बंगाल गॅझेट' आहे. १७५७ मधील प्लासीच्या लढाईनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता बंगालमध्ये बळकट झाली.आणि याच ईस्ट इंडिया कंपनीतील एक कर्मचारी जेम्स ऑगस्टस हिक्की याने कोलकत्ता येथे बंगाल गॅझेट हे वृत्तपत्र १७८० साली सुरू केले,बंगाल गॅझेट हे एक साप्ताहिक होते. त्याच्या प्रकाशनाच्या दुसऱ्याच वर्षी 'बॉम्बे कुरियर' नामक आणखी एक वृत्तपत्र उदयास आले,जे नंतर 'टार्न्स ऑफ इंडिया' या भारतातील प्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तपत्रात विलीन झाले.१८१७ पर्यंत भारतात जितकी वृत्तपत्रे प्रकाशित झाली ती इंग्रजी भाषेतच होती.

'दर्पण' या मराठी भाषेतील पहिल्या वृत्तपत्राची सुरुवात बाळ गंगाधर शास्त्री जांभेकर यांनी ६ जानेवारी १८३२ रोजी केली होती. दर्पण दोन रकान्यांमध्ये प्रकाशित होत होते, एका रकान्यामध्ये वृत्तपत्र मराठीत,तर दुसऱ्यामध्ये वृत्तपत्र इंग्रजी भाषेतून छापले जात होते. 'दर्पण' या मराठी वृत्तपत्राच्या सुरुवातीमुळेच बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर यांना मराठी वृत्तपत्राचे जनक म्हटले जाते. १८३२ मध्ये सुरू झालेल्या दर्पण वृत्तपत्राचे प्रकाशन १८४० दरम्यान थांबविण्यात आले. १८५४ नंतर इतर भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रे प्रकाशित होण्यास सुरुवात झाली आणि अशा प्रकारे भारतात वृत्तपत्र क्षेत्राचा विस्तार वाढत गेला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भारतीय वृत्तपत्रांचा मोलाचा वाटा मानला जातो. कारण क्रांतिकारकांनी जनजागृतीसाठी वृत्तपत्रांचेच साहाय्य घेतले होते.'द हिंदू', हे भारतातील पहिले ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक वृत्तपत्र आहे ज्याची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली होती, तसे पहायचे झाले तर, पत्रकारिता हा काही प्रामुख्याने पैसा कमावण्याचा किंवा नफा कमवण्याचा उद्योग नव्हे,असे सांगितले जाते. पत्रकारांचे काम सकळजणांना शहाणे करणे हेच असले पाहिजे, पत्रकारांनी समाजाला जागृत करण्याचे व्रत सोडू नये अशीही अपेक्षा असते.पत्रकारांनी लोकशिक्षण करत असताना समाजात नेमके काय सुरू आहे, त्यावर तटस्थ भाष्य करून दिशा देणे सुद्धा अपेक्षित असते.

म्हणून पत्रकारितेला व्यवसाय म्हटले जात नाही तर त्याला पेशा अर्थात व्रत म्हणून किंवा वसा म्हणून स्वीकारावे, असेही सांगितले जाते. पत्रकारितेचे काम माहिती देणे, प्रशिक्षण देणे, शिक्षण देणे, प्रबोधन करणे असते असे सांगितले जाते. लोकशाहीत पत्रकारितेचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व असते.

पत्रकारांनी प्रवाहाच्या बाजूने वाहत न जाता निर्भीडपणे, सदसद विवेक जागृत ठेवून पत्रकारिता करणे अपेक्षित असते. ज्यांना स्वतःचा आवाज नाही, त्यांचा आवाज होऊन त्यांच्या मुक्त आवाजाला निर्णय कर्त्यापर्यंत, बहुसंख्यांक पर्यंत पोहोचवण्याचे काम पत्रकारांनी करावे, असेही अपेक्षित असते. पत्रकारांनी समाजाचा मूकनायक व्हावे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या वृत्तपत्राचे नाव 'मूकनायक' ठेवले होते. पत्रकारांनी लोकांना नवी दृष्टी द्यावी. लोकांना अधिक डोळस करावे. पत्रकारांनी लोकप्रिय समजूती धुडकावत आपल्या श्रद्धास्थानांची चिकित्सा तटस्थपणे करावी ही अपेक्षित असते.

पत्रकार खरंच आपले कर्तव्य समर्थपणे जेव्हा पूर्ण करत असतो तेव्हा व्यवस्था त्यांच्या बाजूने उभी राहिलच, असे नाही. अनेक घटकांना सुखावताना काही घटकांची नाराजीही पत्रकारांना ओढाळून घ्यावी लागते. हातात पेन घेऊन कागदावर बातमी लिहिण्याचे दिवस आता संपले असून, पत्रकारांनी काळाबरोबर स्वतःला अदयायावत करणेही महत्त्वाचे ठरते परंतु पत्रकारितेचे स्वरूप आता नेमके कसे आहे हे पाहणे आवश्यक आहे, म्हणूनच या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण भारतीय पत्रकारिता आजवर कशी राहिली आहे हे पाहिले आहेच परंतु, आता या पलीकडे आपण भारतातील पत्रकारितेची सद्यस्थिती काय आहे, भारतीय पत्रकारितेची आव्हाने कोणती आहेत आणि भारतातील पत्रकारितेचे भविष्य कसे असेल हे समजून घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करणार आहोत.

### **प्रथमतः पाहूया भारतीय पत्रकारितेची सद्यस्थिती काय आहे ?**

पूर्वी पत्रकारिता ही माहितीपूर्ण असत असे. जे काही घडलंय ते प्रदीप भिडे, भक्ती बर्वे, विनायक देशपांडे आणि अनंत व्हावे यांच्यासारखे वृत्तनिवेदक आपल्याला गंभीर चेहऱ्याने समोर येऊन सांगत असत आणि ते एकूण आपण आपली मत बनवत असू, त्या मुद्द्यावरून जनमानसात चर्चा घडून येत असे. परंतु आताची पत्रकारिता ही informative कमी आणि investigative (शोध पत्रकारिता) जास्त झाली आहे असे मानण्यात येते. पत्रकार आणि पत्रकारितेचा यांचा बदलता स्वभाव हा जगभरातच चिंतेचा विषय आहे असे सांगण्यात येत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. वाहिनींवरून इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, ऑनलाईन पत्रकारिता, 'इन्स्टंट' पत्रकारिता यांच्यासारख्या पत्रकारितेकच्या प्रकारांमुळे सद्यस्थितीत पत्रकारांना साहित्य, समाज, संस्कृती, भाषा, इतिहास, कला, आदर्श, तत्त्वज्ञाने, मूल्य इत्यादींची किमान आवश्यक जाण बाळगण्याच्या गरजेतून देखील आज पूर्णपणे मुक्त केले गेले असल्याचे जाणवते.

विविध प्रसंगी विविध ठिकाणच्या लोकांच्या व तज्ञांच्या त्रोटक, अतिशय तात्काळ उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया व त्यांची नंतर केवळ एकत्र माहिती इकडून-तिकडे पाठवत राहणे म्हणजे पत्रकारिता असे देखील एक वेगळे पत्रकारितेचे विश्व आज उदयाला आणले गेले आहे असे म्हटले जाते आणि या दृष्टिकोनाचा फक्त पत्रकारितेवरच नाही तर माणसाच्या जीवनावरच खोल परिणाम होत असल्याचेही म्हटले जाते. उथळ, अवीवेकी, असहिष्णू, चंचल, आदर्श विहीन अशा व्यक्ती व समाजाची निर्मिती करण्याची साधनसामग्री असे स्वरूप आज जनमाध्यमे व त्यातील पत्रकारितेला मोठ्या प्रमाणावर लाभत आहे.

बातम्यांची विश्वासर्हता कमी होत चालली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी याविषयी बोलताना म्हटले की, "पूर्वी बातम्यांची विश्वासर्हता होती". एखादी बातमी मिळवण्यासाठी पत्रकार जी मेहनत करायचे त्यातून त्या बातमीचा सत्यतेबद्दल विश्वास निर्माण व्हायचा. पण आता असा विश्वास वाटत नाही. अनेकदा काही बातम्या जाणीवपूर्वक पेरल्यासारख्या वाटतात, सध्या पत्रकारितेत निर्भीडपणा कमी झाला आहे. मत व्यक्त करण्याच्या ज्या जागा आहेत, ती सदर चालवली जातात त्यामध्ये परखडपणा नाहीये. त्यामुळे ते वाचताना यामागचा बोलवता धनी कोण आहे, असाही प्रश्न पडतो." असेही त्या म्हणतात. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या बातम्या आता गायबच झाल्या आहेत असे म्हटले जाते. सामाजिक मुद्द्यांना तुकड्यातुकड्यांमध्ये स्थान दिले जाते, त्याबाबतचा समग्र दृष्टिकोन मांडला जात नाही. अगदी आताचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर नवीन कृषी कायद्यांचा विषय आहे. याचे खूप वेगवेगळे पैलू आहेत. पण त्या सगळ्याबद्दल फार काही विचार मांडले गेल्याचे दिसत नाही.

सध्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्याही निघाल्या आहेत. म्हणजे नवी मुंबई, कोल्हापूर, नागपुर, संभाजीनगर, पुणे वगैरे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाचे प्रश्न तेवढ्यापुरतेच मर्यादित राहत आहेत, त्यांचे मुख्य प्रवाहात येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे असेही निरीक्षण सांगण्यात येते. पण या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करत मूल्यांशी एकनिष्ठ होऊन पत्रकारिता करणारेही लोक आहेत, ही सकारात्मक गोष्ट असल्याचेही नमूद करणे इथे आवश्यक ठरते.

### **समाज माध्यमांवरील चर्चा हेच वास्तव समाज असण्याच्या काळ**

सध्याच्या पत्रकारितेवर समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रभाव दिसत असल्याबद्दल व्यक्त केले जाताना दिसते. "स्वतःचे एक विशिष्ट मत तयार करून म्हणणं मांडणे ज्याला आपण इंग्रजी भाषेत नरेटीव्ह म्हणतो, त्याचा वापर हल्लीच्या पत्रकारितेत सर्रास होताना पाहायला मिळतो. पूर्वी पत्रकार स्वतःला वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारापासून वेगळी ठेवून पत्रकारिता करायचे, तशी पत्रकारिता आता अभावाने आढळते. सापेक्षी विश्लेषण, सर्वांगीण, समाज हिताचा विचार करून दीर्घकालीन दृष्टिकोन दिसून येत नाही असेही आजच्या काळातल्या पत्रकारितेवर भाष्य करताना म्हटले जाते. समाज माध्यमांवर होणारी चर्चा हेच वास्तव असे आकलन मांडले जात असल्याचे चित्र दिसते. एकूणच समाजमाध्यमांच्या युगात आपण आभासी वातावरणात राहतोय असे चिन्ह आहे. सारेच प्रतिक्रियावादी झाले आहे. अशा परिस्थितीत खरंतर लोकांसमोर काय घेऊन जावे याचा संयम पत्रकारांनी पत्रकारिता करित असताना बाळगणे खूप गरजेचे आहे. पत्रकारांनी निष्पक्ष राहून वेगवेगळ्या बाजू मांडून सत्याची मांडणी करणे अपेक्षित आहे, असे सांगण्यात येते. समाजमाध्यमांच्या पलीकडेही जग आहे, ज्यामध्ये प्रगल्भ, सम्यक विचार करणारे लोक आहेत, याचा कुठेतरी विसर पडतोय असे वाटत असल्याचे जाणकार सांगतात.

परंतु या सगळ्या वातावरणात एक गोष्ट चांगली आहे. ती म्हणजे ज्या गोष्टींची किंवा घटकांची दखल घेण्याची शक्यता अतिशय कमी होती, त्यांना मुख्य प्रवाहात स्थान मिळत आहे. एरवी दुर्लक्षित राहणाऱ्या प्रश्नांना वाचा फुटण्याचा एकसेस तयार झाला आहे. अगदी दूरवरच्या खेड्यापाड्यातल्या गोष्टींनाही वार्ताकनात स्थान मिळत आहे असे म्हणता येईल.

लेखक प्रणव सखदेव यांनी प्रिंट मीडियाचा काळ आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे बदललेले पत्रकारितेचे स्वरूप यावर भाष्य केले, त्यात त्यांनी म्हटले की, "प्रिंट माध्यमांचा काळ जेव्हा होता, त्यावेळी

घाई नसायची. बातम्या प्रत्यक्ष जाऊन, तथ्य जाणून घेऊन केल्या जायच्या. कष्ट घेण्याची तयारी होती. त्यामुळे पत्रकारितेला विश्वासार्हता होती. प्रिंट माध्यमे आणि न्यूज चॅनेल्सच्या सुरुवातीच्या काळात विचार केला तर समाजाप्रती बांधिलकी होती. जे काम आपण करत आहोत; ते लोक पाहत आहेत, वाचत आहेत, त्यावर विश्वास ठेवत आहेत याचे भान पत्रकारांमध्ये होते".

"पण आता माध्यमांमध्ये विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये वास्तवापेक्षाही भीतीला अधिक महत्त्व दिले जाते. आताच्या काळात तर ते प्रकर्षाने दिसून येत आहे. भीती विकली जाते, हे वास्तव बनत चालले आहे." असे निरीक्षणही प्रणव सखदेव यांनी नोंदवले असल्याचे आपल्याला पहावयास मिळते. प्रिंट माध्यमांमधील कार्यशैलीही अशी बदलत आहे ज्याबद्दल बोलताना त्यांनी म्हटले की, प्रिंट माध्यमांमध्ये आता टेबल स्टोरी चे प्रमाण वाढले आहे. बातमी मिळवण्यातली गंमत कमी झाली आहे.

याशिवाय प्रणव सखदेव यांनी मराठी माध्यमांमधील दोन सकारात्मक बाबींचाही उल्लेख केला. "मराठी पत्रकारितेमध्ये एक चांगली गोष्ट आहे, ती म्हणजे हिंदी मीडियाच्या तुलनेत मराठी माध्यम समतोल राखून आहेत. दुसरे म्हणजे मराठी वर्तमानपत्रातील मधील पुरवण्या आजही या पुरवण्यांनी दर्जा राखला आहे. अनेक चांगली सदर त्यामाध्यमातून वाचायला मिळतात. सध्याच्या आर्थिक गणितात कदाचित पूर्वीप्रमाणे पुरवण्या बसवता येत नसतीलही, पण तरीही पुरवण्यांमध्ये आजही चांगले कॉलम वाचायला मिळतात." असे प्रणव सखदेव यांना वाटते.

### भारतातील पत्रकारितेविषयीची आव्हाने

सध्याचे युग डिजिटल माध्यमाचे असून, फाईव्ह जी सुरु झाल्यामुळे माध्यमात आणखी क्रांतिकारक बदल होत आहेत. कागदाचे वाढलेले भाव आणि एकंदरीत खर्च यामुळे येत्या पाच वर्षात अनेक वृत्तपत्रे बंद पडून त्याची जागा ई-पेपर घेतील, पण हे ई-पेपर वाचण्यासाठी पैसे मोजावे लागतील असे तज्ञांचे मत आहे. सध्या चालू असलेल्या वृत्तवाहिन्यांना देखील घरघर लागते आणि स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून अनेक डिजिटल वाहिन्या उदयास येतील असे सांगितले जाते.

डिजिटल माध्यम हेच भविष्य असल्याने पत्रकारितेत कार्यरत असलेल्या प्रत्येकाला त्याचे सर्व ज्ञान असायला हवे. समाज माध्यमांमुळे पत्रकारांची मक्तेदारी संपली असून, आज प्रत्येक जण पत्रकार झाला आहे. वर्तमान काळात भारतीय वृत्तपत्र क्षेत्र हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र मानले जाते. जिल्हा स्तरावरील अनेक वर्तमानपत्रे व नियतकालिके ही पत्रकारिता कमी व 'ब्लॅकमेलिंग' चे प्रकार जास्त करतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. मग स्वतःच 'मोठी' समजणारी व राज्य स्तरावरील वृत्तपत्रे व त्यांचे मालक हेच काम मोठ्या पातळीवर करत आहेत.

केवळ विविध प्रकारच्या माहितीचे एकत्रीकरण म्हणजे पत्रकारिता असा भ्रम नवप्रशिक्षित पत्रकारांच्या येऊ घातलेल्या पिढ्यांमध्ये पसरलेला असल्याचेही म्हटले जाते. तो नाहीसा करून त्या जागी पुन्हा एकदा पत्रकारितेच्या जीवनाभिमुखीतेचा आग्रह धरला जाण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे आणि हेच पत्रकारिते पुढील एक सगळ्यात मोठे आव्हान मानले जात आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा विकासाच्या, जीवनाच्या व्याख्या नव्याने कराव्या लागतील, केवळ एकांगी अशा युरो-अमेरिकन व्याख्या सोडून विकासाच्या संकल्पनेचीच नव्याने विचारपूर्वक मांडणी करावी लागेल आणि पत्रकारितेची लोकजीवनाशी तुटत चाललेली बांधिलकी पुनःस्थापित करावी लागेल.

### भारतातील पत्रकारितेचे भविष्य

पत्रकारितेच्या भविष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली २०० वर्षांची भारतीय पत्रकारिता संपूर्ण जगभर आपला आब राखून आहे, परंतु तिला सर्वात जास्त अधिकार, सर्वात जास्त स्वातंत्र्य केवळ लोकशाही व्यवस्थेतच आहेत.

लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यात सत्तेत असणारे लोक आणि त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचवणारे लोक यांच्या मधला दुवा असणारी पत्रकारिता भविष्यात, 'पारदर्शकता' या एकमेव कसोटीवर खरी उतरायला हवी. काळानुरूप झालेल्या बदलांनुसार तिची रूपेही बदलली असली तरी शासन आणि सामान्य नागरिक यातील माध्यम म्हणून असलेली भूमिका तशीच आहे. जिथे पत्रकारितेचा विषय येतो तिथे नागरिकांना जागृत करण्याची, त्यांच्या हक्कांसाठी आपल्या व्यवसायाच्या विधायक वापर सामान्य लोकांसाठी करणे ही माध्यमांची जबाबदारी अधोरेखित होते. खरे तर कोणत्याही देशाचे कौशल्य, सामर्थ्य व तरुण पिढीला दिशा देण्याचे काम करणारा हा चौथा स्तंभ सर्वार्थाने जगण्याची, जगवण्याची गरज आहे.

### संदर्भ ग्रंथांची यादी

१. डॉ. शिवाजी जाधव, डीजीटल जर्नालीझम, BlueRose Publication, New delhi, London, 2022
२. सुनील माळी, बातमीदारी भाग १, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१८
३. सुनील माळी, बातमीदारी भाग २, राजहंस प्रकाशन, पुणे; २०१८
४. अरुण साधू, मुंबई दिनांक, Majestic Publishing House, पुणे
५. <https://todaydigital.com/blog/what-is-journalism-and-why-does-it-matter-in-todays-world/>
६. <https://www.prahaar.in/new/journalism/>
७. <https://www.britannica.com/topic/journalism>
८. <https://deshdoot.com/the-role-of-journalists-in-changing-times/>
९. <https://www.tarunbharat.net/Encyc/2023/1/4/History-of-Journalism.amp.html>

## आंध आदिवासी महिला आणि स्वयंसहायता गट

अक्षया रामराव ढगे

संशोधक विद्यार्थी

प्रा. डॉ. भोसले बालाजी रामेश्वराव

सहाय्यक प्राध्यापक, समाजशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर विभाग, यशवंत महाविद्यालय, नांदेड

आदिवासी समाज हा भारतीय समाजव्यवस्थेचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य म्हणून ओळखले जाते. आपली अगळी - वेगळी वैशिष्ट्ये व जीवनशैलीमुळे आदिवासी समाज हा अनेक समाजशास्त्रज्ञ व मानवशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. आदिवासी जंगलात, दुर्गम दऱ्याखोऱ्यात व सुसंस्कृत समाजापासून तुटक असलेल्या प्रदेशात तुरळक वस्ती करून राहतात. नागरी संस्कृतीप्रमाणे वर्गश्रेणीबद्ध समाजाचा संपर्क न झालेल्या वशिष्ठ पूर्ण चालीरीती किंवा संस्कृती आदिवासींमध्ये आढळते. जंगलात वास्तव करणारे आदिवासी निसर्ग पूजा होते. ते वृक्ष, पक्षी, प्राणी यांना देव मानीत व त्यांची पूजा करत होते. इंग्रजांचे भारतात आगमन होईपर्यंत आदिवासींचे अलगत्व टिकून होते. इंग्रजांच्या आगमनानंतर मात्र आदिवासींच्या समाज - संस्कृतीत बदल झाला. हिंदू धर्माच्या संपर्कात असल्यामुळे त्यांचे हिंदूकरण झाले. (Gautam, A., 2016) त्यामुळे आदिवासींचे "मागासलेले हिंदू" असे नामकरणही झाले. (Mitra, A., 2008) आदिवासी लोक जगाच्या पाठीवर सर्वत्र आढळतात. आफ्रिका खंडानंतर आदिवासी लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. जगात त्यांना विविध नावांनी ओळखले जाते. अमेरिकेत त्यांना 'रेड इंडियन्स' म्हणतात. ऑस्ट्रेलियात 'अॅबोरिजन्स' तर आफ्रिका व आशियाई देशांमध्ये त्यांना 'आदिवासी' म्हणून ओळखले जाते. भारतात त्यांना आदिवासी म्हणजे मूळ निवासी म्हणून ओळखले जाते. तर भारतीय राज्यघटनेनुसार देशातील विविध आदिवासी जमातींना 'अनुसूचित जमाती' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. 'अनुसूचित' हा वसाहतकालीन शब्दप्रयोग आहे. 1874 मध्ये ब्रिटिशांनी एक अधिनियम तयार केला, ज्यानुसार अनुसूचित क्षेत्र हे एक विशिष्ट किंवा पृथक क्षेत्र मानण्यात आले. ज्याचा उद्देश अनुसूचित जातींना हिंदू, मुस्लिम व अन्य धार्मिक समूहापासून अलिप्त ठेवणे हा होता. तर जमात हा शब्दाला इंग्रजी भाषेत 'Tribe' असे म्हणतात. 'Tribe' हा शब्द लॅटीन भाषेतील 'ट्राईब्स' या शब्दापासून तयार झाला आहे. रोममध्ये या शब्दाचा प्रयोग गरीब समाज या अर्थाने केला जातो. आज युरोप व आफ्रिका देशात ट्राईब ऐवजी इंडिजिनिअस (Indigenous) म्हणजे 'देशज' या अर्थाने घेतला जातो. (Peters, M. A.; Mika, C. T. 2017) (OED, 2016).

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात 10.40 कोटी आदिवासी लोकसंख्या असून एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण 8.6 टक्के एवढे आहे. भारतात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राज्यात सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. देशातील 83.2 टक्के आदिवासी लोक या राज्यात आढळतात.

### संशोधनाचा उद्देश

प्रस्तुत शोधनिबंधाचा उद्देश आंध आदिवासी महिलांचा बचत गटातील सहभाग व आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभ्यास करणे हा आहे.

### संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंध हा वर्णनात्मक स्वरूपाचा असून वर्णनात्मक आराखड्याचा उपयोग केला आहे. प्रस्तुत शोध कार्यासाठी गुणात्मक पद्धतीचा वापर केला आहे. सदरील शोध निबंध हे दुय्यम तथ्य संकलनावर आधारित आहे.

### आदिवासी जमाती :

डब्ल्यू जे. पेरी यांच्या मते, "समान बोली बोलणाऱ्या, एकाच भू-प्रदेशावर वास्तव्य करणाऱ्या समूहाला, आदिम समाज म्हणतात." (Pathi, J. 1984) रिव्हर्स यांच्या मते, "आदिम हा साधा सरळ सामाजिक समूह असून त्यातील सदस्य एकाच समान बोली भाषेचा वापर करतात आणि युद्ध वगैरे सारख्या समान उद्दिष्टाच्या पूर्ती करता एकत्र येऊन कार्य करतात." (Chaudhury, S. K. & Pattanaik, S. M., 2008) आदिवासी जमातींची बोली ही समान आहेत. त्यांचे पुर्वजांपासून उत्पत्ती एकच अशी सांगणाऱ्या लोकांचे मत असल्याचे सांगतात. तसेच या जमाती विशिष्ट भू-भागावर वास्तव्य करतात. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे व ज्ञानाचा अभाव दिसून येतो. तसेच ते समान रक्तसंबंधावर आधारित आहे. तसेच सामाजिक व राजकीय संघटित असून त्यांच्यामध्ये एकजन्सीपणा आहेत. म्हणजे आदिवासींमध्ये सारखेपणा व एकजन्सी असल्याची मत व्यक्त करतात. आदिवासी जमाती या अनेक असून सुद्धा त्यांच्या मध्ये लहान-लहान समुह आहेत. त्यांचे जीवन साधे असून त्यांची अर्थव्यवस्था साधी आहे. ते प्राथमिक अर्थव्यवस्थेत जगतात, असे त्यांच्या व्याख्या वरून दिसून येते. (Chophy, Kanato)

### भारतातील आदिवासी :

भारतातील आदिवासी जमाती वांशिक तत्वे त्या त्या जमातीच्या अनुषंगाने भूतकाळातील घटनांची संबंधित आहे. या आदिवासी जमातींच्या त्यांच्या वांशिक घटकातून एक विशिष्ट समुदाय आणि त्यांची प्रतिमा व अस्तित्वात आकाराला आलेले आहेत एकंदरीत पाहता आदिवासी जमातींच्या उपस्थिती विषयी विचारवंतांनी लिहिता विचार प्रवाह प्रचलित असल्याचे समोर आणले आहे व विविध अध्ययन व लेखन उपलब्ध असले तरी प्रत्येक आदिवासी जमातींची स्थिती हा संशोधनास आव्हान देणारा विषय ठरतो.

महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी जमातींचे लोक ज्या भागात राहतात त्या भागाचे भौगोलिक दृष्ट्या तीन विभाग पडतात. सहयाद्री विभागात प्रमुख्याने कोळी महादेव कोळी, वारली, कोकणा, ठाकर, कातकरी, कोळी मल्हार इत्यादी जमातीची वस्ती आढळते. तर सातपुडा विभागात भिल्ल, कोळी महादेव, कोळी मल्हार, आंध, ठाकूर, ठाकर, तडवी, पावरा इत्यादी या जमाती राहतात. या विभागात जुळे, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, अमरावती, सोलापूर, नांदेड, बीड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. गोंडवन विभागात माडिया, गोंड, कोरकू, कोलाम, कोळी मल्हार, आंध, परधान, कोळी महादेव, वारली, कोकणा इत्यादी जमाती चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, यवतमाळ व नागपूर या जिल्हात राहतात. (गारे गोविंद, 1999)



### आदिवासी महिला आणि स्वयंसहायता गट

बचत गट हे लोकांचे अनौपचारिक गट आहेत जे त्यांच्या सामान्य समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र येतात. स्वयंसहायता व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करू शकते, परंतु स्वयंसहायता गटांचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे परस्पर समर्थनाची कल्पना - लोक एकमेकांना मदत करतात. (Devath, S., 2020) भारतामध्ये स्वयंसहायता गट (SHGs) महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी महत्वाचा मार्ग बनले आहेत. विशेषतः मागासवर्गीय समाजामध्ये जसे की अनुसूचित जमाती. लहान, स्वयंसेवी गट असतात जे परस्पर साहाय्य, आर्थिक समावेशन आणि सामूहिक प्रयत्नांनी सदस्यांना सशक्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. भारतात गरीब आणि उपेक्षित महिलांना सशक्त करण्याचे साधन म्हणून स्वयंसहायता गट सुरू करण्यात आले. (Meena, S. S., Prasad, H., 2021) विशेषतः आदिवासी महिलांना विकास कार्यक्रमांपासून मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी महिलांच्या अनुषंगाने बचत गटातील सहभागिता, कार्य आणि त्यातून होणारे आर्थिक सबलीकरण याविषयीचे आकलन करणे महत्वाचे ठरते. स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून महिलांना एकत्र येण्याची संधी निर्माण होऊन त्यांना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक एकात्मता निर्माण करण्यासाठी मदत होते. या गटांमुळे महिलांचे कुटुंबातील आणि समाजातील स्थान सुधारते. (Devath, S., 2021)

आदिवासी समुदायातील स्वयं सहायता गटांची महिला विकासातील वा सशक्तीकरणातील भूमिका समजून महत्वाचे ठरते. भारतातील आदिवासी समुदाय, विशेषतः महिला, आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहेत आणि त्यांना औपचारिक वित्तीय संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. म्हणजेच नोंदणीकृत वित्तीय यंत्रनेतून, बँकेतून आर्थिक स्वरूपाची मदत मिळत नाही. स्वयं सहायता गट यावर उपाय म्हणून आदिवासी महिलांना गटात एकत्र करून त्यांना बचत, सूक्ष्म वित्त, आणि उत्पन्न वाढीच्या कार्यांमध्ये सामील होण्याची संधी देतात. बचत गटाच्या मदतीने आदिवासी महिलांनी घरगुती निर्णयांमध्ये अधिक सहभाग घेतला आहे, आर्थिक स्रोतांवर त्यांचा प्रवेश वाढला आहे आणि पारंपरिक सावकारांवर अवलंबित्व कमी झाले आहे. (Nirmala, M., 2007) आदिवासी महिलांच्या विकासात स्वयंसहायता गटाची भूमिका लक्षात घेतांना महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा एक महत्वाचा भाग अभ्यासावा लागतो. बचत गटांमुळे आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास मोठा हातभार लावला आहे. लघू वित्त आणि कर्जाच्या माध्यमातून महिलांना शेती, दुग्ध व्यवसाय, लघु व्यवसायात सामील होण्याची संधी मिळाली आहे. या आर्थिक सुधारणांमुळे त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि महिलांना स्वतःचे आर्थिक साधन मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक अवलंबित्व कमी झाले आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबरच सामाजिक सक्षमीकरणही महत्वाचा घटक आहे. बचत गटांमुळे आदिवासी महिलांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सेवांबाबत जागरूकता वाढली आहे. स्वयंसहायता गटात सहभागामुळे महिलांना प्रौढ शिक्षण आणि मुलींच्या शिक्षणाबद्दल जागरूकता मिळाली आहे, ज्यामुळे साक्षरतेची पातळी वाढली आहे. या गटांमुळे महिला सामूहिकरित्या बालविवाह, कौटुंबिक हिंसा आणि लिंग आधारित भेदभाव यासारख्या सामाजिक समस्यांवर देखील काम करतांना दिसून येतात. (Morey G. M., 2021)

महिलांचा सामाजिक क्षेत्रातील सहभाग अत्यल्प स्वरूपाचा असल्याने इतरही क्षेत्रात ते दुर्लक्षित व वंचित घटक म्हणून समोर येतात. असे असले तरी आज बचत गटाच्या माध्यमातून महिला सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात सहभाग घेऊ लागल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या हक्काप्रती जाणीव जागृती निर्माण होऊन त्यासाठी लढा सुरु झाला आहे. तसेच राजकीय सक्षमीकरणही होताना दिसून येते. या स्वयंसहायता गटामुळे आदिवासी महिलांमध्ये राजकीय प्रक्रियेत सहभाग घेण्याचा आत्मविश्वास आणि कौशल्ये निर्माण होऊन सहभागी होतांना दिसतात. अनेक महिलांना गावपातळीवर नेतृत्वाची भूमिका मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या समुदायातील निर्णयांवर अधिक प्रभाव पडत आहे. (Hemasrikumar, P. V., 2022)

स्वयं सहायता गटाची आज महिला सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका वठवित असले तरी सर्व स्तरातील, भौगोलिक क्षेत्रातील महिलांना समप्रमाणात जमेलच असे नाही. त्यामुळे आज शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये बचत गटाची संकल्पना रूढ झाली असली तरी आदिवासी समुदायातील महिलांसमोरील स्वयं सहायता गटासंदर्भात अनेक यक्ष प्रश्न व आव्हाने आहेत. त्यामुळे इतर महिलांप्रमाणे या आदिवासी वा आंध्र जमातीतील महिलांचा अनुकूलन स्वयं सहायता बचत गटाच्या प्रक्रियेत होईलच असे नाही. सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे आर्थिक तुटवडा. पुरेसा निर्धीचा अभाव, भांडवलाचा अभाव यासारखे अनेक आर्थिक स्रोताचा अभाव असलेल्या दिसून येतो. बचत गटांकडून मिळणारे कर्जाचे व्याजदर आदिवासी महिलांसाठी अजूनही जास्त आहेत, ज्यामुळे त्यांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण जाते. बँक प्रक्रियेतील अडचणी आदिवासी महिलांसमोर प्रश्न आहे. (Morey, G. M., 2021) आदिवासी महिलांना औपचारिक वित्तीय पद्धतीमध्ये व बँकेच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळे येतात. अनेकदा काही आव्हाने सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूपाचेही असतात. आदिवासी समुदायाचा विकास प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण निरक्षरता हे आहे. बहुतेक आदिवासी महिला या निरक्षर असल्याने बचत गटातही याच निरक्षर महिलांचा सहभाग होतो. ज्यामुळे गटाच्या कार्यपद्धती समजणे, आर्थिक व्यवहार हाताळणे, आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे कठीण होते. त्याचबरोबर काही वेळा परंपरागत स्त्री-पुरुष भूमिकेमुळेही अडचणी निर्माण होतात. सांस्कृतिक अपेक्षांमुळे महिलांना घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळतांना स्वयंसहायता गटाच्या क्रियाकलापांमध्ये पूर्णपणे भाग घेणे कठीण होते. बचत गटासाठी, चर्चेसाठी वेळे देणे, बैठकींना हजर राहणे, बचत गटाच्या कार्यासंदर्भात चर्चा करणे यासाठी वेळ देणे शक्य होत नाही. सांस्कृतिक अपेक्षांमुळे महिलांना घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळताना बचत गटाच्या क्रियाकलापांमध्ये पूर्णपणे भाग घेणे यातून भूमिका संघर्ष निर्माण होतो. परंपरागत मानसिकतेमुळे महिलांनी काम करणे, घराबाहेर जाणे, खाणपान, राहणीमान इ. बाबतीतील कुटुंबातून निर्बंध घातलेले दिसून येते. काही महिलांना त्यांच्या कुटुंबाकडून बचत गटाच्या सहभागाबद्दल विरोध मिळतो, विशेषतः ज्या ठिकाणी स्त्रियांची भूमिका पारंपरिक असते. या आव्हानांमुळे बचत गटाचा आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणावर संपूर्ण प्रभाव पडत नाही. त्यासाठी महिलांना आर्थिक साक्षरता, शिक्षण आणि समाजाच्या जागरूकतेसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. (Pandya, A., N., 2022)

### निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधनिबंधात आंध्र आदिवासी महिलांचे बचत गटांच्या माध्यमातून होत असलेले आर्थिक सक्षमीकरण प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात आदिवासी जमाती मुख्य प्रवाहात येण्यास

लागलेला कालावधी, त्यामुळे असलेला मागासपणा, शिक्षणाचे अत्यल्प प्रमाण, त्यामुळे शहरी भागात वा ग्रामीण समुदायात समायोजनात येणारे अडथळे, यातून आर्थिक सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून बचत गटामध्ये सहभाग या संबंध प्रक्रियेत मागास आंध महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण दिसून येते.

### संदर्भसूची

1. गारे गोविंद. (1999). आदिवासी विकास योजना -संकलन व संपादन. पुणे: आदिवासी विकास प्रतिष्ठान पृ. क्र.2
2. महाराष्ट्र शासन. (2003-04). आदिवासी विकास परिचय पुस्तिका. आदिवासी विकास विभाग. मुंबई मंत्रालय.
3. मोघे, शिवाजीराव. (2017). आदिवासी क्षेत्र बंधन व इंदिरा गांधी. यवतमाळ :वसंत प्रकाशन. पृ. क्र. 52-63
4. Chaudhury, S.K. & Pattanaik, S.M. (2008). Indian Tribes and Mainstream. Jaipur: Rawat Publications. Page No. 2-3.
5. Chophy, Kanato. Tribe and its Problematic Nature. Tribal Cultures of India. Retrieved from <https://ebooks.inflibnet.ac.in>
6. Devath Suresh. (2021). Empowement of Scheduled Tribe Women Role of The Self Help Groups. New Delhi: Atharv Publication.
7. Devath, Suresh. (2020). Self Help Groups Impact on Scheduled Tribe Women Empowerment - A Study in Telangana State. SSRN Electronic Journal.
8. Gautam, A. (2016). The Hinduization of Tribals of Jharkhand: An Outline since Beginning. Anthropology. Vol. 4. Issue 1. Page No.159.
9. Hemasrikumar., Rajan, P. V. (Nov., 2022). A study on Women Empowerment through SelfHelp Groups with special reference to Primitive tribal women in Nilgiris District. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol. 10. Issue 11.
10. Meena, S. S., Prasad, H. (2021). An Evaluative Study of Performance of Self Help Groups in Tribal Sub Region of Rajasthan. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 10 (01)
11. Mitra, Aparna. (2008). The status of women among the scheduled tribes in India. The Journal of Socio-Economics.Vol. 37. Issue 3. Page No. 1202-1217.
12. Morey, G. M. (June, 2021). Problems of Tribal Women's Self-Help Groups in Nandurbar district during Covid-19 Pandemic. International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM). Vol-07 (03).
13. Morey, G. M. (June, 2021). Problems of Tribal Women's Self-Help Groups in Nandurbar district during Covid-19 Pandemic. IJREAM. Vol-07. Issue-03.
14. Nirmala, M. (March 2007). Women Empowerment and Self Help Group. Global Journal for Research Analysis. Vol. 6. Issue 3.
15. OED Online. (September 2016). "Indigene, adj. and n.". Oxford University Press. Web. 22 November 2016.
16. Pandya, A., Navinkumar, R. (2022). Role of SHG in Empowering Tribal Women: A success story from Gujarat. International Journal of Food and Nutritional Sciences. Vol. 11. Issue 09.
17. Pathi, Jaganath. (1984). Tribal Peasantry: Dynamics of Development. New Delhi: Inter-India Publication. Page No. 22.
18. Peters, Michael A.; Mika, Carl T. (10 November 2017). "Aborigine, Indian, Indigenous or First Nations?". Educational Philosophy and Theory. 49 (13): 1229–1234.

# २०२४ ची आगामी विधानसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

ऋषिकेश वासुदेव कुंभार

संशोधक विद्यार्थी (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)

डॉ. सुरेश एम. देवरे

के. जे. सोमैया महाविद्यालय

## गोषवारा-

महाराष्ट्रातील राजकारण दिवसेंदिवस वेगळ्या वाटेवर चालले आहे कधी काय घटना घडेल आणि राज्याच्या राजकारणावर काय पडसाद उमटतील हे भाकीत करणे देखील अवघड होत चालले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम कारक घटक म्हणून महाराष्ट्रातील राजकारण आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष एदबाव गट मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पाडत आहेत. राष्ट्रीय राजकारण आणि महाराष्ट्रात मागच्या काळातील घडलेली सामाजिक, राजकीय स्थित्यांतरे यांची दिशा बदलत चालली आहे. पक्ष फुटणे, सदस्यांचे पक्षांतर, यांसारख्या घटकांमुळे सध्याचे राजकारण हे भरकटत चालले आहे. मतदानाची वेळ आली तरी उमेदवारी निश्चित होत नाही. यापूर्वी कधीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात यांसारख्या गोष्टी झालेल्या दिसून येत नाही, महाराष्ट्राची २०२४ची विधानसभा निवडणुका तोंडावर आली आहे आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष कोणत्या न कोणत्या वादात, अडचणीत दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्ष आपल्या भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी भूमिका पार पाडतात, त्याचा राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक राजकीय घटकांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होताना दिसून येतो. सत्तेतील आणि सत्तेच्या बाहेर असलेले विविध गट, राजकीय पक्ष दबाव गटाच्या भूमिकेतून राजकारणावर प्रभाव पाडताना दिसून येतात त्यामुळे या घटकांवर प्रकाश टाकणे महत्वाचे ठरते. सत्तेच्या बाहेर असून काही घटक प्रभाव पाडतात त्यातीलच एक घटक म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्वपूर्ण आणि प्रभावी घटक म्हणून ख्याती दिसून येतो त्यामुळे त्याच्या राजकीय यश अपयश व वाटचालीची चर्चा महत्वाची ठरते.

**कळ शब्द** - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रादेशिक अस्मिता, विधानसभा निवडणूक, पक्ष संघटन, संप्रदाय .

**प्रस्तावना**- महाराष्ट्रातील राजकारण आणि महाराष्ट्रातील प्रादेशिक, राष्ट्रीय राजकीय पक्ष ज्यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना ( उबाठा), शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पक्ष , भारतीय रिपब्लिक पक्ष हे पक्ष प्रामुख्याने महत्वाच्या भूमिका पार पाडताना दिसून येतात, पण आता घडत असलेल्या राजकीय नाट्यामुळे पक्षातील अंतर्गत वाद यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सारखे महत्वाचे पक्ष लोकसभा निवडणुकात आणि आता ऐन विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असता पक्षातील अंतर्गत वादातच अडकलेले दिसून येतात. विधान सभा निवडणुका एका दृष्टीने पाहता प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मितेचा विषय दिसून येतो कारण निवडणूक प्रक्रिया हि राज्यातील अंतर्गत घटक गृहीत ठेवून लढल्या जातात. महाराष्ट्रात शिवसेना. राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले आहे आणि याचा फायदा शिवसेनेतून बाहेर पडलेला पक्ष म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला झालेला दिसून

येतो आहे. सत्ता हस्तगत करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जोरदार प्रचार करत आहे. २००६ नंतर २००९ मध्ये मनसेला घवघवीत यश मिळाले पण पक्षातील अंतर्गत वा संघटनातील उणीवा पक्ष अधिकारी तसेच सदस्य यांतील मनभेद आणि डावललेले पणाची समजामुळे पक्षाचे यश टिकून राहिलेले दिसून येत नाही.

**महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (मनसे) पार्श्वभूमी** - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फारशी जुनी नाही, मनसेची बीज आपल्याला शिवसेनेतून बाहेर पडलेली दिसून येतात, राज ठाकरेंना शिवसेनेतून मिळालेली दुय्यम भावना आणि इतर सदस्यांकडून डावललेले पणाची वागणूकीमुळे ते दुरावले जाऊ लागले, पक्ष सदस्यासोबत मतभेद आणि कुटुंबातील मनभेद या मुळे ते आणखीन दुरावले गेले. पुढे राज यांच्या निर्णयांना डावलले जाऊ लागले आणि २७ नोव्हेंबर २००५ रोजी राज ठाकरेंनी शिवसेनेच्या सदस्यत्वाचा आणि नेतेपदाचा राजीनामा दिला .

शिवसेनेचा राजीनामा दिल्यानंतर राज यांनी महाराष्ट्र दौरा केला आणि ६ मार्च २००६ रोजी निळा, भगवा आणि हिरव्या रंगाचा ध्वज घेऊन आणि रेल्वे इंजिन चिन्ह घेऊन आपली धर्म निरपेक्ष भूमिका घेऊन ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. मराठी अस्मिता आणि भूमिपुत्रांचे हक्क अशा भूमिका घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्राच्या राजकारणात उतरली महिलांविषयी सॅनिटरी नॅपकीन, टोलनाके, महाराष्ट्रातील कंपनी मध्ये मराठी मुलांना प्राधान्य तसेच इतर धार्मिक संवेदनशील मुद्यांवर भूमिका या मुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापनेपासूनच चर्चेत आणि लोकांच्या मनात घर केलेली दिसून येते, राज ठाकरेंच्या प्रभावी वक्तृत्वावर, कौशल्यावर सुरुवातीला म्हणजेच २००९ ची विधानसभा आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुकांत उल्लेखनीय यश मिळालेले दिसून येते. जनतेचा कौल आणि मनसेचा स्थानिक , प्रादेशिक पातळीवर जम काही जास्त दिवस टिकलेला दिसून येत नाही , पक्ष स्थापने पासून पुढची काहीच वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी चांगली राहिल्याचे दिसून येते, पक्षाला लागलेली उतरती कळा आणि हळूहळू मतांच्या दृष्टीने उदासीनता येऊ लागली. या संदर्भात प्रामुख्याने पाहता संघटनात कमतरता. अयोग्य संघटन एकार्यकर्ते पदाधिकारी यांमध्ये सुसंवाद नाही आणि पक्षश्रेष्ठींकडून पक्षातीलच काही घटक डावलले गेल्याने पक्ष ढासळल्याचे दिसून येते त्यामुळे पक्षातील अनेक घटक फुटून दुसऱ्या राजकीय घटकांना जाऊन मिळाले, त्यामुळे पक्षाविषयीची मतांच्या रूपातून मिळणारी विश्वासार्हता कमी झाली आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतील विधानसभा सदस्यांची संख्या २००९, २०१४ व २०१९ च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकातील सदस्यांची संख्या अनुक्रमे १३, ०१, ०१ अशी झालेली दिसून येते, २०१४ नंतर पूर्ण भारतातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलेली दिसून येतात त्यामुळे काही प्रदेश वगळता बहुतांश मतदार संघात भारतीय जनता पक्ष आणि यांसंबंधित विचार घटक पसरलेला दिसून येतो याचाच प्रभाव काही अंशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने वर देखील पडलेला दिसून येतो.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकातील कामगिरी

निवडणूक	वर्ष		
	२००९	२०१४	२०१९
लोकसभा	००	००	००
विधानसभा	१३	०१	०१
महानगरपालिका	१११	१५९	२२

स्रोत भारतीय निवडणूक आयोग अहवाल .२०१९

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रारंभिक काळात विचारधारेत तफावत दिसून येते, सर्व धर्म विषयी सद्भावनेचा विचार मनसेच्या सुरवातीच्या काळात दिसून येतो परंतु जसे राष्ट्रीय राजकारणातील आयाम बदलत चालले आहेत तसे अनेक प्रादेशिक पक्षातील कमी अधिक घटक बदलत आहेत, त्याच प्रकारे राष्ट्रीय राजकारणाचा परिणाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विचारधारेवर झालेला दिसून येतो, मनसेने आपले विचार हिंदुत्ववादी केलेले दिसून येतात आणि याच प्रकारे पक्षाचा प्रचार आणि प्रभावी संघटन केले जात आहे.

### **भारतीय राजकारणाचे धार्मिक वलय**

भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचा पाया भारताच्या भूतकाळातील घटनांमध्ये सापडतो. भारताची स्वातंत्र्यपूर्व राजकीय परिस्थिती भारताच्या राजकीय व आर्थिक घटकांवर आधारलेली दिसून येते. आर्थिक विषमता आणि समाजाच्या विविध घटकांची रचना यांवर आधारलेली राजकीय व्यवस्था भारतात दिसून येते. भारतावर वारंवार होणारी परकीय आक्रमणे यांमुळे भारतात विविध संस्कृत्यांचे वास्तव्य राहिले आणि याचे पडसाद भारतातील राजकीय व्यवस्थेवर पडले. भारतातील सांप्रदायिक आणि ऐतिहासिक घटक यांमुळे प्रामुख्याने भारतात बहुतेक घटक जातीय, धार्मिक घटकांवर आधारलेले दिसून येतात, उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी, राजस्थान मध्ये महाराणा प्रताप यांसारख्या महापुरुषांवर भावनिक राजकारण होताना दिसून येते, तसेच मुस्लीम घटक मस्जिद, अल्लाह यांविषयी भावनिक दिसून येतो, अशा प्रकारे भारतातील विविध धर्म, जाती घटक वास्तव्य करतात, भारतातील राजकीय व्यवस्था व वोट बँक सुद्धा याच प्रकारे धार्मिक घटकांवर आधारलेली दिसून येते त्यामुळे भारतीय राजकारणात जाती व्यवस्था व सांप्रदायिक मुद्द्यांच्या व घटकांच्या राजकारण केले जाते त्या मुळे साहजिक सत्ता हस्तगत करण्याच्या दृष्टीने विविध राजकीय पक्षाची वैचारिक भूमिका व धोरणे धार्मिक मुद्द्यांवर आधारभूत दिसून येतात.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काळानुसार पक्षात होत जाणारे बदल हे पक्षाच्या भविष्यावर मोठ्या प्रमाणात महत्वाची भूमिका पार पडतात. मनसेने पक्षाची बदलेली वैचारिक भूमिका, मराठीच्या अस्मितेचे प्रश्न, भूमिपुत्रांचे प्रश्न, परप्रांतीय अतिक्रमणे आणि रेल्वे मध्ये मराठी मुलांना रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर मनसे राजकीय आपली राजकीय धोरणे बांधताना दिसून येते, त्या अनुशंगाने मनसेची आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने वाटचाल पुढील काही ठळक मुद्द्यांच्या आधारे पाहता येईल.

### **● २०१९ ते २०२४ची सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक दरम्यानची मनसेची परिस्थिती**

२००९च्या विधानसभा यशानंतर पुढचा काही कालावधी मनसेसाठी जनतेच्या उत्तम प्रतिसादाचा राहिला, पुढचे काही वर्ष मुंबई, ठाणे महानगरपालिका आणि लगतचा प्रदेशात चांगली पकड राहिल्याचे दिसून येते, परंतु तुलनेने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत २००९च्या तुलनेने वाखारण्याजोगे यश टिकवून ठेवता आले नाही त्यामुळे पुढील काही वर्षातच मनसेला उतरती कळा लागली. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकात भारतीय जनता पक्ष बहुमताने सत्तेत आला आणि देशभरातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात हिंदुत्वाच्या दृष्टीने गतिशील झाली आणि याची झळ इतर पक्षांना बसली, यामध्ये मनसेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला, भारतीय जनता पक्षामुळे इतर राजकीय सामाजिक घटकांमध्ये अनेक वैचारिक बदल झाले आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वैचारिक प्रवाहात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले यात मनसेने आपली विचारधारा जानेवारी २०२० मध्ये बदलून हिंदुत्ववादाची भूमिका घेतली आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने

हिंदुत्वाचा प्रचार सुरु केला. सतेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या निर्णयांना कमी अधिक प्रमाणात पाठींबा दिल्याचे दिसून येते आणि टीका देखील केल्याचे दिसून येते.

### ● २०२४ची सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक प्रचार दरम्यानची परिस्थिती

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सुरवातीचा काळ सुवर्णकाळ म्हणता येईल पण नंतरच्या काळात जागांसाठी संघर्ष दिसून येतो. पक्ष संघटनात उणीवा, कार्यकर्ते पदाधिकारी यांमध्ये नाराजी परिणामी पक्षातून बाहेर पडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याच्या घटनांमुळे पक्षाची सदस्य संख्या कमी झाली या सर्व घटनांमुळे पक्षात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले जसे कि २०२० मध्ये हिंदुत्वाचा स्विकार करून भगव्या रंगाचा ध्वज आणि त्यावर राजमुद्रा घेण्यात आली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्षपणे सहभागी झाली नाही परंतु आपल्या पक्षाच्या वैचारिक प्रवाहाला अनुसरून आपला पाठींबा भारतीय जनता पक्षाला दिला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला समर्थन दिले, भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनामुळे पक्षात काही अंशी नाराजी दिसून आली परंतु लोकसभा निवडणुकात आपल्या पक्षाचा उमेदवारच नाही या मुळे मनसे सदस्य, कार्यकर्ते नाराज दिसले, पण पक्षाच्या ध्येय, हेतू आणि मुल्ये यांचा विचार करता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक व सर्वांगीण विकासाचा विचार करणारा पक्ष आहे त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा महाराष्ट्राच्या व मराठी भाषेच्या अस्मिता आणि मराठी भूमिपुत्रांच्या भविष्याच्या विचार करणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष आहे असे स्पष्ट करण्यात आले, पक्षातर्फे आपला बिनशर्त पाठींबा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला देऊन मनसे कार्यकारीला व समस्त कार्यकर्त्यांना आगामी विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी पूर्वतयारी म्हणून मनसेने लोकसभा निवडणुकीकडे पाहिले.

### ● २०२४ची सार्वत्रिक महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तयारी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कामाची मर्यादा कायमच महाराष्ट्रा पुरतीच दिसून येते, मराठी माणसाच्या अस्मिता, भूमिपुत्रांचे रोजगार विषयक प्रश्न, मराठी भाषेची अस्मिता आणि सर्वात महत्वाचे महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विकासाची सर्वव्यापी ब्लू प्रिंट म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास आराखडा घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसून येते, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नुकत्याच आपल्या वैचारिक प्रवाहात बदल केलेला दिसून येतो आणि हिंदुत्वाचा स्विकार केलेला दिसून येतो त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पूर्वीच्या राजकारणात आणि नवीन निर्णयांमध्ये नक्कीच तफावत दिसून येईल. पक्षाकडून पूर्वीच्या झालेल्या उणीवा सुधारून काढण्यासाठी व आगामी निवडणुकात यश मिळण्यासाठी पक्ष मोठ्याप्रमाणात तत्पर दिसून येत आहे. प्रचार आणि पक्ष संघटना आणखीन बळकट करण्याच्या दृष्टीने विविध राजकीय दौरे, राजकीय सभा आयोजित करताना दिसून येत आहेत, या माध्यमातून विविध भागांतून नवीन सदस्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जोडले जात आहेत आणि नवीन नेतृत्व समोर येत आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि या निवडणुकात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भारतीय जनता पक्षाला दिलेला पाठींबा, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय बनतो. मनसेने आपली बदललेली वैचारिक भूमिका ही भारतीय जनता पक्षाला सम वैचारिक असली तरी सद्य स्थितीला दोनही पक्ष फारसे सोबत दिसून येत नाहीत. कधी सोबत येण्यासाठी किमान जागांची मागणी तर

कधी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याची भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची दिसून येते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) भवितव्य बदलत्या राजकीय गतिमानतेशी जुळवून घेण्याची तिची क्षमता, तिची अंतर्गत संघटना आणि धोरणात्मक निवडी यासह अनेक महत्वाच्या घटकांवर आधारलेली दिसून येते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अंतर्गत संघटन आणि धोरणे आपण पुढील मुद्द्यांच्या आधारे पाहू शकतो.

- निवडणूक यश आणि पुनरुज्जीवन
- नेतृत्व आणि संघटनात्मक गतिशीलता
- धोरण रूपांतर आणि स्थितीचा फायदा
- रणनीती , युती आणि सहयोग
- सार्वजनिक धारणा आणि प्रतिमा
- प्रादेशिक गतिशीलतेशी जुळवून घेणे
- युवा सहभाग आणि नवीन मतदार आधार
- दीर्घकालीन शाश्वतता

### सारांश

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे भवितव्य दिवसेंदिवस विकसित होत असल्याचे दिसून येते आहे. राजकीय गतिमानतेशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवर, उदयोन्मुख समस्यांना तोंड देण्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तत्पर दिसून येत आहे. संघटनात्मक आणि धोरणात्मक आव्हानांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेवर प्रभावीपणे काम करताना पक्ष दिसून येत आहे. प्रादेशिक अभिमान , प्रादेशिक लोकांच्या समस्या , भूमिपुत्रांचे रोजगार विषयक प्रश्न, आर्थिक संधी आणि प्रभावी प्रशासन यावर पक्षाचा विशेष लक्ष केंद्रित दिसून येते. महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणातील गुंतागुंतीमध्ये मार्गक्रमण करत असताना त्याच्या अर्जेड्यामध्ये केंद्रस्थानी राहण्याची गरज आहे. पक्षाची लोकप्रियता आणि योग्य उमेदवारांची निवड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला नक्कीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थिरता प्राप्त करून देईल .

### संदर्भसूची

1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकारी , सदस्यांच्या मुलाखती .
2. लोकप्रतिनिधी निवडणूक मार्गदर्शक - चंद्रकांत भुजबळ - पॉलिटिकल रिसर्च अँड अँनालिसिस ब्युरो - एप्रिल २०१३.
3. सत्तासंग्राम - योगेंद्र ठाकूर - आमोद प्रकाशन, मुंबई - ऑगस्ट १०१९
4. राष्ट्र , राज्य आणि शासन - मा गो वैद्य - लाखे प्रकाशन नागपूर - एप्रिल १९८४.
5. www.eci.gov.in
6. NewsIndia , New flag,New Ideology:Raj Thackeray's Maharashtra Navnirman Sena Set To Saffron. 2020
7. Raj Thackeray's MNS announces 'unconditional' support to BJP, Shiv Sena, NCP alliance in Maharashtra ahead of Lok Sabha -THE ECONOMICS TIMES - Apr 10, 2024



## झाडीपट्टी रंगभूमी: एक अभ्यास

प्रा. डॉ. चंद्रशेखर कणसे

नाट्यशास्त्र विभागप्रमुख, एस. पी. पी. महाविद्यालय, सिरसाळा, ता.- परळी वै. जि. - बीड -४३११२८(महाराष्ट्र)

### प्रस्तावना:

झाडीपट्टी रंगभूमी ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि लोककलेचा एक महत्वाचा भाग आहे. ही एक प्रकारची रंगभूमी आहे, ज्यामध्ये लोककला, संगीत, विनोद, आणि ग्रामीण जीवनाशी निगडित कथा सादर केल्या जातात. या रंगभूमीवरून सादर होणाऱ्या नाटकांना विशेषतः विनोदी आणि उपहासात्मक स्वरूप असते, ज्यामध्ये प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी साधेपणाने आणि लघुनाट्यांच्या



माध्यमातून कथा मांडल्या जातात. झाडीपट्टी म्हणजे विदर्भातील अमरावती आणि आसपासचा परिसर. या भागात फुलणाऱ्या रंगभूमीला "झाडीपट्टी" असे नाव देण्यात आले आहे. या नाटकांच्या माध्यमातून ग्रामीण जीवनातील विविध पैलू, समस्यांचे चित्रण, सामाजिक संदेश, तसेच करमणूक हे सगळे समाविष्ट केले जाते. झाडीपट्टी नाटकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या साध्या मांडणीतील विनोद, गाणी, आणि ग्रामीण बोलीचा वापर. "झाडीपट्टी रंगभूमी" हा महाराष्ट्रातील विदर्भाच्या ग्रामीण भागात प्रचलित एक लोकप्रिय आणि खास रंगभूमी प्रकार आहे. हा रंगभूमीचा प्रकार विदर्भातील विशेषतः अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत प्रसिद्ध आहे. झाडीपट्टी हा शब्द 'झाडांचा पट्टा' किंवा 'झाडीचा परिसर' यावरून आला आहे, जे विदर्भाच्या जंगली आणि ग्रामीण भागाचा संदर्भ देतो. त्यामुळे या परिसरात नाटकांच्या स्वरूपात मनोरंजनाचा हा प्रकार विकसित झाला. झाडीपट्टी रंगभूमीची सुरुवात साधारणतः १९व्या शतकाच्या शेवटच्या आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात झाली असे मानले जाते. तो काळ ग्रामीण भागातील लोकांना करमणुकीसाठी फारसे साधन उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे झाडीपट्टी नाटकांचा उगम झाला. यातून गावोगावी फिरून कला सादर करणारे नटमंडळ निर्माण झाले. या नाटकांमध्ये मुख्यतः विनोदी कथानक, समाजातील विविध समस्यांवर उपहास, तिरकसपणे प्रस्थापित व्यवस्थेवर प्रहार अशा विषयांवर आधारित स्क्रिप्ट्स असतात.

(संदेशात्मक शब्द: झाडीपट्टी, रंगभूमी, लोककला, संगीत, विनोद, ग्रामीण जीवन)

### उद्देश्य:

- ग्रामीण ओळख जपणे.
- किमान तांत्रिक साधनांचा वापर.
- प्रेक्षकांशी थेट संवाद.

## झाडीपट्टी रंगभूमीचा प्रभाव

झाडीपट्टी रंगभूमीने विदर्भाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता मिळवली आहे. या रंगभूमीने अनेक कलाकार आणि दिग्दर्शक घडवले, ज्यांनी पुढे मराठी व्यावसायिक रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत देखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आजही झाडीपट्टी रंगभूमी आपल्या मुळ स्वरूपात अस्तित्वात आहे. ती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नवी संकल्पना, तंत्रज्ञान, आणि विषयांचा समावेश केला जातो. जरी झाडीपट्टी रंगभूमी ग्रामीण भागात अधिक सक्रिय असली तरी शहरी प्रेक्षकांमध्येही तिचे एक स्वतंत्र स्थान आहे. तर झाडीपट्टी रंगभूमी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग



आहे, जी ग्रामीण भागातले वास्तव, मनोरंजन, आणि समाजातील प्रश्न यांना लोककलेच्या रूपात प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवते. झाडीपट्टी रंगभूमीतील वेशभूषा आणि रंगभूषा हे नाटकांच्या सादरीकरणातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचे स्वरूप ग्रामीण जीवनाशी निगडित आहे, तसेच साधेपणातही प्रभावी अभिव्यक्ती करण्यावर त्यांचा भर असतो. झाडीपट्टी नाटकं थेट, साध्या आणि स्पष्ट भाषेत मांडली जातात, ज्यामुळे ती प्रेक्षकांना सहज समजतात. सामाजिक प्रश्नांवर भाष्य करताना ती नेहमीच मनोरंजन आणि समाजप्रबोधन यांचा मिलाफ साधतात. झाडीपट्टी नाटकं प्रामुख्याने समाजातील विविध समस्यांवर, विशेषतः शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दारिद्र्य, अन्याय, आणि अंधश्रद्धा यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे ती समाजप्रबोधनाचं साधन म्हणूनही काम करतात. झाडीपट्टी रंगभूमी ग्रामीण भागात आजही लोकप्रिय आहे. काळानुसार त्यात बदल झाले असले तरी त्याचं मूळ साधेपणा आणि सामाजिक संदेश कायम आहेत. म्हणूनच, झाडीपट्टी रंगभूमीने ग्रामीण महाराष्ट्रातील रंगभूमीवर आपली खास जागा निर्माण केली आहे, जिथे लोकांचे जीवन, दुःख आणि आशा सजीव होत असतात.

## वैशिष्ट्ये:

1. **विनोदी आणि उपहासात्मक नाटकं:** झाडीपट्टी नाटकांचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे विनोद. विनोदाच्या माध्यमातून ग्रामीण जीवनातील समस्यांवर टीका केली जाते.
2. **सामाजिक आणि राजकीय विषय:** झाडीपट्टी नाटकांमध्ये अनेकदा सामाजिक आणि राजकीय विषय हाताळले जातात. भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या समस्या, स्त्रियांची स्थिती, दारिद्र्य यांसारख्या गंभीर विषयांवर उपहासात्मक शैलीत टीका केली जाते.
3. **साधी मांडणी:** या नाटकांसाठी मोठ्या नेपथ्याची किंवा तांत्रिक उपकरणांची गरज नसते. स्टेज आणि फक्त काही आवश्यक वस्तूंच्या मदतीने हे नाटकं सादर केली जातात.
4. **ग्रामीण बोली:** नाटकात स्थानिक बोली भाषेचा आणि शब्दसंग्रहाचा वापर होतो. अमरावती किंवा विदर्भातली बोली वापरून संवाद साधले जातात, ज्यामुळे ती प्रेक्षकांना अधिक आपुलकीची वाटतात.

5. **गाणी आणि संगीत:** झाडीपट्टी नाटकात गाणी आणि संगीत हेसुद्धा एक महत्वाचे घटक असतात. पारंपारिक लोकसंगीताच्या आधारावर ही गाणी असतात, ज्यामुळे नाटक अधिक आकर्षक होते.
6. **स्वतःचे स्वतंत्र लेखक आणि दिग्दर्शक:** या रंगभूमीच्या नाटकांना स्वतंत्रपणे लेखन करणारे लेखक आणि दिग्दर्शक असतात, ज्यांनी या प्रकाराचा विकास केला आहे. कै. रामचंद्र सावकर, रंगनाथ ठाकरे, मोहन आगाशे, आणि अशा अनेक दिग्गजांनी झाडीपट्टी रंगभूमीला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे.

### वेशभूषा (Costumes)



झाडीपट्टी रंगभूमीतील वेशभूषा पात्रांच्या समाजशास्त्रीय आणि सांस्कृतिक ओळखीद्वारे ठरवली जाते. हे नाटक ग्रामीण जीवनावर आधारित असल्याने वेशभूषाही त्याच शैलीत सादर केली जाते. झाडीपट्टी नाटकात तांत्रिक साधनांचा वापर अत्यल्प असतो. त्यामुळे रंगभूषा आणि वेशभूषा या नाटकाच्या मांडणीला जास्त खर्चीक किंवा गुंतागुंतीच्या न

ठेवता सोप्या आणि प्रभावी केल्या जातात.

#### i. ग्रामीण वेशभूषा:

वेशभूषेत सामान्य ग्रामीण जीवनातले कपडे वापरले जातात. पुरुष पात्रांसाठी धोतर, कुडता, टोपी किंवा पागोटं अशा पारंपारिक ग्रामीण पोशाखांचा वापर होतो. वेशभूषा आणि रंगभूषेतून पात्रांची ग्रामीण ओळख टिकवली जाते. नाटक ग्रामीण जीवनाशी निगडित असल्यामुळे पात्रांचे कपडे आणि चेहऱ्यावरील रंग नैसर्गिक आणि सोपे ठेवले जातात. स्त्रियांसाठी साध्या साड्या, लुगडी किंवा वऱ्हाडी पद्धतीची वेशभूषा वापरली जाते. साडी नेसण्याची पद्धत आणि रंग यावरून त्या पात्राचा सामाजिक दर्जा आणि वय ओळखता येतं.

#### ii. हास्यप्रधान पात्रांची वेशभूषा:

विनोदी पात्रांची वेशभूषा अतिशयोक्तीपूर्ण असते. उदाहरणार्थ, रंगीबेरंगी किंवा मोठ्या आकाराचे



कपडे, अजब-गजब टोपी, हास्यास्पद अंगवस्त्रं यांचा वापर करून पात्रं प्रेक्षकांना हसवतात. या पात्रांच्या वेशभूषेत अतिरेकी रंगांचा वापर केला जातो, जसे की चमकदार कपडे किंवा मोठ्या आकाराच्या वस्त्रांचा उपयोग. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व ठसवण्यासाठी हे पोशाख त्यांच्या भूमिकेशी सुसंगत असतात.

#### iii. सामाजिक आणि व्यावसायिक पात्र:

विविध प्रकारची ग्रामीण समाजरचना दाखवण्यासाठी पात्रांच्या वेशभूषेत विविधता असते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांसाठी साधे धोतर आणि बनियन, तर जमिनदार किंवा पाटील पात्रासाठी अधिक सजलेले पोशाख, पागोटं, आणि कुडता वापरला जातो. व्यावसायिक पात्रांसाठी विशेष पोशाख असतात,

जसे की बैलहाकण्याचा पोशाख किंवा गावातील भिकारी, ज्यांची ओळख ठळक करण्यासाठी त्यांची वेशभूषा साधी आणि विशिष्ट प्रकारची असते.


## रंगभूषा (Makeup)

रंगभूषा आणि वेशभूषा साधेपणाने सादर केल्या जात असल्यामुळे पात्रं आणि प्रेक्षक यांच्यात थेट आणि जवळचा संवाद साधता येतो. प्रेक्षकांशी भावनिक आणि विनोदी नाते सहजपणे निर्माण करण्यासाठी रंगभूषा आणि वेशभूषेचा वापर सोप्या पद्धतीने केला जातो.

### i. साधेपणा आणि नैसर्गिकता:

झाडीपट्टी रंगभूमीतील रंगभूषा अत्यंत साधी असते. ग्रामीण जीवनातील पात्रं नैसर्गिकपणे सादर करण्यासाठी साध्या रंगभूषेचा वापर केला जातो. रंगभूषा फारशी अवघड नसते. थोडा फाउंडेशन, गालांवर गुलाबी रंग, आणि साधे रंग लावून पात्रांचं चेहरं तयार केलं जातं. पात्रं प्रेक्षकांपासून खूप जवळ असल्यामुळे रंगभूषेचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो.

### ii. विनोदी पात्रांची रंगभूषा:



विनोदी पात्रांसाठी रंगभूषा अधिक उठावदार असते. त्यांच्या चेहऱ्यावर जाड रंग, मोठ्या प्रमाणात पावडर, आणि अतिशयोक्तीपूर्ण ओठ किंवा गाल रंगवले जातात. त्यामुळे त्यांची विनोदी छटा अधिक ठळकपणे दिसते. काही वेळा हास्यास्पद भाववृद्धी करण्यासाठी अतिशयोक्तीपूर्ण मिशा किंवा दाढी रंगवली जाते. हास्य निर्माण करण्यासाठी मुखवटे किंवा चेहऱ्यावर मोठी भुवई

रंगवणे यांसारख्या तंत्राचा वापर होतो.

### iii. प्रभावी पात्रांची रंगभूषा:

पात्रांच्या भूमिकेनुसार त्यांची रंगभूषा ठरवली जाते. उदाहरणार्थ, वृद्ध पात्रांना जाड भुवया, गालांवर सुरकुत्या, आणि पांढरट केस असं रंगवून वृद्धत्वाचा प्रभाव निर्माण केला जातो. समाजातील उच्चभू वर्गातील पात्रांसाठी चेहरा अधिक उजळवून त्यांना प्रतिष्ठित दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पात्रांच्या सामाजिक स्थानानुसार रंगभूषेत फरक केला जातो.

### समारोप:

झाडीपट्टी रंगभूमीतील वेशभूषा आणि रंगभूषा यांचा साधेपणा हा नाटकांच्या यशस्वीतेचा एक प्रमुख घटक आहे. ग्रामीण जीवनाशी सुसंगत साधी, परंतु प्रभावी वेशभूषा आणि रंगभूषा पात्रांना जिवंत करतात आणि नाटकाच्या सादरीकरणात महत्वाची भूमिका बजावतात. झाडीपट्टी रंगभूमीवर सखोल माहिती मिळवण्यासाठी खालील संदर्भ ग्रंथ आणि पुस्तके उपयुक्त ठरू शकतात. या ग्रंथांमध्ये झाडीपट्टीची उत्पत्ती, इतिहास, सांस्कृतिक महत्त्व, आणि तिला घडवणारे महत्वाचे नाटककार याबद्दल माहिती दिलेली आहे. झाडीपट्टी रंगभूमी हा मराठीतला एक महत्वाचा रंगभूमीचा प्रकार आहे, जो विशेषतः ग्रामीण भागात विकसित झाला आहे. हा प्रकार लोकसाहित्य, लोककला आणि ग्रामीण समाजातील जीवनाची झलक देतो. झाडीपट्टी म्हणजे विदर्भातील खास भाग, जिथे या

प्रकारची रंगभूमी विकसित झाली. झाडीपट्टी रंगभूमी ग्रामीण महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि त्याच्या आसपासच्या भागात विकसित झाली. या प्रकारची नाटकं ग्रामीण जीवनाशी संबंधित असतात आणि साधारणतः गरीब, शेतकरी, आणि कामगार वर्गाच्या समस्या, भावना आणि जीवनशैली मांडतात. या रंगभूमीत लोकसाहित्य, लोकगीते आणि नृत्यांचा समावेश असतो. संवाद आणि नाट्यप्रवेशांमध्ये लोककथेच्या घटकांचाही समावेश केला जातो, ज्यामुळे ती अधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते.

**संदर्भ ग्रंथ:**

1. झाडीपट्टी रंगभूमी - डॉ. रत्नाकर मतकरी.
2. झाडीपट्टी नाट्यसंस्कृती - रंगनाथ ठाकरे.
3. झाडीपट्टी रंगभूमीचे विविध पैलू - विविध लेखक (लेखसंग्रह).
4. मराठी लोकनाट्य परंपरा आणि झाडीपट्टी रंगभूमी - श्री. न. चिं. केळकर.

# राजर्षी शाहू महाराजांच्या कृषीक्षेत्रविषयक धोरणाचे मूल्यमापन

शोध निबंधक

योगिता गणेश अनमोड

**प्रस्तावना :-**

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण व्यक्तीमत्व, पट्टीचे राजकारणी, मुत्सद्दी अस्पृश्योद्धारक, कला प्रेमी, मानवतावादी समाजसुधारक छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपल्या सामाजिक व आर्थिक कार्याद्वारे महाराष्ट्राच्याच नाही तर भारतीय जनतेच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. ब्रिटिश कालखंडात भारतातील प्रतिकूल सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत संस्थानाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून प्रशासन, शिक्षण, कला-क्रीडा क्षेत्र, शेती, उद्योगधंदे, सहकार इत्यादी क्षेत्रात आपल्या 28 वर्षांच्या कारकिर्दीत आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. शाहू महाराजांचे विचार काळाच्या पुढे होते, ते कर्ते राज्यकर्ते होते. ब्रिटीशांच्या राजवटीत संस्थानाची सुत्रे सांभाळतांना सरकारच्या अधिपत्याखालील एक संस्थानिक या नात्याने शाहू महाराजांवर काही मर्यादा होत्या. परंतू शाहू महाराजांनी ब्रिटिशांच्या हातातील कळसुत्री बाहुले न बनता त्यांना सहकार्य करत जनतेच्या कल्याणासाठी मुत्सद्देगिरीने ध्येय्यवादी दृष्टीकोनातून नियोजनपूर्वक केलेल्या अनेक सुधारणांमुळे कोल्हापूर संस्थानात दुरगामी परिणाम घडून आले. त्यामुळे संस्थानाच्याच नाही तर साऱ्या महाराष्ट्राच्या इतिहासाला कलाटणी मिळाली.

कागल संस्थानाचे संस्थानिक जयसिंगराव घाटगे व राधाबाई साहेब यांच्या कुटुंबात इ. स. 26 जुलै 1874 रोजी शाहू महाराजांचा जन्म झाला. त्यांचे मुळ नाव यशवंतराव जयसिंगराव घाटगे होते. कोल्हापूर संस्थानचे छत्रपती चौथे शिवाजी यांची पत्नी आनंदीबाई राणीसाहेबांनी कोल्हापूर संस्थानाला वारस म्हणून इ.स. 17 मार्च 1884 रोजी यशवंतरावांना दत्तक घेतले. दत्तकविधिंतर ते छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शाहू महाराजांनी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्याभिषेकापूर्वी संपूर्ण भारताचा दौरा केला. त्यामुळे त्यांना भारतातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व धार्मिक जनजीवनाचे जवळून अवलोकन करण्यात आले तसेच युरोप खंडातील 18 व्या व 19 व्या शतकातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाचा प्रभाव राजर्षीवर होता. त्यामुळे इ.स. २ एप्रिल 1894 रोजी राज्यकारभाराची सुत्रे हाती घेतल्यापासून महाराजांनी पाश्चिमात्य समाजजीवनासारखे कोल्हापूर संस्थानात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय सुधारणा घडवून आणल्या.

**उद्दिष्ट्ये :-** 1) छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या कृषीक्षेत्रविषयक धोरणांचा अभ्यास करणे.  
2) छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांची शेतकऱ्यांविषयी व कृषीक्षेत्राविषयी भूमिका विशद करणे.

**गृहितके :-** 1) छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी राबविलेल्या कृषीक्षेत्रविषयक धोरणांमुळे संस्थानातील शेतकऱ्यांचा विकासास चालना मिळाली.  
2) राजर्षी शाहू महाराज महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे जनक होते.

**संशोधन पद्धती :-** सदरील शोधनिबंध पूर्णपणे व्दितीयक स्तोतावर आधारित आहे. व्दितीयक स्त्रोतांमध्ये प्रकाशित प्रलेखांच्या आधारे प्रस्तुत शोधनिबंधाचे लिखाण करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत विविध पुस्तके, लेख, इत्यादींचा वापर करण्यात आला आहे.

**शाहू महाराजांचे आर्थिक विचार :-**

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात केलेली कार्ये तर इतिहासात महत्वपूर्ण आहेतच पण त्यांचे आर्थिक विचार व कार्ये ही देशाच्या आर्थिक इतिहासात महत्वपूर्ण आहेत शाहू महाराजांनी सन 1906 मध्ये स्थान केलेली शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिल, संस्थानाचा व्यापार वाढावा, शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे यादृष्टीने 1895 मध्ये स्थापन केलेली 'शाहूपुरी बाजारपेठ', मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करून उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणावर दिलेली भर, संस्थानात दारिद्र्य निर्मुलन, रोजगार निर्मितीसाठी केलेले प्रयत्न, उद्योग व व्यापाराचा विकास घडवून आणण्याठी संस्थानात रस्त्यांचा व रेल्वेचा केलेला विकास आदी कार्ये उल्लेखनीय आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांचे कृषीक्षेत्र विषयक धोरण व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केलेली कार्ये ही प्रशंसनीय आहेत.

**शाहू महाराजांचे कृषीक्षेत्र विषयक धोरण :-**

राज्याभिषेकापूर्वी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाचा दौरा केला. या दौऱ्यात महाराजांनी शेतकऱ्यांचे जीवन, कष्ट, दारिद्र्य आणि व्यथांचे निरिक्षण केले. राजर्षींनी जाणले की, भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात पुर्वीपार शेती हे उपजिविकेचे प्रमुख साधन आहे. बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेती क्षेत्राशी संबंधित असून, संस्थानातील शेतकरी वर्ग दरिद्री असून शेती ही दुरावस्थेत होती. ब्रिटीशांच्या कालखंडात शेती सुधारणेकडे फारसे लक्ष पुरविले नव्हते. शेती ही परंपरागत पद्धतीने केली जात होती. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होती. त्याचप्रमाणे शेती निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे पाऊस पडला तर शेतीत उत्पादन होई. शाहू महाराजांच्या मते शेतकऱ्यांचे अज्ञान, शेतीसाठी भांडवलाची कमतरता, शेतीचे विभाजन, पारंपारिक पद्धतीने शेती करणे, शेतमाल विक्रीची समस्या, शेतीसाठी जलसिंचनाचा अभाव इत्यादीमुळे कृषीक्षेत्रांच्या विकासास अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी व कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले.

**1) शेती शिक्षण :-**

कृषीक्षेत्राचा विकास झाला तरच शेतकरी वर्ग सुखी होईल अशी शाहू महाराजांची विचारधारा होती. राजर्षींनी शेतकऱ्यांचे अज्ञान दुर करण्यासाठी त्यांना साक्षरतेचे धडे मिळावे यासाठी आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले शिवाय शेतीविषयक विशेष शिक्षण देण्याचीही सोय केली. एवढेच नाही तर शेतकी शिक्षणासाठी रामचंद्र धोंडो शेळके या विद्यार्थ्यांस अमेरिकेत जाण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले. संस्थानातील शेती ही पारंपारिक पद्धतीने न करता शेतीमध्ये पिकपद्धतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यावर भर दिला. भात, मका, कोको, रबर, अंबाडी, ताग, लाख, शिंगाडे, बेळगावी बटाटे इत्यादी पिकांची लागवड करण्यात आली. भुदरगड, पन्हाळा येथे चहा, कॉफीचे उत्पादन, तुरुकवाडी येथे बुंदाच्या झाडाची लागवड, शेलाप येथे रेशीम उत्पान तर भुदरगड, पन्हाळा येथे वेलदोडे व कोको लागवडीचे प्रयोग करण्यात आले. सुधारित शेती पद्धती प्रसारात

आणणे व शेतकऱ्यांमध्ये ती लोकप्रिय करण्यासाठी 1912 साली 'किंग एडवर्ड अॅग्रीकल्चरल इंस्टिट्यूट' स्थापन करण्यात आले. तसेच शेतीत संशोधन करण्यासाठी आदर्श शेतीचा प्रयोग सुरु केला.

## 2) कृषीविषयक प्रदर्शने :-

कोल्हापुर संस्थानात शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. सुधारित शेती अवजारांचे म्युझियम सुरु करण्यात आले. त्या म्युझियममधील शेती-अवजारे शेतकऱ्यांना प्रयोगाकरीता देण्यात येत. इतर शेतकरी त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन त्याचा प्रयोग स्वतःच्या शेतात करायला प्रवृत्त होतील. यामुळे शेतकरी वर्गावर व त्यांच्या कृषीकार्यावर सुपरिणाम होतील अशी राजर्षीना आशा होती.

## 3) आधुनिकीकरणावर भर :-

शाहु महाराजांच्या मते, हिंदुस्तानातील शेतकरी अकार्यक्षम नसून तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीमुळे तो अकार्यक्षम झाला आहे. शेतकऱ्यांना अज्ञानामुळे शेती व स्वतःचा विकास साध्य करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुशिक्षित करून शेतीचे आधुनिकीकरण करून सुधारित शेती अवलंबिवली तर शेती उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचा विकास होईल. शेतीच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यासाठी शेतीचा आकार किमान वाजवी असावा असे शाहु महाराजांचे मत होते. त्यासाठी त्यांनी सन 1913 मध्ये संस्थानात शेतीचे विभाजन रोखण्यासाठी सर्व इमाने अविभाज्य ठरविली. एवढेच नाही तर संस्थानात शेती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. या अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, बी-बियाणे, आधुनिक मशागतीच्या पद्धती आदीचे ज्ञान तसेच प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. त्याद्वारे शेती क्षेत्रात आधुनिकीकरण घडून येऊ लागले. शेतकऱ्यांच्या विकासास चालना मिळाली.

## 4) पाटबंधारे विभाग :-

शाहु महाराजांच्याकाळात राज्यात मोठा दुष्काळ पडला होता. सन 1896 च्या या भीषण दुष्काळात महाराजांनी शेतकऱ्यांचे त्यांच्या जनावरांचे व जमिनीचे रक्षण केले. जनावरांच्या चान्यापाण्याची सोय केली. संस्थानामार्फत जनावरांसाठी जंगले खुली केली. शेतसाऱ्यात सुट दिली. दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच शेतीला बारामाही पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सन 1902 साली संस्थानात 'सार्वत्रिक पाटबंधारे धोरण' जाहीर केले. त्याअंतर्गत पाटबंधारे खाते स्थापन करून इरिगेशन ऑफिसची नेमणुक केली. या खात्यामार्फत लहान-मोठ्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात आल्या. त्याअंतर्गत नविन विहिरी खोदणे, जुन्या विहिरी दुरुस्त करणे, लहान-मोठे तलाव बांधणे, गाळ काढणे इत्यादी उपायोजना केल्या गेल्या.

## 5) राधानगरी धरण :-

शाहु महाराजांच्या आयुष्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजेच राधानगरी धरण होय. पाणीपुरवठ्या संदर्भात भोगवती नदीवर बांधलेले राधानगरी धरण कोल्हापुर संस्थानातील शेतीसाठी सुजलाम सुफलाम ठरले. सन 1903 मध्ये या धरणाच्या प्रकल्पास सुरवात झाली. या प्रकल्पास महाराजांनी आपले जिवितकार्य समजले. परंतु पहिले महायुद्ध व आर्थिक संकटामुळे 1918 मध्ये



धरणाचे कामकाज बंद पडले. दुर्दैवाने राजर्षींच्या काळात प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. परंतू पुढे छत्रपती राजाराम महाराजांनी हा प्रकल्प पूर्ण केला. भारतात हरितक्रांती होण्यापूर्वी शाहु महाराजांनी राधानगरी प्रकल्पामुळे कोल्हापूर संस्थानात हरितक्रांतीचा पाया घातला. त्यामुळे राजर्षी शाहु महाराज हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे जनक होते. या राधानगरी प्रकल्पामुळे कोल्हापूर संस्थानातील शेतकरी समृद्ध झाला.

#### 6) इतर कृषीक्षेत्र विषयक कार्य :-

शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबर मधुमक्षिकापालन, कुक्कुटपालन, बदकांची पैदास, दुध-दुभती उत्पादने, रेशीम उत्पादन यासारखे जोडव्यवसाय करावेत यांकडे राजर्षींचे लक्ष होते तसेच शेतकऱ्यांना शेती सुधारण्यासाठी, विहिर खोदण्यासाठी, बी-बियाणे विकत घेणे, खते विकत घेणे आदी शेतीविषयक कामासाठी अल्प व्याजदराने कर्जे उपलब्ध करून दिली. व्हिक्टोरिया राणीच्या स्मरणार्थ स्थापन केलेल्या निधितून शेतकऱ्यांना सावकाराच्या तावडीतून जमिनी सोडविण्यासाठी वित्तपुरवठा केला. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतमालाच्या विक्रीची अडचण दूर करण्यासाठी सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देऊन सहकारी पतपेढ्या काढल्या. सहकारी कोठार काढले. उत्पादित शेतमालासाठी संस्थानात बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. शेतमालाचे वितरण, कृषीतंत्रशास्त्र व शेतीला लागणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधेतील बदल सुकर घडून यावे म्हणून 185 मैलाहुन अधिक लांबीचे रस्ते बांधले. गरीबांच्या शेतीच्या मालकी हक्कात बदल केला जात असल्यामुळे इ.स. 1918 मध्ये कुलकर्णी वतन रद्द करून तलाठ्याकडे कुलकर्णी करत असलेली सर्व कामे सोपवली. बलुतेदारी पद्धत बंद केली.

#### निष्कर्ष :-

1) हरितक्रांती म्हणजे कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी लागू केलेले नविन तंत्रज्ञान होय. सन 1965 नंतर भारताच्या कृषीक्षेत्रात नविन कृषीविषयक व्युहरचना स्वीकारण्यात आली. त्याअंतर्गत कृषीक्षेत्रात सुधारित बी-बियाणांचा वापर, रासायनिक खतांचा वापर, सिंचनाच्या सोयी, कृषीक्षेत्रास वित्तपुरवठा, शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे व विक्री व्यवस्था, शेतीविषयक संशोधन आदिवर भर देण्यात आले. त्यामुळे भारतात हरितक्रांती घडून आली. परंतु भारतात हरितक्रांती घडून येण्यापूर्वीच राजर्षी शाहु महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात हरित क्रांती घडवून आणली होती.

2) राजर्षी शाहु महाराजांच्या कृषीक्षेत्राविषयक धोरणाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, त्यांच्या विचारांची आणि कृतीची यथार्थता काळाच्या पुढे होती. देशाच्या प्रगतीसाठी उद्योग-व्यापार क्षेत्राप्रमाणेच कृषीक्षेत्राचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. कृषीक्षेत्राचा विकास साध्य होण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संस्थानातील शेतकऱ्यांना सुशिक्षित करून आधुनिकीकरण व प्रयोगशीलतेच्या सहाय्याने कृषीक्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी राजर्षींनी व्यवहारीक व दुरदृष्टीने कोल्हापूर संस्थानात हरितक्रांतीचे बीज रोवले. त्यामुळे राजर्षी शाहु महाराज हे खऱ्या अर्थाने हरितक्रांतीचे जनक होते.

3) राजर्षी शाहु महाराजांनी शेतीविषयक ज्ञानाने शेतकऱ्यांना सुजाण करून राधानगरी प्रकल्पाच्या सहाय्याने दुष्काळावर मात करून शेतीला केंद्रस्थानी मानून नविन अर्थरचना तयार केली. त्याअंतर्गत संस्थानात हरितक्रांतीला चालना मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रयोगशीलतेचा हात धरून शेतीची

उत्पादकता वाढवून दारिद्र्यावर मात करत स्वतःचा विकास साध्य करण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानातील शेतकऱ्यांच्या विकासास चालना मिळून शेतकरी वर्ग समृद्ध झाला आहे.

**सारांश :-**

भारत कृषीप्रधान देश आहे. आज सुध्दा भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या कृषी व्यवसायाशी संबंधित असून भारतात कृषीक्षेत्राचा पुरेसा विकास झालेला नाही. कृषीक्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधन व सुधारित तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला असला तरी भारतातील काही भागात जमिनीचे कमी धारण क्षेत्र व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उच्च खर्च यामुळे शेती ही पारंपारिक पद्धतीने केली जाते. पायाभूत सुविधा व अॅग्री मार्केटिंगचा फारसा विकास झालेला नाही तसेच भारतीय शेतीचे हंगामी स्वरूप निसर्गावर असलेले अवलंबित्व, त्यामुळे येणारी नापिकी, शेतमालाला योग्य हमी भाव न मिळणे, वाढता कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी वर्गातील वाढती आत्महत्या कमी करण्यासाठी छत्रपती राजर्षी शाहु महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील कृषीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबवलेले कृषीक्षेत्रविषयक धोरण आजही प्रासंगिक आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात अभूतपूर्व परिवर्तनाची प्रक्रिया घडून येईल.

**संदर्भ ग्रंथ :-**

- 1) कुलकर्णी बी.डी व ढमढेरे एस.व्ही. (2008), आर्थिक विचार व विचारवंत, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे.
- 2) जहागिरदार दि.व्य. (2005) आर्थिक जगत, सेंटर फॉर एकाॅनॉमिक अॅण्ड सोशल स्टडीज, अमरावती.
- 3) जाधव रमेश (2016), राजर्षी शाहु गौरव ग्रंथ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई.
- 4) जाधव रमेश (2010), लोकराजा शाहु छत्रपती, सुरेश एजन्सी, पुणे.
- 5) जाधव एस.जी. (2005) भारताचा इतिहास, संस्कृती पुस्तकालय, नांदेड
- 6) पवार जयसिंगराव (2001), राजर्षी शाहु स्मारक ग्रंथ, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापुर
- 7) रायखेलकर ए.आर. व दामजी बी.एन. (2022), आर्थिक विचारांचा इतिहास, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद.

# पौगंडा अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक बदलामुळे अभ्यासावर होणारा परिणाम

पृथ्वीराज उत्तमराव धर्मे

प्राथमिक पदवीधर शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बोरगव्हाण, तालुका पाथरी जिल्हा परभणी. रा. गणेश नगर पाथरी तालुका पाथरी जिल्हा परभणी पिन कोड 431506

## प्रस्तावना:

पौगंडावस्था हा जीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदल घडतात. या बदलांचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर परिणाम होतो. या कालावधीचे महत्त्व जीवनाच्या इतर कोणत्याही टप्प्यापेक्षा वेगळे आणि गुंतागुंतीचे आहे कारण या वयात मुलांच्या विचारसरणीमध्ये, शरीरात आणि वर्तनात मोठे बदल घडतात. या काळातील मानसिक अस्थिरता, सामाजिक दडपण आणि आत्म-ओळख निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यासावर आणि एकूणच शैक्षणिक कामगिरीवर कसा परिणाम होतो, हे या निबंधाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न आहे.

## उद्दिष्टे:

1. पौगंडा अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक बदलांची ओळख करून घेणे.
2. या मानसिक बदलांचा त्यांच्या अभ्यासावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
3. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मदत करण्यासाठी उपाय शोधणे.
4. याविषयी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे.

## पौगंडावस्थेची व्याख्या:

पौगंडावस्था साधारणपणे १२ ते १८ वर्षांच्या वयातील कालखंड म्हणून ओळखली जाते, जरी ती व्यक्तीगणिक थोडी वेगळी असू शकते. या वयात हार्मोनल बदल होऊन शारीरिक आणि मानसिक विकासात प्रचंड वेग येतो. हा काळ फक्त शारीरिक वाढीपुरता मर्यादित नसून मानसिक परिपक्वता, सामाजिक संबंध, आणि आत्म-ओळख या बाबींमध्येही बदल होतो.

## शारीरिक बदल:

पौगंडावस्थेत शरीरात हार्मोनल बदल होतात, ज्यामुळे मुला-मुलींच्या शारीरिक वाढीत महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतात. या बदलांमध्ये मुलींमध्ये मासिक पाळीची सुरुवात होते, तर मुलांमध्ये आवाज फुटणे, दाढी-मिश्या वाढणे असे बदल होतात. शरीराचे आकारमान बदलणे, उंची वाढणे, वजन वाढणे यासारखे सामान्य बदलही होतात.

## मानसिक बदल:

पौगंडावस्थेत मानसिक बदल अतिशय महत्त्वाचे असतात. या वयात मुलांच्या विचारसरणीमध्ये मोठे बदल घडतात, जसे की:

1. स्वतःची ओळख निर्माण होणे: या वयात मुलं स्वतःच्या ओळखीचा शोध घेत असतात. ते "मी कोण आहे?" या प्रश्नाला उत्तर शोधत असतात.

2. **भावनिक अस्थिरता:** हार्मोनल बदलांमुळे भावनांमध्ये चढउतार होतात. कधी कधी लहान गोष्टींवरूनही राग येणे किंवा आनंदात असताना अचानक उदास होणे हे सामान्य असते.

3. **ताणतणाव आणि चिंता:** अभ्यास, समाजात आपली जागा, मित्र-परिवार, परीक्षा आणि अपेक्षा या गोष्टींमुळे ताणतणाव निर्माण होतो.

4. **गोंधळलेपण:** या वयात मुलं विचारांत आणि वर्तनात गोंधळलेली असू शकतात. योग्य आणि अयोग्य यातील फरक त्यांना नेहमीच स्पष्ट दिसत नाही.

#### **भावनिक बदल:**

पौगंडावस्थेत मुलांमध्ये भावनांचा स्फोट होतो. ते सहज रागावू शकतात, निराश होऊ शकतात, किंवा प्रचंड उत्साही होतात. या वयातील मुलांना स्वतःला समजून घेणे आणि इतरांशी नातेसंबंध जोपासणे यामध्ये खूप आव्हाने येतात. या काळात मित्र-परिवार आणि समाजाचा प्रभाव जास्त असतो, आणि त्यातूनच त्यांच्या भावनिक स्वभावात बदल होतात.

#### **सामाजिक बदल:**

1. **मित्रांचा प्रभाव:** या वयातील मुलं सामाजिकतेकडे जास्त लक्ष देतात आणि त्यांना त्यांच्या मित्रांच्या सान्निध्यात राहणे आवडते. मित्रांचा प्रभाव त्यांच्या वर्तनावर मोठा असतो.

2. **स्वतंत्र विचारसरणी:** मुलं या काळात स्वतःचे विचार आणि मतं बनवू लागतात. त्यांना त्यांच्या आयुष्यावर आणि निर्णयांवर अधिकाधिक नियंत्रण हवे असते.

3. **समूहात असण्याची भावना:** पौगंडावस्थेतील मुलांना सामाजिक समूहात आपली जागा शोधायची असते. त्यांना मान्यता आणि स्वीकृती मिळवण्याची तीव्र इच्छा असते.

#### **पौगंडावस्थेतील आव्हाने:**

1. **शारीरिक आणि मानसिक बदलांशी जुळवून घेणे:** मुलांना त्यांच्या शरीरात होणारे बदल आणि त्यांच्या भावना समजावून घ्यायला वेळ लागतो.

2. **ताणतणाव आणि तणाव व्यवस्थापन:** अभ्यास, परीक्षा, पालकांची अपेक्षा, सामाजिक संबंध या सगळ्यामुळे ताणतणाव निर्माण होतो. काही वेळा हे ताण गंभीर समस्या निर्माण करू शकतात, जसे की नैराश्य किंवा आत्मविश्वासाची कमतरता.

3. **ओळख आणि स्वीकृतीचा संघर्ष:** या वयात मुलांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची गरज असते. ते कोण आहेत, त्यांना काय आवडते, त्यांच्या स्वभावाचे वैशिष्ट्य काय आहे, याचा शोध घेतात.

#### **मानसिक बदल आणि अभ्यासावर परिणाम:**

1. **भावनिक असमतोल:** पौगंडावस्थेत विद्यार्थ्यांना अनेक भावनिक अडचणी येतात जसे की राग, ताणतणाव, अस्वस्थता इ. या भावनिक बदलांचा अभ्यासावर प्रतिकूल परिणाम होतो, कारण त्यांचा मानसिक स्थैर्य बिघडते.

2. **सामाजिक प्रभाव:** या वयातील मुलांवर मित्रपरिवार, समाज आणि कुटुंब यांचा मोठा प्रभाव पडतो. अनेकदा मित्रांचा अभ्यासापेक्षा इतर गोष्टींवर जास्त प्रभाव पडतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.

**3. स्वतःची ओळख निर्माण करणे:** पौगंडावस्थेतील विद्यार्थी स्वतःला इतरांच्या तुलनेत ओळखण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे कधी-कधी अभ्यासापेक्षा स्वतःच्या दिसण्यावर, व्यक्तिमत्त्वावर किंवा लोकप्रियतेवर जास्त लक्ष केंद्रित होते.

**4. ताणतणाव:** अभ्यासाचे ओझे, परीक्षा, मार्क्स मिळवण्याची चिंता आणि अपेक्षा यामुळे विद्यार्थी ताणतणावाखाली राहतात. याचा त्यांच्या एकाग्रतेवर परिणाम होतो.

**5. एकाग्रता कमी होणे:** पौगंडावस्थेतील मुलांना एकाग्रतेचा अभाव जाणवू शकतो. हार्मोनल बदलांमुळे त्यांचे विचार सैरभैर होऊ शकतात आणि त्यामुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत ठेवणे कठीण जाते.

**उपाय:**

**1. व्यक्तिमत्त्व विकास:** विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी योग्य ताणतणाव व्यवस्थापन तंत्रे शिकवली पाहिजेत.

**2. शिक्षकांचे मार्गदर्शन:** शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक बदलांची जाणीव ठेवून त्यांना पाठिंबा द्यावा. शाळांमध्ये मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करून विद्यार्थ्यांना मानसिक ताणतणाव कसा हाताळायचा याबद्दल शिकवले पाहिजे.

**3. समुपदेशन आणि भावनिक पाठिंबा:** मुलांना भावनिकदृष्ट्या समजून घेणे आणि त्यांना योग्य समुपदेशन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पालकांनी आणि शिक्षकांनी त्यांच्याशी सतत संवाद साधावा, त्यांचे प्रश्न ऐकून घ्यावेत, आणि त्यांना मार्गदर्शन करावे. शाळांमध्ये समुपदेशन सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याची योग्य काळजी घेता येईल.

**4. ध्यानधारणा आणि ताण व्यवस्थापन:** ताणतणाव कमी करण्यासाठी मुलांना ध्यान, योग आणि श्वसनाच्या तंत्रांची ओळख करून देणे फायदेशीर ठरू शकते. ध्यानधारणेमुळे मुलांची एकाग्रता वाढते आणि ताण व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. शाळांमध्ये तणाव व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केल्यास विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो.

**5. अभ्यासात आवड निर्माण करणे:** अभ्यासात रस निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांनी विविधता आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रांचा वापर करून अभ्यासाचा रुचिकर अनुभव विद्यार्थ्यांना द्यावा. गटचर्चा, खेळाच्या माध्यमातून शिक्षण, आणि व्यावहारिक उदाहरणांचा वापर करून अभ्यासात विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवता येतो.

**4. पालकांचे सहकार्य आणि संवाद:** पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या शैक्षणिक गरजांची जाणीव ठेवावी. मुलांना केवळ मार्क्सवर दबाव आणण्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार शिकण्याची संधी द्यावी. पालकांनी त्यांच्या भावनिक गरजा ओळखून त्यांना मदत करावी. घरातील सकारात्मक वातावरण त्यांच्यावर चांगला परिणाम करू शकते.

**5. स्वतंत्र विचारसरणीला पाठिंबा:** पौगंडावस्थेतील मुलांना स्वतःच्या विचारसरणीचा शोध घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे. त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करायला शिकवणे महत्त्वाचे आहे. त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्यावर जबाबदारी घेण्याचे महत्त्व शिकवले पाहिजे. आत्मविश्वास निर्माण केल्याने मुलं अधिक सक्रियपणे अभ्यासात लक्ष केंद्रित करतात.

**6.शारीरिक व्यायाम आणि तंदुरुस्ती:** शारीरिक व्यायाम आणि खेळामुळे मुलांची एकाग्रता आणि मानसिक स्वास्थ्य सुधारते. खेळामुळे त्यांचा ताणतणाव कमी होतो आणि शरीरातील ऊर्जा सकारात्मक दिशेने वळवली जाते. शाळांमध्ये नियमित व्यायाम आणि खेळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना तंदुरुस्त ठेवता येईल.

**7.स्पर्धात्मकतेवर योग्य लक्ष:** विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मकतेचा सकारात्मक दृष्टिकोन शिकवणे आवश्यक आहे. त्यांना त्यांच्या क्षमतांचा योग्य उपयोग करून स्वतःचा विकास करण्यास प्रवृत्त करावे. त्यांना इतरांशी तुलना न करता स्वतःशीच स्पर्धा करण्याची शिकवण देणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि अभ्यासात प्रगती होते.

**परिणाम:**

पौगंडावस्थेतील विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक बदल त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर मोठा परिणाम करतात. मानसिक तणाव, अस्वस्थता, आणि सामाजिक दबाव यामुळे त्यांचे अभ्यासाकडे लक्ष कमी होऊ शकते. योग्य वेळेवर मार्गदर्शन आणि उपाययोजना केल्यास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक यश मिळवता येऊ शकते.

**निष्कर्ष:**

पौगंडावस्था ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील अत्यंत संवेदनशील अवस्था आहे. या काळातील मानसिक बदलांचा अभ्यासावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. मात्र, योग्य मार्गदर्शन आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या उपायांमुळे या विद्यार्थ्यांना या परिस्थितीचा सामना करून शैक्षणिक यश मिळवता येऊ शकते. पालक, शिक्षक आणि समाज यांची योग्य साथ असेल, तर हे विद्यार्थी उत्तम प्रकारे शैक्षणिक जीवनात प्रगती करू शकतात.

## आदिवासी स्त्रियांच्या काव्यातील प्रतिमासृष्टी:

प्रा. डॉ. सचिदानंद फुलचंद खडके

मराठी विभाग, शारदा महाविद्यालय, परभणी

कवितेच्या आशयाच्या विस्तारासाठी उपयोजन केले गेले आहे. कवितेतील अनुभवविश्वाशी प्रतिमा निगडित असल्यामुळे, प्रतिमा देखील स्त्रियांशी निगडित येताना दिसतात. प्रतिमा या शब्दांनीच भरलेले असल्यामुळे, प्रतिमा अधोरेखित करण्यासाठी शब्दच वापरावे लागतात. त्यामुळे वाचकांच्या नजरेसमोर एक चित्र उभे राहते. त्यामुळे कवितेमध्ये प्रतिमेला महत्वाचे स्थान आहे. याविषयी अभ्यासक सुधीर रसाळ म्हणतात, "भाषेच्या परिणामांमुळे वाचकांच्या मनात निर्माण होणारी संरचना चित्र म्हणजे प्रतिमा, वस्तूचे तंतोतंत वर्णन करणारा शब्दसमूह त्या वस्तूचे वाचकांच्या मनात चित्र उभे उमटवू शकतो. यालाच वाच्यार्थी प्रतिमा म्हणतात. गोव्यात येणारे, उपमा, रूपक, रूपक अतिशयोक्ती, यासारखे अलंकार म्हणजे ही प्रतिमाच असतात."१

यावरून आपल्या हे लक्षात येते की, आदिवासी स्त्रियांच्या काव्य लेखनामध्ये, निसर्गाचे प्रतिबिंब दिसते.

या कविता म्होरकी संग्रहामध्ये अनेक अदिम प्रतिमा दिसतात. उदाहरणार्थ.. यातनांचा सांगाती अंधारात असूपीत बसला आहे, ढोलक्याच्या नावासारखा, पयसाची लाल तांबडी आग, गर्द काळोख रान पालवीत, रक्ताचे अश्रू, नग्नस्वप्ने सूर्यपक्षी, अग्नि, पहाटे सूर्य, राणाचा तिसरा डोळा, रक्तपिपासू वाघ, तेजमान सूर्यपक्षी, वर्तमानपुत्र, अनंत हातांची शक्ती युद्ध पुकारू, शब्दशस्त्र, काळाच्या पडद्यावर बेछूट गोळ्यांचा वर्षाव करून, प्रकाशाचे डोळे, सूर्यसळी, नाग कमळी, रानाचा गर्भार वाटा, केवड्यांची माळ, वांझोट्या शब्दांसोबत, जखमांचे घरटे, अशा अनेक आधी मदत माझ्या काव्यसंग्रहातून येताना दिसतात.

'लेखणीच्या तलवारी' या काव्यसंग्रहातून ही अनेक आधी प्रतिमा दिसतात.

"कापलेल्या हातांचे

करावेत भाले

कापलेल्या मुंडक्यांचे करावे हातबॉम्ब गोळे

पांढऱ्या कपड्यात गुंडाळलेल्या मूरद्याना जागवा

आणि करा पुन्हा नव्या दमाने चढाई"२

यावरून आपल्या हे लक्षात येते की, उषाकिरण आत्राम यांच्या कविता संग्रहामध्ये निवेदन सरी प्रमाण भाषेतील असले तरी, त्यांच्या लेखनावर गोंडी बोलीभाषेचा प्रभाव दिसतो. त्यामुळे त्यांच्या काव्यातून बोली भाषांमधील प्रतिमा पाहायला मिळतात.

**आदिवासी स्त्रियांच्या कवितेतील प्रतीके:**

आदिवासी स्त्रियांच्या कवितेत प्रतिमा प्रमाणेच प्रतीके देखील आलेली आहेत. याविषयी समीक्षा संज्ञा कोशांमध्ये, आर कुलकर्णी, मिलिंद मालशे यांनी काही महत्त्वपूर्ण उल्लेख केले आहेत. "प्रतिक ही संकल्पना चिन्हे आणि अर्थ यांच्याशी संबंधित आहे कोणत्याही चिन्हाला सांगते पीक वापरातून रूढ, करावे व निश्चित झालेला अर्थ असतो. उदाहरणार्थ 'पाणी' या शब्दाला म्हणजे अक्षरांच्या ध्वनीच्या जूळणीला एक सांकेतिक

अर्थ मराठी भाषेत प्राप्त झालेला आहे. अर्थाच्या या नेहमीच्या पातळीच्या पलीकडे जाणाऱ्या अर्थाचे सूचन चिन्हातून होऊ लागले म्हणजे, त्या पातळीला प्रतीकात्मक अर्थाची पातळी म्हटले जाते. पाणी या शब्दामधून पाणी या वस्तू पलीकडे जाऊन, निसर्ग जीवन जिवंतपणा अशा अर्थाचा बोध होऊ लागला की, तो शब्द त्या अर्थाचे प्रतीक बनले असे मानले जाते."३

पानिपत इथे परंपरेनुसार रूढार्थाने मान्य झालेली असतात तर काही प्रतीके कवी नव्याने छायेतून निवड करून पहात असतो. अशी अनेक प्रतीके आदिवासी स्त्रियांच्या काव्यलेखन यामधून पहावयास मिळतात. उषाकिरण आत्राम यांच्या 'म्होरकी'या काव्यसंग्रहाला मध्ये कवयित्री उंच उडारे रानपाखरा नो! "४ या कवितेमध्ये रानपाखरानो असे प्रतीक वापरते.निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला उद्देशून, त्या रानपाखरांनो असे प्रतीक वापरतात. त्यामुळे निसर्ग आणि आदिवासी जातील अंतर स्पष्ट होते.

कवयित्री कुसुम अलाम यांच्या रान आसवांचे तळे' या काव्यसंग्रहामध्ये, अस्मितेची आग, पाखरांची माय, जखमांची ठणक, कालरात्री, भडवे, नपुंसक, बेबंदशाही,क्रांतिज्वाला, गुलामगिरी, क्रांती पुत्र, क्रांतीचा दिवा, क्रांतीज्योती, क्रांतीनायक, स्नेहाशून्य, अभागे, वांझोटा, पुसका, द्रोपदी,पानझड, आंबट शोकिन, मृत्यू तांडव, विषाचा प्याला, मरण सोहळे, तीरकमठा,मेघमल्हार, पांढरे कपाळ, अशी अनेक प्रतीके कारण वेगळी उंची गाठून देतात.

#### आदिवासी स्त्रियांच्या काव्यातील शब्दकळा:

आदिवासी कवयित्री प्रामुख्याने ज्या आदिवासी भागांमध्ये राहतात, तेथील परिसरातील शब्द त्यांच्या काव्यातून, तो आदिम साज घेऊन अवतरतात. कवयित्री उषाकिरण आत्राम, कुसुम अलाम, सीता भोजने, त्यांच्या काव्यातून अशा अनेक शब्द कळा येतात. त्या अर्थपूर्ण आहेत. नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, तसेच पुणे जिल्ह्यातील अकोले संगमनेर या आदिवासी भागात कवयित्रीचे वास्तव्य असल्यामुळे, तेथील मातीतील शब्द त्यांच्या काव्यामध्ये सहज स्थान मिळविताना दिसतात.

उषाकिरण आत्राम यांच्या म्होरकी या काव्यसंग्रहातील शब्दकळा, गुल्याल,कंदमूळ तीरकमठा, ढोलकी,, सनई गुहा,गाळे, बांबू, ढोल करवत्या, फनी,पयसाची, कडाकपार, राणी, रेला, ढेमसा, गावकूस, घोंगडी, दारू,रान, सायाळ, गोंदन, गर्भार,पायातली वहाण, लगीन,मोहाची आग्या मोहोळ, पिंपळ, लालमुंग्या, बिब्याचे तेल, कंद,रान, माथा,अर्धनग्न, शिकार, रानचाफा, इत्यादी शब्दकळा संशोधनाने लक्षात घेता येतात.

कवयित्री कुसुम आलाम यांच्या 'रान आसवांचे तळे'या काव्यसंग्रहातील शब्दकळा कंदमुळे, किडे मुंग्या, लंगोटी, आदिमा, नंग्या, नांगर, मोहन, विरपुत्रा, हाडांच्या वटवाघुळे, वनकण्ये,ओसाड, रांजण, मुस्काटात, माय, आभागे, काटे, वांझोटा, फुसका, खेकडी, कोंबडा, गोटुल, इत्यादी शब्दकळा लक्षात घेता येतात.

अशाप्रकारे आदिवासी कवयित्रींच्या काव्यातून येणाऱ्या शब्दकळा आपल्याला संशोधनाद्वारे लक्षात घेता येतात. आदिवासी बोलीतील काही शब्द असल्यामुळे वाचकाला ते लवकर कळत नाहीत. त्यामुळे कदाचित आदिवासी काव्याला मोठा वाचक वर्ग उभा करता आला नसावा. परंतु तरीही ती अगदीच दुर्बोध आहे असे नाही. कमी कालावधीतही ती आपले स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरलेली दिसते.

#### संदर्भ



1. तेंडुलकर रमेश, मुक्तछंद, मराठी वांगमय कोश खंड चौथा,
2. 'समीक्षा संज्ञा' संपादक विजया राजाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, प्रथमावृत्ती २००२, पृ. २६४.
3. आत्राम उषाकिरण' पृ ८
4. लेखणीच्या तलवारी पृ. ४१

---

<sup>i</sup> *Report from the selection committee of the House of Lords appointed to enquire into the present state of the affairs of the east-India company, and into the trade between Great Britain, the East Indies and China, together with the minutes of Evidence, An Appendix, Honourable Court of Directors, 1830, London, p. 362.*

<sup>ii</sup> Innes C.A., *Madras District Gazetteers, op.cit.*, p. 233.

<sup>iii</sup> Balakrishnan Vallikkunnu, *Mappila Sahithya Patanangal, op.cit.*, p. 127.

<sup>iv</sup> Ahmed Kutty E.K., (Ed.), *Arabic in South India, Papers in honour of Prof. S.E. A Nadvi*, Department of Arabic, University of Calicut, 2003, K.M. Mohamed, *Contribution of Kerala to Arabic Literature (Prose)*, p. 87.

<sup>v</sup> Sakkeer Hussain P., *op.cit.*, p. 13.